राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का नवां दिवस [संख्या : 7

मंगलवार;

4 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यकर्ताओं को मानदेय

108. श्री अमराराम (धोद) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में केन्द्र सरकार से विभिन्न मदों में वर्षवार कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

(2) राज्य सरकार की केन्द्रीय सहायता में मैचिंग शेयर कितना प्रतिशत है ?

(3) गत वर्ष एवं इस 31 जनवरी, 2003 तक मदवार कितनी राशि व्यय की गई ?

(4) वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र जिलेवार संचालित हैं तथा उक्त में से कितनों के भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं ?

(5) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को कितना मासिक भत्ता देय है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री माधव सिंह दीवान) : (1) वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 (जनवरी 2003 तक) में भारत सरकार से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	योजना	प्राप्त राशि वर्षवार (राशि लाख रु.में)	
		2001-02	2002-03
1.	आईसीडीएस- सामान्य	5947.07	4691.73
2.	आईसीडीएस-प्रशिक्षण	550.00	500.00
3.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	4694.00	2652.25
4.	आईसीडीएस-विश्व बैंक	3500.00	1500.00
5.	बालिका समृद्धि योजना	—	—
6.	आईडब्ल्यूईपी	87.34	1.75
	योग	14778.41	9343.98

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) आई.सी.डी.एस. सामान्य, प्रशिक्षण, आई.सी.डी.एस. तृतीय परियोजना, बालिका समृद्धि योजना एवं आई.डब्ल्यू.ई.पी. योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

आई.सी.डी.एस. तृतीया परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत राशि अनुदान एवं 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जाती है।

(3) वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 (जनवरी-03 तक) में व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	योजना	प्राप्त राशि वर्षवार (राशि लाख रु. में)	
		2001-02	2002-03
1.	आईसीडीएस- सामान्य	5267.88	3951.67
2.	आईसीडीएस-प्रशिक्षण	304. 63	345.61
3.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	5100.00	2041.77
4.	आईसीडीएस-विश्व बैंक	3630.92	2438.63
5.	बालिका समृद्धि योजना	267.12	—
6.	आई.डब्ल्यू.ई.पी.	58.77	38.75
	योग	14630.22	8816.43

(4) राज्य में वर्तमान में कुल 35710 आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार से स्वीकृत हैं एवं जनवरी, 2003 तक 35642 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 7198 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को निम्नानुसार मानदेय भत्ता दिया जाता है :

(श्री माधव सिंह दीवान)

क्र.सं.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रेणी	मानदेय की पुरानी दर प्रति माह	दिनांक 1.4.2002 नवीन मानदेय भत्ता प्रति माह
(अ)			
1.	नान मैट्रिक	438	938
2.	नान मैट्रिक 5 वर्ष का कार्यानुभव	469	969
3.	नान मैट्रिक 10 वर्ष का कार्यानुभव	500	1000
4.	मैट्रिक	500	1000
5.	मैट्रिक 5 वर्ष का कार्यानुभव	531	1031
6.	मैट्रिक 10 वर्ष का कार्यानुभव	563	1063
(ब)	सहायिका	260	500

ये मानदेय वृद्धि आदेश पत्र क्रमांक 13805 दिनांक 21.2.2003 प्रसारित किए गये हैं। आदेश की प्रति संलग्न है जो 1.4.2002 से लागू माने गये हैं।

(सूची व प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार जो पूर्ण राशि प्राप्त होती है, 2001-02 में आईसीडीएस-जनरल में 680 लाख रुपए जो शेष बचा है, आईसीडीएस-प्रशिक्षण में 146 लाख रुपए शेष बचा है और समेकित बाल विकास में 2000-2001 में 786 लाख रुपए केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए केन्द्र सरकार से 75 प्रतिशत राशि मिलती है, राज्य सरकार को मात्र 25 प्रतिशत निर्माण में लगाना पड़ता है, लेकिन भवन 20 प्रतिशत ही बनाए हैं, 80 प्रतिशत भवन आज तक भी क्यों नहीं बनाए गये हैं ?

तीसरा मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय बढ़ाने के आर्डर केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1.3.2002 को देने के बावजूद भी 11 महीने तक आर्डर आपने क्यों नहीं दिया? मेरे प्रश्न लगाने के बाद आपने 21.2.03 को ये आदेश दिए हैं, इसके कारण क्या रहे हैं? मुख्य मंत्रीजी की घोषणा कि जिसने चार साल से ज्यादा की सेवा महिला एवं बाल विकास विभाग में की है, क्या उनको स्थायी करने की विभाग की मानसिकता है ?

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं माननीय

(श्री माधव सिंह दीवान)

सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस राशि का एक पैसा भी आज तक लैप्स नहीं रहा। कई बार राशि के आर्डर मार्च में आते हैं, फरवरी में आते हैं, उसके बाद यह राशि एक अप्रैल से वापस रिन्यू करवाकर, आज तक के पिछले सालों के रिकार्ड में इसमें जो राशि प्राप्त हुई है, उसका पूरा का पूरा उपयोग हुआ है और एक पैसे की राशि भी लैप्स नहीं हुई है।

दूसरी जहां तक मानदेय बढ़ाने की बात है, उसका एरियर 30.65 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से मांगा गया था और उसमें से 21 करोड़ रुपये आने के बाद एरियर का भुगतान कर दिया गया है। बाकी राशि के भुगतान के बाबत केन्द्र सरकार से पैसा आने वाला है और मैं सदन को आश्वासन देने की स्थिति में हूं कि 31 मार्च, 2003 तक इस सबका इनको भुगतान कर दिया जाएगा एरियर का, यह राशि उन तक पहुंचा दी जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राशि कैरी फारवर्ड तो हो रही है लेकिन जो पैसा मिला है, आप तो यह बता दीजिए कि 2001-2002 में 680 लाख रुपए जो बचे हैं आईसीडीएस-जनरल में, वह पैसा आपको कौनसे महीने में प्राप्त हुआ था ? यह जो आपने कहा है, पैसा खर्च किया है या नहीं किया है, मानदेय के आदेश जब 1.3.2002 को मिल गए थे और आपने आदेश निकाले 21.2.2003 को, आदेश आपने नहीं दिये यह बढ़ाने कि लिए, 11 महीने बाद, मेरा प्रश्न लगने के बाद दिये, आपके विभाग की संवेदनशीलता इससे प्रदर्शित होती है। आदेश आने के 11 महीने बाद आपके विभाग ने मानदेय वृद्धि के आदेश निकाले हैं, मतलब आप कितना काम लेते हैं। जिनको मानदेय के 500 रुपए मिलते थे उनको 1000 किया है, जिसके आदेश आपके विभाग ने 11 महीने बाद में, यह प्रश्न लगने के पश्चात् क्यों दिये ?

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय सदस्य, आपको अवगत कराया कि कार्यकर्ता की राशि जब केन्द्र सरकार से मिलती है उसके बाद ही उनको दी जाती है, केन्द्र सरकार से जब राशि मिली तब यहां से आदेश निकाल दिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने तो यही पूछा है कि आईसीडीएस-जनरल में आपके 680 लाख रुपए मार्च में जो बचे, ये आपको कब मिले थे, यह आप बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : आते ही तो बढ़ा दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2001-2002...

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक फंड यूटिलाइजेशन का सवाल है वह तो आपने 86 परसेंट यूटिलाइज किया है, वह ठीक है, लेकिन वह यूटिलाइज किस रूप में किया गया है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं । मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिलकर 15 दिन पहले यह निवेदन किया था कि आप जो पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराते हैं, महिलाओं द्वारा वह पोषाहार लेकर वहीं पर पशुओं को डाल दिया जाता है। इतनी घटिया क्वालिटी का पोषाहार आपके माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जो इस पूरी योजना के पीछे जो मूल मर्म है उसको ही खतम कर देता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार ने मिड डे मील में ताजा आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, महिलायों का पोषण स्तर सुधारने के लिए यह जो आपकी व्यवस्था है, आपने मुझे बताया कि छह सैक्रेटरीज मिलकर यह फाइनल करते हैं, मेरा आरोप है कि करोड़ों रुपये की इस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्भवती महिलाएं, कमजोर वर्ग की महिलाएं जिनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह सारा पैसा दिया जाता है उस पैसे का भारी दुरुपयोग हो रहा है। इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाने की आप मंशा रखते हैं, यह जानना चाहता हूं?

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो प्रकार के इंडिया मिक्स और बेबी मिक्स के पूरे स्पेसिफिकेशन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हैं। उन्हीं के द्वारा कुछ कम्पनीज तय की हुई हैं जिनसे यह खरीदा जाता है। मैं माननीय सदस्य की एक बात से सहमत हूं कि पंजीरी नाम से जो मिक्स उपलब्ध कराया जा रहा है इसको खाने में वाकई तकलीफ होती है। मैंने यह मंत्रालय सम्भालने के बाद जो इनकी फैक्ट्री है उसका भी विजिट किया और जो मैन्यूफैक्चर हैं उनको कहा कि आप खुद इसको खाकर देखो, वाकई इसको खाने में आनन्द आता है या नहीं। उनका खुद का मानना था कि इसको पकाकर खाया जाए...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : ज्यादा विजिट मत करो, नहीं तो फिर विभाग बदल जाएगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राय ठीक दी आपने।

श्री माधव सिंह दीवान : इसलिए विभाग इस पर विचार कर रहा है। यह अभी पंजीरी दी जा रही है, हमने एक बात की तो व्यवस्था की है, दो-तीन इसमें डिवीजन किये जा सकते हैं- एक तो जीरो से तीन वर्ष के बच्चों के लिए, एक तीन से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और एक धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा 3 से 6 वर्ष के लिए तो हमने व्यवस्था बदली है कि अगले महीने से यह पाउडर नहीं दिया जाकर कुरमुरे के रूप में दिया जाएगा जिसकी भी रेट करीब-करीब वही है। कुरमुरे खाने में नमकीन व मीठे होने के कारण बच्चे उसको

(श्री माधव सिंह दीवान)

पसंद करेंगे। जहां तक एक से तीन वर्ष का सवाल है ये बच्चे छोटे होते हैं, उनको यह किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए इसके लिए न्यूट्रीशिन एक्सपर्ट्स को लिखा गया है। मैं आपको यह आश्वासन दूंगा कि अगले एक महीने के अंदर हम कोई निर्णय लेकर इस पोषाहार को ऐसा बना देंगे जिसको लेने वाला पसंद करेगा और इसका सही रूप से उपयोग हो पाएगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। आपके अपने उत्तर में बताया कि 2001-2002 में 14778 लाख रुपये आपको केन्द्र से मिले, फिर क्या कारण है कि 2002-2003 में यह राशि घटकर 9343 लाख हो गई, नम्बर एक? नम्बर दो बात, आपने अपने उत्तर में कहा कि कुल 35746 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उसमें मात्र 7198 के पास भवन हैं, तो बिना भवन ये आंगनबाड़ी केन्द्र क्या व्यावहारिक रूप से सही चल सकते हैं? जब 75 परसेंट राशि केन्द्र सरकार दे रही है तो 25 परसेंट राशि राज्य सरकार अपने बजटीय प्रावधानों से उपलब्ध क्यों नहीं कराती है? क्या यह भी बताएंगे कि इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद राजस्थान में बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आयी?

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक 7198 केन्द्र निर्मित हो चुके हैं और करीब-करीब दो हजार केन्द्रों का निर्माण चल रहा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि जहां अपना भवन नहीं है वहां आंगनबाड़ी केन्द्र जिस प्रकार राज्य सरकार चाहती हैं उस प्रकार नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि जो किराये की राशि है वह बहुत कम है, उस किराये की राशि में उपयुक्त भवन मिल नहीं सकता है। जहां मिले हुए हैं वे कुछ केन्द्र मैंने देखे हैं, वाकई जिस प्रकार का आवश्यक कार्य होना चाहिए वह नहीं है। हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है कि जिस प्रकार मानदेय बढ़ाया, इस किराये की राशि को भी बढ़ाएं।

जहां तक नये भवन बनाने का सवाल है, एक भवन की लागत करीब सवा लाख रुपये आती है। जितना पैसा केन्द्र सरकार से मिलता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत उस सारे पैसे का यूटिलाइज करके जो मैचिंग शेयर है वह स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। आप और पैसा दिलवा देंगे तो हम और बना देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आप यह बताएं कि इस योजना का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया । तीन प्रश्न पूछ लिए। (व्यवधान) इसके बाद में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि योजना में पैसा कम क्यों मिला, यह तो बताया ही नहीं आपने । आप 14 लाख से 9 हजार पर आ गये।

श्री माधव सिंह दीवान : अब कृपया उस उत्तर को ध्यान से देखें, यह जनवरी तक का ही है। यह जो राशि 2002-03 तक के लिए बतायी गई है यह जनवरी तक की है। प्रश्न का पार्ट यही था कि जनवरी तक कितनी राशि प्राप्त हुई। यह मार्च तक पिछले साल से अधिक राशि प्राप्त होगी और उसका हम पूरा यूटिलाइजेशन कर लेंगे।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आई.सी. डी. एस. तृतीय परियोजना के इंस्पेक्शन के लिए विश्व बैंक की कोई टीम राजस्थान आयी थी? आयी थी तो कब आयी थी और उसने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इस परियोजना के बारे में क्या बताया?

श्री माधव सिंह दीवान : यह तो अलग से प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी आप पूछ रहे हैं क्या?. नेता, प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आई.सी.डी.एस.-सामान्य में जो 5947 लाख था 2001-2002 में, यह 2002-2003 में 4691 तक करने से केन्द्र सरकार...

श्री माधव सिंह दीवान : यह जनवरी तक का है। यह पूरे वर्ष का है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: यह जो पूरी राशि आपको प्राप्त हुई...

श्री माधव सिंह दीवान : ये जनवरी तक के हैं । सारे सवाल में जनवरी तक के ही डेटा मांगे गये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना व्यय किया, यह बता दें आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिसमें शत प्रतिशत केन्द्र से मिलता है उसमें हमारा खर्चा 2001-02 में कम क्यों है ? विशेषकर सामान्य में जो आपका 5900 था इसमें से आपकी बचत रही है 700 कुछ। इसी प्रकार से प्रशिक्षण में भी बचत हुई है, जितना आपको खर्च करना चाहिए था वह नहीं हुआ। जो शत प्रतिशत अपने को मिल रहा है उसमें तो हम खर्चा कम कर पाये और जिसमें हमको ऋण और अनुदान है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है इसमें 30 प्रतिशत तो अनुदान है और 70 प्रतिशत ऋण है, इस ऋण वाले में तो आपने पूरा खर्च करने की कोशिश की, लेकिन जो हमको मुफ्त मिल रहा है उसमें हमारा खर्चा कम क्यों हुआ? यह कहीं हमारी प्रशासनिक कमी के कारण से तो नहीं है और जिसके कारण से हमको अगले साल कम पैसा मिलने की स्थिति तो नहीं बन रही? जो हमारे पास कर्जे के रूप में आ रहा है उसमें हमने अधिक खर्चा किया और जो हमको मुफ्त आ रहा है उसमें हमने खर्चा कम किया । यह क्या इस कारण से तो नहीं है कि अगले साल हमें जो पैसा मिलने वाला है उसमें कटौती होगी?

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय सदस्य, आपने जो कहा है उसके बारे में यह है कि जो राशि दी जाती है उसमें मद तय होती है। जो राशि तनखाह के रूप में दी जा रही है उसमें हमारा खर्चा कम है क्योंकि हमारे पास काफी संख्या में पद रिक्त हैं और पद रिक्त होने का कारण यही है कि नये रिक्रूटमेंट पर पाबंदी है। हमारे पास अधिशेष कर्मचारी जिस भी विभाग से आते हैं या जो मृतक आश्रित कर्मचारी आते हैं उनको लिया जाता है। अभी भी मेरे पास काफी संख्या में पद रिक्त हैं जिनकी एडिशनल चार्ज देकर पूर्ति की जाती है। जो राशि बची हुई है उसमें अधिकांश तनखाह की मद में ही बची हुई है। और किसी मद में सारी राशि खर्च कर दी गई, सिर्फ वेतन के रूप में राशि बची हुई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा यह कहना था कि जो लोन है, जो हमारा कर्जा है उसमें हमारा खर्चा अधिक हुआ, क्यों?

श्री माधव सिंह दीवान : उसमें प्योरली पोषाहार के रूप में है, उसमें तनखाह की कोई मद नहीं है। जितना भी इस योजना के अंतर्गत है वह सारा पोषाहार के रूप में लिया जाता है। अकाल की स्थिति को देखते हुए हम उस पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता रहे हैं कि मानदेय एक साल पहले बढ़ाने के आदेश हुए और इनको तनखाह भत्ते के रूप में देते हैं उसकी राशि 50 परसेंट खर्च हुई है। एक साल पहले मानदेय बढ़ाने का आदेश आने के बाद आप फरवरी, 2003 में ही आदेश निकालते हैं, यह आपके विभाग की असंवेदनशीलता है। आप कह रहे हैं तनखाह में आपका पैसा बचा हुआ है, आप एक बात बता दें कि इस विभाग की कार्य-प्रणाली से शिशु, मातृ मृत्यु दर में पिछले चार साल में कितनी कमी हुई है? इससे पता लग जाएगा कि इस योजना में करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है उसका सदुपयोग होकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई है या घटी है।

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की मृत्यु दर है वह तो काफी चीजों पर डिपैंड करती है। उसमें पोषाहार भी एक कारण है। उसके साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा है, अन्य जो स्वास्थ्य की फैसीलिटीज हैं...

श्री अमराराम (धोद) : विभाग सब वो काम करता है।

श्री माधव सिंह दीवान : विभाग को ये सारे काम भी करने हैं लेकिन बेसिक बात यही है कि पोषाहार अच्छे रूप से मिले। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मृत्यु दर में कमी आए।

श्री अमराराम (धोद) : कमी आए वह कितनी आयी वह बता दो आप तो। कमी आयी या बढ़ी यह बता दो, बस उससे पता लग जाएगा।

श्री माधव सिंह दीवान : इसका तो यही है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कोई मूल्यांकन कराया है क्या शिशु मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर के बारे में?

श्री माधव सिंह दीवान : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित तो है नहीं, आप अलग से पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए एक लाख 25 हजार रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिले जबकि जो प्रस्तावित भवन आपके यहां हैं उनमें पैसा लगता है एक लाख 38 हजार रुपये, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना था। जहां-जहां विधायकों ने वह पैसा दे दिया, मेरे क्षेत्र में भी 30 आंगनबाड़ी केन्द्र बनने थे उन 30 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए उन्होंनें कहा कि अगर आप इसमें 13 हजार रुपये विधायक कोटे से देते है प्रति भवन तो हम ये आंगनबाड़ी केन्द्र बना देंगे। हमने 13 हजार दिये तो आंगनबाड़ी केन्द्र बन गये बाकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जहां लोगों ने 13 हजार नहीं दिये तो सरकार क्या उनमें पैसा देने की मंशा रखती है अगर पैसा देने की मंशा रखती है तो आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार का सवा लाख रुपये प्रति भवन आया हुआ है, आप 13 हजार रुपये के कारण से ये आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं बना रहे हैं । इसके बारे में आपका क्या जवाब है?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सरकार तो शुरू से ही, चार साल से ही कह रही है? कि दिवालिया है, दिवालिया है।

श्री माधव सिंह दीवान : जितना भी पैसा केन्द्र सरकार से आंगनबाड़ी भवनों के लिए आया है, जो मैचिंग शेयर है काफी जगह पर जहां विधायकों से पैसा नहीं मिला है, इसको अकाल राहत कार्यो से टैग कर दिया गया है और हम इसका जितना भी पैसा मिला है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप 13 हजार रुपये नहीं दे सकते ? 13 हजार रुपये नहीं देने की वजह से जितना भी पैसा आया हुआ था उसके आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं बन रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : स्पेसिफिक सवाल है, मंत्री महोदय, कि 13 हजार राजस्थान सरकार को देने थे वे क्यों नहीं दिये? सवा लाख और 13 हजार, एक लाख 38 हजार। आपका 13 हजार नहीं मिला वह क्यों नहीं मिला है और विधायक कोष से या अकाल राहत से क्यों आप लेना चाहते हैं, इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : कहीं पर भी विभाग ने हम लोगों से नहीं मांगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, यह निरर्थक बात है, कहीं पैसे नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

मांगे। (व्यवधान) झुन्झुनूं जिला है चूरू जिला है, कहीं भी हो तो बताओ न। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे पास मुख्य मंत्रीजी का पत्र है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपके पास राजेन्द्रजी बैठे हैं, चूरू में है क्या कहीं ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी का पत्र है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इसका प्रोफार्मा है। (व्यवधान) सवा लाख रुपये का प्रोफार्म है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सर्कुलर पढ़ते नहीं होंगे। (व्यवधान) फिर भी देखकर कोई कहे कि सर्कुलर आ रहा है। मुख्य मंत्रीजी का पत्र आया है, मंत्रीजी का पत्र आया है, मंत्रीजी का पत्र आया है कि हम 13 हजार दें, हमने 13 हजार दिये।

श्री श्रवण कुमार : हमारी पंचायत समिति में निर्धारित सवा लाख रुपये है। (व्यवधान) ऐसा तो कहीं है ही नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कभी पेयजल के लिए के लिए भेजते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: ऐसा है तो दिखाओ न।

एक माननीय सदस्य : कहीं सिंचाई के लिए कहते हैं कि आप अपने विधायक मद से दें। (व्यवधान) पंचायत समितियों में उनके अनुसार सवा लाख में भवन बन रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्पेसिफिक जवाब देवें कि यह 13 हजार राजस्थान सरकार को देना था या नहीं देना था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्र पोषाहार की सुविधा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा से भी यह जुड़ा हुआ है। इसमें यह पता लगता है कि आपके जो कार्यकर्ता लोग लगते हैं इनका क्या शिक्षा के प्रति क्या मापदण्ड है। आप इनको टैंथ पास को लगाते हैं या ट्वैल्वथ पास को लगाते हैं? हमारे क्षेत्र में ऐसी-ऐसी महिला लगा रखी हैं जो 80-90 साल की हैं, वे खुद को नहीं सम्भाल सकती हैं तो उन बच्चों को क्या सम्भाल सकेंगी? इसके कारण आप इसके प्रति क्या बदलाव लाना चाहोगे, यह आप थोड़ा-सा सदन को बता दें।

श्री माधव सिंह दीवान : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, महिलाओं में शिक्षा और साक्षरता वाकई कम है। गांवों में मैट्रिक पास महिला 500 रुपये में मिलना सम्भव नहीं तो कठिन जरूर है। परन्तु यह प्रोग्राम तो चलाना ही है, तो जहां-जहां पर नहीं मिलती...

श्री देवी सिंह भाटी: शिक्षा नहीं तो शिक्षा का उद्देश्य तो है। (व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान : यह मानदेय

है, इसमें 58 साल की उम्र पर रिटायर नहीं किया जाता। जहां तक इन सहायिकाओं और कार्यकर्त्ता के चुनाव की बात है, ग्राम सभा और पंचायत अपने यहां पर उपलब्ध महिलाओं को देखते हुए इनका सलेक्शन करती हैं। पंचायत द्वारा और ग्राम सभा द्वारा इनका सलेक्शन करके विभाग को कहा जाता है कि इनका सलेक्शन कर लिया गया है। इंस्पैक्शन भी उनके द्वारा ही किया जाता है। आप जो कह रहे हैं 85-90 साल की, हो सकता है कहीं पर सम्भव हो, क्योंकि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं है कि 58 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। हम लोग यह चाहते हैं कि जब तक दूसरी ओर उपयुक्त महिलाएं उपलब्ध नहीं हों, कम से कम जो व्यवस्था चल रही है वह चालू रहे। यह काम ग्राम सभा का है, जब भी ग्राम सभा प्रस्ताव करके यह दे देगी कि इनकी जगह पर अन्य को लगा दिया जाए, हम लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्षजी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री प्रभुलाल।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर ।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में वृद्धि

109. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के खर्च का हिस्सा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 से पूर्व तक कितना- कितना वहन किया जाता था?

(2) क्या अब सहायता फार्मूले में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है ?

(3) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हिस्सा राशि बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने अपनी निर्धारित राशि में इस वर्ष कटौती की है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि बढ़ाने से इस वित्तीय वर्ष में परियोजना राशि में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी तथा उक्त वृद्धि से परियोजना के किस क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया गया?

राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों पर त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक किये जाने वाले कार्यों का कुल व्यय राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा 1:2 के अनुपात में वहन किया जाता था । केन्द्र सरकार का यह हिस्सा राज्य को ऋण के रूप में प्राप्त होता है न कि अनुदान के रूप में।

(2) जी हां। फरवरी, 2002 से केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण सहायता फार्मूले में परिवर्तन किये जाने से वर्ष 2002-2003 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर त्वरित सिंचाई

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

लाभ योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का व्यय राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा 1 : 4 के अनुपात में वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार का हिस्सा राज्य सरकार को पूर्ववत ऋण के रूप में प्राप्त होगा न कि अनुदान के रूप में ।

(3) जी हां। इस वर्ष 2002-2003 में केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी हिस्सा राशि बढ़ाने के बाद इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु कुल वार्षिक योजना राशि में कुछ अभिवृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने अपनी पूर्व निर्धारित राशि 6253.29 लाख रुपये में कुल 1052.91 लाख रुपये की कटौती की है।

(4) जी हां । केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ योजना कार्यों के अन्तर्गत अपनी हिस्सा राशि बढ़ाने से इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 में परियोजना की वार्षिक योजना राशि 11500 लाख रुपये से 13000 लाख हो जाने से कुल 1500 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कितनी राशि हुई ? 11500 लाख रुपये कितने हुए ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : 115 करोड़ रुपये और बढ़कर हो गयी 130 करोड़ और कुल वृद्धि हुई 15 करोड़ । इस वर्ष हुई वृद्धि राशि का उपयोग परियोजना के विभिन्न भागों में पूर्व में ही आबंटित कार्यों के अन्तर्गत किया जाएगा ।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, आपने खण्ड एक में उत्तर दिया है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में केन्द्र सरकार से 1 : 2 के अनुपात में ऋण के रूप में मिलता है, क्या मंत्रीजी यह अवगत कराएंगें कि वर्ष 2002-2003 में केन्द्र से कितना ऋण प्राप्त हुआ? ऋण के साथ राज्य ने मैचिंग ग्रांट कितना जारी किया? और यह बताएं कि इस राशि का वास्तविक उपयोग कितना हुआ?

दूसरा, आपने खण्ड दो में ऋण सहायता फार्मूला परिवर्तन की जो बात कही है, मंत्रीजी यह बताएं कि 2002-2003 में 1 : 4 की आपने बात कही क्या? क्या सरकार ने इसी अनुपात में बजट के प्रावधानों में कोई परिवर्तन या संशोधन किया है, यह भी बताएं ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : 1999-2000 में कुल राशि आबंटित हुई उसके आधार पर दोनों के शेयर जो थे वे 145 करोड़ रुपये थे। 2001-02...

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अलग अलग बताओ दोनों के शेयर, राज्य का कितना और केन्द्र का कितना है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : राज्य का शेयर 60.25 करोड़ रुपये और केन्द्र का शेयर 85.35 करोड़ रुपये 2000-2001 में राज्य का शेयर 57 करोड़ रुपये और केन्द्र का शेयर 55 करोड़ रुपये 2001-02 में राज्य का शेयर 57 करोड़ रुपये ओर केन्द्र का शेयर

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

57.73 करोड़ रुपये। इसके अन्दर हमारा जो वेतन है उसमें शेयर नहीं लिया जाता है।2002-03 में जो मैंने अभी बताया उसके अन्दर अभी केन्द्र से 74 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और राज्य के 55 करोड़ ।कुल 130 करोड़ रुपये की योजना अभी इस वर्ष बनाई गई है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : यह अनुपात के हिसाब से तो नहीं बैठ पा रही है ।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अनुपात का भी बताऊंगा।अनुपात के हिसाब से बता रहा हूं। इस साल जो केन्द्र सरकार का शेयर है वह 1:4 के हिसाब से तय किया गया है। इस साल की 115 करोड़ की राशि प्लान में स्वीकृत 115 करोड़ के अंदर चूंकि इस साल 1:4 का रेशो हो गया तो स्टेट का जो हमारा शेयर था उसमें 15 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई और बढ़ोतरी होने की वजह से हमने इस साल 130 करोड़ रुपये का प्लान बनाया। इस साल जो पैसा आएगा वह पैसा 1:4 के हिसाब से केन्द्र से आएगा उसमें मैंने जैसा अभी कहा है, हमें 1:4 के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए था वह 55 करोड़ रुपये मिला है और अभी और पैसा आना है। जो हमारी तनखाह होती है उसके ऊपर 1:4 का अनुपात लागू नहीं होता है, उसमें हमारा खर्चा होगा ।वह करीब 33.53 करोड़ रुपये खर्च होता है इसलिए ये शेयर इस तरीके के हैं ।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : 55 करोड़ रुपये आने की बात कह रहे हैं, और आना है वह कितना आना है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : जो पैसा पिछले वर्षों के अन्दर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मिला है, उसके अन्दर जो हमारी किस्त बनती है, अभी यह फरवरी महीना चल रहा है, जितना पैसा केन्द्र सरकार का है उतना पैसा केन्द्र सरकार का फरवरी और मार्च में आ जाएगा और उसका पूरा उपयोग कर लिया जाएगा। राशि 1:4 के हिसाब से हुई है, पैसा 115 करोड़ रुपये खर्च होना था, खर्च हम इस साल 130 करोड़ रुपये करेंगे क्योंकि राशि बढ़ गई। तो जो काम आबंटित हुए हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आगे बताओ न । एक ही बात रिपीट कर रहे हो ।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : मंत्रीजी बार बार एक इसी को रिपीट कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहूंगा केन्द्र सरकार ने जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अपनी हिस्सा राशि बढ़ाई, जैसा कि अभी मंत्रीजी ने उत्तर के खण्ड तीन में कहा है, तो राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित राशि 6258.29 लाख में से 1052.91 लाख की कटौती क्यों की? और खण्ड चार में जो मंत्रीजी ने केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत अपनी हिस्सा राशि बढ़ाने की बात कही है कि राशि बढ़ाई, तो कितनी राशि राज्य सरकार ने अपने हिस्से की बढ़ाई, बढ़ी हुई राशि से सिंचाई क्षमता

(श्री जसवंत सिंह गुर्जर)

कितनी बढ़ी और कितने अधिक हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई ?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, मेरा भी सुन लो । आपने तो टोटल कन्फ्यूज पैदा कर दिया । मैं समझता हूं, hon'ble Minister is in total confusion. आज जो रेशो बता रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य , उनका जो प्रश्न है उसका जवाब देने दीजिये । आपको मैं बाद में समय दे दूंगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के वर्ष 2002-03 के लिए पहले केन्द्रीय सहायता 49.60 करोड़ की मानते हुए 115 करोड़ की हमने योजना बनाई, 115 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान हमने तय किया और उसी के आधार पर वर्क का डिस्ट्रिब्यूशन किया। उसके बाद में भारत सरकार ने 1: 4 का अनुपात कर दिया। उस अनुपात को करने के बाद इसमें राज्य सरकार का जो हिस्सा पूर्व में 5.58 करोड़ था, योजना का आकार जब बढ़ गया और हमने 115 करोड़ रुपये का काम करना था तो हमारा 10.53 करोड़ का हिस्सा था वह बचत हुई है। बचत राज्य सरकार की हुई है लेकिन काम हम 115 करोड़ के बदले 130 करोड़ का करा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इन आंकड़ों में उलझने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम चेयर से प्रोटेक्शन चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, यह योजना हमारे प्रदेश की है। केन्द्र ने 1: 2 के अनुपात से सारा हिस्सा बढ़ाकर 1: 4 के फार्मूले पर तुरन्त राशि बढ़ाई है, लेकिन हमें जो शेयर देना था वह हम नहीं दे रहे हैं। यह कितनी बड़ी साजिश हो रही है राजस्थान के साथ। आने वाले वर्ष में केन्द्र वापस अपने पुराने फार्मूले पर आ जाएगा तब आपकी क्या स्थिति होगी? और प्रोजेक्ट की क्या स्थिति होगी ? अभी जब लिफ्ट कैनाल्स के बारे में कैबिनेट में प्रपोजल आया कि इन पर 500 करोड़ रुपया आपका खर्च हो चुका है, मात्र 3-4 पम्पिंग स्टेशंस से यह पूरा प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जाता है, उसमें भी आप निर्णय नहीं ले सके, उसको भी सब-कमेटी में डाल दिया। क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि राज्य सरकार की मंशा इस महत्ती योजना को पूरा करने की नहीं है, इसको लम्बित रूप में डालने की है? अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार को आपने निर्देश नहीं दिये तो स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने हिस्सा राशि बढ़ाकर हमारा अनुपात बढ़ाया है और राज्य सरकार इसमें कटौती कर रही है, क्या संकेत जाएगा केन्द्र को? यह सारी योजना आपने स्वयं देखी है, हमारे गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरण लिफ्ट में 80 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है, उसमें यदि आप कटौती करते हो तो इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो जाएगा । मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जवाब आने दो । (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें कटौती की गई है, जब वार्षिक प्लान बना तो 115 करोड़ रुपये की यह योजना बनी, 1: 4 का जब रेशो हुआ तो यह बात तो सही है कि उस रेशो से राज्य सरकार को अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये लाइनिंग के काम हैं और निर्माण के काम हैं इसलिए जितना काम हम 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं उतने काम का हम पहले आर्डर दे चुके और 130 करोड़ रुपये का काम 31 मार्च, 2003 तक पूरा करने के आधार पर हमने राशि आबंटित कर दी।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्र सरकार से पैसा आ गया और राज्य सरकार कटौती कर रही है, मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस परियोजना के लिए 1987–88 से लेकर 1999–2000 तक बार्डर एरिया डवलमेंट के नाम से जो राशि अनुदान के रूप में देती थी उस राशि को 1999–2000 के अन्दर उन्होंने बिलकुल बंद कर दिया। यानि केन्द्र सरकार ने 1987–88 से जो बार्डर एरिया डवलपमेंट के नाम से राशि जारी की, वह खर्च हुई 1995–96 के अन्दर 60 करोड़, 1996–97 के अन्दर भी 60 करोड़ 1997–98 में भी 60 करोड़, 1998–99 में 30 करोड़ और 1999–2000 में 8 करोड़ लेकिन 2000–2001 में जीरो, 2001 –2002 में जीरो और 2002–2003 में जीरो 60–60 करोड़ रुपये मिलते थे अनुदान के रूप में। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विभाग ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री देवी सिंह भाटी : मूल मुद्दा भी यही है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : भारत सरकार के प्रधानमंत्रीजी को चार बार पत्र लिखे हैं, डी.ओ. लैटर लिखे हैं। मैंने स्वयं ने पत्र लिखा है। हमारे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं पंत साहब, उनको मैंने चिट्ठी लिखी। छह बार चिट्ठी लिखने के बाद उनका जवाब आया कि यह राशि हम नहीं देंगे। जबकि राजस्थान के अलावा 17 ऐसे स्टेट हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बार्डर एरिया डवलपमेंट के अलावा... अध्यक्ष महोदय, जो चीज हमने पूछी नहीं है, उसको क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इसमें बार्डर एरिया डवलपमेंट के पैसे का कहां सवाल है? राजस्थान कैनाल में बार्डर एरिया डवलपमेंट का पैसा कहां लगता है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि केन्द्र सरकार ने आपसे हर वर्ष का हिसाब मांगा, आपने हिसाब नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : ये पैरोकार रहे हैं, ये जिस प्रकार से कह रहे हैं क्या केन्द्र सरकार के सामने इस प्रकार से अपना केस रखेंगे? हमने आर्डर इस प्रकार से, टेण्डर वगैरह कर

(श्री देवी सिंह भाटी)

रखे हैं, कि ईंट में चिनाई में समय लगता है। ये ऐसे कैसे रखेंगे केन्द्र के सामने तो यह जो सहायता अनुपात बढ़ाया है यह भी घट जाएगा। यह कैसी सरकार है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : यह सहायता नहीं है, यह ऋण है। यह अनुदान नहीं है। भारत सरकार ने ऋण के रूप में राज्य सरकार को पैसा दिया है न कि अनुदान के रूप में।

श्री देवी सिंह भाटी : यह ऋण है तो कटौती हो जाएगी, ऋण में भी कटौती हो जाएगी जैसे आप बी.ए.डी.पी. का पैसा नहीं ले पारहे हो ...आप मेरे साथ चलिये दिल्ली। पत्र से पैसा नहीं मिला करता है, आप मेरे साथ चलिये दिल्ली, मैं आपको बी.ए. डी.पी. का पैसा मंजूर कराता हूं इस प्रोजेक्ट के लिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय सदस्य, फिर आप राज्य सरकार के ऊपर दोषारोपण मत कीजिये। आप पढ़िये कि राज्य सरकार को जो पैसा आता है, जिसके आधार पर ये निर्माण के काम हो सकते हैं...

श्री देवी सिंह भाटी : यह दोषारोपण का सवाल ही नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है। आप इस बात की पैरवी क्यों नहीं करें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 80 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है, वहां से मदद मिले तो हमारी सारी लिफ्ट केनाल और आगे के काम जैसलमेर में पूरे हो सकते हैं। आप पत्र लिखना बन्द करो, कृपया स्वयं पधारो वहां पर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हर वर्ष का हिसाब, रिटर्न भरनी थी, आपने हिसाब नहीं दिया इसलिए केन्द्र ने आपका पैसा काटा है? आपने हिसाब हर वर्ष का नहीं दिया, उसकी रिटर्न नहीं भरी, इसलिए केन्द्र ने आपका पैसा काटा है। (व्यवधान) यह सही है, केन्द्र सरकार को जो पैसा देना था, इसलिए वह पैसा काट दिया।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : यह बात बिलकुल मिथ्या है। राज्य सरकार ने जब 1998 में सत्ता सम्भाली, उस समय ही पैसा काट दिया था।

श्री अध्यक्ष : बैठिये श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका यह पैसा काटा है, क्या यह सही है कि नहीं है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है इस बात की कि जिस इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की रचना आप जैसे महानुभावों ने की हो, आज वह सरकार के चलते धूल-धूसरित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सवाल कुछ और था, मेरा पाइंटेड सवाल इतना ही है कि केन्द्र सरकार ने जब अपने ऋण के फार्मूले को 1: 2 से 1: 4 किया तो जो पहले राज्य सरकार का हिस्सा था, अपने खुद के उत्तर में मंत्री महोदय ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा कि एक करोड़ 52 लाख की हमने उसमें कटौती की, अगर यह कटौती नहीं करते तो इसी अनुपात से इस प्रोजेक्ट को ज्यादा राशि मिलती। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, पिछली बार का प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है, 3319 लाख रुपये का प्रावधान किया और 1767 लाख खर्च किये। आपका प्रगति प्रतिवेदन यह कहता है, यह सरकार कतई गम्भीर नहीं है और इस कमी के कारण से बार्डर एरिया डवलपमेंट का पैसा कटा है। इसलिए, मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो राशि है अगर आप नहीं काटने तो बढ़ी हुई राशि का ऋण केन्द्र सरकार से 1: 4 से नहीं मिलता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप देते नहीं हो।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप राज्य सरकार के ऊपर के चार्ज लगा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, यह जो बार्डर एरिया डवलपमेंट का पैसा है, वह 60 करोड़ रुपये मिलता था और यह....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बोर्डर एरिया बीच में है ही नहीं, मेरा सीधा-सीधा पाइंटेड सवाल है, खण्ड (2) और (3) में आप यह कह रहे हैं...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आप उत्तर तो सुन लीजिये। आप उत्तर तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े क्यों हो जाते हैं ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने वह पैसा दूसरी जगह खर्च किया। बार्डर एरिया डवलपमेंट की जगह आपने वह पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया...(व्यवधान) यह पैसा बांर्डर का है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : जो 60 करोड़ रुपये साल में हमें मिलते थे, भारत सरकार ने खुद तीन-चार सत्र से बन्द कर दिये, नम्बर एक। जहां तक सवाल है, राज्य सरकार ने ...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बार्डर के लोग बैठे हैं, हर साल बार्डर डवलपमेंट का पैसा नहीं दिया आपने। आपने बार्डर डवलपमेंट पर खर्च नहीं किया, आपने पैसे को खुर्द-बुर्द किया।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार से निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला। बिराजिये, प्रोफेसर साहब।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है। हमने 112 करोड़ रुपये की योजना बनाई थी पेयजल योजना की बार्डर एरियाज में केन्द्र सरकार ने उस योजना में कटौती कर दी। 112 करोड़ रुपये की हमारी बनी हुई योजना को खारिज

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कर दिया। यह आरोप मिथ्या है कि बार्डर एरिया डवलपमेंट का पैसा खर्च नहीं किया।

दूसरा, अभी जो रेशो बढ़ा है 1:4 में, 38 करोड़ रुपये का स्टटे का शेयर था तो निश्चित रूप से हमारा बढ़ना चाहिए था। अभी माह फरवरी में ही इन्होंने निश्चित किया यह फार्मूला, क्या दो महीने में सरकार पूरा काम कर सकती है। मेहरबानी करके अगले वर्ष में मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पूरी योजना बनाकर 1:4 का पूरा फायदा उठाएं और हमारे अधूरे काम पूरे करें । (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, किन-किन योजनाओं पर काम करने का निर्णय है, कौनसी योजना है, उसका खुलासा, मंत्री महोदय कर दीजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने केन्द्र सरकार के बारे में कहा है कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आया है। इनके प्रगति प्रतिवेदन में पेज नम्बर 28, परिशिष्ट-9 में यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में केन्द्र से 2187 लाख रुपये आये और खर्च इन्होंने किये 1539 लाख रुपये । (व्यवधान) 6 करोड़ 50 लाख रुपये अभी इनके पास हैं । यह आप ही का है, मंत्रीजी , आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया । पैसा आया है, यह प्रगति प्रतिवेदन में है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा, जो ये बात कह रहे हैं पैसा लेने की, भारत सरकार से जो राशि मिलती है त्वरित सिंचाई योजना के अन्तर्गत, उसका राज्य सरकार को सवा 11 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। (व्यवधान) जब फरवरी में कोई पैसा आता है और पैसा जब खर्च नहीं हो तो राज्य सरकार ब्याज क्यों वहन करें, पहली बात तो यह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर क्या है ? दे नहीं सकते क्या ब्याज? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्यों नहीं हो?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : 115 करोड़ रुपये की योजना पर हम 130 करोड़ रुपये पूरा कर देंगे । और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हमने अगले साल की योजना 130 करोड़ के बदले 177 करोड़ रुपये की बनाई है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : आप यह गुमराह कर रहें हैं। आपने खुद अपने जवाब में बताया है कि फरवरी, 2002 में यह नया फार्मूला 1:4 का राज्य सरकार ने लागू किया है। आपने खुद ने बताया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि 130 करोड़ रुपये का नाम पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री देवी सिंह भाटी : ...यह दो महीने की कहां बात कर रहे हैं? आप जवाब में खुद बता रहे हैं कि फरवरी, 2002 में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण-सहायता फार्मूले में परिवर्तन किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : एक साल से। और ये कह रहे हैं कि अभी मोटर लगानी है, उसमें ईंटें लगानी हैं। एक वर्ष से 1:4 का अनुपात लागू है, ये खुद बता रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इसको स्वीकार करते हैं कि केन्द्र सरकार से पैसा आया?

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान । नैक्स्ट प्रश्न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया। जो जीवनदायिनी है इन्दिरा गांधी नहर योजना, उसका सत्यानाश कर दिया, अध्यक्ष महोदय । जो सपना आपने देखा, उस सपने को चूर चूर कर रही है यह सरकार । अरबों रुपये प्रोजेक्ट पर बरबाद कर दिये हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार की प्राथमिकताएं अन्य हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, अध्यक्ष महोदय और यह फार्मूल अपना है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। रमजान खान।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा तो कम किया, मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी बार बार 1: 2, 1: 4 बता रहे हैं , आपने जो राशि बताई उससे तो आपका रेशो बैठता ही नहीं है, आप किस हिसाब से बता रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री सांवरलाल : आप गणित कहां से पढ़कर आये, यह बताएं । यहां पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते, भारत सरकार को क्या पैरवी करेंगे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न बड़ी देर से चल रहा है। बैठिये।

श्री सांवरलाल : 1:4 का मैचिंग ग्रांट का हिसाब तो बताइये। कभी तो राज्य सरकार का हिस्सा ज्यादा बता रहे हैं कभी भारत सरकार का बता रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय 1:4 का रेशो नहीं बैठा सकते, कहां गणित पढ़कर आये हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय , मैं सोचता हूं कि राजस्थान और इस क्षेत्र के विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है और केन्द्र सरकार ने 1:2 के रेशो को बदलकर 1:4 भी इसीलिए किया कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। लेकिन आज...

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, एक प्रश्न ने आधा घंटे से ज्यादा समय ले लिया है। मैंने नैक्स्ट प्रश्नकाल कर लिया है और वह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्री रमजान खान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पर प्रश्न का जवाब अधूरा है, और किसी दूसरे तरीके से इसको लगवाइये।

एक माननीय सदस्य : अगर वरिष्ठ नेता इस तरह से बीच में खड़े होंगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि

110. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शहरी क्षेत्र में रात्रि के समय घरेलू उपभोग हेतु विद्युत सप्लाई पूरे समय के लिए की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोग हेतु एक फेस विद्युत सप्लाई रात्रि के 10 बजे पश्चात् नहीं होती है? यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भेदभावपूर्ण विद्युत सप्लाई के क्या कारण हैं?

(3) क्या अब सरकार शहर की भांति गांव में भी घरेलू उपभोग हेतु सिंगल फेस की विद्युत सप्लाई जारी रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उर्जा मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रयोजनों के लिए रात्रि को पूरे समय के लिए बिजली दी जाती है।

(2) रात्रि के समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रमवार दस घंटे बिजली दी जाती है...

श्री अमराराम (धोद) : चार घंटे भी नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, सुनिये। (व्यवधान) रात्रि के दस बजे के पश्चात् जिन गांवों में...(व्यवधान) तो सुनेंगे भी न आप।

श्री अमराराम (धोद) : सुनें क्या, अनशन कर रहे हैं लोग।

श्री रामनारायण चौधरी : (2) रात्रि के समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रमवार दस घंटे बिजली दी जाती है। रात्रि के दस बजे के पश्चात् जिन गावों में कृषि का ब्लाक नहीं होता है उनमें घरेलू कार्यों के लिए बिजली देना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कुल लोड बढ़ जाएगा तथा कृषि के ब्लाक में व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः रात्रि के कृषि ब्लाक को व्यवधान रहित बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

(3) जी हां। सरकार की मंशा है कि शहर की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरन्तर विद्युत सप्लाई दी जाए । इसके लिए विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । चालू वर्ष में राज्य में अकाल की अभूतपूर्व स्थिति के कारण हाइडल जलाशयों में पानी लगभग शून्य है तथा इसी कारण 400 से 500 मेगावाट विद्युत उपलब्धता में कमी आई है। ज्यों ही विद्युत उपलब्धता में सुधार होगा एवं अनुकूल वित्तीय स्थिति बनेगी, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरन्तर बिजली देने का प्रयास करेगी।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, जैसा मंत्री महोदय ने खण्ड दो में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्रमवार दस घंटे बिजली दी जाती है, यह बिलकुल गलत

(श्री रमजान खान)

है, दस घंटे बिजली नहीं दी जाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह उम्मीद नहीं थी आपसे हमें। रामनारायणजी, यह उम्मीद नहीं थी आपसे।

श्री रमजान खान : एक मिनट, सवाल तो पूछने दो ।

श्री अध्यक्ष : रात्रि के समय...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप भी पूछ लो, अध्यक्ष महोदय, कि दस घंटे बिजली राजस्थान में किसी गांव में इस समय मिलती है क्या।

श्री रमजान खान : मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रामनारायणजी, बुढ़ापे में +++ बोल रहे हो आप ।

श्री रमजान खान : इन्होंने इसी उत्तर में यह बताया कि जहां कृषि ब्लाक नहीं होते वहां पर रात्रि दस बजे के बाद बिजली देना सम्भव नहीं है क्योंकि कृषि ब्लाक चल रहे हैं वे डिस्टर्ब होते हैं। यह तो आपने बताया मगर, मंत्री महोदय, आपने यह नहीं बताया कि जहां पर कृषि ब्लाक की बिजली रात्रि के दस बजे के बाद सप्लाई हो रही है, क्या वहां पर एक फेस की लाइट घरेलू कनेक्शन के लिए ग्रामीण एरिया में आप दे रहे हैं? वह नहीं दे रहे हैं। आपने बताया 'नहीं'। उत्तर में जवाब नहीं दिया मगर हकीकत यह है कि जहां पर कृषि ब्लाक चल रहे हैं वहां भी लाइट नहीं मिल रही है एक फेस। क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपयोग हेतु भी आपने मिनिमम चार्ज वसूल करने का प्रावधान कर रखा है, और वसूल कर रहे हैं आप? जब बिजली पूरी नहीं दे रहे हैं तो फिर मिनिमम चार्ज ग्रामीण एरिया से आप क्यों ले रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा..

श्री रामनारायण चौधरी : आप जोर से बोलिये, थोड़ा जोर से। जोर से।

श्री रमजान खान : क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता शहरी रोशनी को देखकर और अपने गांव के अंधेरे में रहने के कारण ऐसा महसूस करती है कि हम इस देश के सैकण्ड क्लास के नागरिक हैं? शहरों के अंदर तो रोशनी हो रही है, हमारे गांव के अंदर...

श्री रामनारायण चौधरी : जोर से। आपका माइक ठीक करिये, माइक।

श्री रमजान खान : हमारे गांवों में रोशनी नहीं हो रही है तो इसका यह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री रमजान खान)

मतलब है कि वे लोग यह महसूस करते हैं-हकीकत है, मंत्री महोदय, आप तो खुद ही गांव के रहने वाले हैं, कि हम इस देश के सैकण्ड क्लास के नागरिक हैं जो हमारे को लाइट नहीं मिल रही है और शहर के अंदर जगमगाहट हो रही है। ग्रामीण जनता के ऊपर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि अकाल के कारण कुओं में पानी की भारी कमी आ गई जिसके कारण कृषि के लिए जो आप बिजली दे रहे हैं वह पूरी नहीं जल पा रही है? इसलिए कृषि से बची हुई बिजली को सभी गांवों में क्या आप घरेलू उपयोग हेतु रात्रि के दस बजे के बाद देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही-सही उत्तर देना आप आत्मा से । बिना पढ़े उत्तर देना।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि अकाल के कारण और जलाशयों में पानी नहीं आने के कारण इस वर्ष इस समय चार सौ से पांच सौ मेगावाट विद्युत की कमी चल रही है और इस चार सौ से पांच सौ मेगावाट की पूर्ति में बड़ी भारी कठिनाई आ रही है। मार्केट में भी उपलब्धता नहीं है, साधनों का भी अभाव है। साधन जुटाये जाएं तो भी उपलब्धता का अभाव है। यह अकेले राजस्थान की ही समस्या नहीं है, साधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्युत होते हुए भी यू.पी. जैसे प्रदेश को। 1200 मेगावाट बिजली सरेण्डर करनी पड़ी क्योंकि वे ले नहीं सकते। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही।

श्री धर्मपाल चौधरी : यहां यू.पी. कहां से आ गया...?

श्री रमजान खान : राजस्थान की बात करें आप तो । (व्यवधान) राजस्थान की बात करो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूं और साधनों की उपलब्धता की बात कर रहा हूं और बिजली की उपलब्धता की बात कर रहा हूं, इन दोनों को आप मिला करके सोचिये।

श्री अमराराम (धोद) : साधन गांवों के लिए नहीं हैं। साधन शहर के लिए, इण्डस्ट्रीज के लिए। आज की तारीख में जहां कमी की बात कर रहे हो, एक सैकण्ड के लिए कटौती नहीं हैं जयपुर और इण्डस्ट्रीज में केवल गांव के लिए कमी है। गांव के लिए साधनों की कमी है, गांव के लिए बिजली की उपलब्धता की कमी है। शहर में जयपुर में एक सैकण्ड नहीं कटेगी, कारखानों में एक सैकण्ड नहीं कटेगी। और यह भी आपका असत्य है कि हाइडल पावर की राजस्थान में पांच सौ मेगावाट की कमी हो गई।

(श्री अमराराम)

आपने तो 1208 मेगावाट और बना ली, सात सौ मेगावाट एक्स्ट्रा है फिर क्यों नहीं, 1998 में आठ घंटे किसानों को दे रहे थे, टू फेस बिजली पूरी रात दे रहे थे और आज चार घंटे भी नहीं मिलती बारह घंटे रात में से। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : शहरों के और गांवो के अनुपात में क्यों नहीं बिजली देते आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह बात सही है कि उद्योगों में...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : इनमें तो चन्द्रभानजी अच्छे थे, चन्द्रभानजी के समय छह घंटे बिजली मिलती थी । इनसे तो चन्द्रभानजी अच्छे थे, उनके ऊर्जा मंत्री के समय छह घंटे बिजली आती थी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सीधा सीधा कहो कि गांव के लिए बिजली नहीं है और न साधन उपलब्ध हैं, गांवों को बिजली नहीं मिलेगी। यह हैं।

श्री सांवरलाल : मंत्रीजी, आप यह बताइये कि गांवों को बिजली देने की आपकी मंशा है या नहीं? भयंकर अकाल के कारण गांवों में चोरियां, डकैतियां होने, लूटपाट होने की सम्भावना बढ़ रही है।

एक माननीय सदस्य : आप तो गीता की सौगंध खाकर बोल दो...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : रात भर बिजली देना गांवों में कब से चालू करेंगे? यह व्यवस्था कब से करने का विचार है आपका?

श्री रामनारायण चौधरी : मंशा है। राज्य सरकार की मंशा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ये तो त्रिशूल बांटकर लोगों को चोरी, डकैती में लगा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो गीता की सौगंध खाकर बोल दो कि आप गांवों को दस घंटे बिजली दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये, सरकार की मंशा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर । बैठिये । बैठिये आप।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय , जब भी गांव की, किसान की बात आती है, आपके पास हमेशा अभाव हो जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुनने की कृपा करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो गीता पर हाथ रख दो कि आपने बिजली पूरी दी है।

श्री अध्यक्ष : धर्मपालजी, बैठिये । बैठिये, आप बैठिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके सप्लीमेंटरी के....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, जब आप इधर बैठते थे तो डाक्टर चन्द्रभान ऊर्जा मंत्री की खिंचाई करते थे, आप यह कहते थे कि दो घंटे बिजली नहीं आती ।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और बिजली के कारण हमारी सरकार डूब जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केसाराम चौधरी ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारी सरकार नहीं आएगी, सबसे ज्यादा सरकार की इमेज गिर रही है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : आप तो चार घंटे बिजली गावों में दे रहे हैं और उसके साथ ही आप इसका सेवा शुल्क ले रहे हैं। चौबीस घंटे में चार घंटे बिजली देकर...(व्यवधान) सेवा आप करते ही नहीं तो किस बात का सेवा शुल्क?

श्री जीतमल खांट : चन्द्रभानजी ऊर्जा मंत्री ठीक थे।

एक माननीय सदस्य : यह किसान विरोधी सरकार है और गरीबों के गांव में...

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह ऊर्जाहीन मंत्री हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार अतिरिक्त केरोसिन दिलाने की व्यवस्था करेगी जिससे बच्चे अपने इम्तिहानों में लालटेन जलाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें?

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री आर. पी. शर्मा : दिल्ली में आपके जो सहयोगी दल हैं वे आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि आपने किसानों के लिए जो खाद पर सब्सिडी थी वह खतम कर दी, डीज़ल के पैसे बढ़ा दिये। दिल्ली में आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार पैट्रोल के पैसे बढ़ा रही है, डीजल का पैसा बढ़ाया, करोसिन का पैसा बढ़ाया...

श्री आर.पी. शर्मा : दिल्ली में आपके ही ख़िलाफ एन.डी.ए. के घटक दल का पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आपने खाद की जो सब्सिडी खतम की , दिल्ली में आपकी सरकार के खिलाफ...

श्री श्रवण कुमार : गैस का पैसा बढ़ाने की मंशा रखती है दिल्ली की किसान विरोधी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री आर. पी. शर्मा : ...(व्यवधान)... आपके खिलाफ आपके सहयोगी दल ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान की सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसान हितैषी है। दिल्ली सरकार ने किसानों का... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । नेता प्रतिपक्ष। प्रश्नकाल समाप्त। आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री आर.पी. शर्मा : पार्लियामेंट में आपकी क्या हालत हो रही है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, जब आप उधर बैठते थे तो डा. चन्द्रभान की खिंचाई करते थे कि दो घंटे बिजली नहीं आती और बिजली के कारण यह सरकार डूबेगी। आप यह कहते थे जब आप उधर बैठते थे। डा. चन्द्रभान, ऊर्जा मंत्री की खिंचाई करते थे। अब आप दो घंटे की बजाज 10 घंटे कह रहे हो , कहीं 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। बायकाट । बायकाट... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, अलवर के विरुद्ध जांच

167. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अलवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच करवाई गई है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच में उक्त शिकायतें सही पाई गई हैं? यदि हां, तो अब तक उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) व (2) वाणिज्य कर विभाग के अलवर सम्भाग में कुल 22 सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों के पद हैं। जिनमें से 10 पद सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अलवर में हैं। सन्दर्भित प्रश्न में अलवर के किस सहायक वाणिज्य कर अधिकारी विशेष के विरुद्ध शिकायतों का उल्लेख है की अस्पष्टता के कारण वांछित विवरण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या–168

(स्थगित)

पांचवें वेतन आयोग में पेंशनरों हेतु अंशदान

169. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

(1) वर्ष 1990–1991 से 2002–2003 तक प्रत्येक वर्ष में कितनी–कितनी राशि राजकीय अनुदान के रूप में दी गई?

(2) क्या अनुदान देने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं? यदि नहीं, तो अनुदान राशि देने का क्या आधार है?

(3) क्या यह सही है कि पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों पर पेंशनर प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के पश्चात् दिनांक 31.12.1997 को कई मुद्दों पर सहमति हुई थी? यदि हां, तो किन बिन्दुओं पर?

(4) क्या यह भी सही कि राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अंशदान के बराबर "मैंचिग" ग्रान्ट देगी? यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 से 2000–2003 तक अंशदान की कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि का अनुदान दिया गया व वर्ष के अन्त में कितनी देनदारियां रही? सहमति के बाद मैचिंग ग्रांट नहीं देने के क्या कारण हैं? क्या मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क में कई गुणा बढ़ोतरी भी की जा चुकी है?

(5) क्या सरकार अब तक हो चुके घाटे की पूर्ति कर भविष्य में अंशदान के बराबर मैचिंग ग्रांट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(2) किस प्रकार का अनुदान देने के नियमों की जानकारी चाही जा रही है, प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बराबर की "मैचिंग" ग्रांट देने बाबत कोई सहमति नहीं हुई।

राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य पेंशनर की मेडिकल डायरी/चिकित्सा कार्ड के नवीनीकरण शुल्क की दरें निम्नानुसार बढ़ाई गई हैं :–

(वित्त मंत्री)

	दिनांक 1.10.2000 से	15.2.2002 से
1. वार्षिक शुल्क	50/–रु.	1. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला श्रृंखला 1 से 6 में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 200/– रु.
		2. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 7 एवं इससे ऊपर की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 400/–रु.
2. आजीवन शुल्क	1. सेवानिवृति के समय 10000/–रु. तक वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर से 1000/–रु.	1. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 1 से 6 में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से आजीवन शुल्क 2000/–रु.
	2. सेवानिवृति के समय 10000/–रु. से अधिक वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर से 2000/–रु.	2. सेवानिवृति के समय वेतन श्रृंखला 7 एवं इससे ऊपर की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनरों से आजीवन शुल्क 4000/–रु.

(5) जी नहीं। राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा राहत योजना मूलरूप से कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान के आधार पर ही लागू की गई है, अत: घाटे की पूर्ति का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है।

मुरली मनोहर रूकमणि देवी कायस्थ चेरिटेबल ट्रस्ट जयपुर के भूमि एवं भवन कर निर्धारण में अनियमितताएं

170. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूनि एवं भवनकर निर्धारण हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के भवनों का मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है?

(2) क्या यह सही है कि कतिपय ट्रस्टों द्वारा अपने भवन का मूल्यांकन कम से कम कराया जाता है ताकि भूमि एवं भवन कर तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए जाने वाले कर कम से कम वसूल किये जा सकें? सरकार उक्त प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि मुरली मनोहर रूकमणि देवी कायस्थ चेरिटेबल ट्रस्ट जयपुर, कल्याणजी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर के दुमंजिले भवन का मूल्यांकन 2 लाख 30 हजार मात्र ही दर्शाया है? क्या उक्त भवन का इस समय बाजार मूल्य तीस लाख से कम नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री बाबूलाल नागर)

(4) क्या सरकार अब उक्त ट्रस्ट के भवन का पुनर्मूल्यांकन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) भूमि एवं भवन कर निर्धारण हेतु धार्मिक एवं पूर्त न्यास भवनों को पूर्व में दिनांक 1.4.1973 से भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गयी थी जिसे दिनांक 1.4.1998 से अब केवल धार्मिक एवं पूर्त न्यासों के स्वामित्वाधीन, गैर वाणिज्यिक भूमि एवं भवनों के लिए ही सीमित कर दिया गया है।

उक्त धार्मिक एवं पूर्व न्यासों के भूमि एवं भवनों का कर निर्धारण भूमि एवं भवन कर अधिनियम की धारा–4 के प्रावधानुसार ही किया जाता है।

(2) जी नहीं, सम्बन्धित भूमि एवं भवनों का कर निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है, जिसे भूमि एवं भवन कर विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

(3) जी नहीं। मकान नम्बर 3181 के सम्बन्ध में करदायी द्वारा व्यक्तिगत करदायी के रूप में 1.4.1973 के लिए विवरणी प्रस्तुत कर मूल्यांकन 65,940/– रुपए दर्शाया गया, विभाग द्वारा उक्त भूमि एवं भवन का मूल्यांकन 1.4.1973 के लिए 75,000/– रुपए निर्धारित किया गया है। दिनांक 1.4.1977 से छूट की सीमा 1,00,000/– रुपए हो जाने से उक्त भवन कर मुक्त माना गया।

मुरली मनोहर रूकमणी देवी कायस्थ चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से उल्लिखित सम्पत्ति के कर निर्धारण को अभी विभाग द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है। तथापि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

(4) उक्त ट्रस्ट के भूमि एवं भवन का मूल्यांकन अभी विभाग द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है।

ग्राम खानपुर (नागौर) के स्वतंत्रता सेनानियों को देय पेंशन

171. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता आन्दोलन में जिला नागौर की लाडनूं तहसील के व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया था? यदि हां, तो किस–किस व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री दानाराम माली (सांखला) एवं श्री गणेशाराम जाट ग्राम खानपुर तहसील लाडनूं (नागौर) ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था और वर्ष 1942 में जोधपुर जेल में अनियमित रूप से करीब 4–5 महीने रहे और कारागार में यातनाएं भोगी थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकार द्वारा देय पेंशन राशि

(श्री हेमन्त कुमार)

रु. 30/–प्रतिमाह लेने से तत्समय इन्कार कर दिया था? यदि हां, तो कब तथा क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों का स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में नाम अंकित नहीं है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे दिया जावेगा?

(5) क्या यह सही है कि श्री दानाराम माली (सांखला) ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने हेतु माननीय मुख्य मंत्री, जिला कलक्टर नागौर, जोधपुर तथा सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र के माध्यम से निवेदन किया है? ;दि हां, तो कब तथा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और अब कब उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर की लाडनूं तहसील के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार :–

(i) श्री दानाराम माली (सांखला) निवासी खानपुर द्वारा वर्ष, 1942 में जोधपुर जेल में दाखिल होना नहीं पाया गया है।

(ii) श्री गणेशीराम पुत्र रामलाल, जाति जाट, नि.खानपुर दिनांक 17.6.1942 को कारागृह में दाखिल हुए थे, उन्हें दिनांक 17.6.1943 को कारागृह से रिहा किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सम्मान पेंशन नियम 6(1)(ख) के अन्तर्गत पात्रता के प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन देने पर विचार किया जाता है।

(5) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कार्यालय को दिनांक 14.11.2002 को प्राप्त हुआ है तथा सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17.11.2002 को प्राप्त हुआ है।

विभाग द्वारा दिनांक 18.12.2002 को श्री दानाराम माली (सांखला) से राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान सहायतार्थ आवेदन पत्र भिजवाते हुए स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के प्रमाण और जेल यातना प्रमाण–पत्र/अभिलेख/संक्षिप्त स्वतंत्रता आन्दोलन की जीवनी मांगी गई थी। जो अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–3 देखें)

निलम्बित व्यक्तियों का अन्य राजकीय कार्यों हेतु पदस्थापन

172. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में चल रही जांच के मामलों में कई अधिकारी निलम्बित हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से कब–कब से?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या जांच के जारी रहते हुए किन्हीं को बहाल भी किया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस को कब-कब और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निलम्बन जारी रखने की समय सीमा भी निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि इतने लम्बे समय तक निलम्बित रखने से राज्य कोष पर भार बढ़ता है और बिना कार्य किए वेतन देना पड़ता है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए तथा क्या उठाएंगे और अधिकतम सीमा निर्धारित करके उसको कड़ाई लागू क्यों नहीं किया जाए?

(5) क्या निलम्बन के बजाए या निलम्बनकाल में उनको अन्य कार्य में लगाया जा सकता है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो किन कारणों से?

(6) क्या उक्त सम्बन्ध में मौजूदा व्यवस्था को बदलने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो क्या बदलाव किया जा सकता है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। सूचना परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) जी नहीं। नियमों में निलम्बन जारी रखने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(4) राजसेवकों को उनके गम्भीर अनियमित कृत्य दुराचरण इत्यादि की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये सार्वजनिक हित में उसे कार्य से हटाया जाकर निलम्बित किया जाता है निलम्बन से बहाल किये जाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक प्रकरण की गुणावगुण पर समीक्षा करके निलम्बन से बहाल करने का निर्णय होता है। लेकिन गम्भीर दुराचरण/अनियमितताओं के मामलों में सार्वजनिक हित में अनेक प्रकरणों में निलम्बन निरन्तर बनाये रखना राज्यहित में पाया जाता है। चूंकि प्रत्येक प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थितियां अलग-अलग होती है अतः सभी प्रकरणों में समान व्यवहार अपेक्षित नहीं होता।

(5) जी नहीं। राजसेवकों को निलम्बन किया ही इसलिये जाता है कि वे राज्य कार्य को प्रभावित करेंगे। उनके द्वारा गम्भीर अनियमित कार्य/गम्भीर दुराचरण की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उन्हें निरन्तर कार्य पर रखना सार्वजनिक हित/राज्यहित को प्रभावित करने वाला होता है। अतः निलम्बन काल में भी उनसे पदीय कार्य सम्पादन नहीं कराया जाता है।

(6) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था सार्वजनिक हित में युक्तिसंगत है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

मत्स्य पालन विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

173. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य पालन विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी कई वर्षों से अधिशेष हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त में से कुछ कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन भी नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों व किस-किस को कब से कब तक का वेतन नहीं दिया गया है और उन्हें अब कब तक वेतन दे दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

(3) उक्त कर्मचारियों को अब तक समकक्ष पदों पर समायोजित क्यों नहीं किया गया और अब कब तक इन्हें जिला भीलवाड़ा या अन्य जिलों में समायोजित कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सात कर्मचारी अधिशेष हैं। ये कर्मचारी वर्ष 1998 में मत्स्य पालक विकास अभिकरण भंग कर दिए जाने से अधिशेष हैं।

(2) जी हां। इन अधिशेष कर्मचारियों का अन्यत्र समायोजन नहीं हो पाने के कारण मार्च, 1999 से अब तक का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। कर्मचारियों की सूची संलग्न है। इन्हें बकाया वेतन शीघ्र दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) उक्त अधिशेष कर्मचारियों का भीलवाड़ा जिले की स्वायत्तशासी संस्थाओं में समकक्ष पद रिक्त नहीं होने के कारण समायोजन नहीं किया जा सका है। इन अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन भीलवाड़ा जिले एवं राज्य के अन्य जिलों की स्वायत्तशासी संस्थाओं में शीघ्र किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

नाकारा रिग्स के कर्मियों की उपयोगिता

174. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास वर्ष 1992 में विभिन्न प्रकार की 143 रिग्स थी और अब घटकर वर्ष 2001 में 50 रिग्स ही रह गई हैं? यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में रिग्स के नाकारा हो जाने के क्या कारण रहे?

(2) उक्त नाकारा रिग्स को दुबारा कार्यशील अवस्था में लाने हेतु क्या प्रयास हुए?

(3) राज्य में नाकारा रिग्स के निस्तारण के क्या प्रयास हुए तथा उससे कितनी आय हुई?

(श्री आदराम मेघवाल)

(4) वर्तमान में बेकार हो चुकी रिगों के स्टाफ को किस प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है तथा उक्त पर वार्षिक संस्थापन व्यय कितना है?

(5) वर्ष 1992 में ड्रिलिंग क्षेत्र में जब 143 रिगें थी तब कितने वृत-खण्ड व उपखण्ड कार्यरत थे तथा वर्ष 2001 में अब कितने कार्यालय कार्यरत हैं?

(6) क्या नाकारा रिग्स के स्थान पर नये रिग क्रय करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्यशील रिगों की संख्या कितनी हैं? रिगों के प्रकार, व उनकी खण्ड/उपखण्डवार आबंटन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या ड्रिलिंग क्षेत्र में रिगों के प्रकार व संख्या के अनुरूप खण्डीय/उपखण्डीय कार्यालयों के सृजन के मानदण्ड हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्यरत खण्ड/उपखण्ड के सृजन के आधार क्या हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि ड्रिलिंग क्षेत्र में अनेक कार्यशालाओं व पर्याप्त संख्या में तकनीकी स्टाफ के रहते हुए रिगों/वाहनों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य बाहर से कराये जाते हैं? यदि हां, तो मरम्मत कार्य बाहर से कराये जाने के क्या कारण हैं?

(9) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार की रिगों के लिए प्रतिघंटा बेधन व डीजल/आयल की खपत दर खपत नियत है? यदि नहीं, तो डीजल/आयल के खपत के आधार क्या हैं?

(10) क्या विभाग द्वारा निर्मित नल कूप/हैण्ड पम्प निर्माण लागत दर प्राइवेट ठेकेदार से निर्मित कराये जाने वाले लागत दर की तुलना में 50 से 100 फीसदी अधिक होता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 1992 में कुल 143 रिगें (91 कार्यशील व 52 अकार्यशील) थी। वर्ष 2001 में विभाग के पास कुल 142 रिगें (60 कार्यशील व 82 अकार्यशील) रही।

रिगों को नकारा घोषित करने के निम्न मुख्य कारण हैं :-

(अ) रिंग की कार्यशील अवधि पूरी करना।

(ब) रिग की सतत् कार्य के पश्चात् क्षमता में घटाव तथा टेक्नोइकोनोमिक कारणों से कार्य हेतु अयोग्य होना।

(स) इन आकलन के पश्चात् रिंग को कार्यशील रखने का खर्च टेक्नोइकोनोमिकल नहीं होना। सभी बिन्दुओं पर रिग की क्षमता आदि का अध्ययन/आकलन कर नकारा घोषित करने बाबत निर्णय लिया गया।

(द) निर्माता द्वारा पुराना माडल होने तथा नई अधिक सक्षम डिजाइन तैयार होने के कारण पुराने माडल के स्पेयर पार्ट्स आदि का निर्माण बन्द करना व इस कारण सही

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सामान की अन उपलब्धि व मरम्मत सम्भव नहीं हो पाना।

(2) 82 अकार्यशील रिगों का अध्ययन एवं आकलन कर नकारा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अत: इन रिगों को कार्यशील अवस्था में लाने के अब कोई प्रयास नहीं है।

(3) नकारा घोषित रिगों के नियमानुसार निस्तारण के पूर्व नियमों में लाइफ निर्धारण की स्वीकृति दिनांक 22.4.2002 को वित्त विभाग द्वारा दी गई है। इन रिगों की सर्वे रिपोर्ट बनाने की कार्यवाही प्रगति में है। ताकि सक्षम स्तर से नकारा घोषित करवाकर निस्तारण की कार्यवाही की जा सके। निस्तारण के बाद ही आय का पता लगेगा।

(4) वर्ष 1992 में भी आवश्यकता से कम स्टाफ था। इसके बाद सेवा निवृत्त व अन्य विभाग/खण्डों में ट्रांसफर से स्टाफ में कमी हुई है। कुछ रिगे नई प्राप्त हुई हैं। नकारा घोषित की गई रिगों का स्टाफ अन्य कार्यरत रिगों को आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण कर सुनिश्चित किया गया की नकारा घोषित रिगों पर संस्थापन व्यय शून्य रहे।

(5) वर्ष 1992 में 2 वृत्त, 8 खण्ड तथा 37 उपखण्ड कार्यरत थे एवं वर्ष 2001 से 2 वृत्त 7 खण्ड तथा 34 उपखण्ड कार्यरत थे।

(6) रिग की खरीद में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। धन संसाधन की उपलब्धि अथवा बाह्य सहायता से प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। रिगों के प्रकार व उपखण्डवार सूची परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(7) कार्यालयों का सृजन रिग के प्रकार, कार्यक्षेत्र की भोगौलिक स्थिति, प्रान्त में बिखरे कार्य क्षेत्र व सक्षम प्रशासनिक कंट्रोल के लिए कार्यक्षेत्र से कार्यालय की दूरी आदि बिन्दुओं के सम्मिलित आधार पर किया जाता है। इसका गणितिक आधार/फार्मूला बन पाना सम्भव नहीं है।

(8) विभाग द्वारा रूटीन संधारण/माइनर मरम्मत का कार्य सम्पादित किया जाता है। मेजर अथवा/एवं स्पेशलाइज्ड रिपेयर हेतु कार्य अधिकृत सर्विस केन्द्र/बाजार से करवाया जाता है क्योंकि विभागीय कार्यशालाओं में स्पेशलाइज्ड मरम्मत हेतु आवश्यक मैकेनिक, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(9) जी हां। वेधन दर व खपत दर निर्धारित करने वाली समिति द्वारा यह दरें नोर्मल कन्डीशन के लिए बताते हुए कहा है कि स्ट्राटा कन्डीशन के अनुसार वाइडरेंज में अन्तर हो सकता है।

(10) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट–6 देखें)

जिला अजमेर की पंचायतों में राजीव गांधी पेयजल योजनान्तर्गत कार्यों का भुगतान

175. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अजमेर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत कुएं गहरे कराये जा रहे हैं? क्या ब्यासरिंग का कार्य ठेके पर कराया जाता है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में?

(2) क्या उक्त कार्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस-किस कार्य का भुगतान किस-किस कारण से नहीं हुआ और कब तक भुगतान करने का विचार है?

(3) उक्त में विलम्ब का कारण क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत कुएं गहरे करवाये जा रहे हैं।

ब्लासटिंग का कार्य नियमानुसार ठेके में करवाया जाता है।

जिले की सभी पंचायत समितियों में उक्त कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) अधिकांश कार्यों का भुगतान कर दिया गया है। 250 कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने के पंचायत समितिवार कारण स्पष्ट करते हुए अनुसूची संलग्न है। उक्त लम्बित भुगतान कार्य पूर्ण होते हुए ही/अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर ही कर दिया जावेगा।

(3) जिन कार्यों का भुगतान लम्बित है उसका कारण संलग्न अनुसूची में वर्णित है।

(अनुसूची के लिए परिशिष्ट-7 देखें)

शहरी वृत के सेवानिवृत्त जमादार का पेंशन प्रकरण

176. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 31 जुलाई, 2002 को शहरी वृत से सेवानिवृत्त जमादार श्री मदन लाल का पेंशन प्रकरण अब तक निस्तारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त अल्प वेतन भोगी कर्मचारी द्वारा गत 7 माह में उच्च अधिकारियों को पेंशन स्वीकृत कर इस प्रकरण को निर्णीत करने का निवेदन किया? यदि हां, तो अब तक पेंशन स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) अब उक्त प्रकरण को कब तक निर्णीत कर पेंशन भुगतान करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मदनलाल का पेंशन प्रकरण दिनांक 5.8.2002 को बनाकर विभाग के पत्रांक 6262 दिनांक 5.8.2002 द्वारा पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया, जिसे उनके द्वारा पत्रांक 4787 दिनांक 17.8.2002 द्वारा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आक्षेप द्वारा वापस प्रकरण विभाग में लौटा दिया। विभाग द्वारा संशोधित वेतन स्थिरीकरण वर्ष 76,81,86,87 तथा संशोधित वेतनवृद्धि स्वीकृत कर मामला पत्र क्रमांक 14581-14582 दिनांक 15.2.2003 द्वारा पेंशन विभाग को प्रकरण स्वीकृत हेतु भेजा है।

(2) जी हां। पेंशन स्वीकृत न हो पाने के कारण उपरोक्तानुसार है।

(3) पेंशन विभाग जयपुर में मामला भिजवा दिया है तथा पेंशन स्वीकृत हेतु व्यक्तिगत प्रयास कर एक माह के अन्दर अन्दर निपटाने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम गण्डाला (अलवर) में दोषपूर्ण टंकी निर्माण कार्य

177. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बहरोड के ग्राम गण्डाला (अलवर) की सार्वजनिक पेयजल टंकी जब से बनी है तब से खाली है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त निर्माण में तकनीकी दोष बताये गये हैं? यदि हां, तो क्या इसके लिये किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है?

(3) क्या दोषी कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बहरोड के ग्राम गण्डाला (अलवर) की सार्वजनिक पेयजल टंकी जब से बनी है तब से पेयजल आपूर्ति हेतु काम में नहीं ली जा रही है, क्योंकि उक्त टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) कार्य की गुणवत्ता का आकलन समय पर कार्यवाही होने/न होने बाबत आकलन तथा दोष निर्धारण आदि बिन्दुओं पर विस्तृत जांच व तद्नुसार कार्यवाही के निर्देश अलग से दिए जा रहे हैं। जांच पश्चात् ही तकनीकी दोष के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(3) भाग 2 के उत्तर के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पेयजल व्यवस्था

178. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के लोगों को किन-किन स्रोतों से किस-किस गांव में पेयजल सुलभ कराया जा रहा है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से गांव है जहां पेयजल के लिए ग्रामीणों को एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत चार

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

वर्षों में कौन–कौनसी योजनाओं में कितने हैण्डपम्प कहां–कहां पर लगाये गये हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान सत्र में बाड़ी क्षेत्र के लिए पेयजल सुलभ कराने हेतु कौन–कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं और इन्हें कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(5) क्या यह सही है कि पेयजल के अभाव में धौलपुर के बाड़ी उपखण्ड के डांग व सरमथुरा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट के चलते ग्रामीण पलायन कर जाते हैं? यदि हां, तो प्रतिवर्ष ग्रामीणों को होने वाली इस असुविधा पर सरकार क्या कर रही है?

(6) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों के हैण्ड पम्पों में से पानी खून की तरह लाल निकल रहा है? यदि हां, तो उक्त गांवों के लिए जिला प्रशासन ने पानी की क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कुल 197 आबाद ग्राम हैं जिनमें से 126 ग्राम तहसील बाड़ी व 71 ग्राम तहसील बसेड़ी के आते हैं। ये समस्त ग्राम विभाग द्वारा संधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं से निम्नानुसार लाभान्वित हैं :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभांवित ग्राम				
		क्षे.ज. योजना	पम्प एवं टैंक योजना	पाइप्ड योजना	हैण्ड पम्प योजना	लाभांवित ग्रामों की संख्या
1.	बाड़ी	0	3	0	123	126
2.	बसेड़ी	4	0	2	65	71
	कुल	4	3	2	188	197

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के अन्तर्गत 1 शहर को वर्तमान में 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से पेयजल वितरित किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार 1.6 कि.मी. दूरी में यदि पेयजल उपलब्ध हो तो, गांव/ढाणी लाभान्वित माना जाता है। अत: भूतकाल में किये गये सर्वे 1.6 कि.मी. के आधार पर है। बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के सभी लाभान्वित ग्राम/ढाणी में पेयजल स्रोत 1.6 कि.मी. या कम दूरी में उपलब्ध है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बाड़ी एवं बसेड़ी में गत चार वर्षों में वर्ष 1998–99 से वर्ष 2001–2002 तक में 444 स्वीकृत हैण्ड पम्पों का कार्य पूर्ण किया गया। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्रं. सं.	पंचायत समिति	गत चार वर्षों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या 1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1.	बाड़ी	51	42	62	77	232
2.	बसेड़ी	17	85	62	48	212
	कुल	68	127	124	125	444

ग्रामवार स्थापित हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2002-2003 में बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुलभ कराने हेतु स्वीकृत योजनाओं का कार्य निम्नानुसार प्रगति पर है।

(अ) पंचायत समिति बाड़ी में विभिन्न मदों के अन्तर्गत स्वीकृत 100 नये हैण्ड पम्पों के निर्माण के विरुद्ध 38 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये गये हैं तथा 8 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

पंचायत समिति बसेड़ी में स्वीकृत 66 हैण्ड पम्पों में से 35 हैण्ड पम्प वेधन कर चालू कर दिये हैं व 5 हैण्ड पम्पों का वेधन कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

(ब) ग्रीष्म कंटीजेंसी वर्ष 2003 के अन्तर्गत पंचायत समिति बसेड़ी के 2 ग्राम क्रमशः बरौली व सरमथुरा में स्वीकृत 4 नये नलकूपों (प्रत्येक में 2) में से ग्राम बरौली में 1 नलकूप वेधन कर चालू कर दिया गया है तथा ग्राम सरमथुरा में 2 नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उक्त स्वीकृत समस्त कार्य ग्रीष्म 2003 में पूर्ण करना लक्षित है। मदवार स्वीकृत एवं पूर्ण हैण्ड पम्पों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में पुनर्गठित ग्रामीण जल योजना, सरमथुरा, प्रथम चरण, अनुमानित लागत रु. 562.21 लाख स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत 12 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना के तहत जल शोधन संयंत्र के आदेश जारी किये जा चुके है। पाइप लाइन एवं इन्टेक वैल की निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त कर ली गई है तथा प्रक्रिया में है।

(5) जी नहीं। जिला धौलपुर के बाड़ी उपखण्ड में पंचायत समिति बाड़ी की 14 ग्राम पंचायतों में 60 आबाद राजस्व ग्राम एवं पंचायत समिति बसेड़ी के डांग क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों के 82 आबाद राजस्व गांव डांग क्षेत्र में घोषित है। बाड़ी उपखण्ड में कुल 1830 हैण्ड पम्प कार्यरत है। यह समस्त

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

ग्राम पथरीले धरातल के हैं। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में कुएं एवं हैण्डपम्पों में तेजी से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। जिन ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे जाने के कारण स्रोत सूख जाते हैं वहां पर टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन कर उपलब्ध कराया गया था विवरण निम्नप्रकार है :-

परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये गये ग्रामों की संख्या (उपखण्ड बाड़ी)

	वर्ष 2000	2001	2002
ग्रामों की संख्या	18	21	22

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामों में पर्याप्त कार्यरत हैण्ड पम्प उपलब्ध हैं। पेयजल के स्थाई समाधान का विवरण प्रश्न के भाग संख्या 4 के उत्तर में दिया गया है।

(6) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति बस्सी/चाकसू (जयपुर) की लम्बित पेयजल योजनाएं

179. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी):** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर के लिये सैक्टर रिफोर्म पेयजल योजना के तहत भारत सरकार ने कितनी राशि आबंटित की है? स्कीम के आरम्भ से अब तक वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि में से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि से कब-कब पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं लम्बित हैं और इन्हें कब तक स्वीकृत कर पेयजल सुविधा कायम कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जयपुर जिले हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अनुमानित लागत रुपये 40 करोड़ की स्वीकृति सैक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हुई है। इसकी प्रथम किस्त रुपये 11.22 करोड़ सितम्बर, 2000 में प्राप्त हुई थी। कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार साठ प्रतिशत से अधिक खर्च होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को द्वितीय किस्त की मांग करते हुए भेजे जा चुके है। अभी तक प्रथम किस्त के बाद कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में अब तक 64 पेयजल योजनाएं सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत जिला स्तरीय वाटर एवं सेनीटेशन कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई है तथा उक्त स्वीकृत योजनाओं में से 5 योजनाएं पूर्ण कर चालू कर दी गई हैं। (सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी का कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

जिला पाली में अनुपयोगी टांके

180. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में कितने जी.एल.आर./टांके पेयजल हेतु उपयोग में लिए जा रहे हैं?

(2) उक्त जिले में कितने जी.एल.आर./टांके पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जी.एल.आर./टांकों को उपयोग में नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अनुपयोगी जी.एल.आर./टांकों पर व्यय की गई राशि व्यर्थ रही? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में वर्तमान में कुल 1014 जी.एल.आर. बने हुए हैं जिनमें से 962 जी.एल.आर. वर्तमान में विभाग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लिए जा रहे हैं। 29 जी.एल.आर. ऐसे हैं जो वर्ष 2002 एवं 2003 की अवधि में बने है जिनको पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शेष 23 जी.एल.आर. ऐसे हैं जिनसे वर्तमान में पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार जिला पाली में वर्तमान में ऐसे जी.एल.आर. की संख्या 23 है जो विभिन्न कारणों से वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे हैं। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' में उपलब्ध है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट ''अ'' में समाहित है।

(4) यह सही है। परिशिष्ट ''अ'' में उल्लिखित विभिन्न कारणों से ये जी.एल.आर. वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे हैं।

परिशिष्ट में दर्शाये गये कारणों के अनुसार कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) उपखण्ड की निर्माणाधीन योजनाएं

181. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ उपखण्ड में वर्ष 2001-2002 में कितनी निर्माणाधीन पेयजल योजनाएं थीं?

(2) उक्त निर्माणाधीन योजनाओं में से मार्च, 2003 तक कौनसी पूर्ण करली जायेगी?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि 30 दिसम्बर, 2002 को अकाल राहत कार्यों की जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ पर समीक्षात्मक बैठक की गई थी और निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक गांव में लग रहे हैण्ड पम्पों का सर्वे कराया जाय? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितने-कितने हैण्ड पम्प लगे हुये हैं और उक्त में से कितने चालू/बन्द हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 में उपखण्ड प्रतापगढ़ में निम्नानुसार 3 योजनाएं निर्माणाधीन थीं:-

(अ) शहरी जलयोजना, प्रतापगढ़

(ब) जनता जलयोजना, कानगढ़

(स) जनता जलयोजना, बोरी

(2) **शहरी जलयोजना, प्रतापगढ़ :**

वर्तमान में प्रतापगढ़ शहर को जाखम बांध स्थित इन्टेक वैल पर विभाग में उपलब्ध पम्पिंग सैट्स लगाकर पेयजल वितरित किया जा रहा है। इस योजना में इन्टेक वैल हेतु प्रस्तावित नये पम्पिंग सैट्स प्राप्त होने की प्रक्रिया में है। नये पम्पिंग सैट्स प्राप्त होने पर इस योजना से प्रतापगढ़ शहर को पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा।

जनता जलयोजना, कानगढ़ :

इस योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति में है। यह योजना मार्च, 2003 के अन्त तक पूर्ण की जानी लक्षित है।

जनता जलयोजना, बोरी :

यह योजना माह दिसम्बर, 2002 में पूर्ण हो चुकी है एवं योजना संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम पंचायत, बोरी को सौंप दी गई है।

(3) जी हां। दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 को शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग एवं जिला प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में अकाल-राहत कार्यों पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में जिला प्रभारी सचिव द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये थे कि जिले के प्रत्येक गांव में स्थापित हैण्ड पम्पों का सर्वे कराया जाये कि गांवों में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, इनमें से कितने चालू व कितने बन्द हैं।

इन निर्देशों की अनुपालना में विभाग द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गये सर्वेक्षण के दौरान चालू, मरम्मत योग्य तथा सूखे एवं परित्यक्त हैण्ड पम्पों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा उक्त जिले में चलाये जा रहे 28वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के तहत मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को सुधारने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

बुलाका की ढाणी आमेर, जयपुर में विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्प की मरम्मत

182. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ज्योति क्लिनिक के पास (बुलाका की ढाणी) आमेर (जयपुर) में गत समय विधायक कोटे से स्वीकृत हैण्ड पम्प को बोर करते समय बोर बिट टूट जाने के कारण पर्याप्त गहराई तक बोर नहीं करने के कारण इससे पानी की कमी रहने की कई नागरिकों की कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की?

(2) अब उक्त हैण्ड पम्प को दुबारा कब तक गहरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त हैण्ड पम्प की स्वीकृत राशि भुगतान कर दी गई? यदि हां, तो क्यों? उक्त के बोर पूर्ण हुए बिना उक्त भुगतान करने का क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहरी जलयोजना, आमेर में बुलाका की ढाणी स्थित ज्योति क्लिनिक के पास विधायक कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत एक हैण्ड पम्प जल विकास निगम के माध्यम से लगवाया गया था। ड्रिलिंग के दौरान ड्रिलिंग रोड टूट गई थी, जिसे जल विकास निगम द्वारा निकाला जाकर पर्याप्त गहराई (75 मीटर) एवं पर्याप्त वाटर कालम (40.50 मीटर) का बोर पूर्ण किया गया।

वर्णित हैण्ड पम्प की गहराई के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी अपितु हैण्ड पम्प के पानी कम देने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के सन्दर्भ में उक्त बोर में अतिरिक्त जी.आई. पाइप डालकर लोरिंग बढ़ा दी गई है। वर्तमान में यह हैण्ड पम्प चालू अवस्था में है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार हैण्ड पम्प पर्याप्त गहराई तक खोदा गया है।

(3) उक्त कार्य जल विकास निगम से करवाया गया था अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की लम्बित पेयजल योजनाएं

183. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक विभाग के माध्यम से क्या–क्या कार्य हुये हैं? कार्य का स्थान, तिथि, लागत सूची मय योजना के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन से कार्य प्रगति पर हैं और कितने स्वीकृत हैं लेकिन प्रारम्भ नहीं हुये हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न गांवों में निम्नलिखित कार्य करवाये गये :

क्षेत्र	हैण्ड पम्प	नलकूप	पाइप लाइन	जी.एल.आर./ सी.डब्ल्यू.आर	खुला कुआं/गहरा कराना
ग्रामीण	285	48	51	26	22
शहरी	73	8	6	–	15

कार्य का स्थान, तिथि, लागत की सूची प्रस्तुत (प्रपत्र 'अ')। इसके अतिरिक्त विभाग में विधान सभा सदस्य/सांसद मद के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये गये। (प्रपत्र 'स')

क्षेत्र	हैण्डपम्प	नलकूप	पाइप लाइन
ग्रामीण	5	2	1
शहरी	6	1	2

(2) उक्त में से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो कार्य प्रगति पर है उनकी सूचना निम्न प्रकार है (प्रपत्र 'ब')

क्षेत्र	हैण्ड पम्प	नलकूप	पाइप लाइन	जी.एल.आर./ सीडब्ल्यूआर /एस.आर.	खुला कुआं/ गहरा कराना	विवरण
ग्रामीण	30	6	12	1	4	1. हैण्ड पम्प का कार्य चालू है। 2. नलकूपों हेतु भूजल विभाग को निवेदन कर दिया गया है।
शहरी	6	–	1	–	9	3. पाइप लाइनों हेतु पाइप प्राप्त कर लिये गये है। बिछाने व जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 4. खुले कुएं का निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसके अतिरिक्त सांसद मद में एक एस.आर. का कार्य शुरू करना है जिसकी निविदाएं आमंत्रित कर स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। एक शहरी योजना शिवगंज अनुमानित लागत रु. 182.31 लाख की भारत सरकार द्वारा दिनांक 7.1.2003 को अनुमोदित की थी जिसकी तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत योजना बनाई जा रही हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नियमित/वर्कचार्ज कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अनुसार मानदेय

184. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियम/वित्तीय निगमों के परिप्रेक्ष्य में जयपुर जिले में कार्यरत नियमित तकनीकी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त मद पर कितना व्यय किया गया?

उत्तर

(1) जलदाय विभाग में कार्यरत नियमित तकनीकी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को औद्योगिक कामगार की श्रेणी में मानते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.8.1997 के अनुसार ओवर टाइम का भुगतान किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मात्र नगरीय जल प्रदाय योजना पर वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2001–2002 काल में ओवर टाइम के सन्दर्भ में रुपये 228.12 लाख का व्यय किया गया।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–11 देखें)

इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम, जैसलमेर का रख–रखाव

185. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त किसकी सम्पत्ति है? उक्त स्टेडियम के निर्माण में कितनी राशि किन मदों में व्यय हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि स्टेडियम निर्माण में कई कमी थी जिसकी जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्टेडियम प्रांगण में खेल छात्रावास बना हुआ है? क्या उक्त को खेल विभाग संचालित करता है?

(4) क्या सरकार उक्त स्टेडियम के स्वामित्व एवं रख–रखाव का जिम्मा खेल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विभाग को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह इन्डोर स्टेडियम नगरपालिका, जैसलमेर की सम्पत्ति है। इस स्टेडियम के निर्माण में विभिन्न मदों से रुपये 80.02 लाख व्यय हुए है। मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1995 में कलक्टर जैसलमेर ने स्टेडियम के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया था। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में खेल छात्रावास संचालित नहीं है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा सम्भाग के अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण

186. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां के कितने अधिकारी/कर्मचारियों का भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया? उक्त जिलों में किस-किस को किस-किस तिथि को कितनी-कितनी राशि रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया? उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के नाम व पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति कब-कब दी गई तथा किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई और स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण रहे?

(3) कोटा शहर में पकड़े गये अधिशासी अभियन्ता श्री गोलछा नगर विकास न्यास कोटा को भी भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कब और किस आरोप में पकड़ा गया था? यदि हां, तो फिर क्यों निलम्बित किया गया?

(4) सरकार द्वारा श्री गोलछा के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों (वर्ष 1999, 2000 व 2001 व 2002) में जिला बूंदी में 19, बारां में 11, झालावाड़ में 21 तथा कोटा में 90 (कुल 141) अधिकारियों/कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम,

(गृह मंत्री)

पद तथा राशि व दिनांक आदि का ब्यौरा परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(2) परिशिष्ट ''ब'' ''स'' में सूचना संलग्न है। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ज्ञापन/प्राप्त मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यों का अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा विचार विमर्श में विलम्ब होने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उनका कानूनी दृष्टिकोण से परीक्षण कर निर्णय लेने में विलम्ब होना स्वाभाविक है।

(3) जी हां। श्री विमल कुमार गोलछा, अधिशासी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, कोटा को 5,000/– रुपये रिश्वत प्राप्त करने के आरोप पर दिनांक 4.9.2001 को पकड़ा। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प. 2 (3) कार्मिक/क–3/96 दिनांक 14.12.2000 की पालना में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया।

(4) राज्य सरकार के आदेश संख्या प.1 (135)नविवि/2/2001 दिनांक 6.1.2003 द्वारा श्री गोलछा के पास कोई भी निर्माण कार्य लम्बित न होना, बिल भुगतान हेतु बकाया न होना एवं रिश्वत प्राप्त करने का मोटिव नहीं होना मानकर श्री गोलछा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति रिफ्यूज की गई है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सिरोही व जालौर में तस्करी व अवैध कारोबार के दर्ज प्रकरण

187. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 8 जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक जिला सिरोही व जालौर में कितने लोग स्मेक, चरस, ब्राउन शुगर, हेरोइन व हथियारों का अवैध करोबार करते पकड़े गये हैं? उक्त में से किन–किन का सम्बन्ध अण्डरवर्ल्ड या अन्तरराष्ट्रीय गिरोह से है?

(2) उक्त आरोपियों के विरुद्ध राज्य के कौन–कौन से पुलिस थानों में किस–किस अपराध में कहां–कहां मुकदमे दर्ज हैं तथा इनमें से किस–किस के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में चालान पेश नहीं करने का क्या कारण रहा?

(3) उक्त आरोपियों में से किस–किस के पास हथियार हैं तथा कब–कब किस–किस अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक स्मैक, चरस, ब्राउन शूगर, हेरोईन व हथियारों का अवैध कारोबार करते जिला–सिरोही में 11 व्यक्ति व जिला जालौर में 1 व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों के सम्बन्ध अण्डरवर्ल्ड या अन्तरराष्ट्रीय गिरोह से होना नहीं पाया गया।

(2) उक्त आरोपियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) पकड़े गये आरोपियों को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अन्य जप्त हथियार परिशिष्ट "अ" में अंकित कर संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-12 देखें)

मेवात क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम

188. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2002-2003 में कुल कितने अपराध दर्ज हुये? उक्त अपराधों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, राहजनी, नकली नोट, गौहत्या, अवैध हथियार और अपहरण की कितनी-कितनी घटनाएं हुई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अपराधों की संख्या मेवात क्षेत्र में सौगुणा बढ़ गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि मेवात क्षेत्र के अपराधियों को प्रभावशाली व्यक्तियों का संरक्षण है? क्या सरकार राज्य में उक्त अपराधों की रोकथाम के लिये कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? मेवात क्षेत्र में संगीन अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार के पास क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2003 तक राज्य में कुल 26, 114 अपराध दर्ज हुए। उक्त अपराधों में हत्या की 1364, लूट व राहजनी की 783, चोरी की 17878, डकैती की 50, नकली नोट की 70, गौ हत्या की 147, अवैध हथियार की 3058 और अपहरण की 2764 घटनाएं हुईं। जिलेवार शीर्षकवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। मामूली बढ़ोतरी हुई है।

(3) जी नहीं। अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावीगस्त व नाकाबन्दी करायी जा रही है। मेवात क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में आर.ए.सी. व पुलिस की पोस्टें लगाई गई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पुलिस बल बढ़ाये जाने की योजना विचाराधीन है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

पुलिस थाना भीम के मृतक आश्रित को नियुक्ति

189. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक राजसमन्द ने अपने पत्र क्रमांक 7462 दिनांक 23.10.2000 को वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा को पत्र भेजकर मृतक कांस्टेबल श्री ज़यसिंह सोलंकी नं. 414 कार्यरत पुलिस थाना भीम को उनके देहान्त होने पर उनके पैतृक गांव दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा को उनके पुत्र श्री दलपत सिंह को

(श्री हीरासिंह चौहान)

मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित पुत्र के नियम 1996 के उपनियम 5 के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने को लिखा गया और उसी के अनुक्रम में इस सम्बन्ध का उनके परिवार का सम्पूर्ण विवरण मय शपथ पत्र कार्यालय को प्रस्तुत कर दिए गए? यदि हां, तो उसके उपरान्त भी अब तक उसके पुत्र को मृतक आश्रित अनुकम्पा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक राजसमन्द ने अपने पत्र क्रमांक नं. 5(3) राजसफोर्स/2000/1236-37 दिनांक 8.2.2001 के द्वारा वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा को मूल प्रकरण के साथ 28 भिन्न-भिन्न प्रकार की इस सम्बन्ध की प्रतियां भेजकर पुनः इसको सेवा पर लेने सम्बन्धी कागजी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये तथा उपमहानिरीक्षक उदयपुर रेंज ने अपने पत्र क्रमांक नं. 5(3) उ.रे. फोर्स/2000/586 दिनांक 3.2.2001 के अनुसार भी इस सम्बन्ध में मृत सरकारी कर्मचारियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 10(3) के अन्तर्गत पुनः कार्यवाही कर उपमहानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया? उक्त के ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक जिला राजसमन्द ने उनके कार्यालय के क्रमांक 4115 दिनांक 30.10.1999 को मृतक के पुत्र श्री दलपत सिंह को लिपिकवर्गीय पद पर नियुक्ति का उचित पात्र माना? यदि हां, तो मृतक के पुत्र को अब तक नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(4) अब उक्त को कब तक नियुक्ति के आदेश दे दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि पुलिस अधीक्षक राजसमन्द द्वारा पत्र क्रमांक 7462 दिनांक 23.10.2000 के माध्यम में वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा को इस सन्दर्भ में लिखा गया। अभ्यर्थी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10(3) के अन्तर्गत समयावधि में नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई।

(2) इस सन्दर्भ में मृतक कर्मचारी स्व. श्री जयसिंह भू.पू. कानि. 414 की विधवा श्रीमती गोरधन कंवर के द्वारा 22.1.1996 को नियुक्ति के लिए प्रथम बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया। इस पर कार्यालय रिकार्ड से इसको जांच करवाई गई तो इस तिथि को ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया। अतः नियम 1996 उप नियम 10(3) के अन्तर्गत अस्वीकृत प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) यह सही नहीं है कि पुलिस अधीक्षक जिला राजसमन्द द्वारा आवेदक दलपत सिंह को लिपिक वर्ग में नियुक्ति का उचित पात्र नहीं माना। पुलिस अधीक्षक

(गृह मंत्री)

राजसमन्द के द्वारा यह प्रकरण पत्र क्रमांक 21-22 दिनांक 3.1.2001 के द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजा गया, जिसका परीक्षण करने के उपरान्त आवेदन पत्र समयावधि में नहीं पाये जाने के कारण महानिरीक्षक पुलिस (तृतीय) पुलिस मुख्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 30.1.2001 के द्वारा अस्वीकृत कर पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को वापस भेज दिया गया।

(4) मृतक आश्रित द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर से कोटपूतली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं

190. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के कोटपूतली नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर "सड़क दुर्घटना" में निरन्तर वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) गत पांच वर्षों में कितनी दुर्घटना घटित हुई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग कोटपूतली नगर के मध्य से निकलने तथा सड़क के दोनों ओर सघन आबादी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थाओं, राजकीय चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हाल तथा रोडवेज/जीप बस स्टैण्ड आदि स्थित होने से लोगों एवं वाहनों द्वारा राजमार्ग को कोस करने में असावधानी बरतने से दुर्घटनाएं घटित होती रहती है।

(2) गत पांच वर्षों में कुल 297 दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिसकी वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	दुर्घटनाओं की सूची
1.	1998	39
2.	1999	45
3.	2000	52
4.	2001	85
5.	2002	04
6.	जनवरी, 2003 तक	12
	कुल	297

सेक्टर-4 विद्याधर नगर जयपुर में असामाजिक तत्वों का उत्पात

191. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विद्याधर नगर सेक्टर-4 में 16 नं. बस स्टैण्ड पर आये दिन असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि को शराब पीकर उत्पात मचाकर वहां के नागरिकों का रहना मुश्किल कर रखा है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं।

अदालत में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरण

192. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पूरी करके मामलों को अदालत में चालान करने की स्वीकृति के लिएं राज्य सरकार को भेजने के बाद भी सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मामलों में फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिनमें चालान की स्वीकृति के अभाव में फाईनल रिपोर्ट देनी पड़ी तथा क्या-क्या आरोप किस-किस के विरुद्ध थे? आरोपियों और आरोपों के विवरण सहित वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गत तीन वर्षों में (2000, 2001 व 2002) 40 प्रकरणों में 58 आरोपितों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है। परिशिष्ट "अ" संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा जिन 40 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की मना की गई थी उनमें से 19 प्रकरणों में अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया गया (परिशिष्ट "ब" संलग्न है) शेष 21 प्रकरणों में जिनमें राज्य सरकार द्वारा तो स्वीकृति की मनाही की गई थी किन्तु अन्य अभियुक्त जो कि अराजपत्रित थे जिनकी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जो प्राइवेट व्यक्ति है जिनकी अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में अनियमितताएं

193. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेटेलाइट सेठ श्रवण राम चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में महिला रोग निदान, प्रसूति एवं इमरजेन्सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) वर्ष 1995 से 2002 तक महिला प्रसूति के कितने नामांकन हुए कितनी महिलाओं की देखभाल उपचार किया गया, कितने सामान्य-असामान्य प्रसव कराये गये, कितने कहां-कहां रेफर किये गये?

(3) क्या यह सही है कि महिला प्रसूति, उपचार एवं इमरजेन्सी सुविधा होते हुए भी मरीजों के प्रति अनदेखी के चलते यहां नाममात्र के केस ही निपटाये गए? यदि हां, तो क्यों? इमरजेन्सी में वर्ष 2000 से अब

(श्री कन्हैया लाल)

तक कितने केस निपटाये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय की खामियों/अनियमितताओं का खुलासा हुआ? यदि हां, तो कब?

(5) क्या अब सरकार दोषी महिला/पुरुष चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कर यहां महिला रोग प्रसूति एवं इमरजेन्सी सेवाओं को जनहित में सुचारू करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय सेटेलाइट सेठ श्रवण राम चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में महिला रोग निदान, प्रसूति एवं इमरजेन्सी सुविधाएं वर्ष 1984-85 से स्वीकृत हैं।

(2) राजकीय सेटेलाइट सेठ श्रवण राम चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में वर्ष 1995 से 2002 तक प्रसव पूर्व जांच (एन्टीनेटल केयर) हेतु किए गये नामांकन, लेबर पेन से भर्ती केसेज, कराए गए सामान्य-असामान्य प्रसव तथा कहां-कहां रेफर किए गए? केसेज का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं, मरीजों के प्रति अनदेखी की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। इमरजेन्सी में वर्ष 2000 से 2002 तक किए गए प्रसवों का वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त चिकित्सालय में पदस्थापित चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के विरुद्ध अनियमितताओं की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-14 देखें)

उपखण्ड प्रतापगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

194. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ में कितने चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ केन्द्र चल रहे हैं? सूची सर्दन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में किस-किस वर्ग में कितने-कितने पद सृजित हैं? उक्त सृजित पदों में से जनवरी, 2003 तक कितने पद रिक्त थे? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग-1 में वर्णित केन्द्रों पर पदस्थापित मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने अधिकारी, कर्मचारी अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) उपखण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित है।

(3) उपखण्ड प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित स्टाफ जो अपने मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं, की सूचना का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर (भीलवाड़ा) में सुविधाओं का अभाव

195. डा. रतन लाल जाट (सराड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बूलेंस खराब है? यदि हां, तो नई एम्बूलेंस कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

(4) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स के आवास हेतु कोई भवन नहीं बने हुए हैं? यदि हां, तो अब कब तक भवन बनवा दिये जायेंगे?

(5) क्या उक्त केन्द्र में कार्यरत महिला चिकित्सक का मरीजों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है? क्या इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में रिक्त पदों का पदवार मय रिक्ति की अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार है :-

पद नाम	रिक्त पद	रिक्ति की अवधि
1	2	3
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	11/2001
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	10/2000
चिकित्सा अधिकारी	1	10/1997

(दन्त)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1	2	3
नर्स श्रेणी प्रथम	5	10/1997
		10/1997
		10/1997
		1/1998
		7/2002
दन्त तकनीशियन	1	10/1997
वार्डबाय/वार्डलेडी	1	10/2001

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी–प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त)के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा, साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

दन्त टेक्नीशियन, वार्डबाय/वार्डलेडी का पद वेतन संख्या 1 से 6 तक के अन्तर्गत आते हैं उक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) नये भवन में चिकित्सक आवास गृह निर्मित नहीं है, परन्तु पुराने भवन में जो नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, चिकित्सक का एक आवास गृह निर्मित है, जिसमें एक चिकित्सक निवास कर रहा है। इसके अतिरिक्त तीन आवास गृह और निर्मित हैं जिनमें भी तीन कर्मचारी निवास कर रहे हैं।

(5) जी नहीं। जी हां, कार्यरत महिला चिकित्सक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई जो जांच उपरान्त तथ्यहीन पाई गई।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण

196. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2001–2002 में सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर)में कुल 13 कार्यों के लिये रुपये 150.00 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध राशि 99.18 लाख व्यय किये जाने के पश्चात् शेष राशि किस–किस कार्य में कहां–कहां व्यय की गई तथा अब कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त शेष राशि के सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों

(श्री भंवरू खान)

के दोनों साइडों में क्वारी रब्बीस की पटरियां बनवाई जानी प्रस्तावित थी? यदि हां, तो कितनी किस–किस सड़क के पटरियां बनाई गई तथा किस–किस सड़क के पटरियां बनवाना शेष है? शेष सड़कों की पटरियां नहीं बनाये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001–02 में सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सीकर में 13 कार्यों के लिये 150.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, के विरुद्ध 124.94 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा 25.06 लाख रुपये की राशि शेष है। व्यय का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) अकाल से निपटने हेतु संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शेष राशि के कार्य स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

(3) जी हां। कुल 12 सड़कों पर दोनों साइडों में क्वारी रब्बीस की पटरियां बनाई जानी प्रस्तावित थीं जिन सड़कों पर पटरियां बनाई गई या नहीं बनाई गई, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। 6 सड़कों पर पटरियां आंशिक रूप से बनाई गई । शेष 6 सड़कों पर पटरियां, कार्य स्थल पर जमीन की अनुपलब्धता, निर्धारित मानदण्डों की क्वारी रब्बीश की अनुपलब्धता एवं यातायात घनत्व कम होने के कारण नहीं बनाई गई।

(विवरण के लिये परिशिष्ट–15 देखें)

जिला अलवर में ग्रामों की अपूर्ण सड़कें

197. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002–2003 में जिला अलवर में जो सड़कें बनाई गई हैं उससे जो सड़कें गांवों के मध्य से गुजर रही है उक्त हिस्सों को बिना सड़क बनाये छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त हिस्सों को बनाने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 2002–2003 में जिला अलवर में जो सड़कें बनाई गई हैं, उनमें से कुछ गांवों के मध्य से गुजर रही सड़कों के हिस्सों का डामरीकरण पंचायत अथवा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फण्ड में से जल निकास व्यवस्था के उपरान्त कराया जायेगा।

(2) बिन्दु संख्या एक अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

198. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष कुल कितनी नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उक्त में से कितनी सड़कों का कार्य प्रगति पर है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कों की मरम्मत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की मरम्मत योग्य सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं हुई।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 45 सड़कों की मरम्मत की गई। सूची प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(3) जी हां। बजट की उपलब्धता अनुसार सड़क मरम्मत के कार्य हाथ में लिये जाते हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट–16 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

199. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जयपुर के अधीन समान प्रश्न पत्र योजना में वर्ष 2002–2003 में कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? क्या इसका अंकेक्षण करवाया गया है? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जयपुर के अधीन समान प्रश्न पत्र योजना में वर्ष 2002–2003 में प्राप्त राशि रुपये 13,53,909.27 में से राशि 13,22,093 रुपये व्यय की गई। इसकी आंतरिक जांच 9/2002 तक की करवाई गई। आंतरिकत जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आंतरिक जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट के आधार पर अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उर्दू विषय के अतिरिक्त प्रारम्भिक ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद स्थापन

200. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अल्प भाषा उर्दू संचालित विद्यालयों के निरीक्षण व्यवस्था हेतु राज्य के 9 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) शिक्षा कार्यालयों में उर्दू विषय

(श्री रमजान खान)

के अतिरिक्त प्रारम्भिक ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पद सुरक्षित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त जिलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर राज्य में सामान्य अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नीति विरुद्ध लगा रखें हैं? उक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत सामान्य अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सामान्य अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को हटाकर उर्दू भाषा के अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के पद पर उर्दू व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक उर्दू को समायोजन द्वारा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उपरोक्तानुसार।

ज़िला परिषद्, जालौर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में अनियमितता

201. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, जालौर द्वारा विज्ञापन संख्या 1/98 वर्ष 1998 के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती हेतु साक्षात्कार लिये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त साक्षात्कार के दौरान वरीयता सूची में अनियमितता की गई? यदि हां, तो क्या व क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अनियमितता के कारण पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका दर्ज की गई थी? यदि हां, तो न्यायालय का अन्तिम निर्णय कब व क्या रहा? निर्णय/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार न्यायालय के उक्त अन्तिम निर्णय पर कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त निर्णय से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा? नवीनतम वरीयता सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिन अभ्यर्थियों ने न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं की परन्तु वह भी इस अनियमितता से पीड़ित है सरकार उनको भी शामिल करते हुए उन्हें भी सेवा में लेगी? यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं?

(6) अब सरकार उक्त नवीनतम वरीयता के अभ्यर्थियों को कब तक राज्य सेवा में ले लेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त प्रकरण में की गई भारी अनियमितता के लिए कौन- कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार उक्त दोषी

(श्री रमेश खींची)

अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) उपरोक्तानुसार।

(7) किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण कोई भी दोषी नहीं है।

प्रश्न संख्या–202

(स्थगित)

प्रश्न संख्या–203

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के क्रमोन्नत विद्यालय

204. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कितने विद्यालय 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक क्रमोन्नत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1 दिसम्बर 1998 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 15 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, 4 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा 5 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–17 देखें)

प्रधानाध्यापक/व्याख्याताओं की वेतन विसंगतियां

205. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के शिक्षकों की पदोन्नति व्याख्याता, प्रधानाध्यापक (माध्य.)के पद पर की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि व्याख्याता का वेतनमान 6500–10500 एवं प्रधानाध्यापक (माध्य.) का वेतनमान 7500–12000 है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नति व्यवस्था के कारण वरिष्ठ शिक्षक की व्याख्याता न्यून वेतनमान एवं कनिष्ठ शिक्षक की प्रधानाध्यापक उच्च वेतनमान के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार की

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वरिष्ठ अध्यापक के वरियता एवं योग्यता अनुसार के व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(4) विभाग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के प्रावधानानुसार व्याख्याता के पद की योग्यता (अधिस्नातक एवं बी.एड.) रखने वाले व. अ. को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी जाती है। प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति अधिस्नातक एवं बी.एड. तथा स्नातक एवं बी.एड. दोनों ही पात्र हैं एवं उन्हें वरिष्ठता अनुसार प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इससे कोई भी कनिष्ठ शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत नहीं होता है, अत: विसंगति का प्रश्न ही नहीं है।

ग्राम खींचन (जोधपुर) में अवैध विद्युत कनेक्शन

206. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींचन, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में श्री सुरेश चन्द जैन द्वारा खसरा नं. 178/451 की भूमि पर कृषि विद्युत कनेक्शन लेकर नलकूप खुदवाया हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त कनेक्शन उसकी खातेदारी भूमि होने की वजह ही दिया हुआ है? क्या कृषि कनेक्शन लेने के लिये काश्तकार को अपना स्वामित्व बताने के लिये काश्तकार को अपना स्वामित्व बताने के लिये विद्युत विभाग के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज पेश करने पड़ते हैं? उक्त दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नलकूप कनेक्शन से पड़ोस में स्थित खसरा नं. 177 रकबा पर भी सिंचाई की जा रही है? यदि हां, तो उक्त खसरा नं. की भूमि पर स्वामित्व किस व्यक्ति का है?

(3) क्या श्री जैन को उक्त खेत में स्थित नलकूप से खसरा नं. 177 की जमीन पर काश्त करने का कोई अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण जानकारी कर उक्त कनेक्शन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि आवेदक द्वारा अपना स्वामित्व बताने के लिये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने सम्बन्ध में दिशा निर्देश संबंधी आदेश संख्या आरईओ-184 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत खींचन द्वारा तस्दीक दस्तावेजों के आधार पर श्री सुरेश चन्द जैन

(ऊर्जा मंत्री)

पुत्र श्री पुखराज जैन गोलेछा के खसरा नं. 177 रकबा पर भी उक्त नलकूप से सिंचाई की जा रही है। ग्राम पंचायत खींचन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार इस खसरा भूमि के वर्तमान स्वामी श्री चम्पालाल, गुलराज, पुखराज गोलेछा वगैरह के विधिक वारिसान और उत्तराधिकारीगण संयुक्त रूप से हैं और इन लोगों का ही इस पर कब्जा है।

(3) ग्राम पंचायत खींचन द्वारा तस्दीक दस्तावेजों के आधार पर सामान्य परिस्थितियों में उपभोक्ता श्री सुरेश जैन पुत्र श्री पुखराज जैन गोलेछा द्वारा उक्त खेत में स्थित नलकूप से अपने पूर्वजों की जमीन खसरा नं. 177 पर काश्त करना अनुचित प्रतीत नहीं होता है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ऊडसर कैम्प (बीकानेर) में ग्रिड सब स्टेशन निर्माण

207. श्री हेमन्त कुमार (ड्रींगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नौखा के ऊडसर कैम्प (बीकानेर)में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कब, किस तिथि को?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा अब क्या कार्यवाही की जानी शेष है और शेष कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

(3) अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक शुरू करवाकर पूर्ण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) तहसील नोखा के ऊडसर कैम्प (बीकानेर) में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति दिनांक 26.07.2002 को प्रदान की गई थी।

(2) उक्त सब स्टेशन के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) उक्त सब स्टेशन का निर्माण वित्तीय संसाधन होने पर वर्ष 2003-2004 में पूर्ण करवाना सम्भावित है।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के अविद्युतीकृत ग्राम

208. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कुल कितने गांव वर्ष 2002 तक विद्युतीकृत हो चुके हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के अविद्युतीकृत गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा?

(3) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों को विद्युतीकृत करना शेष है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के सभी 157 ग्राम माह मार्च, 2002 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के सभी गांव पूर्व में ही विद्युतीकृत घोषित हैं।

(3) उक्त क्षेत्र के विभिन्न गांवों की 25 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शेष रही हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो पायेगा।

ग्राम धिनोई (जयपुर) में सचिव वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति द्वारा अनियमितताएं

209. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि धिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के सचिव वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा सरकारी राशि को खुर्द–बूर्द करने एक शिकायत सतर्कता आयुक्त को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति सचिव की शिकायत पूर्व में जिला कलक्टर को भी प्राप्त की हुई? यदि हां, तो उक्त शिकायत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायती पत्रों के आधार पर उक्त समिति सचिव के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण की जांच जिला कलक्टर, जयपुर के द्वारा उप जिला कलक्टर, चौमूं से कराई गई है? क्या उप जिला कलक्टर, चौमूं ने जांच रिपोर्ट में सरकारी राशि को खुर्द–बुर्द करना बताया है? यदि हां, तो उक्त जांच के उपरान्त सरकार ने उक्त समिति सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? उक्त के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त समिति को सरकार द्वारा निजी तौर पर कितनी राशि उपलब्ध हुई? समिति को प्राप्त समस्त राशि का मदवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त समिति सचिव द्वारा कितनी राशि किस कार्य के लिये खर्च करना बताया गया है? खर्च की गई राशि के बिलों, वाउचरों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त समिति को पौधे लगाने हेतु ग्राम धिनोई में सरकार द्वारा भूमि आबंटित

(श्री रमेश खींची)

की गई है? यदि हां, तो समिति को कितनी भूमि आबंटित की गई है? आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या उक्त समिति द्वारा पौधे लगाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ज़ाति या वृक्ष के कितने पौधे लगाये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या उक्त समिति सचिव द्वारा निर्धूम चूल्हा समिति के सदस्यों को या अन्य जनता को वितरण करना बताया गया है? यदि हां, तो उक्त चूल्हा किस संस्था से समिति को प्राप्त हुए हैं? उक्त की कितनी कीमत समिति द्वारा भुगतान की गई है व चूल्हा वितरण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा प्रति चूल्हा कितनी राशि अनुदान की गई है और कितनी राशि वसूल की गई? उक्त चूल्हा वितरण की सूची मय प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के सदन की मेज पर रखें।

(10) क्या यह भी सही है कि समिति सचिव द्वारा खर्चों का अनुमोदन सदस्यों की आम सभा द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सदस्यों की आम सभा द्वारा खर्चों का अनुमोदन करवाया जाना जरूरी नहीं है? यदि हां, तो कौन से नियमों के तहत?

(11) क्या उक्त समिति का सरकार द्वारा अंकेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब । अंकेक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व पद तथा दिनांक व अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(12) क्या सरकार उक्त समिति सचिव द्वारा खुर्द-बुर्द की गई सरकारी राशि की विस्तृत जांच सतर्कता अधिकारी द्वारा या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा करवाकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(13) अब सरकार उक्त जांच के आदेश कब तक जारी कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। प्रति संलग्न है।

(3) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा शिकायत की जांच उपखण्डीय अधिकारी, चौमूं से कराई गई उस जांच के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा सहायक रजिस्ट्रार ग्रामीण को जांच के लिए लिखा गया, जांच की जा रही है।

(4) जी हां। जांच पुनः जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सहायक रजिस्ट्रार ग्रामीण द्वारा की जा रही है।

(5) जी नहीं। किन्तु समिति को वर्ष 1992 से 1998 तक राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी महासंघ, अजमेर द्वारा भूमि जल संरक्षण, घास, वृक्षारोपण, नर्सरी सचिव आदि के लिए 2,27,959.00 का अनुदान दिया गया।

(सहकारिता मंत्री)

(6) संघ से प्राप्त अनुदान राशि का खर्च का विवरण आडिट रिपोर्ट वर्ष 1991 से 1997 के अनुसार मदवार परिशिष्ट "अ" पर दर्ज है। बिलों की प्रति संलग्न है।

(7) जी हां। उक्त समिति को पौधे लगाने हेतु 160 बीघा भूमि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आबंटन की गई थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर दर्ज है।

(8) जी हां। वर्ष 1992–93 से 1995–96 तक समिति द्वारा पौधे लगाये गये विवरण निम्नप्रकार है :–

पौधों की प्रजाति	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96	योग
देशी बबूल	3700	7800	8165	1800	21465
अरंड	800	–	–	–	800
विलायती बबूल	2000	–	1900	6618	10518
शीशम	–	500	–	–	500
रोहिड़ा	–	20	–	–	20
	6500	8320	10065	8418	33303

(9) जी हां। निर्घूम चूल्हे राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी संघ, अजमेर से प्राप्त किये गये। समिति द्वारा इस पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है। चूल्हा वितरण समिति द्वारा सदस्यों की मांग के अनुसार चूल्हे वितरण किये गये हैं। राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी संघ, अजमेर को भारत के गैर पारम्परिक उर्जा मंत्रालय द्वारा प्रति चूल्हा 40/–व चूल्हा लगाने वाली महिला को 20/– कुल 60/– अनुदान के रूप में प्राप्त होते हैं तथा समिति द्वारा प्रति चूल्हा 10/–प्रति सदस्य से राशि वसूल की गई है। चूल्हा वितरण की सूची परिशिष्ट "द" पर दर्ज है। हस्ताक्षरित सूची रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(10) जी नहीं। समिति के खर्चों का अनुमोदन समिति की आमसभा से कराया गया।

(11) जी हां। समिति का अंकेक्षण विभागीय अंवेक्षक द्वारा कराया गया है। विवरण निम्नप्रकार है :–

(सहकारिता मंत्री)

अंवेक्षक का नाम	पद नि.आ.	आडिट वर्ष	आडिट की तिथि
1. श्री फूलचन्द	निरी. आडिट	1991-92, 1993-94	16.9.1994 से 19.9.1994
2. श्री शार्दन सिंह शेखावत	" "	1994-95	17.9.1995 से 19.9.1995
3. फूलचन्द	" "	1995-96	28.9.1996 से 30.9.1996
4. फूलचन्द	" "	1996-97	9.3.1998 से 10.3.1998
5. फूलचन्द	" "	1997-98	17.8.1998 से 18.8.98
6. मामचन्द मेहरा	" "	1998-99	12.5.1999 को
7. रामबाबू शर्मा	" "	1999-2000	8.3.2001
8. रामबाबू शर्मा	" "	2000-2001	16.6.2001

अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "इ" पर दर्ज है।

(12) इस प्रकरण में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उप जिला कलक्टर, चौमूं से जांच कराई गई। प्राप्त जांच टिप्पणी के आधार पर जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा जांच की जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर दर्ज है।

(13) जांच जारी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पटेल नगर गृह निर्माण सरकारी समिति, आगरा रोड, जयपुर की बसन्त विहार योजना

210. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर में प्रशासन नियुक्त हैं? यदि हां, तो कौन व कब से ?

(2) क्या उक्त समिति ने अपनी बसंत विहार-I, आगरा रोड नामक आवासीय योजना का नक्शा व सदस्यों की सूची तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र प्रशासक को दिये थे? यदि हां, तो कब?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या यह सही है कि प्रशासक ने बंसत विहार–I, आगरा रोड से सम्बन्धित पत्रावली अपने पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराई थी? यदि हां, तो कब?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त आवासीय योजना के सदस्यों की सूची नक्शा व जमीन खरीद के कागज गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण वापस प्रशासक को लौटा दिये हैं? यदि हां, तो कब?

(5) क्या सरकार प्रशासक की यह जिम्मेदारी निर्धारित करेगी कि वे गृह निर्माण सहकारी समिति से पूर्ण व सही पत्रावली लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करावें? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या यह सही है कि प्रशासक ने लापरवाही कर पत्रावली की अनदेखी करके परोक्ष रूप से सहकारी समिति को लाभ पहुंचाया है?

(7) क्या सरकार प्रशासक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(8) अब उक्त योजना की पत्रावली पर किये गये एतराज की पूर्ति कर प्रशासक कब तक पत्रावली जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करा देगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। समिति में दिनांक 13.8.1997 से दिनांक 4.10.2002 तक प्रशासक नियुक्त रहे हैं। तत्समय नियुक्त प्रशासक को समिति के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा समिति को बंसत विहार–I, आगरा रोड नामक आवासीय योजना का नक्शा व सदस्यों की सूची तथा उक्त आवश्यक प्रपत्र दिनांक 27.3.2002 को दिये थे।

(3) जी हां। प्रशासक समिति ने समिति की बसन्त विहार–I, आगरा रोड से सम्बन्धित पत्रावली दिनांक 27.3.2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराई थी।

(4) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना से संबंधित पत्रावली दिनांक 16.7.2002 को प्रशासक, समिति को वापस लौटा दी गई थी।

(5) जी नहीं। यह जिम्मेदारी समिति में वर्तमान में कार्यरत प्रबन्धकारिणी की है। पूर्ण व सही पत्रावली 15 दिवस में जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) वर्तमान में समिति में निर्वाचित प्रबन्धकारिणी कार्यरत है। अतः उक्त योजना की पूर्ति कर पत्रावली जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में जमा कराने का दायित्व समिति का ही है। योजना की पत्रावली 15 दिवस में जमा कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जिला परिषद् सदस्य हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

211. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद् सदस्य के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से व कितने प्रतिशत? उक्त आरक्षित पदों पर गत दो पंचायत चुनावों वर्ष 1995 तथा 2000 में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, पद नाम, क्षेत्र की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने-कितने पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण 15 प्रतिशत रखा गया था जिसे बढ़ाकर दिनांक 25.10.1999 से 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गत दो पंचायत चुनाव वर्ष 1995 तथा 2000 में निर्वाचत अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित सदस्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कुल 161 पद आरक्षित हैं। आरक्षित पदों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-212

(स्थगित)

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी उर्दू (सीकर) के पद पर पदस्थापन

213. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर में एक पद अल्प भाषा उर्दू के अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के लिये आरक्षित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद पर सामान्य विषय का अधिकारी कार्यरत है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद पर उर्दू की योग्यता रखने वाले अधिकारी को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-1 के अनुसार।

रेगिस्तानी जिलों में रिक्त अध्यापकों के पदों की पूर्ति

214. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त कमी की पूर्ति के बारें में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन विद्यालयों में अभी भी रिक्त पद हैं। अध्यापकों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु पदोन्नति, अन्तरजिला स्थानांतरण के कारण अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पदों में विसंगति

215. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा के गठन के बाद ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कम वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकार के पद का सृजन किया गया ?

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का पद किस संवर्ग का है एवं उसका वेतनमान क्या है?

(3) वर्तमान में उक्त पद पर किस-किस संवर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं एवं उनका वेतनमान क्या है?

(4) क्या उक्त पद पर सरकार विभिन्न संवर्ग के अधिकारी लगाये जाने की विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के 32 पद अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष हैं तथा वेतनमान 9000–14400 है। 205 पद वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष के हैं एवं वेतनमान 8000–13500 है।

(3) वर्तमान में उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों एवं उनके वेतनमान का विवरण इस प्रकार है :–

अति. जिशिअ एवं समकक्ष 32 पद के विरुद्ध कार्यरत

पद	संख्या	वेतनमान
प्रधानाचार्य (रासीमावि)	23	9000–14400
व्याख्याता	04	6500–10500
रिक्त	05	–
योग	32	

वरि. उप जिशिअ एवं समकक्ष 205 पद के विरुद्ध कार्यरत

पद	संख्या	वेतनमान
1	2	3
उप प्रधानाचार्य	25	7500–12000
व्याख्याता	77	6500–10500

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3
प्र.अ. (मा.वि.)	89	7500–12000
रिक्त	14	–
योग	205	

(4) माध्यमिक शिक्षा विभाग से निर्धारित कैडर के अधिकारी उपलब्ध होने पर ही यह विसंगति दूर की जा सकेगी।

काश्तकारों के निजी कुओं को गहरा कराने हेतु अनुदान

216. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने काश्तकारों के निजी कुओं को गहरा कराने के लिए कोई अनुदान योजना शुरू की है? यदि हां, तो कब से? योजना की प्रति सदन की मेज रखें।

(2) क्या सरकार ने गरीब लोगों के रिहायशी मकान बनाने की कोई अनुदानी योजना शुरू की है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दोनों योजनाओं को सरकार ने समाप्त कर दी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में कृषकों के निजी कुओं को गहरा कराने एवं निजी आवास निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत दिनांक 24.1.03 से नये कार्य स्वीकृत नहीं करने एवं पूर्व में स्वीकृत परन्तु प्रारम्भ नहीं हुये कार्यों को प्रारम्भ नहीं करने पर रोक लगाई गई थी जिसे अब आदेश दिनांक 24.2.03 से हटा लिया गया है।

ग्राम जड (जोधपुर) में निर्धन व्यक्तियों के चयन में अनियमितता

217. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जड़, पंचायत भवाद जिला जोधपुर में 20 जनवरी के आसपास सुभान खां नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त मृत्यु भूख के कारण हुई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सुभान का नाम न तो बी.पी.एल. सूची में था व न ही उसे ए.पी.एल. सूची में सम्मिलित किया गया तथा इस प्रकार उसे किसी भी अकाल राहत कार्य पर नहीं लगाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं।

(सहायता मंत्री)

(2) जी हां। सुभान खां का नाम न तो बी.पी.एल. सूची में और ना ही ए.पी.एल. सूची में सम्मिलित था। उनके द्वारा अकाल राहत कार्य पर रोजगार हेतु मांग नही की गई।

(3) जी नहीं। सुभान खां के पिता खानु खां पुत्र श्री अमन खां को अन्नपूर्णा योजना के तहत दिनांक 21.6.01 में सम्मिलित होने से उन्हें दिसम्बर, 02 तथा जनवरी, 03 हेतु नि:शुल्क 20 किलो गेहूं एवं असहाय व्यक्तियों के तहत चयन के कारण अनुग्रह सहायता के रूप में दिसम्बर, 02 एवं जनवरी, 03 के लिए नि:शुल्क 80 किलो गेहूं का वितरण किया गया था। श्री सुभान खां अपने पिता के साथ परिवार में ही रहते थे। मुख्य मंत्री सहायता कोष से मृतक के परिवार को 2000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई।

जिला अजमेर में अभावग्रस्त गांवों/ कस्बों में राहत कार्यों में वृद्धि

218. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला अजमेर के अभाव–ग्रस्त गांवों कस्बों में सरकार ने राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों के नियोजन के कार्य चल रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि कार्य प्रारम्भ करने की तारीख को जब नये मस्टररोल में नाम लिखे जाते हैं, लोगों में झगड़ा होता है?

(3) क्या सरकार प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत के तहत 1139 कार्य स्वीकृत कर 29700 श्रमिकों को नियोजित कर रखा है।

(2) जी नहीं। ऐसी जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, बी.पी.एल. परिवारों को निर्धारित श्रमिक सीमा का 60% व शेष श्रेणियों को 40% रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अकाल राहत कार्यों में भवन निर्माण

219. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अकाल राहत कार्य सरकार कब तक चलाने का विचार रखती है?

(2) क्या अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों को लिया जावेगा?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्य जून, 2003 अथवा मानसून के आरम्भ होने तक चलाये जाने की योजना है।

(2) जी हां। राहत कार्यों के राहत व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत गरीब तबके के लोगों को भवन निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश हैं जिसमें समस्त सामग्री व्यय

(सहायता मंत्री)

तथा 25% श्रम की राशि लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा श्रम का 75% भाग एस.जी.आर.वाई. (स्पेशल कम्पोनेट)के तहत उपलब्ध कराया जावेगा।

प्रश्न संख्या–220

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में अकाल राहत कार्यों हेतु आबंटित राशि

221. श्री निर्भय लाल (रूपवास): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या केन्द्र सरकार से अकाल राहत के तहत राजस्थान को सहायता राशि स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कितनी?

(2) उक्त प्राप्त सहायता राशि में से विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितनी राशि दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा एन.सी.सी.एफ. के तहत अभी तक 11.66 करोड़ रुपये की राशि गौशाला अनुदान हेतु तथा 155.68 करोड़ रुपये की राशि कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध कराई गई है।

(2) रूपवास क्षेत्र में कोई पंजीकृत अथवा अपंजीकृत गौशाला नहीं है जिससे गौशाला अनुदान हेतु कोई राशि नहीं दी गई। कृषि आदान अनुदान हेतु केन्द्र सरकार से मांगी गई पूरी राशि प्राप्त होने पर रूपवास क्षेत्र के लघु व सीमान्त कृषकों को अनुदान राशि देने पर विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प

222. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अधिकांश "राजीव गांधी पाठशालाओं" में हैण्ड पम्प नहीं हैं? यदि हां, तो कब तक उक्त हैण्ड पम्प की व्यवस्था कर दी जावेगी?

(2) उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प विहीन कितनी पाठशालाएं हैं?

(3) क्या यह सही है कि अनेकों राजीव गांधी पाठशालाओं में छात्र संख्या अधिक है तथा अनुपात में शिक्षक नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों और कब तक माकूल व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य परियोजनाओं में उपलब्ध बजटानुसार व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) उक्त क्षेत्र में हैण्ड पम्प विहीन 63 राजीव गांधी पाठशालाएं हैं।

(3) जी हां। मापदण्ड व आवश्यकतानुसार इनमें अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम के कर्मचारियों को वेतन देने तथा निगम की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम मित्रपुरा में 01 दिसम्बर, 2002 को पड़ी डकैती एवं 02 मार्च, 2003 को हुई जैन मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीश चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायत पांचोता के कलाली नदी बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का पूरा भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के 6 बड़े शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था निजी कम्पनियों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री सांवर लाल एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर की लालकोठी सब्जी मण्डी को बिचौलियों से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12.02 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामनारायण चौधरी : हिमाचल की हार की झेंप मिटी...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री श्रवण कुमार :...(व्यवधान). गैस का पैसा बढ़ा रही है और सरकार...

एक माननीय सदस्य: केरोसिन का पैसा बढ़ा दिया ।

श्री श्रवण कुमार : केरोसिन का पैसा बढ़ा रही है और खाद का पैसा बढ़ाया है दिल्ली की सरकार ने।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री श्रवण कुमार : किसानों की इससे बड़ी विरोधी सरकार और क्या हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय श्रवण लालजी।

श्री श्रवण कुमार : ... (व्यवधान) 12 रुपये बढ़ाये...(व्यवधान) किसानों की हत्या की है।

श्री मोहन लाल मोदी : यह हिमाचल की बौखलाहट है। सारा का सारा हिमाचल की हार का यह नतीजा है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं।

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम

(श्री सभापति)

लोधपुरिया के राजीव गांधी पाठशाला के पैराटीचर को हटाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला जालौर में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय, चौमूं में व्याप्त अव्यवस्था के संम्बन्ध में।

(4) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से तहसील मुख्यालय गोगुन्दा में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की 1000 से अधिक आबादी के गावों को डामर की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(6) श्री फतेह सिंह, सदस्य की ओर से ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कुशलगढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की एक महिला की भूख एवं कुपोषण से हुई मौत का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चूरू पोलिटैक्नीक कालेज के भवन व सामग्री हेतु बजट में प्रावधान करने के उपरान्त भी राशि उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज अकाल की स्थिति पर विचार हो रहा है, शाम को 4 बजे से 3 मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप कहेंगे वैसा होगा, मैं अपनी बात कह दूं। 4 बजे से गवर्नमेंट का रिप्लाई शुरू होगा इसलिए आप इजाजत दें तो इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

श्री जीतमल खांट : नहीं, नहीं ।

श्री नंदलाल बंशीवाल : ...(व्यवधान) भूख से मौत हो गयी है इनके क्षेत्र में।

श्री अरुण सिंह : एक महिला की भूख से मौत हो गयी है।

श्री सभापति : बैठिये । बिराजिये।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लोधपुरिया की पाठशाला के पैराटीचर के विरुद्ध कार्यवाही

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत, मूडक्या का ग्राम लोधपुरिया पूर्णत: अशिक्षित क्षेत्र है, यहां की राजीव गांधी पाठशाला में रामकिशन

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कुमावत पुत्र जमना लाल नामक पैराटीचर केवल कागजों में तैनात है। फर्जी दस्तखत कर प्रति माह वेतन आहरित करता आ रहा है। विशेष उल्लेखनीय है कि खूंखार अपराधी प्रवृत्ति के इस पैराटीचर पर विभिन्न धाराओं के तहत 15 मुकदमे दर्ज हैं जिसकी आम जनता, पंचों-सरपचों, जिला परिषद् सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा ब्लाक शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, जिला कलक्टर, बारां तक बार-बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें की गईं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत इस पैराटीचर के विरुद्ध ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन साम-दाम-दण्ड-भेद अपना कर यह गुण्डा प्रवृत्ति का हिस्ट्रीशीटर आज भी उक्त विद्यालय में पैराटीचर बना बैठा है। अशिक्षित क्षेत्र के बालकों का जहां वर्तमान भविष्य अन्धकारमय हो चुका है वहीं अपराधी प्रवृत्ति का बोलबाला है। सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही के अभाव में किसी भी वक्त आम जनता, अभिभावकों एवं जन प्रतिनिधियों का आक्रोश भयानक उग्र रूप धारण कर सकता है।

अतः जनाक्रोश को देखते हुए उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के कागजी पैराटीचर को नौकरी से निकाल कर इसके विरुद्ध एवं अब तक इसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाकर आम जन मानस की भावमा को शान्त किया जाए तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए उक्त राजीव गांधी पाठशाला में दूसरा योग्य पैराटीचर लगाया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनाराम चौधरी।

जालौर जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान बरसात एवं ओला गिरने से जालौर जिले एवं अन्य जिलों में काश्तकारों की जीरा, सरसों, अरण्डी एवं ईसबगोल की फसल बरबाद होने बाबत निवेदन है। जिला जालौर में बरसात एवं ओले गिरने से काश्तकारों की फसल में भयंकर नुकसान हुआ है। काश्तकार इस नुकसान से भयंकर चिंतित हैं। अत: जिले के जिला कलक्टर से रिपोर्ट मंगाकर अतिशीघ्र मुआवजा या राहत प्रदान करने के आदेश दिलावें। विशेष रूप से रानीवाड़ा और भीनमाल सब डिवीजन में बरसात से जो तबाही हुई है काश्तकारों की, उसको देखकर काश्तकार अपने लिए हुए सरकारी कर्ज व साहूकारों से लिये हुए कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। इस वर्ष बिजली की भी बड़ी भारी कमी रही, बिजली हमारे क्षेत्र में 4 से 5 घंटे ज्यादा नहीं आयी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आपने लिख कर दिया है वही पढ़िये आप।

श्री रतनाराम चौधरी : हां, वही पढूंगा।

अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार वगैरह इसी प्रकार से मिलजुल कर किसानों को राहत प्रदान करावें।

उपरोक्त फसलों के साथ गेहूं की फसल भी नष्ट हुई है। चार साल से भयंकर अकाल से जूझ रहे थे और ऊपर से यह बरसात और ओले गिरने ने काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को झकझोर दिया है। उनका पशुधन और अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर अविलम्ब उचित निर्णय लेकर काश्तकारों को सहायता प्रदान करावें ।

श्री सभापति : माननीय श्री भगवान सहाय सैनी ।

चौमूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, चौमूं में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजकीय चिकित्सालय, चौमूं का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन करने के लिए दिनांक 21.9.2002 को आदेश जारी किया है। राजकीय चिकित्सालय का नाम परिवर्तन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तो रख दिया गया है लेकिन स्टाफ में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नर्सिंग स्टाफ की अत्यधिक कमी है। चिकित्सालय में लगभग एक लाख मरीजों का वार्षिक आउटडोर है, इसके बावजूद बेहोशी के डाक्टर का पद नहीं होने के कारण छोटे से आपरेशन के लिए मरीजों को जयपुर जाना पड़ता है।

नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं नेत्र सहायक का पद नहीं होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों के आउटडोर एवं इन्डोर की संख्या के अनुसार नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय में चौबीस घंटे चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हो तथा मरीजों के आपरेशन स्थानीय चिकित्सालय में हो सके, इसके लिए समुचित व्यवस्था करवाना जन हित में है।

चौमूं राजस्थान की राजधानी का उपनगर एवं जयपुर जिले का प्रमुख कस्बा है। यदि चौमूं में उपयुक्त एवं समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है तो एस. एम. एस. हास्पिटल का दबाव कम होगा तथा जनता को राहत मिलेगी ।

राजकीय चिकित्सालय चौमूं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया, उसके लिए विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हुए अनुरोध है कि सामुदायिक केन्द्र 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड का किया जावे तथा एक वरिष्ठ चिकित्सक मेडिसिन एक बेहोशी चिकित्सक, एक नेत्र

(श्री भगवान सहाय सैनी)

रोग विशेषज्ञ, एक नेत्र सहायक, तीन चिकित्सा अधिकारी एवं दस नर्सिंग स्टाफ का पदस्थापन और करने का श्रम करें जिससे क्षेत्र की जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके । धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल गरासिया (व्यवधान) आप बिराजिए।

गोगुन्दा तहसील पर उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): सभापति महोदय, मैं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा का पद सृजित कर पदस्थापन करने हेतु मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत तहसील, गोगुन्दा का क्षेत्र जिला मुख्यालय उदयपुर से 35 से 85 किलोमीटर तक है। सम्पूर्ण तहसील कृषि पर निर्भर है तथा भूमि के संबंध में छोटे-मोटे विवाद कृषकों के पैदा होना स्वाभाविक है। इन मामलों को निपटाने का कार्य उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का मुख्यालय जिला मुख्यालय पर है। जिला कार्यालय के कई अन्य कार्य भी उपखण्ड अधिकारी के जिम्मे होते हैं। गोगुन्दा क्षेत्र के प्रकरणों में काश्तकारों को, न्याय प्राप्त करने हेतु अपने निवास स्थान से काफी दूरी तय कर विभिन्न वाहनों को बदलते हुए उदयपुर स्थित उपखण्ड कार्यालय में जाना पड़ता है जिससे प्राप्त न्याय काफी महंगा व खर्चीला साबित होता है।

अतः निवेदन है कि आम जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तहसील मुख्यालय गोगुन्दा पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्थापना कर क्षेत्र की जनता को अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों का डामर सड़क से सम्पर्क

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर)के पंचायत मुख्यालयों और सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक की आबादी के गावों को अभी तक डामर सड़क से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विधान सभा के कार्य संचालन के नियमे 295 के अंतर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, उपरोक्त विषय में आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेकों पंचायत मुख्यालय और सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव जो अभी तक पक्की सड़क द्वारा नहीं जोड़े गए हैं, के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय जालसू खुर्द

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

आबादी 1699, नथावड़ा आबादी 1570, घाटा आबादी 1250, बछवारी आबादी 1450, डावोली मीठी आबादी 1022, सूदवाड़ आबादी 1342, पुनास आबादी 950, चोलियास आबादी 690, मोगास आबादी 961 है जो अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक की आबादी वाले अनेकों गांव भी इस सुविधा से अभी तक वंचित हैं। इनमें मुख्यालय ग्राम रेंवत आबादी 1964, आच्छोजाई आबादी 1475, नूंद आबादी 1416, गूंदीसर आबादी 1396, सारसेड़ा आबादी 1316, रावलियावास आबादी 1244, केरोयारावां आबादी 1011, दादरिया कलां आबादी 1330 आदि हैं। इन सभी गांवों को शीघ्र डामरीकृत किया जाए ऐसी मैं पुरजोर शब्दों में सार्वजनिक मंत्रीजी से मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेह सिंहजी।

कुशलगढ़ ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ विद्यालयों के अध्यापकों आदि के लूटे गये वेतन का भुगतान

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत कुशलगढ़ ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय राजीव गांधी शिक्षा सहयोगी का माह सितम्बर, 2002 का वेतन मानदेय लूट होने से अतिरिक्त राशि राज्य सरकार से स्वीकृत कर भुगतान कराने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ब्लाक प्राथमिक शिक्षा, कुशलगढ़ के अधीनस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय/राजीव गांधी शिक्षा सहयोगी का वेतन/मानदेय माह सितम्बर, 2002 का दिनांक 4.10.2002 को डकैतों के द्वारा बैंक से लाते समय लूट लिया गया है। जिसकी कुल राशि 13,34,167/–रुपये है। पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 10,57,550/– की राशि बरामद कर ली है। यह राशि पुलिस हिरासत में है और प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। पुलिस व न्यायालय का प्रकरण काफी लम्बित चलेगा और अध्यापक वर्ग वेतन के लिए काफी परेशान हो रहा है, जिसमें अल्पवेतन भोगी भी हैं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार से अनुमति पर ही वेतन मिलना है।

अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कराकर शीघ्रताशीघ्र वेतन एवं मानदेय भुगतान कराने का श्रम करें।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल खांट।

श्री फतेह सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा

(श्री फतेह सिंह)

कि कुशलगढ़ में लोक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बैंक से पैसा ले जाते समय रास्ते में डकैतों ने उन पैसों को बंदूक की नोक पर लूट लिया और मध्य प्रदेश की ओर वे भाग गये। वह पैसा राजीव गांधी पाठशालाओं में जो लोग लगे हुए हैं, उनका है। मिडल स्कूल के अध्यापकों का है, पैराटीचर्स का है। इतने लम्बे समय से अब तक उनको वेतन नहीं मिला, इसलिए आपकी मार्फत मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रकम किसी अन्य विभाग से लेकर उन कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराया जाए वर्ना 1200 रुपये में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी स्थिति बड़ी गम्भीर है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं, यह पैसा किस रूप में सरकार देगी उसके बारे में मंत्री महोदय कुछ आश्वासन दें तो मुझे लगेगा कि (व्यवधान) वास्तव में, मंत्री महोदय, मैं कह रहा था कि 10 लाख रुपये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, क्षमा चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : तनखाह लेकर चले गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, तकलीफ इस बात की है कि सदन के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने तय कर लिया है कि सदन चले तब तक वह सदन में कभी बिराजें नहीं, क्या पता उनके सुंदर चेहरे को नजर नहीं लग जाए। सभापति महोदय, यहां आपकी नजर होगी, जिन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के तहत हम अपना प्रस्ताव यहां रखते हैं, मंत्रीजी स्थानान्तरण करने में मशगूल हैं। आप कुछ तो प्रताड़ित करें। कुछ तो प्रताड़ित करें इनको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): तनखाह का सवाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आदिवासी इलाके से आए हुए लोग अपनी पीड़ा कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : डकैत पकड़े गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, लाखों रुपया लूटा गया उसकी पीड़ा कह रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): राजीव गांधी पाठशाला में लगे हुए लोग परेशान हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नोट किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): क्या नोट किया है? पूरा बताएं, क्या नोट किया है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दीजिए कि वह बोले क्या। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : मेरा यह प्रश्न था कि 13 लाख रुपये डकैत...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): माननीय सदस्य, उत्तर देने की प्रक्रिया नहीं है। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : राजीव गांधी पाठशालाओं में 1200 रुपये में पैराटीचर्स लगे हुए हैं। (व्यवधान) मिडल स्कूल के अध्यापक हैं, 13 लाख रुपये लूटकर डकैत ले गये, पुलिस ने उस रकम को बरामद किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : न्यायालय में वह प्रकरण चालू है, जब तक उसका निस्तारण नहीं आएगा तब तक यह पैसा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि यह पैसा उनको आप दें, राज्य सरकार की तरफ से किसी मद से उनको स्वीकृत कर दिलाने का सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल खांट। (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : आप कुछ करेंगे? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इसका लिखित में आएगा जवाब । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जीतमल खांट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब हाथ के हाथ मत दीजिए, पर कम से कम थोड़ा यह तो रखें कि...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ये त्रिशूल वाले डकैत तो नहीं थे, जानकारी कर लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी(ऊर्जा मंत्री): आपने परम्परा डाली होती तो हाथ के हाथ देते। (व्यवधान) आपकी ही परम्परा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी: त्रिशूल बांट रहे हो, डकैतियां पड़ेगी और नहीं तो क्या होगा? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मंत्री महोदय, आप बिजली का जवाब तो दे नहीं पाये...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : इन गरीब लोगों का पैसा ही ले जाएंगे । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह आस पास ही...(व्यवधान) डकैती डाली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपने अपने डिपार्टमेंट का तो पूरा जवाब दिया नहीं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से जवाब देते हैं । (व्यवधान) शर्म नहीं आती इनको। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मर रहे हैं रोज काश्तकार बिजली के लिए... (व्यवधान) रो रहे हैं ।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्य ने कही यह बात ...(व्यवधान) वह बहुत योग्य हैं, अपनी बातें ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मर रहे हैं और क्या हो रहा है? 10-10 बार उनकी सीटें भरी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य..

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह तो आपको अब पता लगेगा... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मिर्धा साहब, माननीय मिर्धा साहब। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : फतेह सिंहजी, बिजली का लेओ न जवाब (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मिर्धा साहब, फतेह सिंहजी अपनी पैरवी करने में सक्षम हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय मंत्रीजी किसानों को पीड़ा दे रहे हो। आप यह जवाब दे रहे हो, बिजली का तो दो पूरा। (व्यवधान)

श्री सभापति : मिर्धा साहब, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या कहना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं तो कहना चाहता हूं, आपने अपना जवाब नहीं दिया और मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। (व्यवधान)बिजली का दें पूरा...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : कुशलगढ़ के आदिवासी की हालत बहुत खराब है, वहां की राजीव गांधी पाठशाला में लगे हुए लोगों की...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं हो रहा, काश्तकारों को बिजली मिल रही है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं मिल रही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मंत्री ने वक्तव्य देते हुए...(व्यवधान) मंत्रीजी से सवाल करना चाहते हैं...(व्यवधान) इन्होंने बात छेड़ी है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे ऊपर आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आदिवासी इलाके की... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझूनूं) : जब जवाब नहीं दिया गया...(व्यवधान) मिल रही है, मिल रही है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपेक्षा की जा रही है। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल: मिल रही है कैसे? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : कांग्रेस के राज में आदिवासी के साथ में बहुत बड़ी उपेक्षा की जा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका हिसाब-किताब पूरा हो गया? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, मेरा तो कैसे हिसाब-किताब पूरा हो गया? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हिसाब-किताब तो आपका होगा पूरा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किसानों का हिसाब-किताब पूरा करके जाएंगे। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल: हिसाब-किताब आपका पूरा हो गया। (व्यवधान) अब आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हिसाब-किताब तो आपका हो गया अब पूरा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : होगा कि नहीं होगा यह तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिजली नहीं मिल रही। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : किसान रो रहे हैं, उनकी आवाज आपको..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : +++आपको ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हमारी तो सरकार ही नहीं है, किसको +++ (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : डाक्टर चन्द्रभान ही बढ़िया थे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : ऊर्जावान मंत्री थे वह। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)सभापति महोदय, मंत्रीजी का यह जवाब कि किसान +++ यह क्या जवाब हुआ? किसान तो जिसकी सत्ता होगी उसको। +++ (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : सही कह रहे हैं...(व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार है...(व्यवधान)वहां एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई, लोग...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कितने स्थापित कर दिये? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बीच में कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान की बात करो।

श्री नंदलाल बंशीवाल : राजस्थान की बात कीजिए। गुजरात की बात करते हो, हिमाचल की बात करते हो, राजस्थान की बात करो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : बिराजिए। माननीय खांट साहब, पढ़िए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी व्यवस्था का...(व्यवधान) जवाब दीजिए।

श्री सभापति : खांट साहब, पढ़िए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप दो शब्दों में पढ़िए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे अपशकुन हुए हैं, हिमाचल में बर्फ की हवाएं चल रही हैं, फसल और बरबाद कर देंगे। (व्यवधान) यहां भी अकाल किया और वहां भी अकाल करोगे, आप फसल बरबाद करोगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान आप लोगों के कपड़े फाड़...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान)कोई हमारा राज है। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: दोनों तरफ से रोने की बात कही गई है, दोनों बराबर हो गई। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैंने यह नहीं कहा कि +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे अपशकुन हों, हिमाचल में सरकार लाए हो वहां पर बरबाद करने जा रहे हैं। यहां पर तो बरबाद कर दिया, वहां भी बरबाद करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले आठ साल में बरबाद कर दिया...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश को बरबाद कर दिया और राजस्थान जो अच्छी तरह से खुशहाल...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिजली दे नहीं पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी सरकार आते ही वहां पर अकाल पड़ने वाला है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपने राजस्थान को...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठंडी हवाएं चल रही हैं यहां पर भी, राजस्थान में भी फसल बरबाद होने वाली है। आप लोगों ने...(व्यवधान) आप लोग ऐसे अपशकुन हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यहां भी फसल बरबाद होने जा रही है आप किसानों को ...(व्यवधान) न पानी देते हो, न बिजली

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

देते हो, आप लोग कर क्या रहे हो? (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : ऊर्जावान थे..(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और +++ हमें क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : काश्तकार बिजली के लिए.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोदीजी नीमकाथाना से चोरों को भेजते हैं। (व्यवधान) नीमकाथाना से चोरों को भेजते हैं, कहते हैं त्रिशूल दोषी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराज जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : त्रिशूल वाले तो सारे चरित्रवान हैं आपके पास तो चोर और डकैत आपने इकट्ठे कर रखे हैं। (व्यवधान) आप यहां पर भेजते हो, सारे रास्ते में चोरी डकैती नीमकाथाना के चोर-डकैत करते हैं, उनको मोदीजी भेजते हैं। (व्यवधान) +++ इसलिए त्रिशूल वालों का दोष नहीं है, दोष आपका है। दोष आपका है कि आपने...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी: दोष त्रिशूल का है। राजस्थान में भयंकर त्रिशूल फैला दिया, भयंकर झगड़ा फैला दिया। (व्यवथान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनके माल खाओ। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : डकैत बना दिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिए। (व्यवधान) मोदी साहब, बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : झगड़ों से डकैती नहीं होती। नीमकाथाना में चोरी-डकैती करने वाले हैं...(व्यवधान) वहां से आप सारे राजस्थान में भेजते हो। नीमकाथाना तो प्रसिद्ध है, भई। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नीमकाथाना प्रसिद्ध है।

श्री मोहन लाल मोदी : वह तो आपके और हमारे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नीमकाथाना चोरी-डकैती के लिए प्रसिद्ध है। (व्यवधान) वहां से चोर भेजते हो, डकैत भेजते हो।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, बैठिए आप। (व्यवधान) बिराजिये, खांट साहब।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र की आदिवासी महिला की अकाल से हुई मौत का मुआवजा

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत रोजगार की तलाश में पलायन कर गयी आदिवासी महिला की भूख एवं कुपोषण से मौत–लावारिस लाश मानकर गुजरात पुलिस ने सूरत (अमरेली) में दफना दिया। मृतका के परिवार को दो लाख का मुआवजा राशि देने की मांग के क्रम में।

महोदय, बांसवाड़ा जिले का बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। राजस्थान का दक्षिणांचल क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से जनजाति बहुल है। इस क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी महिला–पुरुष अपने छोटे बच्चों को लेकर रोजगार की जुगाड़ हेतु बड़ी संख्या में पलायन कर गये हैं। वहां पर रोजगार को ढूंढ़ते हुए कई दिनों के बीत जाने के बाद कहीं जाकर रोजगार हाथ लग जाता है तो महीने–दो महीने मजदूरी करने के पश्चात् फिर अन्य जगह कार्य ढूंढ़ना पड़ता है। रोजगार पर गये लोग खुले आसमान के नीचे खुली जमीन पर रहते हैं जहां न कोई झोपड़ी, न ही कोई रहने का आवास है। कड़ी सर्दी व गर्मी में रहकर 6–7 माह तक कठोर परिश्रम करते रहते हैं। वर्षा का आगमन होता देखकर सूने घरों में पुनः लौटते हैं।

क्षेत्र में अकाल राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं खोला है। जहां कहीं भी कार्य चल रहे हैं, अकाल राहत कार्य पर लगने के लिए मजदूर आपस में लड़-झगड़ जाते हैं। मजदूरों को दाम भी पूरा नहीं मिल रहा है।

इन हालात से उबरने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश जनता रोजगार को लेकर गुजरात राज्य में पलायन कर गई है। इसी सन्दर्भ में पंचायत समिति बागीदौरा की ग्राम पंचायत रोहनिया के गांव केचकारी के प्रार्थी श्री अबजी आदिवासी उम्र 40 वर्ष, पत्नी श्रीमती पुंजी देवी उम्र 35 वर्ष, 11 वर्षीय पुत्री, 8 वर्षीय पुत्र, 4 वर्षीय पुत्री सहित रोजगार की तलाश में दो सप्ताह पूर्व घर छोड़कर गुजरात के लिए पलायन कर गये थे। सूरत शहर के पास अमरेली नामक कस्बे तक पहुंचे ही थे कि कोई रोजगार हाथ नहीं लगा । दिनांक 13.01.2003 को अकस्मात श्रीमती पूंजी आदिवासी उम्र 35 वर्ष को भूख एवं कुपोषण का शिकार हो चक्कर आने लगे। देखते ही देखते वह नीचे गिर पड़ी और उस गरीब आदिवासी महिला के प्राण पखेरू उड़ गए।

श्री नंदलाल बंशीवाल : अकाल राहत मंत्रीजी तो यहां हैं ही नहीं, और कोई नोट भी नहीं कर रहा है।

श्री सभापति : कर रहे हैं। माननीय सदस्य, नोट हो रहा है, यह सब लिखा हुआ है।

श्री जीतमल खांट : मृतका का पति श्री अबजी अपने तीन अबोध बच्चों को लेकर विलाप करता रहा। उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। प्रार्थी श्री अबजी

(श्री जीतमल खांट)

को सप्ताह भर से कोई रोजगार नहीं मिला था। मृतका के शरीर को घर लाना चाहता था परन्तु धन का अभाव था। निराश होकर मृतका श्रीमती पूंजी देवी का पार्थिव शरीर वहीं छोड़कर तीन बच्चों को लेकर येन–केन हालत में अपने पैतृक गांव आकर घर परिवार को सारे घटनाक्रम का वृतान्त सुनाया। उसके पश्चात् परिवार के सदस्य मृतका के पार्थिव शरीर को अपने गांव लाने का निश्चय कर दिनांक 15.01.2003 को सूरत (गुजरात) घटना के मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से एवं पुलिस थाने में जानकारी चाहने पर बताया गया कि लाश अज्ञात हालत में थी इसलिए लाश को दफन कर दिया गया है।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अकाल मौत एवं भूख, कुपोषण के शिकार मृतका के परिवार को दो लाख रुपया मुआवजा राशि देकर अबोध बालकों को राहत पहुंचाने का श्रम करें । धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जिले के सिवाणा कस्बे के अन्दर...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : ऐसी एक नहीं और भी घटनाएं हैं (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है...(व्यवधान) आदिवासी औरत भूख से मर रही है।

श्री सभापति : अंकित नहीं किया जाए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : माननीय खांट साहब, जो कुछ आपको कहना था, वह कह दिया है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहना था, लिखकर दे दिया है... (व्यवधान) माननीय अरुण सिंहजी, माननीय सदस्य, बिराजिये। खांट साहब, बिराजिये (व्यवधान) आपको कहना था, वह कह दिया आपने।

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति: कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, आप बिराजिये, । उधर बिराजिये, आप अपनी जगह जाइये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): आपकी अनुमति के बगैर सदन की मेज पर कागज रखे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने इजाजत नहीं दी है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब। कोई इजाजत नहीं है, बिराजिये। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री जीतमल खांट द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री सभापति : इस सदन में सब मामले गम्भीर आते हैं, आप बिराजिये।

श्री फतेह सिंह : सभापति महोदय, सरकार कोई मुआवजा दे इस प्रकार का कोई आश्वासन दे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। फतेह सिंहजी पार्टी के नेता हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री फतेह सिंह : उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या सरकार जांच कराएगी कि जो आदिवासी महिला मरी है...(व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ तो लिहाज रखें, पार्टी नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : XXX

श्री फतेह सिंह: अगर यहां पर मजदूरी मिल जाती तो उस महिला को वहां नहीं जाना पड़ता। इसलिए मैं आश्वासन चाहूंगा कि इस महिला के सम्बन्ध में सरकार मानदेय के सम्बन्ध में कोई बात करे। ये संदस्य यहां बैठे हुए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना वक्तव्य पढ़ा है वह सरकार के पास आ जाएगा। अभी आ गया होगा, सरकार द्वारा जांच करा कर जैसी व्यवस्था वांछित होगी, की जाएगी।

श्री सभापति: माननीय राजेन्द्र राठौड़।

चूरू पोलिटैक्निक कालेज का भवन निर्माण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू में वर्ष 1997–98 में पोलिटैक्निक कालेज स्वीकृत हुआ था तथा इसी वर्ष में सरकार ने 40 लाख रुपये स्वीकृत कर भूमि का अधिग्रहण कर भवन निर्माण प्रारम्भ करवा दिया था। 40 लाख रुपये पोलिटैक्निक कालेज के भवन पर व्यय हो जाने के पश्चात् सरकार ने एक पैसा भी भवन व सामग्री का बजटीय प्रावधान नहीं किया।

वर्ष 2002–03 का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में चूरू पोलिटैक्निक कालेज के भवन व सामग्री हेतु 2.15 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान करने की घोषणा की थी। खेद की बात है कि बजट में घोषणा होने के पश्चात् भी सरकार ने एक पैसा पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर खर्च नहीं किया व बजट में प्रस्तावित राशि को रद्द कर चूरू की जनता के साथ भौंडा मजाक किया है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, यही नहीं, विगत 3 वर्षों से चूरू पोलिटैक्निक कालेज के नाम से विद्यार्थियों की भर्ती बीकानेर पोलिटैक्निक कालेज में की जा रही है तथा चूरू पोलिटैक्निक कालेज का शैक्षणिक स्टाफ भी बीकानेर पोलिटैक्निक कालेज में पदस्थापित कर रखा है। बीकानेर में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 95 प्रतिशत विद्यार्थी बीकानेर व अन्य जिलों के हैं। चूरू जिले के मात्र 3 विद्यार्थी ही अध्ययनरत हैं। सरकार की इस सौतेली नीति की तरफ मैं तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि बजट में की गयी घोषणा के अनुसार 2.15 करोड़ रुपये की पुनः स्वीकृति जारी करें तथा उक्त राशि का उपयोग भवन व सामग्री निर्माण हेतु उपयोग करें तथा चूरू पोलिटैक्निक कालेज में आगामी शिक्षा सत्र से चूरू में ही छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश प्रदान करें ।

श्री सभापति : माननीय श्री केसारामजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

माडर्न इंसुलेटर प्राइवेट लिमिटेड को बिक्री कर में दी गयी छूट

श्री केसाराम चौधरी (खारची): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अकाल के बहुत ही विकट दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस दौर में भी राजस्थान सरकार के मंत्री और सरकार किस तरह से राजस्थान के लोगों की बहुत ही मंहगी और खून-पसीने की कमाई को नियमों में परिवर्तन करके खुर्दबुर्द किये जा रहे हैं, मैं इस पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। बिक्री कर छूट आस्थगन योजना अधिसूचना एफ-4(66)एफ.डी.जी.आर.-4/82-72, दिनांक 26.9.1987 में थी । इसी आस्थगन योजना में संशोधन आदेश 13.9.2001 के जरिये (अधिसूचना क्रमांक एन.एफ.-4(60)एफ.ओ. टैक्स-99-90)आर.एस.टी.में छूट सीमा 15 वर्ष के लिये बढ़ा दी गयी। इसी योजना में 13.2.2003 को संशोधन करके सी.एस.टी. में ही एक अधिसूचना जारी की गयी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने इस छूट को जो पहले आस्थगन के तहत 9 वर्ष के लिये दी थी, पूरे राजस्थान में किसी एक कम्पनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये 15 साल तक बढ़ा दिया और उसके बाद उसी कम्पनी के लिये फिर नियमों में 13.2.2003 को सी.एस.टी.में छूट प्रदान की जा रही है। वह छूट इसलिये दी जा रही है कि वह किसी मंत्री विशेष के रिश्तेदार हैं। लेकिन पूरे राजस्थान में अमेंडमेंट करके किसी एक फैक्टरी को लाभ पहुंचाना कहां तक उचित है? मगर उसमें भी करीगरी करने में थोड़ी-सी चूक रह गयी। 13.9.2001 से 13.2.2003, एक वर्ष 3 माह जिसमें छूट नहीं थी उसका टैक्स करीबन 2 करोड़ रुपये होता है, वह 2 करोड़ रुपये का टैक्स

(श्री केसाराम चौधरी)

विधिसम्मत है, जो छूट देने के पहले का टैक्स है वह भी वे जमा नहीं करा रहे हैं। मैं यहां पर सीधा-सीधा आरोप लगाता हूं +++ के ऊपर और यह कहना चाह रहा हूं कि +++ आपने आपके परिवार विशेष माडर्न इंसुलेटर प्राइवेट लिमिटेड, आबू रोड जिसके डाइरेक्टर हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो यह कह रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ कहा जा रहा है इसलिए यह अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : पहले सूचना देनी चाहिए।

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह बिना नोटिस के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। नोटिस देकर लगाएं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : नोटिस दिया है क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आसन के द्वारा जब ये निर्देश दिये गये कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह निकाल दिया जाए, उसके बाद में यह उसको रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ये अंकित ही नहीं किये गये हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : यह परोक्ष रूप से फिर वही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित ही नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप बिलकुल निश्चित कहेंगे कि उनका भाषण हो ही नहीं। परोक्ष रूप से दिया जा रहा है। आप कहिये कि यह नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी के लिए जो कुछ भी कहा है अंकित ही नहीं हुआ है। माननीय मंत्रीजी के लिए जो आपत्तिजनक बात कही है, वह मैं निकाल दूंगा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : XXX

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री दिग्विजय सिंह : आप नियम पढ़ लो, नियमों में कहीं लिखा हुआ है। आप उसके बाद में ही जितना बोलना चाहे, बोलो। जितने चाहे आरोप लगाएं लेकिन पहले आप सूचित कर दो कि यह है ताकि मंत्री और सदस्य तैयार होकर आएं और वे जवाब भी दे सकें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी। यह हो गया। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि माडर्न इंसुलेटर प्राइवेट लिमिटेड, आबू पर्वत, जिसके डाइरेक्टर हैं एस.एस. रांका, उन्होंने किसी तरह से मिलीभगत करके एक वर्ष और तीन माह का टैक्स, जिसमें छूट नहीं थी, वह दो करोड़ के बराबर है और वह टैक्स भी हड़पने की साजिश उनके द्वारा रची जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान प्रदेश की गरीब जनता का जो पैसा है वह पैसा कम से कम राजकोष में जमा हो और उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाए। यह जो 9 साल से 15 साल की छूट दी गई है...(व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, माननीय सदस्य। माननीय श्री संयम लोढ़ा। हो गई न बात, हो गई। हां, श्री संयम लोढ़ा। नम्बर भी है।

ग्रामदानी ग्राम सभाओं की स्थिति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और सदन का ध्यान उस व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं होने की वजह से काफी समस्याएं और कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, देश के आजाद होने के बाद हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने जनता में नैतिक भावना के विस्तार और प्रसार का जो प्रयास किया, उसी का नतीजा था कि आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से बड़ी संख्या में डाकुओं ने समर्पण किया, हथियार डाले। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों पर लोगों ने अपनी जमीनें दान में दी और ग्रामदानी व्यवस्था के माध्यम से परिकल्पना की गई कि समाज को बेहतर, अच्छा और स्वशासी बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में तब छह लाख बीघा भूमि के दानपत्र प्राप्त हुए और उसमें से कृषि योग्य तीन लाख बीघा भूमि आबंटित की गई। माननीय सभापति महोदय, लोगों में एक अलग उत्साह का माहौल था, एक अलग समर्पण का भाव था। 2000 से अधिक गांवों ने इस बात की

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

घोषणा की कि वे यह ग्रामदानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं लेकिन तब सरकार के द्वारा 215 गांवों को यह कानूनी मान्यता दी गयी, जिसमें से 203 ग्राम सभाएं क्रियाशील हैं।

माननीय सभापति महोदय, उस व्यवस्था का संचालन करने के लिए तत्कालीन राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 तथा उसके बाद राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 बनाया गया। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम की धारा पांच के अनुसार ग्रामदान कार्यक्रम के लिए भू-दान बोर्ड को ही राजस्थान ग्रामदान बोर्ड माना गया। माननीय सभापति महोदय, आज पिछले करीब तीन साल से इस भू-दान बोर्ड में अध्यक्ष और सचिव का मनोनयन तो कर दिया गया लेकिन सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया उसकी वजह से इस पूरे बोर्ड की कार्य प्रणाली ठप पड़ी हुई है।

इसके अलावा जिस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि समय के साथ कई परिवर्तन आये, देश के संविधान में संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के जरिए जो नया पंचायती राज कानून लागू हुआ उसमें ग्रामदान कानून की धारा 43 को, माननीय सभापति महोदय, निरस्त कर दिया गया। जब इस ग्रामदानी व्यवस्था और इस ग्रामदानी गांव के आन्दोलन से जुड़े हुए लोगों ने राज्य सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन सितम्बर, 2001 को अपने पत्र से यह अवगत कराया कि ग्रामदानी ग्राम सभाओं को राजस्व अधिकार तथा विकास कार्य दिलाये जाने एवं राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम की धारा 43 को बहाल करने के सम्बन्ध में आपका पत्र क्रमांक 987, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 के सन्दर्भ में मेरे द्वारा वैधानिक स्थिति का परीक्षण कराया गया। राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम, 1971 की धारा 43 का विलोपन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124(2) के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधियों को संविधान के उपबन्धों के अनुरूप करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम की धारा 43...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड। यह काफी लम्बा चैप्टर है। मेरे खयाल से आप पर्ची के माध्यम से आप जो कहना चाहते हो आप वह कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं लास्ट में। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा ग्रामदानी ग्राम सभाओं को पंचायत से अलग कोई स्वतंत्र इकाई नहीं माना जा सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिलकुल ठीक बात है। बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बात ही नहीं आयी, माननीय सभापति महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं अभी विषय पर चल रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तो बात ही नहीं आयी, माननीय सभापति महोदय, मैं तो भूमिका रख रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं कि यह लम्बा इतिहास है, पुरानी बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, इस उपबन्ध के अस्तित्व में आने से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जिले की और आबू रोड तहसील के 100 ग्रामदानी ग्रामों में ग्राम सभाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, आज संकट क्या खड़ा हो गया? इन सारे गांवों में ग्राम पंचायतें खड़ी हो गई। ग्रामदानी सभी अपनी जगह है, लेकिन उनके किस मामले का निर्धारण कौन करेगा, कौन उनको पट्टा देगा, राजस्व मामलों का फैसला कौन करेगा, इस बात को तय करने का कोई माध्यम नहीं रह गया है। सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय सदस्य, आप विद्वान हैं, इस पर्ची के माध्यम से जो आप कह रहे हो वह समस्या का समाधान हो सकता है क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन...(व्यवधान) मैंने प्रश्न के माध्यम से विधान सभा के सदन के अन्दर कई बार इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय सदस्य। खैर, अब आप बोलिये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो माननीय सभापति महोदय, पहली बार निर्वाचित होकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत वरिष्ठ हैं आप, बहुत वरिष्ठ हैं, संक्षेप में आप समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही अहम सवाल है, यह आपको भी जानकारी है। मेरे यहां भी है, ये ग्रामदानी ग्राम सभाओं, ग्रामों की जो समस्याएं हैं, वे बहुत अहम हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप सरपंच और पंच की स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत अहम है, लेकिन इस प्रक्रिया से इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। आप फर्माइये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करूंगा, आप सहमत होंगे कि मैं किस बिन्दु पर आ रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीनें जिनकी खातेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम पर थी, इन ग्राम सभाओं ने पलट कर सामान्य वर्ग के लोगों के नाम पर कर दी। सरकार के रिकार्ड पर यह आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकार्ड पर आ गया। कलक्टर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी। आज उसके डेढ़ साल गुजरने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा : कलक्टर यह कहता है कि वे सक्षम हैं, ग्राम सभा उनका सर्वोच्च न्यायालय है, हम कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान) सरकार की नीति स्पष्ट तो करें कि जिन ग्रामदानी गांवों में यह व्यवस्था रही है, आपके इस संवैधानिक संशोधन के बाद उन ग्रामदानी गांवों की क्या स्थिति रहेगी। क्या वे आपके राजस्व विभाग के माध्यम से संचालित होंगे? क्या आपके पटवारी, आपके तहसीलदार, आपके कलक्टर वहां पर काम करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? राजस्व मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्री महोदया यहां बिराजमान हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं लगातार पिछले दो साल से इस मामले को सरकार के ध्यान में ला रहा हूं, अब आप स्पष्ट करें कि अब इसमें क्या व्यवस्था लागू करना चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं पहली बार संयम लोढ़ाजी की बात का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभा किसी के नाम जमीन नहीं कर सकती है, वह सारी खातेदारी ग्राम सभा के नाम होती है। यह माननीय सदस्यों को गलतफहमी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा नहीं है। माननीय मोदीजी, ऐसा नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी:...(व्यवधान) के नाम भी नहीं कर सकती।

श्री जीतमल खांट : मेरे यहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ज्यादा है और वहां के आदिवासी ज्यादा प्रभावित हो रहे है। मैं चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 को जिस तरह से विलोपित किया है उसी तरीके से इस ग्रामदानी को भी समाप्त करके पंचायती राज को सौंप देना चाहिये ताकि सारी व्यवस्था सुचारू ढंग से चले।

श्री संयम लोढ़ा : जो भी हो, माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी नीति बता दे कि वह इस पर क्या करेगी? आप ग्रामदानी व्यवस्था को या तो खतम कीजिये...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पर्ची के माध्यम से आप सरकार की नीति जानना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तो फिर किसलिये पूछते हैं, माननीय सभापति महोदय?

श्री सभापति : सरकार की नीति जानना चाहते हो और...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्न के माध्यम से पूछे तो कोई जवाब नहीं दे, मिलकर पूछे तो जवाब नहीं दे, रिकार्ड सरकार के पास भिजवा दें तो जवाब नहीं दें। फिर किस तरीके से जवाब मिलेगा, सभापति महोदय?

श्री सभापति : यह मेरे बस में नहीं है लेकिन पर्ची के माध्यम से सरकार की नीति आप जानना चाहो तो यह सही नहीं है। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़, बोलिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : इसमें कई तरह की उलझने हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदया यहां बिराजमान है।

श्री सभापति : आप बिराजो न। आप बिराजें, श्रीमान्‌जी, आपकी बात आ गयी। आपकी बात सरकार के सामने चली गये, मंत्री महोदया के सामने चली गयी और इस संबंध में जो कानून आने वाला है उसमें आपको पूरी बोलने की छूट दी जाएगी, आप बिराजें। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

जोबनेर नगरपालिका चेयरमैन के भ्रष्टाचार प्रकरण की जांच

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, तीन दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना उत्तर दे रहे थे, बड़े जोर-शोर से उन्होंने एक बात कही थी कि "सूचना आपकी और जिम्मेवारी सरकार की"। मैं मुख्य मंत्रीजी के उसी संदेश के अन्तर्गत इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने अभी थोड़ी देर पहले खारची से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुना था, कोई ऐसा दिन नहीं जब सदन के अन्दर और सदन के बाहर इस सरकार को चलाने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता हो। भ्रष्टाचार की गंगोत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जब ऊपर से बहती हो तो नीचे जो छोटे स्तर के जन प्रतिनिधि हैं.. (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री मोहन लाल मोदी : आप पर कितने लगे हैं? यह तो लगते रहते हैं। सरकार में बैठे हैं तो लगेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बहुत अच्छा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जब ऊपर से यह गंगोत्री बहे और जब "सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का" इसी तर्ज पर मैं आपका ध्यान ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पर्ची "रंगे हाथ पकड़े जाने" की है, उस पर आप आ जाइए न सीधे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपका ध्यान जोबनेर नगरपालिका के चेयरमैन जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उनको 21.2.2003 को दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, पहली बार नहीं, इन चेयरमैन साहब को सरकार में बैठे उच्चस्थ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के विशेष कृपा पात्र हैं यह। चेयरमैन साहब की शिकायत इसी सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों ने 18.1.2002 को एक शिष्टमण्डल के रूप में मुख्य मंत्री से मिलकर की। एक लम्बी फेहरिस्त उन्होंने दी और यह कहा कि इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में 25 लाख रुपये की जो नगरपालिका की जमीन थी, उसी पर अतिक्रमण करके, नियमन करके गड़बड़ी की है। यही नहीं, जब मुख्य मंत्री से न्याय नहीं मिला तो, सभापति महोदय, वहां के लोग लोकायुक्त में गये। 26.2.2002 को लोकायुक्त कार्यालय में उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज हो गया और परिवाद दर्ज होकर इनकी जांच प्रारम्भ हो गयी। परिवाद का नम्बर है–एफ. 216/267/लो. कार्या/2001/10725 सभापति महादय, यही नहीं, जब यह चेयरमैन साहब अपने कार्यकलापों को, कुकृत्य को जारी रखते रहे तो लोगों ने मजबूरन न्यायालय में 156(3) में इस्तगासा किया। 156(3)का इस्तागासा एफ.आई.आर. में दर्ज हो गया। एफ.आई.आर. है 77/2002, दिनांक 2.4.2002, अन्तर्गत धारा 420, 467,468 थाना जोबनेर।

सभापति महोदय, अब 21.2.2003 को एक गरीब आदमी रईस मोहम्मद पुत्र गफूर मोहम्मद जो कृषि पर्यवेक्षक के रूप में नौकरी कर रहा है, उसने बताया कि जब मैंने इनसे मिला और यह कहा किमुझे भवन बनाना है और मैंने सारी औपचारिकता पूरी करके पत्रावली आपके यहां दाखिल कर रखी है, लम्बा समय हो गया है, मुझे इस पत्रावली के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति दो तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं खाली इस तरह काम नहीं करता क्योंकि मुझे कई जगह पर इस राशि को पहुंचाना पड़ता है, बंटवारा होता है। मैं इसमें दस हजार रुपये लूंगा। सभापति महोदय, जब इस आदमी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ए.सी.डी. में जाकर शिकायत की तो ए.सी.डी. के एडिशनल एस. पी. छतरसाल सिंह के नेतृत्व में पूरी रचना करके इनको रंगे हाथ पकड़ा गया।

सभापति महोदय, एक तरफ सरकार नागरिक अधिकार पत्र में कहती है कि भ्रष्टाचार के जहां मामले हों, उन मामलों को सरकार के ध्यान में लाया जाए सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने का स्वांग भरती है। उसी सरकार ने किया क्या? सभापति महोदय, रंगे हाथ पकड़े गये 21 तारीख को, 27.2 को इस गरीब कृषि पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण करते हैं चंडाबल, सोजत में। माननीय मंत्री महोदय आप कहो तो मैं आदेश क्रमांक लिखा। कृषि मंत्रीजी यहां हैं नहीं। न जाने किसके दबाव से उसको कहा गया कि आपने जो रंगे हाथ पकड़वाने का काम किया या तो आप एफीडेविट दे दो। वरना उसका स्थानान्तरण किया चंडाबल। और स्थानान्तरण भी किसके पास किया गया? जोबनेर के सहायक निदेशक के पास। वे सहायक निदेशक महोदय उस चंडाबल, सोजत में काम करते हैं, रईस मोहम्मद को वहां भेजा गया। यह कहा कि आप या तो अपने इस वाद को वापस ले लो, एफीडेविट दे दो, वर्ना, उसने यह कहा कि मैं आपको निलम्बित करूंगा।

अब, सभापति महोदय, एक व्यक्ति रिश्वत ले वह सत्तारूढ़ दल के लोगों से संबंधित है इसलिये उसको यह अधिकार प्राप्त है कि रिश्वत ले। और जो पकड़ा जाए। पकड़ाने के लिये जिस आदमी ने सारा काम किया, वह गरीब कृषि पर्यवेक्षक, उसको इस सरकार को साधुवाद देना चाहिए। सरकार कहती है सूचना आपकी और जिम्मेदारी सरकार की। सतर्कता आयुक्त लगाने की बात सरकार कहती है, नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से बड़ी–बड़ी, लम्बी–लम्बी बात सरकार कहती है, पारदर्शी और स्वच्छता की बात सरकार करती है, परन्तु होता क्या है? सभापति महोदय, उस गरीब व्यक्ति का स्थानान्तरण इसलिये कर दिया गया कि वह दबाव में आ जाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, पर सरकार की उप मुख्य मंत्री महोदया वहां बैठी हैं, सरकार के दूसरे केबिनेट मंत्री यहां बैठे हैं, अपको सदन में आगे बढ़कर यह कहना चाहिये। रंगे हाथ पकड़ा है ए.सी.डी. ने, ए.सी.डी. ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस ने सारी कार्यवाही की। सभापति महोदय, आप कहे तो मैं पुलिस की कार्यवाही पढ़कर सुनाने को तैयार हूं।

श्री सभापति : नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपका कहना सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परिवादी। रईस मोहम्मद ने श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघवी, चेयरमैन नगरपालिका, जोबनेर द्वारा उनके मकान–दुकान के नामान्तरकरण करने एवं भवन निर्माण की स्वीकृति की एवज में दस हजार रुपये रिश्वत प्राप्त करना पाया गया। यह कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 713 (डी.)(2)करप्शन एक्ट, 1988 में दण्डनीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। इसलिये सुरेन्द्र कुमार सिंघवी को जुर्म वारदात करते हुए गिरफ्तार किया गया। यह सारा मामला है। गिरफ्तार हुए। और जिस आदमी ने शिकायत की, उसका स्थानान्तरण हो गया। अगर पाक साफ है सरकार का दामन तो, मंत्री महोदय और उप मुख्य मंत्री महोदया आपको आगे बढ़कर कहना चाहिए। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही समाप्त कर दी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तक उनको निलम्बित नहीं किया जो पकड़े गये।

डा. (श्रीमती) कमला : कार्यवाही तो हो रही है न। इसलिए बीच में आप जो निर्णय दे रहे हैं, वह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी सरकार ने जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, एक–दो नहीं, तैंतीस नगर पालिकाओं के चेयरमैनों को सस्पैण्ड किया। उनमें से 32 लोगों को हाइकोर्ट ने वापस उसी कुर्सी पर बैठाया। एक तरफ सरकार राजनैतिक साजिश रचकर, राजनैतिक विचारधारा के आधार पर जन प्रतिनिधियों को सस्पैण्ड करती है और जो जन प्रतिनिधि.... (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय इतने केसेज बता रहे हैं कि राजनैतिक विद्वेष से किया, एक–एक विवाद को, एक एक केस को देखने पर बताया जा सकता है कि आप किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं और वह कार्यवाही किस दृष्टिकोण से या किस आधार पर की गयी। इसलिए इस तरह से सरसरी तौर पर... (व्यवधान) आप बीच में न बोले। वह बोल रहे हैं न। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गये? आप कुछ सुनना चाह रहे हैं कि बोलना चाह रहे हैं? (व्यवधान) आपके एक वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आपको जरूरत कहां पड़ गयी?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं इनसे ज्यादा वरिष्ठ हूं, 1985 में आया हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : इनको स्पष्ट करने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। वह खुद ही बहुत सक्षम हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं इनसे ज्यादा वरिष्ठ हूं। मैं 1985 से आया हूं, यह 1990 से आये हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : वह खुद ही बहुत सक्षम हैं अपनी बात को कहने के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप मुझे इतना जूनियर क्यों मान रहे हैं? मुझे इनसे जूनियर क्यों मानती हो, मैडम? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप अब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जरा रोकिये इनको। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : फर्क इतना-सा है कि यह मंत्री रह लिये, मैं मंत्री नहीं रहा। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, यह सही नहीं है इस तरह का तरीका। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि आप कोई भी सरसरी तौर पर इस तरह के आरोप नहीं लगाएं कि राजनीतिक कारणों से ऐसा कर दिया और फिर यह हो गया। एक एक मुद्दे का जब विश्लेषण किया जाएगा तब पता लगेगा कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि आपके ए.सी.बी. ने इन चेयरमैन साहब को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और जिस आदमी ने 10 हजार रुपये रिश्वत दी वह आपकी सरकार में कृषि पर्यवेक्षक के तौर पर बहुत लो-पैड कर्मचारी है। आपने उस चेयरमैन को आज तक सस्पैण्ड नहीं किया, वह तो बदस्तूर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस गरीब कृषि पर्यवेक्षक का ट्रांसफर सोजत, चंडाबल में इसलिए कर दिया कि वहां के असिस्टेंट डाइरेक्टर जो वहां काम कर रहे हैं, उनकी शिकायत भी उस ज्ञापन में लोगों ने लोकायुक्त में तब की थी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप वरिष्ठ हो, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप क्या इस चीज को उचित मानती हैं कि कोई रंगे हाथ पकड़ा जाए और शिकायतकर्ता सरकार का मुलाजिम हो, उसका स्थानान्तरण कर दें? इसको उचित मानते हों तो मुझे कुछ ही नहीं कहना है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह तो सम्बन्धित मंत्री महोदय अपना विवरण दे सकेंगे, मेरे पास इसका विवरण है नहीं। बाकी मैं यह कह सकती हूं कि जिसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, वह कार्यवाही जारी है, वह बन्द नहीं हुई।

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, बन्द की बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज इस पूरी घटना को लगभग 15 दिन हो गये और वह चेयरमैन वहीं है, जबकि वह गरीब कृषि पर्यवेक्षक, ट्रैप हुआ उसको चौथे दिन उसका स्थानान्तरण हो गया। मुझे, उप मुख्य मंत्री महोदया, आप से बहुत उम्मीद थी।

डा. (श्रीमती) कमला : मेरे पास जानकारी ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इस सदन में कई मामलों की साक्षी रही हो, मैं समझता हूं आप बड़ी विदुषी महिला और सदन में मौजूद हो....

डा. (श्रीमती) कमला : आप इतना सारा विशेषण लगा कर बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस मुद्दे की मुझे जानकारी नहीं है उस बाबत मैं कोई अंतिम आपको अभी नहीं सुना सकती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप विदुषी नहीं हो तो आप कह दो।

डा. (श्रीमती) कमला : जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वह इसको स्पष्ट कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह तो कह दें कि पूरे प्रकरण को आप दिखवाएंगी उप मुख्य मंत्री के नाते।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं यही तो कह रही हूं। प्रकरण तो अभी निर्धारित है और अभी उसकी सारी कार्यवाही चल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप कार्यवाही करवाएंगी।

श्री सभापति : होगी, होगी, जांच होगी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : प्रकरण की कार्यवाही जब चल रही है तो निश्चित रूप से उससे सम्बन्धित मुद्दों पर कार्यवाही भी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसका ट्रांसफर कर दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी : वहां से उसकी बदली तो कर दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया, सवाल यह नहीं है, वह नहीं कहते कि चेयरमैन के खिलाफ आप कार्यवाही करो। वह एक विषय है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह हिम्मत की कि उस अफसर को या चेयरमैन को रिश्वत लेते पकड़ा दिया, उसका ट्रांसफर आपने इसलिए कर दिया। उसकी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : मैं समझ रही हूं इस बात को और समझते हुए यह कह रही हूं कि इस प्रकरण का अंतिम दौर में जब निर्णय होता है तो पता लगेगा कि उसको इस कारण से ट्रांसफर किया या और किसी कारण किया? वह सारा प्रकरण बन्द तो हुआ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसा प्रकरण ?

डा. (श्रीमती) कमला : यही जांच का।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जांच के लिए नहीं कह रहे वो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय शर्माजी, एक सैकण्ड मेरी सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आदेश है, 21 तारीख को ट्रेप हुआ, 27 को ट्रांसफर। आप कहो तो मैं टेबल कर दूं?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, एक मिनट मेरी सुन लीजिये।

(श्री सभापति)

यहां न तो किसी का ट्रांसफर होता है न कोई रूकता है। आपने अपनी बात कह दी, बहुत प्रभावी ढंग से कह दी है और सरकार इस पर पूरा गौर करेगी।

श्री अमीन खान।

सीमावर्ती जिला बाड़मेर में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, बाड़मेर के सीमावर्ती जिले में और विशेष कर मेरे क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें हैं उनका स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। मिडल स्कूल, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की, मुख्य अध्यापकों की इतनी भारी कमी है जितनी राजस्थान के किसी इलाके में नहीं है। हमें अफसोस है, इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं, कि अभी कुछ दिन पहले समानीकरण में जब अध्यापकों के तबादले हुए तो इस साल जो मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुई उसमें 6–6 अध्यापक लगा दिये पैसे खाकर और जो दो साल से मिडल स्कूल है, तीन साल से मिडल स्कूल है उसमें आज की तारीख में एक–एक अध्यापक प्राइमरी वाला ही चल रहा है।

सभापति महोदय, ऐसा इसलिए कि बाड़मेर जिले में जो शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, शहर के इर्द–गिर्द जो स्कूलों में जाना चाहते हैं वे उन क्लर्क और शिक्षा अधिकारियों को रिश्वत के रूप में पैसे देकर नजदीक पहुंचना चाहते हैं और वे उन स्कूलों में बगैर पोस्ट सैंक्शन के भी 6–6 अध्यापक लगा देते हैं। मैं मंत्रीजी को उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि इस साल मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति बाड़मेर में बक्ते की बेरी में स्कूल क्रमोन्नत हुई है, उसमें 6 अध्यापक भेज दिये। जबकि उसी पंचायत समिति में खारिया राठौड़ान, लकड़ियाली इन स्कूलों में एक–एक टीचर जो पुराना प्राइमरी का है, वही है। एक–दो जगह पुराने प्राइमरी टीचर जो बाहर के जिलों के थे, वे भी तबादला होकर चले गये, स्कूलें बन्द पड़ी हैं।

पूरे हिन्दुस्तान में बाड़मेर जिला शिक्षा के स्तर से नीचे है और उसमें भी हमारे सीमावर्ती इलाके में शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और जो अध्यापक लगे हैं उनका वहां से तबादला नहीं होने दिया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी पैसा खा कर एक जगह 6 अध्यापक भर देते हैं और एक जगह एक भी टीचर नहीं, यह वहां की जनता के साथ अन्याय है। हमारी बात जिला शिक्षा अधिकारी कतई नहीं सुनते हैं। एक क्लर्क जो उनकी दलाली करता है, उनकी सुन कर इसकी व्यवस्था करते हैं इसलिए मैं इस सदन में मंत्रीजी को और सरकार को पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ इस तरह से अन्याय नहीं हो, इसका पक्का जाब्ता किया जाए।

श्री सभापति : अकाल पर चर्चा।

माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित) माननीय श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट ठहरिये आप। हां, आप शुरू कीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं): सभापति महोदय, मैं अकाल के बारे में कोई लम्बा-चौड़ा ज्यादा कहना नहीं चाहता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा: सभापति महोदय मैं सरकार के समक्ष एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप ठहरिये। हां, बोलिये, बोलिये, शुरू कीजिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय....

श्री सभापति : दूसरे मैम्बर बोल लें उसके बाद आपको समय दे देंगे। आप मौजूद ही नहीं थे, मैं क्या करूं उसका।

श्री हरजीराम बुरड़क: सभापति महोदय, मौजूदा समय में जो अकाल की स्थिति है, राजस्थान में तीन-चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अकाल के नाम से ही अकाल में लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है।

श्री देवीसिंह भाटी: सभापति महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी का दायित्व आज किस के पास है, थोड़ा पता तो लग जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: सभापति महोदय, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: वह बोल लें, क्या कह रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: भाटी साहब, एक मिनट। सिर्फ एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, वह बोल रहे हैं। आप ही के सदस्य बोल रहे हैं क्या है?

श्री देवीसिंह भाटी: वह एक ही बात है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, कोई भी मंत्री यहां मौजूद हों वह अपने आप नोट करेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी: क्या बात है, क्या बात है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) वो क्या जरुरी कहना चाहते हैं, सुन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं तो कौन नोट करेगा यहां? कोई नोट ही नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह आ गये मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी: आप नोट तो करो।

श्री सभापति : आप क्या फर्माना चाहते हैं? बुरड़क साहब, एक मिनट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: सभापति महोदय, एक तारीख को रात को मुख्य मंत्रीजी ने मेरे यहां छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में नाइट स्टे किया और उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेस ली। उसमें अखबार वालों को बताया...

श्री सभापति : यह कोई अर्जेंट मैटर नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: उसमें कहा कि सड़क में इतने गड्ढे हैं कि मेरी तो कमर ही टूट गयी। यह खाली छबड़ा का ही सवाल नहीं है, राजस्थान का भट्ठा इन मुख्य मंत्री ने बिठा दिया है। पूरे राजस्थान की सड़कों पर गड्ढे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो यातायात के काबिल है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई अर्जेंट मैटर नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, सभापति महोदय, एक मिनट का समय दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सवाल यह नहीं है कि सड़क पर गड्ढे हैं, सवाल यह है कि मुख्य मंत्रीजी की नाजुक कमरिया में बल आ गया। हमें तो चिंता इसकी है, मुख्य मंत्रीजी की नाजुक कमरिया में मोच आ गयी। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की हालत क्या है, वह बता दीजिये।

श्री भगवान सहाय सैनी : सभापति महोदय, हर विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़कों के काम चालू हैं और राजस्थान की सारी सड़कें अच्छी हो रही हैं। बी.जे.पी. के 9 साल के राज में खड्डे थे उन खड्डों को कांग्रेस सरकार ने चार साल में भरने का काम किया है। (व्यवधान) आज राजस्थान में सड़कों की दशा बहुत राज्यों से अच्छी स्थिति में है। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह आकर सदन का समय बरबाद करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, आपको भी जानकारी है कि हरेक विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव बेनीवाल : मरम्मत के कार्य भी सरकार ने करवाये हैं।

श्री सभापति: बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : शनिवार को कोटा से बारां तक का मार्ग मुख्य मंत्रीजी ने सहायता से पार कर लिया। (व्यवधान) यात्रा में उन्होंने अपनी वेदना लोगों के सामने आकर बयान कर दी।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री मोहन लाल मोदी: सभापति महोदय ये किस नियम से बोल रहे हैं, यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार: माननीय सदस्य जबरदस्ती बोल रहे हैं। आपने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बुरड़क साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: जनता की पीड़ा को समझते हुए गहलोत ने कहा कि कुछ घंटे के सफर में मेरी कमर दर्द करने लग गयी है तो उस क्षेत्र के लोगों का क्या हाल होता होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बिराजो।

श्री संजीव कुमार: किस नियम में बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं, यह तो बताओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि हर विधायक के पास जब सड़क मरम्मत के लिए पैसा है तो वह खर्च क्यों नहीं कर देते? मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह।

श्री संजीव कुमार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का आपने नाम पुकार लिया फिर काहे पर बोल रहे हैं? क्या बात है? (व्यवधान)

श्री सभापति: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बिराजो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी: मैंने और वसुन्धराजी ने मिलकर हमारे क्षेत्र की सड़कों के लिए, छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के लिए एक करोड़ रुपये हमारे फण्ड से दिये हैं। राजस्थान सरकार ने चार साल तक खड्डे भी नहीं भरे हैं मेरे क्षेत्र की जनता के। मुख्य मंत्रीजी की कमर इतनी नाजुक है क्या जो उनकी कमर में दर्द हो गया? पेट दुःख ने लग गया?

श्री सभापति : मुख्य मंत्रीजी खुद सक्षम हैं, आप उनकी चिन्ता मत कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सवाल यह नहीं है कि सड़क में खड्डे हैं, सवाल यह है कि मुख्य मंत्रीजी की नाजुक कमर में लोच आ गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, 600 करोड़ रुपये इसी के निमित्त रखें हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय प्रताप सिंहजी। माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए।

श्री संजीव कुमार : काहे पर बोल रहे हो? आपने नाम पुकार लिया फिर क्यों बोल रहे हैं ये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी सदन में आये नहीं...

श्री सभापति: आप बिराजिए। कोई इजाजत नहीं है। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : आप बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : एक सैकण्ड। माननीय

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

सुराना साहब, अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय नहीं हैं और आपके सचेतक सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतना गम्भीर मामला है, अकाल पर कल इतनी सुन्दर चर्चा हुई, मेरे खयाल से उस डिबेट के स्टैण्डर्ड को नीचा मत कीजिए और आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करें । मैं प्रताप सिंहजी से भी कहना चाहता हूं कि बार-बार रोजाना इस प्रकार के चुटकुले बीच में, सुन्दर लगे वह तो कह दो आप लेकिन मुख्य मंत्रीजी की कमर का दर्द आपको नहीं होना चाहिए। माननीय सुराना साहब, आप सहयोग करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना: आपके फर्मान के बाद पूर्ण शांति हो गयी है और जो माननीय सदस्य वहां से पधारे हैं उन्होंने भावनाएं व्यक्त की वे भी आपकी जानकारी में आ चुकी हैं। आप अकाल पर चर्चा शुरू करिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, बिना नियम के नहीं। सब आ गया न। अब इनको कंट्रोल कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जीतमल खांट : XXX

श्री सुमित्रा सिंह : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सुराना साहब बोल रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना: सभापति महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि विपक्ष अकाल की बहस के लिए बिलकुल तैयार है, आप बहस को शुरू करें। अनावश्यक इन्टरवेंशन कोई भी सचेतक महोदय या मंत्री महोदय भी नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं कहना अच्छा रहेगा। । आप बहस शुरू होने दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): मैं वही कह रहा हूं मैं बहस से सम्बन्धित ही बात कह रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना: आपके बैठते ही बहस शुरू हो जाएगी और अनावश्यक बहस करनी है अनेक मुद्दों पर तो आप बोलें ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं बहस के सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं । आपसे भी और आसन से भी कुछ अनुरोध करना चाह रहा हूं । आपने प्रशंसा की और आपने

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

की कि कल अकाल पर सार्थक बहस हुई, आज तीन मंत्रियों के जवाब आने हैं।

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** मैं आपकी मार्फत सदन के जितने भी माननीय सदस्य इस बहस में भागीदारी अदा कर रहे हैं, आसन से भी अनुरोध कर रहा हूं और उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को आप कृपया समय सीमा से पाबन्द करें। मेरा प्रस्ताव है कि दस मिनट का समय पर्याप्त है। (व्यवधान)

श्री सभापति: ठीक है। आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं। आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिए। क्यों करते हो? छोड़ो इस बात को।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य। फतेह सिंहजी, इनको कंट्रोल कीजिए। आप बिराजो।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** मैं सरकार तक आपकी बात पहुंचा दूंगा ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : XXX

श्री सभापति : आप बिराजो । बहुत हो गया । माननीय बुरड़क साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, जहां तक समय का सवाल है, मुख्य सचेतक महोदय ने जो दस मिनट का सुझाव दिया है, मैं मेरी बात पांच मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : ऐसा मत कीजिए। आप नाराज मत होइये।

राज्य में अकाल, पेयजल व पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) **:** जहां अकाल प्रबन्धन का सवाल है, लगातार चार-पांच साल से पड़ रहे अकाल में अगर कोई यह चाहे कि जो जमाना था वैसी व्यवस्था सरकार की तरफ से या कोई संस्थाओं की तरफ से या दूसरी तरफ से हो जाए, यह सम्भव नहीं है। अकाल की तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय में जो अकाल सहायता के कार्य शुरू किये गये हैं, वे समय से काफी पहले शुरू कर दिये गये। जैसा कि आप सबको जानकारी है, इस वर्ष जिस समय अकाल राहत कार्य शुरू किये गये, आज तक राजस्थान में अकाल राहत कार्य इतनी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जल्दी कभी भी शुरू नहीं किये गये। हमेशा फरवरी के आसपास छुटपुट कार्य शुरू होते हैं। लम्बा समय लेने के कारण इसमें आर्थिक भार बढ़ा है और जो पीक समय सहायता आएगी उस समय तक राज्य सरकार के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अब विपक्ष द्वारा बार-बार यह कहना कि राज्य सरकार अकाल सहायता में कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा कोई भी काम सही है या गलत है, इसका भेद नहीं हो रहा है। जो सही है उसको भी गलत कह रहे हैं और गलत है, उसको गलत कह रहे हैं इससे इनकी बात का प्रभाव सरकार पर और लोगों पर नहीं पड़ रहा है। आप हल्ला करके अखबार में नाम छपवा ले लेकिन अखबार अकेले आप ही नहीं पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं। उसमें वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कौन सही बात को सही कह रहा है, कौन सही बात को गलत कह रहा है।

जहां तक मजदूरों की संख्या बढ़ाने का सवाल है, यह बात सभी वक्ताओं ने कही है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी इस अकाल की समस्या के समाधान में यही लोगों की मांग है। जो मौजूदा समय में आपने व्यवस्था कर रखी है कि एक महीने में दस-दस दिन से मजदूरों को पलटकर दूसरे मजदूरों को लगाया जाय, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे जो संख्या है वह हर महीने एक के बजाय तीन हो गयी और इससे लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है।

जहां तक मजदूरी के भुगतान का मामला है उसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी लोगों के सामने नहीं है क्योंकि समय पर भुगतान हो रहा है। कहीं तकनीकी कर्मचारी की कमी के कारण कोई दिक्कत हो जाए, वह बात अलग है। पुराने जमाने में अकाल सहायता का भुगतान अकाल सहायता का कार्य समाप्त होने के बाद तक भी नहीं होता था।

अकाल सहायता में मुख्य तीन काम मेरी नजर में हैं-पहला रोजगार, दूसरा पानी और इसके साथ में बिजली को भी जोड़ना जरूरी है। जिस प्रकार आप अकाल सहायता में लोगों को रोजगार, पशुओं को चारे और पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं उसी हिसाब से बिजली को भी अकाल सहायता में जोड़ना चाहिए। जहां कुओं से सिंचाई का क्षेत्र है वहां पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिजली काश्तकारों को दे सकें तो उससे उन काश्तकारों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही अकाल में चारे की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

जहां तक बिजली देने का सवाल है, इसे अकाल सहायता से नहीं जोड़ने के कारण लोगों के सामने बड़ी कठिनाई हो रही है। आप लोगों को मजदूरी देने के लिए काम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चला रहे हैं, अगर कुओं को पर्याप्त बिजली मिलेगी तो वहां भी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इसको रोजगार के साथ भी और पशुओं को चारे की समस्या के निदान के साथ भी जोड़ना चाहिए।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, वहां पर मैं देख रहा हूं कि बिजली भी दूसरे क्षेत्र से मेरे वहां ठीक मिल रही है और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि मेरा क्षेत्र ऐसा है कि 150 गांवों में से 120 गांवों में पानी दूसरे क्षेत्रों से आता है। लम्बी-लम्बी पाइप लाइनें हैं, तीस-चालीस किलोमीटर तक पाइप लाइनों से पानी पहुंचाया जा रहा है, फिर भी इस समय तक पानी की कोई समस्या नहीं है न कोई ऐसा गांव बचा है जिसमें टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता हो।

जहां तक मजदूरी का सवाल है उस मामले में आपको मजदूरी की संख्या बढ़ानी चाहिए, मेरा विशेष रूप से निवेदन है। फेमिन रिलीफ आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, सिवाय महिलाओं के कोई पुरुष मजदूर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब आपने पुरुषों की जगह महिलाओं की रिजर्वेशन 33 प्रतिशत सब जगह किया है और करने की बात चल रही है तो क्या फेमिन वर्क में आप ऐसा नहीं कर सकते? कम से कम तीस प्रतिशत तो पुरुषों को जाना चाहिए। जहां पर ऐसी संख्या नहीं है वहां आप यह आदेश कर दीजिए कि जहां पर 33 प्रतिशत...(व्यवधान) कि जहां पर मिनिमम संख्या, आप तीस कर दीजिए, चालिस कर दीजिए, पच्चीस भी कीजिए, वह पुरुषों की संख्या नहीं होगी वहां फेमिन वर्क बन्द कर देंगे। कहीं भी आप चले जाओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल सहायता मंत्री) : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। अगर सदन इस तरह की बात कहेगा तो मेरे को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह रोजगार एक तरफ तो आप दे रहे हैं दूसरी तरफ ....

श्री रामनारायण चौधरी : यह सम्भव नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सम्भव-असम्भव वह तो अलग बात है...(व्यवधान) सम्भव पहले नहीं था।

श्री मोहन लाल मोदी : जब 100 की 100 प्रतिशत महिलाएं आ रही हैं तो आपको रिजर्वेशन की कहां जरूरत आ गयी इसके अन्दर?

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं आ रहे थे, सभी जगह पुरुष आ रहे थे। नगरपालिकाओं में, पंचायतों में सभी जगह आ रहे हैं फिर भी...

श्री मोहन लाल मोदी : पुरुष कहीं भी नहीं आ रहे। आप यह देख लीजिए कि दस प्रतिशत बड़ी मुश्किल से पुरुष आते हैं इसमें।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कह देना।

श्री मोहन लाल मोदी : आपको सुझाव ही दे रहे हैं कि आप इसमें संशोधन कर ले थोड़ा सा।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको क्या एतराज है, सुझाव है उनका। महिलाओं का महत्व बढ़ रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : महत्व बढ़ रहा है फेमिन में। अब आप विधान सभा में लाओ ना सारी की सारी।

श्री रामनारायण चौधरी : लाओ ना, कौन रोकता है?

श्री हरजीराम बुरड़क : आप रोकते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : महिलाएं काम कर लाती हैं तो ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं मेरी बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कह देना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आप फिर खड़े हो गये, बैठिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वरिष्ठ मंत्री हो चुके हैं और पहले पूछ रहे थे आसन से कि किस नियम में खड़े हुए, आप किस नियम में खड़े हो रहे हैं बार-बार यह बताने की कृपा करेंगे? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मैं बात कहकर बैठ गया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : गांवों में बिजली तो पूरी देते नहीं, रात को बच्चे पढ़ नहीं सकते, गांवों में बिलकुल अन्धकार और फिर बीच-बीच में बोलते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में आप खड़े हो रहे हो। आप वरिष्ठ मंत्री हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप अपना विभाग तो सम्भालो।

श्री सभापति : मिर्धा साहब, बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप अपनी बात में कह देना और अभी कहना चाहो तो यह बात कहो आप कि फेमिन के कारण से आपने कितनी ज्यादा बिजली दी। वैसे आप रोज दे रहे हो, वह अलग बात है। आपने बीच में खड़े होकर यह तो कह दिया लेकिन आप यह घोषणा करो कि हम कितनी बिजली ज्यादा देंगे, सिर्फ फेमिन की वजह से जहां फेमिन में कुएं चलते हैं, जहां एग्रीकल्चर वैल हैं, जहां पर आपको चारे की जरूरत है, रोजगार की भी जरूरत है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह प्रश्न भी आपने गलत कर लिया। यह प्रश्न भी आप फेमिन मंत्री से कह सकते हैं कि आपने फेमिन में बिजली कितनी ज्यादा दिलवायी। यह इनसे करते।

श्री देवीसिंह भाटी : बिजली के करंट लगाकर मार दो सबको। इतना तो कर सकते हो? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : ऐसा है, मैंने यह गलत कह दिया कि फेमिन से बिजली का संबंध है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैंने गलत कैसे कह दिया? लोगों के संबके समझ में आ रही है, काश्तकारों को समझ में आ रही है, सारी पब्लिक के समझ में आ रही है। फेमिन की वजह से अगर कुओं में बिजली आप ज्यादा दोगे तो पुशओं को चारा पैदा होगा, पशुपालकों को लाभ होगा और कुओं पर काम करने के लिए मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। आपने इसको अलग कैसे मान लिया? यह तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी से भी ज्यादा बिजली जरूरी है। फेमिन से सम्बन्धित है।

श्री रामनारायण चौधरी : दे रहे हैं ना तो।

श्री हरजीराम बुरड़क : इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, यह सदन आज अकाल, पेयजल और पशु संवर्द्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहा है माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि गुजरात की लपटें कुछ शांत हुईं और अब हिमाचल की खुशगवार हवा ने, आप देख रहे हैं कल से मौसम को कितना सुहाना बना दिया है कि आज हमारे प्रतिपक्षी सदस्य भी जिन्होंने अपनी जर्सी, स्वेटर और कोट भी उतार दिये थे, वापस उनको धारण करके यहां आए हैं।

(13. 30 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

इनकी गरमी जो गुजरात से चढ़ी थी, वह हिमाचल ने निकाल दी... (व्यवधान) आप सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ प्रतिपक्षी सदस्य इस अकाल की चर्चा के दौरान राज्य सरकार पर अनर्गल इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि आपको केन्द्र से जो सहायता मिली थी आपने उसका पूरा उपयोग नहीं किया है। दूसरी तरफ अकाल का जो कुशल प्रबंधन राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल राहत मंत्रीजी ने किया है, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कुछ चीज तो इसमें अच्छी होगी? पहली बार 16 अगस्त से राहत कार्य खोले गये, क्या यह गलत है? खोले गये अगर सही था तो आप में से एक की भी क्या जबान नहीं थी कि इस अच्छे काम की तो कम से कम सदन में तारीफ करते? आप सुन लीजिये...(व्यवधान) मैंने क्या किया... आप कहां थे, कहां से बाद में कैसे आए, वह अपनी पर छोड़ो। कोई दूध का धुला नहीं है। जिनका खुद का मकान शीशे का बना होता है वे दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं उछालते हैं। सुनिये...(व्यवधान)माननीय, मेरा तो फौलाद का बना हुआ है, आप मेरी बात छोड़िये। आप मेरी चिन्ता छोड़िये। मुझे आधे घंटे का समय आपने दिया है अगर यह इंटरप्ट करेंगे तो उस समय को इसमें काउंट मत कीजिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तो मैं निवेदन कर रहा था, क्या यह सम्भव है कि राजस्थान में चार करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाए? क्या यह सम्भव है? रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करते तो इसका विकल्प क्या था? क्या आप में से किसी ने भी इस बात पर कोई सुझाव दिया? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या अकाल कोई व्यापार है? अकाल कोई मुनाफा कमाने का काम है? अकाल प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार का यह धर्म बन जाता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिसको रोजगार की आवश्यकता है उसको रोजगार दें। जिस पशु को चारे की आवश्यकता है उसके लिये चारे का प्रबंध करें। और जिसको पीने की आवश्यकता है उसे पीने का पानी मुहैया कराया जाए। इसलिये अकाल राहत कार्य घर में माल भरने के लिये नहीं खोले जाते हैं। अकाल राहत कार्य खोलने के पीछे हमारी भावना यह होती है कि इस बुरे वक्त में उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें ताकि वह अपना दो टाइम का भोजन खा कर चला जाए। राज्य सरकार ने उसकी व्यवस्था की है।

मैं पूछना चाहता हूं आपसे निःशक्तजन जो शारीरिक रूप से काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं, राज्य सरकार ने ऐसे लाखों लोगों को घर बैठे–बैठे प्रति माह पचास किलो गेहूं और तीस रुपये नकद देने का काम किया, क्या यह भी गलत था? क्या आप चाहते थे यह नहीं हो? (व्यवधान) आप सुन लीजिये। किसी ने भी किया, सरकार ने किया है। (व्यवधान) अब आप और सुनिये। केन्द्र सरकार पर भी, माननीय नंद लालजी, मैं अभी आ रहा हूं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खिलाफ हैं इस चीज के कि घर बैठे किसी निःशक्तजन को जो राहत कार्य पर कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको पचास किलोग्राम गेहूं और तीस रुपये दिया जाएं? राज्य सरकार ने यह गलत काम किया है? अगर अच्छा काम किया है तो आपके मुंह में जबान नहीं थी कि आप अच्छे काम की तो तारीफ करते? सरकार ने जो प्रबंधन किया, कुछ तो अच्छा होगा? क्या सारा बुरा ही बुरा किया? या अच्छे काम की तारीफ करने में भी आपको शर्म आती है? प्रतिपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि पहले इतनी बार अकाल आया है, कभी इस तरीके के कार्ड दिये गये? कभी किया था ऐसा प्रबंध? पहली बार राहत श्रमिकों को इस तरीक के कार्ड दिये गये हैं जिससे पारदर्शिता झलकती है। उसमें नाम लिख लिये गये उसके परिवार के। जिस बार उसका नम्बर आना है तब ही उसका नम्बर आएगा, कोई भी चाहे तो उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता है। न कांग्रेस का एम.एल.ए. कर सकता है, न बी.जे.पी. का भूतपूर्व मंत्री कर सकता है। इस तरीके का प्रबंध पहले कभी हुआ था? यह काम भी आपको अच्छा नहीं लगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : पहले इसलिये नहीं हुआ कि बी.जे.पी. के राज में अकाल पड़ा ही नहीं। यह फालतू की बात करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अकाल नहीं पड़ा आप यह बात रिकार्ड पर कह रहे हो?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बी.जे.पी. के आठ साल के शासन में छह बार अकाल पड़ा और जितने गांव में पड़ा है, जवाब दूंगा तब बताऊंगा। और जो सी.आर.एफ. का पैसा था वह भी आपने खर्च नहीं किया, वह बचा कर रखा जो आपकी... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई अकाल पड़ा ही नहीं, भैरोंसिंहजी के राज में तो बाढ़ें आईं, खूब पानी आया। कोई अकाल पड़ा ही नहीं। जनता से पूछें जनता क्या कहती है। आप क्या जवाब दोगे? जवाब देने लायक ही नहीं हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह आंकड़े बताते हैं, मैं जवाब दूंगा तब बता दूंगा। 25-25,000 गांव डिक्लेयर किये हैं और रुपये केवल 40 करोड़ खर्च किया आपने। ये मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो स्तुति गान करेंगे क्योंकि नये नये कांग्रेस में शामिल हुए हैं, परन्तु आपके बयान से क्या होने वाला है? जनता जानती है कि जब भी आप आए हो अकाल के अलावा कुछ पड़ा ही नहीं। आप अकाल के अलावा कुछ लाए ही नहीं। आपने कभी कोई व्यवस्था की नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इतना असत्य मत कहिये। मेरी बात इतनी भी गलत हो, आप मुझे कह सकें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चार साल से अकाल पड़ा है...(व्यवधान) और काम आपने शुरू करा दिया है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिये, एक मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अकाल राहत का काम चार साल से शुरू क्यों नहीं हुआ? आपने 16 अगस्त, 2002 से क्यों शुरू किया? चार साल से तो भूखा मार दिया जनता को...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आसन पैरों पर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जनता भूखी मर गयी अकाल राहत में...(व्यवधान) यह 16 अगस्त की डींग मार रहे हैं, 16 अगस्त से पहले आपने क्यों नहीं कराए? क्या कर दिया 16 अगस्त को? आपने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दे दिया गया, वहां काम मिलता नहीं है, वहां से लोग लौटकर आते हैं। यह तो स्तुति गान करेंगे, यह तो खुशामद करेंगे...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे नाम लेना पड़ेगा। माननीय सदस्य, मुझे नाम लेना पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो सरकार के गुण गाएंगे, क्यों नहीं? दुबारा टिकट चाहिये। नहीं तो वह टिकट काट देंगे। माहिर आजाद साहब का टिकट कट जाएगा।

श्री सभापति : माननीय आहूजा साहब, आप बिराज जाएं। मुझे नाम लेना पड़ेगा आपका, आप बिराज जाएं। आसन पैरों पर है, आप बिराज जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चार साल से क्या कर रहे थे?

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजिये। आसन का आप लोग आदर करिये। माननीय सदस्य, आप इस विवाद में नहीं पड़े अकाल किनके समय में पड़ा है और नहीं पड़ा है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है, किसी सरकार से कोई नहीं है। इसलिये इस विवाद में नही पड़े।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई चाहता थोड़े ही है कि अकाल पड़े। ये तो चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके पैर भारी हैं। सत्तारूढ़ पार्टी...

श्री रोहिताश्व कुमार : इन्होंने कार्ड दिखाकर कोट किया है कि ऐसा कार्ड पहले कभी बना नहीं। जब अकाल ही नहीं पड़ेगा तो कार्ड बनाने की जरूरत कहां पड़ गयी?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको आपत्ति क्या है?

श्री सभापति : यह आप, माननीय सदस्य...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कोई गलत चीज तो नहीं दिखायी। मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि इस कागज से इनको तकलीफ हो रही है और अटरू से आने वाले माननीय सदस्य त्रिशूल दिखा रहे थे तब कुछ नहीं हो रहा था। बैठ जाइये, डाक्टर साहब, मुझे मेरी बात कहने दीजिये। आप लाठी दिखाओ, आप तलवार दिखाओ...

श्री रोहिताश्व कुमार : यह जो कह रहे हैं कार्ड...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : त्रिशूल तो आतंकवादियों के लिये है। आप आतंकवादी हैं क्या? आप कोई देशद्रोही हैं? आप तो देशभक्त हैं ना? राष्ट्र द्रोहियों के लिये है। बार–बार त्रिशूल, त्रिशूल...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठ जाइये। अच्छा साहब आपने परसों कुछ और कहा, और आज कुछ कह रहे हैं, आपकी जबान ही नहीं है। इनकी जबान एक नहीं है। मैं कुछ कह दूंगा फिर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राष्ट्रद्रोहियों के लिये है, आतंकवादियों के लिये है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उडीसा की विधान सभा में आतंकवादी बैठे थे क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : मै निवेदन कर रहा था, कुशल प्रबंधन की जो अच्छी चीज है उस अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिये। आपको याद होगा, मैंने साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने पर प्रतिपक्ष के माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद) ..

नेता की भी तारीफ की थी। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत में जो काम चल रहे हैं उनमें क्या बी.पी.एल. के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है? उनमें ए.पी.एल. को लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है? क्या उसमें एस.टी., एस.सी. के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है? मैं खुद कई जिलों में जाकर अंकाल राहत कार्यों का जायजा लेकर आया हूं, देखकर आया हूं। अकाल राहत के जहां काम चल रहे थे वहां पहली बार ए.एन.एम. मिली। ए.एन.एम. मिलती नहीं थी, चाहे कोई भी किसी तरीके का हो जाए। वहां ए.एन.एम. का अभाव था। मैं पूछना चाहता हूं, इसको आप अकाल का कुशल प्रबंधन नहीं कहेंगे? पहली बार राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल आफिसर बनाया है अकाल राहत काम का जायजा लेने के लिये। आप भी साथ थे। पता नहीं, अपन अचानक गये थे...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : पता था इसलिये सारे अधिकारी मौजूद थे। वह प्रोग्राम का पता था।

श्री कन्हैया लाल : माहिर आजादजी, आप मेरे क्षेत्र में जाते, ए.डी.एम. वहां एक नहीं लगा हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जाकर आएं वहां की बात बताएं। (व्यवधान) आप तो बहुत समझदार आदमी हैं...

श्री कन्हैया लाल : आप मेरे क्षेत्र में नहीं जाते, आपने एक दिन नहीं देखा मेरे क्षेत्र को कि वहां क्या हालत हो रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नम्बर आए तब आप कह देना बात।

माननीय सभापति महोदय, एक बात के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज तक यह बात कहते थे कि अकाल में भ्रष्टाचार होता है, मैं कल से सुन रहा हूं और मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी सुना, एक भी प्रतिपक्षी सदस्य अकाल राहत काम में भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि फलां जगह भ्रष्टाचार है। कहीं भी नहीं दे पाये। अकाल राहत कार्यों में जो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह बिलकुल असत्य है। कल पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सूरतगढ़ का बी.डी.ओ. पूरा घोटाला कर रहा है। सत्ता पक्ष के पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पूरा घोटाला कर दिया। मैंने शिकायतें की, सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। या तो यह है कि वे जो शिकायतें कर रहे हैं वे असत्य हैं या जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह असत्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : जिला कलक्टरों के माध्यम से सूचना मंगाएं...(व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : माहिर साहब, कल मैंने बताया भ्रष्टाचार कितना हुआ अकाल राहत कार्यों के अंदर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दौसा के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दौसा में हो रहा है, तो दौसा में तो आप करवा रहे हो। वहीं खड़े रहो आप। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : तीन–तीन मंत्री हैं राज के। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : असत्य वाचन कर रहे हैं...(व्यवधान) कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं...(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : बाजार में बेच दीं, माहिर आजाद साहब 111 बोरियां गेहूं की। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : दौसा में कोई अकाल की शिकायत नहीं है। (व्यवधान) दौसा जिले में नहीं है। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं ना। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : क्या कह रहा हूं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जब आप अपना वक्तव्य दें तब बोल देना।

श्री नंदलाल बंशीवाल : दौसा में तीन तीन मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पत्र आप सदन की मेज पर नहीं रखें।

श्री नंदलाल मीणा : गेहूं बाजार में बिक गया, वे पकड़े गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो मंत्री रहे हुए हो। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पूरे जिलों के जिला कलक्टरों के माध्यम से सूचना एकत्रित करवायी जाए कि भ्रष्टाचार के कितने मामलें सामने आये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत के कैसे हमारे ऊपर आरोप लगाये गये। हिमाचल के जो चुनाव परिणाम आये हैं उसकी कुंठा है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : दौसा से तीन–तीन मंत्री हैं क्या वे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं.? (व्यवधान) दौसा से तीन–तीन मंत्री आते हैं।

श्री सभापति : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री नंदलाल मीणा : सभापति महोदय, जब माहिर साहब ने यह कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मैंने सदन के पटल पर वह डाकूमेंट रखे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल नहीं हो रहा है, सारे काम ईमानदारी से चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : 111 बोरी आदिवासी मजदूरों के नाम पर गेहूं आया था, उसको बाजार में बेच दिया, पकड़े गये और गरीब लोग...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : सभापति महोदय, जिला कलक्टरों के माध्यम से जानकारी की जाए कि कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। आपने जो दस्तावेज दिये हैं, सरकार के यहां से जवाब, आप माननीय मंत्री महोदय को दे दें वह जांच करवा लेंगे। (व्यवधान) आपकी जांच हो जाएगी।

श्री नंदलाल मीणा : वह मंत्री महोदय तक पहुंचाएं उन्हें शिकंजे में जकड़ा जाए। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे...

श्री मदन दिलावर : अबकी बार जितना अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री नंदलाल बंशीवाल : दौसा के तीन तीन मंत्री क्या वहां भ्रष्टाचार करवा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपा करके आप बिराजें। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) माहिर आजाद साहब, आप जारी रखें। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : दौसा के तीन–तीन मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लेकिन क्या भ्रष्टाचार चलता रहेगा? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मंत्रीजी को बताया था कि मेरे यहां पर पांच रुपये लेकर मजदूरी पर लगाया जाता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद, आप आसन की तरफ देखकर बोलें।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पीछे से वार कर रहे हैं, सामने से नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो इधर देखें। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि आपका जब मौका आएगा तब बोलें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग भूखे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य। आपकी तो आदत ही हो गयी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार जोरों से फैल रहा है...(व्यवधान) औरों को मौका देना चाहते हो, और कितना भ्रष्टाचार कराना चाहते हो अकाल राहत कार्यों के अंदर?(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन सुन लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी बिराजें। आपने तय कर रखा है कि एक बैठे, एक उठ जाए। एक खड़ा होता है, एक बैठता है। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह त्रिशूल-त्रिशूल का नाम ले रहे थे...(व्यवधान) यह भड़काने वाली भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं?(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह स्तुतिकरण करें, यह खुशामद, करें, यह श्रद्धांजलि अर्पित करें, हमें समझ में आता है, लेकिन त्रिशूल-त्रिशूल क्यों बोलते हो? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 11 सौ बोरी गेहूं छबड़ा में, अकाल राहत कार्यों का...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 11 सौ बोरी गेहूं अकाल राहत कार्यों का...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके वरिष्ठ सदस्य मंत्रिमण्डल के पूर्व सदस्य देवीसिंहजी फर्मायेंगे तब एक-एक बात को वह रखेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 11 सौ बोरी तो कलक्टर को ही जा चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अकाल राहत कार्यों का गेहूं पकड़ा जाता है, एस.डी.ओ. छोड़ देता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजें। माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ हो गयी है यह सरकार (व्यवधान) यह पेट भर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : अकाल राहत मंत्री भी यहां पर बिराजमान नहीं हैं, सी. पी. जोशी, आपका भविष्य उज्जवल था परन्तु इस वजह से अंधकारमय हो रहा है कि आप भी ऐसी बातों से किनारा कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के आदिवासी मजदूरों के लिए, असहाय लोगों के लिए जो गेहूं आया है, अकाल राहत के अन्तर्गत वहां की सहकारी समितियों ने खुले बाजार में बेच दिया और आज दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य दिलावरजी, बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें, यह तो इनको कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपानाथ, बिराजें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। सरकार इसको संरक्षण दे रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मेरे मुंह में ये शब्द डाल सकते हैं क्या? मेरी इच्छा होगी जो बोलूंगा। सही है या गलत है इसका फैसला आसन करेगा, इन्हें थोड़े ही करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हर चीज की सीमा होती है, आप सीमा को पार न करें। आसन की भी सीमा है, आप अगर आसन का अनादर करेंगे तो आसन को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। आप जारी रखें, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन आपसे कर रहा था...(व्यवधान) मैं क्या बोलूंगा, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिये, मैं आसन से अपनी बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पहली बार अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है, ईमानदारी से अकाल राहत कार्यों का प्रबंधन किया जा रहा है।

श्री जीतमल खांट : इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस तरीके से कह रहे हैं, यह गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या जलदाय मंत्रीजी इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र नहीं हैं कि नलकूपों से चाहे हैंड पम्पों से, चाहे टैंकरों से, चाहे रेलगाड़ियों से पानी मंगाना पड़ा, इन्होंने अकाल के समय में लोगों को पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम किया है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गर्मी आने दो, गर्मी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मैंने इस सदन को बार-बार अवगत कराया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह जो गलत काम किया है...(व्यवधान) पशुपालन मंत्री महोदय ने जो पशुओं का टीका एक रुपये में लगता था उसको कम करके 25 पैसे में टीका मुहैया कराया, यह क्या गलत काम किया है? क्या आप इसकी आलोचना कर सकते हैं? आप में से अगर पशुपालकों के समर्थक हो तो क्या एक भी आदमी ने इस बात की तारीफ की है? राजस्थान में अशोक गहलोत ने टीकाकरण का अभियान चलाकर पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम की है, टीके को एक रुपये से 25 पैसे किया है, आप किन किन अच्छे कामों को नकारेंगे, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं?

श्री मदन दिलावर : यह कौनसा टीका है जो 25 पैसे में आता था?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कौनसा टीका है जो एक रुपये से 25 पैसे में आया है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने टीका भेड़ों के लगाने की बात की है, मदन दिलावरजी के जो टीका लगा है मैं उसकी बात थोड़े ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : टीका अभी लगा दिया क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे क्या लगेगा, वह मैं अभी लगा दूंगा, अगर मुझे ज्यादा छेड़छाड़ी करने की कोशिश की, यह सुन लेना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या लगा देंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह कह रहे हैं, यह बात कर रहे हैं छेड़छाड़ी की, मैंने आज तक किसी को नहीं छेड़ा। यह इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं इस सदन में आकर।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्षमता ही नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : छेड़ने लायक हो क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस राजस्थान सरकार ने अकाल की प्राकृतिक आपदा के समय राजस्थान में 80 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं, रोजगार दिया है, क्या यह भी गलत काम किया है? आपके मापदण्ड इतने गलत हैं, मैं आपको कल पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय प्रतिपक्ष की नेता के बीच जो डिबेट हुई है, उसका कुछ आपको यहां उदाहरण देना चाहता हूं। "प्रतिपक्ष की नेता सोनियाजी राजग सरकार और प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ, अब तक तो रोजगार के साढ़े तीन करोड़ अवसर होने चाहिये थे।" "प्रधानमंत्री वाजपेयीजी जब हम यह कहते हैं कि एक करोड़ को रोजगार दिया जायेगा तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सरकार एक करोड़ लोगों को बुलाएगी और उन्हें रोजगार देगी।" लेकिन जब विपक्षी सदस्यों ने प्रतिपक्ष की नेता सोनियाजी की बात का समर्थन किया तो वाजपेयीजी संजीदा हो गये और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने रोजगार का वादा किया था तो इसका मतलब सरकारी नौकरियां नहीं थीं। हमारा आशय आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना था। हमने 2002-03 में 84 लाख, 2001-02 में 73 और 2000-01 में 79 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए। (व्यवधान) ताली मत बजाओ सुनो आगे।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं में पैराटीचर्स को नौकरी दे तो आप उसे नौकरी मानने को तैयार नहीं हो और दिल्ली में कहीं रोजगार

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के अवसर प्राइवेट नौकरी में भी हों और फैक्ट्रियों में कहीं भी कोई कर्मचारी काम कर रहा है, बेलदारी भी कर रहा है तो आप उसको रोजगार कहो। सभापति महोदय, इनके दोहरे मापदण्ड देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष एक तरफ तो कहते हैं कि आप कर्ज लेकर भी राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराओ और दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्थान सरकार कर्ज के भार को बढ़ा रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ यह कि योजना का आकार घटा रहे हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि योजना कम करके आप अकाल राहत में लगाओ। एक तरफ तो कहते हो कि केन्द्र की आलोचना मत करो, आप केन्द्र से सहायता मांग रहे हो। दूसरी तरफ स्वयं राजस्थान सरकार के अच्छे कामों की आप तारीफ नहीं करते और खूब राग अलापते हो और आलोचना करते हो। इस पर यूं भी कहते हैं कि हमारे यहां पर नलकूप खोद दो, हमारे यहां पर श्रमिकों की संख्या बढ़ा दो। जिस काम के लिए आप दूसरों की आलोचना करते हो, वही काम आप स्वयं कर रहे हो, ''पर उपदेश कुशल बहुतेरे''।

एक तरफ आप कहते हैं कि वसुन्धरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी क्योंकि यह राजस्थान की बहू है। तो क्या सोनिया गांधी हिन्दुस्तान की बहू नहीं हैं? उनको प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है? वसुन्धरा राजे राजस्थान की बहू है और सोनिया गांधी हिन्दुस्तान की बहू नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आप बता दो कि सोनियाजी क्या हिन्दुस्तान में पैदा हुई थी? कौन है सोनिया गांधी?

श्री मदन दिलावर : वसुन्धरा राजेजी भारतीय हैं, सोनिया गांधी विदेशी महिला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : +++ क्या बात करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : केवल वसुन्धरा राजे स्वदेशी महिला है। (व्यवधान) +++ बहुत अंतर है, साहब। +++

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : सभापति महोदय, अकाल पर बहस कर रहे हो या विदेशी महिला को हिन्दुस्तानी कहने पर बहस कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा राजे और सोनिया गांधी में बहुत अंतर है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) **:** मध्य प्रदेश से तो आई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इनके बेचने के बाट तो दूसरे और खरीदने के बाट दूसरे। इनका इन्साफ देखो, क्या करना चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कांग्रेस की मुखालफत करके आये हैं आप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नंदलाल मीणा : माननीय सदस्य, आप सोनिया गांधी का असली नाम बता सकते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आज उसी की तारीफ कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप सोनियाजी के भक्त हैं, सोनियाजी का असली नाम क्या है, आप बता सकते हैं सदन में? उनका असली नाम बताइए सदन में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वसुन्धरा राजे का क्या नाम है?

एक माननीय सदस्य : उनका असली नाम वसुन्धरा राजे है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठ जाओ आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सोनिया गांधी का असली नाम बता दीजिए आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सोनिया गांधी का असली नाम सोनिया गांधी।

श्री नंदलाल मीणा : जय जयकारा कर रहे हो तो बोलो असली नाम। आप बताओ उसका असली नाम? (व्यवधान) असली नाम बता दो उनका।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माहिर साहब, आपको तो यहां बैठने का हक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सोनिया गांधी के बचपन का नाम बता दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके बचपन का नाम बताऊं क्या? मैं बताता हूं, उनका बचपन का नाम है एंटोनियो मारियो, यह लो। (व्यवधान) और बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एंटोनियो मारियो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी?

श्री धर्मपाल चौधरी : एंटोनियो मारियो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मां का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा सुनो आप, अटलजी की मां का नाम बताना, क्या है? (व्यवधान) आप मेरे से जिद करोगे, क्या बात करते हैं आप? +++ कुछ तो शर्म करो।

श्री महादेव सिंह : आप जानते हैं आडवाणीजी के पिताजी का नाम?

श्री धर्मपाल चौधरी : ताजा-ताजा दल बदल कर आये हैं इसलिए +++ कर रहे हैं। (व्यवधान) आपको मंत्री बना देंगे (व्यवधान) आप जैसे दलबदलू दल बदल कर आये उतरे हाथी पर से कर आए हो ताजा-ताजा। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : ये भी दल बदल कर आए हैं। आप भी तो दल बदल कर गये थे।

श्री महादेव सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप अटल बिहारी वाजपेयीजी के पिताजी का नाम बता दीजिए। आडवाणीजी के बाप का नाम बता दीजिए, मां का नाम बता दीजिए। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप पहले युवक कांग्रेस के महामंत्री हुआ करते थे, आप भी तो दल बदल कर आये हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको तो किसी का पता नहीं, इनको तो खुद का ही पता नहीं, +++आप दूसरे की क्या पूछ रहे हो इनसे, खुद का ही नहीं पता है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, +++

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका है? वह क्या कह रहे हैं, यह नहीं सुना उन्होंने? क्या कहा? यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप शब्द वापस लो। (व्यवधान) वापस लो।

मोहम्मद माहिर आजाद : वापस ले लिए, वापस ले लिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो आप पर हम कहने लगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तय कर रखा है मुझे टोकने के लिए। आप आसन से बात करो। मैं बरदाश्त नहीं करता। न मैं किसी को टोकता हूं, न मैं किसी का टोकना बरदाश्त करता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी: सभापति महोदय, मां-बाप का नाम आने के लिए क्योंकि फिर हम बोलेंगे तो....

श्री जीतमल खांट: सभापति महोदय, अकाल का गम्भीर विषय है।

श्री धर्मपाल चौधरी: आप इसमें से निकलवाओ।

श्री सभापति : आप मुझसे क्या चाहते हो?

श्री धर्मपाल चौधरी: इन्होंने कह दिया, आप कार्यवाही से वापस निकलवाओ।

श्री सभापति: वापस ले लिया, इन्होंने कह दिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी: कार्यवाही में से निकालो।

श्री हरिसिंह (महुवा): कह दिया न।

श्री धर्मपाल चौधरी: यह इस कार्यवाही से निकालो। (व्यवधान) विधान सभा की कार्यवाही में से निकलवाओ। किसकी माफी मांगी? कहने से क्या, यह कुछ भी कह देंगे कल?

श्री सभापति : वापस ले लिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या कह दिया +++ नहीं पता, क्या मतलब है इसका ?

श्री सभापति: इन्होंने वापस ले लिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी: यह सदन की मर्यादा है? किसी के मां-बाप का नाम ...

श्री सभापति: इन्होंने कह दिया कि वापस ले लिया... (व्यवधान) इन्होंने शब्द वापस ले लिये।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी: किसने शुरू किया था? आपने शुरू किया था। यह बात आप लोगों ने शुरू की थी। मां–बाप का नाम पूछा, इससे मतलब क्या था?

श्री सभापति: शब्द वापस ले लिए उन्होंने। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : इन्होंने सोनियाजी के मां–बाप का नाम पूछा।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको पता ही नहीं रहता।

डा. के. सी. चौधरी : पूछा है, तभी तो बात चली है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नीति निर्धारण मंत्री): सभापति महोदय, यह तो उस दिन जैसा है। क्या कर रहे हैं आप हाउस में? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पता नहीं देखो क्या तमाशा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++कार्यवाही से निकलवाओ इसको। बाहर निकालो इनको, क्या तरीका है? (व्यवधान) +++क्या बात करते हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य...

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या जानते हो आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी अप्रिय शब्द प्रयोग किए हैं, किसी विधायक के प्रति असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया है, उसको आप देखकर...

श्री जीतमल खांट : सभापति महोदय, अकाल से जुड़े हुए मुद्दों पर राजस्थान की जनता देख रही है कि जनता के लिए उसमें क्या क्या कानून बनाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले बताइए कि कहा किसके लिए? जबरदस्ती?

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले यह तो बताइए कि कहा किसके लिए। मैंने कहा न, न किसी का नाम लिया, न मैंने किसी के लिए कहा, मैंने कहा किसके लिए यह बताइए जरा? मैंने किसी के लिए कहा ही नहीं।

श्री सभापति : आप बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री सभापति : आप बिराजे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या बात करते हो सदन में, इनके +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक मिनट बिराजें। माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आप बिराजें। माननीय सदस्य, मुझे इस बात का दुःख है...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कहां राम–राम, कहां टांय–टांय?(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा सदन कूप में बोलना)

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या तरीका है? सभापति महोदय, यह तरीका नहीं। यह रोज–रोज का काम है इनका, यह हाउस कैसे चलेगा?

मोहम्मद माहिर आजाद : रोज का काम है, कैसे बरदाश्त करेंगे? हम बरदाश्त नहीं कर सकते, यह क्या तरीका हुआ?

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के माननीय सचेतकजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का प्रदर्शन अभी माननीय सदस्य ने किया है, वह किसी कारण से लेकर किया हो, इस सदन की परम्परा और मर्यादाओं के विपरीत है इसलिए आप अपने माननीय सदस्य को इस बात के लिए कहें कि इस प्रकार की घटना दुबारा न हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : रोज की बात है, धमकी देते हैं, रोज लाते हैं, रोज बीच में टोका–टाकी करते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया।

श्री देवीसिंह भाटी : असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका रिएक्शन होता है।

श्री सभापति : आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी के लिए नहीं कहा। इनको पता नहीं अपने खुद और दूसरे का पूछते हैं, इनमें क्या गलत बात कह दी मैंने। किसी तौर–तरीके की बात करते हो?

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान) मैं तो आप कहें तो +++

श्री सभापति : आप पहले मेरा निवेदन तो सुन लें, आप सुन लें मेरी बात।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या सुन लें, साहब।

श्री सभापति : आप सुने तो सही।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं माननीय सदस्य से भी चाहूंगा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कह दिया नहीं करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : ठीक है, आपने कह दिया कि वापस लेता हूं, पर बहुत बुरी बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कोलायत से आने वाले, मेरी बात सुनिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : रोज करते हैं भाटी साहब, यह क्या बात हुई?

श्री धर्मपाल चौधरी : बराबर हो जाएंगे।

(14.00 बजे)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : मैं माननीय माहिर आजाद साहब से भी निवेदन करूंगा क्योंकि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप न करें जिससे कि सदन के अंदर उत्तेजना या आक्रोश पैदा हो। आप इस बात का ध्यान रखें। (व्यवधान).

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, मैंने क्या किया है, पहले यह तो बताओ आप? मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया और यहां बाहं चढ़ाकर चले आ रहे हैं।

श्री सभापति : हाउस नियमों से...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन प्रोटेक्शन करे। यह क्या बात हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : जैसा मैंने उनसे कहा, आपको भी मैं टोक रहा हूं, आप बीच में न बोले। मैं यही कह रहा हूं, जो भी हुआ हो उसको आप अपने स्तर पर देख लें और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें जिससे कि आवश्यक रूप से उत्तेजना हाउस में पैदा हो। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अकाल के ऊपर चर्चा हो रही है, अच्छे सुझाव आप दे रहे हैं, उसमें आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें जिससे उत्तेजना आ जाए, मैं यही कहना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने क्या बोला है?

श्री सभापति : समय का ध्यान मैं रख रहा हूं, पर समय में व्यवधान बहुत हो रहा है। (व्यवधान) तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसमें आप लोग होंगे। आप अगर बीच बीच में उठ–उठ कर व्यवधान करोगे तो समय अपने आप बढ़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा ने सदन की मर्यादाओं को भंग किया है और एक माननीय सदस्य को मारने के लिए दौड़े हैं। अगर बीच–बचाव नहीं करते तो हमला करते।

श्री सभापति : मैं तो खुद समय का ध्यान रखता हूं, लेकिन आप व्यवधान करोगे तो समय बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बिना करंट के, मंत्री महोदय, और उत्तेजना मत बढ़ाओ। (व्यवधान) बिना करंट के मंत्री महोदय और उत्तेजना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) मंत्री महोदय, इनको रोकें। बिना करंट के मंत्री उत्तेजना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, सदन में रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ज्ञानदेवजी आहूजा ने इस महान सदन की महान मर्यादाओं, परम्पराओं का उल्लंघन किया है। एक माननीय सदस्य को पीटने के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी सीट के पास पहुंचने का पूरा प्रयत्न किया। यदि बीच में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं बोल पड़ते तो मैं कहता हूं कि यहां पर अप्रिय घटना घट सकती थी। (व्यवधान) मेरी बात पूरी सुनें।

श्री मदन दिलावर : आप क्या चाहते हो?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ज्ञानदेव आहूजा का व्यवहार संसदीय परम्पराओं के विपरीत है और हमारे लिए अपमानजनक है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको निष्कासित कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : किस कारण से? उत्तेजना तो होगी ही जब एक–दूसरे पर आरोप लगाएंगे। बेमतलब बोलेंगे तो आरोप तो निश्चित लगेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज जिस गम्भीर विषय पर बहस हो रही है, प्रतिपक्ष उस गम्भीर विषय की गम्भीरता को देखते हुए संजीदगी से भाग लेना चाहता है। सभापति महोदय, आसन की जो भी आज्ञा है, शिरोधार्य है। हम नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहते हैं। परन्तु मेरा इतना ही आसन से निवेदन है कि कृपया उनको भी कहें जो अपनी बात को कहते–कहते व्यक्तिश: किसी पर छींटाकशी और इस लेवल की छींटाकशी करें। उसमें उत्तेजना आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य सचेतक जी, आपसे भी निवेदन करूंगा, यह सदन नियमों से चले, प्रक्रियाओं से चले, हम इसको चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, आप कृपया अपने सदस्यों को भी कहें। अगर उत्तेजनावश रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात की है तो उसके लिए हम उनको समझाएंगे, परन्तु कृपया आप इनको भी बताएं कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग यह नहीं करें।

श्री नारायण सिंह : समझाने से ही काम नहीं चलेगा, यह तो रोज का काम हो गया।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, उन्होंने अपने वर्ड विड्रा कर लिये, बात खतम हो जानी चाहिए थी। उसके बाद जिस तरह का आचरण माननीय सदस्य ने किया वह डिजायरेबल नहीं है। जैसे ही माननीय सदस्य ने कहा उन्होंने अपनी बात को विड्रा कर लिया, बात खतम हो जानी चाहिए थी। उसके बाद माननीय सदस्य ने वहां से उठकर जो व्यवहार किया है वह असंसदीय है। इसलिए उसके संबंध में भी उनको बात कहनी चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी बात विड्रा की, उनको भी अपना खेद प्रकट करना चाहिए कि हम भविष्य में इस तरह की बात न करें। इस बात पर तो माननीय सभापति महोदय निर्णय करना चाहिए। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच दिन से किसी सदस्य को पागल कह देना, किसी को आई.एस.आई. का एजेंट कह देना...(व्यवधान) किसी को क्या कह देना, रोज यह चल रहा है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में आपको निश्चित रूप से एक निर्णय करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इनको दो, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, किसी की +++ किसी के +++ कह दे, आपको पता ही नहीं क्या कह दिया। फिर माफी मांग लें। (व्यवधान) +++ फिर माफी मांग लें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य... (व्यवधान) आप बिराज तो जाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : बड़ा अच्छा काम किया आपने। मैं आपका गला काट दूं फिर माफी मांग लूं, माफी मिल जाएगी उससे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपकी परमिशन से बोल रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको अपनी +++ (व्यवधान) के बारे में कहे तो आपको कैसा लगेगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय की परमिशन से बोल रहा हूं, मैं आपकी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ को कोई ऐसे कहे तो आपको कैसे लगे?

डा. सी. पी. जोशी : आपकी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं परमिशन से बोल रहा हूं। कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप बिराजें।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी को यह नहीं पता कि उन्होंने क्या शब्द कहे। ये कहते हैं इनके +++ किसी को ऐसा कह देना और वह चुप रहे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने कहा ही नहीं मां के लिए। अपने हिसाब से बोल रहे हैं आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप सब बिराज जाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह कोई तरीका है? कोई +++ किसी को, कोई तरीका ही नहीं है? पर्सनली कह दे, कोई तरीका ही नहीं है?

श्री सभापति : बिराज जाएं आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई पता ही नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, यह कोई हाउस में...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलो मत। आप कहें क्या कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य और मंत्रीजी ने जो बात रखी, जो घटनाक्रम हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कहो ना।

डा. सी. पी. जोशी : जिस बात के लिए कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आउट किया, और इमिजिएटली उन्होंने अपनी बात को विड्रा कर लिया, बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : इस तरह से किसी को कहें...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह कोई तरीका ही नहीं, सभापति महोदय। मन में आए जो बोलते हैं। अभी भी बोल रहे हैं। हरदम विपक्ष यह समझ ले कि हम उनको सुनाने के लिए आये हैं, कोई बात गलत है तो कंडेम करनी चाहिए। माननीय देवीसिंहजी ने कहा, उन्होंने विड्रा कर लिया, बात खतम हो गई। इसके बाद क्या आवश्यकता हो गई कि वहां पीटने के लिए जाएं? मैं समझता हूं यह अधिकार तो किसी को नहीं है और यह आपके सामने हुआ सदन में। इस बात को भी यदि हम कंडेम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह तो डिबेट ही खतम हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय माहिर आजाद ने अपनी बात कही, उन्होंने विड्रा कर ली, यह सदन के रिकार्ड में है।

श्री रमजान खान : क्या आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अब ये फिर बाले रहे हैं यहां पर। अब बोलने दो इनको। (व्यवधान) हम अगर आपकी परमिशन के बाद नहीं बोले तो क्या मतलब है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें। अभी माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही और विपक्ष के मुख्य सचेतकजी ने जो बात कही वह ठीक है, आपने तो सुना होगा, मैंने दोनों को ही इस बात के लिए कहा है, दोनों ही पक्षों को कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री सभापति : आपको भी कहा है और जो बोल रहे थे उनको भी कहा, इस प्रकार की बात न करें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, सभापति महोदय, आपको न्याय करना पड़ेगा। जो बात इन्होंने की उस पर न्याय करना पड़ेगा।

श्री सभापति : एक मिनट, मुझे कह लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहस चालू कराओ आप।

श्री सभापति : माननीय वरिष्ठ सदस्य और मंत्री रामनारायणजी ने बात कही है उसके ऊपर निश्चित रूप से गम्भीरता से देखना चाहिए। माननीय सदस्य भी इस बात पर विचार करेंगे। मैंने पूर्व में व्यवस्था दे दी इसलिए आप इस चर्चा को बड़ी गम्भीरता से जारी रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बन्द करो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, जो कुछ हुआ है सदन में वह सबके सामने है, मैं रिपीट करना वाजिब नहीं समझता। माननीय सभापतिजी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय मौजूद हैं, उनके इस संबंध में क्या विचार हैं? (व्यवधान) जो कुछ हुआ है उसके संबंध में वह क्या सोचते हैं? माननीय

(श्री शिवनाथ सिंह)

सदस्य या तो अपनी तरफ से कहे कि मेरा आचरण ठीक नहीं था। वे नहीं कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय क्या इस बात को उचित समझते हैं? जो वहीं आसन से प्रस्ताव आया है उसके संबंध में क्या विचार हैं? क्या उनको भी यह बात पसंद है? या वे अपनी बात तो कहें कि क्या चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने मेरे पूरे दल की तरफ से भावना अवगत करायी। हम चाहते हैं पूरी गम्भीरता से बहस जारी रहे। हम चाहते हैं उत्तेजना का कोई शब्द इस पक्ष कां, न उस पक्ष का सदस्य प्रयोग करे। माननीय सदस्य शब्दों का चयन इस तरह करें कि किसी को व्यक्तिगत आघात नहीं लगे। उधर से जिस तरह के शब्दों का इन्होंने चयन किया उसी तरह की बात उन्होंने की। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आसन का सहयोग करना चाहते हैं और इस तरह का वातावरण सदन में नहीं बनें, इसके हम हामी हैं।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, सभापति महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, जो कुछ घटना ओर जिस तरह का आचरण रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया और उसके बाद में आसन के निरन्तर निर्देशों के बावजूद भी आसन की अवहेलना करते रहे, वैल में आये और वैल में अगर जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन बनाकर, हाव–भाव दिखाकर...

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ (व्यवधान) कोई +++ तो कैसा लगेगा? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य माहिर आजाद पर जिस प्रकार से हमलावर होने का प्रयास किया, अगर प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय उनको नहीं पकड़ते तो निश्चित रूप से हमलावर होते, सदन में एक दुःखद स्थिति पैदा होती। इस पर पीड़ित होकर माननीय मंत्री महोदय ने निलम्बन का प्रस्ताव रखा है, निलम्बन के प्रस्ताव पर हम आसन की व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन ने एक बार व्यवस्था दे दी...

श्री हीरासिंह चौहान : आसन ने व्यवस्था दे दी है, बार–बार रिपीट नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपने आगामी वक्त का नाम पुकार लिया, मैं समझता हूं आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार सदन चले। ये बिना मतलब उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन प्रोसिडिंग मंगा ले। जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक इस प्रस्ताव का निस्तारण नहीं होगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : आप इस प्रकार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रोहिताश्व कुमार)

की व्यवस्था बहुमत के आधार पर प्रभाव डालकर कराना चाहते हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : जब तक यह सम्भव नहीं है सदन सुचारू रूप से नहीं चले। (व्यवधान) जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है पहले उसका निस्तारण होना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, अब सत्ता पक्ष जिस लाइन पर चल रहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान) सुनो आप।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भाषा का प्रयोग किया है कि +++ भाषा अगर इस्तेमाल होगी तो +++ नहीं बरदाश्त करेंगे। यह बात अगर आपने कही तो किसके लिए कही? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, गलत, यह नहीं कहा था। (व्यवधान) मेरा चैलेंज है, मैंने यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इस भाषा का प्रयोग किया जाए, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लीजिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, न मैंने यह भाषा कही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं यह कह रहे हैं, यह माननीय सदस्य के लिए उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा नहीं कहा? आपने यह शब्द कहा है। ये बैठे गवाह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप प्रोसिडिंग्स देखो न। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इस बात को मत बढ़ाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां बढ़ा रहे हैं, भाटीजी? कह रहे हैं वह बात नहीं कही मैंने। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : निलम्बन उसका करो जिसने +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं राजस्थान की जनता जिस बात से बहुत परेशान है और हम सब लोग भी दुःखी हैं, आपने–हमने और सब ने मिलकर यह तय किया था कि अकाल पर दो दिन की चर्चा हो।

श्री देवीलाल बैरवा : आप उलटा उलटा बोलते हो, अकाल पर नहीं बोलते हो। गलत बात बोलते हो, बार बार गलत बात बोलते हो। सभापति महोदय, एक तो इन पर कार्यवाही करें। यह बात सही है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : यह तो जैसे बादशाह हो गये। बादशाह हो गये क्या आप?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : बादशाह हो गये? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, देखो दादागीरी इनकी, हम बोल नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, आपसे मैं यह विनम्र निवेदन कर रह हूं कि राजस्थान की जनता जिस समस्या से ग्रसित है, सदन के सभी सदस्यों ने कार्य सलाहकार समिति में यह किया था कि अकाल पर दो दिन में चर्चा हो। उसके पीछे मंतव्य यही था कि सब माननीय सदस्यों के विचार आएं और समस्या के हल के लिए हम कोई सामूहिक अपनी सोच बनाकर अपने प्रदेश को इस संकट से बचाने में कुछ मदद कर सकें। माननीय सदस्य कोई भी हों–चाहे हमारी तरफ से बोले, चाहे आपकी तरफ से बोले, मैं सोचता हूं कि अपने तर्कों के आधार पर किसी को कितना भी नीचा दिखाना चाहे, जरूर दिखाएं, यह लोकतंत्र की व्यवस्था है। उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन शब्दों के चयन के कारण से जो उग्रता आती है, अगर हमारे पक्ष के भी और दूसरे पक्ष के भी इस पर अपना थोड़ा नियंत्रण करें तो मैं सोचता हूं कि सदन की कार्यवाही को हम अच्छी प्रकार से चला सकेंगे। जो भी घटना हुई यद्यपि मैं उपस्थित नहीं था फिर भी मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से अगर कोई कमी रही है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से चर्चा को सकारात्मक की ओर ले जाएं ताकि हम उसके आधार पर इस महान विपत्ति के समय राजस्थान के जन प्रतिनिधियों की क्या सोच है वह जान सकें और इस तरह से इस समस्या का मुकाबला कर सकें सकारात्मक हम इसलिए चाहते हैं कि बहस हो और सब लोग उसमें भाग लें। समय की अवधि कम और ज्यादा हो सकती है भले ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जन प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र की सरकार के बारे में बोलने का अवसर मिले। आपने चर्चा प्रारम्भ करने के लिए जो प्रयास किया उस पर आसन से फिर आग्रह है कि चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि हम ठीक दिशा में चल सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बड़े विस्तार से सारी बात की। विपक्ष की और अपनी स्वयं की भावनाओं और सदन की भावनाओं और मर्यादाओं को रखते हुए उन्होंने बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा है, इस बात के लिए संकेत दिया है कि प्रतिपक्ष पूरा

(श्री सभापति)

सहयोग करने को तैयार है, शांतिपूर्ण और मर्यादापूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि जैसा वातावरण सदन में बना है, सदन की प्रतिष्ठा और मान्यता हमेशा रही है, राजस्थान का सदन हमेशा मर्यादाओं के मामले में सब सदनों में सर्वश्रेष्ठ रहा है इसलिए ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष से भी निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता की भावनाओं का आदर करते हुए, जो इन्होंने शब्द कहे हैं, इस निलम्बन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें तो उचित रहेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के निलम्बन का जो प्रस्ताव था उस पर जो खेद प्रकट किया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन सा प्रस्ताव? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं उनको साधुवाद देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन सा प्रस्ताव है, कोई प्रस्ताव ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिस प्रकार का वातावरण बनाने की उनकी अभिलाषा है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रस्ताव ऐसे आता है क्या कोई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन से नियम और प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव दिया था? (व्यवधान) प्रस्ताव मूव करते तो बात आगे बढ़ती। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रस्ताव तो जबानी मूव जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं प्रस्ताव विचारार्थ ही मूव नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रस्ताव जबानी ही मूव हो जाता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसे नहीं होता है प्रस्ताव।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रस्ताव जबानी मूव होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या अचानक ही कोई प्रस्ताव आ जाता है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कोई जरूरी नहीं है कि लिख कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन से नियम के तहत? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोई जरूरी नहीं है लिखकर दिया जाए। इसकी कानूनी गुत्थियों में आप कृपया मत उलझो। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है सदन की गरिमा रखने के लिए मैं उनको साधुवाद पेश करता हूं और सत्ता पक्ष की तरफ से रामगढ़ से आने

(श्री हरिसिंह)

वाले माननीय सदस्य के निलम्बन का जो प्रस्ताव रखा था, उसको विड्रा करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कोई था ही नहीं।

श्री रोहिताश्व कुमार : कोई प्रस्ताव ही नहीं था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई प्रस्ताव नहीं था। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं शुरू करूं अकाल पर?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कंक्लूड कर लूं? मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री नंदलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : माहिर आजाद साहब, आप जारी रखिये। (व्यवधान) दौसा से आने वाले माननीय सदस्य का अंकित नहीं करें। माहिर आजाद साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस अकाल की विपत्ति के समय में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुओं के संवर्द्धन के लिए चारा डिपो खोलने की व्यवस्था की है। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रत्येक राजस्व गांव में की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में चारे की जो व्यवस्था की है उसका आकलन किया है। एक ग्राम पंचायत में मान लो चार गांव हैं, एक बार ट्रक ''ए'' गांव में आया तो दुबारा ट्रक ''बी'' गांव में आएगा और तिबारा अगर मांग होगी तो ट्रक ''सी'' गांव में आएगा। इस तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वहां चारा पहुंचाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अजमेर जिले के अन्दर प्रत्येक पटवारी को 50–50 हजार रुपये अग्रिम चारा लाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से दिये गये और उसको यहां तक कहा गया कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो 50 हजार की सीमा को बढ़ा कर एक लाख भी किया जा सकता है। राजसमंद में भी इतनी अच्छी अकाल प्रबंधन की व्यवस्था की है, अकाल राहत मंत्रीजी पूरे राजस्थान में अगर इस व्यवस्था को लागू करवाएं तो मैं समझता हूं इसका लाभ मिलेगा। मैं भरतपुर से आता हूं...(व्यवधान) नहीं, लागू हो गया। राजसमंद में तो लागू हो गया। यह दो महीने की रिपोर्ट रही, जनवरी–फरवरी की रिपोर्ट रही। (व्यवधान) नहीं, और व्यवस्था तो है, यह रिपोर्ट वाली नहीं हैं, अकाल प्रबंधन तो है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बढ़िया है, वह नहीं है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपको लिखा जो बता रहा हूं। प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने का तरीका है वह राजसमंद में ज्यादा अच्छा है। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर जिले में भी जहां रोजगार की आवश्यकता थी वहां रोजगार लगाने का काम जिला प्रशासन ने किया है, जहां पेयजल की आवश्यकता थी वहां पेयजल पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का काम किया है। और इस अकाल राहत के अन्दर चाहे वह घना का राष्ट्रीय पशु विहार हो, चाहे और दूसरे सड़कों के काम हों। उन कामों को हाथ में लेकर काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्रीजी को क्या राजस्थान में अकालग्रस्त जनता के हालचाल पूछने आने का कोई समय नहीं था? वह स्वयं नहीं आये या प्रतिपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्रीजी आना चाहते थे उनको आने से रोका, यह जरा स्थिति तो स्पष्ट करें। एक तो स्वयं प्रधानमंत्री ने ही राजस्थान की इस भयंकर अकाल को गम्भीर नहीं लिया हो और उन्होंने राजस्थान की जनता के दु:ख दर्द देखने के लिए आने का प्रोग्राम ही नहीं बनाया हो। या वे स्वयं आना चाहते थे और इन्होंने नहीं आने दिया हो। क्या स्थिति है, मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता जब बोले, इस पर अपनी बात कहें।

माननीय सभापति, जहां तक केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि है, उन फण्ड्स के उपयोग के बारे में बार–बार हमारे प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि राजस्थान सरकार इसका पूरा उपयोग नहीं कर पायी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से यहां कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं, 1992–93 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फण्ड दिया 196 करोड़, राजस्थान सरकार का शेयर था 58 करोड़, टोटल हो गया 254 करोड़। हमारे पास पिछला बकाया था 74 करोड़, उसको मिलाकर 328 करोड़ हुए और सरकार ने खर्च किये 202 करोड़ हमारे पास 1993–94 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का पैसा था 479 करोड़ जिसमें से 1993–94 में खर्च किया 270 करोड़ था हमारे पास 1994–95 में 756 करोड़ था जिसके अगेंस्ट में मात्र 464 करोड़ खर्च किया। हमारे पास 1995–96 में 922 करोड़ था, इन्होंने खर्च किया केवल 503 करोड़। हमारे पास 1995–97 में था 1043 करोड़ और इन्होंने नाम मात्र का पैसा खर्च किया 418 करोड़। 1997–98 में 1317 करोड़ के पेटे इन्होंने 469 करोड़ रुपये खर्च किये 1998–99 में 1122 करोड़ के पेटे इन्होंने नाम मात्र 485 करोड़ रुपये खर्च किये। सभापति महोदय, यह तो इनके समय के आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये। एक इल्जाम राजस्थान सरकार पर ये लगाते हैं कि जो सरकार से खाद्यान्न का आबंटन हुआ, राजस्थान सरकार उसको भी पूरा नहीं उठा पायी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस स्थिति को भी यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, खाद्यान्न का कोटा पूरे देश में, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू और यू.पी., ये सात राज्यों के आंकड़े मेरे पास हैं,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इनमें सबसे ज्यादा अगर खाद्यान्न उठाया है तो राजस्थान ने उठाया है। राजस्थान अग्रणी स्थान पर रहा है, राजस्थान एक नम्बर पर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम निवेदन आपसे करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : बहुत +++ हो गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिर्फ दो मिनट में। माननीय सभापति महोदय, सुन रहे हैं आप बैठे-बैठे भी बोलते हैं, गलत बात भी बोलते हैं फिर उसके बाद इनके तकलीफ होती है। अभी कह रहे हैं +++ हो रही है। आप करते हो वह क्या होती है? उसकी परिभाषा अलग है क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो जारी रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति, आपको भी तो सुनना चाहिए।

श्री सभापति : आप उस पर चिंतित मत हों।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई की बात को सामने रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान में मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको एक खाका प्रस्तुत कर रहा हूं कि राजस्थान सरकार को विभिन्न मदों से पैसा मिला और उन्होंने खर्च कितना किया। आंकड़े जरा सुनिये, सच्चाई सामने आ जाएगी। 1998-99 में आई. आर. डी. पी. और. एस. जी. एस. वाई. में 20.85 करोड़ सेंटर से मिले, 20.80 करोड़ स्टेट का शेयर था, टोटल हुआ 41.65 करोड़ और राजस्थान सरकार ने खर्च किया 45.31 करोड़। 41 की बजाय 45 करोड़। ट्राइसेम में टोटल जो राजस्थान को मिला वह मिला 89 लाख और राजस्थान सरकार ने खर्च किया है 239 करोड़। टूल किट के अंदर राजस्थान सरकार को 71 लाख मिले और राजस्थान सरकार ने 1.32 करोड़ रुपये खर्च किये। जे. आर. वाई. और एस. जी. आर. वाई. के अंदर 75 करोड़ मिले और 97.81 करोड़ खर्च किये। इस तरीके से माननीय सभापति महोदय, पूरी तालिका में पढूं, अगर आप इजाजत दें तो हर साल का आंकड़ा मेरे पास है कि कितनी सहायता मिली, कितना स्टेट का शेयर था और राजस्थान सरकार ने उससे ज्यादा खर्च किया है। इसलिए यह इल्जाम लगाना कि राजस्थान सरकार जो सहायता मिली थी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पायी बिलकुल निरर्थक है।

एक अंतिम बात, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि राहत कार्यों पर जो श्रमिक लगते हैं इन श्रमिकों

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है या सर्वाधिक होती है, पुरुषों की कम होती है इसलिए पुरुष का प्रतिशत आरक्षित किया जाए। माननीय सभापति महोदय , मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसकी गहराई में जाइये कि गहराई क्या है। गहराई यह है कि पुरुष जब प्राइवेट कहीं काम करने जाता है, बेलदारी करने जाता है तो उस बेलदार को 70 रुपये, 80 रुपये मिलता है और जब महिला जाती है बेलदारी करने तो उसको कुली कहते हैं और उसको 50 रुपये, 60 रुपये मिलते हैं। प्राइवेट काम करने, मजदूरी करने जाने पर पुरुष को पैसा ज्यादा मिलता है और महिला को कम मिलता है इसलिए पुरुष इस अकाल के समय में प्राइवेट रोजगार करने जाता है और महिलाओं को सरकारी राहत कार्यों के ऊपर भेजता है ताकि यहां पर उसको 60 रुपये तो मिलें। इसलिए पुरुषों का आपको इसमें आरक्षण नहीं करना चाहिए। यह वास्तविक स्थिति है कि पुरुष को वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। पूरे देश के अन्दर जो मिनिमम मजदूरी है वह राजस्थान से सबसे ज्यादा है। राजस्थान सरकार 60 रुपये मिनिमम मजदूरी दे रही है। अकाल राहत कार्य पर श्रमिकों का भुगतान बिलकुल समय से हो रहा है। 7 तारीख, 17 तारीख और 27 तारीख तय कर रखी है उसके हिसाब से उसका भुगतान हो जाता है। कहीं एक भी उदाहरण नहीं है जहां पर अकाल राहत के श्रमिकों को पैसा नहीं मिला हो। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी, पेयजल मंत्री, राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बढ़िया प्रबन्धन करके राजस्थान की अकाल की प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त जनता को राहत मुहैया कराने का जो काम किया है, ऐसा अनुकरणीय उदाहरण हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री देवीसिंहजी भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल की भयंकर त्रासदी थी, पशुधन चारे के अभाव में मर रहा था, लोगों को दो दिन में एक समय भी रोटी नसीब नहीं हो रही थी और उस परिस्थिति में बीकानेर जिले की जनता ने करीब 400 की संख्या में आमरण अनशन चार दिन किया तब उस दबाव में आकर वहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई और पशु सेवा शिविर खोले। फिर पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए 32 में से 28 जिलों में आमरण अनशन किया गया पांच दिन। मैं आपकी संवेदनशीलता की भी दाद देता हूं कि पहले ही दिन आपके दो केबिनेट मिनिस्टर वार्ता के लिए आ गये। लेकिन वो जिद् करते रहे कि बिना कुछ किये ही आप हमारी बात

(श्री देवीसिंह भाटी)

मान जाओ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बीकानेर के अलावा राजस्थान के 32 में से 28 जिलों में 5-5 शहीदी जत्थे आमरण अनशन पर बैठे थे, उस दबाव के कारण आपने पहली बार राजस्थान के इतिहास में जहां ढाई लाख श्रमिकों की मजदूरी की मंजूरी थी वहां सीधे ही साढ़े आंठ लाख की आपने स्वीकृति जारी की उसी दौरान पशु सेवा शिवर भी आपने पश्चिमी राजस्थान में काफी संख्या में खोले। सभापति महोदय, सवाल तो यह है कि यह नौबत जनता को क्यों आन पड़े कि वह प्रदर्शन करे, आमरण अनशन करे? क्या वह कुबेर का खजाना मांग रहा है? सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सरकार का जो राजधर्म है उसे चेताता है कि हमें समय पर राहत दो। लेकिन नहीं देते। उसी कारण उस आमरण अनशन के बाद से पूरे राजस्थान में एक वातावरण बनाने के लिए बीकानेर में अक्टूबर के पहले सप्ताह में सिर्फ 6 दिन झोली लेकर हम सड़कों पर निकले और 34 लाख रुपये लोगों ने चारे के लिए दे दिये। लेकिन आपने यह प्रयास भी नहीं किया। मैं तो दाद दूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को कि वे पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले के तहसीलवाइज दौरे कर रहे हैं, राहत कार्य शिविरों पर जा रहे हैं, पशु सेवा शिविर की तरफ वे बार-बार निगाहें डालते हैं और चारे के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। बराबर दानदाता उनके पास आ रहे हैं, सरकार के पास नहीं, सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री, प्रभारी शासन सचिव का दौरा होगा, सिर्फ सड़क के आस-पास, शहर के आस-पास। कितने लोग इंटीरियर में जाते हैं? सम्बन्धित मंत्री अपने क्षेत्र से हों तो अपने क्षेत्र में घूमें और सैक्रेटरी जाएं तो सिर्फ दायरा के साथ सड़क पर घूमकर इतिश्री कर लें कि हमारा दायित्व पूरा हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों की पीड़ा में शामिल होइये, लोगों के पास जाइये, लोगों की हालत बहुत खराब है। फिर भी आपने उस दबाव को मानते हुए यह कार्य शुरू किया। इस बात के लिए थोड़ी शुरूआत तो करो कि एक वातावरण बने। दानदाता देने के लिए तैयार हैं, लेने वाला नहीं है। कहीं विश्वास नजर नहीं आता। आज उस वातावरण के कारण से महामहिम ने भी यह शुरू किया तो पूरे पूर्वांचल से, कलकत्ता से, पूरे राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से दानदाता चला-चला कर चारे की मदद उनके पास भिजवा रहे हैं और वे बराबर सारी जगह चारा बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं, यह प्रयास ही नहीं करते हैं कि कोई दानदाता इस प्रकार से आगे आए और वातावरण बने। स्कूल के बच्चों ने भी अपनी तरफ से सहयोग देना शुरू किया है, अध्यापकों ने, अलग-अलग एन. जी. ओज. ने, दानदाताओं ने अपने स्तर पर काफी व्यवस्था है। यह संवेदनशीलता अगर दिखाएंगे तो निश्चित रूप से... लेकिन सवाल यह उठता है, राहत कार्यों पर अभी महिलाओं के लिए बात चल रही थी, कैसी मजबूरी है हमारी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

हम नहीं चाहते कि हमारी बहिन–बेटियों के ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़े, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि उसे राहत कार्यों के ऊपर दूसरे आदमियों के सामने भेजना पड़ता है।

अगर आपका सोचा होता तो इसी में से आप व्यवस्था करते। उत्तर–पश्चिमी राजस्थान में खादी संस्थानों के कतीनों को रोजगार देते, जो अपने घर–आंगन में बैठकर इज्जत का रोजगार करते, कुटीर उद्योगों की तरफ से कोई योजना बनाते। हम प्रश्न पूछते हैं तब जवाब आता है कि हम अकाल का मुंह तोड़ने के लिए स्थाई समाधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं है उनमें से फलां एनीकट बना रहे हैं, फलाना वह कर रहे हैं। यह कोई स्थाई समाधान नहीं। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, पूर्व रियासत के महाराजा गंगासिंहजी के समय की। वह मात्र 18 वर्ष के थे और छप्पनिया अकाल पड़ गया था और उसके बाद में उन्होंने चारा मंगवाया, कहां से? कुशलगढ़, भोपाल, ग्वालियर से। उस समय कोई साधन नहीं थे, फिर भी चारे की व्यवस्था की। तीन किलो कुतर मुफ्त, एक किलो ग्वार मुफ्त। पशुओं को पंजाब में और हरियाणा में जहां जेड़ियां उगा करती थीं, वहां पर भेजा, जो लोग आजकल वहीं बस गये। राहत कार्यों के स्थाई समाधान के लिए उन्होंने गंग कैनाल की तरफ सोचा और उसका निर्माण किया। यह स्थाई समाधान है। उन्होंने जगह–जगह बंधे बनाये रेगिस्तान के अन्दर। आपको ध्यान हो तो कोलायत के पास में एक जोगीरा तालाब है, रेगिस्तान में 64 साल के बाद में दो साल पहले उसमें पानी सूखा है। लेकिन हमने बरबाद कर दिया इस 50 साल के शासन में। इन तालाबों के पायतन हमने खतम कर दिये, कैचमेंट का सत्यानाश कर दिया। जब तक स्थाई समाधान नहीं होगा, यह अकाल का रोजगार का संकट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को इज्जत का रोजगार मिले तो उसके घर–आंगन में मिले तब तो अच्छा है। लेकिन आपके जो अब राहत कार्य खोले हैं, पता नहीं, तारीफ कर रहे थे हमारे कई साथी, अकाल राहत कार्यों के ऊपर भी आरक्षण लागू है, सभापति महोदय, कि पहले कौन लगेगा–चयनित परिवार, एस.सी., एस.टी, फिर ओ.बी.सी., फिर कोई बचे। ज़रूरत तो आज़ सबसे ज्यादा ए.पी.एल. को है। जो एबव पावर्टी लाइन पर है उसके पास सबसे ज्यादा पशुधन है, उसके पास चारा संकट है कि उनको कहां से चारा खरीद कर खिलाएं लेकिन उसमें भी आपने इस प्रकार से कर दिया। ऐसी स्थिति में भी आप आरक्षण और भेदभाव की राजनीति करें तो करें। पशु जहां भी हैं, आपकी तरफ मुंह लिये बैठे देखते रहें, पर आपने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारा भेड़धन 90 प्रतिशत प्रदेश से बाहर अपनी व्यवस्था से चला गया। राज्य सरकार की ओर से पूर्व में चैकपोस्ट लगा करती थी दूसरे स्टेट्स में हमारे बार्डर पर लगा करती थी और पता लगता था कि कहां–कहां

(श्री देवीसिंह भाटी)

भेड़पालक, पशपालक, रैबारी ऊंट–गायें लेकर गये हैं । अब कहीं उसका पता नहीं । अभीं यू.पी. के अन्दर 400 भेड़ें मर गईं, टेलीफोन आया। अब हम क्या करें? ठीक है, उनके लिए जो प्रयास करने थे, किये, लेकिन राज्य सरकार को पता नहीं। वहां पर झगड़े होते हैं, आदमी मर जाते हैं। रैबारियों के कितने ही अभी मध्य प्रदेश में और यू.पी. में मरे, राज्य सरकार को पता नहीं। आपने उनकी दवाइयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अभी हजारों की तादाद में पंजाब में, हरियाणा में, यू.पी. में भेड़ें मरी हैं बीमारी की वजह से, लेकिन आपको पता नहीं । कम से कम यह एक व्यवस्था तो आप कर सकते थे। पशुधन मुफ्त में इस सरकार के खजाने को भरता है, आपने एक सिर्फ डिस्पेंसरी के अलावा कोई मदद नहीं की जिसमें भी मात्र 12,000 की दवाइयां आती हैं। लेकिन उस मदद के ऊपर भी फेमिन कोड में पांबदी है। फेमिन कोड में सिर्फ गाय को मदद होगी। क्या भेड़–बकरी हमारा पशुधन नहीं है? क्या भैंस और ऊंट हमारा पशुधन नहीं है? उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करो । राज का दायित्व नहीं है, लेकिन बात करते हैं कि फेमिन कोड में ले सकते हैं । हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने कहा, उन्होंने फलौदी में घोषणा की । उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ वार्ता करके, वहां से लिखवाकर भेजा। जब यह बात आयी तो आपके अधिकारी कहते हैं कि यह व्यवस्था तो है, पर राज की मंशा हो तो लागू हो सकती है, वरना तो यह नहीं लागू हो। तो इसके ऊपर भी कृपया विचार करें। नहीं हो तो जवाब दे दें जनता को, जनता अपने आप जहां बाग में जाना है, वह चली गई।

इसके अन्दर हमारे पशुओं को क्या होता है, एक उदाहरण दूं। मैंने अभी वैबसाइट मंगाई है अमेरिका से, अकाल पर जो वहां मदद मिल रही है। अभी कुछ काउंटीज में वहां अकाल घोषित हुआ हैं। वहां पर काउज को 900 रुपये की मदद देते हैं, वह अलग बात है। दुधारू गायों के लिए अमेरिका में 1500 रुपये रोज का अनुदान है। एक भेड़ के लिए साढ़े चार डालर–करीब 225 रुपये, एक बकरी के लिए 225 रुपये रोज का अनुदान, और भैंसों के लिए अलग से है, करीब 900 रुपये है। अब हम कह देंगे कि वह तो बहुत अमीर देश है, उसका कहां मुकाबला है। यही तो मूल मुद्दा है। जो सरकार शासन में बैठी है, वह इन बातों पर विचार करे। हम राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ लट्टू, टूंटी, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल के अलावा आम आदमी को बाहर सोचने नहीं दिया। गोरे देश में खेती करने वाले, पशु रखने वाले, वे सम्पन्न क्यों? उनके पास हवाई जहाज और कारें हैं, फार्म हाउस अलग से है। शहर से अलग है और विदेश यात्राएं अलग से करता है और यहां किसी का बाप मर जाए तो हरिद्वार में अस्थि डालने के लिए संकट खड़ा हो जाए। इन बातों के ऊपर विचार नहीं। कि वे तो अमीर मुल्क से हैं। वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

अमीर नहीं है, वह दायित्व समझता है कि यदि हमने खेती और पशु वालों को जिन्दा नहीं रखा और वह मुनाफा वाला काम नहीं रहे तो यह धंधा बन्द कर देगा और अमेरिका आश्रित हो जाएगा दूसरे देशों के ऊपर। यहां अनाज, दूध, घी उनसे मिलता है सिर्फ इसलिए जिन्दा रखते हैं। लेकिन नाम मात्र के लिए कहीं 12 रुपये की मदद है पशु सेवा शिविर में इसी मुद्दे के ऊपर जाना चाहिए कि यहां जो हमारी सरकारें हैं, वे किसको देती हैं। बड़े–बड़े उद्योगपति हैं कि आप एक करोड़ का निर्यात करो, आपको पांच लाख रुपये केन्द्र सरकार की तरफ से इन्सेंटिव दिये जा रहे हैं। आप इम्पोर्ट करो तो एक्साइज पूरा माफ। नया औद्योगिक क्षेत्र लगे तो पांच साल टैक्स नहीं, वहां अगर कोई सिनेमा हाल लगे तो सेल्स टैक्स नहीं। इन खेती करने वालों ने और पशुधन ने आपका क्या बिगाड़ा है? केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी का अक्टूबर की इण्डिया टुडे में एक लेख आया था सेमिनार के अन्दर, उन्होंने बताया कि अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि पूरी सब्सिडी खतम करो हिन्दुस्तान में पानी–बिजली–खाद–डीजल के ऊपर और वह बढ़ाये जा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पश्चिमी यूरोप के कुछ देश और अमेरिका और कनाडा, रोजाना का एक अरब डालर, 50 अरब रुपये खेती करने वालों को अनुदान देते हैं। और हमारा औसत क्या है हिन्दुस्तान में? बारानी, चाही, नहरी, कुएं वाली, उसका औसत है 50 रुपये रोजाना का अनुदान। यह क्यों है? सम्पन्न जो लोग हैं उनको तो और सम्पन्न करो, और जो खेती करने वाला है, जो पशुधन रखता है, जो आपके खजाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है, उसके लिए विचार तक नहीं। कृपया इसके ऊपर विचार कीजिये, अगर आप कुछ मंशा रखते हैं तो। केन्द्र सरकार को भी दूंगा। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप भी कुछ मंशा रखते हैं और शुरूआत करें तो उसकी कापी आपको दूंगा। सभापति महोदय, फिर यहां पर बहस हो जाएगी। सोच तो मानेंगे, केन्द्र सरकार का भी है। अभी केन्द्रीय बजट पेश किया गया, राजस्थान के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ओरण और गोचर को सुरक्षित रखने के लिए, उनको डवलप करने के लिए। कुछ आप भी ऐसा सोच रखिये। हमने तो बरबाद कर दिया है 50 साल जहां चाहा वहां अतिक्रमण किया, जो मर्जी आए उसको रैगुलराइज करो। गोचर में हो तो, ओरण में हो तो किये जाओ रैगुलर। आपने और तो और कोई बारानी, इतनी बंजर जमीन पड़ी थी, उसके लिए भी निर्णय ले लिया, राजनैतिक निर्णय कि फायदा होगा जिसको अलाट कर देंगे। फिर हमारा पशुधन चरेगा कहां? यह इतना फायदेमंद नहीं है कि वह घर में भी स्टाल फीडिंग कर सके। ऐसा पशुधन हमारा नहीं है। उसको खतम कर दिया। अगर आप देखेंगे तो कुछ रास्ता बनेगा, वरना स्थाई समाधान अकाल का कुछ नहीं है। अगले साल नहीं है। फिर दूसरे साल तैयार होगा, फिर तीसरे साल तैयार होगा। क्यों रोज–रोज? लेकिन इस प्रकार आत्मा मार चुके हैं। वहां आप देखिये गांवों में जाकर, याचक के रूप में खड़े होते हैं। वह महिला आती है, मस्टररोल में मेरा नाम भी लिख लो सरपंच साहब, पटवारीजी। वह क्या अन्याय

(श्री देवीसिंह भाटी)

कर रही है? मेजरमेंट करवाकर, काम करवाकर पैसा चाहती है। लेकिन वह भी याचक के रूप में, उसके ऊपर भी दया, उसमें भी राजनीति चलती है। शर्म आनी चाहिए हम राजनीतिज्ञों को जो इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। बाकी तो पानी के बारे में रोना ही रोना है। आप तो कहते हैं, मुझे पता ही नहीं। कौनसे कारण हैं, पहले तो होंगे इस प्रकार से...

श्री रतनाराम चौधरी : आपने ठीक फर्माया है, आपने बहुत ही बढ़िया फर्माया है। जो आपकी सरकार थी उसमें गायों के लिए किसानों के लिए छह रुपये और तीन रुपये देते थे, अब हमारी सरकार 12 रुपये दे रही है, छोटे बछड़ों को छह रुपये दे रही है। जसवंत सिंहजी को आप अच्छी सलाह दो, किसानों को कम से कम मारो तो नहीं। खाद, बीज और डीजल महंगा कर दिया, किसानों के काम आने वाली वस्तुएं हैं उनको महंगा कर दिया। उनको आपने सलाह नहीं दी और यहां पर दोष हमको ही दे रहे हो। दोष उनको दो जो किसानों को मार रहे हैं, किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : वहां पर भी आप उनका ज्ञानवर्द्धन कर दो, जसवंत सिंहजी को भी ज्ञान दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका संदेश पहुंचा दूंगा वहां पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। यह डीजल कहां से आ गया बीच में?

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, पानी का भी संकट खुद इस आदमी ने व्यवस्था बरबाद करके किया है। हमारे पुरखों ने हजारों साल के तजुर्बे से ऐसी व्यवस्था की थी कि एक आदमी को भी, एक गांव वाले को भी गांव खाली नहीं करना पड़ता था। कभी भी हमारे गांव में टैंकर से पानी नहीं आता था। न कोई रेल थी, न कोई टैंकर था। कभी ऐसा सुना नहीं कि गांव खाली करना पड़ा हो पानी के कारण। लेकिन हमने पचास साल में वनों को दे दिया ठेके पर पांच किलोमीटर का ठेका, पचास किलोमीटर का ठेका। सारे नंगे हैं, देखिये आपका मेवाड़। अब ऐसी हालत कर दी है कि आज के दिन, सभापति महोदय, मैं गया अभी मेवाड़ में, मावली में रेल से पानी जा रहा है, फतेहनगर में रेल से, राजसमन्द में रेल से। मैंने डराया उन लोगों को, मैंने कहा कि दिन आ गये आपके। अब तो आप मात्र दस-पन्द्रह साल के ही इस धरती पर मेहमान हो, प्यासे मरोगे, तड़प-तड़प कर किस-किस को पानी पहुंचाओगे? किस-किस ढाणी और खेत में पहुंचाओगे रेल के द्वारा? कहां से पानी आएगा? आपकी झीलों की नगरी, वहां तो लोग क्रिकेट खेलते

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं, साइकिलें चलाते हैं झीलों में कहां पानी रह गया? कहां से लाओगे? पाली में रेल से जा रहा है, रोहट में रेल से पानी जा रहा है, कहां जाकर रुकेगा यह? पानी के बारे में आपकी इच्छाशक्ति को क्या हो गया, आज जोशीजी, भाई मेरे। एक बिल ला रहे थे कि हम भूगर्भीय पानी का, अनियंत्रित दोहन नहीं होने देंगे, लेकिन लोग हैं इनको छूट दे दी आपने। लोगों को छूट दी, लोग धरती का पेट फाड़–फाड़ कर मशीनों से खींचने लग गये। धरती का पेट तो आखिर लिमिटेड है, कहां से आएगा? जब झीलों में, जंगल में, ऊपर पहाड़ में पानी नहीं, नीचे पानी नहीं, तो पानी कहां से आएगा? इस बात के ऊपर जाइये, बहुत दर्दनाक सीन है, लोग तड़प–तड़प कर मरेंगे। इस प्रकार के जो साधन पुरखों ने किये थे, कम से कम जो बच गये हैं, उन्हें तो बचा लो। कहां नया–नया खोदने की, एनीकट की और तालाब की। अब तो राहत कार्यों में जिसका प्रभाव है चाहे उसका कैचमेंट है या नहीं है, रेतीली जमीन है, वहां भी वह खड्डा खोद रहा है कि तालाब बन रहा है, साहब कोई अता–पता नहीं है, अनियंत्रित इतना हो रहा है। तो कृपया आप जो भू–गर्भीय जल है इसके दोहन के ऊपर कहीं तो एक शुरूआत करो। मैं कहता हूं आपको, जोशीजी, इससे एक वोट नहीं टूटेगा आपका, अगर सही निर्णय लोगे तो। और डरते–डरते निर्णय लोगे तो, साहब, संकट ही संकट खड़ा होगा। दोषी होंगे जो आज के राजनीतिज्ञ हैं, जो आने वाली पीढ़ी के सामने जहर का प्याला छोड़ जाएंगे। उसके अलावा पीने के लिए उनके सामने कुछ नहीं होगा। तो कृपया इसके ऊपर आप विचार कीजिये कि पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं। पानी किसके लिए, गांव के लिए नहीं। बिजली किसके लिए, गांव के लिए नहीं। मैं अभी देखकर आया हूं, साहब, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं सूरत (गुजरात) गया था अभी, वहां मिल वाले हमारे राजस्थान के बहुत हैं। उन्होंने बताया कि हमारे एक–एक मिल में आठ–आठ, नौ–नौ लाख लीटर पानी उपयोग होता है रोज का। और उसके बाद में, वह कहते हैं कि इसके अलावा तीस–तीस, पैंतीस–पैंतीस हजार का अतिरिक्त पानी टैंकर से मंगाते हैं। सूरत पूरा खारा हो गया। अब पानी मीठा नहीं है उसमें, बाहर से मंगाया जा रहा है। नदी है कहां उसके पास? यही स्थिति यहां पर है। मिलों में और फैक्ट्रीज में कितने अनियंत्रित पानी का उपयोग होता है। क्या लाभ देंगी ये? इण्डस्ट्रीज के लिए पता नहीं कौन इतना प्रोत्साहन करना चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करो, उद्योग लगाओ। उद्योग से तो कोई दस घर पनपेंगे। मजदूर बेचारा वही है, आधे की पी जाएगा, आधे दवा में खर्च कर देगा। बाकी पेट भरेगा नहीं। यह पता नहीं कैसा सोच है। इसके ऊपर कंट्रोल करो। मिल–फैक्ट्रीज हमारे इस पानी की हकदार नहीं हैं। कहां इसकी जरूरत है? जहां–जहां औद्योगिकी क्षेत्र लगे हैं उन्होंने शोषण ही किया है, किसी आम जनता का भला नहीं हुआ है। कृपया इसके ऊपर सोचिये, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत संकट हो जाएगा।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सभापति महोदय, इस पशुधन के लिए बहुत बुरी स्थिति है। अभी पता नहीं, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे, किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। वहां पर घोटारू के अन्दर बिना सोचे-समझे प्रशासन ने गायों को भिजवा दिया। पूरे जिले में बहुत स्केटर्ड है, सब से ज्यादा पशुधन है वहां पर बाड़मेर और जैसलमेर में। सत्तर–अस्सी हजार गायें आज तक मर चुकी हैं। मैं दोष नहीं लगाता, सिर्फ यह है कि थोड़ा संवेदनशील होकर आप लोग पधारिये वहां पर, इंटीरियर में जाइये। अगर आप पीड़ा के पास जाओगे तो मानव स्वभाव अपने आप काम करेगा और आप मदद किये वगैर रह नहीं सकते। सिर्फ प्रशासन के भरोसे मत छोड़ो। इस सारी व्यवस्था में कितना कीमती हमारा पशुधन है, पाल–पाल कर बेचारा बच्ची से लेकर तैयार करता है, और वह उसके सामने मरती है। इन दिनों में सांसी वगैरह जिन्होंने पंचायत समिति के हड्डी के ठेके ले रखे हैं, वे तो निहाल हो गये। बाकी तो इस व्यवस्था में हमारा जो यह कीमती धन है, जो हमारी निधि पुरखों ने दी है हजारों साल से पानी के लिए, उसको कैसे ही रोको, नहीं तो आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं। मैं तो इसमें निश्चित तौर पर मुहिम चलाउंगा कि यह जो दोहन है हम हर हालत से रोकेंगे, चाहे राज कानून बनाए या न बनाए। यह अन्याय नहीं होने देंगे कि जो मर्जी आये वह धरती का पेट फाड़े और मशीनों से सारा पानी खींच ले। यह कैसी व्यवस्था है? धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेह सिंहजी।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, आज भयंकर अकाल के ऊपर सर्वोच्च सदन में चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि समस्या जटिल है और इसके अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा अपने विवेक से क्षेत्र की जनता के लिए, पशु के लिए हर तरह से किस प्रकार से रास्ता निकाला जाए और संकट का समाधान कैसे निकाला जाए, इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन काफी समय तो कोई ऐसी भाषा बोलने से ही बरबाद होता है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, वे जो कुछ कह रहे हैं उसमें कोई इस तरह की बात सामने आनी चाहिए कि संकट से हम कैसे उबरें, किस तरह से लोगों को हम जिन्दा रख सकें, कैसे हम पशुओं को जिंदा रख सकें। प्यासे हम हैं उसकी पूर्ति कैसे कर सकें, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन–चार साल से अकाल है और हर साल अकाल की पीड़ा को लेकर सदन में चर्चाएं होती हैं, कुछ काम होते हैं, पर इस साल इतना भयंकर अकाल है कि बाड़मेर–जैसलमेर के इलाके में तो हम गये नहीं, वहां पीड़ा अधिक है, पर डूंगरपुर–बांसवाड़ा जो पहाड़ी इलाका है, आदिवासी इलाका है, उस इलाके में भी कम संकट नहीं है। सरकार ने कुछ मात्रा में राहत काम खोले हैं, पूरे प्रदेश की बात मैं इस मौके पर कहना नहीं चाहूंगा, कई

(श्री फतेह सिंह)

माननीय सदस्यों ने कहा है, आंकड़ों के आधार पर कहा है। मैं आकड़ों के अन्दर न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की समस्या के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना उसको सहयोग राजस्थान को अपने हक के अनुसार देना चाहिए था। भारत सरकार ने भी सहयोग किया है और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रबन्धन के रूप में यह सारा बता रहे हैं कि हमने यह किया। मैंने देखा कि बांसवाड़ा–डूंगरपुर के क्षेत्र में हमारे एक माननीय सदस्य सरकार की वाहवाही के रूप में कह रहे थे, लेकिन उनके मन में तो, दुःख है, वह जानते हैं कि पीड़ा क्या है, किस तरह की स्थिति है क्षेत्र में, गरीब को किस तरह की पीड़ा भुगतनी पड़ती हैं। यह उनको पता है, पर सरकार की वाहवाही किये बिना वह रह नहीं सकते। विपक्ष में जो हम लोग बैठे हैं उनका भी थोड़ा सा रूख यह सामने आता है कि किस तरह से सरकार को हम लपेटे में लेवें और किस तरह से लोगों के मन को हम मोड़ें। दोनों तरफ की ऐसी स्थिति है। पर हम बीच में यह कहना चाहेंगे कि इस मौके पर हम राजनीति को दूर रखते हुए इस बात के ऊपर आवें कि क्षेत्र की जनता के लिए अकाल की विभीषिका को किस तरह से हम दूर करें।

मैं कहना चाहूंगा कि अकाल के अन्दर रोजगार पर लोगों को लगाया गया है। बांसवाड़ा जिले में करीब–करीब चालीस हजार के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है चालीस हजार के आंकड़े नहीं हैं, तीस हजार, पच्चीस हजार के आसपास मजदूर लगे हैं। ये मजदूर इन्होंने गिन कर बताये हैं। किसी पंचायत में किसी योजना में पांच मजदूर लगा दिये, किसी योजना में दस मजदूर लगा दिये, इस तरह से गिन करके पंचायतों के काम और विभागीय काम को जोड़ कर चालीस हजार के करीब लेबर लगाये हैं। लेकिन स्थिति यह बनी हुई है कि किसी पंचायत में तीस मजदूर, किसी पंचायत में चालीस मजदूर। चालीस और पचास के रेशो में सरकार का यह कहना है और प्रशासन का भी यह कहना है कि हम रोटेशन में लगा रहे हैं, लेकिन वह स्थिति नहीं है। चालीस मजदूर जिस गांव में लगाएंगे, रोटेशन में लगाने की बात इन्होंने कही है लेकिन रोटेशन के अन्दर पहले तो उसका बाप लग गया, उसके बाद में बेटा लग गया। पहले मां लग गई उसके बाद में उसकी बेटी लग गई। उसी परिवार के लोग काम में लगे हैं। यह हमने पूरा देखा है, चश्मदीद देखा है। हम उस मौके पर भी गये हैं लेकिन वहां पर जाकर लोगों को यह कहने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए नहीं है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन स्थिति यह है कि जिस जगह 40 मजदूर लगे हैं, जिस जगह

(14.50 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

30 मजदूर लगे हैं, चाहे पंचायती राज का काम हो या विभागीय काम हो, पहले से प्रशासन को जाकर यह कहा जा रहा है कि इसी आदमी को मस्टररोल दिया जाएगा जो हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। यही

(श्री फतेह सिंह)

हमारा मजदूर है जो हमारी पार्टी को सहयोग देने वाला है। पूरे राज्य में डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा हो या चित्तौड़ में हो या विपक्ष का जितना भी एरिया हमारे राजस्थान में हो, वहां पर यही स्थिति है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की वाहवाही हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं लेकिन वहां स्थिति दूसरी है। हमने यह देखा है कि जहां 40 मजदूर लगे हुए हैं, रोटेशन में उसी घर–परिवार के लोग 3 या 4 हैं तो 4 का नम्बर आकर फिर नम्बर पर वापस वही मजदूर आते हैं। इस व्यवस्था को भी, मंत्री महोदय, आपको सुधारना पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है राजनीतिक षड्यंत्र पंचायती राज में हो या विभाग के अन्दर, विभाग के अधिकारियों को जाकर पहले कह देते हैं, दो दिन पहले। आपके मिस्त्री या जो भी ग्राम सेवक होते हैं, वहीं जाकर रात को मस्टर रोल इश्यु करते हैं। यह स्थिति बनी हुई है। इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं यह बिलकुल सही स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। इसके अन्दर भी आपको सुधार लाना पड़ेगा।

आपने यह कहा है कि हमने इतने मजदूर लगाये हैं उनका पेमेंट भी हम समय पर कर रहे हैं। हां, यह मैं कह सकता हूं कि आपका जो कैश पेमेंट होता है, रेवेन्यू एजेंसी करती है, समय पर, 10 दिन के, 9 दिन के बाद में 15वें दिन वो पेमेंट हो जाता है। पटवारी आकर उस पेमेंट को कर देता है। लेकिन गेहूं का पेमेंट दो–दो महीने तक अभी तक नहीं हुआ। जब हम आये थे उस समय लोग हमको कह रहे थे कि साहब 5–5 हफ्ते का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पर्ची लेकर घूम रहे हैं। पर्ची भी खो गयी। जब जिला कलक्टर महोदय से और प्रशासन से हम बात करते हैं, आपने जो प्रभारी बना रखे हैं कर्मचारियों में, अधिकारियों में, उनसे हम पूछते हैं। तो क्या करें साहब, वो तो वहां से माल अलाट नहीं हुआ। कभी यह भी कहते हैं चुपके से कि ठेकेदार समय पर माल उठा नहीं रहा है। गेहूं हमारे गोदाम से उदयपुर या चित्तौड़ से उठ नहीं रहा है। इसलिए नहीं उठ रहा है कि जिस ठेकेदार को हमने ठेका दिया उस ठेकेदार को पैसा सरकार की तरफ से समय पर नहीं मिल रहा है। यह प्रशासन की तरफ से कहा जाता है तो उस कमी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मेरा विरोध तो नहीं है, यह सरकार की कमजोरी है, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि संकट के समय में समय पर लोगों को गेहूं मिले। आप जांच करवा लें कि बांसवाड़ा के अन्दर या डूंगरपुर के अन्दर कितने समय से मजदूरों का गेहूं बाकी है। आप कह रहे हैं कि हम समय पर पेमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। समय पर पेमेंट आप कितने रुपये कर रहे हैं? 90 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 90 रुपये कर रहे हैं। लेकिन बाकी गेहूं जो देना चाहिए वो समय पर नहीं मिल रहा है, उसकी भी व्यवस्था आपको करनी है।

दूसरा, मैं कह रहा था कि उस इलाके में लेबर की कमी है। उस लेबर की कमी को

(श्री फतेह सिंह)

आप पूरा कैसे करेंगे, जब तक आप सीलिंग नहीं बढ़ाएंगे? हमारे गांव में जो व्यवस्था है, एक गांव में एक पंचायत के अन्दर एक काम खुला है। कहीं–कहीं ऐसी पंचायतें आज भी हैं कि 30 पंचायतें हैं, 30 पंचायतों में 30 काम खुले हैं–एक–एक गांव में एक–एक, और पंचायत में गांव कितने हैं? 5 या 10 पड़ौसी गांव वाले देख रहे हैं और गांव के लोग ही झगड़े पर आ रहे हैं। 40 मजदूर के बदले वहां पर सौ मजदूर हैं, दो सौ मजदूर हैं। हर गांव में आप 40–40 मजदूर करें। राशन कार्ड के आधार पर या आपका कोई कार्ड हो उसके आधार पर रोटेशन से। प्रशासन के ऊपर अगर जिम्मेदारी छोड़ेंगे और ईमानदारी से वो लगायेंगे तो ये रोटेशन के ऊपर चल सकेंगे। लेकिन हमें सिर्फ राजनीति के आधार पर काम करना है तो आप हर गांव में काम शुरू कर देंगे तो भी विपक्ष में जो लोग हैं उनको तो काम मिलेगा नहीं और व्यवस्था बिगड़ेगी, मारकाट होगी, खून–खच्चर होंगे।

पिछली बार का मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में आंगड़लाई में आपस में मजदूरी के लिए लड़ाई हुई मेट में और वार्ड मैम्बर में बीच में। वार्ड मैम्बर कह रहा था कि इसको मेट बनाया जाए और वो कह रहा था कि इसको बनाया जाए। उस बीच में जब लड़ाई हुई तो उस आदमी ने उस वार्ड मैम्बर के ऊपर कुदाली मारी, वो वहां खतम हो गया और वो जेल में है, आज भी मुकदमा चल रहा है। अगर व्यवस्था सरकार को ठीक चलानी है और लोगों में द्वैषता की भावना पैदा नहीं करानी है, लोगों में दूरी नहीं कायम करनी है तो हर गांव को काम देना पड़ेगा तब जाकर लोगों में शांति रहेगी। एक गांव में काम देकर, कम मात्रा में काम देकर भेदभाव करके अगर यह व्यवस्था आपने बिगाड़ी तो लोगों में जो समझ है, एकता है, दोस्ती है वो बिखर जाएगी। फिर आप कहेंगे कि गुजरात में व्यवस्था बिगड़ी है वही यहां आकर बिगड़ गई। तो मजदूरी में तो हर समाज का आदमी आता है–चाहे मुस्लिम समाज का हो, हिन्दू समाज का हो, ईसाई समाज का हो या और किसी महाजन समाज का हो। हर जाति का आदमी आज रोजगार के लिए भटक रहा है, उनको सबको रोजगार देना है। हम यह कह करके टाल देवें कि तू दूसरी जाति का है, हमारे गांव में अल्पमत में है इसलिए तेरे को काम पर नहीं लगाएं, यह तो कह नहीं सकते। तो हमारे समाज के अन्दर इस रोजगार को लेकर व्यवस्था आप न बिगाड़ें। अगर वास्तव में आदिवासी इलाके के लोगों को जिन्दा रखना है तो फिर आपको समान रूप से हर गांव में काम देना पड़ेगा। आप नहीं दे सकते तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाकों में जिन आदिवासियों को काम दिया है वो आप बन्द कर दें, और इलाके में आप दें ताकि वहां की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी और वहां के लोग अपनी स्थिति अपने स्तर पर सुधारेंगे। पिछली बार अकाल पड़ा था उस समय भी हमने कितनी माथा फोड़ी की, तब भी आपने

(श्री फतेह सिंह)

बांसवाड़ा जिले में अकाल घोषित नहीं किया। अकाल घोषित नहीं किया तो भी लोगों ने अपनी मेहनत करके गुजरात में जाकर और पड़ौसी इलाके में जाकर एक दूसरे से सहयोग लेकर समय को पूरा किया। डूंगरपुर इलाके में आपने अकाल घोषित किया, हम यहां बोले थे। पिछली बार मंत्रीजी ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन बांसवाड़ा जिले को पिछली बार अकाल में घोषित नहीं किया। इस बार आपने अकाल में घोषणा की है और रोजगार लोग चाहते हैं तो उनको रोजगार देना चाहिए।

अब मैं कहना चाहता हूं, पेयजल का हमारे यहां सबसे पहले संकट आएगा। पेयजल के संकट के लिए प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम टैंकरों से पानी सप्लाई करेंगे। हमारे इलाके में बिखरी हुई आबादी है, एक-एक किलोमीटर के ऊपर आदमी रहता है, 5–10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गांव फैले हुए हैं। टैंकर लेकर आप जाएंगे, एक घर के ऊपर खड़ा करेंगे, दो-तीन घर वाले उस टैंकर से पानी को खाली कर लेंगे। पिछली बार हुआ है। पिछली बार अकाल नहीं माना था तो भी हमने कहा। आपके यहां से भी आदेश जारी किये कलक्टर ने राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत जो बजट आया था उसके अन्दर इन्होंने टैंकरों की व्यवस्था की, 5-6 जगह टैंकरों की व्यवस्था की। दिन में दो टैंकर जाते थे और उसके बाद में लोग रास्ते में रोक लेते थे। टैंकर वाले से लड़ाई करते थे तो रास्ते से ही टैंकर चला आता था। वहां मुकाम पर जाना चाहिए था, नहीं गया। कुछ समय तक चलाया, उसके बाद में व्यवस्था बिगड़ने लगी तो टैंकरों को भी बन्द कर दिया। तो मेरे कुशलगढ़ वाले इलाके में जहां पहाड़ी इलाका है, बांसवाड़ा का इलाका है उसके अन्दर आप टैंकरों से पानी सप्लाई नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि उस इलाके में कई पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने और कई सोर्स हैं जिनमें मिट्टी भर गयी है, उनको आप सुधार करें, निकालें। उसमें मजदूर लगा कर पानी को निकाल कर दो किलोमीटर के एरिये में या एक किलोमीटर के एरिये में या आधा किलोमीटर के एरिये में सर्वे करके आप व्यवस्था करें तब तो यह काम हो सकेगा।

दूसरा, नवम्बर में मेरा पेयजल के बारे में यह कहना है कि जो तालाब सूख चूके हैं उन तालाबों के अन्दर झिर्रियां खुदवाएं, कुएं खुदवाएं। उस तालाब के अन्दर कुआं खोदेंगे तो उसमें पानी आएगा। आषाढ़ तक बरसात हो जाएगी तब तक उस कुए में पानी रहेगा, खोदते रहना पड़ेगा उसको। वो भी फेमिन में काम देंगे तब लेकिन आपकी स्थिति क्या है, आपकी व्यवस्था क्या है। एक कुआं खोदने के लिए आपने 5 मजदूर लगाये, 5 मजदूर से तो काम हो नहीं पाएगा। एक कुएं में कम से कम 10–15 मजदूर लगेंगे तब जाकर उस कुएं की मिट्टी अन्दर खुदेगी। उसको खींचेंगे, डालेंगे तो कम से कम 10–10 मजदूरों की

(श्री फतेह सिंह)

जरूरत है। पेयजल के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि तालाबों में कुएं खोदें, जो पुराने कुएं हैं, पुरानी बावड़ियां हैं उनको भी हाथ में लें। व्यक्तिगत कुएं कई लोगों के हैं उन कुओं को भी गहरा करके पानी लोगों को दे सकते हैं। पर स्थिति क्या है? व्यक्तिगत कुओं को गहरा करने के लिए हम कह रहे हैं, राज्य सरकार का यह कहना है कि जब तक वो कुआं व्यक्ति सरेण्डर नहीं करे तब तक उस कुएं को हम गहरा करने के लिए स्वीकृति जारी नहीं करेंगे। अगर वो स्थिति है तो फिर वह आदमी कब तैयार होगा, कब तहसील में जाएगा, कब उसका नक्शा बनेगा और उसका नम्बर कब आएगा और कब होगा?

(15.00 बजे)

मेरा यह मानना है कि कुआं कोई काश्तकार खा नहीं जाएगा। उस कुएं को आप गहरा कराएं, काश्तकार से बौंड भरा लें कि किसी तरह से इस कुएं को मैं रोकूंगा नहीं। ऐसे कुएं को भी आप खोद कर गहरा कर पानी निकाल सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन था कि टी.ए.डी. मद से कुएं गहरे करने के लिये ब्लास्टिंग की जाती है, अगर इस मौके पर ऐसे कुओं का सरकारी मशीनरी से सर्वे करवा कर एस.डी.एम., तहसीलदार या कलक्टर के मार्फत ऐसे कुओं की सूची देकर व्यक्तिगत कुओं को टी.ए.डी. से स्वीकृत कर देते हैं और प्राइवेट मशीन लाकर उन कुओं को खुदवाते हैं और लेबर फेमिन से देते हैं तो भी लोगों की पानी की व्यवस्था हो सकती है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां चारे का भी संकट आएगा। पशुधन के लिये तो स्थिति यह है कि किसी भी नाले में या किसी छोटे तालाब में कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत है तो लोग अपने कुएं से पानी खींच कर पिला रहे हैं, हैण्ड पम्प से पानी खींचकर पिला रहे हैं। हैण्ड पम्प के पानी का स्तर भी नीचे चला गया। अगर वास्तव में मवेशी को जिन्दा रखना है तो उनके लिये भी आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी। इंसान के लिये अगर करते हैं तो पशुओं के लिये भी करनी पड़ेगी। वहां स्थिति ऐसी है कि आप नाली बना दो पक्की या कच्ची नाली बनाकर उसमें पशुओं को पानी दो। चारे के लिये आपके यहां तो आपने कैम्प लगा रखे हैं, हमारे वहां पर अगर आप कैम्प लगाओ तो पानी है नहीं। माही डैम में भी पानी नहीं है। अगर पशु के लिये वहां कैम्प लगाकर आप चारे की पूरी व्यवस्था करते हो तो पशु इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे वहां के लोग एक नया पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं। वहां पशु के साथ अगर कोई आदमी रहता है तो उसको भी खाने के लिये नहीं मिले। पशुधन के लिये भी आप व्यवस्था करें। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे हमने इतने चारा डिपो खोल दिये, चारा डिपो कितने भी खोल दो लेकिन जब तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा और पैसा नहीं आएगा तो वह चारा खरीदेगा नहीं। पिछले अकालों में हमारे परिवार में बहुत सारे मवेशी थे, मेरे स्वयं के कम से कम 100–50 मवेशी

(श्री फतेह सिंह)

थे। दो–चार अकाल में मरते मरते अभी 5–10 मवेशी रह गये, इसके अलावा अब कुछ नहीं रहा। इस साल भी अगर चारे पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर व्यवस्था बिगड़ेगी और मवेशी मरेंगे। कह रहे हैं कि हमने दवाइयां कर दीं, दवाइयां क्या कर दीं, दवाइयों के लिये तो आपने टीके लगा दिये। मवेशी को पूरा पानी नहीं मिलेगा, खाना पूरा नहीं मिलेगा और आप दवाई देते रहेंगे तो उससे जिन्दा थोड़े ही रहेंगे, ये तो मरने वाले हैं। कैम्प लगा कर हमारे वहां तो एक दूसरी ही स्थिति पैदा कर दी। मवेशी के लिये जो कैम्प लगाये है, आपके किसी नेता का फोटो लाकर कैम्प में लगा दिया। सरकारी एजेंसी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि कैम्प लगाकर पशुओं को टीके लगाए। मामा भालेश्वर दयाल जो हमारे गुरु थे, आप सभी उनको जानते हैं, उनके नाम से हमारे कुशलगढ़ का एक नेता है वह मध्य प्रदेश से यहां आया। वह उस कैम्प में जाकर बैठेगा, मामाजी का फोटो दिखा देगा और कहेगा कि मामाजी के नाम से मैं कैम्प लगा रहा हूं और ये टीके लगवा रहा हूं। वहां क्या जरूरत है किसी नेता की? वहां कोई मंत्री या एम.एल.ए. जाकर भी क्या करे, यह तो डाक्टरों का काम है, कम्पाउण्डर का काम है। लेकिन वहां इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जब मवेशी के टीके लग रहे हैं तो उसमें नेताओं की कहां जरूरत है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि पेयजल के लिये भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हैण्ड पम्प में मैटीरियल की कमी पड़ेगी, आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनकी व्यवस्था करनी होगी। हम आये दिन मीटिंग में पूछते हैं तो जिले में तो हमको कह देते हैं कि हमारे पास पुख्ता सामान है। और मौके पर जाकर पंचायत समिति स्तर पर या तहसील स्तर पर पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास तो मैटीरियल है ही नहीं। दोहरी बातें सामने आती हैं। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय फतेह सिंहजी, ओवर कीजिए, 20 मिनट हो गये हैं।

श्री फतेह सिंह : हैण्ड पम्प के लिये आप थोड़ी व्यवस्था करावें, पूरे पार्ट्स देवें और इस तरह की व्यवस्था को आप सुधारें।

अन्त में मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में या आदिवासी इलाके में आप मजदूरों की सीलिंग बढ़ाएं। मैंने व्यवस्था के बारे में जो कहा है उसके बारे में आप गौर करें, सोचें। विशेष कर उस इलाके की स्थिति बड़ी गम्भीर है, लोग गुजरात में भी मजदूरी के मोहताज हैं। उस इलाके के मवेशियों के लिये व्यवस्था मजदूरों की बढ़ोतरी, मजदूरों में पक्षपात नहीं और समय पर पेमेंट, इस तरह की व्यवस्था आप करोगे, इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामचन्द्रजी सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में भयंकर दुर्भिक्ष है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और नया क्या होना चाहिये, नये सुझावों के लिये आज यह डिबेट हो रही है। मान्यवर, मेरा बोलने का नम्बर तूफान निकलने के बाद आया है इसीलिए शांति है, मैं अपेक्षा करता हूं कि यह शांति रहे। 32 जिलों में...

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य को डर सता रहा है क्या? इतना भय है क्या हमारा?

श्री सभापति : प्लीज, दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : आज त्रिशूल लेकर नहीं आया मैं, डरने की जरूरत नहीं है। यदि त्रिशूल ले आउंगा तो आप भागते फिरोगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, दिलावरजी।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय सदस्य, बार्डर पर भेजो त्रिशूल को।

श्री मदन दिलावर : आतंकवादियों को मारूंगा, आई.एस.आई. एजेंट को मारूंगा, राष्ट्रद्रोहियों को मारूंगा।

श्री सभापति : प्लीज, दिलावरजी, प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, अभी सदन में जो कुछ हुआ, यद्यपि हम सब बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने बड़े हाथ दिखाये, हमने बड़ी औकात दिखाई। यदि प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह जनता में जाएगा, वे हमारी असलियत को जरूर पहचानेंगे और थोड़ा सा दु:ख भी प्रकट करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि जाकर कैसा रोल करता है।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : माननीय सभापति महोदय, आपने जो कहा है वह क्यों कहा है? आपको क्या तकलीफ हुई है? यह त्रिशूल शिव का और भवानी का प्रतीक है, आपने आब्जेक्शन क्यों किया? आपको कहां प्राब्लम हुई?

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, यह आपसे नियंत्रित हो सकते हैं तो इनको नियंत्रित कीजिए।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय सदस्य, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इनको बार्डर पर भेजो त्रिशूल लेकर, वहां काम आएगा यह।

श्री रामलाल गुर्जर : मैं तो मेरी ओर से यह कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य त्रिशूल धारण करें, अच्छी बात है, धार्मिक कार्य है, कहां प्राब्लम है इसमें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बार्डर में हैं तभी तो कश्मीर को ले आये, गोवा को ले आये। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : शिव और भवानी से बढ़कर हो क्या सकता है?

श्री सभापति : प्लीज, त्रिशूल की बहस नहीं हो रही है, मामला अकाल पर चल रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, यह तो मानते हो कि गोवा और कश्मीर तो बी.जे.पी. की वजह से ही हिन्दुस्तान में बचा है।

श्री घासीलाल मेघवाल : आप उनका नेतृत्व करो और पाकिस्तान की बार्डर पर जाओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जरूरत पड़ी तो वहां भी जाएंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा देंगे।

श्री घासीलाल मेघवाल : देश की खातिर इतना तो कर दो...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज़, रामचन्द्रजी, आप चालू रखिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं पहले ही निवेदन कर रहा था, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में बात कम और हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन अधिक, इसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल पा रहा है। आज सदन में बैठकर यदि मैं हल्की बात करूंगा तो सामने वाला हर आदमी हल्की बात करना जानता है। मैं जिस तरह से बहस छेड़ूंगा उसका जवाब हर कोई जानता है। ये तो राजस्थान के छंटे-छंटाये 200 आदमियों में हैं, कमजोर कोई नहीं पड़ता। कोई लोग अपनी गरिमा को पहचान कर बैठे रहते हैं, कुछ उसको बाहर निकाल देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सबको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमारी इस तरह की बहस से राजस्थान की जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा।

राजस्थान के 32 जिलों में 40990 गांव अकाल ग्रस्त हैं। 4.48 करोड़ लोग और 4.52 करोड़ पशु प्रभावित हैं। इनकी स्थिति कैसी है यह कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं। राजस्थान की सरकार इन हालात में क्या कर रही है, कितना कर पा रही है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया होगा या सब कुछ ठीक हो रहा है। इतना बड़ा अनुष्ठान है इसमें कहीं न कहीं कमी आ सकती है, कहीं न कहीं भूल हो सकती है, कहीं न कहीं टैक्निकल गड़बड़ हो सकती है। इन बातों पर विचार करने के लिये हम यहां बैठे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसके पहले हमारी तकलीफ यह है कि हमारी डिबेट का ज्यादातर समय जाता है केन्द्र सरकार को उपालंभ देने में, राज्य सरकार को उपालंभ देने में। हम एक दूसरे की बात करने के लिये यहां पर नीचा दिखाने की बात ज्यादा करते हैं, अकाल की बात कम करते हैं।

मान्यवर, राजस्थान में किसान बहुत परेशान थे, मजदूर परेशान थे, अकाल में सब प्रभावित हुए हैं लेकिन केन्द्र सरकार के बजट से यह और मारा गया है। यह कोई अनछुई बात नहीं है, यह किसी से छिपी हुई बात भी नहीं है कि डीजल, खांद ने किसान की कमर

(श्री रामचन्द्र सराधना)

तोड़ दी। ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। हम यहां पर हमारे क्षेत्र के प्रति वफादार हैं, पहला नम्बर उनका है। हम राजस्थान की जनता से चुने हुए यहां आकर बैठे हैं। हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए, यह नहीं कि हम सब मिलाकर अपनी–अपनी पार्टी की पैरवी करें। राजस्थान की जनता का भला नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार से हम सब मिलकर प्रयास करें, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। शेर की बात कर रहे थे, हर आदमी जानता है, राजस्थान की जनता जानती है कि इन आर्थिक संकट की परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार किस तरह हालात पर काबू पा रही है, किस तरह नियंत्रित कर पा रही है। इस बात को मजदूर जानता है, गांव का आदमी जानता है, भले ही हम यहां नेताओं में बैठे–बैठे कुछ लोग नहीं समझें। "हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल खुश रखने के लिए गालिब खयाल अच्छा है।" बैठे–बैठे बात कर लेते हैं, यह अच्छा नहीं किया, यह अच्छा नहीं किया। माननीय देवी सिंहजी भाटी ने जो सुझाव दिये उनमें बहुत सारे सुझाव अमल करने लायक हैं। ऐसे सुझाव आने चाहिए। केवल हम एक दूसरे की बात करके यह समझे कि हमारे जनता के प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह नहीं है। हम केवल प्रगेल्प प्रथा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा कहा जाता है, सदन में बात आई कि क्या आपने बजट में से फूटी कौड़ी भी लगाई है। मैं कह रहा हूं किसका बजट, कौन सा बजट, किसका बजट? यह राजस्थान का बजट है। राजस्थान की विधान सभा में पास होता है, राजस्थान की विधान सभा का बजट है। इसमें आपका और मेरा अलग–अलग नहीं है। रही बात केन्द्र सरकार की, यह संवैधानिक सम्बन्ध है, पारस्परिक प्रतिबद्धता है। इस भयंकर अकाल में, भयंकर परिस्थिति में भी, इस आपात की स्थिति में भी हम सब मिलकर यदि केन्द्र से हमारा हक नहीं मांगेंगे। तो फिर कब मांगेंगे? इसमें किसी को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं निवेदन करूं, इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार की भी नीयत ठीक नहीं लगती। वह क्यों नहीं लगती है? यद्यपि वह भी करना चाह रही है, लेकिन फिर भी 16 नवम्बर, 2002 को केन्द्रीय टास्क फोर्स की मीटिंग हुई...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं, सरकार पर शक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप केन्द्र हैं क्या?

श्री मदन दिलावर : हां, जो पार्टी केन्द्र में राज कर रही है हम उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान) उसके सिपाही हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका राज नहीं है राजग का है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : आपकी नीयत बहुत खोटी है, इधर कांग्रेस की सरकार है इसलिए कुछ देना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, केन्द्र के माध्यम से नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : दिलावरजी, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : साहब, नीयत पर शक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक से एक उठते रहेंगे तो डिबेट कैसे होगी? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हरिसिंहजी, आप सी. पी. जोशी से ज्यादा अकलमंद कभी नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सहयोग कीजिए, प्लीज प्रताप सिंहजी।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का कोई कारण है, मैं अनावश्यक कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। अब यहां भी तो सभी तरह की नीयत वाले हैं, कोई सुनना पंसद करते हैं, कोई सुनना पसन्द नहीं करते। कोई समझने वाले हैं, कोई नहीं समझने वाले हैं। जनता ने सभी तरह के चुनकर भेजे हैं।

16 नवम्बर, 2002 को केन्द्रीय टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, 207.68 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए मंजूर किये। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं:..(व्यवधान) आपको याद दिला रहा हूं। किसानों को इनपुट सब्सिडी के लिए 107.10, पशु संरक्षण के लिए 70 करोड़, ग्रामीण पेयजल के लिए 19.08 करोड़, शहरी पेयजल के लिए 10.50 करोड़ और दवाइयों के लिए एक करोड़ रुपये, लेकिन मान्यवर, राजस्थान को मिला क्या? नीयत की बात मैं इसलिए कह रहा था कि आपदा राहत कोष में 288.21 करोड़ रुपये मानकर, जबकि वह था नहीं, उसका समायोजन कर लिया गया, जबकि मात्र 67.70 करोड़ रुपये शेष थे। अब 207 करोड़ की स्वीकृति, और मिला क्या? यह बात नीयत साफ करती है, स्पष्ट करती है। यह निर्णय हमारे प्रदेश को प्रभावित करता है। इन आंकड़ों के मायाजाल में अकाल का मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए मैं निवेदन करता हूं इस सदन से संकीर्णता की बातें छोड़कर हम सबको मिलकर केन्द्र की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। हमारे जो हालात हैं वे तो हैं ही, इसमें आप जो कुछ मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। विशेष कर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जो अपना प्रभाव केन्द्र में रखते हैं, क्योंकि उनकी सरकार वहां पर है। जो अभी कह रहे थे कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। यदि आप प्रतिनिधि हैं, हम भी जानते हैं तो, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजस्थान की जनता को इस संकट से निकालिए। राजस्थान की जनता रहेगी, राजस्थान के लोग खुशहाल रहेंगे, बचे रहेंगे तो हम सब और हमारी राजनीति जिंदा रहेगी, अन्यथा राजनीति करेंगे किस पर? सारे देश में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर हालात बहुत खराब रहे तो। जून का महीना आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आएगा। यहां बैठकर केवल तू–तू, मैं–मैं करके, ऐसी बातें करके समय निकाल देना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

चाहते हैं। आने वाले समय में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ही काम चलेगा।

यहां कुछ माननीय सदस्य लिस्ट बनाकर लाते हैं, भूख से मरने वालों के नाम सुनाते हैं, मैं उनको नकारने की स्थिति में भी नहीं हूं लेकिन यह जरूर कहता हूं कि सरकार पर आरोप जरूर बनता है अगर कोई भूख से मर गया है तो। लेकिन वह माननीय सदस्य जो वहां से चुनकर आया है क्या उसको मालूम नहीं पड़ता कि हमारा कौन आदमी संकट में है? यदि उसकी स्थिति का उसको आकलन नहीं है तो वह यहां भाषण देने लायक भी नहीं है। अपने इलाके की बात का मालूम नहीं है कि कौन आदमी कहां संकट में है। पहले सूचना दीजिए और सूचना का लाभ दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपको पता है कि आपके इलाके में किस–किस को बच्चे होने वाले हैं? (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : मंत्रीजी से पूछो, इनके क्षेत्र में भूख से मरे कि नहीं मरे, परसादीलालजी से। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कौन भूखा है, कौन पैदा हुआ, एम.एल.ए. ढाई लाख आदमियों का एक–एक का मालूम रख सकता है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया (व्यवधान) फिर एक बात आने वाली है।

श्री नंदलाल बंशीवाल : इनसे पूछो इनके क्षेत्र में भूख से मरा कि नहीं मरा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस आई के विधायक के क्षेत्र में भूख से मरा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : सहरिया जो कांग्रेस आई के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में मरे (व्यवधान) उनको धमका दिया मुख्य मंत्रीजी ने, आपने मुंह खोला तो पार्टी से निकाल दूंगा। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा (सहकारिता मंत्री) : मेरे क्षेत्र में कोई भूख से मौत नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : धमका दिया सहरिया को। (व्यवधान) मरे हुए बाप को उठाने नहीं दिया। वह रो–रोकर हमसे कहते, दिलावरजी, मैं क्या करूं, मेरी पार्टी के लोग मुझे कहते हैं कि...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मेरे इलाके में कोई मौत भूख से नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : भूख से मरा है।

श्री परसादी लाल मीणा : भूखा मरा है न भूखा मरा था कभी। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : भूख से मरा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने भूख से मरने की हकीकत किसी को बताई तो पार्टी से निकाल दूंगा, हमारे पास आकर रो–रोकर कहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापतिजी, कुछ लोगों की आदत पड़ गई है बीच में इंटरप्शन करने की। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : निरन्तर मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नंदलाल बंशीवाल : मैंने तो हरिसिंहजी को चैलेंज किया था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसको चैलेंज किया, कांग्रेस के विधायक हीरासिंहजी सहरिया को? (व्यवधान) रो रहे हैं, हमारे पास आकर गिड़गिड़ाते हैं।

श्री सभापति : दिलावरजी...(व्यवधान) सहयोग कीजिएगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, दूसरे जो बोल रहे हैं उनमें यह बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या लाभ है बाधा डालने में? इसलिए कि अखबारों में नाम छप जाए? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन कोई आदमी असत्य कोई फ़ेहरिस्त सुनाता है, अपने आप यहां बोलता है, मैं उसका क्या करूं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सराधना साहब। (व्यवधान) प्लीज।

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं निवेदन कर रहा था कि उस इलाके के जन प्रतिनिधि का दायित्व होना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए कि उसके इलाके में ऐसा क्यों होता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामचन्द्रजी मेरे मित्र हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन बोलो तो सच। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आपकी आदत भी है, रुक नहीं सकते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दोस्त हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आहूजाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है लेकिन बोलो तो सच। जो विधायक रख रहे हैं वह भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : जहां तक केन्द्र सरकार का रुख है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पेशल कम्पोनेंट में रोजगार योजना के लिए 29 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन हुआ, भारत सरकार ने किया। आबंटन कर दिया, रिलीज आर्डर में मात्र 10.10 लाख मीट्रिक टन किया। मात्र आबंटन करने से ही राजस्थान की जनता के पास गेहूं पहुंच गया? 19 लाख टन का आर्डर, अब तक जिला स्तर पर लोगों को आर्डर नहीं मिले हैं और हम केवल गिनाते रहते हैं। ये बातें हमारे लिए एक चुनौती है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि केवल पार्टी के स्तर पर बात लेकर मत जाइये। पहले बात तो मेरी सुनते नहीं हैं फिर अचानक उठकर बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज।

श्री रामचन्द्र सराधना : पशु आहार के लिए सितम्बर, 2002 में भारत सरकार द्वारा 30,000 मीट्रिक खराब गेहूं का आबंटन हुआ। अभी तक 7000 मीट्रिक टन गेहूं प्राप्त हुआ। ये केवल आंकड़े देकर राजस्थान की जनता को संतुष्ट करना चाहते है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप सब वाकिफ हैं, लेकिन वाकिफ होते हुए भी हम असत्य बोल रहे हैं। यहां मात्र एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) इस गम्भीर संकट में भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब मौका आएगा चुनाव में तब जाकर वहां बात करनी चाहिए। अब तो इस बात के लिये लड़ाई लड़नी चाहिए, एस.जी.आर.वाई. की बात करें, गाइडलाइन की। एस. जी. आर. वाई. की गाइडलाइन...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री अमीन खानजी।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, मुझे बहुत कम समय दिया गया है, प्लीज।

श्री सभापति : आपका टाइम हो गया।

श्री रामचन्द्र सराधना : नहीं हुआ, प्लीज मेहरबानी करें। एस.जी.आर.वाई. की गाइड लाइन के अनुसार एक श्रमिक को प्रति दिन 10 किलो अनाज मिलना चाहिए।

श्री नंदलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, टाइम तो इनकी सरकार का पूरा हो गया अब।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपके कहने से ही हो जाए सब काम तो काहे के लिये मेहनत करें।

मैं निवेदन कर रहा था, एस.जी.आर.वाई. की गाइडलाइन में एक श्रमिक को एक दिन में 10 किलो गेहूं मिलेगा। लेकिन अभी कृषि मंत्रालय ने एक आर्डर दिया, अकाल की स्थिति को यहां भी बांट दिया, अत्यधिक और अधिक वाले खराबा में रखकर और यह कह दिया कि जहां अत्यधिक है वहां तो 8 किलो दीजिए और जहां कम है वहां पर 6 किलो दीजिए। यह डिवीजन करके, यह कैटेगराइजेशन करके हम राजस्थान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मजदूर को 8 किलो मिलेगा और एक को 6 किलो मिलेगा, जबकि एक मजदूर को 10 किलो बांटते आए हैं। क्या इससे असंतोष पैदा नहीं होगा?

मान्यवर, आपने जल्दी के लिये मुझे आदेश दिया है। जयपुर जिले के बारे में बात करना चाहता हूं, कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जयपुर जिले में 13 ब्लाक और विधान सभा क्षेत्र हैं। फागी, दूदू और फुलेरा में बहुत खराबा है, वस्तुत: बहुत खराबा है। वहां पर जितनी मदद दी जाए उतनी कम है। इसके बाद जमवारामगढ़ और बस्सी, जयपुर जिले का यह भी संकटग्रस्त क्षेत्र है। यहां पर भी लोगों के हालात खराब हैं। पीने का पानी नहीं है। इसके बावजूद जयपुर जिले में 35 हजार की लिमिट दी है श्रमिकों की। इस 35 हजार की लिमिट में दूदू, फ़ागी और फुलेरा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

को निकालने के बाद बाकी बचे 10 ब्लाकों में मात्र 10 हजार मजदूर हैं। हालात खराब हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए।

जमवारामगढ़ में 3 लाख के करीब आबादी है और 52 ग्राम पंचायतें हैं। बी.पी.एल. परिवार, अन्त्योदय परिवार और असहाय 5 हजार लोग हैं, 30 गांव माडा में चयनित हैं, 17 गांव एस.सी. के हैं। इस भयंकर स्थिति में मात्र 3 हजार श्रमिक देकर उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में बस्सी और जमवारामगढ़ के लिये भी श्रमिकों की संख्या और बढ़ायी जाए।

श्री सभापति : अब बिराजिये आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : थोड़ा सा निवेदन पेयजल के बारे में है।

श्री सभापति : प्लीज, 10 मिनट का यहां पहले बोलने के लिये कहा हुआ है, आपके 20 मिनट हो गये।

श्री रामचन्द्र सराधना : अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। बीच में चला जाता है, इसकी तो मदद कीजिए मेरे को।

पेयजल के लिये निवेदन कर रहा था। अभी एक बहुत बड़ा सुझाव आया था देवीसिंहजी भाटी साहब का, उन्होंने कहा था कि यह भू–गर्भ जल है इसका दोहन रोकिये। लेकिन इस बात की अपनी मंशा साफ करनी पड़ेगी। राजस्थान में बिजली 6 घंटे देकर बात कर रहे हैं, किसान 6 घंटे से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। 6 घंटे से पार नहीं पड़ेगी, 8 घंटे दो, 10 घंटे दो, 12 घंटे दो। मान्यवर, मैं इस सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस बिजली के कारण भू–गर्भ जल का दोहन नहीं हो रहा है? यही स्थिति रही तो वाकई सही बात है, पीने का पानी का संकट आ जाएगा। एक तरफ हम बिजली की ज्यादा मांग करते हैं, एक काश्तकार अपना कुआं 10–12 घंटे चलाना चाहता है और एक तरफ 6 घंटे बिजली दे रहे हैं उसमें भी हालत खराब हो रही है। तो हमें यह तय करना पड़ेगा, सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि कितनी देर बिजली दी जाए जिसके कारण हमारा भू–गर्भ जल का वह स्तर बना रहे कुछ दिनों के लिये जब तक बरसात न हो तब तक।

मान्यवर, हैण्ड पम्पों की मरम्मत भी की है लेकिन उसमें पाइप्स की कमी आ रही है, पाइपों की कमी के कारण वे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तत्काल आवश्यकता को देखते हुए 10 लाख रुपये कलक्टर को दिये हैं। जयपुर इतना बड़ा है, 13 ब्लाक और 15 विधान सभा क्षेत्र हैं, इन 15 विधान सभा क्षेत्र हैं, इन 15 विधान सभा क्षेत्रों में 10 लाख रुपये से आप क्या करना चाहते हैं? कृपया इसको देखकर बढ़ाइये और सबको बराबर न करके आवश्यकता के अनुसार इसमें कमी–बेशी भी कीजिये।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में इस कार्यकाल में पानी की बहुत स्कीम्स लगी हैं, वाटर सप्लाई स्कीम बहुत अच्छी लगी है। लोगों को राहत मिली है और इस स्थिति में लोग–बाग महसूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी स्कीम्स केवल मात्र इसलिये अधूरी पड़ी हुई है कि वहां पर पाइप लाइन में कमी है। आपके माध्यम से मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर की पाइप लाइन मिल जाने से मेरी 15 स्कीम्स चालू हो जाएंगी। मेहरबानी करके 5 किलोमीटर पाइप लाइन डलवा दीजिए, लोगों को खुशहाली मिलेगी। लोग आप सब लोगों को दुआएं देंगे।

माननीय सभापतिजी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप बार बार देख रहे हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम–राम।

श्री सभापति : थैंक यू। माननीय अमीन खानजी। (अनुपस्थित) माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापतिजी, पेयजल और अकाल समस्या के ऊपर विधान सभा में 2 दिन से चर्चा हो रही है, कई माननीय सदस्यों ने पेयजल और अकाल की समस्या को लेकर चिन्ता प्रकट की है। इस वर्ष का जो अकाल है, राजस्थान के अन्दर इस अकाल के कारण जो भयंकर स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूं कि सदी का सबसे भयंकर और भयावह अकाल है। चारे, पानी और अनाज तीनों की समस्या राज्य के अन्दर भयंकर और विकराल रूप धारण किये हुए है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं, आंकड़ों के जाल में न जाकर वस्तुस्थिति से आप भी अवगत है कि राजस्थान में मुतंबातिर अकाल पड़ रहा है फिर भी राजस्थान सरकार अपने संसाधनों से इसका मुकाबला कर रही है। मैं यहां इस बात को कहना चाहूंगा और राज्य सरकार की सराहना भी करना चाहूंगा कि हमारी योजनाओं में और विकास के कार्यों में कमी न करते हुए भी राज्य सरकार अकाल का, इस भयंकर अकाल का मुकाबला कर रही है। गत वर्ष अकाल था कई जिलों में, उससे पहले भी अकाल था कई जिलों में, लेकिन इस वर्ष राजस्थान के करीब पूरे जिलों के अन्दर अकाल है। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर इसकी विभीषिका कुछ ज्यादा है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इस अकाल की समस्या को लेकर राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। अगर आप रोजगार के आंकड़े देखें तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने की चेष्टा की गयी है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बात कही थी, सारे के सारे परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

बाकी कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार में बैठे, अकाल के समय केवल उस प्रकार की सहायता दी जाती है कि जो उस परिवार, उस काश्तकार की एक दयनीय स्थिति बनी रहती है, उसमें हम सहायक रूप से कैसे मदद कर सकें और उसके जीवन–उपार्जन के लिये कैसे व्यवस्था उसकी हम कर सकें।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जो काम किया है वह आपके सामने है, लेकिन जो आने वाले दिन हैं वे हमारे लिये और भी कठिन हैं। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से और विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व वित्त मंत्रीजी मानिक चन्दजी से, जो लूणकरणसर से आते हैं, कि जब वे अपना भाषण दें तो कम से कम इस बात को कहे कि राज्य सरकार में यदि आज वे होते इस स्थिति में तो क्या इन संसाधनों से, इस वित्तीय स्थिति को देखते हुए वे अकेले मुकाबला कर सकते थे, जहां केन्द्र सरकार सहयोग न करे, केन्द्र सरकार हमको पैसा पूरा नहीं दे। और तो और, आश्चर्य इस बात का है कि हमने साढ़े 7 हजार करोड़ की योजना बनाकर दी, उसके बाद केन्द्र सरकार ने कहा और उन्होंने अध्ययन टोली भेजी। एक दफे नहीं, दो दफे टोलियां भेजी। अध्ययन टोली जो आयी उसने राज्य सरकार की इस रिपोर्ट के बाद 4160.67 करोड़ की सहायता रिकमण्ड की जुलाई के बाद। लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला? 167.34 करोड़ जिसमें गौ–शालाओं का अनुदान वगैरह भी शामिल है और 211 करोड़ जो पुराना हिसाब था वह भी उन्होंने उसके अन्दर से नान यूटिलाइजेशन के हिसाब से काट लिया। वस्तुतः तो राज्य सरकार को इस समय केवल 67 करोड़ ही मिल पाये। और एक बात और समझ में नहीं आती है, माननीय सभापति महोदय। राज्य सरकार तो कहती है कि हमने भेज दिया जो उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया था, केन्द्र सरकार को चला गया। केन्द्र सरकार कहती है कि हमको प्राप्त नहीं हुआ। अकाउंटेंट जनरल के यहां से भी पहुंच गया। प्रतिपक्ष के नेता जन लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, वह जानकारी भी उनके पास होगी। उन्होंने भी निश्चित रूप से लेखाकार, महालेखाकार से जानकारी की होगी कि यह उपयोगिता प्रमाण–पत्र पहुंचा है या नहीं पहुंचा। फिर वे किस बात के लिए कहते हैं? अब केन्द्र कहता है कि हमको उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं मिला और यहां से चला गया। यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह उपयोगिता प्रमाण–पत्र जो काम का था, वह गया कहां? सभापति महोदय, इसका कुछ नहीं है, केवल एक बहाना ढूंढ़कर राज्य सरकार की जो उचित मांग है, उचित पैसा है, उसको नहीं देने की एक तरीके की योजना है।

सभापति महोदय, मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्र सरकार को चाहिए मानवता के आधार पर सोचे। केन्द्र के कृषि मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि हिन्दुस्तान में 12-13 प्रान्तों के अन्दर अकाल है पर

(श्री दिग्विजय सिंह)

राजस्थान के अन्दर यह पांचवीं बार अकाल पड़ा है। इन सब प्रान्तों को अगर बराबर रूप में अनुदान या पैसा दिया जाएगा तो फिर राजस्थान के साथ निश्चित रूप से यह अन्याय होगा, जहां पर हम लगातार पांचवें वर्ष अकाल से जूझ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से और प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा, आपको और हमको चिन्ता है कामन कि अकाल का हम मिलकर मुकाबला करें। हो सकता है कि आंकड़ों के अन्दर खर्च के अन्दर कुछ कमी रही हो सरकार की तरफ से, कोई उपयोग नहीं हुआ हो, पर जहां तक अकाल का सामना करने का प्रश्न है, आपकी भी वही मंशा है और हमारी भी वही मंशा है कि हम मिलकर मुकाबला करें। मिलकर मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से इस अकाल की समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। मुझे याद है, माननीय सभापति महोदय, 1997 की बात है या 1996 की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का समर्थन दे रहा था, मेरे दल ने समर्थन दिया। उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं, माननीय परसरामजी मदेरणा थे और उन्होंने स्वयं आगे होकर, पहल की थी कि हम प्रस्ताव करते हैं, आप और हम साथ चलते हैं और केन्द्र के पास जाकर पैसा मांगते हैं। क्यों नहीं आप ऐसा प्रस्ताव लाये कि आपका ऐसा विचार है? अगर आप सही मायने में राजस्थान के हित की बात करना चाहते हैं और राजस्थान के गरीब के लिए आपको दु:ख है तो आप लाइये प्रस्ताव। हम तो कहते हैं कि आप लाइये। सरकार हमारी है, हमारी सरकार की वजह से केन्द्र की सरकार को कोई बदबू आती हो तो कम से कम आप लाएंगे तो वह बदबू तो नहीं आएगी। आप अगर ले लें तो राजस्थान का आप भला करोगे। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप लीड करें। आप क्यों नहीं आगे आते हैं, बजाय इसके कि आलोचना करें और पैसे के लिए और इस बात के लिए आपस में खींचतान करें? सभापति महोदय, उस वक्त जो हुआ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, और उस वक्त राजीव गांधीजी ने दौरा किया तो राजस्थान को 400 करोड़ रुपये की मदद की थी। कितनी की थी, मेरे खयाल से यह लगभग है। उस वक्त लगभग इतना कुछ किया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि हम इस बात को लेकर नहीं जाएं, बल्कि हम इस बात के लिए सोचे कि राजस्थान के अन्दर जो आज भयंकर अकाल की स्थिति है उसके लिए हमको मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डालकर हम यह कहें कि राजस्थान के अन्दर पांच वर्ष हो गये अकाल पड़ते हुए, पशुधन से लेकर प्राणी मात्र सारा इससे दु:खी है आज अगर दोनों की संख्या को मिलाया जाए तो करीब–करीब बराबर–सा ही आता है, उसकी

(श्री दिग्विजय सिंह)

सहायता के लिए केन्द्र सरकार हमको पूरी-पूरी मदद करें।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ एक और निवेदन आपको करना चाहूंगा कि जो समस्या आज सरकार के सामने अकाल राहत कार्यों पर आ रही है उस ओर विशेष ध्यान दें। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का सवाल चला आ रहा है, राज्य के अन्दर अकाल की जो स्थिति है उसमें आज ए.पी.एल. के लिए भी अकाल है। ए.पी.एल. परिवार के पास में अगर 100 बीघा जमीन भी है तो भी'उनका खेत आज खाली पड़ा हुआ है। उसकी उपज शून्य के बराबर है। बी.पी.एल. वाले के लिए था यह सब मगर आज ए.पी.एल. का जो खेतिहर मजदूर है वह भी भुखमरी के कगार पर है। केन्द्र सरकार का, मैं समझता हूं, 60 और 40 के अनुपात में कर दिया जाए। करने के बाद में 60 परसेंट तो लग रहे हैं बी.पी.एल. लेकिन अब नया आदेश चला गया कि 40 परसेंट में भी उन्हें लगाएं जो ओ.बी.सी. और दूसरी क्लासेज के हों तो जो ए.पी.एल. है वह तो टोटल ही बाहर हो जाएगा। अगर यह स्थिति आयी तो आने वाले अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये जो चार महीनें होंगे, ये बहुत ही भयंकर होंगे और उनका सामना करने के लिए सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे को जहां तक जानकारी है, शायद राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस बात के लिए लिखा है। उन्होंने जो डाइरेक्शन दिये हैं गरीबी की रेखा के नीचे वालों को कम करने के, उस बारे में सरकार ने प्रोटेस्ट भी किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके परिवार की संख्या कम की जाए। कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब परिवार है वह खतम हो जाएगा अगर आप उनको राहत नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, आप केन्द्र को दुबारा लिखे कि ए.पी.एल. को भी इन कार्यों में लगाने की छूट दे। ए.पी.एल. के लोग भी उसमें लगे तो इन लोगों को भी रोजगार मिले। आज गांवों के अन्दर हम जहां भी जाते हैं अकाल राहत कार्य देखने, यही समस्या सामने खड़ी होती है। अभी नहीं, इन चार महीनों में तो बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति आ जाएगी कि ए.पी.एल. के लोग सड़कों पर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमको भी मजदूरी मुहैया कराई जाए।

सभापति महोदय, यह अकाल की समस्या हमारे लिए एक भयंकर रूप तो धारण करती ही जा रही है। आपने एक व्हाइट पेपर दे दिया। आपने इसमें जो बात कही हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं और किये हैं, वे सराहनीय हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले चार महीने जो आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई कंटिंजेंसी प्लान आपने तैयार किया है जिससे आप यह कह सकें कि इन चार महीनों के अन्दर हम इस प्रकार से इस अकाल का मुकाबला करने की योजना बनाने जा रहे हैं। ये जो आपके फिगर दिये हुए हैं यह तो केवल

(श्री दिग्विजय सिंह)

आपकी उपलब्धि है, जो आप अब तक कर रहे हैं। पर आपका कंटिंजेंसी प्लान जिसको आप सस्टेन या कंटेन करने जा रहे हैं, उसका कहीं संकेत नहीं है कि अगले आने वाले चार महीनों के अन्दर हम इस प्रकार से इस अकाल का मुकाबला करेंगे। आप यह मानकर चले कि केन्द्र सरकार आपको कोई मदद देने वाली नहीं है। वह इसलिए मदद देने वाली नहीं है, शायद विचार बन भी जाता लेकिन अब हिमाचल का झटका लगने के बाद शायद दुबारा से सोचेंगे। इसलिए आप मानकर चले कि केन्द्र के भरोसे पर नहीं रहना, केन्द्र आपको नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि कल जब हमारा बजट पेश होगा उस बजट के अन्दर कुछ उपलब्धि हमको मिलेगी। इसलिए आगे संसाधन हमीं को जुटाने होंगे। हमारी योजनाओं के आकार को कम करना होगा, हमारा प्लान एक्सपेंडिचर काटना होगा, हमारे कई विकास के काम भी कम करने होंगे। ये सारे इस वजह से होंगे कि हमारे को केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया, उस बजट के अन्दर जैसी कि सूचना थी, 1200 करोड़ रुपये की जो हमको आमदनी होती उसमें कमी आ गई। यह पैसा कम होता जा रहा है और केन्द्र से हमको पैसा मिलेगा नहीं। आप आगे भी मानकर चले कि केन्द्र सरकार आपको पैसा नहीं देगी। पैसा देगी तो, सभापति महोदय, मेरा अनुमान है कि वह आपको देगी जुलाई–अगस्त में देकर सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, के अन्दर जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे, यह प्रचार भी कर देंगे कि हमने आपको पैसा दे दिया था, आपने खर्च नहीं किया। इस तरह से दोहरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी बात समझ गये और आप जानते हैं इस बात को।

बाड़मेर के सम्बन्ध में कल माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने कहा भी था, केन्द्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, हमें तो उम्मीद पूरी थी कि राजस्थान के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे और जब केन्द्र का बजट प्रस्तुत करेंगे तो राजस्थान को विशेष ध्यान में रखकर कुछ सहायता प्रदान करेंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि वह राजस्थान के ही वित्त मंत्री नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, सारे भारत के वित्त मंत्री हैं और सारा भारत उन्हें सामने दिखता है। पर उनको अपनी जन्म भूमि और जन्म स्थान को नहीं भूलना चाहिये। राजस्थान के बारे में उनको निश्चित रूप से पहले सोचना चाहिये। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि जब वह दौरे पर पधारे थे, खास तौर से जब उन्होंने बाड़मेर क्षेत्र का दौरा किया, फिर दिल्ली जाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वह घोर आश्चर्यजनक है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा, यह शायद सितम्बर अक्टूबर, की बात है, जब दौरे पर आये थे, कि ऐसी कोई भयंकर स्थिति नहीं है जिसको राजस्थान के अन्दर अकाल की बहुत भयंकर स्थिति कहा जाए। माननीय सभापति महोदय,

(श्री दिग्विजय सिंह)

माननीय वित्त मंत्रीजी ने एक पैकेज प्रोग्राम पश्चिमी राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिये जारी किया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं इससे साफ जाहिर है कि माननीय वित्त मंत्रीजी, भारत सरकार ने राजस्थान के अन्दर और इलाके में तो पशुधन माना ही नहीं। अगर कहीं पशुधन है तो केवल पश्चिमी राजस्थान में ही है, राजस्थान के और इलाकों में कहीं नहीं है। राजस्थान को इस प्रकार से पैकेज देकर उन्होंने बांटने की कोशिश की है, भावना भड़काने की कोशिश की हैं कि पश्चिमी राजस्थान को मैं दे रहा हूं। पूर्वी राजस्थान को नहीं दिया। जबकि आज पशुधन को बचाने के लिये सारे राजस्थान में समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से खास तौर से प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे माननीय वित्त मंत्री के ऊपर इस बात का दबाव डाले कि यह जो पशु पैकेज दिया है इसे सारे राजस्थान के लिये लागू करें तभी राजस्थान के सारे पशुधन को बचाया जा सकता है। जिस हिसाब से उन्होंने वहां दिया है उसके लिये मैं कहूंगा कि कोई ज्यादा सार्थकता या उपयोगिता वहां नहीं हो पाएगी। बाड़मेर और जैसलमेर से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि आधे से ज्यादा पशुधन तो वहां से पलायन कर चुका है। यह नहीं कि अकाल की वजह से, बल्कि वहां तो परम्परा है, चाहे अकाल हो सुकाल हो। आप जानते हैं, सभापति महोदय, पशुधन पलायन करता है और बाहर चला जाता है। अब वहां बचता क्या है? ऐसी स्थिति के अन्दर वहां जो पैसा दिया गया उसको अगर समस्त राजस्थान को ध्यान में रखकर देते तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा लाभदायक होता। सभापति महोदय, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, उनकी इच्छा जरूर थी कि सारे राजस्थान को ही दिया जाए। जब अध्ययन टोली ने राजस्थान के लिये पैकेज प्रोग्राम दिया 4,167 करोड़ का, उस वक्त उनकी तो इच्छा थी पर केन्द्र के अन्दर टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं, माननीय आडवाणीजी, शायद उनके और उनके कुछ विशेष प्रेम है और इस वजह से उनके हाथ बंध गये। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के चाहते हुए भी उन्हें अपनी भावनाओं को रोक कर राजस्थान के लिये अपने हाथ खींचने पड़े और राजस्थान को पैसा नहीं के बराबर मिला।

सभापति महोदय, अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ मैं पेयजल के बारे में भी निवेदन करूंगा बहुत थोड़े, में ही, कि पेयजल की समस्या भी आज भयंकर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय, प्लीज समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : आने वाले दिनों में समस्या हो जाएगी, अब पेयजल के लिये इसलिये निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, इसके अन्दर आपका भी कोई दोष नहीं है,

(श्री दिग्विजय सिंह)

दोहन इतना होता जा रहा है कि पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। आप वाटर का कंजर्वेसी प्लान भी बनाएं। मैंने कई दफे इस बात को सदन में कहा है कि वाटर कंजर्वेसी प्लान आप राजस्थान के अन्दर लागू करें। राजस्थान के अन्दर पिछले बीस वर्षों को उठाकर देख लें, इर्रेटिक रेनफाल है कभी कांस्टेंट रेनफाल तो कहीं हुआ ही नहीं। जब इर्रेटिक रेनफाल होती है तब वाटर का जब तक आप कंज़र्वेसी प्लान नहीं बनाएंगे और यह दोहन होता जाएगा तो जैसे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, आज पानी नीचे है ही नहीं तो आप लाओगे कहां से? इसलिये इस प्लान को भी आप अपनी स्थिति में देखे और देखने के बाद एक प्लान और बनाएं और उसके बाद उपयोग करें।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि जयपुर के लिये पीने का पानी की योजना आपने बनायी बीसलपुर से। जहां तक मेरी जानकारी है, सी.डब्ल्यू.सी. और आपके पी.एच.ई.डी. ने कहा है कि बीसलपुर से पानी लाने की योजना शुरू में बनी थी उससे जयपुर को 2021 तक पानी सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आपके सामने फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। यह स्थिति उस वक्त थी यह जब दूसरे शहर इससे जुड़े नहीं थे। अब इसमें अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, पाली हो गया, भीलवाड़ा आ रहा है, नसीराबाद आ रहा है और दूदू और फुलेरा और जुड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो 2021 आपने लक्ष्य रखा है वह केवल 2011 तक ही रह जाएगा और जयपुर को पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाएगी। आज जयपुर की पापुलेशन 20 लाख है, वह दस साल बाद में करीब 40 लाख हो जाएगी और वहां की क्षमता जो जयपुर को सप्लाई करने की है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हालांकि इनके तो हाथ बंधे हुए हैं इस मामले के अन्दर, यह तो वित्त विभाग ही करेगा, ईसरदा के डैम का आप विकल्प के रूप में निर्माण कराइये। सी.डब्ल्यू.सी. की रिपोर्ट मैंने प्रधानमंत्रीजी के सामने रखी हुई है जिसमें उन्होंने स्वयं माना है कि अगर जयपुर को स्थाई रूप से पीने के पानी की समस्या का समाधान करना है तो निश्चित रूप से आपको ईसरदा डैम का निर्माण कराना पड़ेगा। ईसरदा डैम जयपुर से 98 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि बीसलपुर से जो पानी आएगा वह 182 किलोमीटर दूर पड़ता है। आधी कास्ट के अन्दर आपकी पाइप लाइन यहां पर आती है, जबकि वहां पर आपके 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पेयजल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जयपुर को पीने के पानी की समस्या को भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आपके क्षेत्र में भी पीने के पानी की बहुत समस्या है। मैं आपके क्षेत्र को भी जानता हूं, क्षेत्र के बिलकुल पास में रहता हूं, आता–

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाता हूं। सारे राजस्थान के अन्दर ही पीने का पानी की समस्या है, इसके लिये मैं समझता हूं, माननीय मंत्रीजी, आपका डिपार्टमेंट और आप सतर्कता से कार्य करेंगे। करने के बाद पीने के पानी की समस्या को ध्यान में रखकर आने वाले जो चार महीने हैं उनके लिये आप कुछ व्यवस्था बनाएंगे तो मैं समझता हूं अच्छा होगा।

अन्त में, मैं अकाल राहत मंत्रीजी को एक–दो सुझाव और देना चाहूंगा कि आप अकाल के सम्बन्ध में एक रिवाल्विंग फण्ड क्रिएट करें। रिलीफ के लिये रिवाल्विंग फण्ड कैसे क्रिएट हो? जो आपके डिपार्टमेंट में सेविंग्स हैं वे आप रिलीफ फण्ड में डाल दीजिये। एक और निवेदन करना चाहूंगा, वह वित्त मंत्रीजी से सम्बिन्धित है पर आप सुझाव दे सकते हैं, कि आपके प्रोपर्टी के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, मैंने आंकड़ा लिया है साल में 450 करोड़ की प्रोपर्टी का ट्रांजेक्शन होता है, अगर उसके ऊपर आप दो प्रतिशत भी लगा दें रिलीफ सरचार्ज तो 25 करोड़ रुपये सालाना आपके पास आएंगे। हर साल अगर आप रिलीफ के लिये एड करते चले जाएं तो आपको केन्द्र की तरफ झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मेरा सुझाव है, आशा है माननीय मंत्री महोदय, वित्त मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे और करने के बाद इसमें कार्यवाही करेंगे।

अन्त में, मैं अकाल राहत मंत्रीजी की इस बात के लिये सराहना करता हूं कि इस साल अकाल का बहुत सारा जो प्रबन्ध किया गया है वह सराहनीय है प्रतिपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी कहें, आप भी जानते हैं इस बात को, कि भ्रष्टाचार की जो बात और आंकड़े बताये हैं, अगर आप इन आंकड़ों को पहले के आंकड़ों से मिलाएं तो यह नगण्य के बराबर है बाकी साधारणतया गलतियां सब से होती है। इस साल मैं समझता हूं, बोलने के लिए हम बोल लें, पर जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर या निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत किसी ने भी कभी नहीं की, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो। किसी ने कोई शिकायत नहीं दी है इसलिए बिलकुल पारदर्शिता के हिसाब से सारा काम हुआ है। अकाल राहत मंत्रीजी ने जो सारी व्यवस्था की है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के झगड़े को तो निश्चित मिटाएं। बी.पी.एल. के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल पहले के चयन हुए थे, इनका चयन उस सरकार ने किया था। उस वक्त उनका अंधाधुंध चयन कर लिया, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, कुछ भी हों, और जो असल में गरीब था वह बैठा रह गया। वह गरीब आज भी मांगता है। इसलिए बी.पी.एल. की जो सूची बनी हुई है उसको आप निरस्त करवाएं या दोबारा से इसको

(श्री दिग्विजय सिंह)

करवाएं ताकि असल में जो गरीब रह गया है उसको नौकरी मिल सके, वह बी.पी.एल. लिस्ट में शामिल हो जाए और अकाल राहत का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना साहब।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं 5 मिनट में मेरी बात कह दूंगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया। मैं तो कभी-कभी बोलता हूं। सुराना साहब अगर चाहे तो पहले बोल लें। आप तो काफी लम्बे टाइम तक बोलोगे।

श्री सभापति : पांच मिनट दे दें इनको?

श्री मानिक चन्द सुराना : दे दीजिये पांच मिनट।

श्री सभापति : माननीय रिछपालजी मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : सम्माननीय सभापति महोदय, दो दिन से सदन में अकाल पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में लगातार चार साल अकाल ने राजस्थान को गम्भीर स्थिति में पहुंचा दिया। यह किसी के बस की बात नहीं है। जब भगवान रूठ जाता है तो ऐसी आपदाएं आती हैं, लेकिन इस आपदा में राजस्थान में आज जो सरकार काम कर रही है वह जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार है। पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है मैं आरोप और प्रत्यारोप में नहीं जाकर जिस जिले और जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र और जिले की गम्भीर समस्याएं अकाल राहत मंत्रीजी विराजमान है, सरकार पूरी विराजमान है, उनके समक्ष रखकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां है सरकार?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अकाल राहत मंत्रीजी बैठे हैं, सी.पी. जोशी साहब बैठे हैं, सरकार में क्या कमी रह गयी राठौड़ साहब?

आज राजस्थान की यह स्थिति है कि नागौर जिले के मेरे क्षेत्र डेगाना में 1439 गांव अकाल से प्रभावित हैं, 35 लाख लोग और इतने ही मवेशी अकाल से पीड़ित हैं। आज गायों की दुर्दशा हो रही है। आज हर हाथ को काम की जरूरत है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जो आज कह दे कि मैं मजदूरी करने के लिए जाना नहीं चाहता। सब लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हैं पर सरकार के पास संसाधनों की कमी है। इन संसाधनों के होते हुए भी सरकार ने इस अकाल से निपटने के लिए पिछले साल जो काम किये, जो काम सही हुआ उसके लिए मैं सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूंकूंगा। पिछले साल अकाल प्रबन्धन में ठीक काम हुए, मेरे क्षेत्र में भी तालाबों की खुदाई का काम हुआ वह ठीक हुआ।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। यह भ्रष्टाचार न इधर रुकने वाला है न उधर रुकने वाला है। यह भ्रष्टाचार तो एक परम्परा बन गयी। सभापति महोदय, जहां से फाइल शुरू होती

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

है, जहां से सैंक्शन शुरू होती है वहां से लागू होती है और जहां तक सैंक्शन समाप्त नहीं होती, उसका पीछा नहीं छूटता तो भ्रष्टाचार की तो बात करना ही बेकार हो गया।

सभापति महोदय, इस अकाल की स्थिति में राजस्थान की जनता की आंखों में आंसू आ रहे हैं। नागौर जिले में जो श्रमिक सीमा है, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर इतना बड़ा जिला है, 11 पंचायत समितियां हैं। हां, अगस्त में आपने काम शुरू कर दिये थे पर अगस्त में श्रमिक सीमा 5000 थी, सितम्बर में 5000 थी, अक्टूबर में 7000, नवम्बर में 18000 और दिसम्बर में 30900, यह श्रमिक संख्या इस जिले के लिए बहुत कम है। मेहरबानी करके इस श्रमिक संख्या को एक लाख करने की कृपा करें, तब नागौर के लोगों को अकाल राहत के अन्दर काम मिलेगा।

सभापति महोदय, जो जिला पशुपालन और खेती के लिए मशहूर है जहां के बैल की नस्ल राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में मानी जाती थी, वहां के सब मेले बरबाद हो गये। मेलों की यह हालत है कि जिस मेले में 32 हजार से लेकर 48 हजार तक पशु आते थे, आज मात्र 3000 पशु आते हैं। यही हालत है नागौर के मेले की, यही हालत है परबतसर के मेले की और यही हालत है मेड़ता के मेले की। दो–चार और भी छोटी–छोटी जगहों पर पशु मेले लगते थे, इनको आप कैसे बचाओगे? आने वाले 4 महीने आप कैसे निकालोगे? यह सरकार के लिए बहुत गम्भीर चिंता का विषय है।

आज पशुओं के लिए 5 से 7 रुपये किलो के बीच में कुट्टी मिल रही है, खाखले का भी 200 रुपये क्विंटल से ज्यादा का भाव है। हरेक आदमी के बस की बात नहीं है कि वह चारा खरीद कर अपने पशु को बचा ले। सरकार को पशु बचाने के लिए जो राहत देनी है, यही समय है, समय रहते सरकार को इन चारा डिपो में और वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पशुधन है, उसको कैसे बचाया जा सके, इस पर हम सब को मिल कर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, बिजली मंत्रीजी यहां नहीं हैं, अभी बीच–बीच में उठ कर कह रहे थे। बिजली मात्र 6 घंटे दी जा रही है। कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता। यह बात कही गयी कि जमीन में धरती का सीना फाड़ कर जल निकाल रहे हैं इस वोट के राज में कोई उसको बन्द करने वाला नहीं है। कोई बन्द नहीं करेगा। कौन अपने ऊपर ठीकरा फुड़वाएगा कि इस सरकार ने बन्द कर दिया? लेकिन इस 6 घंटे बिजली से किसान की फसल नष्ट हो रही है। अतिवृष्टि हुई ओलावृष्टि हुई, पानी गिरा, जीरे की फसल नष्ट हो गयी, गेहूं की फसल जिसमें कभी लट नहीं लगती थी, अब के उसमें गेहूं को खाने वाली एक लट

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

लगी है जो गेहूं का सत्यानाश कर देगी। इन सब विषयों पर सरकार को सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी आ गये। इसी सदन में चारा योजना के तहत इन्होंने घोषणा की थी कि जो कनेक्शन किसानों को दिये जाएंगे चारा योजना के तहत, उनको दो साल में सामान्य श्रेणी में कर दिया जाएगा। मैं बड़े दु:खः के साथ कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि आज तक उन किसानों के कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया गया। यह बड़े दु:ख की बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं किया गया, बड़े दु:ख की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आपके पास जवाब है क्या, मंत्रीजी?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अब आप बीच में मत बोलो, हां । फिर आपको मैं नहीं बोलने दूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मेरे से कुछ नहीं सुने इसलिए मेरे बीच में नहीं बोले।

जो घोषणाएं की थीं उनको लागू नहीं किया गया। आज राजस्थान का किसान बिजली की क्या रेट दे रहा है, फिर भी दो साल में उसका कनेक्शन सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? आपने इसी हाउस में घोषणा की थी। आप कह कर बताओ कि हम कर रहे हैं उसको सामान्य श्रेणी में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनकी कथनी और करनी अलग–अलग है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: सभापति महोदय, इनके कथनी और करनी में अन्तर है। जो सच्चाई है वह सच्चाई मैं इस सदन में बयान कर रहा हूं। कोई भी एक गलत बात कहूं तो कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यह बात आप गलत कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सही बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : (ऊर्जा मंत्री): कोई घोषणा नहीं की । (व्यवधान) बैठे-बैठे ही जवाब देंगे...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, नहीं, आप मेहरबानी करके बाद में बोल लेना, जवाब दे देना इसका। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: अभी आप अशक्त नहीं हो गये हो।

एक माननीय सदस्य : बैठे–बैठे बोलने की इजाजत दे दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जलदाय मंत्रीजी बिराजमान हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनमें लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। क्षेत्र में 210 गांव हैं । एक टी.एस.एस. योजना पूरे राजस्थान में चल रही है, उस योजना के तहत अभी किसी गांव में कोई मोटर जल जाए तो 15 दिन वह मोटर तैयार नहीं होती है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिले

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

और जानवरों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा विचार करें कि 15–20 दिन वह स्कीम बन्द नहीं रहे। जिन गांवों में पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, एक कंटिंजेंसी प्लान बनाकर उन गांवों को शामिल करें ताकि उन गांवों को इस गर्मी के समय में पीने लायक पानी तुरन्त मिल जाए, आपसे यह निवेदन है।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के मुखिया मुख्य मंत्रीजी अभी कुछ माह पहले मेड़ता पधारे थे, उनके द्वारा यह घोषणा की गयी कई माननीय सदस्य भी साथ थे, मंत्रीजी भी साथ थे, कि नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर का पानी लिफ्ट करके चार–पांच महीने में पहुंचा दिया जाएगा। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले की जनता को, नागौर जिले के किसानों को और नागौर में जो अधिकांश तहसीलों में कुएं हैं उनको बचाने के लिए अगर सरकार प्रयास करे तो इन्दिरा गांधी नहर का पानी लिफ्ट करके पानी नागौर में पहुंचा दें तभी नागौर जिले का किसान भी बच सकता है। सिंचाई की बात दूर है, यह पानी पीने के लिए, कुओं का लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास करने पर वहां की जनता को राहत दे सकता है। मैं इतनी ही बात निवेदन करना चाहता हूं, आपने समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, अभी माननीय रिछपालजी मिर्धा ने नागौर के सम्बन्ध में और पश्चिमी राजस्थान के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। पशुधन के बचाव के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कीं और कुछ सुझाव दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल पर कल से चर्चा हो रही है, काफी सारगर्भित चर्चा हुई है। यदि उन तारीफों को निकाल दें जो कि तारीफ करने की दृष्टि से ही बात कही गयी है या सिर्फ निन्दा की ही दृष्टि से कोई बात कही गयी है इन दोनों तरह की बातों को निकाल दें तो निश्चित रूप से अकाल पर काफी सारगर्भित चर्चा हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल पर जितनी चिन्ता व्यक्त की गयी है–चार साल हो गये, पांचवें साल में चल रहे हैं अकाल में, 41 हजार गांव प्रभावित चार करोड़ मनुष्य प्रभावित, सवा चार–साढ़े चार करोड़ पशु प्रभावित कुल साढ़े आठ करोड़ मनुष्य और पशु प्रभावित हैं। जब पूरे राजस्थान का हर आदमी और हर पशु प्रभावित है तो उसमें हमने अपने कोष से क्या किया है भारत सरकार ने क्या किया है, कभी तो इसका आकलन करना ही पड़ेगा। यह विपत्ति हमारी है, लेकिन हमारी विपत्ति इतनी बड़े पैमाने पर है कि करीब–

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करीब राष्ट्रीय विपत्ति है। जब राष्ट्रीय विपत्ति है तो भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2003 को राजस्थान को एक विशेष दर्जा, हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों से अलग एक विशेष दर्जा प्रदान किया। जो कुछ 13 फरवरी से पहले दिया जा चुका था अनाज से रूप में, उसको भी यदि ध्यान में रख ले तो कुल 10.10 लाख टन पहले दिया गया था उसके अलावा 19 लाख टन अनाज राजस्थान को जून नहीं, जुलाई 15 तक के लिए प्रदान किया गया और स्पेशल स्कीम आपके लिए घोषित की। चाहे टास्क फोर्स के अध्यक्ष आडवाणी साहब ने की, चाहे प्रधानमंत्रीजी से राजस्थान के सभी एम.पी. मिले और प्रधानमंत्रीजी ने की, वह एक ही बात है। भारत सरकार ने यह स्कीम घोषित की है। आपने जो मैमोरेण्डम 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में माननीय गृहमंत्रीजी, भारत सरकार को दिया है मैं उसका जिक्र इस दृष्टि से कर रहा हूं कि आपने जनवरी, 2003 में 21 लाख लोगों को रोजगार देने का आकलन किया रोजगार तो आपका दस दिन का ही है, बल्कि दस दिन में एक दिन छुट्टी, नौ दिन का रोजगार फिर 21 लाख दूसरे आ जाएंगे और फिर 21 लाख दूसरे आ जाएंगे। पर एक महीने में कुल मिला कर 21 लाख लोग ही रोजगार पर रहेंगे। आपने कहा कि फरवरी में 23 लाख को देंगे, मार्च में कह दिया कि 25 लाख को देंगे। मैं आपका ही डाकूमेंट पढ़ रहा हूं, पेज 29 पर है। अप्रैल में आपने कहा कि 28 लाख को काम देंगे, मई में तीस लाख को काम और फिर जून में तीस लाख को काम। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपके आकलन की 85 प्रतिशत से ऊपर फण्डिंग तो भारत सरकार ने कर दी। फरवरी महीने में पचास लाख लोगों के लिए, जिसको यदि मैं प्रतिदिन के हिसाब से करूं तो साढ़े सोलह लाख लोगों के लिए अनाज देने की उन्होंने घोषणा कर दी। फरवरी में साढ़े सोलह लाख और उसके बाद अप्रैल, मई, जून में 22–22 लाख लोगों के लिए जिसको आपकी भाषा में 66 लाख कह दीजिए, उन्होंने घोषणा कर दी। मैं उस विवाद पर नहीं आऊंगा, छह किलो, आठ किलो, वह मुद्दा अलग है। पर, सभापति महोदय, जो आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया, भारत सरकार की जो भी स्टडी टीम आयी, आपने अपने पेज 21 पर यह साफ तौर पर स्वीकार किया कि 228 पाइंट जो भी करोड़ रुपये हमको मिल गये सी. आर. एफ. के और 11.66 लाख रुपये एन. सी. सी. एफ. से मिल गये 31.12.2002 तक। कुल मिले 150 करोड़। माइनस का पाइंट तो मैं बाद में टच करूंगा, इस साल आपको मिल गये 228 और 11, कुल 239 करोड़ रुपये। आपके खुद के डाकूमेंट में स्वीकारोक्ति है। कभी–कभी हां पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि भारत सरकार ने घोषणा कर दी और दिया नहीं। पता नहीं उनकी सूचनाएं किस स्रोत से आती हैं, जबकि सरकार अपने डाकूमेंट में यह मान रही है कि हमें प्राप्त हो गया है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, 231 करोड़ का आपने खर्चा किया 31.12.2002 तक सहायता पर, पशु संरक्षण पर, पेयजल पर। बिना काम किये

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनको घर बैठे राहत दी। लुहार, सुथार जो गांव के कुटीरजन हैं, उनको भी आपने लिखा है कि चार करोड़ उन्नीस लाख रुपये दे दिये। अनुपूरक पोषाहार में भी आपने खर्च कर दिये दस करोड़ और एक करोड़ बत्तीस लाख मेडिसिन में खर्च कर दिये। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य सुरेन्द्रजी व्यास इसको देखेंगे, एक करोड़ बत्तीस लाख और राजस्थान का साढ़े चार करोड़ पशुधन। चार करोड़ पशुओं के लिए भी और हमारे लिए भी, सारी दवाई एक करोड़ बत्तीस लाख में। उसका जोड़ आ गया 231 करोड़, आपको 228 मिल गये। अभी तो मैं भूल रहा हूं 11 करोड़ को, 231 आपने खर्च कर दिये। तीन करोड़ रुपये अधिक से अधिक खर्च कर दिये आपने और 11 करोड़ को मिलाऊं तो आठ करोड़ आपके पास बचेंगे। मैं उस बचे हुए की बात नहीं करता, वह सरकार के पास बचा रहता है, चलता रहता है। मैं निवेदन यह करता हूं कि आपने 31.12 तक अपने कोष से खर्च क्या किया? आपने अधिक से अधिक तीन करोड़ रुपये खर्च किये यह जो खर्च किया, इनको सात लाख टन अनाज उस वक्त तक मिल चुका और इन्होंने अपने डाकूमेंट में माना कि सात लाख टन में भी हमने 31.12.2002 तक छह लाख सैंतीस हजार टन खर्च किया। मैं ऊपर के आंकड़े 834 वगैरह नहीं बोल रहा हूं, राउण्ड फिगर में बोल रहा हूं, छह लाख सैंतीस हजार टन खर्च कर दिया। आपके पास तो 63 करोड़ बचा हुआ रह गया। और जो आगे अनाज आया जनवरी तक, आपका यही डाकूमेंट है जो कहता है कि 7.32 लाख टन खर्च कर दिया। यह अनाज 25 प्रतिशत मजदूरी के रूप में राजस्थान के अकाल राहत पीड़ितों को दिया जा रहा है मजदूरी के रूप में। यह बिलकुल सही है तो, यदि मजदूरी पचास है तो साढ़े सैंतीस रुपये का तो आपने गेहूं दे दिया और साढ़े बारह रुपये जो बचे हुए हैं वे रिलीफ वर्क्स में आपने 121 करोड़ खर्च कर दिये। और विभिन्न मदों में भी मिला ले तो आपने रुपया सारा भारत सरकार के सी. आर. एफ. से आया हुआ ही खर्च किया। मैं अभी एन. सी. सी. एफ. और उस पर ही नहीं हूं। आपने मात्र तीन करोड़ रुपये अपने कोष से अधिक से अधिक खर्च करने का काम 31.12 तक किया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सी. आर. एफ. में राजस्थान का पैसा कितना है, यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 57.05 करोड़। माननीय गृह मंत्री जी जैसे उनकी देयता है कि चाहे अकाल पड़े या न पड़े रुपया तो देना है उनको, उसी तरह यदि आपको 171 करोड़ रुपया लेना है तो 57 करोड़ तो मिलाना पड़ेगा। अगर आपने 57 दिया उसको भी जोड़ लें तो 57 और 3,60 लगा दिये आपने। आप यही तो कहना चाहते हैं कि साठ करोड़ तो आपने लगाये यह मान लें? क्या यह है कि 171 करोड़ रुपया वैसे ही आ जाएगा बिना कुछ अपने दिए हुए ही? यह है संवैधानिक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देयता जो आपकी बनती है सी. आर. एफ. लेने में और यह है संवैधानिक देयता उनकी जो 75 परसेंट रुपया देने में बनती है। उन्होंने दिया आपको और उसी से काम चल गया। उस से तीन करोड़ रुपया आपका अधिक से अधिक लग गया। लेकिन 11.66 करोड़ को और मान लेंगे तो आठ करोड़ बच गये।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह भ्रम न बनाएं। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे पूर्व गृह मंत्री और उनियारा से आने वाले माननीय विधायक यह कह रहे थे कि अपने संसाधनों से अकाल राज्य सरकार चला रही है। आपके कौनसे संसाधनों से अकाल चल रहा है? जरा गम्भीरता से विचार करें। आप सरकारी दस्तावेजों को देखें। अब मैं कहना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब इनके पास सरकारी दस्तावेज आते ही नहीं हैं। अपने पास थे तब आते थे सरकारी दस्तावेज। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्रीजी, आप जवाब देंगे, आप उस जवाब में यह कहेंगे कि भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार ने 1993–94 में यह नहीं किया, 1995–96 में यह नहीं किया...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उस पर नहीं जाऊंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप मेरी बातों का जवाब देंगे, मैं बहुत धैर्य से सुनूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : भैरोंसिंह जी के नाम पर, उनकी परफारमेंस पर आप चमक क्यों रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो आप चमके हुए बैठे हो; मेरे चमकने का तो सवाल कहां है। लेकिन आपका जवाब यही है कि पुराने टाइम में यह नहीं हुआ, हमने यह कर दिया। इस आदत को, माननीय विद्युत मंत्रीजी, जरा बदलिये और मैरिट पर बात करिये, मैरिट पर बात करने की शुरूआत करिये।

आप, माननीय गृह मंत्रीजी, मुझे तो यह बताएं कि भारत सरकार ने जो दिया वह तो दे दिया, आपने जो रोजगार की घोषणा की जनवरी में इक्कीस लाख, आप कहेंगे हमने तो भारत सरकार को कहा था कि आप रुपया दे देंगे तो हम कर देंगे इक्कीस लाख। मैं कहना चाहता हूं कि आपका आकलन इक्कीस लाख का था और भारत सरकार ने आपको जो भी दिया वह दिसम्बर तक काफी हो गया। आपने 21 लाख मजदूरों को रोजगार दिया क्या जनवरी में? क्या आपने फरवरी में 23 लाख लोगों को रोजगार दिया? 21 लाख का मतलब है रोटेशन से 63 लाख को और 23 लाख का मतलब है रोटेशन से 69 लाख को। आपने तो सीलिंग फिक्स कर दी वही सोलह लाख जिसमें एक लाख साठ हजार तो अनेक योजनाओं के और साढ़े चौदह लाख अकाल राहत के। उसी को आप जनवरी में चलाते रहे। जनवरी में आपने ज्ञापन दिया भारत सरकार को, आपने 21 लाख करने की हिम्मत नहीं की क्यों नहीं की? माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत तालियां पिटवाते हैं कि भारत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सरकार मदद नहीं करेगी तो मैं अपने साधनों से ही चलाऊंगा अकाल को, आप दो महीने तो चलाकर बताते।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पहला हिस्सा तो पूरा कर लें आप 228 करोड़ का वह 150 करोड़ वाला कहने वाले थे वह तो पहले कह दीजिए, एक हिस्सा पूरा हो जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, वह माइनस 150 करोड़ जो लिखा है यह आपकी आंकड़ेबाजी है, सी. आर. एफ. में रुपया आपको और निश्चित मिलना है। आज यदि 500 करोड़ खर्च कर देंगे आपको 228 करोड़ आना है तो वह माथे नहीं है भारत सरकार के कि आप मायनस करके लिख देंगे। यह माइनस तो तब करते आप जबकि भारत सरकार की घोषणा होती कि आप जो भी खर्चा करेंगे, उसकी पाई-पाई हम रिएम्बर्स करेंगे, आपको देंगे आप इस मानस से चल रहे हैं कि हमने खर्च कर दिया, हमने नाबार्ड से लोन ले लिया, अब दे भारत सरकार 150 करोड़ भी दे दे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सी. आर. एफ. तो कंसोलिडेटेड फण्ड होता है उसमें से जो माइनस होगा वही तो करेंगे न।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये सब बातें कह सकते हैं।

श्री सभापति : कल्ला जी भी यह बोल रहे है और कौनसी भाषा बोल रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : 150 करोड़ माइनस का, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, कोई भी सन्दर्भ नहीं है। आपने पिछले तीन सालों में मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया है मेरे पास उत्तर भी है, 150 करोड़ आपने नाबार्ड से लिया तीन सालों में। इनके राज में आने के तीन सालों में 150 करोड़ ले लिया और यह कहते हैं अकाल में खर्च कर दिया। कर दिया तो उसका रिएम्बर्स आप करेंगे भारत सरकार का, माइनस आप लिखने के अधिकारी नहीं हैं, मेरा जवाब यह है। और मेरा निवेदन यह है कि आप संवैधानिक चीजों को संवैधानिक तरीकों से समझे, यदि उन्होंने आपको कहा हो कहीं कि आप खर्च कर देंगे तो हम रिएम्बर्स करेंगे तो आप माइनस लिखने के अधिकारी हैं, अन्यथा आप कोई अधिकारी नहीं हैं।

अब मैं इस बात पर आ रहा हूं कि बाईस लाख लोगों के रोजगार का अनाज और बाईस लाख लोगों के रोजगार को 15 जुलाई तक चलाने का पैसा आपको भारत सरकार ने गेहूं के रूप में दे दिया। अनाज के रूप में 75 प्रतिशत मजदूरी का रुपया आपको दिया जा चुका है। अभी जमवारामगढ़ से आने वाले विधायक कह रहे थे, इतना ही आया, इतना ही आया, इसका कोई मतलब नहीं है। 19 लाख टन अनाज जो आपने 7.32 खर्च किया है, वे आपको 19 लाख टन या 20 लाख टन एक साथ भेज देंगे, आपकी भी प्राब्लम होगी। आपकी जो मंथली नीड है वह बराबर भारत सरकार ने पहले भी भेजी है और भारत सरकार बराबर भेजेगी। हम यहां बैठे हैं, हम आपकी मदद के लिए हैं, हम राजस्थान की जनता के पक्ष को मजबूत करने के लिए हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान के सारे एम. पी. जिसमें कांग्रेस के एम. पी. भी थे और बी. जे. पी. के एम. पी. भी थे, उन सबकी बात को माननीय प्रधानमंत्रीजी ने मानकर राजस्थान को यह 29 लाख टन का पैकेज दिया है। गेहूं चाहे ऊपर से आया भारत सरकार की काम के बदले अनाज योजना से, पर आपको उपलब्ध कराया ताकि आप काम को चला सकें। अब आप कहते हैं, मुझे अफसोस है कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि अनाज दिया है, अनाज दिया है। मतलब पच्चसी परसेंट मजदूरी का पैसा नहीं दिया। माननीय गृह मंत्री जी, आपको 2003–2004 का आधा पैसा एडवांस में मिल गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो अगले अप्रैल से जो काम चालएंगे उस पर कम हो जाएगा। एडवांस लेना तो हमारा राइट है। उससें भारत सरकार ने नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड से क्यों दिया है, यह बता दो मेरे को तो?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्री जी, आप सुनो। आप उद्विग्न न हों।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप यह बात तो जानते हो कि नेशनल कैलेमिटी कंन्टिंजेंसी फण्ड देश भर के लिए बना हुआ है। पहले उसका नाम था नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फण्ड, उसको बदलकर आपने कर दिया नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड। उसमें कितना रुपया दिया, यह बता दीजिए आप?

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको 11.66 मिला पहले।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह भी पशुओं को बचाने के लिए 11.66 मिला। वर्क्स के लिए एक पैसा नहीं दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बिराजें, वह मैं निवेदन करता हूं। क्यों नहीं दिया आपकी निगाह सिर्फ उसी पर है। 29 लाख टन, 2900 करोड़ दे दिया, आप तो उसको कर रहे हैं 29 लाख टन में 2900 करोड़ दे दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस प्रकार से आन्ध्र के मुकाबले में जहां पहली बार अकाल पड़ा, राजस्थान में पांचवीं बार अकाल पड़ा, उसमें भेदभाव किया गया है। आन्ध्र प्रदेश को कितना दिया, उसके आंकड़े पेश कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : कल ही पार्लियमेंट के अन्दर प्रधानमंत्रीजी ने यह कहा है कि देश में सबसे ज्यादा जो सहायता की है वह राजस्थान की है। पार्लियामेंट के अन्दर यह बात पी. एम. ने कही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भारत के कृषि मंत्रीजी कह रहे हैं कि राजस्थान को सहायता नहीं दी गयी है। मैं नही कहता।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो नहीं देंगे, आप जनता को मार देंगे क्या? क्या आपका राज धर्म नहीं है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्वेश्चन–आंसर सैशन तो है नहीं। We will go by facts and figures. I will contest your cliam.

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, बहुत उच्चतम दर्जे के अभिभाषक विधायक के रूप में उन्होंने आपको आश्वस्त कर दिया है कि आपकी पैरवी वह करेंगे...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसे आंकड़ों के जाल में मत पड़ो, क्या कहना चाहते हो आप फर्माओ? आंकड़े तो मेरे पास भी बहुत हैं।

श्री मनिक चन्द सुराना : देश के 14 राज्य जो अकालग्रस्त हैं उनको भारत सरकार ने जो अनाज दिया उसका 44 परसेंट हिस्सा आपको, अकेले राजस्थान को दिया है। अब लगता यह है कि चूंकि वित्त विभाग ने अकाल के लिये आपके पास सौ–पचास करोड़, डेढ़ सौ करोड़, दौ सौ करोड़ का प्रावधान नहीं कर रखा है तो आपका गुस्सा वित्त मंत्रीजी के प्रति तो हो नहीं सकता। और हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वित्त मंत्रीजी वित्त मंत्री ही रहेंगे। अब अपका गुस्सा जो आपको उन्नतीस सौ करोड़ दे रहे हैं, 29 लाख टन 75 परसेंट मजदूरी को चलाने के लिये आपको आश्वस्त कर रहे हैं 13 फरवरी को, 15 जुलाई तक के लिए, आप कह रहे हो उन्होंने यह नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 31 जुलाई।

श्री मानिक चन्द सुराना : 31 जुलाई के लिये... (व्यवधान) कोई बात नहीं है, मैं गलत हो सकता हूं, 31 जुलाई होगी। सही यह है, 31 जुलाई समझिये। इन छोटी–मोटी बातों पर नहीं, आप फैक्ट्स पर आएं। फैक्ट्स ये हैं कि जो पैसा सी. आर. एफ. से आपको आया 50 परसेंट, 31 मार्च तक उससे काम चलेगा। क्यो चलेगा? क्योंकि आपने साढ़े चार महीने जो अकाल राहत कार्य चलाये, माननीय गृह मंत्रीजी, आप कह रहे हैं 16 अगस्त से अकाल राहत कार्य चल रहे हैं और उसमें आपने 121 करोड़ 72 लाख रुपया रिलीफ वर्क्स में मजदूरी के तौर पर खर्च किया और आपको 120 करोड़ मिल गया, 240 करोड़ अब तो बढ़ा हुआ है सी. आर. एफ., तो उस बढ़े हुए का आधा मिला तो 120 करोड़ मिल गया 114 करोड़ मिल गया, जो भी है, वह आपके लिये मार्च तक काफी होगा। और मैं कहता हूं, नहीं भी हो जो आपकी गांठ से लगाइये। कहां दिक्कत है? यह कब कहा था भारत सरकार ने और किस स्टेट को कहा था कि आपके यहां अकाल का, बाढ़ का सारा पैसा हम देंगे?

(16.22 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

आपको फैयाजी से प्रधानमंत्रीजी ने 29 लाख टन दिया, कभी भी हृदय से आपने आभार व्यक्त नहीं किया। कोई बात नहीं, आप न करें। कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी के मुंह से धन्यवाद निकले ही कैसे, निकल ही नहीं सकता। वह कह रहे थे अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के जवाब में, आप यह कहिये कि अनाज भारत सरकार का है। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेल भारत सरकार की है, पानी ढो रही है। रेल भारत सरकार की है,

(श्री मानिकचन्द सुराना)

चारा ढो रही है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप कहिये।

श्री सभापति : माननीय, एक मिनट। आज तीन जो मंत्रियों का जवाब आना है...(व्यवधान)आखिर सुन तो लो। सुनने में क्या हो रहा है, सुन तो लो आप। क्या हो गया? मैं रोक नहीं रहा हूं। शादियां भी हैं इसलिए मेरे खयाल से समय के हिसाब से आप, आप बालो, मैं इनकार नहीं करता हूं, आपको थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापतिजी, मुझे तो आप जब कहेंगे कि आपका समय हो गया, आप बैठ जाएं, मैं तत्काल बैठूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप जितना बोलोगे, आपका समय आपके हाथ में ही है। मैं तो ध्यान दिला रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपके आदेश की तत्काल पालना करूंगा। मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी से दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं, आप देख लें।

मैं जिस पाइंट को आपको अर्ज कर रहा हूं वह यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा, राजस्थान के 74 ब्लाक्स के लिये जो ज्यादा पीड़ित हैं, जिसमें ट्राइबल एरिया की पंचायत समितियां आ गयीं, ब्लाक्स आ गये, पश्चिम राजस्थान के ब्लाक्स आ गये जिसका रिछपालजी मिर्धा ज़िक्र कर रहे थे। चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, नागौर हो, जालौर हो, सिरोही हो, जोधपुर हो, इन सब में जो पंचायत समितियां या ब्लाक्स आते हैं उन 74 ब्लाक्स के लिये भारत सरकार ने कहा कि आप एक–तिहाई काम वहां दें। जो वह काम दे रहे हैं 22 लाख पर डे का, एक तिहाई तो वहां दे दें। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बी. पी. एल. में नहीं हैं, बी. पी. एल. को सेंट–परसेंट कवर किया है, 20 लाख 97 हजार, कि उनको तो काम मिले ही मिले इसके अलावा सिंगल क्राप एरिया के 40 लाख, 3 लाख सिंचित क्षेत्र के, 2 लाख दूसरे हैं, 45 लाख और बी.पी.एल. के 20.97, कुल 66 लाख आदमियों के लिए उन्होंने रोजगार का अनाज आपको दे दिया। मैं अब यह निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपका आंकलन जो था मंत्रीजी, आपके आकलन से 66 लाख से मार्च में काम नहीं चलता, न फरवरी में चला। आपने कहा 69 लाख को काम दे देंगे, मैं 23 को तीन गुना करके बोल रहा हूं। आपने क्या फरवरी में 66 लाख की लिमिट को भी क्रास किया? 22 लाख लोगों को रोजगार दिया? यदि नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, जबकि आपका आकलन यह है कि हम देंगे? मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने दे दिया उसके अलावा जो आकलन आपने किया है, आपका नैतिक दायित्व है राजनैतिक दायित्व है कि आप उस आकलन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के कोष से उस काम को पूरा करें। यह आवश्यक नहीं है कि भारत सरकार आपको 80 लाख लोगों के लिये भी दे देती। आपने कहा 23 लाख को दे दीजिये। अब मार्च आ गया, आपकी सीलिंग

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सीमा 25 लाख घोषित है अपने जवाब में, 25 लाख लोगों को दस दिन का रोजगार। 25 का मतलब 75 लाख परिवारों को टच करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। ऐसा यदि आपने और आपकी सरकार ने नहीं किया तो फिर सिर्फ यह माना जाएगा कि भारत सरकार ने जो कुछ दिया उसी से अकाल राहत कार्य चलाने का आपने व्रत ले रखा है और उसके ऊपर रुपया खर्च न करने का भी व्रत आपने ले रखा है। अपने कोष से आपने 51 लाख जो दे दिये 171 करोड़ लेने के लिये, उसके अलावा कोई रुपया मजबूरी में खर्च हो जाए तो हो जाए, आधे मन से, आपके प्रावधान से, आपके जीते-जागते निर्णय से आप खर्च करने वाले नहीं हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भारत सरकार को जो आंकड़े लेबर सीलिंग के दिये हैं फरवरी से लगाकर जुलाई तक, उन सीलिंग के आंकड़ों को आप पूरा करें और मई-जून में 30 लाख लोगों को काम दें, यानि 90 लाख लोगों को प्रभावित करने का काम आप करें। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक जिले में सीलिंग सीमा जहां भी एक लाख से कम हो, वहां कल की जगह तत्काल आज की आज घोषणा कराएं कि पश्चिमी राजस्थान के हर जिले में एक लाख से कम सीलिंग सीमा नहीं होगी। ट्राइबल बैल्ट का एरिया है तो वहां भी एक लाख से कम की सीलिंग सीमा नहीं होगी। और जहां अधिक गरीबों का जमावड़ा है-बारां, करौली जैसे क्षेत्र में, इनमें सीलिंग सीमा को रिवाइज करने का काम आपकी सरकार करे।

सभापति महोदय, आपके फोडर डिपोज खोलने की बहुत घोषणाएं कीं। फोडर डिपोज के बारे में इस सदन को जानकारी होनी चाहिये कि सरकार ने क्या आकलन किया है। एक फोडर डिपो पर, मालपुरा से आने वाले माननीय विधायक बंधु, चार सौ क्विंटल चारा इन्होंने एनविसेज किया, उसका मतलब है चार ट्रक चारा एक फोडर डिपो पर। आज तक आपने जो भी फोडर डिपो खोले 3200, मुझे खुशी है कि जिस तरह मजदूरों की सीलिंग सीमा आपने घोषित की-21 लाख, 23 लाख, 25 लाख, आपने फोडर डिपो भी जनवरी में 6,000 घोषित किये, फरवरी में 6,500, मार्च में 8,000, अप्रैल में 8,500 और फिर जून में 9,186 9,100 नहीं, 186 इतना विस्तृत जब आकलन किया गया है तो अभी आप रुके हुए क्यों हैं 3400 पर? 3400-3500 की जो भी संख्या है उस पर रुके हुए क्यों हैं? फोडर डिपो जहां भी खुले हैं, बीकानेर जिले में 381 फोडर डिपो चल रहे हैं, दस, बीस, पच्चीस कलक्टर महोदय ने भ्रष्टाचार में कैंसिल किये उनको माइनस भी कर लीजिये। आप तो कहते हो, सारा सदन कह रहा है भ्रष्टाचार है ही नहीं, भ्रष्टाचार ही नहीं है। आपके बीकानेर कलक्टर महोदय ने आम जनता की शिकायतों का परीक्षण करके 15 फोडर डिपोज को कैंसिल किया है।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

राजस्थान का आप आंकड़ा इक्ट्ठा करें कि किस–किस कलक्टर ने कितने–कितने फोडर डिपो को कैंसिल किया है और कितने सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की है। इस सदन को गुमराह न करिये कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। गांव का आदमी जानता है कि भ्रष्टाचार इस अकाल में चल रहा है। माननीय गृह मंत्रीजी, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा जो हमारे राजगढ़ से आने वाले नन्दलालजी पूनिया ने कहा कि वही मस्टररोल रिपीट हो रहा है किसी न किसी रूप में। चाहे उनका भाई लग रहा है, बाबा लग रहा है, कोई काका लग रहा है, कोई मां लग रही है, कोई बेटी लग रही है, मस्टररोल का सीमित रोटेशन हो गया है। यह जो सीमित रोटेशन है यह दिखावटी रोटेशन है, यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे नीचे का कोई भी ग्राम सेवक है, पटवारी है, सरपंच है, या जिसके भी जिम्मे है, वे दोनों–चारों एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है। आज तक प्रभावी कार्यवाही राजस्थान के पैमाने पर इस मुद्दे पर नहीं हुई है। अकाल राहत मंत्रीजी, यदि रोटेशन ही गलत कर दिया तो भी खैर नहीं है और ऊपर राज्य सरकार इसको बरदाश्त नहीं करेगी। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि फोडर डिपोज भी खोलिये और 400 क्विंटल की लिमिट जो फोडर डिपोज पर आपने लगा रखी है, यह आपके डाकूमेंट से ही पढ़ रहा हूं:–Per depot cattle benefitted 260 per month. 400 quintal fodder for a month is estimated to be distributed per fodder depot, कि 400 क्विंटल फोडर एक चारा डिपो पर वितरित होगा। यह आपका डाकूमेंट कहता है। चारे का जो तीन रुपये तीस पैसे से तीन रुपये साठ पैसे आपके अनुदान सहित राजस्थान के हर हिस्से में मिल रहा है, इतना महंगा चारा, अभी माननीय रिछपाल मिर्धाजी कह रहे थे कि पांच रुपये तो हो गया और खाखला है तीन रुपये किलो, वह पशुपालक के पोसा नहीं सकता है। आप दो रुपये किलो फोडर का इंतजाम करने की कृपा करें। आप रेलों से रैक्स लाने का काम करें। जहां भी फोडर उपलब्ध है, रेल मुफ्त है भारत सरकार की, आप यू.पी. से लाएं, पंजाब से लाएं, हरियाणा से लाएं। आपका ध्यान, माननीय गृह मंत्रीजी अभी इस पर नहीं है कि चारा उपलब्ध कराने में सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। आपने तो फोडर डिपो किसी को दे दिया, वह लाए तो ठीक, न लाए तो ठीक। पशु मरे तो मरे। यदि चारा उपलब्ध न हो और गांव वाले चिल्लाएं तो कोई सुनने वाला वहां है नहीं। इसलिए आने वाले पांच महीनों में, छह महीनों में यदि पशुधन को बचाना है तो निश्चित रूप से इसका कुछ केन्द्रीय पर्यवेक्षण भी करें, सुपरविजन करें, डायरेक्शन करें। हर जिले में चारा दो रुपये, सवा दो रुपये में उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करने की दिशा में कुछ काम करें, उसमें 50–100 करोड़ रुपये लगे तो लगे। उसका आपने तो आकलन भी किया

(श्री मानिकचन्द सुराना)

है कि 148 करोड़ लगेगा, इतना लगेगा। वह तो लग भी रहा है। लेकिन अभी और प्रभावी ढंग से चारे का वितरण राजस्थान में हो, वास्तव में चारा उपलब्ध हो, इस दिशा में भी कुछ काम करें और एक महीने में एक चारा डिपो पर खतम 400 क्विंटल की लिमिटेशन करने का काम करें।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं इस चारे के साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज तो राज्य सरकार के नीचे एक ग्राम प्रशासन है और ग्राम प्रशासन में वार्ड है, वार्डों के सरपंच चुने हुए हैं, ये जो राजस्थान में पशु मर रहे हैं आप इनका रिकार्ड क्यों नहीं बनवा रहे हैं? यदि रिकार्ड बनवा लें पंचायत के मार्फत ही, चाहे ग्राम सेवक के मार्फत ही, कि कितने पशु कहां मरे तो शायद हम लोगों के कहने से नहीं, वह रिकार्ड आपकी आंखों को, पूरी सरकार की और पूरे सदन की आंखों को खोलने में ज्यादा सक्षम होगा। इस अकाल में लाखों पशु मरेंगे। पलायन कर गये जो तो गये मजबूरी में। जिनके पास 100-200 पशु थे वे हमारी सरकार पर निर्भर नहीं रहे, चले गये अक्टूबर नवम्बर में ही। जहां जाना था वहां चले गये। पंजाब चले गये, हरियाणा चले गये, गुजरात चले गये, मध्य प्रदेश चले गये, जहां वे जाते हैं वहां चले गये। लेकिन जिसके पास 10-20 गायें हैं और जो लोग जा नहीं सकते दूसरे प्रांतों में वे बैठे हैं अभी भी चारे के इंतजार में। आप ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह रिकार्ड बनवाने का भी काम करें कि ग्राम पंचायत में कितने पशु मर रहे हैं। इसका फिर जिलेवाइज आकलन करें और स्थिति को देखें।

भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्रीजी ने 100 करोड़ रुपये अभी दो-तीन दिन पहले घोषित किये हैं जो विकास के लिए, चरागाह विकास के लिए राज्य सरकार को प्राप्त होंगे। जैसी माननीय वित्त मंत्रीजी ने सहायता दी है, चारे के विकास के मुद्दे पर मैंने अनेक बार कहा है फोडर बैंक बनाने के लिए। जैसलमेर से आने वाले माननीय कल्ला साहब ने अनेक बार कहा है और भी अनेक माननीय सदस्यों ने जोर डाला है, कि फोडर डिपो बनाए, फोडर बैंक बनाएं। तहसील हैडक्वार्टर पर एक लाख, दो लाख क्विंटल चारा इकट्ठा करने का काम राज्य की नीति के तौर पर करें। पशुपालन मंत्रीजी भी यहां पर बिराजमान हैं, इस बात को वह भी देखें कि फोडर डिपो हम बनाएं। अच्छे जमाने में काश्तकार अपना चारा एक रुपये का दो किलो बेचता है, उसी चारे को हम इकट्ठा करें और एक रुपये किलो में भी उस गरीब को वापस दें। हमारे यहां जैसा भूगोल है, अकाल चार साल में दो साल तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना इसलिए भी पड़ेगा कि अब तक 50 साल में हमने अकाल से लड़ने की सक्षम और कारगर नीति नहीं बनायी है।

माननीय गृह मंत्रीजी, अकाल में मुख्य काम होता है सड़क बनाने का काम, जोहड़ खोदने का काम। मैं पूछना चाहता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराना)

आखिर इस सड़क बनाने से क्या होगा? हमने ग्रेवल डाल दिया, हमने अर्थ वर्क कर लिया, हमने रोजगार दिया, वह तो ठीक है, रोजगार देना प्रमुख काम है। लेकिन इसमें फेमिन फ़ाइटिंग का काम कहां हुआ? मैंने आपको पत्र भेजा अक्टूबर के महीने में, हमारी जिला पार्टी ने भी कुछ आपको प्रस्ताव भेजे, माननीय सभी मंत्रियों को भेजे और हमने आपसे निवेदन किया कि आप किसान के खेतों में कुंड बनाने का काम करें। यह ग्रेवल की सड़क बनाने का काम छोड़ दें और किसान के खेत में कुंड बनाएं। चाहे जिस–जिस डायामीटर का जहां जैसा जरूरी हो वहां कुंड बनाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ग्रेवल की नहीं बन रही हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह अर्थ वर्क ही हो रहा है, मैं जान रहा हूं। ग्रेवल भी डाला नहीं जा रहा है । अब की बार सरकार ने ग्रेवल कहीं नहीं डाला है, सारा कच्चा काम हो रहा है, और वह भी कुछ सीमित जगहों पर अर्थ वर्क हो रहा है सड़कों का । अधिकतर जोहड़ का काम हमारे इलाकों में हो रहा है। मैं इस सदन का ध्यानाकर्षित करूंगा कि हम खेतों में कुंड बनाएं, वह खेत चाहे व्यक्तिगत हो। आपकी सरकार ने मुझे पत्र भेजा, माननीय गोविन्द सिंहजी गुर्जर ने, जब वह कृषि मंत्री थे, कि हमने आपके प्रस्ताव पर विचार किया और हम मार्जिनल फार्मर के खेत में जहां 15–30 बीघा खेत हैं, रेगिस्तान में 29–30 बीघा वाला, हम 5 किसानों के खेत में कुंड बना देंगे। तो मैंने उनको वापस लिखा कि यदि यह कुंड बनाना गलत काम है तो आप 5 भी क्यों करें। और नहीं तो फिर 50 की सीमा भी मत रखें, 100 की सीमा भी मत रखें। कृपा करके आपकी सरकार ने मेरे उस सुझाव को माना कि हम अपनी लिमिट को रखते हुए खेत में कुंड बनाएंगे। लेकिन, माननीय गृह मंत्री जी, 27 जनवरी को आपने फिर आदेश निरस्त कर दिया। जब तक लोगों ने काफी दरखास्तें कलक्टर को भेज दीं कि खेतों में कुंड बनाएं। गृह निर्माण के लिए भी लोगों ने कहा कि हम गृह निर्माण करेंगे ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: वह आदेश वापस अब जारी कर दिया गया है। जितनी भी पैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन पर स्वीकृति जारी कर दी जाएगी

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्री जी, कौनसी तारीख को जारी की हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 24 फरवरी को।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बहुत आभारी हूं आपका , मैं अत्यधिक आभारी हूं कि लाखों खेतों में, माननीय अकाल राहत मंत्री जी, कुंड बन जाएंगे।

श्री मदन दिलावर : लौटकर बुद्धू घर को आये ।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इस अर्थ वर्क को खतम कर दीजिये, जोहड़ के काम

(श्री मानिकचन्द सुराना)

को खतम कर दीजिये। चाहे, कहीं ज्यादा जरूरी है तो 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत रुपया जोहड़ में या सड़कों में रखें, यह सारा बारानी इलाका है। सिंगल क्रोप एरिये में यदि कुंड बना देंगे, 15 फीट गहरा कहीं, 5 मीटर या जो भी साइज कलक्टरों ने तय की हो, उन पर 25 हजार रुपये आमने कूते हैं कि हम 25 हजार रुपये उस पर खर्च करेंगे। यह आपका ही आकलन है और चौथाई रुपया आप लेना चाहते हैं उस अकाल पीड़ित से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विचार करिये। आप प्रांतीय स्तर पर बैंकों की मीटिंग बुलाएं और उनको कहे कि किसानों को आपको कर्जा देना पड़ेगा, जिनको भी हम कुंड बनाने का रुपया दे रहे हैं रोजगार के रूप में, उसको पक्का करने के लिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि 50 प्रतिशत रुपया तो आप देंगे और 50 प्रतिशत रुपया आप उन्हें फंडिंग कराएं। मैं यह नहीं चाहता कि मुफ्त में बन जाए, दो-तीन-चार हजार रुपए तो काश्तकार भी खर्च कर देगा। माननीय मंत्रीजी, जो सवा छह हजार रुपए का गेहूं उसको दे रहे हैं मार्केट प्राइस उसकी नौ हजार है और कुण्ड बन जाएगा बारह हजार रुपए में, बारह नहीं तो पन्द्रह हजार में। इसलिए तीनेक हजार रुपए उसको मैटीरियल कम्पोनेंट के और दें, और तीन हजार, चार हजार रुपए की फंडिंग बैंकों से कराएं। राजस्थान के बैंक, शिड्यूल्ड बैंक हो चाहे कोआपरेटिव बैंक हो, बिलकुल निकम्मे हैं। किसानो को ऋण देने का काम तो उनके पास है ही नहीं। रिश्वतखोरी के बिना बैंकों में किसी किसान को ऋण उपलब्ध नहीं है। आप इस अकाल की आड़ में इन बैंकों के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को सही करने का काम करें और लाखों कुण्ड राजस्थान के इलाके जो अकाल पीड़ित हैं उनमें बनवाने की नीति बनाएं।

इसके साथ ही गृह निर्माण की जो नीति है, आपसे शायद उसको भी रेस्टोर करवाया होगा। गृह निर्माण की नीति...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कुएं गहरे कराना, कुण्ड बनाना, मकान निर्माण कराना, तीनों व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को 24 तारीख से फिर से शुरू करवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने अर्ज किया, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : जब आपकी सब बातें मान ली गयी हैं, अब तो समाप्त कर दो। आपकी कितनी अच्छी बात मानी गई है।

श्री मानिक चन्द सुराना: मेरी बात मानी, आपको तो आपत्ति नहीं है न? आपने कोई सीलिंग लगा रखी हो तो मुझे पता नहीं कि आापने भी कोई सीलिंग लगा रखी हो।

श्री सभापति : नहीं,नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि 45 मिनट हुए हैं। यही कह रहा हूं आपसे।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, राजस्व मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी

(श्री मानिकचन्द सुराना)

यहां नहीं हैं फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि अल्पकालीन ऋणों, मध्यम कालीन ऋणों के सम्बन्ध में दो–तीन महीने हमने बराबर प्रयत्न किया, फिर भी आपने चलो जनवरी में उसके आदेश जारी कर दिये। आपने मध्यकालीन ऋणों का क्या किया? यदि किसी ने इन्दिरा गांधी नहर में जमीन खरीद रखी है, कोई अलॉटी है, वह कहां से देगा? आपने किस्तें माफ नहीं कीं, आपने किस्त का ब्याज माफ नहीं किया। भारत सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपए खरीफ में जिन्होंने ऋण लिया है देशभर में, उनका माफ किया है। गृह मंत्रीजी, 6 हजार करोड़ रुपए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिन्होंने मीडियम टर्म लोन लिया है, हजारों ट्रैक्टर बिकेगे किसानों के, उनकी जमीनें बिकेगी। इस अकाल में आप उनके मीडियम टर्म लोन की मुल्तवी करें, उनका ब्याज माफ करने का काम आप करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: ट्रैक्टरों के लिए जो लोन होता है वह मीडियम टर्म में आता है कि लांग टर्म में आता है? एल.टी.में आता है या मीडियम टर्म में आता?

श्री मानिक चन्द सुराना : वह मीडियम टर्म में आता है तो भी माफ करें। लांग में आता है तो भी उनका ब्याज माफ करें, उसकी किस्त माफ करें। मैं बिलकुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे किसी हरिजन का अलाटमेंट भी 20 साल का है इन्दिरा गांधी नहर का, उसको 5–5 हजार रुपए बीस साल में देने हैं,क्या आप उसको माफ नहीं करेंगे? क्या आप उसकी जमीन बेच देंगे? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजारों नोटिस पंहुचे हैं, हजारों नोटिस, बीकानेर जिले में और अन्य जिलों में जहां भी इन्दिरा गांधी नहर का क्षेत्र है। इनको भी मीडियम टर्म और शार्ट टर्म में

(समय-समप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक–दो पाइंट उठाकर बात समाप्त करूंगा, आप चिंता न करें।

मेरा निवेदन होगा, बैंकों की ऋण नीति एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए, दोनों, मीडियम टर्म और लांग टर्म किसानों को जो ऋण दिए हैं उन ऋणों को जो भी अकाल का पीरियड है उसमें अपन वसूल नहीं करेंगे, उनका बकाया वसूल नहीं करेंगे और जो चार साल चला है अकाल, उसका ब्याज माफ करने की बिलकुल स्पेसिफिक मांग राज्य सरकार से करता हूं।

श्री जीतमल खांट : अभी तो सभी जिलों में जोरों से वसूली चल रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी: ठीक कह रहे हैं, साहब।

श्री सभापति : दोनों ही ठीक कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय पेयजल मंत्रीजी बैठे हैं, 1782 गांवों के लिए

(श्री मानिकचन्द सुराना)

2052 टैंकर चला कर जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं, कहां भेजा जा रहा है इस पर चर्चा नहीं करूंगा। एक ही नीतिगत मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिन 1782 गांवों में आप टैंकर से पानी ढो रहे हैं, कृपया ऐसी स्थिति बनाएं कि आगामी दो वर्ष में उन गांवों में टैंकर नहीं भेजने पड़ें क्योंकि टैंकर भेजना बहुत महंगा होता है, राज्य पर भी वित्तीय भार पड़ता है। आप इसे अकाल के पार्ट के तौर पर भेज रहे हैं तो भी अकाल के अन्य जो जरूरी काम हैं , जहां अपन टैंकर भेजते हैं, हजार-पन्द्रह सौ रुपए में गांव में जाता है, इसको भी आप नीतिगत तौर पर देखें और नीतिगत तौर पर इसका निस्तारण करने की कृपा करें ।

मैं अधिक बात न कह कर यही निवेदन करूंगा कि अकाल का प्रोविजन राज्य के बजट में नहीं है, इससे मैं बहुत चिंतित हूं। हमारे 50 सालों में 30 अकाल पड़ गये, मेरा निवेदन होगा कि हम अपने 22-23-24 हजार करोड़ रुपए के बजट में से 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन शुरू करके आने वाले तीन साल में 200-300-400-500 करोड़ का प्रोविजन अकाल में हमारी तरफ से भी करें। सी.आर.एफ. में जो देना पड़ता है 51 करोड़, 57 करोड़, उसको तो छोड़िए, इसके अलावा हमारा ओन रिसोर्स दो-ढाई सौ करोड़ रुपए का होना चाहिए जिससे कि हम 25 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन करके तीन गुना भारत सरकार की अनेक योजनाओं से ले सके। वह हमारी परमानेंट असैट बनाने में और अकाल से लड़ने में और अकाल के दौरान भी असैट बनाने में काम आएगा। मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस वर्ष अकाल में कोई भी परमानेंट असैट राजस्थान में नहीं बनेगी। आप यह जवाब दे सकते हैं कि हमने तो भारत सरकार से कह दिया था कि दो हजार करोड़ रुपए दे दो मैटीरियल कम्पोनेंट के तौर पर। यह कहने से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार ने हमें दिया, इसको हमें मानना चाहिए। न भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा राजस्थान देखता है, सारा हिन्दुस्तान देखता है। पर इस बार तो हमारा जो नारा है अकाल को विकास में बदल दिया, पूरे मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य जो बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि कौनसी योजना में आपने अकाल का रुपया लगा दिया जिसके कारण कह रहे हैं कि अकाल को विकास में बदल दिया ? अकाल तो अकाल ही रखा। जोहड़ खोदना अर्थ वर्क करना वह केवल रोजगार तक सीमित है, रोजगार का हमको भारत सरकार ने मुहैया करा दिया। 60 करोड़ नहीं हो सकता कि इस मार्च तक 50-60 करोड़ रुपए लग जाएं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लगाना हमारा दायित्व है और जो घोषणाएं आपने भारत सरकार के मेमोरेण्डम में की हैं उसके अनुसार लेबर सीलिंग, उसके अनुसार फोडर डिपो, उसके अनुसार गौशालाओं और पशु शिविर खोलने का काम राज्य सरकार का है। मैं इसी निवेदन के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा सिंहजी। आप भी समय का ध्यान रखें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): हां, बिलकुल संक्षेप में अपनी बात कहूंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): यह वैसे ही चले जाना चाहती हैं, साहब। अभी कह रही थीं चले जाने की।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): इनको भी पूरा समय दें, साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास: आपने कहा होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको क्या मालूम?

श्री सभापति : आपकी मंशा के अनुसार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सद्बुद्धि है। सारा झुंझुनूं जिला आपस में बात करेगा?

श्री रामनारायण चौधरी: मानिक चन्दजी सुराना को जितना टाइम दिया है उतना ही टाइम इनको दीजिए।

श्री सभापति : ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, दो दिन के लिए चर्चा अकाल के सम्बन्ध में सदन में इसलिए रखी गई थी कि इस चर्चा के जरिये राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को आश्वस्त करना चाहता था सदन कि हम उनके प्रति संवेदशील हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हैं । जनता को भी आश्वस्त करना चाहते थे और भारत सरकार पर भी एक दबाव बनाना चाहते थे ताकि पक्ष–विपक्ष अकाल पर गहनता से चर्चा करके भारत सरकार पर दबाव बना सके। लेकिन मुझे अफसोस है कि सत्ता पक्ष के जितने विधायक यहां होने चाहिए थे मौजूद और इस सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए थी अपने–अपने इलाकों के बारे में, वे इस बारे में गम्भीर नहीं हैं। (व्यवधान) आप बैठे हुए हो, आप क्यों बोल रहे हो?

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा): सभापति महोदय, किसानों के बेटे इन्तजार कर रहे हैं अपनी खेती की बात बोलने के लिए और मांग कर रहे हैं कि हमको भी टाइम दो, इस टाइम का बंटवारा करो । रोज पांच मिनट भी मेरे हिस्से में नहीं आता है। मैं कल से, सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूं, आज भी यहीं हूं , फिर कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष नहीं है। हम बैठे हैं न। (व्यवधान)

श्री सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले मुझे मारवाड़ी का दोहा याद आ गया है। मारवाड़ी का दोहा यूं है–"ऊण्डा पानी थार को, तगड़ा होग्या मिनरथ मवेश, पड़ता–पड़ता काळ के धोळा होग्या केश"। यह बात सही है इस बार का, इस शताब्दी का...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

दो घंटे के लिए बढ़ा दिया गया।

राज्य में अकाल, पेयजल व पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, इस दोहे ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह थार प्रदेश है, मरु प्रदेश है, यहां के मनुष्य और मवेशी दोनों ही बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन तगड़े होने के साथ साथ अकाल इतना पड़ता है कि एक आदमी के अकाल को सहते–सहते बाल भी काले से सफेद हो जाते हैं यानी हर साल यह पड़ता ही है और इस बार का अकाल तो त्रिकाल है, भयंकर अकाल है, दुर्भिक्ष है। अब सवाल यह है कि इस दुर्भिक्ष के अंदर हम किस तरह से इंतजाम करें ताकि हमारा पशुधन भी बच सके , क्योंकि 4 करोड़ 48 लाख तो जनसंख्या प्रभावित है, 4 करोड़ 52 लाख हमारा पशु इससे प्रभावित है। कैसे जनसंख्या को रोजगार देकर अकाल की समस्या का समाधान किया जाए, उन्हें जिंदा रखा जाए और किस प्रकार से हमारा बेशकीमती पशुधन है उसको बचा सके, यह आज के दिन हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है।

मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहूंगी कि डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. दो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनसे इस रेगिस्तान को रोका जा सकता है, लेकिन इन दोनों ही मदों के अंदर जितना पैसा आया पैसा खर्च नहीं किया गया और हर साल अकाल इसीलिए पड़ता है। कुछ इलाकों में लगातार पांच साल से है और बाकी में चार साल से लगातार अकाल इसलिए पड़ रहा है कि डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. के जो मद हैं उनमें हमने पैसा खर्च नहीं किया। मैं आंकड़ों के जरिये आपको बताना चाहूंगी। मैंने एक प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के जवाब में मुझे यह उत्तर मिला कि डी.डी.पी. में सेंटर ने 244.73 करोड़ दिये थे और हमारा जो स्टेट शेयर था वह 38.56 करोड़ था। टोटल मिला 283.34 और खर्च किया 244 करोड़। इसी तरह से डी.पी.ए.पी. जो ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, इसके अदंर भी हमारे पास रुपया था 42.35 और उसके अगेंस्ट में आपने खर्च किया 39.89, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन पैसों के जरिये इस रेगिस्तान के विस्तार को रोका जा सकता है, अकाल को रोका जा सकता है, जब हम उसके प्रति ही सीरियस नहीं हैं तो यह फिर अकाल रुकेगा कैसे? मैं इस विषय में ज्यादा न कहते हुए बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। मैं केवल आपको यह बताऊंगी कि इस अकाल के समय क्या करना चाहिए।

अकाल संहिता बनी थी 30 अप्रैल, 1962 को 42 साल बीतने के बाद भी हमने न तो इस अकाल संहिता में संशोधन किया, न किसी प्रकार के परिवर्तन किये और न नई चीज के बारे में सोचा। अभी तक हम अकाल और अभाव में अंतर नहीं कर पाये हैं। हमेशा अभाव ही मानते रहे हैं। अभाव और अकाल

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में अंतर होता है। जब अभाव की स्थिति घनीभूत हो जाती है, तब वो अकाल होता है। और इस बार अभाव नहीं, अकाल है, लेकिन हम अभाव ही मानकर उसका उपचार कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है।

मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस समय कुछ ऐसे काम हैं जिनको किया जाना बहुत आवश्यक है। झुंझुनूं जिले के अंदर तो श्रमिकों की संख्या है केवल 18500, आज सुबह ही मेरी जिला कलक्टर से बात हुई। मैंने कहा, टोटल लेबर कितनी लगी हुई है इस समय, वह तो बता दीजिए । उन्होंने कहा 18500 हालांकि आपके दिये हुए जो आंकड़े हैं उसमें तो 17500 ही है, लेकिन उन्होंने मुझे 18500 बताये। आज दिन तक तो 18500 है, बल्कि 18500 का भी वन थर्ड कर दीजिए, क्योंकि आप 8 या 9 दिन ही तो काम दे रहे हैं। एक पारी को मिलता है 8 दिन और दो पारियों को मिलता है 9–9 दिन। इसका वन थर्ड कर दिया जाए तो इसका मतलब छह हजार लेबर ही तो हुआ। इससे कैसे काम चलेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : इसमें आपकी गणित गलत बैठ रही है। 18 हजार तो पूरी मान लो, अब 54 कहो दूसरी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 54 कैसे हुई? जब आप आठ दिन ही दे रहे तो, 18000 दे रहे हो तो कैसे मानूंगी मैं यह बात? खैर, कोई बात नहीं।

पानी के बारे में मेरा यह सुझाव है कि अकाल राहत के जहां पर काम चल रहे हैं वहां तो आप पानी की व्यवस्था किसी तरह से कर दोगे, लेकिन जैसा कि डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आज व्यवस्था यह है कि जब कुएं की मोटर खराब हो जाए तो उसे सुधारवाने की जिम्मेदारी गांव वालों की होती है और 15 दिन से पहले वह मोटर बंधती नहीं है। तो 15 दिन तक मई और जून में कैसे काम चलेगा? इसलिए, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पैसा चाहे बांधने का गांव से ले लीजिए, लेकिन अपने पास वैकल्पिक व्यवस्था यह होनी चाहिए कि जैसे ही मोटर जले आप दूसरी मोटर वहां भिजवा दे और उस मोटर को मंगवा लें या उनको कह दे वे दे जाएं। उनसे बांधने का पैसा बेशक ले लीजिए कि इस पर इतना खर्चा आएगा, यह लेंगे, लेकिन आपको तुरंत वहां पर दूसरी मोटर भिजवानी चाहिए तब हमारे मई और जून का महीना निकल सकेगा। इसके साथ–साथ मेरा यह भी निवेदन है कि करोड़ों रुपये आप चारे के परिवहन में खर्च कर रहे हो, लेकिन झुंझुनूं के अंदर आज चारे की यह हालत है कि 400 रुपये क्विंटल की तूड़ी वहां पर आ रही है। ऊर्जा मंत्रीजी तो भाग गये यहां से, क्यों नहीं आप किसानों को यह बात कहते हैं...

एक माननीय सदस्य : मैडम, आपके पीछे आ गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां से बोल नहीं सकते, आप चुप रहेंगे।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि चारे के बदले जो बाहर से सड़ा-गला आप ला रहे हो और चावल का भूसा ला रहे हो उसकी बजाय यदि आप किसान को यह कह दो कि आप चारा यदि उगाएंगे तो आपके बिजली के बिल पर जून के महीने तक या जुलाई तक बारिश नहीं होगी तब तक हम माफ करेंगे तो मैं समझती हूं आपको हरा चारा यहीं मिल जाएगा। लेकिन इस सरकार के यह बातें समझ में नहीं आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि गंगानगर में गन्ने को किसान जला रहे हैं। आप फैक्ट्री चला नहीं रहे हो इसलिए वे वहां पर उसे जला रहे हैं। लेकिन आप वैकल्पिक व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हो। कहो, कि भई, जला क्यों रहे हो, खरीद लेते हैं और हम खरीदकर लोगों को चारे की बजाय दे देते हैं । यह तो आप कर नहीं पा रहे हो ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी जो व्यवस्था आपने गौशालाओं के लिए की, आपने पशुओं के शिविर लगा रखे हैं । उनमें जैसे साण्ड का भी 12 रुपया दिया है, 400 रुपये क्विंटल का चारा, उसमें 12 रुपये में क्या आता है? साण्ड को केवल भूसा खिलाकर आप यह सोचते हो कि वह जिंदा रह जाएगा और अपना कर पाएगा? 12 रुपये के अन्दर तो डेढ़ किलो तूड़ा अएगा। उस डेढ़ किलो तूड़े से वह पेट भर लेगा ? इस बारे में मुझे यह निवेदन भी करना है कि तमाम स्टेट्स के अन्दर खल सैल्स टैक्स से मुक्त है, लेकिन राजस्थान के अन्दर खल के ऊपर भी सैल्स टैक्स लगा हुआ है।

श्री सभापति : यह नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब किया आपने माफ?

श्री सभापति : माफ है।

(17.00 बजे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, अभी तक तो लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो आप बता दीजिए, और यदि लगा रखा है तो माफ कर दीजिएगा। यदि नहीं लगाया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक खल के ऊपर टैक्स है, क्योंकि मैं खरीद कर लाती हूं इसलिए मुझे मालूम है टैक्स लगता है । यह आपको जानकारी नहीं है, आप लाते ही नहीं हो। आपको पता नहीं है इसलिए मैं कह रही हूं कि लगता है टैक्स। यदि लगता है तो आप माफ कर दीजिएगा और नहीं लगता है तो बता दीजिए कि भाई नहीं लगता है। मैं गलती पर होऊंगी तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी गलती मान लूंगी।

इस प्रकार से एक बात मेरे और समझ में नहीं आ रही है, सभापति महोदय, कि इस समय राहत कार्यों के अन्दर जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी फर्माया यहां पर, कि केवल कच्चे काम हो रहे हैं । पिछली बार अकाल के अन्दर पक्के काम भी हुए थे। सांसद विधायक का जो कोष है उसके अन्दर 50:50, 50 परसेंट लेबर का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और 50 परसेंट मटीरियल कम्पोनेंट का होकर काफ़ी अच्छे-अच्छे काम हो गये थे। लेकिन इस बार केवल कच्चे काम हुए, चाहे रास्ते का दुरुस्तीकरण हो, नाड़ी की खुदाई हो या जोहड़ की खुदाई हो। लेकिन ये काम तो जैसे ही धूल उड़ेगी, कल रात को ही कितनी जबरदस्त आंधी आई, अभी भी तेज आंधी चल रही है, तो यह तो धूल उड़ जाएगी। जब तक सड़क के ऊपर आप ग्रेवल नहीं डालेंगे तब तक तो कोई मतलब उससे निकला नहीं। मिट्टी आज आप इकट्ठी कर रहे हैं यह मिट्टी कल उड़ जानी है हवा के अन्दर और फिर वह की वह ही बात है। अगले साल फिर अकाल पड़ेगा तो फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से आज आप शुरू कर रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आप कम से कम यह व्यवस्था कीजिए कि मटीरियल कम्पोनेंट की भी उसके अन्दर किसी तरह की व्यवस्था हो। सड़कें बनानी हैं तो ग्रेवल बनाइये, वरना रास्ते के दुरुस्तीकरण के नाम पर यह जो आप लोगों को केवल भरमा रहे हो, मैं समझती हूं यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : आपको जाना भी था न?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बस अब खतम कर रही हूं, बस आपका कहना मान रही हूं। मैं आपका आदेश मान रही हूं और अपनी अन्तिम बात कह रही हूं। मैं तो, सभापति महोदय, सरकार को यह बता रही हूं कि क्या करना चाहिए। और मैं उनकी कमियों को नहीं बता रही हूं। मैं तो क्या करना चाहिए, यह बता रही हूं।

मैं निवेदन कर रही थी कि बुनकरों को आधी कीमत के ऊपर इस समय चरखा देना चाहिए ताकि बुनकर अपना कताई का काम कर सकें और उनको एक तरह की सहायता मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दी गई, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अन्दर मेरे यह बात समझ में नहीं आती, सरकार अलग-अलग आंकड़ें जो हमें सप्लाई करती है, हम बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। इस राज्य सरकार ने अपनी तीन साल की उपलब्धियों का फरवरी के महीने में एक छोटा-सा पेम्फलेट प्रकाशित किया है। अच्छा बना है, 27-28 पेजों की एक किताब-सी निकाली है। उसमें तो दिये हैं आंकड़े कुछ और प्रश्न के जवाब के अन्दर आकंड़े दिये जाते हैं कुछ और। यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह से अलग अलग आंकड़ें कैसे आ जाते हैं । प्रश्न के जवाब के आंकड़े अलग हैं, आपकी उपलब्धियों के आंकड़े अलग हैं।

मैं यह अन्तिम बात अपनी कहते हुए खतम करना चाहूंगी कि राजस्थान की 4 करोड़ 38 लाख जनता अकाल की विभीषिका से जूझ रही है, कांग्रेस के 153 सदस्य होते हुए भी डेढ़ करोड़ साल का खर्चा लादने की क्या आवश्यकता थी? आज ही एक प्रश्न

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पूछा मैंने, उस प्रश्न के जवाब में आया है कि 6 महीने के अन्दर 75 लाख रुपये का अन्तर आया है। मंत्रिमण्डल में जो आपने वृद्धि की है अभी-अभी, उसमें 75 लाख रुपये 6 महीने का ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभिभाषण पर बोलते आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं तो अकाल की विभीषिका पर बोल रही हूं। अकाल के समय इनको चाहिए था कम करते; बजाय कम करने के यह डेढ़ करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया। सरकार इनकी जा नहीं रही थी, 153 का प्रचंड बहुमत लेकर बैठे हैं, 153 के प्रचंड बहुमत में क्या आवश्यकता थी कि इस राजस्थान की अकाल से जूझती हुई जनता के ऊपर डेढ़ करोड़ का बोझ आपने और लाद दिया एक साल का? मेरा निवेदन है कि यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है और यह अन्याय नहीं करना चाहिए था। एक तरफ आप भारत सरकार से पैसा मांगते हो और यह कहते हो कि उनकी जिम्मेदारी है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी जो राजस्थान की जनता के ऊपर यह डेढ़ करोड़ का अननैसेसेरी खर्चा आपने क्या? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, यह सदन कल से अकाल और पेयजल की गम्भीर समस्या जिससे राजस्थान जूझ रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, मैं भी कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अकाल पिछले 5 वर्ष में राजस्थान के एक तरह से जीवन में आ चुका है, हर वर्ष अकाल और हर वर्ष अकाल की तैयारी। पिछले अकाल के अन्दर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अकाल को विकास में बदलने का जो सपना संजोया था वह निश्चित रूप से साकर हुआ है। अकेले चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 115 एनीकट पिछले 3 वर्ष के अन्दर बनाये गये, सैकड़ों किलोमीटर की ग्रेवल सड़कें बनाई गईं और कई जगह कक्षा-कक्षों का निर्माण भी हुआ। यह दर्शाता है अकाल को विकास में बदलने की हमारी सरकार की संकल्प शक्ति को, हमारे मुख्य मंत्रीजी की संकल्प शक्ति को। अकाल को दूर करने के लिए एनीकट बनाये गये ताकि भूमिगत जल स्तर अच्छा बढ़ सके, मुझे सदन में कहते हुए खुशी है कि चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर इतने एनीकट बनने के बाद भूमिगत जल स्तर के अन्दर काफी वृद्धि हुई है। मैं सिंचाई विभाग और सिंचाई मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके विभाग के अधिकारियों ने बहुत ईमानदारी से कार्य किया। ऐसा ही नहीं, पहले अकाल के अन्दर एनीकट बनते थे और दूसरी बारिश आती तब उनका नामोनिशान नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की जो इच्छा शक्ति थी कि अकाल राहत कार्यों के अन्दर पूरी ईमानदारी हो, पूरी पारदर्शिता हो और गुणवत्ता हो, उस सबको दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और आज एनीकट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गये हैं। 4–4, 5–5 किलोमीटर तक जब वर्षा हुई तब उनके अन्दर पानी भरा रहा और आज भूमिगत जल स्तर बढ़ा। यही वजह है कि चित्तौड़ और चित्तौड़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पानी की दिक्कत हमको अभी उतनी महसूस नहीं हो रही जितनी कि पहले हुआ करती थी।

इसी तरह से, ग्रेवल की सड़कें बनीं, पी.डब्ल्यू.डी. ने बहुत मजबूती से सड़कों का निर्माण कार्य कराया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ी इलाकों के अन्दर निर्माण कराया जिससे जहां पर आज तक कभी वाहन नहीं जा सकता था वहां पर बसों का आवागमन शुरू हुआ। उस क्षेत्र की जनता को यह एहसास हुआ कि अकाल के अन्दर भी इतना अच्छा और इतना मजबूत कार्य हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की कल्पना के अनुसार उनके विभाग ने कार्य किया।

सभापति महोदय, वर्तमान में अकाल का कार्य चल रहा है। पहले व्यवस्था थी कि 75 प्रतिशत मजदूरी पर खर्च किया जाएगा और 25 प्रतिशत सामग्री के ऊपर, लेकिन इस वर्ष यह व्यवस्था नहीं हो पायी। बड़े–बुजुर्ग कहते हैं कि इस वर्ष जो अकाल पड़ा है वह भीषणतम अकाल है, छप्पनिया जैसा अकाल है। सरकार ने बहुत पहले से अकाल राहत के कार्य शुरू कर दिये, लेकिन 75 और 25 प्रतिशत का जो रेशो पहले चल रहा था वह रेशो बन्द होने से आज मात्र ग्रेवल सड़कें बन रही हैं। ग्रेवल सड़कों के अन्दर भी केवल मिट्टी की खुदाई का कार्य है, ग्रेवल नहीं डाला जा रहा है और उसका कारण यह हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं है। पहले जब सड़कें बनीं उनके ऊपर रोड रोलर भी चलाये गये, उनको मजबूती भी दी गई और आज वे सड़कें बहुत अच्छी स्थिति के अन्दर हैं। लेकिन अभी केवल तलाई–खुदाई का कार्य चल रहा है और जहां से चौकड़ी लग सकती है, केवल वहीं सड़कों का निर्माण हो रहा है। अकाल राहत मंत्रीजी का बहुत लम्बा अनुभव रहा है, उन्होंने अकाल राहत कार्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है, समय पर मजदूरी का भुगतान किया है, कहीं भ्रष्टाचार का नामोनिशान सुनने को नहीं मिला, लेकिन आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय से और सदन के नेता महोदय से अनुरोध है कि जो हमारी पहले की व्यवस्था थी, अकाल को विकास में बदलने का हमारी सरकार और मुख्य मंत्रीजी का जो फैसला था वह इस बार नहीं होने से हमको परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

है। इसलिए हमारी व्यवस्था जारी करे और इसका निर्णय भी शीघ्र हो, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है।

केन्द्र सरकार राजस्थान को मदद नहीं दे रही है, हमेशा अखबारों में सुनते आये हैं। अभी टी.वी. पर देखते हैं कि केन्द्र सरकार बहुत गम्भीर मंत्रणा कर रही है राजस्थान को मदद देने की। कभी टास्क फोर्स गठित होती है, कभी उसकी बैठकें होती हैं। लेकिन जब निर्णय किया जाता है टास्क फोर्स गठित करने का तो उसमें खूब विलम्ब, जब बैठकें की जाती हैं तो उसमें बहुत विलम्ब और जब निर्णय किया जाता है तो उसमें भी बहुत विलम्ब होता है और जब तक निर्णय क्रियान्वित होता है वह राजस्थान की जनता के साथ एक मखौल साबित होता है। पहले जब अकाल पड़ता था तो देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी आखों से देखते थे कि क्या स्थिति राजस्थान की है या अन्य प्रदेशों की है, चाहे वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं रही हो। राजीव गांधी ने उस वक्त के भीषणतम अकाल् में राजस्थान को सम्भाला था। लेकिन आज जब भीषणतम अकाल राजस्थान के अन्दर है तो देश का और हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नया वर्ष मनाने के लिए सुदूर वादियों में तो चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं चले जाते हैं लेकिन राजस्थान की जनता को इस भीषणतम अकाल में सम्भालने के लिए न तो वे आये और न देश के उप प्रधानमंत्री जो टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं, वह आये। यह राजस्थान की जनता के साथ एक क्रूर मजाक हुआ है। इसलिए मैं जो विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी राजस्थान के ही हैं और राजस्थान की जनता को सम्भालने का फर्ज राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार दोनों का है। अगर फिर भी केन्द्र की सरकार की नींद नहीं उड़ती है तो मेरा आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय और सदन के नेता महोदय से अनुरोध है कि हम राजस्थान के सारे विधायक वहां जाएं और प्रधानमंत्रीजी जो सिर्फ अखबारों के माध्यम से सुनते हैं, अध्ययन दल यहां भेजकर इतिश्री कर रहे हैं उनको जाकर हकीकत बताएं, वहां पर धरना दें। फिर भी अगर राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं हो तो राजस्थान के पशुधन को बचाने के लिए, राजस्थान की जनता को बचाने के लिए अगर आमरण अनशन भी वहां पर करना पड़े तो हमें करना चाहिए और पूरे देश की जनता का ध्यानाकर्षित करना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर क्या स्थिति होती जा रही है और केन्द्र सरकार कितना सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ में कर रही है।

एक बात मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी को आपके माध्यम से सुझाव के रूप में प्रेषित कर रहा हूं। अभी जैसे-जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे-वैसे भूमिगत जलस्तर और नीचे चला जाएगा। जहां पर भी जलदाय विभाग की अपनी योजनाएं हैं वहां पर ऊर्जा विभाग के साथ बैठकर अगर व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

रूप से जो भूमिगत जलस्तर हमारे पास उपलब्ध है उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो सकती है। अभी 6 घंटे बिजली देने का जो नियम है वह कम है, हमारे जलाशय नहीं भरे जाते हैं। मैं कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से पूछता हूं कि उस कस्बे में हमारी व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही है तो उनका जवाब आता है कि बिजली हमको 6 घंटे ही मिल पाती है इसलिए वे जलाशय नहीं भरे जाते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि थ्री फेस बिजली अब आने वाले वक्त में हमें कम से कम 12 घंटे मिले, यह व्यवस्था हो। क्योंकि अब स्थिति है नहीं, फसलें आ जाएंगी। अप्रैल के अन्दर से यह व्यवस्था बैठ जाती है तो जो भूमिगत जलस्तर हमारे पास में उपलब्ध है हम ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था कर सकेंगे और पानी का संकट टल सकेगा।

सभापति महोदय, पिछले सत्र के अन्दर यह बात आयी थी कि चारा उगाने के लिए हमारे किसान भाई तैयार हैं। आज चारा हमको हमारे पड़ोसी राज्यों से मंगाना पड़ रहा हैं और उसमें काफी धनराशि खर्च हो रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिन किसानों ने ट्यूबवैल खुदवा लिये हैं और कनेक्शन के अभाव में वे बन्द पड़े हैं तो स्पेशल कैटेगरी कह दें या चारा उगाने की योजना के तहत पहले भी कनेक्शन दिये जा चुके हैं वह योजना शामिल कर लें, उन किसानों को अगर चारा उगाने के नाम से कृषि कनेक्शन दे दिया जाता है तो इसके अन्दर काफी राहत का अनुभव होगा और चारे की समस्या से भी हमको निजात मिल सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, वैसे भी बहुत कम ही मैं बोलता हूं। लम्बा चौड़ा ज्यादा नहीं बोलते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए तो धन्यवाद।

मैं अकाल राहत मंत्रीजी से अपना भाषण समाप्त करने से पहले अंतिम अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी गांवों में रोटेशन के माध्यम से व्यवस्था की वह तो ठीक है लेकिन अब आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब श्रमिक और गांव का गरीब आदमी इंतजार करते करते थक चुका है। केन्द्र सरकार मदद नहीं दे रही है, राजस्थान सरकार अपने संसाधनों के बलबूते पर अकाल राहत कार्य चला रही है, समय पर मजदूरी भी दे रही है लेकिन अब अकाल के अन्दर श्रमिक संख्या शीघ्र से शीघ्र बढ़ाने की आप कृपा करें ताकि हम लोग वहां जाकर कुछ अपने आपको सहज अनुभव कर सकें। 75 और 25 का जो रेशो आपने पहले कर रखा था उस व्यवस्था को वापस आप जारी रखने की कृपा करें। मुझे आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनारामजी। माननीय श्री मोहन लाल राठौड़। माननीय श्री त्रिलोक पूर्बिया। माननीय श्री देवीलाल बैरवा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों एक साथ बोल लेंगे, मंत्री महोदय लिख लेंगे दोनों का।

श्री सभापति: आप बिराजिये ।

श्री त्रिलोक पूर्बिया (उदयपुर): हां, आप सुनिये, मैं बोलूंगा, राठौड़ साहब ।

माननीय सभापति महोदय, दो दिन से इस पवित्र सदन में अकाल, पेयजल और पशु संवर्द्धन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सदन के माननीय सदस्यों ने इस पर काफी अपने विचार दिये हैं, मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में राजस्थान में अकाल पड़ा था और राजस्थान का सारा बजट समाप्त हो गया और भयावह स्थिति थी, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता के लिए 208 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी और यहां के दूरदराज गावों में आकर उनकी सार–सम्भाल ली। और एक ये प्रधानमंत्री हैं जो बड़ी–बड़ी बातें करते हैं और राजनीति से लेते हैं। 1987–88 के बाद अभी छप्पनिये से भी अधिक भयावह दुर्भिक्ष की स्थिति राजस्थान में है। केन्द्र की टोली आती है, अध्ययन करती है, अकाल की बात कर दी। बल्कि भारत के महामहिम राष्ट्रपतिजी ने भी इस अकाल की पीड़ा को समझा और राजस्थान के दूरदराज के कोटड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्र में जाकर व्यक्तिशः उन लोगों से वार्ता की और समझा। राजस्थान के अधिकारियों से बात की और सारे हालात को समझने के बाद केन्द्र सरकार को भी उन्होंने आदेश दिये कि राजस्थान को और अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। इतने पर भी भारत के प्रधान मंत्रीजी को अभी तक सुध लेने का न समय मिला है, न फुर्सत मिली। राजस्थान को मदद तो कहां दें, यहां आकर उनको सम्भाला ही नहीं है, देखा ही नहीं है। इतना होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार पिछले पांच साल से, चार साल से बराबर राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की सेवा कर रही है। पैसे की कमी होने के बावजूद नाबार्ड जैसी संस्थाओं से लोन लेकर भी राजस्थान के पीड़ित मनुष्यों और पशुधन की रक्षा के लिए चारे की भी व्यवस्था की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार, हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब और अकाल राहत मंत्री आदरणीय शक्तावत साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता की पीड़ा को समझते हुए व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपनी इच्छा शक्ति से कार्य सम्मादित किया है। मैं राजस्थान सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री शक्तावत साहब का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर शहर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। शहरी क्षेत्र में अकाल राहत के कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे वे भलीभांति परिचित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा से आदिवासी क्षेत्र जुड़ा है, उसकी

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

पैराफेरी में जो लोग हैं उनको रोजगार की दृष्टि से मेरा निवेदन है आपसे कि उदयपुर की झीलें खाली पड़ी हुई हैं, वर्षों से पहाड़ कटकर बरसात में नदियों से मिट्टी बहकर झीलों में आकर जमा हो गई है, डीसिल्टिंग का कार्य यदि राहत कार्यों के माध्यम से कराया जाए तो आदिवासी भाइयों को रोजगार भी मिलेगा और उदयपुर, जो राजस्थान के कश्मीर के रूप में कहलाता है, अपनी झीलों के लिए प्रख्यात है, उसकी झीलों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी।

इसके साथ ही मैं पेयजल समस्या के ऊपर भी अपनी बात कहना चाहूंगा। नगर की पेयजल समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत बड़े कार्य किये हैं। पेयजल विभाग के मंत्री डाक्टर सी. पी. जोशी साहब ने जब से इस विभाग को सम्भाला है और शक्तावत साहब ने नगर की पेयजल समस्या का स्थाई हल करने के लिए मानसी वाकल डैम को पूरा करवाने के लिए काफी प्रयास किये हैं। बहुत तेजी से कार्य प्रारम्भ किया गया है जो पूरा होने जा रहा है। यों तो कार्य मेरे यहां काफी हुए हैं नगर के विभिन्न मोहल्लों में, बस्तियों में पाइप लाइन के लिए मैंने अपने विधायक विकास कोष से 32 लाख रुपये लास्ट फाइनेंशल ईयर की समाप्ति तक दिये हैं। इसके अलावा ए.डी.बी. प्रोजेक्ट से सरकार ने इस नगर की पेयजल समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास किये हैं और पाइप लाइन भी नई लगाई जा रही हैं। किन्तु कुछ इलाके ऐसे हैं, पुरानी बस्ती हैं, उनमें कुछ पाइप लाइनें बदलती आवश्यक हैं। पिछले समय में कंटिंजेंसी प्लान के तहत एक करोड़ 32 लाख रुपये उदयपुर शहर की योजना के लिए दिये गये हैं। राजस्थान सरकार ने 58 लाख रुपये उसमें स्वीकृत किये हैं और उस पर कार्य को सम्पन्न किया है, लेकिन कुछ और रह गई बस्तियों में पाइप लाइन डालनी है। यह कार्य मैं अपने विधायक कोष से भी कर सकता हूं किन्तु मेरा अधिकांश पैसा पेयजल की समस्या में, पाइप लाइन बदलने में लगा दिया गया है, अब मेरे पास बहुत ही कम, मामूली राशि रह गई है। इसलिए मैं माननीय शक्तावत साहब से और जलदाय विभाग के मंत्री डाक्टर सी. पी. जोशी साहब से अनुरोध करूंगा कि कंटिंजेंसी प्लान का पैसा बकाया रह गया है, थोड़ा और उसमें स्वीकृत करें, ताकि कुछ और कार्य रह गये हैं उनको हम पूरा करा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि हर चीज राजनीति से नहीं जोड़ें। राजनीति करके हम यहां आ गये हैं, अब हमारा नैतिक दायित्व है। संकट में पड़ी हुई राजस्थान की जनता काफी परेशान है, उसे मदद की आवश्यकता है। सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिये हैं, सच्चाई और ईमानदारी यह है कि इस पवित्र सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आपको

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

केन्द्र सरकार पर राजस्थान की सरकार के प्रस्ताव पर मदद के रूप में पूरा जोर देना चाहिए ताकि हम सब लोग मिलकर राजस्थान की पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के कार्य में सहयोग कर सकें।

मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पूर्व पुनः राज्य सरकार के माननीय अकाल राहत मंत्री हमारे बीच यहां बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं इसमें, उन्हें पूरा करें तो बड़ी कृपा होगी। उदयपुर शहर के लिए डीसिल्टिंग कार्य को राहत कार्यों में कराने से काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री अमराराम (धोद)।

श्री देवीलाल बैरवा: मेरा नाम है, आपने मुझे पहले बतलाया है।

श्री सभापति: आप बिराजें । देवी भाई, आपको समय दिया जाएगा, बिराजिये। एक बार बिराज जाइये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का यह सदन राजस्थान के दुर्भिक्ष अकाल और उससे उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा है। राजस्थान में इस अकाल को राजस्थान की सरकार भी पिछले 100 साल में सबसे भयंकर अकाल मान रही है और देश की सरकार भी मान रही है लेकिन राजस्थान का यह हाउस जो कल से इस भयंकर अकाल की मार पर चर्चा करने के लिए बैठा है, इसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति इस बात को दर्ज कराती है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी किस तरह से राजस्थान में...

श्री सभापति: सदन में कोरम पूरा है और बहुत सचेत हैं इसलिए आप चिंता मत करें, आप अपनी बात कह दें। पक्ष और प्रतिपक्ष अपना–अपना कर्तव्य समझते हैं और सदन में कोरम पूरा है, आप अपनी बात पूरी करिये।

श्री अमराराम (धोद) : कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं पर सत्ता पक्ष कितना गम्भीर है, अकाल पर चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या पर अकाल पड़ा है। आप तुलनात्मक संख्या देख लीजिये।

श्री सभापति :सत्ता पक्ष बहुत गम्भीर है।

श्री मदन दिलावर: सत्ता पक्ष के सदस्यों का अकाल पड़ गया, मंत्रियों का अकाल पड़ गया, सभापति महोदय। राजस्थान में अकाल हुआ जो हुआ, पर कांग्रेस के माननीय सदस्यों का भी अकाल हो रहा है।

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय दिलावर साहब, वह तो झगड़ा सुबह वाली बात का है, अब तो शाम हो गई, आप बिराजिये । बिराजें आप।

श्री मदन दिलावर: दो उप मुख्य मंत्री बैठे हैं और वह भी शाल ओढ़–ओढ़कर बैठे हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, अभी आप आसन से नाम पुकार रहे थे, बहुत–से माननीय सदस्यों के नाम पुकारे, वे भी अनुपस्थित हैं ।

मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में आज भयंकर अकाल है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह चौथे और पांचवें साल अकाल है, लगातार अकाल है। इस अकाल में हम लोगों के पास रोजगार देने की जो व्यवस्था है, चारे की कमी है, पानी की कमी है, अकाल की व्यवस्था करने में मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार की जो प्रमुख जिम्मेदारी है उसमें वह बिलकुल असफल रही है। न केवल अकाल की व्यवस्था करने में असफल रही है, बल्कि केन्द्र सरकार से राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता और पशुधन को बचाने के लिए अपना हिस्सा लेने में भी असफल रही है। सभापति महोदय, अकाल राहत के काम पर जोहड़ की खुदाई हो, चाहे सड़क हो या रास्ता दुरुस्तीकरण हो, कोई भी खाता–पीता आदमी जिसके परिवार में सम्पत्ति हो, धन हो, अकाल राहत कार्यों पर काम करने के लिए जाता नहीं है। लेकिन चाहे वह ए.पी.एल. हो, चाहे बी.पी.एल. हो, आज पूरे राजस्थान में वह पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, जहां भी अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां जब भी मस्टररोल को बदलने का समय आता है–11 तारीख, 21 तारीख और 1 तारीख को, हर जगह जितनी लेबर आपने लगा रखी है उससे दोगुने और तिगुने लोग आते हैं, झगड़ों की स्थिति है। आप पन्द्रह दिन के पखवाड़े को दस दिन का कर दें, दस दिन को अगर सात दिन का कर दें और सात दिन को पांच दिन का कर दें तो मैं समझता हूं कि इससे समाधान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अकाल में जो पीड़ित है, जो काम करके अपने परिवार को इस अकाल की मार से बाहर निकालना चाहता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उस हर परिवार से एक व्यक्ति को तीस दिन काम दे तब जाकर राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता उससे छुटकारा पा सकती है।

(17.30 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय चाहे, हम इसमें साठ प्रतिशत कर दें, सत्तर प्रतिशत कर दें, लेकिन सबसे बड़े दुःख की बात जो राजस्थान के अकाल पीड़ित गरीब की है वह यह है कि उनके लिए टास्क लागू है। दो टास्क, एक टाइम का टास्क भी है। अभी बहुत–से माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में 90 से 95 प्रतिशत महिलाएं अकाल के काम पर आ रही हैं और उनके लिए टाइम का टास्क है–सुबह आठ बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक आएंगी। उनके लिए टाइम का टास्क भी है, उनके लिए नपती का टास्क भी है। वे सौ मण मिट्टी खोद कर तालाब की पाल के उधर डालेंगे तब उनको साठ रुपये मिलेंगे। सभापति महोदय, मुझे सबसे बड़ा दुःख है कि उस गरीब का वोट लेने के वक्त तो हमारे में होड़ लगी रहती है लेकिन आज

(श्री अमराराम)

जब अकाल की मार है तब राजस्थान में गरीब के लिए समय का टास्क भी है, उसकी मजदूरी के नाप का टास्क भी है। लेकिन इस राजस्थान में जो सलैक्टेड हैं पियोन से लेकर चीफ सैक्रेटरी तक, या जो इलैक्टेड हैं पंच से लेकर मुख्य मंत्री तक, विधायक और सांसद तक, उनके लिए कोई टास्क नहीं है। राजस्थान की सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार चुनकर आई, हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि जितने हमने वादे किये जरूरी नहीं है पांच साल तक उनको पूरा करें। जो टास्क लेकर आये थे सरकार पूरा नहीं करेगी, लेकिन उनको तनखाह में कोई कटौती नहीं होगी। इस विधान सभा में अपने क्षेत्र की जनता की बात रखने के लिए जनता ने जिनको चुन कर भेजा है, पांच साल में एक दिन भी अगर खड़े होकर नहीं कहें तो उनके लिए कोई टास्क नहीं है, उनकी तनखाह नहीं कटेगी। जो सलैक्टेड हैं, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम निरीक्षण करने के लिए गये तो अकाल राहत पर ए.एन.एम. हमको उपस्थित मिली। सभापति महोदय, हालात यह हैं कि राजस्थान में जिस समय अकाल की मार ग्रामीण इलाके का किसान और गरीब भोग रहा है, चाहे हैल्थ के कर्मचारी हैं या डाक्टर हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिये, उनमें से नब्बे प्रतिशत ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते। कोई भी रात को वहां पर नहीं रहता। उसके लिए कोई टास्क नहीं है। आदेश जरूर निकाल रखे हैं कि वे हैडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हैडक्वार्टर तो क्या, अस्सी प्रतिशत तो जाते ही नहीं । कई तो ऐसे हैं जो पूरे महीने के एक साथ दस्तखत करके ले आते हैं । उनके लिए कोई टास्क नहीं है, लेकिन राजस्थान के उस गरीब के साथ समय का टास्क भी है, नाप का टास्क भी है। और यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा लैकूना है। कार्यकारी एजेंसी के तकनीकी अधिकारी को अगर हिस्सा दे दिया जाएगा तो टास्क पूरा हो जाएगा। अगर उसका भ्रष्टाचार में पैसा नहीं आएगा तो टास्क पूरा नहीं होगा। टास्क की हालत यह होगी फिर एक रुपया और डेढ़ किलो गेहूं मिलेगा।

श्री मदन दिलावर: यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता?

श्री अमराराम (धोद): मेरा आपसे निवेदन है कि समय का टास्क रखिये आप सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक। आप अंदाजा कीजिये, सभापति महोदय, जो चार साल से लगातार अकाल की मार झेल रहा है, उस महिला की, उस पुरुष की क्या हालत होगी। आप जितना नाप देते हैं क्या वह पूरा कर सकता है? आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि मैल न्यूट्रीशन के कारण लोग कमजोर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अकाल राहत में टास्क को इस तरह से मेनटेन किया जाए जिससे न्यूनतम मजदूरी उनको मिल सके। लेकिन इस बात में हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। और कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा

(श्री अमराराम)

जनता को बेदखल करने का या राजस्थान में अरावली से खनन को बन्द करके करोड़ों लोगों के रोजगार को समाप्त करने का राजस्थान की सरकार दो दिन में उसको लागू कर देगी। लेकिन राज्य के गरीबों के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसको लागू करने के लिए राजस्थान की सरकार किसी भी रूप में चिंतित नहीं है। आज 53 रुपये का एवरेज कहा है, मुझे तो शक है कि ये 53 रुपये भी आपने दिखाये हैं, राज्य की तमाम योजनाओं के मिलाकर दिखाये हैं। अकेले अगर अकाल राहत की मजदूरी का निकाला जाए तो यह 53 रुपये एवरेज नहीं आएगा। जो आपकी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उन तमाम को मिलाकर आपने दिखाया है इसलिए 53 रुपये एवरेज आया है। अगर अकेले अकाल का दिखाया जाए तो 53 रुपये नहीं आता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो तमाम जो काम चाहने वाले हैं उनको काम दें और कम से कम पन्द्रह दिन का पखवाड़ा कीजिये। पूरे महीने भर नहीं दे सकते तो पन्द्रह दिन में आप उनकी छुट्टी मत कीजिये। और कुछ भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम दस दिन का टर्न आपने रखा है, उसमें दो और एक दिन की आती है, कई जिलों में इस बात को लागू किया गया है, उनके तो बाकी बीस इक्कीस दिन छुट्टी ही रहती है। दस दिन का काम देते हैं, इक्कीस दिन छुट्टी ही है तो कम से कम उस दस दिन में तो लगातार आप काम दीजिये। उनको दस दिन का काम मिलेगा, पूरी मजदूरी मिलेगी तो कुछ उनको रिलीफ मिल सकती है। सरकार इस बात की पूरी व्यवस्था करे कि जितना काम सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक करते हैं, उनको साठ रुपये निश्चित रूप से मिलने चाहिए, यह मुझे आपसे कहना है।

दूसरे, सभापति महोदय, हम यहां खड़े होकर कह दें, सरकार भी कह दे कि यहां बहुत बड़ा अकाल है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है लेकिन चारे के बारे में सरकार के द्वारा जो उत्तर मिला है, जैसलमेर में चारे का भाव है 450 रुपये क्विंटल, जयपुर में 405 रुपये क्विंटल। शायद राज्य के इतिहास में चारे का भाव आज से पहले यह कभी नहीं रहा। सही कहा अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि हम इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकते । आज जयपुर में जो भी रोड घुसती है, किसी भी रोड पर आप चले जाइये, सौ से लेकर डेढ़ सौ ट्रक हरियाणा और पंजाब के लोग यहां चारा लाकर दे रहे हैं। जब केन्द्र सरकार हमें मुफ्त में चारे और पानी के परिवहन के लिए रेल दे रही है, क्या हमारी सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती? हरियाणा और पंजाब से चारा खरीद कर और केवल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी की घोषणा करके इसकी इतश्री मान ले कि राजस्थान के पांच करोड़ पशुधन को हम बचा लेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। केन्द्र की सरकार ने घोषणा कर रखी है उसका भी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले छह महीने से अकेले जयपुर शहर में एक हजार ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली जो

(श्री अमराराम)

ट्रक जितना ही तूड़ा लाते हैं, जयपुर और आसपास के किसानों को उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जब तक हम सस्ता चारा उपलब्ध नहीं कराएंगे, केवल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी घोषित कर दें उससे क्या होगा? अब हालत यह है कि सीकर जिले में, सभापति महोदय, 49 चारा डिपो खोले गये। चारा डिपो जरूर हैं लेकिन चारा किसी पर नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि आज एक ट्रक चारा लाने के लिए कम से कम साठ हजार रुपये की आवश्यकता है। एक चारा डिपो चलाने के लिए दो ट्रक चाहिये जिनकी कीमत कम से कम एक लाख बीस हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये होती है। कोई भी एजेंसी चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे सहकारी समिति हो, किसी की भी यह हिम्मत नहीं है कि डेढ़ लाख रुपये केवल चारा खरीद कर लाने के लिए व्यवस्था कर सके। कोई नहीं कर सकता। और रिवाल्विंग फण्ड, बाकी राजस्थान की तो मैं कह नहीं सकता, सीकर जिले में पूरे में जिसकी 33 लाख की जनसंख्या है, उसको एक लाख रुपये चारा परिवहन के लिए आपने रिवाल्विंग फण्ड दिया है। एक लाख से एक चारा डिपो नहीं चल सकता। यह इस बात का नतीजा है कि जो हम हमारे साधनों से कर सकते थे और अकाल के मुकाबले के लिए जो साधन हमें केन्द्र सरकार द्वारा सहायता के रूप में मिल सकते हैं, हमको इस बात की चिंता नहीं है।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान डीजल से सिंचाई करता है या बिजली से सिंचाई करता है, हरा चारा रबी में आपने नहीं बुवाया। जहां हमारे साधन थे, सरकार की जमीन थी, राजस्थान कैनाल के तीनों सिस्टम–भाखड़ा हो, गंग कैनाल हो, राजस्थान कैनाल हो, हरा चारा बोकर हम बहुत बड़े पशुधन को बचाने का काम कर सकते थे। लेकिन सरकार ने वह भी नहीं किया। सरकार कह रही है कि हमने पहली बार राजस्थान में चारे का समर्थन मूल्य और 10 जिलों में चारा उत्पादन के लिए घोषणा कर दी। आपने क्या घोषणा की? 75 रुपये क्विंटल के चारे की घोषणा की। हरा चारा 75 रुपये। आपने ही उत्तर में मेरे को बताया है कि हरा चारा राजस्थान में जोधपुर में बिक रहा है 280 रुपये क्विंटल। और आपने घोषणा की 75 रुपये की। और उन 10 जिलों में की जहां हरा चारा पैदा नहीं हो सकता। हम घोषणा करके राजस्थान के पशुपालकों के सामने केवल वाहवाही लूटना चाहे तो बात अलग है। आज मैं, सभापति महोदय, कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार जहां 4 रुपये से 5 रुपये किलो चारा है, हरे चारे का वाजिब समर्थन मूल्य घोषित करके उन किसानों को जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, विश्वास दिलाती कि इस समर्थन मूल्य पर अगर आपका हरा चारा नहीं बिकेगा तो राजस्थान की सरकार खरीद लेगी, तो वह चारा देकर राजस्थान के पशुपालकों को, पशुओं को भी बचा सकती थी और पैदा किये हुए हरे चारे को भी। मेरा निवेदन है कि आज भी

(श्री अमराराम)

घोषणा कर सकते हैं, मार्च के बाद फिर चारा पैदा हो सकता है। लेकिन उस चारे के लिए राजस्थान की सरकार को राजस्थान के 32 जिलों में समर्थन मूल्य जो आज 4 रुपये से 5 रुपये के बीच में है, कम से कम दो सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से देना पड़ेगा। उस गांव में जिसमें ट्यूबवैल है, बारानी किसान के पास पशु हैं अगर हरा चारा पैदा हो गया तो एक नया पैसा परिवहन के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। आप गौशाला को अनुदान देंगे आवारा पशु शिविर में इकट्ठे हो गये उनको भी अनुदान देंगे। गौशाला में कितनी भी गायें हों उनके अनुदान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आवारा पशु जिनको किसान ने अपनी मजबूरी के कारण छोड़ दिया है, कुछ भी फसल है तो उस फसल को जिनसे बड़ा नुकसान हो सकता है, किसान पशु शिविर में उनको इकट्ठा करके अपनी फसल को बचाने के लिए तैयार है उसके लिए आपने सीलिंग लगा रखी है, उसके लिए अनुदान नहीं है। जो किसान खुद 4 रुपये और 5 रुपये किलो चारा खरीद कर अपने पशु बचा रहा है उसको अनुदान के लिए आपके पास प्रोविजन नहीं है। जो खुला छोड़ दे उसके लिए है, गौशालाओं के लिए है, लेकिन राजस्थान का किसान जो खुद बचाना चाह रहा है उसके लिए राजस्थान की सरकार के पास प्रोविजन नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आप देखें कि आज भी जो हमारे संसाधन हैं उनका कितना उपयोग हो सकता है। आज मंत्रीजी यहां जवाब देंगे, राजस्थान के 32 जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां हरा चारा पैदा हो सकता है। क्या केवल 10 जिलों में ही हो सकता है? क्या 10 जिलों में ही अकाल है? क्या 10 जिलों में ही अकाल में हरा चारा पैदा करने की आवश्यकता है? हम ऐसी घोषणा करें जिस घोषणा में केवल वाहवाही लूटने की बात हो तो वास्तव में उस अकाल पीड़ित पशुधन और जनता को मदद नहीं हो सकती।

राजस्थान की जो स्थिति है, गरीब जनता के सामने रोजगार का सवाल है, चाहे चारे का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सर्वदलीय बैठकें बुलायीं, चाहे सत्ता पक्ष में हों, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हों, हम सब राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को, अकाल पीड़ित पशुधन को बचाने के लिए तैयार हैं। मेरी मान्यता है कि राजस्थान की सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक उसका है। जिसको महा अकाल बता रहे हैं, राजस्थान में सौ साल में इतना भयंकर अकाल नहीं पड़ा है, उस अकाल में राजस्थान की सरकार अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए आये। केन्द्र से भी जितनी मदद की आवश्यकता है, तमाम लोग इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी केवल बात करें। पहली सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय ने भी कहा था, सबने मिल कर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास भी किया था कि हम सब राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की सहायता के लिए मिल कर मुकाबला

(श्री अमराराम)

करने के लिए तैयार हैं, मीटिंग दो हो गयीं, लेकिन केन्द्र सरकार के सामने जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार असफल रही है। लेकिन आज भी मौका है, आने वाले पांच महीनों में इससे भी भयंकर स्थिति होगी। राजस्थान के खजाने से चाहे अकाल में मजदूरी देने का सवाल हो, चाहे चारा उपलब्ध कराने का सवाल हो, चाहे पानी उपलब्ध कराने का सवाल हो, हमारे मंत्रीजी कह रहे थे कि पैसा है पर पानी नहीं है, हम कहां लगाएं। मैं कहना चाहता हूं कि सीकर जिले में जहां टी.एस.एस. योजना है, पिछले पांच साल में पायलट प्रोजेक्ट से आपने उस पूरे जिले की ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाओं को तहस–नहस कर दिया और अब तो पूरे राजस्थान में लगा दिया स्वजल धारा के नाम से। केन्द्र सरकार ने भी ग्रामीण जनता के साथ धोखाधड़ी की है, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में पूरे राजस्थान के ग्रामीण लोग अपना पानी पीयेंगे और उसका पैसा खुद वहन करेंगे। 25 साल से बिजली का बिल टी.एस.एस. पर राजस्थान की सरकार भोगती रही है, अब पायलट प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार ने लागू किया, राजस्थान के ग्रामीण अकाल पीड़ित लोगों को स्वजल धारा के नाम से उसके रख रखाव और संचालन का पूरा पैसा खुद खर्च करना होगा और राजस्थान की सरकार ने उसको यस किया है। वह पैसा कहां लगाएं तो मैं कहता हूं सीकर में, झुंझुनूं में, जयपुर में जितने भी टी.एस.एस. जिले हैं जिनका पानी नीचे जा रहा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू में भी है।

श्री अमराराम (धोद) : चूरू में तो आपणी योजना के नाम से है। मेरा निवेदन है कि जहां पानी है, कम से कम वहां तो आप पानी का उपयोग कीजिये। 130 करोड़ रुपये जनवरी, दिसम्बर तक मिल गये और खर्च नहीं हों यह सबसे बड़ी अफसोसजनक बात है। जो पैसा मिलता है वह राजस्थान के खजाने से हो, या राजस्थान की जनता के हिस्से का केन्द्र सरकार से मिले, हम उसको समय पर इस भीषण अकाल में उपयोग नहीं कर पाएं, मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ी अफसोसजनक कहानी है। मेरा तो आपसे निवेदन है, अकाल राहत मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी को कहिये कि राजस्थान के अकाल पीड़ित किसान और पशुधन को बचाने के लिए, चाहे राजस्थान के खजाने से लगाना हो या हिन्दुस्तान की सरकार से हमारे हिस्से में अधिक से अधिक मदद मिले, राजस्थान की जनता के लिए सबसे बढ़िया राजनीति यह होगी कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष सब मिल कर हिन्दुस्तान की सरकार के सामने इस पक्ष को रखें। राजस्थान की सरकार अगर अगुवाई करेगी तो, प्रतिपक्ष भी राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की मदद के लिए हिन्दुस्तान की सरकार के सामने अपना पक्ष रख कर अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन केवल राजनीति करते रहे, हमारे मुख्य मंत्रीजी केवल यह भाषण देते रहे कि केन्द्र ने दिया नहीं है कि जितनी राजस्थान की जनता अकाल से पीड़ित होगी, केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर अपने वोट की राजनीति उतनी अच्छी

(श्री अमराराम)

होगी। हम प्रतिपक्ष में बैठे हुए राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाये कि जितनी राजस्थान की जनता परेशान होगी, हमारे वोट पक्के होंगे। मैं समझता हूं, न राजस्थान की जनता की भलाई कर रहे हैं और न हम हमारी पार्टियों की भलाई कर रहे हैं। हम केवल अपने–आप में खुश हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता के हकों की बात नहीं कर रहे हैं। दो दिन की अकाल की इस बहस और उसके जवाब के बाद हम सब मिलकर राजस्थान के खजाने से और हिन्दुस्तान की सरकार के खजाने से अधिकतम सहयोग लेकर राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता और पशुधन को बचाने के लिए काम करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लालजी मीणा ।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सम्माननीय सभापति महोदय, दो दिन से राजस्थान में अकाल की स्थिति के ऊपर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके सामने विचार रखना चाहता हूं।

श्री देवीलाल बैरवा : ...(व्यवधान)... चौथे नम्बर पर मेरा नाम था; कम से कम 30 जने तो बोल गये होंगे। आपको एक बार मेरा नाम बता भी दिया था, सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारो।

श्री सभापति : अब तैयार हो जाइये, इनके बाद आपका ही नम्बर है। बिराजिये, आप तैयार हो जाइये, इनके बाद आपका ही नम्बर है। बिराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं तो तैयार हूं, आप तैयार रहा करें। मुझे तो किसी भी वक्त में बुला लो, मुझे न कागज में मांडना, न लिखना। मैं तो खड़ा होकर जो विषय आ जाए उस पर ही बोल लेता हूं।

श्री कन्हैया लाल : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो अकाल की विभीषिका है उसमें पूर्वी राजस्थान की जो स्थिति है उससे भी भयंकर स्थिति पश्चिमी राजस्थान की है। आज जयपुर या दौसा या आसपास आप फागी देख लो, चाकसू देख लो, दूदू देख लो, यहां पर भयंकर स्थिति है और माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय ने सीलिंग दी है 35 हजार। 35 हजार की सीलिंग और जयपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र हैं 10, पंचायत समितियां–तहसील हैं 13, उनमें 22 में तो है चाकसू, फागी और दूदू और शेष में है सारी 11 पंचायत समितियां। सभापति महोदय, एक मजदूर को एक दिन भी काम करने का मौका नहीं मिला है। अगस्त में काम चालू किया और 10 मजदूर एक काम में लगाने की स्वीकृत दी गई । जहां 10 मजदूर लगाने की स्वीकृत दी गई वहां तीन–तीन सौ, चार–चार सौ आदमी इकट्ठे हो गये और वहां झगड़ा होने की नौबत हो गई। एस.डी.एम. और तहसीलदार वहां पहुंच गये, ऐसी बुरी स्थिति वहां हो गई। उसके बाद भी

(श्री कन्हैया लाल)

मुश्किल से 20–20 मजदूर दिये गये। मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र की कह सकता हूं, आपने उत्तर दिया 224 काम स्वीकृत किये, 224 में से 48 तो यह कह कर कि साहब वहां पर भूमि विवाद है, वह विवाद है इसलिए मैंने रद्द कर दिये, उन कार्यों को अस्वीकृत कर दिया। वहां न कोई विवाद है, न वहां किसी किस्म का लड़ाई–झगड़ा है लेकिन बिना कारण के उन कार्यों को अस्वीकृत कर दिया आपने। कोई काम 10 दिन चला, कोई 15 दिन चला। 224 में से एक महीने बाद 140 रह गये वहां पर। आज 48 काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां 71 हजार मतदाता हों, 65 प्रतिशत एस.सी., एस.टी. के मतदाता हों, वहां बी.पी.एल. के आधे परिवार भी काम नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि बी.पी.एल., ए.पी.एल. और एस.सी., एस.टी. को हम रोजगार दे रहे हैं। मंत्री महोदय आप चाहे जैसे जांच करा लें, आज जयपुर जिले की अकाल राहत में सबसे दयनीय स्थिति है। अगर आपने एक काम में 20 मजदूर खोले हैं तो वहां दो–दो सौ, तीन–तीन सौ व्यक्ति काम करने के लिये गये हैं। मंत्री महोदय, आपने कहा कि जो असहाय व्यक्ति हैं, अपंग हैं, उनको 50 किलो अनाज और 30 रुपये दिये गये हैं । मंत्री महोदय, आप जांच करा लें, उनको महीने में मात्र पांच किलो अनाज दिया गया है, उसके अलावा कोई पैसा भी नहीं दिया गया है। जो दोनों पैरों से अपंग व्यक्ति हैं उनको मात्र 5 किलो अनाज दिया गया है जबकि आपने 50 किलो की घोषणा कर रखी है। सड़कों का जितना अपूर्ण काम था, गत वर्ष आपने अकाल राहत में काम करवाये थे उन कार्यों में जो अपूर्ण थे उनको आपने प्राथमिकता दी थी। लेकिन वे सारे कार्य अधूरे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन कार्यों को पूरा कराने की कृपा करें। जयपुर जिले में जितने भी कार्य करवाये गये हैं, कच्चे कार्य करवाये गये हैं , उनको पूरा कराने की कृपा करें।

अभी माननीय सुराना साहब ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि ग्रेवल के लिये यदि आप स्वीकृति देंगे और उसमें जो विधायक फण्ड से या एम.पी. फण्ड से आधा पैसा लगेगा वह हम देने को तैयार हैं, तो जितने भी अपूर्ण कार्य हैं उनको दुबारा स्वीकृत करने की कृपा करें । आप आदेश दें कि जो अपूर्ण कार्य हैं वे स्वीकृत हों और स्वीकृत होकर वे कार्य पूरे हों । आपने घोषणा की थी कि जनवरी में शहरी सीमा में कार्य चालू हो जाएगा मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले में 712 गांव जो नगर निगम में लिये गये हैं। उनमें किसी भी गांव में एक काम चालू नहीं हुआ है। उनमें सारे ग्रामीण इलाके हैं और एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. के पहले चयनित लोग हैं, उनमें अगर आप काम चालू करें तो उन लोगों को काफी राहत मिलेगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य, राज्य सरकार ने सी और डी क्लास की नगरपालिकाओं में काम शुरू करने की घोषणा की थी, नगर निगम और नगर निकाय में नहीं ।

श्री कन्हैया लाल : नहीं, निगम में भी 712 गांव हैं, जयपुर जिले में आये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नगर निगम और नगर निकायों में नहीं, केवल सी और डी क्लास की नगरपालिकाओं में भी उस ग्रामीण क्षेत्र के लिये काम प्रारम्भ करने की घोषणा की थी जिसमें हमने फरवरी से किये हैं। हमने उसमें नहीं की है।

श्री कन्हैया लाल : आपने लम्बी चौड़ी स्पीच दी थी और उसमें लिखा था आपने शहरी सीमा में।

श्री मदन दिलावर : शेष तो भूखे मरे, यही है न आपका कहना?

श्री कन्हैया लाल : आपने यह नहीं लिखा सी और डी..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सी और डी क्लास के आदेश स्पष्ट हैं।

श्री कन्हैया लाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने नई घोषणा की है तो शहरी सीमा में जैसे जयपुर जिले में...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय मंत्रीजी, बी श्रेणी की नगरपालिकाओं में आज तक फेमिन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि फरवरी में घोषणा कर दी, तो अभी तक हमारे तो शुरू हुआ नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सी और डी की नगरपालिकाएं जो मटीरियल कम्पोनेंट देगी वहां पर काम प्रारम्भ करने के लिये ढाई–ढाई सौ लेबर सैंक्शन कर दी है। अब यह नगरपालिका का काम है, वह कलक्टर के साथ बैठ कर, विचार कर काम कराएं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ठीक है, धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल : मंत्री महोदय, जयपुर में 712 गांव आये हैं, मेरा निवेदन है कि स्पेशल तौर पर अगर आप उनकी स्वीकृति दें। उनमें बी.पी.एल. चयनित गत बार के हैं, उनको अभी तीन साल पहले ही शामिल किया गया है। ऐसे परिवार हैं जो बिलकुल गरीब हैं, ज्यादातर एस.सी. और एस.टी. के लोग हैं। ऐसे गरीबों को अगर रोजगार मिले तो अच्छा है। वे आज दर–दर भटक रहे हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने चारा डिपो जयपुर में खोले, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन अभी माननीय सदस्य अमरारामजी बता रहे थे कि ट्रक तो खड़े हैं। यह बात सही है, चारा डिपो कागजों में खुल गये। एक–एक ट्रक या दो–दो ट्रक डाल दिये गये। मैं कहता हूं, एक दिन में किसी के एक–एक क्विंटल भी चारा हिस्से में नहीं आया और जितना चारा आया है वह बांट लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप प्राइवेट में चारा खरीदो तो 500 रुपये क्विंटल है, अमरारामजी ने जो बताया वह बिलकुल सत्य

(श्री कन्हैया लाल)

है। इसलिए चारा डिपो में आप चारे की व्यवस्था करावें, जयपुर जिले में बहुत भयंकर स्थिति है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आवारा पशुओं की जो स्थिति है और खास कर गायों की जो स्थिति है, सर्दी में आप देखें तो जो गांव रोड के नजदीक हैं वहां गायें रोड पर आकर बैठती हैं। रोजाना 10–15 गायें और उनके बछड़े या तो लूले–लंगड़े हो जाते थे या ट्रकों के नीचे आकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। वर्तमान में धार्मिक लोग ऐसी गायों के चारे–पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी लूली–लंगड़ी गायें आज जगह–जगह पड़ी हुई हैं। किसान जिनकी फसलों में गायें जाती हैं, वे टोले के टोले लेकर शहर के बाहर छोड़ जाते हैं । आज वे गायें दर–दर घूम रही हैं। उन गायों को आप भरकर या तो पिंजरापोल में डालते हो या इधर–उधर डालते हो। पिंजरापोल में जैसी बुरी स्थिति है, मैं कहता हूं वैसी स्थिति कहीं भी नहीं है। गायें चारे के अभाव में बबूल की सूखी टहनियां खा रही हैं। आवारा पशुओं के जो शिविर किसानों ने खोले थे, अमरारामजी ने सही कहा था कि उनको कोई अनुदान नहीं मिला है। जहां गौशालाओं को आपने दिया, मैं कहता हूं 20 प्रतिशत से ज्यादा गायें गौशालाओं में नहीं हैं। 80 प्रतिशत गायें जो बाहर हैं, किसानों ने मिलकर, कई पंचायतों ने मिलकर तार–वार लगाकर गायों को इकट्ठा कर रखा है। एस.डी.एम. के माध्यम से उनको प्रमाणित करा कर उनको अनुदान दिया जाना चाहिये जिससे उन गायों की सुरक्षा हो सके।

मैं पेयजल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सूखे हैण्ड पम्प हैं उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प लगाने के आप आदेश दें। एक–एक गांव में तीन–तीन चार–चार हैण्ड पम्प सूख गये हैं, उनका वाटर लेवल नीचे चला गया है उसकी वजह से। उनके स्थान पर दूसरे हैण्ड पम्प लगाने की आप घोषणा करें। अभी तक जमवारामगढ़ बांध जयपुर को पानी पिलाने के लिये था, वर्तमान में वहां पानी कम और कचरा ज्यादा भरा हुआ है। आपने 690 करोड़ राशि स्वीकृत करने की घोषणा कर रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आज आप ऐसी स्वीकृति जारी करने की घोषणा कर निश्चित रूप से जयपुर को पानी पिलाएंगे क्योंकि जयपुर की घोषणा कर निश्चित रूप से जयपुर को पानी पिलाएंगे, दयनीय स्थिति है। जो टंकियां बनी हुई थीं और वाटर लेवल नीचे चले जाने की वजह से वहां के जों ट्यूबवैल सूख गए हैं, आज आप चाहते हैं कि उसको सैक्टर रिफोर्म, स्वजल धारा में वहां के ग्रामीण ठीक करवाएं। माननीय मंत्री महोदय, लोगों की ऐसी स्थिति है कि इस अकाल में लोग पैसा इकट्ठा करके उसमें 10 प्रतिशत भी जमा नहीं करा सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जो पुरानी टंकियां बनी हुई है, इनको स्पेशल योजना के तहत या कुछ राशि देकर ट्यूबवैल और गहरे करवाएं और चालू करवाएं। धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय देवीलाल जी।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा): सभापति महोदय, आज पानी और अकाल पर चर्चा हो रही है, मेरे से पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य पूरे दिन अकाल, पानी और चारे तथा मजदूरी पर बोलते रहे।

अकाल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह अकाल पशुओं पर ही नहीं है, मनुष्यों पर ही नहीं है, पूरी 84 लाख जीवयोनियों पर इसका प्रकोप हुआ है। चार खान हैं और चार खान में 84 लाख जीवयोनियों की उत्पत्ति हुई है 84 लाख जीवयोनियों के ऊपर इसका असर हुआ है। अंडखान, पंडखान, जड़खान और गदबदखान इन चार खानों में 84 लाख जीवयोनियों की उत्पत्ति हुई है, 84 लाख तो जाति हैं जीव तो अरबों–खरबों की संख्या में हैं। इनके ऊपर अकाल का पूरा असर है। 18 करोड़ तो वनस्पति हैं, रुखड़े की जात नहीं है। एक नाम है रूखड़ा जो 18 करोड़ जाति के हैं। इनकी गिनती अरबों–खरबों में है। 18 करोड़ दरख्तों के ऊपर इसका प्रकोप है। 14 करोड़ जल के जीव हैं उनके ऊपर भी इसका प्रकोप है। उड़न पखेरू चिड़िया 7–8 करोड़ हैं इनके ऊपर भी इसका प्रकोप है। पशुधन लड़ी –चाढ़ी, गाएं–भैसें, ऊंट , बकरा–बकरी, घोड़े–घोड़ी, ये भी करोड़ों में हैं, इनके ऊपर भी इसका प्रकोप है। इस अकाल में चाहे देवता हों, चाहे मंत्री जी हों, मुख्य मंत्रीजी हों, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं जमीन में से निकाल लेंगे, भरे हुए बांधो से ले लेंगे, हैण्ड पम्प लगा देंगे, मशीनें लगा देंगे, टैंकर लगा देंगे, गंगा–यमुना का पानी ले आएंगे। लेकिन पानी को बढ़ा नहीं सकते हैं मिनख हो या देवता। पानी को कौन बढ़ा सकता है? पानी की माया–"पानी से सब रंग हुए सब रंग पानी मांय। जिस रंग से पानी हुआ, वो रंग दरसे नांय। यह वाणी है एक महापुरुष। की यह पानी वृक्षों की शक्ति है, यह पानी को आकाश से खींचकर ला सकते हैं।" तरुवर सरोवर, संतजन और चौथा बरसे मेह। परमार्थ के कारणे ये चारों धारी देह"।

जितने भी जीव हैं उनकी ये रक्षा कर सकते हैं। अपने अंदर पांच तत्व हैं लेकिन वृक्षों में चार ही हैं, एक तत्व की कमी है। अपने अन्दर आकाश, आकाश उनमें भी है। अपने अन्दर पृथ्वी, पृथ्वी उनके अन्दर भी है। अपने अन्दर जल है, इनके अन्दर भी हैं। अपने पवन, इनके अंदर पवन नहीं है। यह जड़ है, अपन चेतन हैं। दरख्तों को नींद आती है, ये सुनते हैं। और 6 महीने की बात आगे–पीछे भी कह सकते हैं ये दरख्त हैं यह मान लीजिए कि आकाश में भी बरसात है, इनमें शक्ति है। सभापति महोदय, अपने अंदर दो शक्तियां हैं–एक है आवाज की, दूसरी शक्ति है प्रलय की। तीसरी शक्ति वोट की भी है। यह भी कम नहीं है। अपने अन्दर एक शक्ति वोट की है तो दो शक्तियां कुदरत की है। इनके अन्दर तीन शक्तियां कुदरत की हैं–एक शक्ति आकाश में है, आकाश से पानी को खींच लेती है। दूसरी शक्ति पृथ्वी पर है, कितनी भी गंदी हवा, बीमारी हो उसको समेट लेते हैं। तीसरी शक्ति धरती में है, इस

(श्री देवीलाल बैरवा)

धरती को शक्ति देते भी हैं और लेते भी है। यह इनकी शक्ति है।

वृक्षों की ऐसी हालत हो रही है कि शहरों की तो मैं कह नहीं सकता, जहां पेड़ों पर पत्ते हैं, लेकिन गावों और जंगलों में तो पीपली, बड़, सूरो, नीमड़ी, खेतड़ी, बबूल किसी के पत्ते नहीं हैं, कोरे ठूंठ हैं। किसी भी जंगल में चले जाएं खेड़ती से कोटा, मालपुरा, डिग्गी, वहां भी पत्ते नहीं हैं कोरे ठूंठ हैं। उनके अंदर पान नहीं होने से जितने भी जीव हैं वे भी दु:खी हैं। बरसात आती है तो दु:खी होते हैं, ठूंठड़ों में बैठे रहते हैं। दरख्तों में न फल हैं न फूल हैं दरख्तों के अन्दर 36 ही रंग हैं, 36 ही रस हैं और 36 ही राग हैं वृक्षों की माया है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात पर आ जाता हूं। पहले तो जलदाय मंत्री जी से निवेदन करूं कि हमारे 11 महीने पहले चार स्कीम मंजूर कर दीं। चारे के पैसे मंजूर हो गये, पैसा भेज दिया और स्कीम चालू हो गई, बेरे खुद गये पानी भी है, टंकियां भी बना दीं। एक तो 7 गांवों की स्कीम है, एक 8–9 गांवों की स्कीम है, एक 4 गांवों की स्कीम है और एक 5 गांवों की है। वहां पैसा पड़ा है, टंकियां बन गईं। लेकिन पी.बी.सी. पाइप वगैरह यह तो मैं जानता नहीं हूं उधर कागज लिखूं तो चीफ इंजीनियर के पास आ जाए, मंत्रीजी के पास भेज देते हैं। मंत्रीजी को लिखूं तो ए. ईएन., जे.ईएन. के यहां शाहपुरा में कागज फिरता रहे। चार कागज तो इस बैग में पड़े हैं। कम से कम 15–20 गांव हैं और पानी की भयंकर समस्या है। अब टैंकर लगाओ तो एक पंचायत के अन्दर मान लीजिए 5–6 गांव हैं, चार टैंकर भी लगाओ तो एक हजार रुपये रोज के एक टैंकर के होते हैं, चार हजार रुपये एक पंचायत में 10–12 गांव में हो जाएंगे। 15–20 गांव हैं, रुपया वहां पड़ा हुआ है और पानी से लोग दु:खी हो रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि बेरे खुद गये, पानी है, टंकियां हो गईं और कहीं–कहीं पाइप भी बिछा दिए, पर पूरे पाइपों की जल्दी व्यवस्था कराइये। एक मेरे शाहपुरा के अन्दर एक टंकी है जिसको कम से कम 4 साल हो गये। कागज इधर उधर हो रहे हैं। बीच में कहा कि 10 लाख रुपये मंजूर हो गये। अब कहते हैं कि 10 लाख में टंकी बनती नहीं है। उसका भी फैसला कर दें तो शाहपुरा की पूरी समस्या मिट जाए। यह तो पानी के लिये हो गया।

अब अगला निवेदन है, हमारे अकाल सहायता मंत्रीजी ने मुझे कह दिया कि पासा खुदाने के लिये 24 तारीख को स्वीकृति दे दी। इसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, यह मेरी पूरी भावना थी कि टैंकर लगा रहे हैं इसके बजाय कुआं खुदाएं, कुआं भी सौ फीट का हो। उसके अन्दर पानी आएगा। कहीं बड़ा गांव है तो दो कुएं खुद जाएंगे, दो कुओं में पानी हो जाएगा। छोटा गांव हो तो एक में हो जाए। वहां पानी की सुविधा हो

(श्री देवीलाल बैरवा)

जाए तो उनके पोते–पोती–पड़पोते रहेंगे तब तक उनसे पानी की सप्लाई होगी। टैंकर तो करोड़ों रुपये लेकर 4 महीने में घर चले जाते हैं और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं होती है। कुएं खोदने से पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। एक आदेश दे दें कि जिस कुएं में मीठा पानी हो वही कुआं खुदवाएं। पंचायत समिति से आदेश निकलवा दें, कलक्टर साहब से कह दें। अच्छे कुएं हों और अच्छा पानी हो उनको खुदा देंगे तो पानी की व्यवस्था जरूर होगी। पहले गांव के अन्दर एक–एक पंचायत में दो–दो कुइयां और कुएं दिए। यह मान लीजिए कि मेरे क्षेत्र में 48 पंचायतों के अन्दर जो सौ कुएं अगर खुद जाएं, मुझे ऐसा विश्वास है कि 20 कुओं में पानी नहीं होगा तो 80 कुओं में पानी होगा, पानी होगा तो समस्या दूर हो जाएगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में मजदूरों के मामले में बहुत दिल दुःखी होता है। शाहपुरा में तो करीब–करीब ठीक है, पर पंचायत समिति कोटड़ी में 10 पंचायतें मेरी, 10 पंचायतें माथुर साहब की हैं और 12 ताम्बी साहब की हैं। आप कागजों में देख लीजिए कि जनसंख्या मेरे 10 पंचायतों में ज्यादा है। शुरू में उनके लगाये 700–700 और मेरें लगाये 200 श्रमिक। पंचायत वाइज, गांववाइज कागज लिखा था, मजदूरों की संख्या लिखी थी, पर उसको निकाला नहीं और 200 लगाये। फिर मैंने कहा, वहां लड़ा तो कहा कि और लिखो। और लिखा तो मेरे तो लगाये, ऐसा माने कि 400 लगाए और 15 सौ, माथुर साहब के और ताम्बी साहब के 15 सौ, 16 सौ लगा दिये। मेरे आज की तारीख में 5 सौ से ज्यादा नहीं हैं। अब 6 महीने हो गये, उन लोगों ने मुझे वोट दिया और इस शर्त पर दिया था, गृह मंत्रीजी इधर जोर–जोर से बोले थे जिनको उन्होंने हराया और मुझे जिताकर भेजा। मुझे यह सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती है, ऐसा तो नहीं कि तनखाह लेकर वहीं रहूं। उन्होंने उनके काम के वास्ते जिताया है। पहले मैंने उनकी 10 साल तक सेवा की, 10 साल तक सेवा की तो वह सेवा काम दी। बाकी तो वे कितने ही रुपये खा गये, दारू की गाड़ियों की गाड़ियां पी गये, पर वोट मुझे दिया और जिताया। लेकिन उनके साथ आज यह हो रहा है। मंत्री महोदय, मैंने आपको भी निवेदन कर दिया, कलक्टर साहब को, मुख्य मंत्रीजी से भी और हमारे प्रभारी मंत्रीजी से भी निवेदन कर दिया। मैं इसके लिये बहुत दुःखी हूं, आप मजदूर बढ़ाएं। मजदूर तो बढ़ाएं ही, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 6 महीने तक उनके 15 सौ और मेरे 15 सौ कर देंगे और मैं छह महीने तक उन आदमियों को छोडूंगा नहीं।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये, देवीलाल जी, बिराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : थोड़ी देर और बोलना है।

श्री सभापति : क्या रह गया थोड़ी देर और ?

श्री देवीलाल बैरवा : पंचायत राज मंत्रीजी, मजदूर तो लग रहे हैं, पर एक व्यवस्था मेरे यहां यह नहीं है कि पंचायतों के अन्दर जो चरनोट की जमीन है जिसके अन्दर विलायती बबूल है और जिसको गरीब मजदूर खोद रहे हैं, कई तो सरपंच साहब भी खुदा रहे हैं और गांव वाले भी खुदा रहे है। पर कई सरपंच साहब ऐसे हैं कि जो उनको तो खोदने नहीं देते हैं और दूसरी पंचायत के दूर के ठेकेदार को ठेका दे देते हैं। वह ठेका मत देने दें। भूड़िये में भी मजदूर खोद रहे हैं, वे कोयले भी निकालते हैं और गड्डों को भी भरते हैं। उसमें चरनोट में घास भी हो जाती है। तो पंचायत समिति में आदेश भेजे कि वह मजदूरों को खोदने दें। यह मान लीजिए कि सैकड़ों आदमी भूड़िये में कोयले निकाल रहे हैं और उसकी मजदूरी उसमें उठा रहे हैं एक तो मेरा निवेदन यह है।

अब आप मुझे ज्यादा समय तो देते नहीं हैं, मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब क्या रह गया?

श्री देवीलाल बैरवा : चारे के लिये तो आपने कह दिया, मेरे से पहले भी बोल दिया। चारे के लिये तो मेरा यही निवेदन है कि आप इसमें व्यवस्था नहीं करेंगे तो आधा पशुधन मर जाएगा। मर जाएंगे, इससे लोग बहुत घबरा गये हैं। एक आदमी को जो मजदूरी मिलती है, किसी के 2 बैल हैं, एक गाय है, उनके लिये धान भी लाते हैं, चारा भी लाते हैं। मंत्री महोदय, अपनी औरतों के गहने रख दिये चारे के लिये, कई लोगों ने खेत गिरवी रख दिये । अब व्यवस्था नहीं हुई तो खेत भी चले जाएंगे और गहने भी चले जाएंगे और वे जानवर भी मर जाएंगे यह हालत हो जाएगी। तो चारे के ऊपर थोड़ी सख्ती करें और इसके ऊपर सब्सिडी बढ़ाएं ।

केन्द्र की बार बार बात आयी, अब केन्द्र की लड़ाई तो आप जाने । मैं तो मेरी बात कहता हूं कि बीज के वक्त में बोहरा मना कर देता है। खेत तैयार कर दिया और बोहरे ने मना कर दिया तो दादा को आकर लड़का कहता है कि दादा बोहरे ने बीज के लिये मना कर दिया। उसने कहा कि बोहरे ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, चाहे गहनों को रखो, चाहे गलत–सही जो लिखावे, लिख दो। सभापति महोदय, यह मान ले कि जौ का बीज तो मिला नहीं, एक मण तिल के बदले एक मण जौ लाये। दो सौ मण जौ लाये और दो सौ मण तिल लिखवा लिये। जौ का भाव तो 8–10–12 रुपये और तिलों का भाव 45 और 50, इतना महंगा पड़ा।

श्री सभापति : आप बिराजें अब। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री देवीलाल बैरवा : अब मैं अपनी बात समाप्त करूं। उसके पहले एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि टाइप करने वाले मेरी भाषा समझते नहीं हैं। जो मेरे पास मेरे

(श्री देवीलाल बैरवा)

भाषण की कापी आती है उसमें आधे अक्षर छपते नहीं हैं इसका कारण यह है कि 8-10 कापी लगाकर टाइप करते हैं। अब ये लिखकर भेजते हैं कि 24 घंटे में वापस दें। 24 घंटे में तो खुद ही भेजते नहीं हैं, आज बोला है तो कल शाम तक आएगा । परसों सुबह मैं लेकर आऊंगा जितने में तो समय हो जाता है। तो टाइप करने वालों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा अच्छी तरह से करे । अक्षर सही तरह से छपे।

श्री सभापतिः बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, आज लगातार दूसरा दिन उस विषय पर चर्चा हो रही है जो विषय आज पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है- अकाल, पेयजल और पशु संवर्द्धन। निश्चित तौर पर जिन हालात से प्रदेश गुजर रहा है, सब वर्गों के लिये बड़ा संकटपूर्ण समय है। सभापति महोदय, इसमें कोई शंका नहीं कि इस सदी में इस अकाल की मार इसलिये ज्यादा तीखी हुई कि 60 प्रतिशत तो कम बरसात हुई। सरकार के खुद के आंकड़े यह कहते हैं कि पिछले एक वर्ष में 4414 करोड़ की फसलें किसान के खेत में नष्ट हो गयीं। सरकार ने जो ज्ञापन केन्द्रीय अध्ययन दल को दिया है उसमें सरकार ने खुद ने अपना आकलन करने के पश्चात् कहा है कि 14876 करोड़ रुपये की फसलें किसान की पिछले पांच सालों में समाप्त हुईं।

सभापति महोदय, अभी सत्तारूढ़ दल के लोग बड़े जोर-शोर से केन्द्रीय सरकार द्वारा अपर्याप्त सहायता तथा कुशल और शानदार अकाल प्रबन्धन की बात कह रहे थे। बीच-बीच में अपनी बात कहते हुए हमारे सहायता मंत्रीजी भी केन्द्र के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। सहायता मंत्रीजी, यह फैडरल गवर्नमेंट है, संविधान में कौनसे अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य के अन्दर जब अकाल पड़ेगा, राज्य संकट से गुजरेगा तो राज्य के अन्दर अकाल प्रबन्धन के लिए सारी वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है? आपका संवैधानिक दायित्व है, आपका संवैधानिक कर्तव्य है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 11 वें वित्त आयोग की सिफारिशें पढ़ लो जरा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने संवैधानिक कर्तव्य से मुकर नहीं सकते । अकाल राहत मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आज कार्य सूची की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : नहीं, जो अकाल राहत मंत्रीजी ने बताया उसका तो जवाब दे दीजिए। और आप यह भी बता दो कि केन्द्र को मदद करनी चाहिए ? या नहीं करनी चाहिए? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, बिराजिए। आज कार्य सूची में, सभापति महोदय, आप भी अवलोकन करें, लिखा है- "राज्य में अकाल,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पेयजल और पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार'', इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदय, कि राज्य को अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया है। सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं, चूंकि आप विद्वान हैं, कि अकालग्रस्त घोषित अगर राजस्थान को कर दिया तो फेमिन कोड लागू हो गया। राहत मंत्रीजी, फेमिन कोड जब लागू हो गया तो सारी जिम्मेदारी, सभी तरह की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सभी लोगों के लिए सब तरह की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी हो गई। इसमें अगर प्राकृतिक आपदा की बात होती, इसमें अगर अभावग्रस्त की बात होती तो मैं समझता कि शायद दूसरी बात हो । यहां पर सरकार को यह पता नहीं कि अकाल पर यह विचार कर रहे हैं, अकाल पर विचार करने के साथ-साथ, अकालग्रस्त इलाके की घोषणा के साथ-साथ क्या-क्या जिम्मेदारी इन पर आएगी। मैं समझता हूं कि सरकार कतई गम्भीर नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी . पी. जोशी : यह तो बी.ए.सी. में पास हुआ था। अकाल पर चर्चा है, अभाव पर चर्चा है, यह तो आपके बी.ए.सी. में पास हुआ होगा। बी.ए.सी. में पास हुआ होगा, बी.एस.सी. में आप भी मैम्बर होंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप भी पिछले कई वर्षों से यहां पर बिराज रहे हैं, पहले भी चर्चा हुई है, अकाल ''शब्द'' पहली बार आया है। मैंने इतने वर्षों में ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आइदर तो यह बी.ए.सी. में हुआ होगा या असैम्बली सैक्रेटेरिएट का काम है। या तो बी.ए.सी. में हमने जो प्रस्ताव रखा वह ठीक नहीं रखा या +++ सरकार की जिम्मेदारी कहां है इसमें? सरकार की जिम्मेदारी कहां है यहां पर? मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। Either it is the Assembly secretariat...

श्री सभापति : I think it is the government decision. Proposed by the government.

श्री सभापति : बिजनस यहां पर दिया जाता है असैम्बली में, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है।

डा. सी. पी. जोशी : पर, duly approved by the B.A.C. And now it is the property of the House.

श्री सभापति : But it is approved by the government.

डा. सी.पी. जोशी : No. No. proposed by the government and approved by the B.A.C. It is the duty of the Assembly Secretariat...(interrputions)...इसमें तो की होगी असैम्बली सैक्रेटेरियेट ने। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सहायता मंत्रीजी को...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, हम तो अकाल ही मान रहे हैं। आप अभाव मान रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैं नहीं मानता हूं।

श्री अमराराम (धोद): यह अकाल आ गया और हम तो अकाल ही मान रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह बी. ए.सी. में ...(व्यवधान)इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह असैम्बली सैक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी कीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : यह असैम्बली सैक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी है।

श्री अमराराम (धोद): हमने तो अकाल ही कहा था, अकाल है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में हम तो अकाल ही मान रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सौभाग्य से मैं उस बी.ए.सी. का मैम्बर हूं, उसके अन्दर जब यह चर्चा आई थी तो यह कहीं नहीं आया था "अकाल शब्द" उसमें हमेशा अभाव , प्राकृतिक आपदा का नाम आता है। इस सरकार ने जब इसकी चर्चा प्रारम्भ कर दी तो सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। फेमिन कोड राजस्थान में लागू हो गया। सहयता मंत्रीजी, आप जब जवाब दें...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री ने पेश की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब आपने खड़े होकर इस बात को पढ़ा, इस कार्य सूची में आपने विचारार्थ जब ये "शब्द" लिखे आपने जब अकाल शब्द का इस्तेमाल किया तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि फेमिन कोड के अन्दर जो व्यवस्था राजस्थान के आम-अवाम के लिए करनी चाहिए वह व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विधान सभा सचिवालय द्वारा दिये गये... (व्यवधान) में अमेंडमैंट कैसे कर सकता हूं? ये विधान सभा सचिवालय द्वारा दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बी.ए.सी. में मौजूद थे, श्रीमान् ।

श्री सभापतिः इस विषय पर बहस चालू कर रहे हैं क्या आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है। मैं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय जोशीजी को, कि इन्होंने सिर्फ गम्भीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। अब यह कोई बहस विवाद का विषय नहीं है। यानि, अकाल तो आप खुद मान रहे हैं कि सौ साल का सबसे भीषणतम अकाल है, अपनी चर्चा में कह रहे हैं तो अब आने दीजिए सुझाव, फिर क्या दिक्कत है आपको ? आप इसमें इतनी क्यों आपत्ति कर रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : बोलो न। हम नहीं कर रहे हैं, बोलो न, कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कृपा करो , आपको आज तो पूरा टाइम मिलेगा जवाब देने का। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : नहीं , जवाब का सवाल नहीं है। सरकार कहां रेस्पांसिबल है बिजनेस में? आप खुद पार्लियामैंटेरियन हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार का जवाब आएगा।

डा. सी. पी. जोशी : यह बिजनस जो प्रोसीड करता है हाउस का, असैम्बली सैक्रेटेरिएट का काम है। How the government is responsible? बाकी आप बोलें। आप कहें कि गवर्नमेंट ने किया है तो यह तो गवर्नमेंट का नहीं है । Business is by the Assembly Secretariat. मगर यह बात पाइंट आउट करें, आगे बोले, क्या तकलीफ है। फिर कहां सवाल है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के सर्वोच्च सदन के लिए राजस्थान की सत्ता चलाने वाले इस सदन के मुखिया कितने गम्भीर हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि उस कार्य-सूची का अवलोकन करें जिस पर विचार दो दिनों से हो रहा है। राजस्थान के सब लोग टकटकी लगाये देख रहे हैं कि राजस्थान में सारे विचार के बाद किन निर्णयों पर सरकार जाएगी, इस प्राकृतिक आपदा से मुकाबला करने के लिए सरकार की क्या कार्य नीति रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा, अभी चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनके साथ और बाकी माननीय सदस्य बोल रहे थे, अकाल प्रबन्धन के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे थे, सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। सभापति महोदय जिस तरह का वातावरण आज समाज में बना हुआ है, दो संस्थाएं ऐसी हैं जिन संस्थाओं के प्रति आम व्यक्ति को बहुत बड़ी श्रद्धा है। हम सब उस कानून की पालना करते हैं। सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय वह न्यायालय है जिसने ऐसे ऐसे फैसले किये हैं जिन फैसलों के अनुसार कई सरकारें आई हैं और कई सरकारें गई हैं। उस सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टी के मामले में, एक जन याचिका आई उसके अन्दर जिस तरह की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

टिप्पणी राजस्थान की सरकार के लिए की, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में कितनी भी सरकारें आयी होंगी, इस तरह की फटकार सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं लगायी। और तो और, सभापति महोदय, मेरे से पहले कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे थे, मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने रामकथा प्रारम्भ कराई और राजस्थान के कोने–कोने में वह गये। मेरे पास अखबार की कतरनें हैं, सभापति महोदय, जहां गये वहां उन्होंने अकाल प्रबन्धन के लिए न केवल सरकार को आड़े हाथों लिया, बल्कि मीडिया में यह चीज भी प्रकाशित हुई कि अकाल प्रबन्धन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय बिलकुल संतुष्ट नहीं हैं। इन दो व्यक्तियों ने अकाल प्रबन्धन की जो टिप्पणी की उसमें आपकी कलई, माननीय मंत्री महोदय, सारी खुल गई।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता, अभी अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भूख से मौत की बात कही । मैं समझता हूं कि यह कोई विवाद की बात भी नहीं है, यह हमारे लिए कोई गौरव की बात भी नहीं है, परन्तु वास्तविकता से आंखें, सभापति महोदय, न सरकार को चुरानी चाहिए और न वास्तविकता से आंखें प्रतिपक्ष में बैठे लोगों को चुरानी चाहिए। हम रचनात्मक दृष्टि से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परन्तु, अकाल राहत मंत्री जी, हिन्दुस्तान एक जो स्वंयसेवी संस्था पी.यू.सी.एल. की जांच रिपोर्ट भी देखी होगी। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता और मुझे कहते हुए खुशी भी नहीं कि राजस्थान के सदन के अन्दर बैठ कर हम, भूख से जो लोग मर गये, जिसके कारण राजस्थान कलंकित हो गया, उसकी चर्चा करें। परन्तु आपको भी वास्तविकता से आंखें नहीं चुरानी चाहिए।

मैं निवेदन करूं कि अभी लम्बी चौड़ी बात चली न जाने क्या चीज सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपने सदस्यों को दी कि जो भी खड़ा हुआ हरेक ने कहना शुरू कर दिया कि केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता नहीं दी। मैं, सभापति महोदय, बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक संविधान के तहत चलती है, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो। संविधान में नाइंथ फाइनेंस कमीशन, टेंथ फाइनेंस कमीशन और 11वें वित्त आयोग की बात आई, जब उसको संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी तो उसके अन्दर जो प्रावधान है सी.आर.एफ. का, एन.सी.सी.एफ. का, उसके तहत ही हमको सहायता मिलेगी। सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह बात क्यों आई? यह वित्त आयोग के गठन का मामला, माननीय जलदाय मंत्रीजी, उस वक्त आया जब प्राकृति आपदा से ग्रसित सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा ज्ञापन लेकर स्टडी टीम भेजो यह करती थी और फिर ज्ञापन का सिलसिला चालू हो जाता था। केन्द्रीय सरकार ने कहा कि क्यों नहीं एक इस तरह का कोष बना दिया जाए । चाहे प्राकृतिक आपदा या सूखा या और कोई आपदा हो या नहीं हो, उस कोष के अन्दर 25 परसेंट राज्य सरकार दे और 75 परसेंट केन्द्र सरकार दे। सभापति महोदय, पूरे जो राज्य हैं राज्यों में गाडगिल फार्मूला के तहत इस धन का आबंटन होता है और गाडगिल फार्मूला के अलग–अलग इंडिकेटर्स हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सी.आर.एफ., एन.सी.सी.एफ. के अन्दर जो राशि मिलनी चाहिएं थी, वह राशि आपको मिली। अभी आप अपना उत्तर देंगे तो आप यह भी कहेंगे कि आपकी सरकार थी तब आपने भी सी.आर.एफ., एन.सी.आर.एफ. में जो राशि मिली उसको अपने एनुअल प्लान में ट्रांसफर किया । निश्चित तौर पर किया। हमारे वक्त में इस तरह का अकाल पड़ा ही नहीं। पर एक तरफ तो यह +++ कि केन्द्रीय सरकार सहायता नहीं दे और दूसरी तरफ, सभापति महोदय, इन्होंने 31 मार्च, 2000 को 155.65 लाख रुपया एनुअल प्लान में ट्रांसफर कर दिया। अकाल राहत मंत्री जी, आपके खुद के आंकड़े, खुद के कागज और खुद का दिया हुआ प्रतिवेदन यह कहता है कि आपने 31 मार्च, 2000 को तो 155 करोड़ रुपये राज्य की राजस्व आय में स्थानान्तरित किये और इसके अलावा आपको एक अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक सी.आर.एफ. और एन.सी.आर.एफ. दोनों में मिलाकर 449 करोड़ रुपये मिले और आपने खर्च किये 444 करोड़ रुपये। यहां भी आपका पैसा बच गया। अभी स्टडी टीम को एक ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के अन्दर आपने सारी बात कहते हुए कहा है कि हमने इसमें बहुत पैसा खर्च कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ज्ञापन के अन्दर आपको मिला है 240 करोड़ रुपये–229 सी.आर.एफ. में, जिसमें स्टेट शेयर भी है, मैं मानता हूं और 11 करोड़ 66 लाख एन.सी.सी.एफ. में आपने खुद ने अलग अलग दिया है कि कैटल कंजरवेशन में कितना पैसा खर्च किया आपने, रिलीफ वर्क्स में कितना किया। उसका टोटल जोड़ होता है 231 करोड़। यानि इस वित्तीय वर्ष

(18.31 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

के अन्दर भी अपने एनुअल प्लान से आपने एक नया पैसा खर्च नहीं 2001–02 किया की जब आप बात कहेंगे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसमें आपने 155 करोड़ माइनस दिखाया है, उस समय आप बताएं। आपको वर्ष 2001–02 में सी.आर.एफ. में 217.35 करोड़ रुपये मिले। एन.सी.सी.एफ. में 85 करोड़ रुपये आपको एक बार मिले, 28 करोड़ रुपये एक बार मिले। प्रधानमंत्रीजी ने अपने कोष से आपको 50 करोड़ रुपये दिये और गेहूं के रूप में 265 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र ने दी । 646 करोड़ की सहायता मिली और यह पैसा भी आप पूरा खर्च नहीं कर पाये। परन्तु गेहूं के रूप में दी गयी सहायता, वह शायद सहायता नहीं। दूसरी तरफ आपने किया क्या है? जितने बजट सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जलदाय मंत्रीजी, एक बजट भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने यह सेंटेंस नहीं लिखा–''राज्य भयंकर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। राज्य पर प्राकृतिक मार है और अभावग्रस्त इलाकों में राज्यों को कई तरह के काम चलाने पड़ते हैं इसलिए राज्य सरकार ने जो पहले वार्षिक योजना थी उस वार्षिक योजना में 1200 करोड़ की कटौती की।'' अभी कितने की कटौती की? आपने 2072 करोड़ का एनुअल प्लान चार वर्षों में अकाल के नाम पर काटा। एनुअल प्लान को अकाल के नाम पर आपने काटा तो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है, राहत मंत्रीजी, कि आपने अलग– अलग डिपार्टमेंट में से जो पैसा विथड्रा किया, उस पैसे को आप अकाल की विभीषिका से मुकाबले के लिये खर्च करते । परन्तु फूटी कौड़ी पास से खर्च नहीं की और सिर्फ बात ही बात करते हैं। आप जिस घोषणा पत्र को बाइबल कहते हैं, उस घोषणा पत्र में क्या यह नहीं कहा था कि जहां अकाल पीड़ित इलाका होगा, वहां 500 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मदद देंगे? इसके अलावा क्या यह सही नहीं है कि आपने इनपुट्स सब्सिडी की बात कहकर 234.56 करोड़ रुपये मांगे हैं, आपने कहा है, सी.आर.एफ. गाइड–लाइन का आइटम नम्बर थ्री, "provide for agricultural input subsidy for the small and marginal farmers in the rainfed areas. Rs. 1,000/-. The districtwise requiement of funds for this purpose has been worked out." यहां आपने वर्क आउट करके पूरे जिलेवाइज दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपके पांस 155 करोड़ रुपये हैं, आप यह कहते हो कि आपके पास पैसा कम आया है। एक हजार के हिसाब से अगर सब्सिडी दें तो यह राशि कम पड़ती है। मैं निवेदन करता हूं कि आपने मांगे 234 करोड़, आप एक हजार के हिसाब से मत दें, जो आपका घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के अनुसार सिर्फ 500 रुपये प्रति हैक्टेयर भी दें तो सारी की सारी राशि केन्द्र सरकार ने इनको भेज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दी। परन्तु आपके मन में किसान धड़कता है नहीं। आपकी निगाह में अब गांव नहीं है इसलिए आप इनके लिये कुछ करोगे नहीं।

अभी लम्बी–चौड़ी बात चली प्रधान मंत्रीजी के वक्तव्य की, जिस वक्तव्य की चर्चा और प्रतिपक्ष के नेता की चर्चा नगर से आने माननीय सदस्य कह रहे थे। आधी बात छिपा गये, आधी बात कह गये। आज के समाचार पत्रों में पढ़ा है कि लोक सभा में वक्तव्य देते हुए सूखा राहत कार्य में जारी कुल खाद्यान्न का 44 प्रतिशत राजस्थान को दिया गया, यह हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्रीजी ने कहा है। और यह कहा है कि आठ हजार करोड़ रुपये के खाद्यान्न पांच हजार करोड़ रुपये इन वर्षों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिये हैं। परन्तु आपको तो कहना ही बेकार है। मैं इस ज्ञापन की ओर, जलदाय मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस ज्ञापन के अन्दर आपने पानी प्रबन्धन के लिये 518.05 करोड़ रुपये मांगें हैं। निश्चित तौर पर, सभापति महोदय , पानी का संकट है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। परन्तु जब आप अपना जवाब देते हैं तब यह कहते हैं कि पैसा है परन्तु पानी कहां से लाएं, प्रबन्ध कैसे करें। जनवरी में जब यह ज्ञापन आप केन्द्रीय स्टडी टीम को सौंप रहे थे उस समय अपको ध्यान नहीं आया कि आप 518 करोड़ और मांग रहे हो, इनका उपयोग आप कहां करोगे? दूसरी तरफ, मंत्री महोदय, आपने उस दिन तो कह दिया कि सामान्य ए.आर.पी. मरुस्थलीय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, त्वरित शहरी पेयजल योजना इनमें जो पैसा बचा है वह 15 प्रतिशत की राशि से ज्यादा नहीं है। मैं इस वित्तीय वर्ष की बात नहीं करता पिछले वर्षों में आप उठाएं, आपका खुद का जवाब यह बात कहता है कि आपका 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बचता रहा और आप वास्तविकता से आंखें चुराते रहे। मैं पूछना चाहता हूं ए.आर.पी. सामान्य में 113 करोड़ रुपये आपके पास हैं, ए.आर.पी. मरुस्थल में 14 करोड़ रुपये आपके पास हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 14 करोड़ आपके पास हैं, त्वरित शहरी पेयजल योजना में 7 करोड़ आपके पास हैं और आपकी खुद की एम.एन.पी. योजना है उसमें 52 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। मगर एम.एन.पी. में ऋण लिया 132 करोड़, उसके विरुद्ध खर्चा किया 84 करोड़ रुपये, मतलब अगर आप सारी जोड़ो तो पैसा सरकार के पास है। परन्तु आपको तो पत्थर फेंकना है, आपको अकाल प्रबन्धन नहीं करना। आपको तो केन्द्र सरकार को बदनाम करना है। यह मांग करके। मुख्य मंत्री जी से एक पत्र समाचार पत्रों के दफ्तरों तक पहुंचाना है। इसलिए मांग आपने कर ली दूसरी तरफ पैसा आपके पास पड़ा रहा। आपका प्रबन्धन पेयजल के मामले में दोषपूर्ण है, मंत्री महोदय, आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पिछले चार वर्षों में, सभापति महोदय, आपने देखा होगा, 108 फैसले मुख्य मंत्रीजी को खड़े हुए, अलग-अलग बड़ी भाव-भंगिमा में फोटो। खैर! सरकार का पैसा है, मुख्य मंत्रीजी का यह शौक है, मैं इस शौक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, अलग-अलग आदमी की अलग बात है। मुख्य मंत्रीजी को रोज तो एक पत्र लिखने का शौक है और रोज अपनी अलग-अलग भाव-भंगिमा में कभी जोधपुरी साफे में, कभी जाकिट में, कभी खड़े हुए, सरकार के पैसे से फोटो छपाने का शौक है। 108 फैसले, और उसमें भी इन्होंने लम्बी-चौड़ी घोषणा कर दी कि हमने चार अरब से ज्यादा की पेयजल योजना इन चार वर्षों में बनायी। आपका खुद का यह उत्तर है, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि आपने 1999-2002 तक 35,895 योजना बनायी और आपने उसमें बजटीय प्रावधान रखा 2736 करोड़ रुपये। खर्चा कितना करते हैं? 1531 अब फिर एक घोषणा कर दी कि हमें 2002-2003 में पांच बहुत बड़ी योजनाओं के लिये, मैं यह मानता हूं कि एक दिन में खतम नहीं होगी, योजना हो सकता है चार-पांच साल की हो, 1415 करोड़ की घोषणा कर दी। जब मंत्री महोदय अपना उत्तर दें तो मुझे बताना तो सही कि आपने ईयरवाइज इसमें बजटीय प्रावधान कितना रखा है?

सभापति महोदय, आज संकट क्यों हैं? आप तो खुद उस इलाके से आते हैं जहां किसान हैं। आपको किसान बार बार कहता होगा। 19 राज्य और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में फसल बीमा लागू हो जाए तो आप फसल बीमा योजना क्यों नहीं लागू करते? जब तो आपने लम्बी चौड़ी बात की। आपने कहा कि हम कृषि को उद्योग घोषित कर देंगे । एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा है। मैंने पूछा था, क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि को उद्योग का दर्जा देने, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की थी? उत्तर आता है- जी हां। सभापति महोदय, हां कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रकरण भारत सरकार के पास विचाराधीन है। जैसे ही केन्द्र स्तर पर इस दिशा में कोई निर्णय लिया जाएगा, राज्य सरकार उसके अनुरूप इस दिशा में कार्यवाही करेगी। आपको किसने कहा था? यह घोषणा पत्र...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, सभापति महोदय दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

यह घोषणा पत्र छपवाते वक्त आपने यह लाइन नीचे क्यों नहीं लिखी कि कृषि को उद्योग का दर्जा, फसल बीमा योजना लागू करना, यह सारा का सारा हम नहीं करेंगे, इसमें केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लेंगे। केन्द्र सरकार ने आपको जुलाई, 1999 में कह दिया कि फसल बीमा योजना लागू करो, परन्तु आपको तो नहीं करनी। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिन पर उप मुख्य मंत्री महोदया नाराज हो जाती हैं, क्योंकि आपके मन में पीड़ा नहीं है। आपको राजस्थान के किसान वर्ग ने नकार दिया, आप उसको तंग करना चाहते हो। उसको परेशान करना चाहते हो। आपने आज तक कृषि नीति बनाई नहीं । लम्बी-चौड़ी घोषणा की थी कि कृषि नीति बनाएंगे। जहां कृषि नीति नहीं, वहां किस तरह की सहायता?

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं। पशुपालन के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। सभापति महोदय, पशुपालन इस राजस्थान में किसान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 19 प्रतिशत योगदान इसका है। यह किसान का मेरूदण्ड है। आज 5.43 प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है, लेकिन हालत क्या हो गयी ? आज हिन्दुस्तान की सरकार ने तो 100 करोड़ की एक योजना प्रारम्भ की है, मैं अभी निवेदन करूंगा, पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आज हमारे ओरण सुरक्षित नहीं हैं, गोचर सुरक्षित नहीं हैं, चरागाह सुरक्षित नहीं हैं। और तो और अकाल राहत मंत्रीजी, हर जिले के अन्दर अलग अलग प्रजाति की घास होती है, आपने कभी कोशिश नहीं की कि कहां सेवण घास होगी, कहां दूसरी घास होगी। यही कारण है कि सरकार की कोई नीति नहीं है, सरकार की कोई दूरदृष्टि नहीं है। आज हमारा पशुधन धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। जैसा कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में एक करोड़ 35 लाख भेड़ों में से लगभग 35 लाख भेड़ें समाप्त हो गयीं। मंत्री महोदय, आप बिराज रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके यहां सी फाक्स और एंटोटैक्समिया जिसको फड़किया कहते हैं, यह रोग भेड़ों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालत यह है कि आपके बी. पी. लैब में एस. एस. और बी. क्यू. इंजेक्शन बना करते थे जिनको मुफ्त में इन भेड़पालकों के पास जाकर टीकाकरण में उपयोग किया जाता था, वे बने नहीं। और तो और, सभापति महोदय, एक है एकीकृत भेड़ परियोजना उसमें केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड से राशि मिलती है, पर आपने प्रस्ताव नहीं भेजा। आप प्रस्ताव भेजते तो आपको उस राशि में योगदान मिलता। आपके यहां बड़ी मात्रा में पशु चिकित्सक नहीं है। तीन साल पहले अपने एक घोषणा कर दी 200 नये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पशु चिकित्सालय , मेरा आरोप है कि जिस वर्ष में घोषणा की उस वर्ष में तो आप एक भी नहीं खोल पाये, उसके दूसरे साल आपने 100 खोले और अभी भी 50 ऐसे पशु चिकित्सालय हैं। तीन–तीन साल पहले की घोषणा है, सभापति महोदय, क्या होगा इस सरकार का, कहां विश्वास करें? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात कहते हैं उसको पीछे मुड़ कर नहीं देखते। बजट के भाषण और बजट में जो बात कहते हैं वह तो देखने का इनका कर्तव्य ही नहीं है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को आपने ज्ञापन दिया है इसमें पेज नम्बर 25 का अवलोकन करें, अकाल राहत मंत्रीजी उसमें आपके पास जो धनराशि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम की जो आपने खुद ने मानी, वह कितनी पड़ी है? एस.जी.आर.वाई. में आपके पास 33.38 करोड़ रुपये शेष हैं। डी.डी.पी. में 38.10 करोड़ रुपये शेष है। डी.ए.पी. में 9.20 करोड़ रुपये शेष है। 80 करोड़ रुपये सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के आपके पास हैं। पर इनको तो ज्ञापन देना है। यह ज्ञापन क्या है? यह ज्ञापन कमिटमेंट है राजस्थान की जनता का कि आप अकाल को निपटने में किस तरह कार्यवाही करेंगे । यह आपका एक्शन प्लान है। हिन्दुस्तान की सरकार को ज्ञापन इसलिए दिया है कि आप इस कार्य नीति के अनुसार चलना चाहते हो।

सभापति महोदय, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और मैं भी निवेदन करूं कि मार्च के अन्दर आपने 25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही । मार्च चल रहा है, आज 16 लाख के लगभग लोगों को रोजगार मिला है, वह भी 10 दिन के लिए। और उसमें भी एक लाख 90 हजार लोग वे हैं जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में काम कर रहे हैं। आपने उस हिसाब से लम्बा–चौड़ा एस्टीमेट बना कर दे दिया कि इतना रुपया आपको मजदूरी के लिए चाहिए । इसके अलावा, सभापति महोदय, इन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि पशु संवर्द्धन के लिए इनको 650 करोड़ रुपया चाहिए जनवरी के बाद जुलाई तक। और इन्होंने खुद अपने ज्ञापन में कहा है कि 01.04.2002 से 16 जनवरी, 2003 तक सिर्फ 56 करोड़ रुपये खर्च किये। इसमें आपने लिखा है 56 करोड़ रुपये खर्च किये। मतलब, आप ऐसी क्या जादुई छड़ी चलाएंगे ? हालांकि आगे के महीने कष्टपूर्ण हैं, मैं मानता हूं परन्तु ऐसा क्या करेंगे कि 56 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो आप 9 महीने में और आने वाले 4–5 महीने में इसको बढ़ा कर कर रहे हो 650 करोड़? अतिरंजित बात कहना और केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करना इनका काम है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने मार्च के अन्दर आठ हजार चारा डिपो खोलने की बात कही, आपने ज्ञापन में कहा है। और आज आपके चारा डिपो चल रहे हैं 3622 आप कैसे खोल लेंगे? क्या आपकी योजना है? क्या हर गांव में खोल रहे हैं? हर ग्राम पंचायत में खोल रहे हैं? इसी तरह पशु आहार में सब्सिडी दे रहे हैं 2 लाख पशुओं को और मार्च में कह दिया 25 लाख को दे देंगे। ये सब बातें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार अतिरंजित आंकड़े देकर केन्द्र सरकार पर दोषारोपण करना चाहती है। इस सरकार की कोई नीति नहीं है। इस सरकार का कोई मन ही नहीं है। इस सरकार के चलते राजस्थान का किसान प्राकृतिक रूप से तो तबाह है ही, राम रूठ गया और राज सम्भाल नहीं रहा है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी कितनी ही घोषणा कर दें और कोई बात नहीं है–दिल्ली कूच करो, एक माननीय सदस्य से कहलवा दिया आमरण अनशन पर बैठ जाओ। आमरण अनशन पर बैठें, आपका अधिकार है परन्तु कभी आपने सोचा है कि कौनसी बातें आप कह रहे हो? जिन बातों का कोई आधार नहीं । संवैधानिक रूप से बने हुए फाइनेंस कमीशन से जो राशि आपको मिलनी चाहिए वह मिल गयी। इसलिए मैं निवेदन करना चहता हूं कि यह सरकार पूर्णतया विफल रही। सभापति महोदय, इनको अभीं फ्री आफ कास्ट में एस.जी.आर.वाई. में 29.57 लाख मीट्रिक टन का आबंटन भारत सरकार ने किया है। इसकी कीमत बता कर मैं समाप्त करूंगा, यह 2957 करोड़ की राशि है, एक–दो की नहीं है। सभापति महोदय, इसमें से 18.9 लाख मीट्रिक टन तो रिलीज हो गया, और भी ज्यों-ज्यों आएगा वह हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार बड़ी सहृदयता से और बड़ी जिम्मेदारी से आपकी सारी मदद कर रही है तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन यह बता दें कि 18 लाख का किस–किस तारीख को रिलीज हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो मेरे को यह बता दो कि क्या आपको 29.5 लाख मीट्रिक टन अनाज आबंटित हुआ या नहीं हुआ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह बताऊंगा। कागज मिला है।

डा. सी. पी. जोशी : आपके पास जानकारी हो तो एक्चुअल एलोकेशन बता दें कि 29 हजार मीट्रिक टन का एलोकेशन भारत सरकार ने दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, दिया है न।

डा. सी. पी. जोशी : उसका कितना हुआ, वह बताओ? 30 हजार मीट्रिक टन

(डा. सी. पी. जोशी)

का बता रखा हो व्हीट का, उसके अगेंस्ट में 9 हजार मीट्रिक टन मिल गया पशु चारे के लिए। आपके आंकड़े हैं 30 हजार मीट्रिक टन पशु चारे के लिए, आपने इंडिकेशन दिया है उसके अगेंस्ट में 5-6 हजार भी नहीं दिया। तब भी हम कहें 30 हजार मीट्रिक टन दे दिया। आप तो बता दें, 29 हजार मीट्रिक टन जो भारत सरकार ने दियां है, उसका राजस्थान में एलोकेशन कितना दे दिया?...(व्यवधान)...आपके कागज बता रहे हैं। राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, position of wheat under S.G.R.Y. (Special Component), इसके अन्दर यह खुद मान रहे हैं।

श्री सभापति : यह बात आप कटारियाजी के लिए छोड़ दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। इसका अकाल प्रबन्धन बिलकुल बेकार रहा। यह सरकार राजस्थान के गरीब के लिए गम्भीर नहीं। इस सरकार के चलते राजस्थान का आम व्यक्ति तकलीफ में है। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे, अकाल राहत मंत्रीजी, कि कोई ऐसी दुराशीष मत लो। सब जगह चर्चा है, आपके प्रबन्धन के लोग मौत के मुंह में गये हैं जो मूक पशु मौत के मुंह में गये हैं, मैं समझता हूं कि उनकी दुराशीष से यह सरकार बचेगी नहीं ।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** सभापति महोदय, जो अभिभाषण राज्य सरकार का तैयार किया हुआ महामहिम ने यहां पढ़ा उसका तो मैंने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन स्वैच्छा से जो उन्होंने कहा- अकाल राहत कुप्रबन्ध से राज्यपाल खफा, अजमेर 27 जनवरी, जगह-जगह उन्होंने दौरा किया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक)**:** सभापति महोदय, हमारे नियमों के नियम 272 के तहत यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है-

"Rules to be observed while speaking—A member while speaking shall not use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate."

श्री सभापति : नहीं करेंगे अब, सुरेन्द्रजी बहुत विद्वान हैं, नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इतना सेंसिटिव मत होइये।

श्री सभापति : इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, आप रूल्स को बहुत मानते हो।

डा. सी. पी. जोशी : सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मानते हैं वह।

श्री सभापति : मानते हैं, बिलकुल मानते हैं वो। इतने एतराज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात रखें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, इनका एतराज सिर माथे है। यह तो चीफ व्हिप अलग हैं, मेरे क्लासफैलो अलग हैं। पुराने मित्र हैं; इनकी बात, हुकुम टाल सकता हूं क्या मैं?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरे मन में...

डा. करण सिंह यादव : एक स्कूल में पढ़े हुए हो आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कालेज में ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): इतना अन्तर कैसे है आप में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो बुद्धिमान हैं। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरे मन में बात का विचार उत्पन्न हुआ, समाचार पत्रों में लगातार पढ़ता था कि तेलगुदेशम पार्टी सरकार के बाहर रह कर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, रोजाना अखबार में पढ़ते हैं कि स्पेशल पैकेज मिल गया, वह मिल गया, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ भेदभाव केन्द्र सरकार करती है। मैंने तो अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन भी किया था कि मुझे आप आंकड़े उपलब्ध करवा दीजिये। रोजाना पोलिटिकल डिबेट होती है और मुख्य मंत्रीजी लगातार केन्द्र सरकार के खिलाफ आक्रमण करते हैं। इन्होंने तो कोई मैटीरियल अवेलेबल कराया नहीं । उपलब्ध करा देते तो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आपको कौनसा मैटीरियल चाहिए था?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, प्लीज आप बिराजें। मेरे पास है जो चाहिए मुझे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): नहीं, चाहिए कौनसा था जो नहीं मिला?

श्री सुरेन्द्र व्यास : भंवरजी, आपको मतलब नहीं है इससे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मतलब की बात पूछी है मैंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, किस आधार पर यह कहते हैं कि भेदभाव किया वह मैटीरियल चाहिए था मुझे, क्योंकि बिना आधार के एक मुख्य मंत्री या अकाल राहत मंत्री यह कहे तो यह गैरजिम्मेदारी की बात होगी। मैंने खुद ने मैटीरियल इकट्ठा किया। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिन्दू अखबार की 15 दिसम्बर, 2002 की एक रिपोर्ट सुना रहा हूं आपको–

"Vijaivada, December 14. The State Government is yet to receive

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

a single paisa out of Rs. 1,860 crores sought from the Central Government to tackle severe drought problem. Also out of 25 lakh metric tonnes of rice requested by the State, the Centre had so far released only 3 lakh metric tonnes. The Relief Commissioner D. C. Rohicha Stated here on Saturday."

"The demand for Rs. 1860 crores' cash relief and 25 lakh metric tonnes of rice was made by the TDP Government after the State Assembly passed a unanimous resolution on November, 13 requesting the Centre to consider the demand as 870 Mandals had been declared drought affected."

"However, the non receipt of central assistance would not, in any way, hamper the drought relief measures being undertaken by the State Government on its own, Mr. Rohicha asserted."

सेंट्रल गवर्नमेंट की एड आन्ध्रप्रदेश को क्या मिल रही है, यह इससे स्पष्ट होता है। अब उनका डिटरमिनेशन, आप यह चिल्लाते हो कि हमको पैसा ही नहीं मिल रहा, वे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलो या नहीं मिलो, हम हमारी कूबत से रिलीफ मैंनेजमेंट को करेंगे। एक तो आन्ध्र प्रदेश की गवर्नमेंट यह है, उनका मैंनेजमेंट, उनका डिटरमिनेशन यह है, और एक आपका डिटरमिनेशन, यानी आप पब्लिक के अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता इफैक्टेड है और 79.29 प्रतिशत है राजस्थान की। परसेंटेजवाइज अगर आप चलें, यह एक अनस्टार्ड क्वेश्चन है लोक सभा के अन्दर लगा था, नम्बर 2082 डेटेड 3 दिसम्बर, 2001, वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002, यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट 1998 के काफी लेटर पार्ट में आयी है इसलिए 1998-99 को छोड़ दीजिए आप 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 इसके अन्दर परसेंटेज इनको जो मिला है–760.36 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा है और रिलीज हुआ 75.36, राजस्थान ने मांगा 1144 और आपको मिला 102, 2000-01 में 777.71, उनको मिला 10, आपको मिला 2370 के मुकाबले 113, 2001-2002 में उन्होंने मांगा 950, उनको कुछ भी नहीं मिला। कुल प्रतिशत 9.91 और 1.29 प्रतिशत, 8.99 प्रतिशत और 4.81 प्रतिशत। कहने का अभिप्राय सिर्फ यह है कि यह कहना...(व्यवधान)बताया। बाद में है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं। ब्लैंक है, प्रश्न है लोक सभा का। होता तो मैं बोल देता। सीधी बात यह है कि आपका डिटरमिनेशन नहीं है और आप खुद इस मामले में काफी कमजोर हैं।

एक बात मैं आपको सुनाता हूं। दिग्विजय सिंहजी साहब, आप फर्मा रहे थे कि प्लान के अन्दर कटौती कर दीजिए, "The State is already facing a difficult financial situtation and work on all the plan works is almost stopped." दिग्विजय सिंहजी कह रहे हैं कि प्लान का काम कम कर दीजिए। क्या कम करना चाहते हैं, स्टाप ही कर दिया। प्लान का तो होलीडे हो चुका ।

सभापति महोदय, आपने ज्ञापन प्रस्तुत किया केन्द्र सरकार को पहले छह हजार का–"राज्य सरकार की ओर से विभिन्न राहत गतिविधियों के लिए 6115 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि में सहायता हेतु अन्तरिम ज्ञापन तैयार कर 21.8.2002 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 1.9.2002 को राज्य का दौरा करने आये केन्द्रीय अध्ययन दल को 7519.76 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से उपलब्ध करवाने के लिए संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 14 जनवरी, 2003 को दुबारा से आये केन्द्रीय अध्ययन दल को माह जनवरी, 2003 से जुलाई, 2003 तक चलायी जाने वाली राहत गतिविधियों के लिए 4160.67 करोड़ रुपये एवं 42.25 मीट्रिक टन गेहूं की मांग प्रस्तुत की गयी।"

मतलब 3359 करोड़ रुपये आप खर्च कर चुके। यही मतलब हुआ न? सात हजार करोड़ का ज्ञापन तथ्यों पर आधारित है और जब आपने रिवाइज्ड ज्ञापन प्रस्तुत किया और डिमाण्ड की 4160 करोड़ रुपये की, इसका मतलब तीन हजार करोड़ रुपये आप खर्च कर चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। इसी में आपने जो खर्चा बताया है–आगे उपरोक्त राशि के विरुद्ध दिनांक 15.2.03 तक चली राहत गतिविधियों पर निम्नानुसार व्यय होना अनुमानित है 335.47 करोड़। इसका मतलब यह है कि आपका जो तमाम क्लेम और केस है वह इनफ्लेटेड है। आखिर क्रेडिबिलिटी कहां जाएगी? तो अकाल राहत मंत्रीजी, आप यह समझिए कि इस बात पर कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है कि आप डाइवर्ट कर दें।

मैं माननीय राजेन्द्र सिंहजी से कतई सहमत नहीं हूं । यह बात मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि बार–बार यह कहना कि केन्द्र सरकार बड़ा उपकार कर रही है, यह भी गलत है। संवैधानिक स्थिति है कि केन्द्र सरकार का दायित्व है फण्ड्स के डिवोल्यूशन का, प्रोसीजर बना हुआ है, नियम बने हुए हैं। I don't agree with you, my friend. यह कोई नहीं है कि प्रशंसा करे या आभार व्यक्त करे।

श्री सभापति : एक मिनट ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

राज्य में अकाल, पेयजल व पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह परिस्थिति है, सभापति महोदय। प्रश्न सिर्फ यह है कि भेदभाव का गलत आरोप लग रहा है। असलियत में हो क्या रहा है ? अकाल को तो आप भूल गये और राजनीतिक युद्ध चालू हो गया। रोजाना मुख्य मंत्री दौरों के समय कहते हैं, केन्द्र सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण देते हैं। रोजाना भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्री आते हैं और राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाषण देते हैं। सफर कौन करता है? राजस्थान की जनता। तो, अकाल राहत मंत्रीजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैंने अभी आपको सुनाया कि आन्ध्र प्रदेश की असेम्बली के अन्दर यूनानीमसली एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, क्या वजह थी कि यहां वह रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था? आप कहेंगे कि विपक्ष तैयार नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। विपक्ष अगर आक्रामक हुआ है तो इसलिए हुआ है कि आपका खुद का एटीट्यूड सही नहीं है। आप अगर इनका सहयोग लेते तो यह कोई वजह नहीं थी कि ये आपको सहयोग नहीं देते और कह देते कि केन्द्र सरकार से हमको आवश्यकता से अधिक मांग करनी चाहिए। इससे कोई सैद्धान्तिक रूप से असहमत नहीं होगा। लेकिन आपको आउटराइट अपना हिस्सा मिल रहा है अण्डर दी रूल जिसके लिए आप एन्टाइटल हैं। उसके बाद इस प्रकार की बात कहना मेरी समझ में उचित नहीं है।

सभापति महोदय, जो जोशीजी से संबंधित प्रश्न है वह तो हो चुका। पता है आपको, पैसा बचा है, चर्चा हो चुकी, बार-बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है "लेकिन राजस्थान सरकार, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, फरवरी, 2003" इसके अन्दर आप लगातार वही कहेंगे। मेहरबानी करके देखिए, यह पोलिटिकल स्कोर सैटल करने की जगह नहीं है। आज चुनाव नहीं हैं, आज अकाल सिर पर है। यह जवाब मत दीजिए क्योंकि मेरे पास डाकूमेंट भी है। अगर आप यह कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह राशि शेष रही है, यह सत्य है। लेकिन वह कोई कारण नहीं है, वह कोई लैजिटिमेट कारण

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं है। आपको भी सेव करना चाहिए। उन्होंने सेव किया क्या, क्यों किया किन परिस्थितियों में किया, क्यों नहीं खर्च कर सके, वह एक अलग बात है। आज जब अकाल की स्थिति है तो आपके लिए यह कहना कतई उचित नहीं है।

(19.00 बजे)

फण्ड्स अवेलेबल–यह फण्ड्स रिसीव्ड, अनस्पैंड मनी गया है यहां से, 361, उसमें यह है 1999–2000 में। फण्ड्स रिसीव्ड 369 स्टेट का 87 परसेंट मैचिंग ग्रांट और सोर्स 56, टोटल 818 अवेलेबल स्पैंड फार अंडर 17 और 91 परसेंट, तो यह आप लगातार पैसा बचाते आ रहे हैं जो आपकी इनकैपेसिटी का द्योतक है।

अब जो 150 करोड़ माइनस आप बताते हो उसके ऊपर आ जाएं अपन। मंत्रीजी, 150 करोड़ निश्चित ही बचा हुआ है। बचा हुआ नहीं, नैगेटिव है। वह आपने खर्च किया है अधिक, यह आप लेकर चलते हैं। प्रजेंट एलोकेशन के अन्दर आप जोड़ कर यह कहे कि हमारे पास तो इतना ही पैसा है, यह गलत है। जब आप 150 करोड़ के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटैस्ट कर रहे हैं बाकायदा, इस केस को कीजिये आप, मैं आपके कंटैस्ट करने को अनुचित नहीं मानता। आज आप अगर खर्चा करते हैं, आगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटैस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और यह कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन आज अगर प्रजेंट एलोकेशन में से आप 150 करोड़ रुपया निकाल कर कहते हैं सिर्फ 67 करोड़ रुपया बचा है हमारे पास, और हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, अब उस पैसे से आप काम नहीं चलाना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि स्टारवेशन डैथ का जो किस्सा है, पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की है। यूनियन आफ इंडिया, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, स्टेट आफ उड़ीसा–...Hon'ble minister it is not against the State of Rajasthan only, State of Orissa, State of Rajasthan, State of Chhattisgarh, State of Gujarat, State of Himachal Pradesh, State of Maharashtra.ये सब स्टेट इसके अन्दर शामिल हैं जिनमें बी.जे.पी. की गवर्नमेंट्स भी हैं। अगर आप अकेले एग्रीव्ड होते और आपकी ही गलती नहीं होती सिर्फ केन्द्रीय सरकार की गलती होती तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले गये? एन.जी.ओ. को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा स्टारवेशन डैथ के लिये।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस लिया है। इसमें एक, मंत्रीजी, मैं आपकी जानकारी के लिये बता देता हूं–"In a welfare State, the primary duty of the Government is to secure the welfare of the people. Article 21 impose an obligation on the State to safegurd the right to life of every person. Preservation of human life is, thus, of paramount importance. The State cannot avoid their constitutional obligations in that regard on account of financial constraints."

So this is no reason, जो आप अगर यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्रीजी, आप क्षमा करो मुझे, देवीलालजी ने कहा, वह सही कहा है–Beg, Borrow or steal. This is primarily your responsibility. यह कह कर आप नहीं बच सकते। केन्द्र सरकार से यदि आपको पर्याप्त नहीं मिलता है, पर्याप्त मिलना चाहिये, मैं फंडामेंटली आपकी उस बात से असहमत नहीं हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उस जिम्मेदारी की वजह से कांस्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन का राजेन्द्रजी ने जिक्र किया, उसमें जाने दीजिये। फण्ड डिवोल्यूशन का एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसीजर है, रुल्स हैं, उस डिवोल्यूशन में तो अपने को फण्ड्स मिल गये लेकिन सीवियरिटी आफ फेमिन, अब आप सीवियरिटी आफ फेमिन कैसे कराएंगें? फेमिन कोड मैंने नहीं बनाया, गवर्नमेंट आफ राजस्थान का है। इसका 50–बी पढ़िये–"The scarcity district is a district where distance is not so severe as to necessitate the change of test works into relief work, although some relief is required in the form of revenue and in some cases, PWD works and gratuitous release. A famine district is a district where test works being undertaken have shown the necessity for relief works." मंत्रीजी, आपने, आपकी पूर्ववर्ती बी.जे.पी. की सरकार ने और उसकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस फेमिन कोड को कब से दर गुजर कर रखा है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में कभी फेमिन कोड की अगर जरूरत पड़ी है तो यह आज की तारीख में पड़ी है आपके खुद के अभिकथन के अनुसार, आपके खुद के कहने के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से और जिस प्रकार की विभीषिका इस प्रदेश के अन्दर आज है। मेरी बहुत पुरजोर शब्दों में मांग है कि इस अकाल पर चर्चा करना निरर्थक है, अर्थहीन है, कोई मायने नहीं रखता, राजस्थान सरकार पहले अकाल घोषित करे राजस्थान के अन्दर। एक बार अगर आप अकाल घोषित

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर देंगे, सब समस्याओं का समाधान स्वत: ही निकल जाएगा। आपको सब जगह से पैसा मिलेगा। आपको सुविधा होगी। यह बात जरूर है, हरिसिंहजी पीछे से कह रहे हैं अकाल संहिता लागू होने के बाद एनफोर्सेबल है, जस्टिसिएबल है। इससे डरते हैं आप। मंत्रीजी, आप क्या खर्चेंगे अब, अभी आप साल भर के लिये एक ब्यूटीफिकेशन प्रोग्राम ही स्थगित नहीं कर सकते हैं, छह शहरों के अन्दर, आपने ए.डी.बी. से लोन लिया है। यह मैं नासमझी की बात नहीं करूंगा कि आप ए.डी.बी. का लोन यहां लगा दो। वह एक पर्टीकुलर परपज के लिये होता है, यह मैं समझता हूं। आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का, यहां लगा दें, यह नहीं है। लेकिन आपके खुद के आंकड़ों के अनुसार जे.डी.ए. के अन्दर काफी तादाद में खुद के पास पैसा मौजूद है जो पैसा विकास में लग रहा है, वह पैसा आप ले सकते हैं, बॉरो कर सकते हैं। आपकी कारपोरेशन है तो आपको मिलेगा ही आज इस विपत्ति के समय । अब आप यह नहीं करना चाहते हैं... (व्यवधान) हाउसिंग बोर्ड ने तो दुनिया भर का लगा दिया। आप इस ब्यूटीफिकेशन के प्रोग्राम को साल भर स्थगित कीजिये। एक बहुत रेलेवेंट कंसीडरेशन ब्यूटीफिकेशन प्रोग्राम को डैफर करने का सम्भवतया यही हो सकता है कि इतने लार्ज स्केल पर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती हैं तो 20 परसेंट का सेफ मार्जिन जोशीजी, याद है ना आपको तो, वह हायर लेवल के ऊपर। अब अकाल के अन्दर आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है यह मैं मानता हूं। भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल पर नहीं है, भ्रष्टाचार तो है। यह भी मैं नहीं कहता हूं कि राज्य सरकार उसके लिये दोषी है। इतने बड़े पैमाने पर गांव–गांव के अन्दर जब अकाल का काम चलता है, ईमानदारी से अगर हम उस बात को देखें तो एक सब डिवीजनल हैडक्वॉटर पर एस.डी.ओ., तहसीलदार, बी.डी.ओ., टोटल गवर्नमेंट मशीनरी इतनी ओवर वर्क्ड है, यह अगर मैं कहूं तो अव्यवहारिक बात होगी कि एक चुटकी में आप सब कुछ कर दें। इसलिये भ्रष्टाचार तो है और उस भ्रष्टाचार के अन्दर सम्मिलित दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे जन प्रतिनिधि भी हैं क्योंकि सरपंच लेवल के ऊपर काम होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी कोई अछूते नहीं हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे सकता हूं। टौंक जिले के अन्दर, आप कहते हैं, पहले उसको अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, एक तो सहायता विभाग से आप इसका रेफरेंस नम्बर नोट कर लें यह जो 2000 का है–"उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रतिलिपि देखें । आपका प्रासंगिक पत्र इतना मिला, जिला कलक्टर से टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् विषयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं करा सके" यह कमिश्नर को दिया है और यह 2000 का काम है। 2000 के करप्शन की शिकायत ए.डी.एम. कर चुका है, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। एक यह उप मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्युएंसी है

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नटवाड़ा का। नटवाड़ा के सरपंच के खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह खबर अखबारों में भी छप चुकी है। यह कहेंगे, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा यह भी कोई आशय नहीं है कि उप मुख्य मंत्रीजी का उसको संरक्षण है। ऐसा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर काम होता है तो यह जोर से कहना कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, हमारे यहां तो भ्रष्टाचार है ही नहीं, वह, मंत्रीजी, आपके लेवल पर, स्तर पर शामिल नहीं है। इस बात पर कोई आरोप ही नहीं लगाता। अब उस स्तर का भ्रष्टाचार जहां होना चाहिये वह पैसा आप इधर डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। वह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लगातार चल रही है। हरिसिंहजी महुवा ने रोक तो दिया, लेकिन मैं राज्यपाल महोदय का नाम नहीं लूंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा। राम कथा का जिक्र तो कर सकता हूं। राम कथा के जिक्र के लिए पी. शिवशंकर कहते हैं यह तो महुवाजी आपके लीडर हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर and former Union Law Minister, P. Shivshankar has said that, +++ to organise a religious function. He was replying to a query made by HT Jaipur Live over Governor, Anshuman Singh's decision to organise...

डा. सी. पी. जोशी : एक तरफ तो आप कह रहे हो, मैं इनकी बात मान रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, वह पी. शिवशंकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो नाम ही नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह तो राम कथा की बात कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : राम कथा अलग है, रोल आफ दी गवर्नर कह रहे हैं इसमें।

डा. के. सी. चौधरी : इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो , नाम तो गवर्नर साहब का ले लिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राम कथा, श्याम कथा हो जाएगी, यह तो रोल आफ गवर्नर डिस्कस कर रहे हैं, बात कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जोशीजी की बात मान रहा हूं। मैं इसमें गवर्नर नहीं बोलूंगा । वह फिल इन दी ब्लैंक्स कर लेना। तो राम कथा के अन्दर पहले तो आपत्ति हुई, कुछ लोगों की अनावश्यक आपत्ति थी। सभापति महोदय, बहुत काम हुआ है राम कथा के नाम से। किसी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

भी आयोजन से, लता मंगेशकर नाइट भी होती है, अच्छे काम के लिए होती है। पैसा इकट्ठा होता है। क्या तकलीफ हो रही है आपको इसमें? मैं एक बात कहता हूं...(व्यवधान) आपको, गुलाब सिंहजी, आप सुनिये, मजाक मत करो आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। कांग्रेस एक बहुत पुरानी और मजबूत संस्था है, आप क्या फेवर करते हो इसमें कि इसने वह कह दिया, गलत समझ जाएगा। कोई नहीं समझेगा। आपने पहले से ही स्टैंडिंग रहना चाहिए था, पी. शिवशंकर को ब्रीफ करना चाहिए था। खुद जोशीजी ने आर्गेनाइज की है राम कथा। बाद में आपने अबाउट टर्न कर लिया। आप जवाब दोगे।

डा. सी. पी. जोशी : No. No, Never . I still uphold it और मुझे कहते हुए घमंड है कि मैं उसमें एसोसिएट था। I never said it. I am proud of this. I will be the last man to say it. I am proud of this that I was associated with this. Why should I say that I am not proud of it?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जो है, डाक्टर सी. पी. जोशी है, सीनियर केबिनेट मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर का कांफिडेंट है इसलिए आप रिप्रजेंट करते हो। जब मैं बोलता हूं आपको, डाक्टर सी. पी. जोशी नहीं, आपको मतलब आपका है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : As C. P. Joshi, I once again repeat it. As C.P. Joshi, I am proud to have associated with Ram Katha . I have nothing to regret for this . And you should not raise this issue in the House which is not relevant at this juncture.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सी. पी. जोशी के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, आपका मतलब आपको, समझ रहे हैं ना सरकार।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप राम भक्त हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अकाल का, माननीय, आप प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार का रोल न वहां था न आज है। यह एक परपज के लिए कथा बुलाई गयी थी, एक अच्छा काज था जिसके लिए हम सब एसोसिएट थे और इस एसोसिएशन में हम अपने आपमें घमंड महसूस करते हैं कि अकाल पीड़ितों के लिए हमें यह काम करना है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसमें कोई सरकार का लेना–देना भी नहीं है। सरकार न उस समय थी न आज थी, Why are you putting this कि सरकार का इसमें लेना–देना है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, मैं आपकी बात पूरी तरह से मान लेता हूं। और यह मैं आत्मा से मानता हूं कि आप राम भक्त हैं। ईमानदारी से आप एक बात

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बताओ, शांति धारीवालजी जैन मंदिर ही कभी नहीं जाते, राम कथा में क्या लेने गये थे उस रोज ? उनका कहां से ताल्लुक है राम कथा से, आपका तो मैं मान सकता हूं?

श्री सभापति : माननीय व्यासजी, इन बातों में न पड़ें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़ें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में वे डिसैप्टिव हैं, इनएकुरेट हैं और मिसलीडिंग हैं । आप जिस रोज एलोकेशन करते हो, जयपुर में सैक्रेटेरियट में बैठकर आप कहते हो, सोलह लाख मंजूर कर दिये, सोलह लाख लोग काम कर रहे हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि स्टेट के एलोकेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट में एलोकेशन होता है, तहसीलों को काम सैंक्शन होता है। उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, उसके बाद तकनीकी स्वीकृति निकलती है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति निकलती है। निश्चित रूप से इसके अन्दर बीस–पच्चीस रोज का गेप रहता है। जब आज सोलह लाख लोग काम कर रहे हैं, यह कहते हैं, इसका मतलब आज के पच्चीस रोज बाद सोलह लाख आदमी काम करेंगे। एक्चुअल डिप्लायमेंट लेबर का कितना है, ये फिगर आपने नहीं दिये । और आप दे भी नहीं सकते। होते भी नहीं हैं आपके पास। अभी पूछेंगे मंत्रीजी भी जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह तो कह रहे हैं, सूचना अब आएगी। लेकिन सब विधायक इस बात को जानते हैं अपनी कांस्टीट्युएंसी में पूछ लो। आपको कह देंगे आठ हजार लेबर आपके यहां काम कर रही है, सैंक्शंड है। जब पूछोगे कि कितने काम कर रहे हैं, टटोलकर देखोगे तो छह हजार काम कर रहे हैं, पांच हजार काम कर रहे हैं। तो that is how you save the money.

सभापति महोदय, मैं अन्त में एक बात दुबारा रिपीट करना चाहता हूं जो मैंने बहुत विनम्रता से आग्रह किया था, कि आप फेमिन डिक्लेयर कर दीजिए राजस्थान के अन्दर । इन सब गांवों को फेमिन अफैक्टेड घोषित करवा दीजिए। मेरा बी.जे.पी. से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर ये सब बराबर के मेरे साथी हैं, विपक्ष में बैठे हैं, मैं इनकी ओर से यह कह सकता हूं, इनको मैं अनुरोध करूंगा, जो आप मर्जी आए वह प्रस्ताव पारित करवा लीजिए, जो चाहते हैं केन्द्र सरकार से। अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप से कुछ साबित होगा नहीं They are a political party. लेकिन अगर आप कोई भी प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं तो इस हाउस से यूनानिमस प्रस्ताव पारित करवाइए, सहायता मंत्रीजी, आपका बहुत बड़ा नाम होगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं अपना भाषण समाप्त करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं। एक निरर्थक चर्चा यहां यह भी उठाई गयी कि अटल बिहारी वाजपेयीजी का स्वास्थ्य और आयु इतनी अनुमति नहीं देते। आप मुझे क्षमा करेंगे मैं व्यक्तिगत रूप से सहायता मंत्रीजी का बेहद आदर करता हूं, लेकिन सहायता मंत्रीजी का भी स्वास्थ्य और आयु अनुमति नहीं देते कि मैं आज इनसे कहूं कि नहीं, साहब, आप दौरा करिये, सभी जगह जाइये। यह भी नहीं जाते हैं। (व्यवधान) नहीं, कहां जाते हैं? टौंक में नहीं गये । जो मंत्री आपने लगा रखे हैं प्रभारी, मैं सुझाव के रूप में निवेदन करता हूं, मैं किसी पर एस्पर्सन कास्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसे मंत्री लगा रखे हैं जिनको कलक्टर छोड़कर एस. डी. ओ. ही नहीं पूछता है। तो मंत्री तो भारी भरकम लोग हैं। अब मेरे यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं चन्द्रभानजी हैं, हमारे तो इनको बना दो इन्चार्ज तो जिला प्रशासन इनसे घबराएगा तो सही। आप ऐसे मंत्री को बना देते हो तो क्या मतलब है उसका? आपके पास इस मंत्रिमण्डल के अन्दर केबिनेट स्तर के भी इतने मंत्री हैं, उसमें आठ-दस प्रभावशाली लोग हैं, एक-एक आदमी को दो-दो, तीन-तीन डिस्ट्रिक्ट दो आप।

श्री सभापति : माननीय व्यासजी, आपका इतना सुन्दर भाषण था, इस बात में पड़कर उसको हल्का मत करो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। मैं अपना भाषण पुनः अपनी इस प्रार्थना को दोहराने के साथ समाप्त करता हूं कि राज्य सरकार मेरी मांग पर, मेरी प्रार्थना पर, मेरे निवेदन पर, मेरे अनुरोध पर यह विचार करेगी और राजस्थान के अभावग्रस्त गावों को अकालग्रस्त घोषित करेगी ताकि अकाल की समुचित व्यवस्था हो सके। आपको भी इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, राज्य में लगातार पड़ रहे अकाल पर चर्चा करने के लिए हम दो दिन से यहां एकत्रित हैं। इस अकाल की भीषणता जिसने हमारे जन जीवन को, पशुधन को और हमारे सर्वांगीण विकास को प्रभावित किया है, इस सम्बन्ध में लगातार दो दिन से यहां पर वाद-विवाद, परिचर्चा, ताने-उलाहने सुनने को मिले। यहां पर सकारात्मक सुझाव भी आए, नकारात्मक भाषण भी हुए। इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो मूल हम सबका उद्देश्य है वह है राजस्थान के इस भीषण अकाल से दो-दो हाथ करने

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

के लिए कैसे हमारी सरकार को अपनी रणनीति बनानी है और कैसे प्रभावित जन जीवन को और पशुधन को हम संरक्षण दे सकें। इस उद्देश्य को लेकर इन चर्चाओं में जो बातें उभर कर आयीं, निश्चित रूप से इस हाउस में हम जूनियर हैं, हमने कईं सीनियर्स के यहां पर भाषण सुने, कईं बातें बहुत अच्छी लगीं। कईं बातें जो अच्छी नहीं लगीं, कहने योग्य भी नहीं हैं। हमको लगा है कि यहां पर बहुत अच्छी बातें कहने के योग्य हैं किन्तु हम कह नहीं पा रहे हैं, और जो अनर्गल हैं उनके अन्दर हम समय जाया करते रहे हैं। पिछले चार सालों का मेरा अपना अनुभव है और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस तरह हम अकाल और शासन के प्रबंधन पर चर्चा करते हैं, हम सभी सदस्यों को अपने समय के प्रबंधन पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि हाउस का समय बहुत बहुमूल्य होता है। मैं उसी समय को बचाते हुए अपनी बात को कम करते हुए अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले की स्थिति हमारे सीनियर माननीय सदस्य जो कुशलगढ़ से आते हैं उन्होंने पहले यहां पर व्यक्त की है। बांसवाड़ा जिला दक्षिणी राजस्थान का वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसका जन जीवन कहीं हद तक मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ भी है, उसके ऊपर निर्भर भी है। अकाल की इन परिस्थितियों की विभीषिका यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश भी इस अकाल से प्रभावित हैं, इसलिए हमारे वहां के आदिवासी भाई जो रोजगार प्राप्त करने वर्षों से चाहे अकाल रहे या नहीं रहे, वहां जाते रहे हैं, उनको ऐसी परिस्थितियों में गुजरात और मध्य प्रदेश में भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है और वे वापस बांसवाड़ा की धरती पर अपने लिये राहत खोज रहे हैं । मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि लगभग पचास हजार श्रमिक हमारे बांसवाड़ा जिले के अन्दर नियोजित किये हुए हैं। मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये 50 हजार श्रमिक जो आज लगे हैं, वे वहां पर पर्याप्त नहीं हैं, इस श्रमिक सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी बार-बार हर जगह से यह बात उठायी गयी, 50 मजदूरों के मस्टररोल पर 500 लोग आकर खड़े हो जाते हैं, अकाल से प्रभावित आदिवासी बहुल क्षेत्र केवल इसी राहत पर निर्भर है, इस सीमा को बढ़ाकर लगभग एक लाख की श्रमिक सीमा हमें और दी जाती है तो मैं यह मानता हूं कि बांसवाड़ा जिले के प्रत्येक गांव को काम मिल सकेगा, वहां के प्रत्येक अभावग्रस्त व्यक्ति के हाथों को काम मिल सकेगा।

महोदय, मैं मानता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान की सरकार

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

ने, विशेष कर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राहत मंत्रीजी ने और पेयजल मंत्री महोदय ने सबने, मिलकर दिलेरी और मुस्तैदी के साथ अकाल प्रबन्ध राजस्थान में किया है। मैं फिर उन बातों के अन्दर नहीं जाना चाहता हूं जिसमें आरोप और प्रत्यारोप की बातें हम करें किन्तु निश्चित रूप से जो अकाल हमने पहले देखा और जो अकाल हम अब देख रहे हैं, और जिस तरीके से प्रबन्धन हम पहले देखते थे और जिस तरह से अब हो रहा है, तारीफ करने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य बनता है कोई अच्छा काम होता है, बढ़िया प्रबन्धन तो काम की गति को एक बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं अपनी ओर से भी और हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से भी माननीय मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि इतना कुशल प्रबन्धन किया है। ईमानदारी की जहां बात आती है तो दो–चार उदाहरण देना चाहे यहां दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतने बड़े और हजारों कामों के बीच में, मगर जिस तरह से पहले प्रबंधन था और अब जो प्रबंधन है उसकी तारीफ करना हम सबका कर्तव्य बनता है।

अभी हमने सीनियर्स को यहां पर सुना था, सुराना साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जो अच्छी बात होती है वह कहनी भी चाहिए। अकाल की विभीषिका जो पांच साल के अन्दर दो साल हमें भुगतनी ही पड़ती है, इन चीजों का मुकाबला करने के लिए हमने कभी कोई कार्य योजना नहीं बनायी। हमने यह योजना जरूर बनायी है कि हमें अकाल से कैसे निपटना है उसका प्रबंधन कैसे करना है। यह तो एक आपदा हमारे ऊपर आ पड़ी है और उसका प्रबंधन हम कर रहे हैं, किन्तु यह बहुत अच्छी बात है कि हम अकाल से कैसे निपटे। अकाल नहीं पड़े उन परिस्थितियों को हम कैसे पैदा करें, यह एक सकारात्मक सुझाव यहां आया। वहीं दूसरी तरफ रामचन्द्रजी ने भी एक बहुत सकारात्मक सुझाव दिया था, और मैं यह इसलिए कहना चाहूंगा कि यह मेरा भी मंतव्य है, कि जब हमने पंचायत स्तर पर 25–25 क्विंटल अनाज, हर वार्ड में 2–2 क्विंटल अनाज छोड़ रखा है तब किसी गांव के अन्दर कोई अभाव से मर जाता है, वह बात अगर वहां से उठकर जब हमारा सदन यहां पर आहूत होता है उस वक्त उठती है तो हम यह समझते हैं कि यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं भी यह कहना चाहूंगा विधायक होने के नाते कि क्योंकि हम उस क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, कौन किस गांव के अन्दर अभावग्रस्त है, कौन किस गांव के अन्दर कल अनाज के बिना मर सकता है, अगर यह सब हमारे पास नहीं है तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए ही तकलीफ की बात है। हमारी जनता

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमें करना चाहिए। आपने मुझे कम समय दिया है, मैं जानता हूं।

श्री सभापति : आप बात कहिये, माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या : महोदय, मैं मेरी बांसवाड़ा की जनता की ओर से कुछ पिन पाइंट कहना चाहता हूं, वह इतना ही है कि वहां लेबर सीलिंग बढ़ाने की आवश्यकता हैं। उसके लिए मैं राहत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा की जनता के लिए सोचे जिसके हाथों को कामों की जरूरत है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे जिला स्तर पर इस तरह की बात तय कर रखी है–कमांड और नान कमांड क्षेत्र, माही कमांड क्षेत्र के अन्दर आने वाले गांवों के अन्दर कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोला गया है और नान कमांड के क्षेत्र अन्दर जो गांव आते हैं उनमें कामों को खोला गया है। मैं आंकड़ों के अन्दर नहीं जाना चाहूंगा किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गढ़ी एक पंचायत समिति है, उसके अन्दर मात्र दो हजार लेबर लगी हुई है। उसके अन्दर भी जहां कमांड और नान कमांड की बात आती है तो मेरी पंचायत समिति, माही कमांड के टेल एरिये के ऊपर है, वह माही कमांड के नाम से नक्शे में जरूर दर्ज है किन्तु वहां माही का पानी नहीं पहुंच पाया है और अभी भी वहां पर लोग अभाव से जूझ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप जिला कलक्टर को यह निर्देशित करें कि कमांड और नान कमांड की हार्ड लाइन उन्होंने बना रखी है कृपया उसको वहां से मिटाएं। हर हाथ को रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था वह वहां पर लागू कर सकेंगे तो हम सभी के प्रति न्याय कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर उलटी गंगा बही है एक वक्त था जब माही का पानी हमारे उस पूरे क्षेत्र को सिंचित करता था। हमारे सौ साल के बुजुर्गों ने, यह कहानी बन जाएगी आने वाले वर्षों में, कि माही को उन्होंने कभी सूखते हुए नहीं देखा है। पहली बार माही सूखी है। उलटी गंगा ऐसी बही है कि जो माही कभी माही डैम को भरती थी, आज स्थिति और मांग यह आ गई है कि माही डैम का पानी माही नदी के अन्दर छोड़ा जाए। ऐसी विभीषिका उस क्षेत्र के अन्दर है। जिस माही को हम हमारे वागड़ क्षेत्र की जीवन रेखा कहते हैं, आज उसके हालात बहुत खराब हैं। माही के अन्दर पानी नहीं है। जो पानी रहा है वह भी हैड एरिये तक पहुंच सकता था, वहीं पहुंचा है। अच्छी फसल होने के बाद अभी मावठ ने हमारी खड़ी फसल को जो नुकसान पहुंचाया है उसका

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

आकलन आप अगर मंगवा कर देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे हाथों में आयी हुई फसल भी हमारे हाथों से चली गयी है। महोदय, इन परिस्थितियों के अन्दर मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि अकाल राहत के जो भी कार्य हमारे वहां पर चल रहे हैं उसके ऊपर आप एक नजर डाले और जो कुछ भी नया करने की आवश्यकता है उसको आप प्रोत्साहित करें।

मैं जलदाय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा समस्या नहीं है किन्तु बांसवाड़ा जिले के बारे में भी कहने का मेरा हक है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां का वाटर लेवल भी लगातार नीचे जा रहा है। जब अकाल राहत के मार्फत कुओं को गहरा करने और नये कुएं खोदने के प्रस्ताव आये थे, उनको पैंडिंग कर दिया गया था। अभी फिर सूचना मिली है कि उनको वापस जारी करने की बात आ रही है। मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई हार्ड लाइन ऐसी है कि जिसका पहले प्रस्ताव आ चुका है उन्हीं के ऊपर काम होगा, नये प्रस्तावों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे कामों को तो आपको हाथ में लेना चाहिए। अगर एक गांव में एक कुआं खोदेंगे तो निश्चित रूप से पूरे गांव के लोग उसके पानी का उपयोग कर सकेंगे। पानी पहली आवश्यकता है, भोजन से भी पहली आवश्यकता पानी है। इसलिए जो किसान अपने खेत में ही सही, अपने गांव में ही सही, सार्वजनिक क्षेत्र में ही सही, कुआं खोदना चाहता है, अकाल राहत के इस पूरे प्रबंधन के अन्दर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता अगर देंगे तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या से हमको निजात मिल सकेगी।

महोदय, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा उप मुख्य मंत्रीजी एवं सिंचाई मंत्रीजी यहां हमारे बीच में नहीं हैं, जहां पर भी हैं, निश्चित तौर से सुन रही होंगी, कि हमारे कमांड क्षेत्र के अन्दर एक दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना यह हो गई है कि हरित क्रान्ति की शुरूआत जब हुई, भारत में जब हरित क्रान्ति की चर्चा चली थी, उस हरित क्रान्ति का सूत्रपात करने में सबसे पहले कदम बढ़ाया है तो बांसवाड़ा ने बढ़ाया है। उस दौरान कम से कम 168 तालाब और 23 लिफ्ट परियोजनाओं का निर्माण वहां पर हुआ, माही डैम से भी पहले। ऐसे तालाबों का वहां पर निर्माण हुआ। उसका कैचमेंट मैं बताना चाहता हूं, 40 हजार हैक्टेयर के अन्दर उन तालाबों से हमारे सिंचाई होती रही है। माही डैम से जो 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है, माही डैम बनने से पहले उन परम्परागत स्रोतों से, तालाबों और लिफ्टों से 40 हजार हैक्टेयर के अन्दर सिंचाई होती थी। मगर एक दुर्घटना यह

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

हो गई, उस माही डैम क्षेत्र में आने वाले तालाबों के लिए यह हार्ड लाइन बना दी गई है कि आप उन तालाबों को माही विभाग को दे दें, तो सिंचाई विभाग से उठाकर वे तालाब माही विभाग में चले गये। महोदय, अभी यह स्थिति हो गई है कि माही के कैचमेंट की वजह से, माही का जहां–जहां पानी पहुंचा दिया वहां उन तालाबों के रखरखाव पर कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उन तालाबों का संरक्षण किया जाए। वे तालाब जो हमारे परम्परागत स्रोत हैं, उनकी नहरें खुर्द–बुर्द होती जा रही हैं, उनकी पालें खतम होती जा रही हैं। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार यह फैसला हो गया है कि 80 हजार हैक्टेयर को ही हमारा यथावत कैचमेंट माना गया। इसका मतलब यह है कि 40 हजार हैक्टेयर हमारे जो तालाब से सिंचाई होती थी उसको उसके अन्दर इनक्लूड नहीं किया गया है। महोदय, जब हमारी जल नीति के अन्दर उन तालाबों को माही कमाण्ड एरिया क्षेत्र में नहीं गिना गया, तो मेरा निवेदन है कि उस 40 हजार हैक्टेयर को कैचमेंट देने वाले उन तालाबों के रखरखाव के लिए अलग से बजट दिया जाना चाहिए, अकाल राहत के अन्दर उन तालाबों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं इसी निवेदन के साथ पुनः, सभापति महोदय, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे समय दिया और बांसवाड़ा की जनता की बात आपने सुनी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल नागर ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, अकाल और...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हमारा भी नाम है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपका तो हमेशा ही रहता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, हमारी तरफ से भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाए।

श्री बाबूलाल नागर : पीने के पानी के सम्बन्ध में...

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य। आज आंकड़ों का हिसाब हो रहा है, यदि आप जोड़ करो न तो सत्ता पक्ष के बराबर ही प्रतिपक्ष के मैम्बर बोले हैं। समय अधिक हुआ है। आसन को कोई एतराज नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरी बात आपने कह दी है। वैसे हिसाब से तो हमारी जो तादाद है, संख्या बल है उसके हिसाब से 3

(श्री हरिसिंह महुवा)

सत्ता पक्ष के बोले तब एक माननीय सदस्य प्रतिपक्ष का बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आसन ने व्यवस्था दे दी कि सत्ता पक्ष के दो माननीय सदस्य बोलेंगे तो एक प्रतिपक्ष का बोलेगा। उसके बावजूद भी उसमें वायलेशन। सत्ता पक्ष की अनुकम्पा रही है, भारतीय जनता पार्टी का एक बुलवाया है, अन्य दलों का निर्दलियों सहित एक बुलवाया, हमारे दो बोले। अब आप जैसा सोच रहे हैं, आपका इतना छोटा दल है, आप सभी को बुलवाना चाह रहे हैं, अगर यह बात मैं सोचूं तो फिर यह सदन एक दिन क्या कई दिन लगेंगे। अगर मेरे सब सदस्यों को अलाउ करेंगे ...

श्री संजीव कुमार (भादरा) : करो, साहब, हमारा भी नाम दिया हुआ है।

श्री हरिसिंह (महुवा): इसलिए मेरा निवेदन है प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय से कि वह चूज करें कि क्या सदन लम्बा चलेगा। खास तौर से मैं इसलिए भी अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आज शादियां हैं...

श्री संजीव कुमार : करो साहब अलाउ, हमारा भी नाम दिया हुआ है।

श्री सभापति : आप बिराजो न।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री हरिसिंह (महुवा): आज शादियां हैं और मजबूरी में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है कि पूरे का पूरा राजस्थान इससे त्रस्त है, सब माननीय सदस्य दो दो मिनट बोलना चाहेंगे, आप उनको यह कह दें कि वह सिर्फ अपने सुझाव दे दें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, सदन तो एक महीने चलेगा, शादी तो जिन्दगी में एक ही बार होती है। माननीय सदस्यों को जाना है बहुत सारों को, शादियां अटैण्ड करेंगे इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय सभापति महोदय, हमारा भी ध्यान रखें ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : शादी का क्या लेना-देना?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह रहे हैं कि शादी, शादी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : शादी क्या अकाल राहत से ज्यादा जरूरी है?

श्री बाबूलाल नागर : ठीक है। हमको भी समय दिया जाए।

श्री संजीव कुमार : हम भी साहब आकर बैठते हैं पूरे दिन।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, यह अकाल की बात कर रहे हैं, खड़े होकर बार-बार एक बात कहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा): शादी भी एक पब्लिक आब्लीगेशन है।

श्री जीतमल खांट : सभापति महोदय, इस पर एतराज़ है। लोग अकाल से मर रहे हैं और शादी से इसको जोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : मेरे क्षेत्र की समस्या सुनाना चाहता हूं सदन में, शादी में जाने के लिए थोड़े आते हैं।

श्री मदन दिलावर : आपको तो शादी समारोहों में मौज मस्ती भा रही है और राजस्थान की जनता एक-एक अन्न के दाने के लिए, एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभी यह चाहेंगे, सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य 156 हैं, और मंत्रिमण्डल के सदस्यों को उसमें से अलग करें तो भी 115 सदस्य, अगर यह चाहे कि हम सबको बुलवाएं तो यह सदन के लिए और, सभापतिजी, आपके लिए, प्रतिपक्ष के लिए सब सहन करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

श्री मदन दिलावर : यह मौज मस्ती करने जाना चाहते हैं और राज्य की जनता तड़प रही है।

एक माननीय सदस्य : ठीक है, घर जाओ, अखबार वालों ने सुन लिया।

श्री हरिसिंह (महुवा): इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि दूदू के माननीय सदस्य के बोलने के बाद आप प्रतिपक्ष के नेता महोदय का आह्वान करें और इसके बाद जवाब हो।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, आपने आंकड़े तो बहुत बता दिये हैं, फैक्चुअल बात मैं बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, अकाल पर गम्भीर चर्चा हो रही है और बारां जिले में भयंकर अकाल।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए, उनको अलाउ किया है।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय मेरा नम्बर है, मुझे आसन ने बुलाया है।

श्री सभापति : उनको बोलने दीजिए। माननीय बाबूलालजी, माननीय नागरजी।

श्री संजीव कुमार : जब इनका नाम ही नहीं लिया तो काहे को बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, अकाल से ग्रस्त, आपकी सरकार ने कहा है...

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, यह क्या परम्परा है?

श्री सभापति : माननीय, बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : मुझे बुलवाएंगे न इसके बाद?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए वह बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उनके बाद बुलवाएंगे ?

श्री सभापति : बाद में पता नहीं क्या होगा, अभी तो आप बैठो।

श्री बाबूलाल नागर : आसान ने मुझे कहा है।

श्री श्रवण कुमार : आप परवाह नहीं करते हैं, अच्छा है।

श्री बाबूलाल नागर : पहले कभी छप्पनिया का अकाल पड़ा था, उस समय लोग पेड़-पौधों की पत्तियों खा लेते थे, पेड़ों की छाल खाने लग गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, हमारा तो आग्रह है कि यह इस तरह का विषय है कि इसमें कुछ माननीय सदस्यों को और बोलने दीजिए। आपकी आज्ञा हो जाए, साहब, आसन तो हमेशा सहृदय रहा है।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, हमने हमारे तीन सदस्यों के नाम कम किये हैं।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, आज भी मुझे बुलाया है इसलिए मैं बोलूंगा।

श्री संजीव कुमार : हमारा तो नम्बर ही नहीं आया। यह काहे पर बोल रहे हैं? यह बोल रहे हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं कहना चाहूंगा...

श्री मदन दिलावर : विधान सभा क्षेत्र की एक-एक इंच जमीन पर पदयात्रा करके 41 दिन तक घूमा हूं ।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय दिलावर साहब, बिराज जाओ, आपका नम्बर आ रहा है।

श्री संजीव कुमार : इनके बाद हम भी बोलेंगे। अगर ये लोग बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री मदन दिलावर : सत्ता पक्ष मुझे बोलेने नहीं दे रहा है।

श्री संजीव दिलावर : जब आपका नाम ही नहीं लिया है, यह माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री बाबूलाल नागर : यह तो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे इन्होंने ठेका ले रखा हो सबके बीच में बोलने का। (व्यवधान) फिर बीच में बोलने लग जाते हैं।

श्री मदन दिलावर : अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने का ठेका लिया है।

श्री संजीव कुमार : दो-तीन माननीय सदस्यों ने बीच- बीच में बोलने का ठेका ले रखा है।

श्री सभापति : नहीं बोलने दिया, नहीं बोलने दिया ।

श्री संजीव कुमार : पूरा समय इनको ही दे दो, पूरे दो सौ आदमियों का समय इनको ही दे दो, पूरा दिन इनको ही बुला दो, पूरा एक दिन, पूरा दिन इनको ही सुन लेंगे। हमने नाम दिया है, हमारा नाम भी आया है और यह बीच में बोल रहे हैं, साहब।

एक माननीय सदस्य : आप तो सुनने का काम करो।

श्री सभापति : उनको बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पहले भी इस तरह के विषय पर सदन 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक चला है। आपके माध्यम से निवेदन है...

श्री बाबूलाल नागर : माननीय राठौड़ साहब, समय का ध्यान रखेंगे, अब तो बिराजो, उसके बाद आपका ही नम्बर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी सत्ता दल के सचेतक महोदय से प्रार्थना है, यह ऐसा विषय है जिसमें दो-तीन माननीय सदस्य सुझाव देना चाहेंगे, भाषण नहीं होंगे । आपकी आज्ञा होगी तो भाषण नहीं होंगे, कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे, सरकार के लिए अच्छी बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री): सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि रात को 12 बजे, 1 बजे 2 बजे तक डिबेट चलती थी। यह सही हो सकता है, मैं इसको मना नहीं करता हूं। लेकिन एक दिन की डिबेट एक ही सब्जैक्ट पर होती थी। हम दो दिन से आज इस सब्जैक्ट पर डिबेट कर रहे हैं और कुल मिलाकर बात वह की वह कर रहे हैं, चाहे राजेन्द्रजी बोल रहे हों, चाहे मानिक चन्दजी सुराना बोल रहे हों, चाहे कोई और बोल रहे हों । नई बात कौन क्या कह रहा है, यह बता दें?

श्री मदन दिलावर : नई बात निकलेगी।

श्री बाबूलाल नागर : राठौड़ साहब दो मिनट बिराजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सही कहा, बिलकुल नई बात और मौलिक बात आएगी । माननीय दिलावर साहब और रमजान खानजी बिलकुल मौलिक बात कहेंगे ।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, बिराजिए। दो मिनट बिराजिए।

श्री सभापति : एक मिनट, राठौड़ साहब, मेरी एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री संजीव कुमार : सभापति महोदय, नई बात मैं कह रहा हूं ।

श्री सभापति : सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक नौ माननीय सदस्य बोले हैं और प्रतिपक्ष की तरफ से भी नौ माननीय सदस्य बोल चुके हैं, अब आप आसन से क्या चाहते हो? आप दोनों बैठकर बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत

(श्री सभापति)

नहीं है। मैं तो एक बजे तक बैठ जाऊंगा लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि कहीं पर कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर नाम बुलावाये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं चीफ व्हिप से भी प्रार्थना करता हूं, हमारी सबकी मंशा यह थी कि हर मैम्बर अपने क्षेत्र से, अब समय की सीमा को आप भले ही बांधे, जितना कम कर सकते हैं कम करें।

श्री सभापति : समय सीमा की कोई मानता है क्या? कटारिया साहब, समय की सीमा मानता है क्या कोई?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : घंटे-दो घंटे इस विवाद में समय समाप्त करेंगे, इतने में जो लोग बोलना चाहेंगे, बोल लेंगे।

श्री सभापति : समय की सीमा कोई मानता है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप थोड़ी कठोरता करेंगे तो मानेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नीति निर्धारित मंत्री) : नेता प्रतिपक्ष, आप अगर ठीक समझें तो आठ बजे तक इस डिबेट को वाइंडअप करके रिप्लाई करा देंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं, नहीं ।

डा. सी. पी. जोशी : आठ बजे तक आप कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है आप इतना समय बढ़ाओ कि जो मैम्बर अपने सुझाव देना चाहते हैं, 10 मिनट में दे सकें ।

श्री हरिसिंह (महुवा): आपको बोलना है। मैं अर्ज करूं, सभापति महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां अपना भाषण कर रहे थे तो उसमें अकाल और पेयजल के सिवाय दूसरी बात नहीं बोली । आप प्रोसीडिंग मंगाकर देख लें, अकाल पर वे पर्याप्त से भी अधिक बोल चुके हैं । अब इसके बाद में कौनसी बात शेष रह गई है जिसको अब वह कहना चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दूदू से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो बात कह देंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, पहले उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, अब वे बड़े रचनात्मक सुझाव देंगे। अटरू से आने वाले माननीय सदस्य पांच मिनट बोल लेंगे क्या एतराज है?

श्री सभापति : इनको समाप्त करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने 1200 किलोमीटर की यात्रा की है, 1200 किलोमीटर की यात्रा करके कुछ अनुभव लेकर आये हैं।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब। आप बोलें ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : सभापति महोदय, छप्पनिया का अकाल पड़ा था तो बड़े– बुजुर्ग कहते थे कि लोग पत्ते और छाल खाते थे। आज भी, सभापति महोदय, कई बुजुर्गों से बात होती है, वो आज भी यह बात कहते हैं कि छप्पनिया के अकाल में जिन कुओं में पानी था आज उन कुओं में पानी नहीं है। निश्चित रूप से भीषण अकाल है।

सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री को, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को कि समय से पहले गिरदावरी करायी और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, चाहे सरकार कभी कांग्रेस की रही हो, कभी बी.जे.पी. की रही हो, पहली बार ऐसा रहा कि 15 अगस्त को अकाल राहत कार्य शुरू किये गये। सभापति महोदय, मंत्रिमण्डल ने फैसला किया और 16 अगस्त को अकाल राहत के काम शुरू किये।

प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने, मैं उनकी बात को न काट रहा हूं, न कोई समर्थन कर रहा हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय की भी अपने उद्बोधन में चर्चा की । सभापति महोदय, पिछले साल मुझे याद है, इसी सदन के उस समय के प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत का राजस्थान के अखबारों में वक्तव्य छपा था कि राजस्थान की सरकार अकाल राहत के कामों में भेदभाव कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस दिन वह वक्तव्य छपा उसी दिन राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय बिना किसी को बताये, जिलाधीश महोदय को भी यह पता नहीं था कि राज्यपाल महोदय ने कोई विजिट रखी है उस समय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी तो इधर से एतराज हो चुका है उसको ध्यान में रखिए आप।

श्री बाबूलाल नागर : सभापति महोदय, किसी को कोई जानकारी नहीं थी, जिलाधीश महोदय को बुलाया गया और उन्होंने...

श्री सभापति : जो कुछ मैंने कहा है उसका ध्यान दिया क्या आपने?

श्री बाबूलाल नागर : नाम नहीं बोल रहा हूं, सभापति महोदय। समझ रहा हूं, उनके नाम का मैं इंगित नहीं कर रहा हूं ।

श्री सभापति : उसको छोड़ो आप, अपनी बात कहो । वह सब्जैक्ट मैटर ही दूसरा है, आप अपनी बात कहो। अकाल के लिए बात कहो आप तो।

श्री बाबूलाल नागर : मैं यह कह रहा था, हमारी सरकार ने जिस तरीके से अकाल का प्रबंधन किया, चाहे केन्द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि आया हो, केन्द्र सरकार के उस समय कृषि मंत्री थे नीतिश कुमारजी, उन्होंने भी राजस्थान की विजिट की, दूदू के करीब एक दर्जन अकाल राहत के काम उन्होंने देखे । उस समय हमारे बिजली मंत्री चन्द्रभान जी थे, वे भी उनके साथ गये थे। मुझे जानकारी नहीं थी कि वह दूदू जाएंगे । सभापति महोदय, उन्होंने उसी दिन प्रेस को यह बात कही कि राजस्थान ने पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बेहतर ढंग से अकाल का प्रबंधन किया है।

सभापति महोदय, कई लोग आरोप-प्रत्यारोपण लगाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, कई लोगों ने कहा कि अकाल पर भेदभाव किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों को या तो जानकारी नहीं है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में यह व्यवस्था की है-पूरे राजस्थान के चाहे एस. सी. के परिवार हों, चाहे एस. टी. के परिवार हों, चाहे बी. पी. एल. के हों, चाहे ए.पी. एल. के हों, सीमान्त कृषक, लघु कृषक, इन सबका सर्वे करके एक सूची बनायी गई है और आज अकाल पर लगाने के लिए कोई लिस्ट मांगने की जरूरत नहीं है, आज अकाल के काम पर लगाने के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। उस सर्वे की सूची प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी के पास है, राजस्थान सरकार ने फैसला किया है उसके तहत सब जगह बिना कोई भेदभाव किये अकाल राहत कामों पर श्रमिक लगाये जाते हैं, समय पर भुगतान होता है। यहां तक कि हर अकाल राहत कार्य पर मजदूरों की सूची लगी रहती है, नाम लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई देखना चाहे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर देख ले, हर अकाल राहत कार्य पर जो भी अकाल राहत का काम करता है उसकी टोटल मजदूरों की सूची लगी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस अकाल में जो काम हमने हाथ में लिये हैं उस बारे में, बहुत से पेड़-पौधे इस तरह के हैं जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, सरकार चाहे वन विभाग को दे, चाहे पंचायत को दे, युद्ध स्तर पर पूरे राजस्थान में अकाल राहत के कार्यों के रूप में वृक्षारोपण का कार्य भी हाथ में लेना चाहिए जिससे राजस्थान में पर्यावरण अच्छा होगा, निश्चित रूप से बरसात आएगी और बरसात आएगी तो फिर अकाल नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहां एक कालख बांध है उस बांध से चार विधान सभा क्षेत्रों में, यहां तक कि टौंक जिले में भी उससे सिंचाई

(श्री बाबूलाल नागर)

का पानी जाया करता था। अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां–जहां मेड़बंदी बनाकर उसकी आवक रोक दी गई है, अगर उस बांध का अकाल राहत में कार्य हाथ में लिया जाता है तो एक स्थायी काम होगा और कम से कम 4–5 विधान सभा क्षेत्रों को उससे सीधा लाभ मिलेगा।

एक माननीय सदस्य ने इन्दिरा गांधी नहर की चर्चा की उन्होंने कहा कि नागौर में इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई करेंगे। सभापति महोदय, हमारे दूदू में भीषण अकाल है, राजस्थान सरकार ने जो 74 ब्लाकों का चयन किया है उनमें दूदू भी शामिल है। विशेष पैकेज के तहत कुछ काम हुए हैं चाहे पीने के पानी का मामला हो, चाहे अकाल राहत कार्यों का मामला हो। लगातार काम चल रहे हैं। आपने एस.सी., एस.टी. और चयनित परिवार के लिए 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का प्रोविजन किया है, निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा प्रयास है, गरीबों को इससे लाभ मिलेगा। अकाल राहत मंत्रीजी, पास बुक में जो सिंचित भूमि है, पास बुक में यह प्रोविजन किया गया है कि चाहे एक बीघा सिंचित भूमि जिसकी होगी उसको अकाल राहत कार्यों पर नहीं लगाया जाएगा। सभापति महोदय, 5–10 साल पहले जब कभी कुओं में पानी था तब वहां सिंचाई होती थी, आज तो 5 साल से एक मुट्ठी अनाज नहीं देखा। लेकिन कागजों में सिंचित भूमि अंकित होने से वे लोग अकाल के कार्यों से वंचित हो गये। मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित रूप से ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि उनको भी अकाल राहत कार्यों में कार्य मिले।

साथ ही पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारे यहां बहुत भीषण पानी की समस्या है। वैसे तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को, पी.एच.ई.डी. के पूर्व मंत्रीजी को सबको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे क्षेत्र के लिए बीसलपुर–दूदू परियोजना मंजूर की है, 216 करोड़ रुपये की है। एक विशेष पैकेज में 50 हैण्ड पम्प लगाये हैं, 8 ट्यूबवैल लगाये हैं वैसे तो टैंकर भी लगाये हैं, रेल से भी पानी लाकर हमारी जनता को पिला रहे हैं, लेकिन हमें और आवश्यकता है। हमारे यहां 100 हैण्ड पम्पों की आवश्यकता है, अगर 8–10 हमारे और ट्यूबवैल मंजूर हो जाएं तो हमारा जून तक का समय निकल जाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि जैसा तय हुआ है...

श्री संजीव बेनीवाल : सभापति महोदय, हमारा भी नाम दिया हुआ है, हम लोग भी अपनी बात कहने के लिए आते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, अपने केवल सुझाव दे देंगे। (व्यवधान)

श्री संजीव बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, 2–3 आदमियों में हमारा नाम है इसलिए दो–दो मिनट का समय आप दे सकते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो क्यों आप इतना करते हो? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : तो साढ़े 8 बजे तक बाकी बुलाएं फिर आप बोल लें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कहा?

डा. सी. पी. जोशी : साढ़े 8 बजे तक माननीय सदस्य बोल लें आप फिर बोल लें

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, ठीक है, ठीक है। बिलकुल ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, ठीक है।

डा. सी . पी. जोशी : आप रैगुलेट कर लें क्योंकि हमारी भी पार्टी के जो माननीय सदस्य संजीव बेनीवाल, आत्माराम जी हैं इनको आप रैगुलेट कर दें, सारा खतम कर दें फिर उनके लीडर बोल लेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, नाम मत गिनाइये। एक सैकण्ड, सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, फैसला हो गया, सत्ता पक्ष ने सहृदयता दिखा दी, आप तो नाम पुकारो, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मेरी भी तो सुन लो आप। मेरे सामने 11 माननीय सदस्यों के नाम हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साढ़े 8 बजे तक जो बोलेंगे, बोल लेंगे।

श्री सभापति : यदि आप छूट देते हो तो 11 को ही बुलवाना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : 11 को बुलवाना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 15 मिनट का समय बी. जे. पी. के सदस्य बोल लें, 15 मिनट कांग्रेस के बोल लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल ठीक है, एग्री हैं।

श्री आत्माराम मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, हम अपने क्षेत्र की बात कहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका।

श्री संजीव बेनीवाल : सभापति महोदय, हमारे को दो दो मिनट का समय

(श्री संजीव कुमार)

दिया जाए । हम अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में ही अवगत कराएंगे, और कुछ बोलेंगे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, 15 मिनट बी.जे.पी. को और 15 मिनट कांग्रेस को दे दें।

डा. सी. पी. जोशी : 15 मिनट तो बी.जे.पी. के सदस्य बोल लें, 15 मिनट कांग्रेस के बोल लेंगे, फिर लीडर आफ अपोजीशन बोल लेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, ठीक है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मुझे बड़े खेद और दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतिवेदन में से आंकड़ें पैदा करने वाले लोगों को आपने बुलवाया और प्रैक्टिकल आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है उससे बात ही नहीं कर रहे हो। बडे दु:ख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है।

श्री सभापति : आपको बुलवा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं आपको वह बात बताना चाहता हूं जो धरती के ऊपर लागू हो रही है। प्रतिवेदन के आंकड़े पैदा करने वाले आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री सभापति : आपको बुलवा रहे हैं, माननीय सदस्य, आप सुन तो लें किसी की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 15 मिनट हमने तय कर दिया, 15 मिनट में बोल लेंगे।

श्री सभापति : माननीय संजीव जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, 15 मिनट आपने कहा आधे घंटे की डिबेट और चलाएं 15 मिनट भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोल लें और 15 मिनट आप दूसरों को पुकार लें । आप तो नाम पुकार लें।

श्री सभापति : बोल रहे हैं वह।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, कल से इस पवित्र सदन में राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार चल रहा है और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां व्यक्त किये हैं । माननीय सभापति महोदय, राज्य में लगातार पांचवें साल भयंकर अकाल की स्थिति है और राज्य के 32 जिलों में कुल 40990 गांव अकाल की चपेट में हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, सरकार का आभार प्रकट करना चाहूंगा, 16 अगस्त से राहत कार्य चालू करने का एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम जो उठाया है उसके लिए वे निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं पुरानी बातें जो मेरे दूसरे साथी माननीय सदस्यों ने कहीं, उनको दोहराना नहीं चाहता, फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का अकाल का कुशल प्रबंधन रहा जिसके चलते आज बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य, बड़े पैमाने पर चारा डिपो, बड़े पैमाने पर पशु शिविर चलाकर राहत पहुंचाने का काम सरकार ने हाथ में लिया है। सभापति महोदय, विकट परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में ऐसा काम, क्योंकि आप जानते हो, राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार को एन.सी.सी.एफ. में सहायता हेतु 6115 करोड़ की सहायता का जो अन्तरिम ज्ञापन दिया था 21.8.2002 को, 1.9.2002 को जो केन्द्रीय अध्ययन दल आया था उसको भी 7519.76 करोड़ का ज्ञापन दिया था और 14.1.2003 को फिर केन्द्रीय अध्ययन दल आया तब उनको इसी तरह से ज्ञापन दिया इसके बावजूद मात्र 207.68 करोड़ की राशि उन्होंने स्वीकृत की और स्वीकृत करने के बावजूद एक धेला भी राजस्थान को इस मद में नहीं दिया। यह सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ केन्द्र सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने अपने बजट में डी.ए.पी. खाद के, यूरिया खाद के और डीजल के भाव बढ़ाकर अकाल के अन्दर किसानों की कमर तोड़ने वाला किसान विरोधी काम किया है। किसानों को राहत पहुंचाने की बात जो माननीय सदस्य कर रहे थे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी किसान विरोधी सरकार ने अकाल के अन्दर यह सबसे बड़ा किसानों की कमर तोड़ने वाला काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मेरे क्षेत्र की कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। हमारे हनुमानगढ़ जिले के अन्दर 16700 की श्रमिक सीमा दी गई है। माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ जिले के लिए यहां बैठकर इस तरह की जो नीति बनाई जाती है उसको सिंचित क्षेत्र मानकर कम श्रमिक सीमा दी जाती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा अकाल की स्थिति हनुमानगढ़ कि जिले में भी भयंकर है और उसमें भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा विशेष कर नोहर, रावतसर और पल्लू का जो एरिया है उसमें स्थिति ज्यादा भयंकर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि श्रमिक सीमा को निश्चित तौर पर बढ़ाया जाए ताकि अकाल राहत में कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो कच्चे काम चल रहे हैं उस पर भी मैं निवेदन करूंगा कि चाहे 50:50 एम.एल.ए.. कोटे में डवटेल करवाएं पर पक्के कामों को हाथ में लिया जाए।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या पेयजल के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि भादरा क्षेत्र में पेयजल की जो स्कीमें हैं वे करीब-करीब नहरों पर आधारित है। पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में चाहे वह भाखड़ा सिस्टम की अमरसिंह नहर प्रणाली हो, चाहे राजीव गांधी सिद्धमुख नहर प्रणाली हो, हरियाणा सरकार ने पूरा पानी नहीं दिया जिसकी वजह से पीने के पानी की समस्या और सिंचाई की समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी से के हरियाणा सरकार से पूरा पानी दिलवाया जाए ताकि आने वाले दिनों में पीने के पानी की समस्या नहीं हो और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। माननीय दिलावर जी ।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री संजीव कुमार : माननीय सभपति महोदय, इसके साथ साथ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर।

श्री संजीव कुमार : एक मिनट, साहब। माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में अनेक योजनाएं जो लम्बित पड़ी हुई है उन पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय तीनों मंत्रियों के आज की चर्चा में होने वाले भाषण तक बढ़ा दिया जाए?

श्री सभापति : क्या सदन की इजाजत है?

(स्वीकृति)

समय बढ़ा दिया गया।

श्री मदन दिलावर। मेरी निगाह घड़ी पर है।

राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, अकाल कितना भीषण है इसका सबको पता है। मैं दोहराऊंगा नहीं। सरकार ने कहा कि 16 अगस्त से हमने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये और बारां जिले में जहां पर 50 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई है, वहां सीलिंग

(श्री मदन दिलावर)

सीमा दी कि सितम्बर में जाकर एक हजार लोगों को रोजगार पर लगाया जाए। मैं वहां के अधिकारियों के पास गया कि एक हजार लोगों को रोजगार पर लगाइये, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा है। अधिकारी बताते हैं, एक हजार लोगों को काम पर लगाने का आदेश आया था लेकिन तीन दिन बाद हमको यह आदेश पांच सौ का प्राप्त हुआ है। बारां जिले में जिस प्रकार के हालात थे, वहां एक हजार की सीलिंग सीमा देकर फिर पांच सौ की सीलिंग सीमा कर दी जाती है। और जहां 16 अगस्त से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की बात कहते हैं वहां पर एक अक्टूबर तक अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होते हैं, कितना असत्य इनका कथन है। श्रीमान्, ये सारे हालात जब मैंने देखे और सुने, मैं 14 सितम्बर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव गया । मैं लगातार 31 अक्टूबर तक चलता रहा, 1200 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने 48 दिनों में पूरी की। उसके बीच में मुझे ध्यान आया, आप कल्पना करेंगे, जब मैं गावों में गया तो मैंने देखा कि खेड़लीगंज जो कस्बा है उसी की एक बस्ती में महिलाएं इकट्ठी होकर कहती हैं कि दिलावर जी हमको काम नहीं मिल रहा है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि आप जहर की पुड़िया लाये हो तो हमको दे जाओ, यह सरकार हमको पूछ नहीं रही है। इस प्रकार के हालात मैंने गांवों में देखे हैं। श्रीमान्, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। यही नहीं...

श्री देवीलाल बैरवा : सभापति महोदय, क्या कहा कि जहर का प्याला मांग रहे हैं। पहले कितने लोगों को पिलाया हैं?

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

(20.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : बड़ोला गांव के जब हालात मैं देखता हूं, वहां जाता हूं। दो–ढ़ाई हजार मजदूर मुझे घेर लेते हैं और घेरकर कहते हैं कि दिलावरजी, आप हमारे अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करा दीजिये, काम दिला दीजिये अन्यथा हम भूख के मारे तड़प–तड़प कर मर जाएंगे। रात को वहां के लोगों ने हमारे लिए भोजन बनाया था । शाम को जब हमने कहा कि भोजन की व्यवस्था हो गयी होगी, हम भोजन करते हैं तो वहां के लोगों ने कहा, दिलावर जी, आप रुक जाइये। यदि यहां जो मजदूर हैं उनको पता चल गया कि आप भोजन कर रहे हैं तो सारा भोजन लूट कर ले जाएंगे। कई दिनों से आप लोग भूखे हैं। इस प्रकार के हालात वहां पर देखने को मिले हैं। मैंने उसी दिन पत्र लिखा जिला कलक्टर को। मैंने

(श्री मदन दिलावर)

भोजन नहीं किया और पत्र लिखा कि किस प्रकार के हालात बड़ोला गांव में हैं। मैंने, मुख्य मंत्री को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा, जिला कलक्टर को लिखा, सम्भागीय आयुक्त को लिखा कि किस प्रकार का दृश्य इस गांव में है, यहां अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कीजिये। लेकिन, आप कल्पना करेंगे, वहां पर मेरे पत्र लिखने के एक महीने तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ और न ही मेरे पत्र का जवाब किसी अधिकारी ने दिया उसका प्रतिफल क्या हुआ? उसका प्रतिफल यह हुआ कि बड़ोला गांव में चार लोगों ने भूख के मारे तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। पत्र लिखने के बाद, सूचना देने के बाद। मैं पत्र लिखता हूं कि वे दम तोड़ देंगे। भूख से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। उसके बाद चार लोग बड़ोला गांव में भूख के कारण से तड़प-तड़प कर दम तोड़ देते हैं। इससे ज्यादा हालात क्या हो सकते हैं? फिर मैं आगे जाता हूं। दूसरे गांव कनोतिया में एक महिला मुझे मिलती है वह रोने लग जाती है। कहती है, दिलावरजी, कई दिनों से भूखी हूं। मैंने कहा कि भूखी है तो अब तक तो मर जाना चाहिए था। वह कहती है, भला करो भगवान, यहां पर एक व्यक्ति ऐसे है जो कभी-कभी मुझे पूछ लेते हैं तो वो आधी-एक रोटी दे देते हैं, उससे पेट भर लेती हूं अन्यथा मैं जिन्दा नहीं रह सकती थी। ऐसे हालात मेरे क्षेत्र के गावों के हैं। (व्यवधान) आप सुनिये। आप आगे तो सुनिये।

डा. के. सी. चौधरी : आपने क्या सहायता की, वह तो बता दीजिये । (व्यवधान) कितना सत्य बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : आप आगे सुनिये। मैंने उसी समय मेरे गांव के मित्र लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया कि ये हालात है आप लायक हैं, लाइये, इस बुढ़िया को गेहूं दीजिये । उसी समय 10 किलो गेहूं दिलाकर वहां उस बुढ़िया का इंतजाम किया।

श्रीमान्, यही नहीं, जब मैं बड़ोदिया गांव में जाता हूं तो हरदेव गूजर मेरे सामने फांसी लगाने का यत्न करते हैं मेरी जेब में जितने पैसे थे 400-500, मैंने उनको दिये और कहा कि इससे काम चलाइये, मैं सरकार से बात करता हूं। अकाल राहत कार्य चलवाऊंगा। लेकिन मेरे पत्र लिखने के बाद कोई काम नहीं होता है। श्रीमान् आप क्योंकि रोक रहे हैं मुझे, मैं समझ रहा हूं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वैसे यह बात तो सही है। आप दोनों उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हो, बारां जिले में अधिकारियों में यह रिवाज ही नहीं है कि किसी एम. एल. ए. के पत्र का जबाव दें।

श्री सभापति : बिराजिये । माननीय सदस्य, बिराजिये

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बारां जिले का कोई भी अधिकारी किसी एम.एल.ए. के पत्र का जवाब नहीं देता है तहसीलदार से लेकर कलक्टर तक। इसकी आप व्यवस्था करें। राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया हुआ है, लेकिन उसकी अवहेलना हो रही है। कोई भी अधिकारी किसी पत्र का जवाब नहीं देता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, लगातार पदयात्रा करने के बाद 6 अक्टूबर तक जब उन्होंने मेरे को नहीं सुना तो...

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय श्रवण कुमार जी।

श्री मदन दिलावर : दो मिनट और।

श्री सभापति : बिराजिये आप। बिराजियें।

श्री मदन दिलावर : ...मेरे कहने के दो महीने...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से जिस प्रकार की परिस्थितियों को...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...एक परिवार के सात व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति...

श्री सभापति : यह क्या हो रहा है? इनका अंकित नहीं हो। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस भीषण अकाल की परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : आप बिराज जाइये। आप बिराज जाइये। (व्यवधान) आप बिराज रहे हैं या नहीं ?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, 100 वर्ष के दौरान अकाल नहीं पड़ा इतना भीषण अकाल जो पशु, पक्षी, मानव के लिए घातक सिद्ध हुआ है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान में 16 अगस्त से अकाल के

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री श्रवण कुमार)

कार्य शुरू किये गये फिर भी मजदूरों की सीलिंग कम पड़ती है। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। कि आज राजस्थान की धरती पर पशुओं की जितनी बुरी हालत हुई है वह मानव के लिए देखने लायक नहीं रही है। कुछ सेठ–साहूकार लोगों ने अकाल की विषम परिस्थिति को देखते हुए जगह–जगह शिविर लगाये। हमारे चिड़ावा में ढ़ाई हजार पशुओं का शिविर लगा रखा है। मैंने बार–बार पत्र लिखे, मैं मंत्री जी से मिला भी, परन्तु आज तक उनकी सीलिंग नहीं बढ़ाई और न सरकार से उनको कोई अनुदान दिया जा रहा है। सेठों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद में हम बाड़े खोल देंगे अगर सरकार ने सहायता नहीं दी तो। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूता हूं कि पशुओं की सीलिंग बढ़ाई जाए साथ ही श्रमिकों की संख्या भी बढ़ाई जाए राजस्थान अकाल से जूझ रहा था, किसान बुरी तरह से पीड़ित था, दिल्ली की सरकार ने पैट्रोल के पैसे साल में चार बार बढ़ाये, डीजल के पैसे चार बार बढ़ा दिये। इसके अलावा किसान की कमर तोड़ने वाला काम यह किया कि किसान के लिए खाद खेती की सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है उसके पैसे बढ़ाये। और आज अखबार में आया है कि पांच दिन के भीतर–भीतर गैस और केरोसिन तेल के पैसे बढ़ेंगे। 50–55 साल की आजादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, गांधीजी जैसे लोगों ने, सुभाषचन्द बोस को कालापानी जाना पड़ा था, भगत सिंह को फांसी के तख्ते परलटकाया गया था, गुरु गोविन्द सिंह के बच्चों को लाठियों से पीटा गया था, लाला लाजपतराय को लाठियों से पीटा गया था ऐसे लोगों के 50 साल की आजादी के प्रारूप को बी.जे.पी. सरकार ने बदल कर छोड़ दिया। मुझे बहुत दुःख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरे प्रारूप को उन्होंने इसलिए तय किया था...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :... जोता गया था, कीड़े-मकोड़े मिली हुई रोटियां दी गई थीं।

श्री श्रवण कुमार : उन लोगों ने अपने देश के प्रारूप को प्रजातंत्र में बदला था। उनका एक सपना था कि गरीब के दरवाजे तक प्रजातंत्र की प्रणाली का प्रारूप पहुंचेगा। मुझे बड़े खेद और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, गुजरात में बड़ौदा गांव के एक बच्चे ने अपनी मां से कहा था कि मुझे रोटी चाहिए, मां ने उसको थप्पड़ मारा और सुला दिया। बड़े खेद और दुःख के साथ बच्चा रोता हुआ सो गया।

श्री सभापति : अपने जिले की अकाल की बात कहिये, एक मिनट बाकी और है आपकी।

श्री श्रवण कुमार : यह बात हो गयी। मुझे दुःख है इस बात का कि उस गुजरात में जो अपने आपको कहते हैं कि हम बी.जे.पी. के सबसे बड़े आसन पर बैठे हैं, वहां के बच्चे रोटी के लिए थप्पड़ खाकर सोते हैं और वहां के बड़े नेताओं के कुत्ते केक और बिस्किट खाकर सोते हैं, इससे बड़ा अन्याय इस देश के लिए और क्या हो सकता है।

श्री सभापति : झुंझुनूं जिले में अकाल की क्या स्थिति है, वह बताइये आप।

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं, झुंझुनूं जिले की स्थिति ठीक है, मुझे पूरे देश की स्थिति का मालूम करना है। साथ-साथ राजस्थान में ...

श्री सभापति : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आज राजस्थान में पी.एच.ई.डी. की स्थिति जोशीजी के आने के बाद बड़ी सुदृढ़ है, परन्तु अभी भी कुछ प्रैक्टिकल बातें ऐसी हैं जो जमीन पर लागू नहीं हो रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने स्कीमें बहुत बनाईं और मंजूरी भी मिली, पर अधिकारियों और हमारे बीच में जो कंट्राडिक्शन है वह उनको इम्प्लीमेंट करने का है। अब स्कीम दो करोड़ की लागू होती है, 6 महीने में उसको लागू नहीं करते हैं तो उसका अस्तित्व खतम हो जाता है। कुछ सामान पी एच.ई.डी से खरीदा जाता है। वह ऐसा प्रैक्टिकल सामान नहीं है जो अपने कुओं में लागू होता है। ऐसी मोटरें खरीदतें हैं डबल हैड की जो हमारे काम में नहीं आतीं । इस तरह की जो व्यवस्था है इसके ऊपर बैठकर विचार किया जाए तो आज भी राजस्थान में पैसे की, पानी की कोई कमी नहीं है। घंटी मत बजा देना, साहब। अभी दो मिनट और रुको।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार : मैं एक बात और कहना चाहता हूं । राजस्थान में इतनी लम्बी स्कीम बनी है इसका 32 प्रतिशत पैसा छीजत में चला जाता है।

श्री सभापति : माननीय, बिराजिये ।

श्री श्रवण कुमार : और 68 प्रतिशत पैसा काम में लाया जाता है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में डी-फ्लोराइड की मशीनें गांव-गांव और गली-गली में लगी हुई हैं। करोड़ों रुपये की छीजत हुई, पैसा लगा, आज उनका कोई यूज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन मशीनों को अगर लोहे में भी बेचा जाए तो करोड़ों रुपये में बिक सकती हैं। राजस्थान में बजट का जो पैसा है इसका पूरा यूज नहीं हो रहा है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मजदूरों की सीलिंग बढ़ाएं जिससे राजस्थान में जो अनाज की स्थिति गरीबों के लिए दु:खदायी हो रही है उसका समाधान किया जाए और पशुओं की सीलिंग भी बढ़ाई जाए। ये सारी बातें हैं। बहुत कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन आपने समय दिया और आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय रमजान खान जी। ऐसी है, घंटी बजाने की जरूरत नही पड़ेगी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, बिना कोई भूमिका बांधे मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी को और पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को

(श्री रमजान खान)

देना चाहूंगा। पहला सुझाव तो यह है कि आपने विधायक कोष को फेमिन के साथ डवटेल करके काम शुरू करवाये हैं, यह तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें आपने यह कहा है कि–श्रमिक जितना भी उसमें लगेगा, उस श्रमिक का 75 प्रतिशत अकाल राहत में से दिया जाएगा और 25 प्रतिशत विधायक कोष से नकद दिया जाएगा। सामग्री का पैसा तो पूरा विधायक कोष से है...

श्री सभापति : अब इसको दुरस्त कर दिया है मेरे खयाल से । अब तो यह 100 प्रतिशत कर दिया है।

श्री रमजान खान : परन्तु 25 प्रतिशत और श्रमिक का खर्चा आएगा, उसमें से आप यह कह रहे हैं कि यह भी विधायक कोष से दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है अकाल राहत मंत्रीजी को कि श्रमिक में जितना भी पैसा खर्च हो, वह पूरा का पूरा अकाल राहत से खर्च किया जाए और सामग्री का पैसा विधायक कोष से दिया जाए ताकि इसका कुछ फायदा मिल सके।

श्री सभापति : यह हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री रमजान खान : नहीं, अजमेर जिले में नहीं हुआ है। ऐसा जो हो रहा है, वह हुआ नहीं है। चलो, ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है।

चारा डिपो की सब्सिडी है वह समय पर नहीं मिलती है। 50,000 रुपये देकर पटवारीजी को भेज देते हैं 2-3 ट्रक आते हैं और वह सब्सिडी खतम हो जाती है। चारा तुल जाता है, बिक जाता है, उसके बाद में और जब चारा आता है तो सब्सिडी नहीं होने की वजह से बहुत देर हो जाती है। फिर पटवारीजी तहसील जाते हैं, कलक्टर से पास होता है, लेनदेन होता है, उसमें 5-6 दिन लग जाते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था हो जाए ताकि सब्सिडी की वजह से चारे वाले ट्रक रुकें नहीं ।

पशु शिविर जो आपने शुरू करवाये हैं, पशु शिविर के लिए आपने यह पाबन्दी लगा दी कि पहले चारदीवारी बनवाओ, पक्की बनवाओ, उसके बाद टीन शेड डालो, पशु शिविर के अन्दर ही खेली बनवाओ, उसके बाद आपको जानवरों के लिए राहत मिलेगी वरना राहत मिलेगी, नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इस पाबन्दी को आप तुरन्त हटवाइये क्योंकि हर गांव में 100-100, 150-150 गायें हैं पशु शिविरों के अन्दर। गांव वालों ने इकट्ठा करके उनको रोक रखा है, उनके लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। उनको अगर अनुदान दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि गायें जो मरना शुरू हुई हैं वे बंद हो जाएंगी और पशुधन बच सकेगा । टीन शैड और पानी की खेळी कब तो बने और कब चारदीवारी बने और कब आप अनुदान देओगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बाड़ है।

श्री रमजान खान : हमारे यहां तो चारदीवारी का है।

मैं अकाल प्रबन्धन के मामले में एक सुझाव देना चाहता हूं, सरकार के जो प्रबन्धन है मंत्री महोदय, बिलकुल ही गया–गुजरा है, बिलकुल बेकार है। उसका कारण है, उदाहरण बताऊं। एक गांव की आबादी 1000 है उसके अन्दर आपने 60 श्रमिक लगा दिये और एक गांव की आबादी 5000 है, उसके अन्दर भी 60 श्रमिक लगा दिये। अब यह कैसे संतुलन बैठेगा? इस इम्बैलेंस को जब तक आप समाप्त नहीं करोगे, आपका प्रबन्धन सही हो ही नहीं सकता । मेरा निवेदन है कि इसमें गांव की आबादी के हिसाब से श्रमिक लगने चाहिए ताकि जो बड़े गांव हैं, उनमें श्रमिक ज्यादा लग सकें। और इस अकाल का मुकाबला अगर सही ढंग से सरकार की करने की मंशा है तो एक परिवार से एक व्यक्ति को जब तक आप रोजगार नहीं दोगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह, अब तो मार्च भी करीब–करीब खतम होने वाला है? (व्यवधान) अप्रैल, मई और जून तीन महीने रहे हैं। नहीं, नहीं शुरू हुआ है। मगर यह विधान सभा में और अपनी यहां बहसबाजी में ही पूरा हो जाएगा। यह लगा तो खतम ही है और जुलाई में बरसात आ जाएगी। बीच के सिर्फ तीन महीने रहे हैं, तीन महीनों के लिए हिम्मत करके जो भी केन्द्र से आपको सहायता चाहिए, वह भी हम दिलवाएंगे, आपके साथ मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे, मगर एक परिवार से एक श्रमिक लगना बहुत ही जरूरी है जरूरतमंद को। जब तक यह काम नहीं करोगे, मामला बैठेगा नहीं। गांव वालों की तो जैसा मदनजी दिलावर कह रहे थे, वह बात करीब–क़रीब सही है, हर गांव के अन्दर चाहे एम. एल. ए. जाए, चाहे एम. पी. जाए, कलक्टर जाए चाहे, एस.डी.ओ. जाए चाहे, बी.डी.ओ. जाए, कोई भी जाए आप भी चले जाना, आप उदाहरण के तौर पर देख लें, गांव के अन्दर जैसे ही आप पहुंचोगे, कम से कम आपको 50–100 आदमी–औरतें मिलेंगे और वे एक ही बात कहेंगे कि पांच आदमी हमारे भी लगवाओ, 10 आदमी हमारे भी लगवाओ। इस तरह से याचना करते हैं जैसा भाटीजी ने कहा कि इस राजस्थान की जनता को भिखारी बनने की स्थिति में आपने लाकर खड़ा कर दिया है, ईमानदारी की बात है। चाहे कांग्रेस के लोग जितने भी सत्ता पक्ष के हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फेमिन चल रही है, मगर गांव वाले सुन रहे हैं इसको कि बहुत अच्छी फेमिन नहीं चल रही है। इसकी वजह से आप लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जब गांव में जाओगे, लोग कहेंगे कि आप विधान सभा में कह रहे थे कि बहुत अच्छी फेमिन चल रही है, कहां अच्छी फेमिन चल रही है? अच्छी फेमिन नहीं चल रही है, मंत्री महोदय।

(श्री रमजान खान)

एक पानी की गड़बड़ है, पी.एच.ई.डी. के मंत्री बैठे हुए हैं, हैण्ड पम्प भी और बावड़ी भी सूख गये हैं, सब कुछ हो गया है। यह जनता जल योजना इस तरह की योजना है, गांव में जो आपने लागू कर रखी है, इसके तहत कुछ लोगों को पानी मिल रहा है परन्तु पिछले एक साल से जब से माननीय विश्नोई साहब पी.एच.ई.डी. मंत्री से हटे हैं, तब से आज तक इन ग्राम पंचायतों को इनके रखरखाव पर जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है वह नहीं मिला। इसलिए कई जगह बहुत तकलीफें आ रही हैं, योजनाएं बंद हो रही हैं। कहीं मोटर जल गई, वह पड़ी है तो पड़ी हैं, संरपचों को रखरखाव के लिए कम से कम यह पैसा तो भेजो।

दूसरी बात पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। यह बहुत बड़ी बात है कि आज गांव वाले कोशिश करके, अपने बलबूते पर सार्वजनिक पेयजल योजना के लिए ट्यूबवैल, लेना देना सब लगाकर, उसका कनेक्शन लेकर लागू करते हैं, उसमें एक पैसे की कमाई नहीं होती है। मैंने बार बार कहा है, मंत्री महोदय से भी कहा है, बिजली मंत्रीजी यहां बैठे हैं उनसे भी कहा है, कि इनसे कामर्शियल चार्ज मत लो। मगर, सभापति महोदय, 8-8, 10-10 हजार रुपये कामर्शियल चार्जेज वहां लग जाते हैं पी.एच.ई.डी. को कामर्शियल चार्ज लग जाता है वह ठीक है क्योंकि उनके इनकम होती है, कनेक्शन देते हैं, लेनदेन देते हैं, अगर यह तो गांव वाले टंकी से, टूंटी से पानी भरते हैं और उनकी खुद की योजना है या विधायक कोष से या एम.पी. कोष से इस योजना को चालू कर रखा है। उसके अन्दर कामर्शियल चार्ज लागू कर रखा है। मैंने कई दफे लैटर भी लिखे हैं। कम से कम इसके जो कामर्शियल बिल आ रहे हैं उसको खतम करके घरेलू रेट हमारी जो भी आती है वह घरेलू रेट लगा दो, बिजली का पैसा गांव वाले देने को तैयार हैं। परन्तु चंदा करके कामर्शिलय रेट देने में गांव वाले बिलकुल असमर्थ हैं और इसकी वजह से लोगों के कई कनेक्शन काट दिये गये हैं और कट रहे हैं।

इसके अलावा सड़क बनानें की बात है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें ग्रेवल रोड बनाने की अनुमति भी दी जाए। ग्रेवल रोड पर जब तक बरड़ा नहीं पड़ेगा वह ग्रेवल रोड किसी काम की नहीं होगी। उसके लिए कम से कम 25 प्रतिशत नकद सामग्री राशि जो दूर दूर से बेड़ा लेकर आवे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से सड़कों का बहुत अच्छा जाल गांवों के अन्दर बन जाएगा और छोटी-छोटी ढाणियों में जाने में भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा सुझाव तो बहुत हैं, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मैंने तो रोका भी नहीं है आपको। माननीय आत्मारामजी।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत अकाल राहत पर चर्चा लम्बी नहीं करूंगा क्योंकि कल और आज हमारे सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ अपनी अपनी बातें रखी हैं, मैं सिर्फ पाली जिले और देसूरी विधान सभा क्षेत्र की ही बात रखूंगा। हमारे पाली जिले से आनें वाले माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य महोदय कह रहे थे कि पाली जिले में अकाल राहत के कार्य बहुत कम चल रहे हैं, मैं आमकी मार्फत सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी से, अकाल राहत मंत्रीजी की मेहरबानी से 2300 अकाल राहत कार्य चल रहे हैं जिनमें श्रमिक संख्या 54,800 है और अन्य योजनाओं में 22,200, कुल श्रमिक संख्या 77 हजार है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री से निवेदन करूंगा, हमारे पूरे जिले की भावना है कि आज की तारीख में 77 हजार जो श्रमिक संख्या है उसे आप कम से कम एक लाख तो करने की कृपा करें ताकि जिले में रोजगार जो सभी को अच्छी तरह से मिल रहा है, वह आप सब की भावना के अनुरूप मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत पशु शिविरों के बारे में भी अवगत कराना चाहूंगा। हमारे जिले में कुल 323 चारा डिपो चल रहे हैं जिसमें से 125 जी.एस.एस. व डेयरी के, सौ ग्राम पंचायतों के माध्यम से और सौ प्राइवेट पशु शिविर चल रहे हैं। इसमें हमारे जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से इन्हें भी धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने ऐसी अकाल की स्थिति में हमारी सरकार के सहयोग में बहुत कुछ सहयोग प्रदान किया है। मेरे रानी के खिमोद चैरिटेबल ट्रस्ट, सोमेश्वर जय जिनेंद्र गौ सेवा समिति, बागोल जय जिनेंद्र गौ सेवा समिति, इतेन्द्रा मेड़तियान जय जिनेंद्र गौ सेवा समिति, ग्राम विकास समिति, खिंवाड़ा, मानदेव सूरी जैन गौ सेवा समिति, नाडोल, विजय बल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट, सादड़ी, मानव सेवा संस्थान, गजनीपुरा, रूप मुनि सार्वजनिक गौशाला समिति, नाडोल, देसूरी गौ रक्षा विकास समिति, नालड़ी, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, इन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस विभीषिका में अपना अपूर्व सहयोग प्रदान किया है, इस सदन के माध्यम से मैं इन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पाली जिले में भी पेयजल की काफी समस्या थी परन्तु माननीय अकाल राहत मंत्रीजी व जलदाय मंत्रीजी की मेहरबानी से वहां बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इतिहास में पहली बार अबके पाली में

(श्री आत्माराम मेघवाल)

रेल द्वारा पानी पहुंचाया गया है, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में पेयजल के बारे में काफी हमें सहयोग प्रदान किया है। हमारे यहां उठागा में ट्यूबवैल खोदी गई, बालोस में ट्यूबवैल खोदी गई, मालारी में ट्यूबवैल खोदी गई, उनाड़िया में ट्यूबवैल खोदी गई, मांडल में ट्यूबवैल खोदी गई, बिगंडला में खोदी गई। जो हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बार–बार कह रहे हैं कि हमारे यहां पर काम नहीं हो रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गहलोत साहब की सरकार कार्य कर रही है उसकी हमें भूरि–भूरि प्रशंसा करनी चाहिए। काम होता है तो उसकी प्रशंसा करने में हमारे को क्या है? माननीय केसारामजी, हमारे वरिष्ठ माननीय हीस सिंहजी चौहान साहब, ज्ञानचन्दजी पारेख साहब ये हमेशा अपनी बात उठाते रहते हैं, और ये तो उठाएंगे ही...

श्री केसाराम चौधरी : ईमान–धर्म से कह दो कि पाली जिले में कितनी लेबर लगी हुई है या आप अभी कलक्टर से मंगा लो। अकाल राहत प्रभारी मंत्रीजी ने परसों जो कागज दिया उसमें उन्होंने 54 हजार बताई है।

श्री सभापति : बिराजिए ।

श्री आत्माराम मेघवाल : नहीं, मैंने कल रात को कलक्टर से बात करके ही पूरे आंकड़े लिये हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मेरा नाम कोट किया है इसलिए बोलना पड़ रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजिए, आपके छोटे भाई हैं।

श्री केसाराम चौधरी : हां तो मैं मानता हूं। असत्य आकंड़े तो यहां न दें। प्रभारी मंत्रीजी ने 54 हजार बताई है। (व्यवधान)

श्री आत्माराम मेघवाल : इस अकाल की विभीषिका में माननीय प्रभारी मंत्री खेत सिंहजी राठौड़ साहब भी हमें समय समय पर सम्भालते हैं, सचिव ओ. पी. सैनी साहब भी समय–समय पर यहां पर आते हैं, हमारे जिला कलक्टर कुलदीप रांका और हमारे सभी अधिकारी हमारी सरकार के निर्देशानुसार अकाल राहत के कार्य अच्छे ढंग से वहां पर संचालित कर रहे हैं। इसी के साथ आपने समय दिया, आपका आभार, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, राजस्थान जिस गम्भीर समस्या से जूझ रहा है, हम सब लोग पक्ष और विपक्ष इस बात को तहेदिल से स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भयंकर अकाल की स्थिति में राजस्थान पिछले पांच साल से जूझ रहा है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि अब कौन से साल का अकाल आए तो आप राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करेंगे । 1996 को, 1987–86 को और पूर्व के सौ साल के अकाल को मात जिस अकाल ने कर दिया और जनता जिस तरह त्राहि–त्राहि कर रही है, उसके बावजूद राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करने का काम, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा और कौन–सी ख़राब स्थिति आएगी जब हम अपने इस प्रावधान का उपयोग करके राजस्थान की जनता को राहत देंगे। मंत्री महोदय, इस पर विचार करिये। विचार करने के साथ ही कई समस्याएं जो आएंगी हम मिल–बैठ कर उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। केन्द्र सरकार से भी आग्रह करेंगे । वास्तव में तभी जिस अकाल के कारण से गरीब दु:खी है, पीड़ित है उसकी हम मदद कर सकेंगे। लेकिन हम हमेशा पक्ष–विपक्ष की बातें करके विषय को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वह नहीं जाएगा आप अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे । मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं आपके इस सारे दिये हुए लिटरेचर के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, कि हम वस्तुस्थिति को बताते क्यों नहीं? हम बार–बार आपसे मांग कर रहे हैं कि आप एक श्वेत पत्र जारी कर दें, उस श्वेत–पत्र में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब आप बिलकुल सच हो तो सांच को आंच क्या? घोषणा करने में हमको झिझक क्या? हम भी उसको समझेंगे कि हम कहां गलत हैं। तो हम आपके उन आंकड़ों को देखकर अपने को ठीक कर लेंगे। और अगर ठीक आप नहीं हों तो आपको भी सुधरना पड़ेगा कि हम जनता को आंकड़ेबाजी के जाल में डाल कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हममें से चाहे आप हों, चाहे हम हों, कोई न कोई गलत तो जरूर है, और इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें।

मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूं आपने श्रमिक संख्या का जो बाबेला खड़ा कर रखा है, ये बिलकुल गलत आकंड़े पेश करके आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप यह कह रहे हो कि हमने 18 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि 18 लाख लोगों को रोजगार नहीं है। उसके लिए मैंने सारे आंकड़े निकाले हैं कि कौन सी स्कीम में कितने लोग लगे हुए हैं, मैं आपको देता हूं यह। अगस्त में आपने 4.18 लाख का जो ज्ञापन दिया था उसके अगेंस्ट में केवल 2.65 लाख लोग रोजगार पर लगे थे। इस 2.65 में से भी दो लाख केन्द्रीय प्रवर्तित जितनी योजनाएं थीं उसका लेबर है, अकाल का लेबर तो केवल 65 हजार है। इसी तरह से आपने सितम्बर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में दिया 4.80, उसमें पांच लाख 79 हजार 140 लेबर कुल लगा था। यद्यपि जितना आपने मांगा उससे ज्यादा लेबर लगा है, जो इसमें आपने लिखा है, लेकिन इसमें से पांच लाख मजदूर तो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का है, आपके अकाल का केवल 79 हजार 140 लेबर लगा। मेरे ये आंकड़े आप जब जवाब दें तो स्पष्ट कर दें। इसी तरह से अक्टूबर में आपने 13 लाख लेबर लगाने की बात की, लगा था 6.91 इस 6.91 में भी पूरा 6 लाख केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का था, आपका केवल 88.448 लगा था। इसी तरह से आपने नवम्बर में जहां लिखा है 15 लाख लेबर लगा, उसमें से 4.80 कुल लगा, उस 4.80 में वही है, 6 लाख और समथिंग तीन हजार, वह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का है, बाकी आपका 2 लाख 47 हजार 475 मजदूर इसमें लगा है। इसी तरह से दिसम्बर का है। इसमें 18 लाख सोचा, 16 लाख 34 हजार 740 लगा। उसमें अकाल का जो मजदूर है वह 10 लाख 31 हजार 715 लगा है। इसके पहले वाले जो सारे आंकड़े हैं उसमें आपके अकाल का मजदूर नहीं लगा। आप कितनी भी घोषणा करो, जो खड़ा हो वही बोलता है। अगस्त से काम शुरू कर दिये, अगस्त से शुरू कर दिये, यह ढिंढोरा तो पीटते-पीटते कब तक पीटोगे? जो हकीकत है उस हकीकत के ऊपर तो आप कोई विचार करना नहीं चाहेंगे कि अकाल का मजदूर नहीं लगा। आपने बीस-बीस मजदूर एक एक पंचायत को, एक-एक मस्टररोल पकड़ा दिया, कहीं पांच पंचायतों को, कहीं छह पंचायतों को। अकाल के जब अगस्त में आपने काम शुरू किये तो 1300 लेबर सारे के सारे चित्तौड़ जिले को मिले थे। फिर इस तरह से आप आंकड़ेबाजी करके जनता को यह कहने की कोशिश करें कि हमने इतने लगा दिये। इसके बाद फिर जनवरी में वही 16 लाख 34 हजार कुल लगा, उसमें से वही 6 लाख 3 हजार 25 केन्द्र प्रवर्तित से। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वही मजदूर चल रहा है। इसमें भी 10.31, सेम वो का वो ही आंकड़ा है। इन सबको जोड़ें जो आपके मजदूर लगे हैं अगस्त से लेकर अब तक मेरी गिनती के हिसाब से, 25 लाख मजदूर कुल लगे हैं।

अब जो ज्ञापन आपने दिया, 23 लाख पर आपने जो गेहूं मांगे हैं वो 5.75 लाख मीट्रिक टन मांगे हैं। इन सब लेबर को भी मैं जोड़ लूं तो भी मुश्किल से 8 लाख मीट्रिक टन अनाज, लेबर स्ट्रेंथ के आधार पर जो मांगा है उस हिसाब से आपका शेयर बनता है और ज्यादा आपको दिया है। क्या यह सच नहीं है कि 10.10 मीट्रिक टन तो आपको प्राप्त हो गया है और यह जो 18 लाख का कहा है इसकी स्वीकृति हो गयी? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की लोक सभा में कि 29 लाख समथिंग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान को मिलेगा, आपको 10.10 तो मिल चुका और बाकी अण्डर प्रोसेस चल रहा है। 18 दशमलव जो आपको मिल चुका है, अलाटमेंट हो चुका है, क्या यह सच नहीं है? सच बात तो यह है कि हम मजदूरों को लगा नहीं सके। यह जो 10 दिन में पारी बदल देते हैं और हम 55 लाख मजदूरों की जो गिनती करते हैं, 16 का आपने तीन गुना किया तो 55 लाख होते हैं । इन 55 लाख मजदूरों के आधार पर राजस्थान के 76 लाख परिवार अकाल से जूझ रहे हैं। यानी इन 76 लाख परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, मतलब 76 लाख मजदूर तो कम से कम आपको लगाने हैं। ये 76 लाख आप अगर मार्च, अप्रैल, मई और जून तक नहीं लगाएंगे तो फिर अकाल के लिए इतना ढिंढोरा पीटने से लाभ क्या होगा? जनता को इस बात का दुखड़ा रोने से क्या फर्क पड़ता है? सच बात तो यह है कि उस गरीब को रोटी चाहिए। आप और मैं, दुर्भाग्य अगर हमारा है, हम में से कोई अकाल की चपेट में फंस जाए और 9 दिन की मजदूरी के 450 रुपये से अपना घर खर्च चला कर बता दे। हम उसके जले हुए पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं इस अकाल के नाम से और बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। क्या इस अच्छी व्यवस्था से उस गरीब का पेट भर सकता है? 450 रुपये में क्या नमक मिर्च लाएगा, बच्चों की किताब लाएगा, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा होगा तो उसके लिए कुछ लाएगा? उसके अगर जानवर हैं तो क्या उसके चारे की व्यवस्था कर सकता है? बाकी कुछ भी नहीं है, यह केवल हम बहलाने का धन्धा कर रहे हैं। सच बात यह है कि उसकी पीड़ा को मन में समझ नहीं रहे हैं। मैं इस बात को भी समझने को तैयार हूं कि हमारे पास आर्थिक संकट है, मैं इस बात को समझता हूं कि हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं, लेकिन आखिर बार–बार तो इस तरह का संकट नहीं आता। ऐसे संकट के समय में भी हम अपनी गणित लगाते रहे तो उसकी तो भूख शांत नहीं हो सकती, उसकी पीड़ा शांत नहीं हो सकती। इसके कारण आप इस बात को जरूर स्पष्ट करें, जो मैंने आंकड़े दिये हैं कि अब तक आपने जितने मजदूर लगाये हैं वह वास्तव में इतने हैं या मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा है वो गलत है।

अब आप रोज कहते हैं कि केन्द्र सरकार हमको कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती। मैं आज आपसे चाहता हूं कि आप जब जवाब दें न, तो मेरे इन सवालों का थोड़ा डिटेल दें। आपने जो टोटल खर्चा किया है, आप ही के हिसाब से राहत कार्य पर 156 करोड़ रुपये, पशु संरक्षण पर 98 करोड़ रुपये, पेयजल पर 21 करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपये, अनुग्रह सहायता पर 4.19 करोड़ रुपये, दवाइयों पर 1.62 करोड़ रुपये–ये 296.87 करोड़ रुपये अब तक का कुल व्यय हुआ है। अब आप यह देखिये जो हमको प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें आकंड़ों के आधार पर इस बात को मानना पड़ेगा कि केन्द्र ने हमारी मदद पूरी की। ये मैं आंकड़े गिन रहा हूं, इसको आप अगर काटना चाहें तो काट दें। टोटल 29.57 लाख मीट्रिक टन अनाज का जो हमें एस.जी.आर.वाई. में स्पेशल कंपोनेंट में स्वीकृत हुआ उसकी अगर कोस्ट निकाले तो वह होगा 2957 करोड़ रुपये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं पर जो कास्ट बता रहे हैं तो एक क्विंटल की कितनी कास्ट मानी है? 4.60 रुपये तो बनती नहीं है। जब हम मजदूर को देते हैं 4.60 रुपये तो 29 लाख के कितने रुपये होते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गिनो न आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, आप गिन लो न। आप बता दीजिये। आपने 10 रुपये किलो के हिसाब से उसको 2900 रुपये कर दिये। आप 10 रुपये किलो से देना चाहते हो मजदूर को। आप हाउस को मिसलीड मत कीजिये। मैं इंटरप्ट नहीं करता लेकिन आप हाउस को मिसलीड मत कीजिये। यह रेट आपने लगायी है 10 रुपये किलो से इसालिए 2900 होते हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा, आप जब मजदूर को दे रहे हो 10 किलो या 12 किलो...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 4.60 रुपये में ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो 12 किलो जब आप दे रहे हैं मजदूर को, तब आप क्या कास्ट निकालते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम कितना ही दे रहे हैं वह आप छोड़िये, लेकिन 4.60 रुपये लेते हैं आप या 10 रुपये लेना चाहते हैं उनके?

श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, आप इनको गेहूं की जगह 2900 करोड़ ही दिला दो न।

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी तरह से मैं सोचता हूं, एक सैकण्ड, मंत्री महोदय, क्या सी. आर.एफ. में 171.21 करोड़ नहीं है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी तक राजस्थान सरकार को गेहूं कागजों में आबंटन हुआ है, मिला 10 लाख टन ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 10.10 लाख टन मिला है आपको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन 29 लाख

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

की जो बात आप कह रहे हो वह अभी तक मिला नहीं है, 8 लाख का भी हमने इंडेंट भेज रखा है वह भी नहीं मिला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह एक साथ मिलने वाला भी नहीं है। यह एक साथ मिलने वाला भी नहीं है, हर महीने के हिसाब से मिलेगा। एक साथ मिलने के लिए दिया ही नहीं है कि आपने 56 लाख माना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो कैलकुलेट उन्होंने किया है उस हिसाब से भी नहीं मिला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं आप जब जवाब दें तब इस विषय पर भी आप जवाब दे दें, मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, कि क्या सी.आर. एफ. में आपको 171.21 करोड़ नहीं मिले? क्या एडवांस में आपको 2003....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 228 करोड़ रुपये हर साल मिलेंगे। (व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जवाब दे देना। मैं कोई...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : काहे को रिपीट कर रहे हो उसको ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जवाब दे देना इसमें समस्या कहां जा रही है? जवाब दे देना, आप। आपको 2003-04 का एडवांस 44.93 करोड़ रुपये नहीं मिला क्या? एन.सी.सी.एफ. में आपको 155.68 मिला? क्या पशु चारागृह के लिए 11.66 करोड़ नहीं मिला? क्या गौशाला के लिए आपको 50 करोड़ नहीं मिला? क्या एस.जी.आर.वाई. में प्रत्येक जिले को 70 लाख रुपये के हिसाब से 32 जिलों को 22 करोड़ 40 लाख रुपये नहीं मिले? यह सारा मिला कर 3412 करोड़ और इसके अलावा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं विभिन्न प्रकार की हैं उसमें आपको 1819 करोड़ मिले। इसी तरह से आप....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो अकाल नहीं पड़ता तो भी मिलता है। क्यों मिसलीड कर रहे हैं आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : देखिये, मैंने कोई अपने मन से आंकड़े नहीं बनाये हैं। मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट से आपको 178.78 करोड़ मिले, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वैलफेयर से आपको 12.36 करोड़ मिले, 191 करोड़ ये मिले। यह सारा मिलाकर आपने खर्चा तो वो ही 296 करोड़ रुपये किया है न? 296 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 10.10 लाख मीट्रिक टन अनाज मिल गया, आपको यह जो विभिन्न मैंने पैसा गिनाया यह मिल गया। अब आप बताइये, आपकी गांठ की अब तक एक फूटी कौड़ी खर्च हुई क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह जवाब दूंगा आपको जवाब दूंगा तब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूं और आप बड़े हिमायती बन रहे हैं राजस्थान की जनता के कि राजस्थान की जनता के लिए हम चिन्ता में हैं। गांठ का एक गोपीचन्द नहीं लगा, पूरे पांच साल में नहीं लगा। पांच साल में, मेरा दावा है। मेरा चैलेंज है आपको कि पांच साल में राजस्थान की अपनी आमदनी से एक फूटी कौड़ी लगी हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान सरकार ने अपने बजट से पैसे खर्च किये हैं, मैं भी आपको बताऊंगा ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक फूटी कौड़ी राजस्थान ने अपनी जेब से खर्च नहीं की है, अपने बजट से खर्च नहीं किया और फिर आंसू बहाते हैं कि गरीब के लिए हम बड़े चिंतित हैं, हम बड़े चिंतित हैं। यह चिन्ता का विषय नहीं है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी आप सुनने की क्षमता रखो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये सारे जो कुछ भी मैंने आंकड़े दिये है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं भी आंकड़ों से जवाब दूंगा। अभी मैं भी आकड़ों से जवाब दूंगा, धैर्य रखिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, मैं तो धैर्य से सुनूंगा। आपने देखा कि 1998-99 से लेकर 2000-03 तक आपको कितना पैसा मिला...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सब हिसाब है मेरे पास।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल राहत प्रबन्धन के लिए 1998-99 में 170, फिर 1999 में 258 करोड़, फिर 2001 में 301 करोड़, फिर 2002 में 251 करोड़, उसके बाद में 2002-03 में 382 करोड़ कुल 1363 करोड़ रुपये इन पांच सालों में अकाल राहत प्रबन्धन हेतु आपको मिले कि नहीं मिले?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : खर्चा भी बता दो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में आपको इन सब सालों में मिला कर 4340 करोड़ मिले। अन्य सहायता में आपको 989.32 करोड़ मिले। यह सारा मिला कर 6693 करोड़ रुपये राजस्थान को विभिन्न योजनाओं के तहत मिले हैं। अब इसमें से आप अपना दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने इसमें कुल कितना खर्चा किया और कितना है। जब इन दोनों आंकड़ों को मिलाएंगे तो आपको स्वयं को अपने-आप समझ में आ जाएगा कि हम वास्तव में किस स्तर के हैं।

मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि ये सारे आंकड़े जो मैंने बताये लिखा है-In view of the severity of the situation in Rajasthan it has been treated as special category state.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ट्रीट किया नहीं, पर एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में केन्द्र आपको ले रहा है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दे क्या रहा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसके आधार पर आपको मदद कर रहा है। The requirement of the foodgrains for other States will be assessed from September, 2002 to June, 2003. In the case of Rajasthan it will be calculated for the period of September, 2002 to july, 2003. आपके लिए एक महीने का उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ाया है स्पेशल कैटेगरी के तहत। Total 18.98 metric lakhs foodgrains released out of 29.57 matric lakhs. रिलीज किया प्राप्त आपके पास होगा। अभी आपको 10.10 प्राप्त हुआ। Release of the foodgrains at the rate of 8 Kg. per man per day for the 74 works affected blocks in Rajasthan and 6 Kg. per day for the remaining 163 blocks of the State. The number of the BPL families in Rajasthan 20.97 lakhs, out of it plans to provide foodgrains for upto 66 lakhs families much in excess of the number of BPL families in the State.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 66 लाख तो उससे पड़ेगा कि 10 दिन के रोटेशन से देंगे, यह भारत सरकार ने लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप तो 8 दिन कर रहे हो, दो दिन और खा रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : Rajasthan is the only State in which Railway is transporting water and fodder free of cost. Rajasthan is the only State which has been provided 30 thousand metric tons of fodder. Of this almost 3 thousand metric tons have been lifted and another 4 thousand metric ton is in process. Hundred crores of 'gochar' land development for Rajasthan in which 25% contribution is required from the State Government. इन सारी बातों को देखने के बाद क्या आप इस बात को नहीं मानते हो कि केन्द्र सरकार ने आपको दिया है? और आप एक स्टेट के प्रमुख होकर भी कहते हो कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है? मैंने आपको उस दिन मीटिंग में कहा, पिछली बार कहा और आज भी मैं कहना चाहता था कि आपके साथ भेदभाव हुआ है तो हमें कोई कम्पेरेटिवली चार्ट तो बनाकर दो जिसके आधार पर आप यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कह सको कि आन्ध्र के साथ इन्होंने कोई रियायत कर दी या तमिलनाडु के साथ रियायत कर दी या गुजरात के साथ कोई रियायत की और हमारे साथ उन्होंने कोई बदसलूकी की। तब तो आपका आरोप लगाना वाजिब है, जो आप लगाएं। लेकिन आपके पास तथ्य कुछ भी नहीं, केवल शब्दों से ही आरोप के ऊपर आरोप लगाये जा रहे हैं । मुख्य मंत्रीजी खड़े होते हैं आरोप लगाते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, आप खड़े होते हो भेदभाव। फिर आपके जो भी भाई हैं खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। किस आधार पर भेदभाव हो रहा है? हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को हाउस में अपनी बात रखनी पड़ी उसमें उनको जिस प्रकार की पीड़ा हुई है। उन्होंने लिखा कि केवल यहीं नहीं, राजस्थान को जितना गेहूं अभी तक अलाट किया है, देश के 14 राज्यों में भी अकाल है और 283 जिले हिन्दुस्तान के अकाल में होते हुए भी 44 परसेंट गेहूं केवल आपको दिया। लेकिन आपको उसके बारे में नहीं लगता। वाजपेयीजी ने कहा 50 करोड़ अनुदान, जब राजस्थान ने प्रदेश में सूखा प्रभावित घोषित ही नहीं किया था...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 50 करोड़ अनुदान दिया ही नहीं गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1987 में जितना पैसा मिला उससे तीन गुना अधिक आपको मिला। उन्होंने यह लिखा है कि अब तक 8 हजार करोड़ रुपये का अनाज और 5 हजार करोड़ रुपये की नकद सहायता दे चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि जो मिला है उसके लिये आप कहे कि बहुत अच्छा आपने दिया है पर हमारी आवश्यकता इससे ज्यादा है, हमको इससे काम नहीं चलेगा। हम संकट में घिरे हुए हैं, आपकी इस सहायता के लिए आपको धन्यवाद लेकिन आगे की आवश्यकता हमारी इससे और है। हम लेने का प्रयास करें तो हम सब लोगों का भी मन होता है। आप एक तरफ गाली दें और दूसरी तरफ हमसे कहें कि आप मदद करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमने कोई गाली नहीं दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारी बातों को आप जिस तरह से रख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं, कुछ तो ध्यान रखो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, माने न माने, मुझे अपना काम करना है, आप अपना काम करें और अपने अंदर के दिल से करें । नाटकबाजी से राजनीति थोड़े दिन चलेगी, लेकिन हकीकत के आधार पर हमको चलना ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पड़ेगा। जनता इतने सालों तक गुमराह हो सकती है, अगर मेरा दोष है तो मुझे सजा मिलेगी, मिलनी चाहिये, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आडम्बर में हम जनता की पीड़ा को एक तरह से छुपा दें और केवल ढोंगी आंसू बहाकर उसके ऊपर पीड़ा का दर्द जाहिर करें, इससे काम नहीं चलने वाला। हम किस धरातल पर खड़े हैं, इस धरातल के आधार पर ही हमको चलना पड़ेगा। अगर आपका प्रशासनिक काम बहुत अच्छा था तो जिस प्रकार से लोग दुःखी हुए मौत से मरे या नहीं मरे वह तो मैं अभी बताऊंगा, आपकी जितनी कमेटियां गईं आपने उन कमेटियों को क्यों भेजा? तीन मैम्बर्स जो आपके वरिष्ठ सैक्रेटरी थे, आपने उनको परमेश्वरजी के साथ क्यों भेजा? भेजने के बाद उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी उस फाइंडिंग से यह नहीं निकलता कि ये लोग भूख और कुपोषण से मरे तो फिर आपने नायर साहब को क्यों भेजा? फिर केन्द्र से एक टोली आकर वहां क्यों गई? और उसमें शरद पवार जी ने किस तरह का अपना रिमार्क आपके ऊपर भेजा? मैं उन सब चीजों को आपके सामने लाना चाहता हूं। आप भले ही यह कह सकते हो कि कोई भूख से नहीं मरा, कहते रहो क्योंकि आपका लाभ इसी में है। लेकिन उस गरीब की आत्मा रोती होगी जो आज भी भूखा है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं है। आज भी हजारों लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो आधी रोटी खाकर, पानी पीकर सोते हों। यह हमारे राजस्थान की तकदीर में लिखा है। राजस्थान की जनता के इस दर्द को वही जानता है जो इस दर्द में रहता है। यहां बैठकर केवल अच्छी बातें करने से उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। राज्यपाल महोदय जहां-जहां भी गये उन्होंने तो व्यक्तिगत जाकर उस काम को देखा है। नीचे गांव में जाकर उन्होंने अटेंडेंस ली। आज तक किसी राज्यपाल ने अटेंडेंस ली मजदूरों को खड़ा करके? उनसे कभी पूछा?

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह बार-बार में राज्यपाल महोदय का नाम ले रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इस सब्जैक्ट पर पहले काफी चर्चा हो चुकी इस कारण इसमें कुछ नहीं कहे तो अच्छा रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा हूं जो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें, अगर हमारे प्रशासनिक तंत्र में कमजोरी है, और उन्होंने इसको इंगित किया, तो हमारा धर्म बनता है कि उनके प्रति सम्मान रखते हुए हम उसको ठीक करें। उन्होंने किसी प्रकार से कोई चीज हमको इंगित की है तो हम निश्चित रूप से उसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं, इन सब बातों से आप लोग भले ही कितना ही अपने आपको छुपाने की कोशिश करें लेकिन इससे कोई चीज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

छुपने वाली नहीं है। हमारा प्रशासनिक काम अच्छा है तो बहुत अच्छा है। उन सर्टीफिकेट को लेकर आप अपने आप घूमते रहो, उसकी तारीफ करो। क्या यह सच नहीं है कि इस अकाल के कारण से हमारे पशुधन को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं? किसान स्वयं समर्थ नहीं है जिसके पास पशु हैं, इतना महंगा चारा लाकर, आप और मेरे घर में भी अगर पांच पशु हों तो शायद उसको रोजाना इतने पैसे का चारा लाकर मैं भी नहीं खिला सकता। एक न एक दिन मेरी सीमा आएगी जब मेरा दम टूट जाएगा। मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या अपने जानवरों का पालूं। फिर भी वह किसान है क्योंकि उसी के आधार पर वह खेती करता है, अपनी सारी सम्पत्ति को गिरवी रखकर भी अपने पशु को बचाने की कोशिश करता है। इस अकाल की जो व्यवस्था आपने की कि इतने फोडर कैम्प खोले, आपने जितना चारा वितरण किया उसका मैथेमेटिक कैलकुलेशन निकालो, आपके चारा वितरण के इतने केन्द्र हैं, इतने चले, इतना हुआ और इसमें जितने फोडर का आपने अनुदान दिया उसका भाग देकर निकालो तो मुश्किल से 10 क्विंटल आता है एक का। अगर सब दिन मानूं तो, कुछ देर से खुले होंगे, कुछ जल्दी खुले होंगे, अवधि का अंतर होगा। कोई 50 दिन से होगा कोई 40 दिन से, लेकिन क्या केवल इस 10 क्विंटल चारे से आपका पशुधन बच सकता है? पता नहीं इस मुल्क का कोई दुर्भाग्य ही है कि सब्सिडी घोषित की उसके पहले जो चारा आपको डेढ़–पौने दो रुपये में मिलता था, आपने घोषित करके जैसे ही लाना शुरू किया, एक सप्ताह में 3.25 रुपये पर जाकर अटक गया। उसके कारण से किस प्रकार से किसान का दम घुट रहा है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? हजारों पशु मरे हैं, आप सब लोगों के ध्यान में होगा। अपने क्षेत्र में जब घूमते हैं, या तो आप आंख से देखना नहीं चाहते या हम हकीकत को स्वीकार करना नहीं चाहते। क्या जैसलमेर का आपके पास नहीं आया जहां हजारों मरे हुए पशुओं की फोटो को मीडिया ने प्रचारित किया? क्या ट्रकों में जानवरों की हड्डियों को ले जाते हुए लोगों ने नहीं देखा? क्या सड़क के किनारे लाशों को नहीं देखा? क्या हमारी भेड़ें जो रास्ते में जाती हैं, ये सैकड़ों की तादाद में नहीं मरती हैं? मरती हैं लेकिन हम इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसकी व्यवस्था करने के लिये कम से कम प्रत्येक पंचायत में जहां आवश्यक समझते हैं, जो जिले ऐसे हैं जहां अभी भी फोडर की व्यवस्था है उनको छोड़ दीजिए, जो बाकी जिले हैं कम से कम एक पंचायत में एक डिपो खुलेगा तब तो आदमी लाकर जैसे–तैसे उसको करेगा। और इसकी रेट के बारे में भी आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिये कि इस रेट से होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कि भूख से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मौत नहीं हुई। मैं यह थोड़ी–सी बात आपके सामने रख रहा हूं, यह भारत सरकार का निष्कर्ष है कि राजस्थान में पिछले एक माह में 12 बच्चों सहित 20 लोगों की भूख के कारण और घास खाने से मौत हुई है। उसके बाद फिर 24 अक्टूबर को शाहबाद तहसील में भूख एवं कुपोषण से होने वाली मौतों के लिये सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। क्या 31 अक्टूबर को पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी अनिल बोरदिया ने एन.जी.ओ. के प्रमुख के रूप में क्षेत्र का दौरा करके इसके बारे में अपनी रिपोर्ट नहीं दी कि मौत के लिये सरकार दोषी है, भले ही भूख से हो या कुपोषण से? जांच में पाया कि 15 हजार सहरिया परिवारों में से केवल 1/6 परिवारों को काम है। उसके बाद आपने नायर साहब को क्यों लगाया जब एक बार परमेश्वर जी और इनकी कमेटी थी, कि मौत भूख से नहीं आधी, भूख से हुई? आपका और हमारा बच्चा तो नहीं मरता है क्योंकि उसको पर्याप्त खाने को मिलता है। भगवान भी गरीब के ऊपर ही कहर डालता है। भूख से मरे, कुपोषण से मरे, कुछ भी हो, बीमारी भी हटे–कट्टे को नहीं लगती, जो कमजोर होता जाता है बीमारी उसी पर प्रहार करती है। इसलिए उस दिन की दो रोटी उसके लिए बहुत बड़ा सबब बन जाती है। लेकिन पिछले एक महीने से आधा पेट रहा, इसके बारे में कोई सबूत उसके पास नहीं है, वह अपने दु:ख को जाकर कहां रोये? मैं सोचना हूं कि इसके बारे में आपने जिस रिपोर्ट के बारे में कहा, उस रिपोर्ट को आप स्वयं देखें तो आपको लगेगा कि तीन–तीन मैम्बर्स की जो कमेटी बनाई थी इस कमेटी के वर्शन से क्या अभिप्राय निकलता है। मैं सोचता हूं शायद यह रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। The district administration has been ensured the availability of job and food, यह कहने की उस कमेटी को जरूरत क्या थी? एक, दूसरा उसने दिया–To provide nutrition, supplementation of children and women through Angan Bari. More centres may be started in the Saharia Bastis as required. फिर लिखा है–To provide employment to the rural people in each village particularly in Saharia areas. This can be achieved by opening of the famine relief works in each village and ensure timely payment to the labour. फिर इसके बाद–In the Saharia area villages visited, the percentage of people who have been selected old age pension is said to be much less then other villages or communities. यह सब किस बात की निशानी है कि वास्तव में हम उसका प्रबंधन नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर सके? यह परमेश चन्द्र जी की रिपोर्ट है यह इस बात को इंगित नहीं करती क्या कि ये जितनी भी मौतें हुई हैं–चाहे भूख से, चाहे आधे भोजन से कहो, चाहे कम खाने से कहो, कमजोर होने से कहो, लेकिन मौत हुई? उस मौत के लिए क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं आती? मैं सोचता हूं आपके ध्यान में आया होगा, जिनपुर तहसील जो सिवाना की है, एक ही परिवार के 13 लोग पिछले तीन महीनों में मरे। इसकी रिपोर्ट तहसील से कलक्टर को...(व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : कोई भूख से नहीं मरा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं अगर वह मृत्यु...(व्यवधान) मैं नाम पढ़ देता हूं इनमें से कोई... (व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, भाजपा के सारे कार्यकर्ता गये थे, जिन्दा बैठे हैं उनको भी मृत्यु में बता दिया। आज वे वहां पर मौजूद हैं, एक भी भूख से नहीं मरा वहां पर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उनमें से एक भी नहीं मरा तो मुझे बहुत खुशी है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): कल मैंने डैथ सर्टिफिकेट पेश किये, पंचायत ने दिये हैं, वे गलत हैं क्या (व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल : पांच साल पहले जो मरे हैं उनके डैथ सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो, उससे क्या लेना–देना? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : तो यह अभी क्यों बनाया? (व्यवधान)

श्री गोपाराम मेघवाल : 5 साल पहले मरे हुए को भी आपने लिस्ट में शामिल किया है, टी.बी. की बीमारी से वह मरा है। (व्यवधान)

श्री संभापति : माननीय सदस्य...

श्री गोपाराम मेघवाल : टी.बी. की बीमारी से मरा है फिर भी आप भूख से मरने की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर डैथ सर्टिफिकेट देने वाले ने इसके बारे में गलती की है तो उसको सजा दीजिए और अगर सच्चाई है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री गोपाराम मेघवाल : 5 साल पहले डैथ हुई थी उसको आप अभी अकाल से, भूख से बता रहे हैं। टी. बी. का इलाज कराया गुजरात जाकर उसके प्रमाण पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : तो ये असत्य सर्टिफिकेट 12वें महीने में क्यों दिये गए? जांच कराएं, मैंने यह कल कहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : 5 साल पहले के ये असत्य सर्टिफिकेट दिये तो क्यों दिए, जांच कराएं। मैंने यह कहा था, इसकी जाचं कराए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 8 साल होने को हैं, 8 साल। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने सदन की परम्परा रही है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो सरकार को आगे बढ़कर यहां विधान सभा में विधायकों की समिति बनानी चाहिए। विधायकों की समिति बनाकर जांच करा लीजिए आप में हिम्मत हो तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : हमारी सरकार में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप राजनीति कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए। यह सदन की बहुत अच्छी परम्परा रही है कि...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया कि यह जो घटना घटी है...(व्यवधान) उसकी जांच करा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच करा दीजिए।

श्री अमराराम चौधरी : जांच कराने के बाद सजा दो उनके खिलाफ, फौजदारी मुकदमा दर्ज कराओ। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा): सभापति महोदय, कैलादेवी की... (व्यवधान) अकाल से मरना बताया था और धरना दिया था बी.जे.पी. वालों ने...(व्यवधान) यह कहा हमें कि बड़ी शर्म की बात है, एम.एल.ए. साहब, धरना हटा दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। (व्यवधान) मैंने कल भी कहा था जांच कराओ। आपको जांच करानी चाहिए। भूख से मर गये, यह सर्टिफिकेट है, पंचायत का है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान) इस अकाल में मरना ही दुश्वार हो गया। कैलादेवी में जहां पर इतना प्रसाद मिलता है, हार्ट पेशेंट को धरने पर बिठा दिया। (व्यवधान) एक घंटे के बाद वह मर गयी। (व्यवधान) बड़े शर्म की बात है। कैलादेवी को सम्भालना ही मुश्किल हो गया बी.जे.पी. वालों को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको वापस वहीं चुनाव में जाना है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : मैं बिलकुल सही बोल रही हूं। (व्यवधान) उसी हौसले से जाएंगे।

श्री अमराराम चौधरी : हम तो कह रहे हैं न्याय के लिए आप...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : भूख से कहना गलत है। (व्यवधान) कैलादेवी की स्थिति सम्भालना आप लोगों के बस का नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको नहीं बैठना है क्या? (व्यवधान) आपको बैठंना है कि नहीं, यह बता दीजिए। बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावंत (खानपुर): उसके घर वालों से कहते हैं कि हम आपको तीस हजार रुपये देंगे, भूख से मरना कह दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार को प्रताड़ना दीजिए। लोग लगातार भूख से मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्रीजी दीपावली के दिन उस एरिया में क्या लेने गए थे? (व्यवधान) उनके यहां जिनके घरों में मौत हो गई है, वहां पर इनको दीपावली मनाना सूझ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : लोग भूख से मरे रहे हैं। (व्यवधान) पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है, अशोकजी गहलोत दीपावली मनाने जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर): इनका प्रधानमंत्री एक दिन भी राजस्थान को देखने आया क्या? (व्यवधान) प्रधानमंत्री के पास मनाली में छुटिट्यां बिताने के लिए समय है, राजस्थान के लिए एक दिन का भी समय नहीं है उनके पास। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घरों में मौत हो गई, इनको आंनद आता है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : फिर वह कहते हैं कि राजस्थान के लिए मदद कर रहे हैं। (व्यवधान) प्रधानमंत्री एक दिन भी राजस्थान देखने के लिए आये क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मनाली में छुट्टियां बितानें के लिए उनके पास समय है, गोवा में जाने के लिए समय है, राजस्थान में आने को समय नहीं है। (व्यवधान) डीजल और खाद के भाव बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने किसानों की हालत बरबाद कर दी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री) : व्यासजी, एक मिनट। (व्यवधान) मैं तो बोलता ही नहीं, (व्यवधान) आप तो बोलते हो। उन्हीं के रेफरेंस से बोल रहा हूं। (व्यवधान)उन्होंने परमीशन दी है मुझे। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय की बातें मैं बहुत गौर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

से सुन रहा था। (व्यवधान) नहीं सुन रहा था क्या? मैं तो बोलता ही नहीं हूं, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही कि 13 व्यक्तियों की बाड़मेर में जिस गांव का नाम लिया वहां पर मौत हुई। (व्यवधान) बाड़मेर जिला बोला। उनके कहते ही सिवाना के माननीय सदस्य ने जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में गांव आता है, इस बात का विरोध किया। सभापति महोदय, मैं इस सदन का सदस्य हूं, और हम साथी लोग सदन के सदस्य हैं, हम यहां पर कहें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय बहुत जिम्मेदार.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : चौधरी साहब और सभापतिजी, हम तो मांग कर रहे हैं कि सदन की एक कमेटी बना दो, जांच करा दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान) जांच की बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हिम्मत है तो जांच कराइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हिम्मत है तो बनाओ ना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कमेटी क्यों नहीं बनाते? (व्यवधान) असत्य सामने आ जाएगा।

श्री सोहन नायक : जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आवश्यकता तो है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : सभापति महोदय, असत्य तथ्यों की जांच की क्या आवश्यकता है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात उठाई गयी है।

श्री सोहन नायक : असत्य तथ्यों की जांच क्या होगी? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कल भी उठाई है हमारे माननीय सदस्य ने। आप जांच से क्यों कतरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : असत्य तथ्यों की क्या जांच होगी? जो अपने आपमें असत्य तथ्य हैं उनकी क्या जांच होगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कतरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बड़ी जिम्मेदारी से यह बात उठाई है, आप क्यों कतरा रहे हैं? सदन की कमेटी बना दीज़िए। अगर गलत सर्टिफिकेट है, उनको दण्ड दीजिए। (व्यवधान) जांच हो जाएगी ना उसकी...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मरे ही नहीं उसकी जांच क्या होगी? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आफिसर लोग जांच नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : जो काम ही नहीं हुआ उसकी जांच क्या कराओगे... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कमेटी जांच करेगी। (व्यवधान) अफसर लोगों से जांच नहीं होगी अगर सरकार में हिम्मत है तो सदन की कमेटी बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी करे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, राज्य की जनता देख रही है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है, जब भूख से मौत नहीं हुई? (व्यवधान)

(21:00 बजे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, ये डैथ सर्टिफिकेट पंचायतों ने दिये हैं, सरपंच कांग्रेस के हैं उन्होंने डैथ सर्टिफिकेट दिये हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य अमरारामजी कह रहे हैं कि डैथ के जो प्रमाण-पत्र हैं वे पंचायतों ने दिये हैं और पंचायतें कांग्रेस की हैं उन्होंने दिये हैं, इसकी जांच करवाएं । कमेटी जो बनेगी वह सदन के सदस्यों की बनाएं न कि अफसरों की। चौधरी साहब जो कह रहे हैं, हम भी दावे के साथ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अभी मैंने कुछ कहा नहीं। मुझे बोलने तो दें। आहूजा साहब, आप रोज बोलते हैं, मैं कोई बात कह रहा हूं सुने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 80 लोगों की सूची तो मैंने सदन के पटल पर रखी है और ऐसे सैकड़ों लोग और हैं जिनकी सूची...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि जिस समाचार की बात कर रहे हैं 13 व्यक्तियों की मृत्यु की, मैं स्वयं उस दिन बाड़मेर में था। राजस्थान के एक बड़े समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ, दूसरे दिन ही राजस्थान के दूसरे बड़े समाचार पत्र, "राजस्थान-पत्रिका" का नाम लेना चाहूंगा, उसने स्पष्ट तौर पर इस खबर का खण्डन किया। उसमें तथ्यात्मक बात यह हुई कि उसमें एक व्यक्ति की जो मौत का जिक्र किया गया था 13 में से, 5 वर्ष पहले उसकी टी.बी. की बीमारी से मृत्यु हुई थी। दूसरा जिस बालिका की, जिस बच्चे की मौत की बात है, वह बच्ची वहां पर जिन्दा थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान) हम प्रतिपक्ष में रहे हैं, मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से बात नहीं कह रहा हूं केवल यह बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक तोलाराम जिसने आत्महत्या की थी ... (व्यवधान) एक मंत्री कह रहे थे तोलाराम का परिवार मालपुए खा रहा था, मालपुए खा रहा था तोलाराम का परिवार?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाचार पत्र में यह गलत खबर छपी थी तथ्यों के विपरीत, उसके जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इंचार्ज हैं बालोतरा के, वे स्वयं मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि, चौधरी साहब, यह बहुत ही गलत समाचार छप गया और सम्वाददाता ने गलत खबर दे दी, इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई। यह बात है।

श्री मदन दिलावर : सरकार के मंत्रियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा, तौलाराम का परिवार मालपुए खा रहा था (व्यवधान) शर्म नहीं आती इनको।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, पी. यू. सी. एल. की जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई उस पिटीशन के अन्दर डाक्टर एल. सी. सक्सैना की फर्स्ट रिपोर्ट है। ये बाड़मेर का सही कह रहे होंगे, हो सकता है गलत हो, यह आरोप की बात है, लेकिन बारां की और कोटा की स्टारवेशन और मैल न्यूट्रीशन की डैथ की उस रिपोर्ट के अन्दर है। इसलिये इसमें कोई जांच की जरूरत ही नहीं है, यह तो प्रमाणित है। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट रिपोर्ट है कमिश्नर की।

श्री संयम लोढ़ा : रिपोर्ट में गलत तथ्य पेश किये गये होंगे। गलत तथ्य पेश किये गये होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सही तथ्य पेश नहीं किये होंगे।

श्री सभापति : छोड़ो, अब छोड़ो यह बात।

श्री सोहन नायक : गलत तथ्य पेश किये होंगे उसका क्या कर सकते हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा : सुप्रीम कोर्ट ने कोई हमारा पक्ष सुना क्या?

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से इंटरप्शन करने से और आपकी पार्टी के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, जबकि सदन के प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, तब यह सदन चलेगा क्या? हमारी परम्परा रही है, सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो कोई भी सदस्य उसमें व्यवधान नहीं डालता है, एक बात। (व्यवधान) आप यह कहते हैं कि हमने रिबट किया। हमारे मंत्री महोदय बहुत सक्षम हैं उस बात को कहने के लिये। बारबार इनकार कर चुके हैं कि यह मौत वाली खबर असत्य है। उसके बाद में ये सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिये। इसलिये माननीय सदस्य, जब तक प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपनी बात खतम नहीं करें, आप शांति से रहे। आप व्यवधान न डाले, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मंत्री बोल रहे थे तब नेता बोल रहे थे पार्टी के।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अगर मान लें जो तथ्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं रख रहा हूं वे गलत हैं तो जांच करवा लें। मैंने भी इस विषय को रखा तो मृत्यु प्रमाण–पत्र साथ में है, उसके आधार पर मैंने रखा।

श्री सभापति : अब छोड़ो न उस बात को, कटारिया साहब, छोड़ो उस बात को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसकी जांच करवा लें, जांच करवाने के बाद आपको ये तथ्य सही प्रमाणित होते हैं या फिर जो डैथ सर्टिफिकेट दिया किसी न किसी का तो दोष है, मैं समझता हूं इसकी आप जांच करा लें।

श्री सभापति : कटारिया साहब, आप इस प्रकारण को छोड़ दें, आगे चले। इसको छोड़ दें, आगे चलिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कई बार हम कहते हैं कि हमारा अकाल प्रबन्धन इतना है कि कहीं कोई घपला है ही नहीं। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा काम है, कई कमियां भी रहेंगी। रह सकती हैं, किसी एक व्यक्ति का दोष मैं नहीं मानता हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था में कई इस प्रकार के एलीमेंट भी हो सकते हैं जिनके कारण से हमको इस प्रकार के लांछन लगते हैं। मैं केवल आपको ध्यान दिला रहा हूं कि उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद उसको दोषी पाया। उसके बाद भी जब कार्यवाही दब जाती है तो लोगों को अखरता है। टोडाभीम तहसील करौली का एक केस रख रहा हूं, दो मस्टररोल हैं। ये दोनों, 9, 10 और 11 तारीख के हैं। और दोनों में सेम वही मजदूर हैं। 9 व 10 में यहां भी दस्तखत हैं और दोनों की पंचायत समिति भिन्न है। एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति भिन्न है, इस केस की आप जांच करवाएं। और जांच हो चुकी है, जांच होने के बाद इसको माना कि यह गलत हुआ। लेकिन जिसके खिलाफ कार्यवाही होनी थी, जिस सरपंच ने इस प्रकार मस्टररोल भरकर यह जो फर्जी काम किया उसके खिलाफ एक्शन होना था, वह एक्शन नहीं हुआ। वह एक्शन निश्चित रूप से हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो गलतियां हमारे ध्यान में आती हैं इनको हम किसी तरह से कम कर सकें। इसी तरह से आपका बांदीकुई का बसवा का मस्टर रोल का है। यह भी ए.डी.एम. ने जांच की है, जांच होने के बाद उसको दोषी माना। दोषी मानने के बाद भी उसको दफ्तर–दाखिल, एक तरह से फाइल को डम्प करके पटक दिया। उसके कारण से जिसका दोष था उसको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिली। इसी तरह से...

श्री सभापति : ये सब मामले आप मंत्री महोदय को दे दें, जांच करा लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह वास्तव में भेदभाव कौन कर रहा है, नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहा है, आप चाहे तो नाम सहित, पंचायत सहित बता दूं। मस्टररोल सरपंच को देते हैं, ऋषभदेव, खैरवाड़ा पंचायत समिति में सरपंच को न देकर वहां किसी कांग्रेस के पदाधिकारी को दिया। मैं एक एक का नाम पढ़ सकता हूं। मैं इन सारी चीजों की डिटेल लेकर आया हूं कि किस तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर रहा है। उस राजनीतिकरण के बारे में आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से। यह जो वासेला गांव है कोटड़ा का, इसमें आपने 250, यह भूख से क्यों मरते हैं, अभी यहां एम.एल.ए. साहब हमारे बैठे होंगे उसमें 20 लोगों को रोजगार दे रखा है। इसी तरह से सावा नहक, क्यारा, 300 परिवार हैं, 20 लोग, कोटड़ा इस दृष्टि से हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी तरह से मथासरा गांव है, 140 परिवार में से केवल 20 लोगों को रोजगार है। इस तरह से जो हमने रोजगार की व्यवस्था की वह भी कोटड़ जैसे क्षेत्र में, कैसे वहां के लोग इस अकाल का मुकाबला कर सकेंगे? गुड़िया पंचायत कोटड़ा है, इसका है। अभी मस्टररोल था तो लोगों ने आपस में कुल्हाड़ी से एक-दूसरे पर वार किया और उसके कारण से 4 लोग घायल हो गये। काम जब प्रारम्भ होता है तो सैकड़ों की सख्या में लोग आते हैं और जब उनको रोजगार पर नहीं लगाया जाता है तो आपस में लड़-भिड़ते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि झाड़ौल में दोनों दलों के बीच में घोपण से लड़ाई हुई, पत्थर-बाजी हुई दोनों में और 4 लोग उसमें घायल हुए। इसका मतलब, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाह रहा हूं कि जनता को जितना काम चाहिए उतना काम हम दिला नहीं पा रहे हैं। उस मांग के एवज में जितनी हमारी आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से यह जो ऋषभेदव का सरपंच है नानालाल अहारी, आप पता करना इसको। मस्टररोल इसको नहीं मिले हैं ये मिले उप प्रधान जयप्रकाश को। इसी तरह से घड़ावत पंचायत का सरपंच है रूपलाल मीणा, इसको नहीं मिला, पूर्व सरपंच सुन्दरलाल को मस्टररोल दिये गये ताकि वह मजदूरों को लगाए। इसी तरह से कानूवाड़ा में सरपंच है होमली देवी, लेकिन यहां पूर्व प्रधान मानसिंह को मस्टररोल दिये गये। यह जो मस्टररोल देने का क्रम है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी तरह से कागधर पंचायत का सरपंच है लक्ष्मण मीणा, इसमें पूर्व सरपंच के पति मंगल सिंह को दिया। ये सारे के सारे तथ्य मैं बिलकुल प्रमाण के साथ दे रहा हूं। इसी तरह से मस्टररोल में नाम किसके लिखे जाएं, अगर आप जांच करेंगे तो कई ऐसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परिवार हैं जो घूम-घूम कर उन्हीं के परिवार के लोग लग जाते हैं। कभी पिता लगता है, कभी लड़का लग जाता है, कभी पत्नी लगती है कभी उसकी बहू लग जाती है। जिन लोगों को जरूरत है सूची के अनुसार, हम चाहते हैं कि एक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार मिले ताकि ढंग से हो। इस तरह के केसेज जो आपके सामने आये हैं, आपने देखा होगा अभी आमेट में, आमेट में तो भ्रष्टाचार ब्यूरो ने छापा मारा। भ्रष्टाचार ब्यूरो ने जाकर...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नेता प्रतिपक्ष से मैं यह अनुरोध करूंगा कि एक-एक की डिटेल में न जाकर जितनी उनके पास में इस प्रकार की जानकारी है मुझे उपलब्ध करवाएं। जानकारी करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है। इसी तरह से भ्रष्टाचार ब्यूरो ने...

श्री सभापति : भाटी साहब। माननीय भाटी साहब, बिराजिये, बोलिये मत। आपके नेता बोल रहे हैं, कुछ तो ध्यान रखे आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार ब्यूरो ने अपने आमेट में एक कितावास पंचायत है उस कितावास में खारी बावड़ी गांव में चलते हुए काम उन्होंने जाकर काम किया। उसमें उन्होंने लिखा कि 51 श्रमिकों में से 16 श्रमिक तो कहीं और जगह किसी के व्यक्तिगत काम कर रहे थे और 11 इसमें एब्सेंट थे। उन्होंने पूरा का पूरा बना कर दिया है। ये सब बातें हैं, इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए और यह इम्प्रैशन नहीं देना चाहिए कि कहीं कोई अनियमितताएं हैं ही नहीं। अपना पल्ला झाड़ने के लिए सबको बरी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे नीचे भी कोई काम में किसी ने गलती की है तो उसे उसकी गलती का दण्ड मिलना चाहिए। उसको हमें बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे कुछ सुझाव हैं जिनके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

राजस्थान और अकाल का सम्बन्ध बहुत लम्बे वर्षों का है। 56 साल में लगभग 30-35 साल अकाल आया। स्थाई हल के बारे में यहां चर्चा जरूर होती है और उस दिन कुछ सुझाव भी आते हैं, लेकिन उस पर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की कि इस अकाल से मुकाबले के लिए रास्ता क्या है। मेरी समझ में जो आया है वह मैं ना चाहता हूं कि कम से कम जिन नदियों में, नालों में चार महीने का पानी बहता रहता है, हमको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बड़े तालाब बनाने की बात छोड़ देनी चाहिए। इन बड़े बांधों को बनाकर नदी बैल्ट को हमने सूखा छोड़ दिया, उसके कारण से 100 किलोमीटर तक के लोग तबाह हो गये। और केवल 10-20 क़िलोमीटर में लोगों को पानी देकर उनको सरसब्ज कर दिया। हम सरप्लस वाटर हो जो समुद्र में जाकर गिरता हो, उसे रोके तो समझ में आ सकता है लेकिन हम एक का छीन कर दूसरे को देकर यह सोचे कि हमने बहुत बड़ा सौ करोड़ का प्रोजैक्ट बना दिया, यह राजस्थान के लिए उपयोगी नहीं है। राजस्थान की जो नदियां हैं या नाले हैं, उनमें हम एनीकट लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करें ताकि उस गांव की पानी की जो आवश्यकता है या सेजा है वह किसी प्रकार से बने सके तब तो हल हो सकेगा।

एक बात जो आपसे भी सम्बन्धित है और केन्द्र सरकार से भी है। अकाल का बहुत बड़ा कारण, हमारा जंगल जिस ढंग से साफ हुआ है इस जंगल को हम जब तक नहीं बचा सकते हैं, लाख अरावली प्रोजैक्ट बना दो और लाख जापान से ले आओ, जर्मनी से पैसा ले आओ, खर्च कर दो और उसके बाद कहो कि हमने एक 200 करोड़ रुपये की योजना बना दी, 300 करोड़ रुपये की बना दी, कुछ नहीं है। पेड़ एक भी नहीं है, मन खुश करने के लिए भले ही इन आंकड़ों को लिये घूमे-फिरे। कहीं दस-बीस जगह पर पेड़ लग गये होंगे, दस-पांच हैक्टेयर पर लग गये होंगे, उसके कारण से नहीं होगा। इस समस्या का स्थाई हल तो तब ही होगा, जैसे हम जमीन का खातेदारी हक देते हैं, वैसे ही उस क्षेत्र में जो जंगल में रह रहा है उसको हम वन का खातेदारी हक देने के लिए प्रयासरत रहे। आज नहीं हो, 20 साल बाद इसको दे पाएंगे लेकिन जो उस जंगल में रहता है उसको हम जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जंगल को डवलप करने के लिए भी मदद करके जंगल दें। फिर हम जिस प्रकार से माइन्स की रॉयल्टी लेते हैं, उसी प्रकार से रॉयल्टी लेकर उसके और उसके परिवार को जिन्दगी भर तक का साधन दें तब जाकर हम जंगलों को बचा सकेंगे। जब तक जंगल नहीं बचेंगे तब तक यही स्थिति बारिश की हमारे यहां राजस्थान में होगी। पहले से ही आधा रेगिस्तानी हिस्सा हमारे साथ है। और थोड़ा कुछ जो बचा था पहाड़ी, जिसमें पेड़ों के कारण बारिश होकर हम लोगों की स्थिति ठीक होती थी, वह भी धीरे-धीरे जाकर बिलकुल समाप्त हो गया। जितने एनीकट लगाते हैं, हम चाहे यहां ढलान में पानी लगाते हैं, उसका भी ज्यादा उपयोग नहीं है। बहने वाले बेरे में जैसे सद्‌गुरू फाउंडेशन, कुशलगढ़ में बनाया, उन्होंने एक ही नदी पर दस एनीकट बनाये। आप जाकर देखो,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चार किलोमीटर तक आपको नदी के पेटे में पानी भरा हुआ दिखता है। ऐसे ही जो-जो नाले हैं, जो बहुत अधिक पैसा लगाते हैं, हम दस-दस लाख में, पन्द्रह-पन्द्रह लाख में अगर 20 एनीकट उस नदी के पेटे में लगा दें तो जमीन वेस्ट नहीं होगी और न कुछ होगा और दस किलोमीटर तक उसके अन्दर जो पानी भरा रहेगा उससे सेजा बनेगा और सेजा बनने से उस गांव का स्थाई हल होगा। हम केवल नहरों की सिंचाई के बारे में सोचते हैं, नहरों की सिंचाई के लिए राजस्थान की कुछ नदियां उपयोगी हो सकती हैं लेकिन हर जगह नहरों से सिंचाई कभी उपयोगी नहीं है। हमको तो जमीन के अन्दर से पानी निकाल कर सिंचाई करके अपने आपको जिन्दा रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम अपनी सारी योजनाएं बनाएं जलदाय मंत्रीजी, पानी की जिस प्रकार की समस्या है, और आगे आने वाली है, इस समस्या को सोचकर मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी आपको कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि इस संकट के समय में हर घर के बाहर ही हम कोई पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं। एक बस्ती में कोई स्थाई अण्डरग्राउण्ड वाटर कैसे भी निकाल कर उपलब्ध करा दें, उसमें अगर हमारा 60 हजार, एक लाख खर्च हो जाएगा तो उस गांव को पानी मिल जाएगा। टैंकर से पानी सप्लाई करना, यह पता नहीं किसकी बुद्धि में आया? टैंकर पहले जाकर बावड़ी में खाली करता है, फिर बावड़ी से पंम्प करते हैं। अब यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है कि टैंकर से बावड़ियां भरी जाती हैं और बावड़ी में डालने के बाद पम्प चलाकर फिर हम अपनी टंकी भरते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि बस्ती में ही आप अपना टैंकर भेज दें। राशन कार्ड बनाना हो तो राशन कार्ड बना दीजिए, जिस हिसाब से हो सकता है उसे बना दीजिए। लेकिन फालतू गोगुन्दा में आप 18 टैंकर रोज डाल रहे हैं, पिछले चार महीनों से, जाकर देखो तो सही। 18 टैंकर कब जाते हैं और कब वह 18 टैंकर भरता है या नहीं। छोटी-छोटी कमियों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था होती है, इसके बारे में विचार करें। मेरा कहना तो यह है कि कोई परमानेंट सोर्स हमको मिलता है, चाहे वह आधा किलोमीटर दूर से मिले, हम आधा किलोमीटर की लाइन डालकर भी गांव में टोंटी लाकर खड़ी कर देंगे एक टंकी में और उसके दस टोंटी लगा देंगे तो वह हमारी समस्या का हल होगा, बनिस्बत इसके कि हम टैंकर लाकर चार महीने, छह महीने तक इस सारे खर्च को करें। कौन इसका हिसाब रखेगा? यही कुछ ऐसे अवसर हैं जिन पर बेईमानी के ज्यादा अवसर नजर आते हैं। उनको हम अगर रोकें तब तो हम निश्चित रूप से कर सकेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं, एक तो इस बात को आप छोड़ो कि हमको केन्द्र मदद नहीं देता। मैंने सारे आंकड़े रखे हैं उससे मेरे मन में संतोष है कि केन्द्र ने भरपूर मदद की। फिर भी अगर हमारी आवश्यकता के हिसाब से कम पड़ता है तो हम और अधिक लेने का प्रयास करें। लेकिन रोज गाली देकर लेने का। जो भी खड़ा हुआ उसने एक ने भी नहीं कहा कि वे आपको ट्रेन से पानी भेज रहे हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगता। आपने किसी ने भी नहीं। आपको कहा कि हम डीजल फ्री दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं। आपको इतना अनाज दिया, कुछ नहीं। आपको तो यह लगता है कि यह तो उनकी जिम्मेदारी है ही। जितनी जिम्मेदारी उनको कानून के तहत है वह तो वह दे ही रहे हैं। यह तो उसके अतिरिक्त दे रहे हैं जो सारे हिन्दुस्तान को देखते हुए देते हैं। यह जो बारबार भेदभाव की बात है, मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि अनर्गल आरोप लगाते हैं। आज आप स्पष्ट कर देना कि इन 14 राज्यों के अन्दर अकाल यह था, यह मदद उनको की। इसमें हम कह सकते हैं भेदभाव कि यह हमारे साथ भेदभाव हुआ। तब तो हमारे मन में संतोष होगा कि केन्द्र ने हमारे साथ भेदभाव किया। बिना किसी कारण से, बिना कोई आधार के हम इस प्रकार के आरोप लगा दें। केन्द्र सरकार का जो कुछ भी मन बनता है, आज दिन तक मैं सोचता हूं कि जितनी मदद उन्होंने करने की कोशिश की, हम आगे और मदद लेंगे और सामूहिक रूप से अगर आंध्र प्रदेश प्रस्ताव पास कर सकता है तो क्या राजस्थान की असैम्बली नहीं कर सकती? आखिर राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता जिस अकाल से जूझ रही है, सच तो यह है कि हम सब लोगों को कहीं भी एक बार ट्यूर पर ले जाकर एक-एक गांव के अन्दर दर्शन करा दो कि वास्तव में उसके घर के बर्तन ये हैं और उसके बर्तन में क्या चीज है। यह अगर आप देखेंगे तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी। 56 साल आजादी के बाद भी हम उसको लंगोटी नहीं दे पाये। हम भले ही यहां कितनी भी नेतागीरी करें, कितने ही बड़े लीडर बन जाएं लेकिन आज भी 20 परसेंट लोग ऐसे हैं, राजस्थान में, जिनको दो जून की रोटी नहीं मिलती। सवेरे की मिलती है तो शाम की कितनी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अकाल न पड़े तो भी उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे राज्य के हम लोग हैं और हम उनके जन-प्रतिनिधि बहस करके विषय को इधर से उधर घुमा देते हैं। मैं सोचता हूं कि अपने मन को हम धोखा देते हैं। हकीकत के आधार पर पक्ष और विपक्ष जब चुनाव के दंगल में उतरेंगे, कोई हारेगा, जीतेगा, हो जाएगा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो होना होगा, लेकिन कम से कम प्रदेश को सही दिशा में लेकर जाने की दृष्टि से हम सही सोच रखे। जो ठीक है उसको स्वीकार करें और जो गलत है उसकी आलोचना करें, तब जाकर हम लोकतंत्र को सही ढंग से खड़ा कर सकेंगे। हम 55-56 साल बहस करते रहे हमारे आने वाली औलाद भी इसी तरह से बहस करके लोगों का भला नहीं कर सकेगी, उस गरीब का भला नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मुख्य मंत्रीजी, रोज-रोज जिस प्रकार की चर्चा होती है, इस चर्चा को बंद करके इस भयंकरतम अकाल में हम आप सब मिलकर यह सोचे कि किस प्रकार से राजस्थान की जनता को राहत पहुंचा सकें। वास्तव में जब तक हम एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देंगे तब तक उसको भूख से मरने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। आप आंकड़े कुछ देना, मैं कुछ और दूंगा, रोज यही चलता रहेगा लेकिन उसको भरपेट रोटी तो तभी मिलेगी जब वह मेहनत करके खाना चाहता है, भीख मांग कर नहीं खाना चाहता है। यानि राजस्थान का आदमी इतना स्वाभिमानी तो है कि वह मेहनत करके पेट भरना चाहता है। इस संकट के समय में क्या हमारा फर्ज नहीं है? हम दुनियाभर का कर्जा लेकर अपने काम चलाते हैं, राजस्थान पर इतना बड़ा संकट आ गया, इस संकट के समय हम राजस्थान के लोग और राजस्थान की सरकार भी अपने बजट में जो कल आने वाला है, क्यों नहीं प्रावधान रख सकते? केन्द्र तो देगा जो देगा, लेकिन हम अपनी ताकत से भी राजस्थान के लोगों की मदद के लिए अपने बजट में प्रावधान रख कर उनकी मदद का कोई न कोई मैसेज दें, तब हमें लगेगा कि वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं। बाकी तो इधर की बातें उधर करके समाप्त करना चाहते हैं। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। एक परिवार से एक व्यक्ति लेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पशुपालन मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था का नहीं है, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री सभापति : आप बिराजिये । कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं और बात नहीं, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं ।

श्री सभापति : फिर कभी करना, आप बिराजिये, राठौड़ साहब, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही है कि मुख्य मंत्रीजी के इशारे पर बारां के विधायक श्री शिवनारायणजी की पिटाई हुई थी, उसके बारे में विपक्ष ...(व्यवधान) वक्तव्य आना था गृह मंत्रीजी का, उसके बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी के इशारे पर बारां के वरिष्ठ विधायक शिवनारायणजी नागर की पिटाई हुई, उसके सम्बन्ध में वक्तव्य आना है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह जानकारी आपको मिलेगी, आप कहेंगे।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : वह आना था। माननीय सभापति महोदय, शिवनारायणजी के साथ मारपीट की।

एक माननीय सदस्य: आज ही जानकारी दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह वक्तव्य कब आएगा?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आसन से व्यवस्था हुई थी कि शिवनारायणजी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सभापति महोदय, उस समय काफी चर्चा हुई थी।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय प्रताप सिहंजी, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।

श्री सभापति : माननीय, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (डेयरी एवं पशुपालन, राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की इतनी महत्वपूर्ण समस्याओं के सम्बन्ध में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय प्रताप सिंहजी, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। व्यवस्था हो गयी न। आज दे देंगे अभी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस सदन में बड़ी गहन और महत्वपूर्ण चर्चा दो दिनों में हुई है और करीब 40 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने भी उसमें अपनी राय जाहिर की है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने पशुधन के संबंध में, उसके रख-रखाव और संवर्द्धन के लिये अपनी चिन्ता जाहिर की है। चिन्ता का विषय भी है। चिन्ता का विषय इसलिए है कि राजस्थान में पशुधन का सकल घरेलू उत्पाद में 19 प्रतिपक्ष का कंट्रीब्यूशन होता है। यह धन सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन वैदिक काल से ही

(श्री हरिसिंह)

माना जाता रहा है। हमारे साहित्यकारों ने कहा है–

"गौ–धन, गज–धन, बाज–धन,
सब धन रत्न खान।"

यानि जो सबसे प्रमुख धन माना जाता है। सबसे पहले धनों की गिनती करते हैं हम गौ–धन की करते हैं, फिर गज–धन की करते हैं, फिर बाज–धन की , घोड़े की करते हैं। बाकी जितने भी धन हैं– जवाहरात हैं, हीरा है, वे बाद में आते हैं। सबसे उत्तम धन हमारी संस्कृति के हिसाब से संतोषधन माना जाता है, लेकिन जो मैटीरियल धन हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो धन माना गया है, वह पशुधन माना गया है। बात है भी सही। यह कोई डैड–स्टॉक नहीं है, यह एक डवलपिंग असैट है। पशुधन एक साल में चाहे गाय हो, भैंस हो, दुगुना हो जाता है। भेड़–बकरी चौगुना हो जातीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : इस दोहे की दूसरी लाइन नहीं पढ़ी आपने।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जी?

श्री सभापति : आपके दोहे की दूसरी लाइन नहीं पढ़ी आपने ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : "गौ–धन, गज–धन, बाज–धन सब ही धन अचल ख़ान और जब आबे संतोष धन, सब धन धूल समान।"

श्री सभापति : हां, यह बात कहो आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने कहा न वह तो कि अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से सर्वोत्तम धन संतोष धन माना गया है। लेकिन जहां हम मैटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं, जहां और धनों की, रत्नों की, जवाहरात की बात करते हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण धन पशुधन है। मैं यह कह रहा था, क्यों है यह? पशुधन इसलिए है कि यह डवलपिंग् है, यह डैड–स्टॉक नहीं है। आप पैसे को बैंक में जमा कर दीजिये, साल भर में दुगुना नहीं होगा। हीरा–जवाहरात साल भर में दुगुना नहीं होगा। लेकिन कोई भी पशु ऐसा नहीं है जो साल भर में दुगना नहीं हो। बहुत से पशु साल भर में चौगुने हो जाते हैं छह गुने हो जाते हैं। भेड़–बकरी तो छह गुने तक हो जाते हैं। इस धन के सम्बन्ध में माननीय विपक्ष के और पक्ष के सभी सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है और राजस्थान के हिसाब से जाहिर की है, वह बहुत ही मैं सराहनीय मानकर चलता हूं।

हिन्दुस्तान आज विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है और हिन्दुस्तान में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले स्टेट्स में राजस्थान सबसे ऊपर है, इसलिए इस स्टेट के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है अपने पशुधन का संरक्षण करना। अब पशुधन के संरक्षण में कई विचार आये। यह विचार आया कि चारे का भाव बहुत तेज हो गया।

(श्री हरिसिंह)

सही बात है, चारे का भाव बहुत तेज हो गया । अगर चारे का भाव तेज नहीं होता तो फिर अकाल ही कहां था, अभाव ही कहां होता ? यह सब समस्या इसलिए है कि अभाव के कारण चारे का भाव तेज हो गया। सरकार ने कोशिश की है इस मामले में पशुपालन की सहायता करने की और कई कदम इस सम्बन्ध में सरकार ने उठाये हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमने चारा उपलब्ध कराने के लिये 4,451 चारा डिपो खोले और उनसे 70 लाख टन चारा वितरित किया है। उसके अलावा बहुत–से एन.जी.ओ., बहुत –से दानदाताओं ने, बहुत –से ट्रस्टों ने, बहुत–से सेठ–साहूकारों ने, बहुत–से राजस्थानियों ने जो बाहर थे, चारा फ्री उपलब्ध करवाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने चारे की कई रेलें फ्री भेजी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी, मध्य प्रदेश के लिये, जिन्होंने हमारे पशुओं को मध्य प्रदेश में चरने की इजाजत दी है। मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे और सेठ साहूकार, दानदाता पशुओं के संरक्षण के लिये आगे आएं केन्द्र सरकार इसके लिये और मदद करे, गौ–शालाओं के लिए मदद दे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पशुधन के सरंक्षण के लिये जो भी मदद करेगा वह बहुत ही धर्म का काम करेगा और उसकी मैं आपसे सराहना करना चाहता हूं। आपसे मैंने निवेदन किया कि हमने चारा डिपो खोले, चारा डिपो में हमने चारा उपलब्ध करवाया, चारा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हमने दूसरा कदम और लिया है। आज केवल चारा उपलब्ध कराने से काम नहीं चलता है पशुधन का। कड़बी हो या तूड़ा हो, उसके खाने से पशुधन जीवित तो रह सकता है, लेकिन उसकी जो प्रजनन शक्ति है वह नहीं रह सकती, उसको दुह भी नहीं सकते। हमने इस बात की कोशिश की कि जो सूखा चारा है, यूरिया और मोलेसेज का ट्रीटमेंट करके उसमें हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। अगर यूरिया और मोलेसेज का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसमें जो प्रोटीन है वह दो–ढाई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार के हमने फ्री डिमांस्ट्रेशन किये हैं, बारह हजार फ्री डिमांस्ट्रेशन किये हैं एक डिमांस्ट्रेशन पर 500 रुपये का खर्च किया जाता है। चार किलो यूरिया फ्री दिया जाता है और 135 रुपये उस आदमी की मजदूरी फ्री दी जाती है। यह काम करते हैं इसकी बड़ी भारी मांग है। इस प्रकार से जो चारा ट्रीट होगा, यूरिया मोलेसेज से, उसमें वह ताकत आएगी सूखे चारे के अन्दर, कि वह पशु को जीवित ही नहीं रखे बल्कि उसकी प्रजनन शक्ति भी बढ़ाए। यह हमने काम किया है।

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

आपने सही बात कही, हमने यूरिया मोलेसेज ब्रिक तैयार करके बांटी हैं। एक ब्रिक जो 22 रुपये की है, हमने 12 रुपये में दी है। यह आर.सी.डी. एफ. से और यूनियन्स के माध्यम से सब्सिडाइज करके दिया है। मिनरल मिक्सचर जो ताकत के लिये होता है, उसको सब्सिडाइज करके दिया है। 28 रुपये का एक किलो आता है, उसको हमने 18 रुपये का दिया है, 10 रुपये की उसमें सब्सिडी दी है। पशु आहार में भी हमने सब्सिडी दी है। ठीक है कि केन्द्र सरकार ने तीस हजार क्विंटल गेहूं देने का वादा किया, लेकिन अभी तक सात हजार क्विंटल गेहूं आया, बाकी आया नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री अजीत सिंह जी आये थे, उनको निवेदन किया था कि अगर आप हमको दे देंगे, डैमेज बीज भी दे देंगे तो हम अपने पशु आहार में कीमत को कम कर देंगे। हमने कीमत कम की भी है। 5 रुपये 40 पैसे के स्थान पर 4 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम पशुपालकों को देते हैं। 65 पैसे कम किये हैं । मैंने उनको यह भी निवेदन किया था कि अगर आपके पास गेहूं उपलब्ध नहीं है, उन्होंने कहा था चावल उपलब्ध है, तो मैंने कहा चावल दे दीजिये हमको। चावल आ जाए और जो रेल का भाड़ा है उसको चारे के हिसाब से हमसे चार्ज करिये । अभी चार्ज करते हैं उसको व्हीट के हिसाब से। आ तो चारे के लिये रहा है वह। उन्होंने कहा भी है कि हम इस पर विचार करेंगे।

मैं इसके साथ-साथ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिन किसानों की चारे खरीदने की क्रम शक्ति नहीं रही है उनको बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। 1359 लाख रुपये का इस सम्बन्ध में ऋण उपलब्ध कराया गया है। आपका कहना ठीक है, जितनी मदद कर सकते हैं, 4 करोड़ 53 लाख पशु हैं...(व्यवधान) आप पशु की बात सुन लीजिये, कम से कम समझ लीजिये। 4 करोड़ 53 लाख पशु हैं और उस पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप शांत नहीं रहेंगे क्या? आप शांत रहिये, माननीय सदस्य बिराजिये । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : साढ़े चार करोड़ पशु और 13 लाख रुपये का कर्ज +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इन पशुओं के लिये, उनके संरक्षण के लिये चेतना शिविर आर्गनाइज किये हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, थोड़ा-सा इन पर नियन्त्रण रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मन की पीड़ा बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये । आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किसान गोष्ठी के नाम पर, चेतना गोष्ठी के नाम पर किस प्रकार से पशुधन का संरक्षण किया जाए, यह बात उनको बतायी गयी है। हमने बांझ निवारण शिविर आर्गनाइज किये हैं, बारह हजार के करीब, और उसमें करीब चार लाख पशुओं का हमने उपचार किया है।

अभी वृद्धिचन्दजी जैन राठी गाय के सम्बन्ध में चिन्ता कर रहे थे उस क्षेत्र में राठी गाय ज्यादा प्रचलित हैं, कि उसके लिये सरकार को कुछ करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमने तीन करोड़ रुपये की एक योजना राठी गाय के संवर्द्धन के लिये प्रारम्भ की है। डेढ़ करोड़ रुपये एन.डी.डी.पी. की तरफ से उसमें मिलेगा, डेढ़ करोड़ रुपया आर.सी.डी.एफ. और यूनियन्स देंगी। इस तीन करोड़ रुपये से वहां की गाय के संवर्द्धन, वहां के दूध के लिये हम मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं। अभी जयपुर में गाय का दूध बेचना हमने शुरू कर दिया है। पशुपालकों को दूध वाजिब कीमत मिल जाए तो वह अपने पशुधन का संरक्षण कर सकता है, उसके लिये अच्छा चारा उपलब्ध करवा सकता है।

आपसे मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल इन्हीं दिनों में 13 लाख लीटर दूध आता था डेयरी के अन्दर, आज 16 लाख लीटर दूध आता है, बढ़ा है। अकाल के बावजूद भी यह दूध बढ़ा है। हो सकता है लोगों ने ज्यादा बेचने की कोशिश की, लेकिन इस हिसाब में डेढ़ करोड़ रुपये रोज जाते हैं पशुपालक के लिये। अगर यह मार्केट सरकार उपलब्ध नहीं कराए तो पशुधन के लिये तो एक प्रकार से शून्यता आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास मुश्किल से सात-आठ प्रतिशत दूध आता है।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :... 80 लाख टन दूध राजस्थान के अन्दर पैदा होता है और हम केवल 16 लाख टन ले रहे हैं। बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि पशुधन का संरक्षण कितना जरूरी है। (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ साहब, मैंने आपसे कभी यह दावा किया कि हम सब दूध के लिये खरीद रहे हैं?

इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमने पशुपालक के लिए बीमा का कवर दिया है। इंश्योरेंस कवर

(श्री हरिसिंह)

हम प्रति आदमी के लिए 54 रुपये प्रीमियम जो देते हैं उसमें से 30 रुपये तो हमारी आर.सी.डी.एफ. यूनियन देती है और 24 रुपया, मतलब दो रुपये महीने का पशुपालक देता है जो ईजीली दे सकता है। उसमें उसका चारे की आग का बचाव है, उसके घर का बचाव है । यह सब हम पशुपालन के लिए उसको उपलब्ध करवा रहे हैं ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से हमारी उसकी बीमारी के सम्बन्ध में कोशिश की है। मैं समझता हूं कि बीमारी के सम्बन्ध में इस वर्ष हमने जितनी दवाई उपलब्ध करायी है, पिछले कई सालों में नहीं करायी गयी। हमारा अपने विभाग का बजट जो करीब 1 करोड़ 57 लाख का है, वह खर्च किया है। हमारे सहायता विभाग ने हर जिले को एक लाख रुपया दिया है। जहां ज्यादा जरूरत थी, जैसे जैसलमेर में बोलुजज्मे की एक बीमारी पैदा हो गयी उसमें अकेले जैसलमेर जिले के लिए 30 लाख रुपये दिये हैं। इसी प्रकार 16 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से दवाइयों के लिये दिये गये हैं। इस वर्ष राजस्थान के अन्दर कोई बीमारी एपिडेमिक रूप में नहीं फैली है, स्ट्रे डैथ हुई हैं। अभी डैथ की चर्चा हो रही थी कि कुछ भेड़ें मर गयी हैं। भेड़ें मरीं, ठीक बात है। काफी बरसात हुई और बरसात होने से भेड़ों की ऊन भीग जाती है ऊन जाड़ों में रक्षा करती है लेकिन बरसात में जब ऊन भीग जाती है तो वह चिपक जाती है। कई दिन तक सूखती नहीं है और उससे उसके बीमारी पैदा होती है। फड़किया बीमारी नहीं पैदा होती उससे, फड़किया का तो वैक्सिनेशन करते हैं । फड़किया का वैक्सनेशन जो पहले एक रुपये में हुआ करता वह हमने चार आना में कर दिया है। इस वर्ष मैं निवेदन करूं हमने 55 लाख का वैक्सिनेशन किया है।

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, जिनकी भेड़ें मर गयीं, उनको अनुदान देंगे कि नहीं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्थान में हम दवाई खुद बनाते हैं फड़किया की हम सी–फोकस की दवाई खुद बनाते हैं। हमारे यहां आज भी जितनी भी दवाई जिसको चाहिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पांच बत्ती पर सेंटर है, आप चले जाइये, किसी को भी भेज दीजिये, उसको दवाई मिल जाएगी। नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं माफी चाहूंगा, भेड़धन तो 90 प्रतिशत प्रदेश से बाहर गया हुआ है, उसको सम्भालो । उसकी आपके कोई चैक पोस्ट नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जो बाहर चले गये हैं वे दवाई लेने आ रहे हैं उनको हम दवाई दे रहे हैं और वे दवाई ले–लेकर जा रहे हैं। वहां जा रहे हैं जहां उनकी भेड़ हैं। वहां लेकर जा रहे हैं भेड़ों के पास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मरीज की अनुपस्थिति में आप दवाई दे रहे हो?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, दे देते हैं। क्या हुआ? (व्यवधान) एक लाख भेड़ों को लेकर कोई वहां अस्पताल में आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। उस दवाई का करेगा क्या वह? उस दवाई को वह बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं उस दवाई को। जिसको जरूरत है वही लेता है इसलिए हम दवाई उनको देते हैं और चार आना फीस लगा कर देते हैं। हमने गलघोंटू का, हमने बुखार का, खुरपका का और सब का...

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाह रहा हूं मुख्य मंत्रीजी बिराजे हैं...

श्री सभापति : नहीं बाद में सुन लेंगे, आप बिराज जाओ। आप मेरा निवेदन मान कर बैठ जाओ।

श्री केसाराम चौधरी : एम.पी. में जो भेड़ें गयी हैं उन भेड़ों पर 45 रुपये और 200 रुपये ऊंटों पर टैक्स लगाया था वह तो माफ हो गया ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य , आप बैठ जाइये। व्यवधान नहीं, बिराजें। अंकित कुछ हो नहीं रहा है। आप बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य । आप जो बोल रहे हो, अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं निवेदन कर रहा था कि हमने बचाव के लिए कैटल कैम्प्स स्टार्ट कराये। इसके अलावा जो गौशाला हैं उनको हम एक पशु के लिए– बड़े के लिए 12 रुपये और छोटे के लिए 6 रुपये देते हैं। मुझे आप बता दीजिये कि इस सरकार से पहले कभी किसी अकाल में कोई भी सरकार रही हो, क्या 12 रुपये और 6 रुपये दिये हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : विधायकों की भी सहमति पहले इतनी कभी नहीं थी जितनी आज है। यह कोई बात हुई क्या?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं यह मानता हूं, देवीसिंहजी, यह राशि कोई आपटिमम राशि नहीं है यह बढ़नी चाहिए। अजीत सिंहजी साहब आये थे तब मैंने निवेदन किया था कि आप 12 रुपये की जगह 20 रुपये और 6 रुपये की जगह 12

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

रुपये करने के लिए राजस्थान को सहायता दीजिये। आप पशुपालक के घर से हैं, आप कृषक के घर से हैं। आपको इस बात को राजस्थान के लिए देखना चाहिए। राजस्थान सरकार 5 करोड़ 43 लाख पशुओं के लिए 12 रुपये के हिसाब से दे सकती है, कोई सरकार दे सकती है क्या? नामुमकिन बात है यह। इसलिए इसमें केन्द्र सरकार को आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। हमारे 756 गौशाला चल रही हैं जिनमें हमने दो करोड़, 252441 पशुओं को रख रखा हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जितना चारा हमने उपलब्ध कराया है उस वक्त में...

श्री मानिक चन्द सुराना : 2 करोड़ बोल रहे हैं या 2 लाख बोल रहे हैं ? आप चैक करिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 2 लाख। 756 गौशाला हैं और 252441 उनमें पशु हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, ठीक है। पहले करोड़ बोले हैं आपने, फिसल गया होगा मुंह से।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, तो अच्छे अच्छे घोड़े यों हो जाते हैं चलते–चलते, कोई बात नहीं।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से हमने पशुधन की संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया है, पशुधन का चारा उपलब्ध करवाने के लिए ध्यान दिया है, चारे को अरेंज करने के लिए ध्यान दिया है, बीमारियों के लिए वैक्सिनेशन दिया है और उनको दूध के दाम प्रापर उपलब्ध हो, इसका भी प्रयास किया है। पशुधन में नैचुरल जो डैथ होती हैं उनका तो मैं नहीं कहता लेकिन बड़े पैमाने पर पशुधन में न तो कोई बीमारी है, न कोई डैथ हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जयहिन्द ।

श्री सभापति : माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ अभियांत्रिक मंत्री) : सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि कल लगभग 13 माननीय सदस्य और आज 23 माननीय सदस्यों ने पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त किये। मुझे खास तौर से इस बात की प्रसन्नता है कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर जो राजस्थान की स्थिति होने वाली है, उस पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया।

कुल मिलाकर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार अभिव्यक्त किये, उनको यदि हम क्लासीफाई करें तो मोटे तौर पर कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने दीर्घकालीन पानी की समस्या के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त किये । कुछ माननीय सदस्यों ने जो अभी पानी की

(डा. सी. पी. जोशी)

स्थिति बनी हुई है उसमें किस तरह से व्यवस्था ठीक की जाए, इसके सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त किये। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने इलाके की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से उन पर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है उस पर अभी चर्चा करने की सबसे पहले आवश्यकता है। इसीलिए कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उस पर मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि हम गम्भीरता से इस बात को सोचें कि आज राजस्थान की जितनी पेयजल की स्कीम्स हैं उनमें लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा पेयजल स्कीम्स अण्डर ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं। राजस्थान में जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उस पानी से हमें खेती भी करनी है, उस पानी से किसान एनर्जाइज कुआं करके खेती भी करना चाहता है। हम राजस्थान की बहबूदी के लिए यह कल्पना करना चाहते हैं के राजस्थान में अकाल नहीं पड़े। राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनके सम्बन्ध में भी चिन्तन नहीं करेंगे तो पीने के पानी की आने वाले समय में जो भंयकर समस्या पैदा होने वाली है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम इस बात पर गम्भीरता से सोचे कि राजस्थान जिसमें वर्षों से अकाल पड़ता रहा, जिसकी पूरी इकोनोमी एनिमल हसबेंड्री पर थी, उसको हम क्यों चेंज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर बेस पर? क्यों हम यह सोचना चाहते हैं, दूसरे प्रदेशों में जहां पानी ज्यादा है वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस एग्रीकल्चर क्राप का मिलता है जो ज्यादा पानी से पैदा होती है। उसका भारत सरकार सपोर्ट सिस्टम देती है। क्या यह आवश्यक नहीं हो गया है राजस्थान जैसे प्रदेश में, यदि यहां की इकानामीं को सस्टेन करना है तो हमें एक साथ बैठ कर भविष्य के लिए निर्णय करना पड़ेगा कि राजस्थान में यदि पानी की कमी है तो उस फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देगी जिसकी कम पानी पर खेती हो। यदि हमने किसान को इस तरफ डाइवर्ट नहीं किया तो आज जो किसान 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 35 हार्स पावर की मशीन लगाकर खेती करना चाहता है वह हरदम इस बात पर रहेगा कि मैं जो प्रोड्यूस करूंगा उसको मिनिमम सपोर्ट मिलेगा और मैं सस्टेन कर लूंगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम गम्भीरता से इस बात पर सोचें कि राजस्थान में एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के सम्बन्ध में हम इस तरह

(डा. सी. पी. जोशी)

की नीति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिससे आने वाले समय में किसान कम पानी से खेती करके मिनिमम सपोर्ट के आधार पर उस तरफ डाइवर्ट हो सके। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि पंजाब की जो नयी सरकार आयी है उस पंजाब की सरकार ने एक नया काम किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, जोशीजी को मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : फिर क्या कर रहे हो यह?

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं और आप एग्रीकल्चर पर जा रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : मैं किस पर कर रहा हूं ?

श्री हीरासिंह चौहान : मैटर ड्रिंकिंग वाटर का है, वो दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : यह सब बात कह लें अपनी, उसके बाद पूछ लेना आप।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय हीरासिंहजी, जो पानी उपलब्ध है उस पानी से पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, उस पानी से खेती की भी व्यवस्था करनी है। उस पानी से सारी व्यवस्था करनी है इसलिए पानी के सम्बन्ध में राजस्थान में दीर्घकालीन समस्या के बारे में हमने चर्चा नहीं की और हमारा मानस नहीं बनाया तो हम तात्कालिक समस्याओं के बारे में बातें कर लें, वह बात अलग होगी। सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पंजाब की नयी चुनी हुई सरकार आयी है, उस पंजाब की सरकार ने यह फैसला किया है कि पंजाब में पानी ज्यादा होता है, पानी के सीपेज होने के कारण से फसल होती है, वहां के किसान को उन्होंने चेंज किया है कि ऐसी क्राप हम पैदा करें कि उस क्राप के आधार पर पानी डाइवर्ट कर सकें। एक नये ढंग से पंजाब की सरकार ने पानी की समस्या के कारण जो वाटर लोगिंग खड़ा हो गया है, उससे किसान को डाइवर्ट करने के लिए एक नयी योजना हाथ में ली है। जब पंजाब सोच सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं सोच सकता? पचास साल बाद जैसी पंजाब की स्थिति बनी है जबकि वहां पानी सरप्लस है, हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास पानी कम है।

सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा अण्डर ग्राउण्ड वाटर के जुडीशियस उपभोग के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, यहां पर अन्ना हजारेजी आये थे, उन्होंने कहा है हमें सोचना पड़ेगा कि कितने लेवल के पानी को हम खेती के उपयोग में लेने

(डा. सी. पी. जोशी)

के लिए अलाउ करें, कितने पानी को हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलाउ करें । यह भी सोचने की आवश्यकता है कि हम यह निर्णय कर लें राजस्थान में कि कितनी गहराई तक का पानी है जिसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए उपयोग में लेंगे और इससे नीचे वाले पानी का हम एग्रीकल्चर के लिए उपयोग करेंगे। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर के सम्बन्ध में कहा है यदि हमने इस तरह की व्यवस्था नहीं की, हम आज चिन्ता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान में जहां खारा पानी है, जहां फ्लोराइड है, जहां और तरह के केमिकल कंटेंट्स हैं, जितना पानी नीचे जा रहा है उतना ही पानी जिस तरह का आ रहा है, आने वाले समय में हमारे लिए पीने के पानी की समस्या पैदा कर देगा।

सभापति महोदय, हमने आंकड़े इकट्ठे किए आज जो हमारी व्यवस्था है, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमारी सीमित मांग है कि अप्रैल, मई और जून में पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? अप्रैल, मई और जून में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पानी आज उपलब्ध है–चाहे अण्डर ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध है या सरफेस वाटर उपलब्ध है उसी से बेस मैंनेजमेंट करना है। इसलिए सभी कहते हैं कि गांव में एक सोर्स होना चाहिए। एक सोर्स होने का मतलब या तो ओपन वैल को हम डीपन कर लें या हैण्डपम्प को खोद लें या ट्यूबवैल को खोद लें । सभापति महोदय, मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अभी तक हमने दो लाख से अधिक हैण्डपम्प खोदे हैं। उन दो लाख हैण्डपम्प में से 18 परसेंट हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं। राजस्थान में हमने जब से हैण्डपम्प लगाये हैं, बीस करोड़ रुपये के इन टर्म्स ऑफ एबस्योलूट मनी बता रहा हूं मैं, 18 हजार से ज्यादा हैण्डपम्प आज ड्राई हो गये हैं। वाटर लेवल जिस हिसाब से नीचे जा रहा है, हमने पीने के पानी की तात्कालिक व्यवस्था करने के लिए एक हैण्डपम्प की व्यवस्था की थी उस कारण से आज बीस करोड़ के हैण्डपम्प एबंडन हो गये हैं। सभापति महोदय, जिस रफ्तार से पानी नीचे जा रहा है उसी रफ्तार से पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, लेकिन आने वाले समय में ये हैण्डपम्प नकारा हो जाएंगे और जो पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं वह व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें दो तरह से इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। एक, वाटर मैंनेजमेंट करने के लिए जैसाकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, आप कम से कम एक चीज एंश्योर कर लीजिए कि एक रेवेन्यू विलेज के अन्दर एक पानी की व्यवस्था हो जाए। सभापति महोदय, वहां एक पानी की व्यवस्था करने के लिए, मुझे कहते

(डा. सी. पी. जोशी)

हुए तकलीफ है, सभी माननीय सदस्यों को मैंने अगस्त के महीने में एक पत्र लिखकर भेजा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी अपने क्षेत्र में योजना बन सकती हैं उनके बारे में लिखकर भेजे। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी सूचनाएं भेजीं, दूसरे माननीय सदस्यों ने सूचनाएं नहीं भेजीं ।

सभापति महोदय, जब मैंने इस विभाग का चार्ज लिया उसके बाद स्थिति देखी, जब मानसून फेल हो गया तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, मैं कहना चाहता हूं, कि आज राजस्थान में सात शहर ऐसे हैं जहां 96 घंटे से पानी मिल रहा है। वे हैं भीलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, बाली, फालना, पाली, रानी और देवगढ़। राजस्थान में दस शहर ऐसे हैं जहां आज हम 72 घंटे से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं-माण्डल, निम्बाहेड़ा गलियाकोट, सादड़ी, सोजत सिटी, सोजत रोड, आमेट, कांकरोली, भिण्डर और फतेहनगर। और लगभग 29 शहर ऐसे हैं जहां हम 48 घंटे बाद पानी पहुंचा रहे हैं । यह स्थिति आज के दिन बनी हुई है। मैं जिन शहरों की बात कह रहा हूं उन शहरों में जो सोर्स हैं उन सोर्स में यदि पानी नहीं होगा तो आज जो स्थिति है आगे जाकर 96 घंटे वालों की समस्या बढ़ेगी, 72 घंटे वाली समस्या आगे बढ़ेगी, 48 घटें वाली समस्या आगे बनेगी और 24 घंटे वाली समस्या आगे बनेगी। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि सबसे पहले हम कंटिंजेसी प्लान बनाएं। सितम्बर के महीने में हमने आपातकालीन योजना बनायी। उस आपातकालीन योजना के अन्तर्गत शहरों के अन्दर जो 115 गांव हैं उनको हमने चिन्हित किया जहां पीने के पानी की समस्या आ सकती है। यह काम हमने कर लिया अक्टूबर में। सितम्बर में आइडेंटिफाई करके 42 करोड़ की योजना बनाकर 275 नलकूप और 1132 हैण्डपम्पों के माध्यम से उन शहरों में जहां पीने के पानी की समस्या आ सकती है उसकी सैंक्शन निकाल कर नीचे के लेवल पर अधिकार दे दिए हैं कि आप अपने यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार ग्रामीण इलाके के अन्दर हमने 68.39 करोड़ रुपये की स्कीम बनायी, जिसमें क्रिटिकल ब्लाक्स भी सम्मिलित हैं जो हमने आइडेंटिफाई किये हैं और रूरल इलाके के गांव भी सम्मिलित हैं । हमने सर्वे करवाया, आइडेंटिफाई करवाया कि ऐसे कौनसे गांव हैं जहां पर हमने पहले हैण्डपम्प लगा दिये, पार्शली कमीशन थे उनको फुल्ली कमीशन मान लिया गया और जो फुल कमीशन थे वे कनवर्ट हो गये पी. सी. में । हैण्डपम्प के माध्यम से काम कर सकते हैं। सभापति महोदय, यह योजना बनकर हमने 682 नलकूप और 550 हैण्डपम्प का सिंगल फेस का नया

(डा. सी. पी. जोशी)

कांसेप्ट दिया है कि जिस गांव में दो हैण्डपम्प खुद सके और दो हैण्डपम्प में पानी है उन पर हम एक हार्स पावर की मोटर लगा दें, टंकी लगा दें सिंटेक्स की और बिजली से कनेक्शन कर दें ताकि लोगों को पानी मिल सके। इस तरह से हमने 500 जगहों पर व्यवस्था कर दी है। यह सब योजना बनाकर हमने काम प्रारम्भ कर दिया इस कंटिंजेंसी को मीट आउट करने के लिए।

सभापति महोदय, यह सब करने के बाद भी आज पाली की समस्या है विधायक ने बतायी, वह गम्भीर समस्या है। पाली की पानी की समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने, जो हमने टैंकर की फ्री व्यवस्था दे रखी है, ट्रेन की व्यवस्था दे रखी हैं, उससे व्यवस्था की। वहां जो ड्रिंकिंग वाटर की हमारी रिक्वायरमेंट है वह पानी वहां पर नहीं है। आज मिक्स करके वहां पर पानी पिलाना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था करने के बाद, विधायक महोदय ने कहा कि हमारे यहां पानी की समस्या का निदान नहीं हो रहा है, हमने एक कंटिंजेंसी योजना बनायी और रोहिट तक पाइप लाइन डालकर हमने पानी की व्यवस्था की। भीलवाड़ा के अन्दर पानी की व्यवस्था की। रेलों से पानी की व्यवस्था की। सभापति महोदय, यह सब व्यवस्था करने के बाद पीने का पानी आज यदि उपलब्ध कराना है–या तो हम ब्लैंकेट हैण्डपम्प खुदवा दें या हम ट्यूबवैल खुदवा दें या टैंकर से, रेल से पानी की व्यवस्था करें, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पैसे की उपलब्धता इश्यु नहीं है, बल्कि जो उपलब्ध है उसका मैंनेजमेंट करने के सम्बन्ध में हम कैसे विचार रखना चाहते हैं कैसे हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहें। पानी जो उपलब्ध है उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जे.जे.वाई. योजना की बात थी जहां मोटर जल जाती है। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि जो मोटर जल जाती है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इन सब चीजों को समझने के बाद यह फैसला किया है कि ए.ईएन. लेवल के आफिस पर मोटर जलें नहीं, इसके लिए वहां पर जो एडीशनल स्टैण्ड बाई मोटर है वह उपलब्ध होनी चाहिए। जे.जे.वाई. की जितनी भी हमारी स्कीम्स लागू हैं, लम्बे समय से जे.जे.वाई. के लोगों को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहां के पम्प सैट को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। हमने ब्लैंकेट फैसला किया है कि 74 लाख प्राप्त करके जे.जे.वाई. योजना के जितने भी पम्प सैट हैं इनको रिप्लेस करें जिससे पानी का लाभ मिल सके। मेरे कहने का मतलब है कि

(डा. सी. पी. जोशी)

व्यवस्था हैण्डपम्प खुदवाने की व्यवस्था, कि जे.जे.वाई. योजना में पम्प सैट बदलने की व्यवस्था, स्टैण्ड वाई मोटर टयूबवैल खुदवाने की व्यवस्था इस सम्बन्ध में हमने पूरी व्यवस्था कर दी। उसके बाद विपक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि आपके पास पैसा बचा हुआ है, पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, पैसे का उपयोग करने के सम्बन्ध में ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य जानते हैं इस बात को कि ए.आर. डब्ल्यू.पी.एस. नार्मल में पैसा जो मिलता है 100 परसेंट। जो हमारा डी.डी.पी. का इलाका है, उसमें 100 परसेंट पैसा भारत सरकार से मिलता है। कुछ स्कीम्स में स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना है और कुछ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया को मैच करना है। कुछ स्कीम्स में 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना है और 75 परसेंट भारत सरकार को करना है, वह चाहे फ्लोराइड की स्कीम हो चाहे खारे पानी की स्कीम हो। जो ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. का पैसा है वह अनटाइड फण्ड का पैसा है, इस पैसे को हम हर किसी में खर्च कर दें? सभापति महोदय, यह कहना सरल है कि आपको जो पैसा मिला है उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि आप हमें बताइये, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है आपने खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, कोई आरोप के रूप में नहीं कहना चाहता हूं मैं, लेकिन यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत सरकार से यह निवेदन करें। मैं पेयजल मंत्री के रूप में वहां पर गया, शांता कुमारजी हमारे जो मंत्री हैं उनके सामने मैंने इस समस्या को रखा, मैंने कहा बताइये कि आपका पैसा रिलीज कब होता है। हमें 12.1.2000 को 38 करोड़ रुपये रिलीज हुए और 28.3.2000 को 18 करोड़ रुपये रिलीज हुए। फरवरी में पैसा रिलीज हुआ और फिर हम उसमें कंडीशन डाल दें कि 25 परसेंट की जगह 15 परसेंट बैलेंस होगा तो आपका पैसा नहीं कटेगा। मैं समझता हूं कि अगर 2000 के अन्दर पैसा कटा है तो 2000 के अन्दर भारत सरकार ने पैसा रिलीज किया है 12.1.2000 को 38 करोड़ रुपये और 28.3.2000 को किए 18 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, इसी तरह 2002 में पैसा कटा, 1.2.2002 को भारत सरकार ने हमें पैसा रिलीज किया 55.6 करोड़ रुपये। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य वित्त मंत्री रहे हैं, अभी जो पैसा रिलीज हुआ 55 करोड़ रुपया इस पैसे को 25 परसेंट की जगह पर 15 परसेंट कट करने की व्यवस्था कर लें तो क्या इस पैसे को हम ब्लैंकेट ही खर्च कर दें ? या उस पैसे को

(डा. सी. पी. जोशी)

ए.आर.डब्ल्यू.पी.एस. में खर्च कर दें या खारे पानी की स्कीम्स में खर्च कर दें जो कि मिशन के अन्तर्गत फ्लोराइड की स्कीम है? या डी.डी.पी. के अन्दर पानी की स्कीम पर खर्च करें?

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : मंत्री महोदय...

डा. सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनिए पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : भारत सरकार से जो पैसे मिलते हैं...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट।

श्री सभापति : मिनट नहीं भले ही घंटे भर बोलो आप, लेकिन उचित होगा क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : जल्दीबाजी क्या है आपको? काहे की जल्दी है आपको? बात तो सुनिए आप।

श्री सभापति : कह दीजिए। फर्माइये।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए।

मैं यूं कह रहा था, यह बात सही है कि पैसे भारत सरकार से देरी से मिलते हैं। अपन जो पैसे मिले हुए हैं उसका उपयोग अगर समय पर नहीं करते हैं तो दूसरा पैसा नहीं देते हैं। उसका उपयोग अगर समय पर नहीं करते हैं तो दूसरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने को पैसे जो मिलते हैं उसको खर्च करने में तत्परता रखनी चाहिये ताकि पेयजल योजनाओं के लिये पैसा मिल सके।

डा. सी. पी. जोशी : हमारे जो भूतपूर्व मंत्री ने कहा है मैं उस बात से असहमत नहीं हूं। यह कोई इश्यू नहीं है। (व्यवधान) जिसके मैं फिगर बता रहा हूं, आपने यह बिलकुल सही कहा है कि हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि हम उस पैसे का सदुपयोग कर सकें । (व्यवधान) आप बात सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सदस्य...

श्री केसाराम चौधरी : स्कीम बनी हुई उसको दो बार डैफर कर दिया, मंत्री महोदय, आपने। 25 गांवों की स्कीम बनी हुई है उसको आपने दो बार डैफर कर दिया।

श्री रमजान खान : छह–छह महीने तक आप...

डा. सी. पी. जोशी : मुझे इस तरह बोलने नहीं देंगे तो...

श्री सभापति : आप बैठिये। (व्यवधान) आप सुनना चाहते हो कि नहीं?

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या? मैं उस पर भी आ रहा हूं ना। (व्यवधान) सुनिये आप आ रहा हूं उस पर...

श्री केसाराम चौधरी : राम सिंहजी सही कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : क्या सही कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप सुन नहीं रहे हैं क्या? वह जो कह रहे हैं उस बात में डिस्प्यूट क्या है? हम भी इस बात से सहमत हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनिये मेरी बात को। आप बैठिये। (व्यवधान) आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : गुलाब की स्कीम को पास करने का आपने मुंह से कहा था कि मैं कर दूंगा। मंत्री महोदय, आपकी कही बात को कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, आप इनकी बात सुनना नहीं चाहते हो क्या? तो फिर आराम से बिराजिये ना, दिक्कत क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पैसा तो आपको रिक्वायरमेंट से मिलता हैं...

श्री केसाराम चौधरी : पैसा पड़ा है, दो–दो बार पी.पी.सी. में डैफर किया है। अटेंडेंट बैठे हैं...

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, गजलाई वाली स्कीम को पांच साल हो गये, आज तक पूरी नहीं की है। गजलाई स्कीम तीन जगह बदली है, अभी तक चालू नहीं की है, 1978 में गजलाई की स्कीम स्वीकृत हुई 20 गांवों की, उस स्कीम को अभी तक चालू नहीं किया आपने।

श्री केसाराम चौधरी : और उसको पास नहीं किया तो फिर इसका मतलब आपकी इच्छाशक्ति नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : एक बोले, दो बोले, सब बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पैसा तो आपको रिक्वायरमेंट से मिलता है नाम? रिक्वायरमेंट भी आप देते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अंत में पूछ लेना, बीच में मत बोलिये आप।

डा. सी. पी. जोशी : हां, आप बिलकुल सही कह रहे हैं। यही तो कहा मैंने आपको। ए.आर.डब्ल्यू.बी.एस. में जो स्कीम जाती थी...

श्री सभापति : आप बिराजो।

डा. सी. पी. जोशी : मैंने आपको दो दिन में बारह घंटे तक सुना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं , आप बोलो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैंने पूरी बात सुनी है। आप भी एम.एल.ए. हैं तो आपको पूरा अधिकार है, आप पूछिये बाद

(डा. सी. पी. जोशी)

में कोई बात। जरूर पूछिये मैं जवाब दूंगा। इसमें कहां तकलीफ है?

श्री सभापति : आप चालू रखिये।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा, मैं उसका जवाब आखिर में दे दूंगा। पर मैं अभी कहना चाहता हूं ए.आर.डब्ल्यू. वी. एस. में जो हम स्कीम सैंक्शन करके भेजते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, हमारी सरकार आने के बाद हमने योजनाएं बनायीं जयपुर–बीसलपुर, चम्बल–धौलपुर–भरतपुर, आर.जे. एल. सी. जोधपुर– योजना, मानसी वाकल– उदयपुर योजना फ्लोराइड कंट्रोल– केकड़ी–सरवाड़ फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट– नसीराबाद, फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट– भिनाय मसूदा, चूरू–बिसाऊ परियोजना...

श्री सुरेन्द्र व्यास : किन स्कीम्स के अगेंस्ट... (व्यवधान)

श्री सभापति : सुरेन्द्र व्यासजी। माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिये। यही तो कह रहा हूं आपको। इस पैसे को मैं कहां डाइवर्ट करूंगा? यह अनटाइड क्यों दे रहे है? मुझे क्या है, ए.आर.डब्ल्यू.वी.एस. मनी इज नाट अनटाइड फण्ड। मान्यवर, आपको यह मानना पड़ेगा कि यह योजना जो हमने स्वीकृत करायी है इस योजना के अन्दर भारत सरकार 75 परसेंट या 50 परसेंट दे रही है, उसमें 25 परसेंट हमें मैच करना है। यदि इस पैसे को हम अनटाइड फण्ड के हिसाब से खर्च करेंगे तो मुझे बता दो कौनसे नियम और कानून हैं।

दूसरी बात मैं इसके विपरीत कहना चाहता हूं। सैक्टर रिफार्म किसने लागू किया? भारत सरकार किसकी है? हम प्रश्न यहां पर खड़ा कर रहे हैं । भारत सरकार ने फैसला किया कि हम हिन्दुस्तान में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर सैक्टर रिफार्म योजना लागू करेंगे। सैक्टर रिफार्म में जयपुर को सलैक्ट किसने किया? सीकर को सलैक्ट किसने किया? अलवर को सलैक्ट किसने किया? क्या आधार थे? मैं बोलना नहीं चाहता हूं इस पर। सैक्टर रिफार्म में आपने सलैक्ट किया और सैक्टर रिफार्म में पैसा आ गया और सैक्टर रिफार्म में क्या नियम बनाएं? सैक्टर रिफार्म में हमने ये नियम बनाएं कि गांव का आदमी 10 परसेंट पैसा देगा, सारी स्कीम बनेगी, सारी स्कीम खुद चलानी है। वह भारत सरकार का पैसा सीकर में खर्च नहीं हो रहा है, जयपुर में खर्च नहीं हो रहा है, और नहीं खर्च हो रहा है। साथ में राइडर भी यह है कि सैंक्शन कर दी, सैंक्शन करने के बाद उस जगह पर दूसरा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। यह योजना जब फेल हो गयी तो अभी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर भारत सरकार में हैं उन्होंने प्रधानमंत्रीजी से स्वजल धारा योजना के नाम से एक नयी योजना स्वीकृत कराई। क्या योजना है? वह स्वजल धारा योजना

(डा. सी. पी. जोशी)

सैक्टर रिफार्म का नया पार्ट है। उन्होंने अब यह फैसला किया कि सैक्टर रिफार्म चार जिलों में है, चार जिले नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिन्दुस्तान में उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, और क्या कहा अब? कि सैक्टर रिफार्म का एक रिफार्म कर दिया स्वजल धारा योजना में। गांव वाले, पंचायत, सोसायटी या एन.जी.ओज. मिलकर स्कीम बनाएंगे तो 10 परसेंट पैसा उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एस.टी., एस.सी. को 5 परसेंट करना पड़ेगा, 90 परसेंट वह करेंगे । 90 परसेंट करने के बाद वन टाइम ओ.एण्ड.एम. कर देंगे और सारी स्कीम आपको चलानी है। राजस्थान में जे.जे.वाई. स्कीम, राजस्थान में सैक्टर रिफार्म योजना, राजस्थान में स्वजल धारा योजना, भारत सरकार से पैसा हम लाना चाहते हैं, भारत सरकार हमारी है और भारत सरकार को यह नहीं कह रहे हैं हम कि स्वजल धारा योजना राजस्थान में लागू नहीं हो सकती। हम भारत सरकार को यह नहीं कह रहे हैं कि सैक्टर रिफार्म लागू नहीं हो रहे हैं। अब हम कहें, सैक्टर रिफार्म का पैसा हमारे पास आया हुआ है, 40 करोड़ रुपया आया हुआ है। 40 करोड़ रुपया चार जिलों में आया हुआ है, 40 करोड़ का चार गुना हुआ तो 160 करोड़ वहां पड़ा हुआ है। सैक्टर रिफार्म्स के पैसे को, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, कहां खर्च कर सकते हैं? सैक्टर रिफार्म्स का पैसा सैक्टर रिफार्म्स में खर्च करना पड़ेगा स्वजल धारा योजना में हमने कहा उनको 73वें अमेंडमेंट के बाद कि यह पंचायत का अधिकार होना चाहिये, गांव का अधिकार होना चाहिये कि वह योजना बनाए। भारत सरकार का कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना बनेगी ग्राम लेवल पर, सारी योजना दिल्ली में जाएगी और दिल्ली में जाकर सैंक्शन करेंगे। हमने 48 करोड़ की स्कीम बनाकर भेज है वहां पर, एक भी स्कीम सैंक्शन करके नहीं भेजी है। प्रधानमंत्रीजी से योजना कटवा दी। क्या करवा दिया स्वजल धारा योजना के नाम पर? और फिर कहा, उनसे यह काम करवा दिया।

राजस्थान में यदि पानी की व्यवस्था करनी है, राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, राजस्थान में लोगों की क्रय शक्ति नहीं है तो स्वजल धारा योजना में 10 परसेंट पैसा कहां से आएगा? यह नियम और कानून राजस्थान सरकार कर देगी? नियम और कानून बनाने का काम भारत सरकार का है। सैक्टर रिफार्म का काम हुआ, यह काम नहीं हो रहा है। प्लान का पैसा बचा हुआ पड़ा है तो बचा हुआ पैसा सैक्टर रिफार्म का पड़ा है। इन योजनाओं का पड़ा है जिन योजनाओं पर हमने वह काम किया है। पर मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था के अन्तर्गत हमने काम किया, एक कदम आगे बढ़कर

(डा. सी. पी. जोशी)

काम किया। हमारे मन में कल्पना है कि अकाल के अन्तर्गत पशु के पानी की व्यवस्था नहीं है, हमने निर्णय किया, निर्णय करके हमने आदेश दिये। मुझे कहते हुए तकलीफ है, हमने आदेश निकाल दिये उसके बाद आज तक हमारे सदस्यों को ध्यान तक नहीं है। हमने यह कहा कि जिन कुओं के अन्दर पानी है उन कुओं के जो खेळी बनेगी उस खेली के मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा पी.एच.ई.डी. बीयर करेगा और अकाल राहत में उनके साथ काम करके खेळी बनवाएं आप।

हमने यह कहा कि हैण्ड पम्प में नयी टैक्निक डवलप हुई है कि हैण्डपम्प के साथ हम एक इंच की लाइन लगाते हैं और यदि हम खेळी बनाते हैं तो 1700 रुपये, 2000 रुपये में पशु के पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सारे राजस्थान में योजनाओं के नये हैण्ड पम्प हम खोद रहे हैं। जनवरी के बाद में जो भी हैण्ड पम्प खुद रहा है वहां हमने यह कहा, हमारा विभाग एश्योर करे चाहे राजीव गांधी पाठशाला के नाम से खुद रहे हैं, राजीव गांधी पाठशाला के हैण्डपम्प खोदने का निर्णय किया तो मन में यह कल्पना थी कि राजीव गांधी पाठशालाएं 80 परसेंट उन ढाणियों और मजरों में हैं जहां एस.सी. ट्राइब और गरीब आदमी रहता है। हमने ब्लैंकेट फैसला किया, 76 करोड़ रुपये में उन लोगों के हैण्ड पम्प खोदे हैं जिससे पानी की व्यवस्था हो सके । हमने राजस्थान में 2700 जगह पर राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प खुदवाये । हमने व्यवस्था की है कि उसके साथ पशु के पीने के पानी लिये जनवरी महीने में ही हैण्ड पम्प खुदेगा। हमारे विभाग के अधिकारी की ड्यूटी है, वह एश्योर करे कि जून तक उसमें पानी है कि नहीं है, अन्यथा हम पेमेंट नहीं करेंगे। मंत्री होने के बाद मैंने फैसला किया है कि जो हैण्ड पम्प फेल्योर हो जाते थे, जिनका पेमेंट होता था, उस पेमेंट को हमने रोक दिया है। कोई भी हैण्ड पम्प जो फैल्योर हो जाए उसका पेमेंट हम नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... पी.एच.ई.डी. से खुदवाते हैं 50,000 रुपये लगते हैं यह 25,000 कहां भ्रष्टाचार में जा रहा है, माननीय मंत्री महोदय, बताइये ? कहां भ्रष्टाचार में जा रहा है, मंत्री महोदय, बताइये?

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय दिलावर साहब, बिराजिये...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपके घर पर भ्रष्टाचार हो रहा है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) 25,000 और पी.एच.ई.डी. खुदवाए तो 50,000, वह 25,000 रुपया कहां बंटवारा हो रहा है हैण्डपम्पों में?

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय दिलावर साहब बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये। बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय दिलावर साहब, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय क्या करें मजबूर हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : बैठिये।

श्री सुरेन्द्र जड़ावत : सभापति महोदय, यह बहुत अनुशासनहीनता है। जब इनके कोई नेता बोलते हैं तो हम चुपचाप सुनते रहते हैं, यह बीच में इंटरप्शन करते रहते हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : मुझे मजबूरी में नाम से पुकारना पड़ेगा। आप शांत रहिये। उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है, बिराजिये । नाम से पुकारने का परिणाम क्या होता है, आप जानते हो।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापतिजी माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं वाकिफ हूं मैंने पता लगाया कि जितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये उसमें से 2-3 हैण्डपम्प हैं। वहां पर प्राब्लम आ रही है। बाकी यह कहना कि चार साल से नहीं खुद रहे हैं। ऐसे ही छीपाबड़ौद के माननीय सदस्य ने कहा मुझे, मैं उनके आंकड़े बताना चाहता हूं, माननीय विधायक महोदय ने अपने कोष से 17 हैण्डपम्प हेतु राशि उपलब्ध करायी थी...

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुन ले पहले। अब क्या है? ट्यूबवैल का आपको जवाब देना है कि मुझे देना है। आप सुनना भी नहीं चाहें और आप मुझे बोले...

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, 17 हैण्डपम्प हेतु राशि उपलब्ध करायी थी, 14 हैण्डपम्प खोदकर चालू कर दिये हैं, 3 हैण्डपम्प की एप्रोच नहीं है। यह मैं फैक्चुअल इनफार्मेशन दे रहा हूं। कल कह दिया कि चार साल से हैण्डपम्प नहीं खुद रहे हैं। सभापति महोदय, एक्सेप्शन मैं मना नहीं करता। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हो सकता है इस बात को मना नहीं कर रहा हूं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. सी. पी. जोशी)

अटरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, हो सकता है। भाई, मान लिया, एप्रोच नहीं होगी। आपने कह दिया, स्वीकृत कर दिया अब नहीं खुदेगा...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, पर छबड़ा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सके। सब जगह गाड़ी पहुंच सकती है और हैण्डपम्प लग सकते हैं। मेरा एक और निवेदन है कि जो कैटल मेरे यहां...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक मिनट, पहले आप जवाब दें, आपके 17 हैण्डपम्प हैं, 14 खुदे कि नहीं खुदे?

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. सी. पी. जोशी : आप पहले एक बात तो बोलिये, आपने कल कह दिया, 17 हैण्डपम्प में से 14 खुदे कि नहीं खुदे? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : XXX

(22.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आसन को मजबूर होकर आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यह क्या तरीका लगा रखा है आपने?

एक माननीय सदस्य : हम तो बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं।

श्री सभापति : हां, तो चले जाइए फिर, कौन रोकता है आपको । व्यवधान नहीं चलेगा।

श्री मदन दिलावर : हमारी जनता मरे।

श्री सभापति : ऐसा कुछ नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने हर विधायक को चिट्ठी लिखकर भेजी। यदि मेरे मन में सलैक्ट होकर किसी की स्कीम सैंक्शन करनी होती तो मैं क्यों लिखकर भेजता ? मान लो किसी माननीय सदस्य की स्कीम सैंक्शन नहीं हुई है उसमें टैक्निकल क्या कमी है और खामी है, मैं पता लगाऊंगा। कोशिश करेंगे कि जितनी टैक्निकल खामी को हम दूर कर सकें और उनकी स्कीम को स्वीकृत कर सकें जिससे आने वाले समय में लाभ मिल सके। यह मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य करणपुर से आये हैं उन्होंने कुछ स्कीम के सम्बन्ध में कहा, दूसरे माननीय सदस्यों ने स्कीम के सम्बन्ध में कहा, हमारे मारवाड़ से

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. सी. पी. जोशी)

आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जितने सदस्यों ने कहा उनको मैं कहना चाहता हूं कि विभाग में यदि कोई टैक्निकल आब्जेक्शन किया गया है तो यह प्रोसेस है ए. ईएन. से, एक्स. ईएन. से, एडिशनल चीफ से एफ.सी. में आएगी, टैक्निकल रिपोर्ट बनेगी। उसमें कोई कमी और खामी है, यदि मान लो, इसके कारण रुकी हुई है तो टैक्निकल चीज है, ठीक नहीं होगी, तब तो मैं नहीं कर सकता। बाकी जो भी टैक्निकली कम्प्लीट होकर आयी है स्कीम, एफ.सी. में हो गयी है उस स्कीम को हम सभी को स्वीकृत करेंगे। पीने के पानी की स्थाई व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था करना हमारा धर्म बनता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं अभी हमने...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : दो बार टैम्परेरी कर दिया, दो बार...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप बात सुन लें। आप पढ़े-लिखे हैं, मैं इंजीनियर हूं क्या ? टैक्निकल रिपोर्ट टैक्निकल आदमी को करनी पड़ेगी, मुझे थोड़े ही करनी पड़ेगी।

माननीय महोदय, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने कंटिंजेंसी प्लान बनाया मार्च, 2003 का। मार्च, 2003 का कंटिंजेंसी प्लान बनाने की बात मैंने कही थी। अभी तो अप्रैल, मई और जून सबसे पहले हमारी समस्या है, मुझे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पिवाई की व्यवस्था हो सकती है। मैंने विभाग से यह भी पता लगाया कि पिवाई की व्यवस्था हो। किसी कुएं में यदि पानी है और बिजली नहीं है उस कुएं को हायर करना है। टैंकर से पैसे से हमने अधिकारियों को लिखकर भेजा है, राइटिंग में अधिकार ले रखा है कि टैंकर के बनिस्बत यदि कुआं उपलब्ध है किसी काश्तकार का, उस टैंकर के किराये की राशि से कम यदि वह काश्तकार पानी पिलाने के लिए अण्डरटेकिंग लिख दे तो हम ऐसे सभी कुओं से पानी की व्यवस्था करेंगे, टैंकर से पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे।

टैंकर के पानी का दुरुपयोग नहीं हो इसलिए, सभापति महोदय, हमने तीन महीने पहले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप कोशिश करें, जिलाधीश महोदय से भी हमने कहा, हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हम सिंटेक्स की टंकी लगाना चाहते हैं। पहले सिंटेक्स की टंकी लगे वहां, सिंटेक्स की टंकी में पानी खाली हो जाए और उस पानी का उपयोग हो

(डा. सी. पी. जोशी)

जिससे टैंकर के पानी का दुरुपयोग नहीं हो सके। टैंकर माफिया जो पैदा हो गये हैं, लोगों से आर्टिफिशियल मांगें करवाकर कि हमारे यहां पानी की व्यवस्था करो, टैंकर की व्यवस्था करो। यह भी एक अकाल के समय में नई व्यवस्था खड़ी हो गयी है। इसलिए टैंकर के पानी का जुडीशियस उपयोग हो, इसके उपयोग के लिए सिंटेक्स की टंकी बने। सिंटेक्स की टंकी चार हजार लीटर की, दो हजार लीटर की जितनी हेमलेट की क्षमता उसकी है, टंकी आए। उस टंकी के अन्दर पानी को खाली करके पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। इस सम्बन्ध में भी हमने प्रयास प्रारम्भ किये हैं। मैं कुलमिलाकर कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि कुएं से पानी की व्यवस्था करनी पड़े, जिस कुएं पर बिजली नहीं वहां यदि हैंडल लगाकर पानी की व्यवस्था हो सके तो यह भी हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहां पर हैण्ड पम्प ऐसे में लगा दें जिससे पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें।

सभापति महोदय, हमने डैडिकेट फीडर लगाने के संबंध में भी व्यवस्था की है। डैडिकेट फीडर जहां पर नहीं है वहां टेल एण्ड में पानी की समस्या आती है। वहां हमने व्यवस्था की है, इस बार बारह करोड़ रुपये हमने डैडिकेट फीडर के लिए दिये आर.एस.ई.बी. डिपार्टमेंट को। स्थाई रूप से हम उन टेल एण्ड के लोगों को पानी की व्यवस्था करने के लिए इंडिपेंडेंट हमारा बिजली का सैटअप हो जाएगा तो पानी की व्यवस्था हम कर सकेंगे, यह भी व्यवस्था हमने की है।

मैं कुलमिलाकर विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, कठिन समय है, कठिन समय में पीने के पानी के मैनेजमैंट की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। इस मैनेजमेंट को इफैक्टिव करने के लिए मैं प्रतिपक्ष के नेता और सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं । आप अपने स्तर पर चयनित कर लीजिए, तीस मार्च तक सदन चल रहा है, जिस रेवेन्यू विलेज में आप यह महसूस करते हैं कि एक भी सोर्स नहीं है उस रेवेन्यू विलेज की आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले वहां हैण्ड पम्प खुदवाएंगे जिससे लोगों को अप्रैल, मई और जून में पानी की कमी नहीं रहे। परन्तु आपको फैसला करना पड़ेगा कि हैण्ड पम्प हम सुविधा के लिए खुदवाना चाहते हैं या हैण्ड पम्प हम पीने के पानी की व्यवस्था को करने के लिए खुदवाना चाहते हैं। मेरी पूरी मंशा यह है कि आप जागरुक हैं, इलाके में जाते हैं, आप मुझे लिस्ट बनाकर दें कि इस अमुक रेवेन्यू विलेज में पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार

(डा. सी. पी. जोशी)

पर हम उन जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे लोगों को यह लग सके कि हम पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहते हैं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कमी और खामी हो सकती है लेकिन आप और हम सब मिलकर इस कठिन समय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो पचास साल में हमने अकाल की व्यवस्था की जब मजदूरी नहीं मिलती थी, गेहूं नहीं मिलता था। अब राजस्थान में आने वाले पचास में साल पीने के पानी की व्यवस्था हमें करनी है तो हमें रेन वाटर का हारवेस्टिंग का काम कैसे करना है, हमें नाले और एनीकंट बनाने का काम कैसे करना है, किस तरह से सरफेस वाटर को टैप करना है। इन सब चीजों के सम्बन्ध में यदि हमने एक काम्प्रीहैंसिव और कंवरर्जेस व्यू नहीं लिया तो आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा सबसे गरीब आदमी है उसका पर कैपिटा पर मंथ जो पानी का कंजम्पशन है दस हजार लीटर भी नहीं है और यहां बहुत–से उपभोक्ता हैं जिनका पन्द्रह हजार लीटर का पानी का कंजम्पशन है। कार धोने के लिए पानी है, लॉन को पिलाने के लिए पानी है। आज हमारा मीटर ठीक नहीं है, हमारा रेवेन्यू ठीक नहीं है। मीटर को हम ठीक नहीं करना चाहे, रेवेन्यू को हम बढ़ाना नहीं चाहे। पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में हम चाहे बीसलपुर से व्यवस्था करें, चाहे जोधपुर की व्यवस्था करें, चाहे मानसी वाकल की व्यवस्था करें, पर यूनिट जो कास्ट प्रोडक्शन आ रहा है, सभापति महोदय, वह डिसप्रपोर्शनेट आ रहा है कि गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए सिर पर पानी लाना पड़े और शहर की पानी की व्यवस्था करने के लिए हम इतनी बड़ी योजनाएं बनाएं। यह तो आगे आने वाले समय में, सभापति महोदय, सोचना पड़ेगा कि 74वें अमेंडमैंट के बाद नगरपालिकाएं और नगर निगम पीने के पानी की व्यवस्था स्वयं करें, सरकार का पी.एच.ई.डी. पूरी स्कीम बनाकर उनको देगा। यदि गांव के लोगों को स्वजल धारा योजना लगानी है, शहर के लोगों को भी इसमें आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस कठिन समय में हम कठिन निर्णय लेना चाहते हैं। पर कठिन निर्णय लेने में हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें नियम पहले बनता है कि वह नियम नहीं तोड़ा जाएगा। विपक्षी पार्टी के नेता और सदस्य गेम खेलने के लिए जाएं, यदि अण्डरग्राउण्ड वाटर का बिल लाने के लिए तैयार हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम तो यह करने के लिए तैयार है, और चुनाव में जाकर कह दें हमें वोट दो, हम नहीं करेंगे। तो फिर राजनीति हम भी करते हैं, सभापति महोदय, हम भी राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं। इस कठिन समय में आपके सहयोग से इस समय को निकालना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे. और कठिन निर्णय लेने में सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप और हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर इस पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में निर्णय करना पड़ेगा। राजस्थान की इकोनोमी के संबंध में निर्णय करना पड़ेगा। राजस्थान की इकोनोमी को एनीमल हस्बेंड्री बेस करना पड़ेगा।

एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में जो हम कुओं को एनर्जाइज करा रहे हैं 35 हार्स पावर, 30 हार्स पावर की जो हम मोटर लगाकर खेती करना चाहते हैं वह आने वाले समय में बहुत बड़ी पीने के पानी की समस्या खड़ी कर देगा। इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जोधपुर में पहुंचाया है, हम आज इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पाली में चाहते हैं। आज बीसलपुर का पानी भीलवाड़ा में चाहते हैं। आज व्यवस्था यह बन गयी है कि जिस कैनाल की हमने कल्पना की थी, इंदिरा गांधी कैनाल की, कि हम यहां से किसानों की खेती करेंगे, आज ड्रिंकिंग वाटर की लाइफ लाइन बनने वाली है, खेती की बात हम क्या कर सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, आने वाले समय में हमें सभी चीजों को सोचना पड़ेगा कि इन्दिरा गांधी नहर को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके पानी का उपयोग पीने के संबध में करेंगे या खेती के संबंध में करेंगे। यदि किसान को पानी दे दिया और फिर उनको रोकेंगे तो किसानों की भी नाराजगी बढ़ेगी और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था भी नहीं होगी।

इसलिए, सभापति महोदय , मेरा निवेदन यह है कि दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ेगी और तात्कालिक समस्या का भी निदान करना पड़ेगा। तात्कालिक समस्या के निदान के लिए जो वाटर अवेलेबल नेचर ने हमें दिया है, अण्डरग्राउण्ड दिया है उसको हारनेस करना है, सरफेस वाटर जहां इकट्ठा है, के सम्बन्ध में भी व्यवस्था करनी है आप सबके सहयोग से, और ह्यूमन मैनेजमेंट को ठीक करके। विभाग के हमारे अधिकारी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आज पाली में व्यवस्था की इतनी हिम्मत करके उन्होंने। विभाग के अधिकारियों को हम एप्रीसिएशन नहीं देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं

(डा. सी. पी. जोशी)

विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग के सारे अधिकारी आपके सहयोग से इस कठिन समय को पार करेंगे और राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के स्थाई निदान के लिए आप और हम मिलकर ऐसी नीति बनाएंगे जिससे आने वाले समय में पानी का सही उपयोग हो सके। आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम निश्चित तौर पर पीने के पानी की व्यवस्था आपकी एक्सपैक्टेशंस के अनुसार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें सहयोग दें जिससे हम कठिन समय को पार कर सकें।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया उन सुझावों पर जो मैं नहीं कह सका, मैं उन सुझावों को ध्यान में रखकर विभाग की नीतियों में उनका समावेश करने की कोशिश करूंगा और जो उन्होंने भरोसा व्यक्त किया है हम पर, उस भरोसे के लायक बनकर हम आपकी इच्छा के अनरूप विभाग में यह सब काम करेंगे जिससे अप्रैल, मई, जून में पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय राहत मंत्रीजी।

श्री रमजान खान : बिजली की कामर्शियल रेट ले रहे हैं गांव वालों...

डा. सी. पी. जोशी : बिजली की कामर्शियल रेट भारत सरकार ने फैसला कर रखा है, मेरे हाथ में नहीं है। आप भी चलना, मैं भी चलकर बात करूंगा उसको विथड्रा कराने में।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी अपना भाषण प्रारम्भ कर रहे हैं दस बज गये, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमारी तो केवल एक मांग है, हम तो सारा भाषण इनका मान लेंगे कि प्रति परिवार से एक मजदूर को आप काम पर लगा दें। (व्यवधान)यह सबसे बड़ी मांग हमारी है। हम तो आपके भाषण से संतुष्ट हैं, हमारी मांग है कि कम से कम एक आदमी एक परिवार में काम पर लगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रमजान खान : आपका भाषण पढ़ा हुआ मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम आपका भाषण पढ़ा हुआ मान लेंगे। (व्यवधान) आपका भाषण देने का कोई वो नहीं है, आप तो एक घोषणा कर दीजिए कि प्रति परिवार मार्च महीने में...(व्यवधान) एक आदमी को काम पर लगा देंगे। (व्यवधान) हम आपके भाषण को पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कई बातें कहीं, उनका जवाब तो सुन लीजिए। (व्यवधान) थोड़ा धैर्य तो रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो एक बात बता दो कि आप तो राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित कर रहे हो या नहीं? यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपकी जो इच्छा हो...(व्यवधान) मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित कर रहे हो या नहीं यह बता दो? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धैर्य रखिये, धैर्य रखिये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : एक परिवार से एक सदस्य...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, माननीय कटारियाजी।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अकाल राहत में एक परिवार से एक आदमी अकाल...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, कोशिश करने की बात करें, यह सरकार करे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, अकाल पर झूठी राजनीति नहीं चलेगी...(व्यवधान) अकाल पर झूठी राजनीति नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बाकी हमारी और कोई मांग नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बाहर जाने का मन है तो अलग बात है। (व्यवधान) सदन के माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अकाल राहत पर बहस करना चाहता हूं, हम आपकी बात को सुन रहे हैं... (व्यवधान) यह कोई तरीका है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करने की घोषणा कर रहें हैं कि नहीं कर रहे है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिये कि मैं क्या कहता हूं। वह सुनिये पहले।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, विपक्ष का यह जो रवैया है...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : एक परिवार से एक आदमी...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप कहना जानते हैं....(व्यवधान) आपको वाक आउट करना है क्या?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सोहन नायक : आपको भागना है तो आप भाग जाएं, हम तो पूरा सुनेंगे। आपकी एक-एक बात का जवाब दिया जाएगा । सभापति महोदय, इनका भागने का मन हो तो कहो कि भाग जाएं, लेकिन अकाल पर झूठी राजनीति नहीं चलेगी। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आपने कई बातें कहीं है उनका जवाब भी सुनने की क्षमता रखें । यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रोजगार दें...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : केन्द्र सरकार ने जो हमारे साथ भेदभाव किया है उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री सोहन नायक : केन्द्र सरकार ने जो राजस्थान के साथ भेदभाव किया है उसको हम सुनना चाहते हैं, पर ये लोग नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या सुनना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : अब आपकी पोल खुलेगी, अब केन्द्र सरकार की पोल खुलेगी कि राजस्थान के साथ क्या-क्या भेदभाव किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : सभापति महोदय, अब केन्द्र सरकार के भेदभाव की पोल खुलेगी, इसलिए ये सुनना नहीं चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने किस प्रकार राजस्थान के साथ, राजस्थान के मजदूरों के साथ राजस्थान के किसान के साथ भेदभाव किया है, यह पोल खुलेगी, इसलिए यह सुनना नहीं चाहते।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सोहन नायक : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री सभापति : माननीय लोढ़ा साहब, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : कमलाजी, माननीय मंत्री महोदय, आप बिराजें । (व्यवधान) क्यों बोल रहे हो...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपकी बात सुनने वाले हैं क्या? सुनने वाले थोड़े ही हैं? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री सभापति : आप उनके व्यवधान में शामिल क्यों हो रहे हैं ? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप उनके व्यवधान में शामिल क्यों हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री सोहन नायक : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, व्यवस्था दोनों तरफ से रखी जाती है। जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? और आप कहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सुनें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सभापति : आपकी पार्टी का इस तरह से व्यवहार है और आप सब इतने बड़े-बड़े महारथी चुपचाप बैठकर सुन रहे हो, ऐसा कहां तक...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सभापति : क्या बोलते दें... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री सभापति : करने वाले करेंगे हो-हल्ला...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप किसके समर्थक हो? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री अमराराम(धोद) : XXX

श्री सभापति : बिराजिए , बिराजिए। एक सैकण्ड, बिराजिए आप ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने दो दिन बहस क्यों करवाई अगर जवाब नहीं सुनना था तो?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चर्चा की हिम्मत रखी है तो सुनने की हिम्मत भी रखो।

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय, आपने यह चाहा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं और व्यवधान हो रहा है। जब से मंत्री महोदय ने जवाब देना शुरू किया है तब से आपकी पार्टी का उद्देश्य रहा है कि बीच–बीच में टोका जाए। (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : मैं सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ हूं ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री सभापति : मैं जब मेरी व्यवस्था सुनाने लगा तो माननीय कटारिया साहब से मैंने कोई पचास बार निवेदन किया, वे उधर मुंह करके, फेर करके बैठ गये। कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुना नहीं होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के वक्त सम्मान दिया जाए तो इसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे मंत्री महोदय बोल रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सभापति : सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए । आप फैसला कर लीजिए राठौड़ साहब, हीरालालजी, सुनिए, आप। फैसला अब आप कर लीजिए कि मंत्री महोदय का जवाब आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। सुनना है तो उनको अपनी बात कहने दीजिए। उसके बाद में आपको कुछ पूछना हो तो आप उनसे और पूछ लीजिए। बीच–बीच में इस प्रकार का व्यवधान होगा, आप कहो वह गलत बोल रहे हैं, वह कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, इससे समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए शांति से सदन को आप चलने दीजिए, माननीय मंत्री महोदय का जवाब आ जाए उसके बाद आपको क्वैरी करनी हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि अगर यह इच्छा नहीं होती कि इस वाद–विवाद को चलाएं तब तो शायद हम रात्रि को 10 बजे तक भी यहां नहीं बैठते। इसके पीछे मंशा यही थी कि हम इस विषय पर पूरा वाद–विवाद करें। आपकी बात भी हम सुनें, हमारी बात आप सुनें। लेकिन जब डिमाण्ड रखी तो आपने इसको अकाल, हमारा पूछने का अभिप्राय इतना है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह डिमाण्ड नहीं थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, हमारा यह अभिप्राय है, आप

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केवल एक बात पहले बता दें कि क्या राजस्थान की इन परिस्थितियों को देखते हुए आप राजस्थान अकालग्रस्त घोषित करना चाहते हैं कि नहीं? बस, इतनी सी बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, माननीय राठौड़ साहब, अंकित नहीं हो रहा है। राठौड़ साहब, सुनिए आप। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप एक मिनट सुनिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। जवाब देने के बाद में यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। (व्यवधान) आप यदि यह चाहे कि मंत्री महोदय इस सेंटेंस से शुरू करें, मंत्री महोदय इस सेंटेंस पर खतम करें, यह नहीं होने वाला है। वह अपनी कह रहे हैं, अपनी बात कहने के बाद में आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें ।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री बाबूलाल सिंगारिया : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, वह तो अपने हिसाब से कहेंगे। आपके कहे के हिसाब से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, वह अपनी बात कहेंगे (व्यवधान) हां, व्यवस्था फरमाइए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री सभापति : माननीय व्यासजी ।

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : आप फरमाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

डा. बी. डी. कल्ला : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जवाब को सुनने की क्षमता रखें ।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, फरमाओ, क्या व्यवस्था का प्रश्न फरमा रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है, सभापति महोदय।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : हां, मैंने अनुमति दी है। (व्यवधान)आपके कहे से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, आप व्यवस्था फरमाएं कि क्या व्यवस्था है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल है कि दो दिन से जिस विषय पर सदन में बहस चल रही है, जो कार्य सूची में अंकित है, राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार...(व्यवधान) राज्य के अकाल की स्थिति पर विचार।

श्री सभापति : आप बैठो न।

श्री अमराराम (धोद) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है, सभापति महोदय...

श्री सभापति : मैंने इनको इजाजत दी है, आसन ने इनको इजाजत दी है बोलने की, आप फरमाइए क्या कहते हो, क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल इतना–सा है कि दो दिन से जिस कार्य–सूची पर विचार हो रहा है उसमें लिखा है–"राज्य में अकाल, पेयजल, पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार"। इसका मतलब है कि जो सदन के विचारार्थ विषय आया वह है राज्य में अकाल की स्थिति, मेरा इतना–सा कहना है कि क्या सरकार ने राज्य को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है ? यहां से बात चालू करें, यहां से बात चालू करें। (व्यवधान) राज्य को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है तो क्या राज्य में अकाल संहिता लागू कर दी है?

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे नहीं बनता? राज्य में अकाल घोषित किया है।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य का पाइंट आफ आर्डर निरस्त किया जाता है। (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर निरस्त किया जाता है। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री रमजान खान : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री हरिसिंह (महुवा) : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

डा. सी. पी. जोशी : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। माननीय व्यासजी, इस पाइंट को आपने 5–7 दफे उठा दिया है। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

जो कुछ सुनना है आपको... (व्यवधान)उठ गया है सवाल। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : XXX

श्री सभापति : माननीय व्यासजी। (व्यवधान) इस पर कोई वाद-विवाद नहीं है। माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) माननीय व्यासजी । इस पर कोई वाद-विवाद नहीं है। इस पर कोई डिबेट अलाउ नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. (श्रीमती) कमला : XXX

श्री सभापति : अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सदन में दो दिन में राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री सभापति : खतम कर दूं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत ; माननीय सभापतिजी, राजस्थान में पिछले वर्ष में मानसून की कमी की वजह से राजस्थान सरकार ने लगभग 40 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन अभावग्रस्त गांवों के लिए राजस्थान सरकार ने...(व्यवधान) यह पहला वर्ष है कि राजस्थान में अकाल के 16 अगस्त से राहत कार्य शुरू कराये गये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस और अकाल का चोली-दामन का साथ है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उनके आठ साल के शासनकाल में क्या हुआ था? (व्यवधान) 1991-92 में 30 हजार गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये और केवल 5 करोड़ 40 लाख खर्च किये गये। (व्यवधान) मैं फिगर दे रहा हूं। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए। जब अपनी सरकार थी...(व्यवधान) यह बोल रहा हूं, मैं ड्राउट का ही दे रहा हूं। यह आपके जमाने का ही तो है, यह किसके जमाने का है? यह पढ़ लो । (व्यवधान)

अभी कुछ मुद्दे यहां सामने आये हैं और खास तौर से जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में कुछ कहा गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ग्यारहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की स्थापना करने की सिफारिश

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इसलिए की थी कि–(1) गम्भीर आपदा की स्थिति में राज्यों को पर्याप्त सहायता समय पर मिल सके। (2) सहायता की प्रक्रिया का सरलीकरण हो।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रचलित एन.एफ.सी.आर. की स्कीम को अपर्याप्त मानते हुए अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.22 में कहा था–

"This does not, however, mean that the calamity of rare severity should be left to be attended by the State from their own resources alone. The super cyclone in Orissa (October, 1999) and the drought prevailing currently in some State are a pointer to the fact that a State faced with a severe natural calamity will not be able to provide relief to the affected area and population all alone and will depend on the assistance from other State and the Central Government. In a situation like this, the decisions will necessarily have to be made on an emergent basis without waiting for an assessment of the damage by a Central team followed by confabulations in an inter-ministerial group and decision by NCRC. There is, therefore, a need to develop a system in which it should be possible to take suo motu cognizance of the occurence of calamities of rare severity by the Central Government without waiting for any memorandum from the State Government or for the deputation of a Central team for getting an on-the-spot assessment of the damage and of the extent of relief required. In our view, this task can be entrusted to an independent body of experts who should monitor the occurrences of natural calamity on a regular basis in all the States. For this purpose, a National Central for Calamity Management (NCCM) may be established under the Ministry of Agriculture to monitor the natural calamities relating to cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm."

वित्त आयोग की इस सिफारिश को संघीय सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए 15 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि योजना लागू कर दी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गयी। इस योजना का पैरा 3 निम्नप्रकार है:-

"Natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire flood and hailstorm, considered to be of severe nature requiring expenditure by the State Government in excess of the balances available in its own Calamity Relief Fund by the National Centre for Calamity Management (NCCM) will qualify for relief assistance under the scheme."

इससे स्पष्ट है कि आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त राशि का पुनर्भरण इस योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। इस प्रकार आपदा की स्थिति का मुकाबला करने हेतु दो योजनाएं हैं-(1) आपदा राहत कोष जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। (2) यदि आपदा राहत कोष में राशि कम पड़े तो अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से प्रदान की जाएगी। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारे)

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने सदन को गुमराह किया। (व्यवधान) 1987-88 में तत्कालीन भारत सरकार ने 122 और 300...(व्यवधान) आराम से बोलो, जो गेहूं भारत सरकार ने दे दिया...(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी के अलावा किसी का अंकित नहीं करें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. महेश जोशी : XXX (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तकलीफ होगी, सुनने में तकलीफ होगी।

डा. महेश जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. महेश जोशी : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 3.2.2003 तक केवल 10 लाख 10 हजार मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन किया गया। बाकी गेहूं कब मिलेगा, अभी तक कोई पता नहीं है। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान) इतना तो गुमराह मत करो सदन को। (व्यवधान) सही बात जानकारी में आने दो। (व्यवधान) केवल 1100 करोड़ रुपये का गेहूं दिया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

कटारिया साहब, प्रतिपक्षप के नेता महोदय, सुनो, आठ साल तक अकाल पड़ा, आठ साल तक आपने क्या किया? (व्यवधान) यह सारा रुपया हजम कर गये, सभापतिजी। (व्यवधान) ये आंकड़े मेरे पास में हैं, आंकड़े बताते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मजदूर मंगाने की बात नहीं है। (व्यवधान) पशु केन्द्रों के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है। (व्यवधान) चार लाख लोगों को अनुग्रह सहायता दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री सभापति : मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि अगर भारत सरकार को हमने मेमोरेंडम दिया, 7519 करोड़ वह देगी तो एक व्यक्ति को निश्चित रूप से रोजगार दे दिया जाएगा।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी, आपको सदन को एक सूचना देनी थी वह दे दीजिए। गृह मंत्रीजी, सदन को जानकारी देनी है वह दे दीजिए। (व्यवधान)

सूचना

मुख्य मंत्री के बारां दौरे के समय स्थानीय विधायक के स्वास्थ्य की स्थिति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय सभापतिजी, दिनांक 1 मार्च, 2003 को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान बारां जिले के एक दिवसीय दौरे पर... (व्यवधान) जाओ न, जाओ न, अब जाओ न, अब क्या हो गया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : XXX

श्री सभापति : बैठो, बैठो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दिनांक 1 मार्च, 2003 को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान बारां जिले के एक दिवसीय दौरे पर गये थे। सर्किट हाउस, बारां पर मुख्य मंत्रीजी के आगमन पर आजमन, जन प्रतिनिधिगण, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य मंत्रीजी सर्किट हाउस में कई लोगों से मिले एवं उनके ज्ञापन भी लिये। उन्होंने सर्किट हाउस के बाहर बने पण्डाल में एकत्रित लोगों के भी अभाव अभियोग सुने।

मुख्य मंत्रीजी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जालेड़ा गांव में स्थित गौशाला के

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

नवनिर्मित पशु शैड का लोकार्पण एवं विस्तार योजना का शिलान्यास भी सम्मिलित था, स्थानीय विधायक श्री शिवनारायण नागर एवं उनके समर्थक मुख्य मंत्रीजी का इस कार्यक्रम में जाने का विरोध कर रहे थे। मुख्य मंत्रीजी का कारकेड जैसे ही पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के लिए रवाना होने को था कि माननीय विधायक बारां एवं उनके समर्थक मुख्य मंत्रीजी की कार के सामने बैठ गये। माननीय विधायक महोदय कुछ क्षणों के लिए लेट भी गये। यह देखकर मुख्य मंत्रीजी स्वयं कार से उतरे एवं श्री नागर के पास गये। मुख्य मंत्रीजी के समझाने पर श्री नागर एवं उनके समर्थक कार के आगे से हट गये। मुख्य मंत्रीजी का कारकेड पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के लिए चला गया।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री नागर को घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ने एवं सीने में दर्द की शिकायत हुई। इस पर उन्हें उपस्थित अधिकारियों ने जिलाधीश बारां की कार से राजकीय चिकित्सालय, बारां पहुंचा कर भर्ती कराया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बारां के अनुसार माननीय विधायक महोदय की घबराहट एवं बेचैनी के कारण ई.सी.जी. कराई गई जो सामान्य पाई गई, लेकिन रक्तचाप बढ़ने के लक्षण पाये गये। क़ोटा से हृदय रोग विशेषज्ञ ने भी आकर उनकी जांच की तो सामान्य पाया तथा सलाह दी कि उचित समझें तो उनकी पूरी जांच कोटा या जयपुर में करा ली जाए क्योंकि वे हृदय रोग के पुराने मरीज हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय विधायक महोदय व उनके परिजनों ने उनका जयपुर में चैकअप कराने की इच्छा जाहिर की, जिस पर माननीय विधायक महोदय को बारां से दिनांक 2 मार्च, 2003 को जयपुर रैफर कर दिया गया। माननीय विधायक महोदय एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में आब्जर्वेशन हेतु भर्ती हैं तथा डाक्टर के अनुसार उनकी स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति स्थिर है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

शिवनारायणजी नागर के खिलाफ थे और उसने कहा था कि ये लोग चार्ज लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की बैठक दिनांक 5 मार्च, 2003 दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.50 बजे बुधवार; 5 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या–108 की सूची)

जिलेवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत आं.बा. केन्द्र	संचालित आं.बा. केन्द्र	निर्मित भवनों में संचालित आं.बा. केन्द्र*
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	1329	1326	93
2.	अलवर	2079	2060	124
3.	बांसवाड़ा	1234	1234	1187
4.	बारां	704	704	61
5.	बाड़मेर	1273	1271	611
6.	भरतपुर	1408	1405	147
7.	भीलवाड़ा	1344	1344	282
8.	बीकानेर	970	968	93
9.	बून्दी	619	619	25
10.	चित्तौड़गढ़	1568	1565	410
11.	चूरू	1071	1070	161
12.	दौसा	865	865	116
13.	धौलपुर	527	520	138
14.	डूंगरपुर	782	782	750
15.	हनुमानगढ़	830	830	07
16.	जयपुर	2266	2265	137
17.	जैसलमेर	327	326	254
18.	जालौर	999	998	103
19.	झालावाड़	830	830	104

1	2	3	4	5
20.	झुंझुनूं	1239	1236	276
21.	जोधपुर	1447	1432	98
22.	करौली	787	786	58
23.	कोटा	848	848	53
24.	नागौर	1840	1839	289
25.	पाली	1290	1287	353
26.	राजसमन्द	678	677	218
27.	सवाईमाधोपुर	699	698	84
28.	सीकर	1509	1509	197
29.	श्रीगंगानगर	1228	1228	20
30.	सिरोही	620	620	159
31.	टोंक	846	846	279
32.	उदयपुर	1654	1654	311
	कुल योग	**35710**	**35642**	**7198**

*उक्त भवन विभागीय राशि से अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा अन्य योजनाओं में निर्मित किये गये है।

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ.2( ) बजट/पसृं/सीएसएस/मबावि/97/13805 जयपुर, दिनांक 21.2.2003

प्रेषक :–
उप शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :–
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय : आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–1–3/2002–सीडी–1 (Vol-11) दिनांक 16.1.2003 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में दिनांक 1.4.2002 से वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार मानदेय दरों में वृद्धि करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	श्रेणी	मानदेय की वर्तमान दर प्रतिमाह (रुपये)	मानदेय की नवीन दर दिनांक 1.4.2002 से प्रतिमाह (रुपये)
अ.	**आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता**		
	1. नान मैट्रिक	438/–	938/–
	2. नान मैट्रिक 5 वर्ष कार्यानुभव	469/–	969/–
	3. नान मैट्रिक 10 वर्ष कार्यानुभव	500/–	1000/–
	4. मैट्रिक	500/–	1000/–
	5. मैट्रिक 5 वर्ष कार्यानुभव	531/–	1031/–
	6. मैट्रिक 10 वर्ष कार्यानुभव	563/–	1063/–
ब.	**आंगनबाड़ी सहायिका**	**260/–**	**500/–**

उपरोक्त मानदेय की सेवाओं को शासित करने वाली अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। मानदेय पर होने वाला समस्त व्यय भार सम्बन्धित लेखा मदों से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 156 दिनांक 13.2.2003 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह०/–
उप शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

छात्रावासों हेतु क्रय सामग्री में अनियमितता

111. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गत पांच वर्षों में सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई? क्या गद्दे, तकिये एवं खेस आदि सामग्री बिना निविदा के ही खरीदी गई? यदि हां, तो कब–कब एवं क्यों? क्रय आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खरीद में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निविदा अन्य कम्पनी के मांगे गये एवं सप्लाई दूसरी कम्पनी से की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो इस हेतु कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या–क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों के लिए सामग्री का क्रय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम–II के तहत यथा आवश्यक निविदा प्रक्रिया द्वारा क्रय की जाती है, परन्तु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम–II के नियम 30 के अन्तर्गत दी गई सूची में अंकित सामग्री निविदा आमंत्रित किये बिना राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ एवं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्रय की जा सकती है। इस सूची में गद्दे, तकिये एवं खेस आदि सम्मिलित हैं। विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ एवं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से ही आश्रम छात्रावासों के लिए सामग्री क्रय की गई है जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार :–

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र.सं.	क्रय सामग्री का नाम	वर्षवार क्रय सामग्री की संख्या					
		1998	1999	2000	2001	2002	योग
1.	कम्बल	1335	95	600	1250	8590	11870
2.	गद्दे	1335	–	450	2282+ 240 कवर	2071	6378
3.	तकिये	1335	–	700	3295	2215	7545
4.	तकिया कवर	1335	180	1400	4710	3080	10705
5.	चद्दर	1335	1905	1520	13050	1476	19286
6.	खेस	–	2165	881	2565	50	5661
7.	दरी	–	–	6	1697+ 6 जाजम	6 दरी पट्टी	1715

क्रय आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है अतः जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(5) जी नहीं, क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्रामीण सहकारी समिति खींवासर (चूरू) के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही

112. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंक चूरू, केन्द्रीय सहकारी बैंक धौलपुर की आडिट कब–कब हुई और आडिट में क्या क्या अनियमितताएं पाई गई तथा अनियमितता करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहकारी

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

बैंक चूरू द्वारा ग्रामीण सहकारी समिति खींवासर, चलकोई, वुटिया को कितना ऋण दिया गया तथा कितना ऋण वितरण किया गया और कितना ऋण वसूल किया गया?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण सहकारी समिति खींवासर (चूरू) खण्डवा के व्यवस्थापक के विरुद्ध गबन का कोई आरोप निर्धारित किया गया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चूरू का आडिट एवं आडिट में पाई गई अनियमितता तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धौलपुर के नाम से राज्य में कोई बैंक पंजीकृत नहीं है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति, खींवासर एवं वुटिया में वितरित एवं वसूल ऋण का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति, चलकोई के नाम से समिति पंजीकृत नहीं है।

(3) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति, खींवासर (चूरू) खण्डवा के व्यवस्थापकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट–1

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चूरू में गत चार वर्षों में हुई आडिट तथा पाई गई अनियमितता का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आडिट रिपोर्ट प्राप्ति दिनांक	पाई गई अनियमितता का विवरण	आरोपी का नाम	पद	आरोपित राशि	की गई कार्यवाही की विवरण
1.	1998–99	20.11.1999	जमा मियादी अमानत के विरुद्ध अधिक ऋण प्राप्ति सैन्ड्री खाते में लिखकर एवं फर्नीचर विक्चर	श्री भंवरलाल बंशीवाल	शाखा प्रबन्धक	15800.00 26145.00	श्री भंवरलाल को दिनांक 13.10.99 को निलम्बित कर जांच कराकर पूर्व राशि मय ब्याज वसूल की जा चुकी है।
2.	1999–2000	15.9.2000	कोई अनियमितता नहीं पाई गई	—	—	—	—
3.	2000–2001	10.10.2001	—"—	—	—	—	—
4.	2001–2002	28.10.2002	—"—	—	—	—	—

परिशिष्ट-2

ग्राम सेवा सहकारी समिति खींवासर एवं बुटिया में गत तीन वर्षों में वितरित एवं वसूल ऋण का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम सेवा सहकारी समिति खींवासर			ग्राम सेवा सहकारी समिति बुटिया		
		दिया गया ऋण	वितरित ऋण राशि	वसूल की गई ऋण राशि	दिया गया ऋण	वितरित ऋण राशि	वसूल की गई ऋण राशि
1.	1999-2000	13.48	13.48	7.86	11.00	11.00	9.23
2.	2000-2001	—	—	0.90	03.59	03.59	01.69
3.	2001-2002	—	—	1.18	12.19	12.19	07.72
	योग	13.48	13.48	9.94	26.78	26.78	18.64

परिशिष्ट-3

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, खींवासर तथा खण्डवा के व्यवस्थापकों के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट्स में पाई गई अनियमितताओं तथा की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम	आडिट वर्ष	आरोपी का व्यवस्थापक का नाम	आरोपित राशि	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	खींवासर	1998-99	श्री उम्मेद सिंह	1637.00	श्री उम्मेद सिंह व्यवस्थापक को बैंक द्वारा आदेश क्रमांक 15548-60 दिनांक 13.2.2003 को निलम्बित किया जा चुका है तथा दिनांक 20.12.2002 को प्रकरण धारा 74 में दर्ज किया जा चुका है।
		1999-2000	" "	79385.00	
		2000-2001	" "	53118.00	
				90558.00	
		1997-98	श्री भागचन्द	9436.32	श्री भागचन्द व्यवस्थापक को बैंक द्वारा आदेश क्रमांक 16672-78 दिनांक 29.3.2001 द्वारा निलम्बित किया गया तथा प्रकरण धारा 74 में दर्ज कराया गया सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चूरू ने दिनांक 30.4.2001 को प्रकरण के निर्णय में भी भागचन्द को दोषी पाया। श्री भागचन्द द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को अपील की गई, जिसका निर्णय दिया 27.8.2001 को करते हुए न्यायालय द्वारा सहायक रजिस्ट्रार के निर्णय को निरस्त कर दिये जाने के कारण श्री भागचन्द को दिनांक 13.11.2001 को पुनः सेवा में लिया गया।
		1998-99	" "	70640.33	
2.	खण्डवा	1998-99	श्री भागचन्द	9600.00	
		1999-2000	" "	6600.00	

श्री सूरजमल तापड़िया राजकीय आई.टी.आई. संस्थान जसवन्तगढ़ का निजीकरण

113. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री सूरजमल तापड़िया राजकीय आई.टी.आई. संस्थान जसवन्तगढ़ जिला नागौर को निजी क्षेत्र पर चलाने के लिये सरकार के समक्ष किसी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो किस के द्वारा कब तथा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त संस्थान को सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंप दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सूरजमल तापड़िया मेमोरियल ट्रस्ट ने अपने पत्र दिनांक 22.12.2000 के द्वारा एक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर परीक्षण किया जा रहा है।

(2) प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

रुग्ण उद्योगों के संचालन हेतु योजना

114. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने उद्योग रुग्ण हैं?

(2) उक्त की रुग्णता दूर कर पुनः संचालन की सरकार की क्या कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम रहे हैं?

(3) उक्त में से कितने उद्योग अनिवार्यतः बन्द करने पड़ेंगे व कितने उद्योग पुनः संचालित हो सकेंगे और उक्त उद्योग कब तक स्वस्थ हो जावेंगे?

उत्तर

(1) राज्य में घोषित लघु रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या दिनांक 31.1.2003 तक 142 है तथा मध्यम एवं वृहद रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या 72 है।

(2) राज्य सरकार ने रुग्ण उद्योगों को पुनः संचालन कर उन्हें स्वस्थ्य बनाने के लिये एक सहायता पुंज घोषित किया है। सहायता पुंज का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उपरोक्त सहायता पुंज के अन्तर्गत पुनः संचालन की इच्छुक कुल 19 इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता/सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी, जिसका इकाइवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि राज्य में स्थापित उद्योग बन्द हो, परन्तु उद्योगों को चालू रखने अथवा बन्द किये जाने का निर्णय उद्यमी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर लिया जाता है जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वस्तुतः औद्योगिक इकाइयां उनकी वायेबिलिटी के आधार पर ही पुनर्जीवित होती है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के प्रयास

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने हेतु निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं :

रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा नियमित भुगतान करने वाली इकाइयों से 2% कम ब्याज वसूल किया जाता है।

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुणता समाप्ति के लिए अन्य उपयुक्त उपाय यथा प्रबन्धकीय परिवर्तन, एक बारीय योजना (ओ.टी.एस.) आदि अपनायी जाती है।

रुग्ण इकाइयों से उनकी रुग्णता की अवधि के दौरान भूमि एवं भवन कर वसूली से पुनर्वास तक की अवधि के लिये मुक्त रखा गया है।

रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवितिकरण के लिए विभिन्न विद्युत वितरण निगमों द्वारा न्यूनतम चार्जेज का 1/3 या वास्तविक उपभोग चार्जेज, जो भी अधिक हो, की वसूली का प्रावधान किया गया है।

ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो स्वयं की भूमि पर स्थापित होती हैं, उनके द्वारा अतिरिक्त भूमि के बेचान की राशि को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक योगदान के रूप में माना जाना।

जिला स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय रुग्ण इकाई चिन्हीकरण समिति का गठन किया हुआ है। यह समितियां रुग्ण उद्योगों के चिन्हीकरण के साथ–साथ उनके पुनर्वास कार्यक्रम का अनुमोदन भी करती है। उक्त समितियों में वित्तीय संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व होता है एवं रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास कार्यक्रम प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के परामर्शानुसार अनुमोदित किये जाते हैं।

राज्य स्तर पर आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित है जो रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास कार्यक्रम एवं सहायता पुंज को स्वीकृत करती है तथा उक्त समिति का निर्णय सभी राजकीय विभागों/उपक्रमों पर बाध्य होता है।

बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु कुछ विशेष प्रावधान किये गए थे जो निम्नानुसार हैं :–

नई औद्योगिक इकाईयों के समकक्ष रुग्ण इकाइयों को बिक्रीकर में छूट/आस्थगन का लाभ। प्रबन्धन में परिवर्तन के माध्यम से नये विनियोजन के साथ यदि रुग्ण इकाई पुनर्जीवित होती है तो उसे नई इकाई के समान बिक्री कर छूट दी जाती है बशर्ते कि ऐसी इकाई ने पूर्व में बिक्री कर का लाभ न लिया हो।

ऐसी रुग्ण इकाइयां जो प्रबन्धन में परिवर्तन के साथ-साथ नये पूंजी विनियोजन से पुनर्जीवीकरण हेतु प्रयासरत हो उनको नई इकाइयों के समकक्ष बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन की पात्रता। राज्य सरकार/रीको/राजस्थान वित्त निगम से नये प्रबन्धन द्वारा लीज पर ली गई रुग्ण इकाई को भी नई इकाई के समान कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिलता है।

योजनान्तर्गत अपात्र उद्योगों की श्रेणी में आने वाली रुग्ण इकाइयों को भी बिक्रीकर मुक्ति/आस्थगन का लाभ।

राज्य स्तरीय अन्तर संस्थान समिति (SLIIC) का शासन सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में पुनर्गठन, ताकि पुनर्जीवीकरण की इच्छुक रुग्ण इकाइयों को विभिन्न बैंको से आ रही समस्याओं का निराकरण हो सके।

वित्तीय समस्याओं से जूझ रही औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा 1% कम ब्याज दर पर ऋण एवं बकाया का रीशिड्यूलमेंट किया जाता है।

ऐसी इकाइयां जो रुग्णता के विभिन्न स्तर पर हों एवं उनको पूर्व में ऊंची ब्याज दर पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी, उनके पूर्व में स्वीकृत ऋण की ऊंची ब्याज दर को घटाये जाने का प्रावधान है।

जो रुग्ण इकाइयों बन्द होने के कगार पर हैं, उनके लिए बकाया राशि पर ब्याज की राशि को पूर्णतया माफ किये जाने तथा बकाया राशि के रीशिड्यूलमेंट का प्रावधान है।

वृहद्ध स्तर की परियोजनाओं, जिनमें हजारों लोगों को नियोजन मिला हुआ है, एवं जो रुग्णता की ओर अग्रसर हो रही हो, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है।

ऐसी रुग्ण इकाइयां जो दिनांक 30.4.2000 तक सक्षम स्तर से रुग्ण घोषित की जा चुकी हैं अथवा रीको/राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई हैं, उन्हें

बिक्रीकर आस्थगन/मुक्ति योजना, 1998 के अन्तर्गत परिलाभ देय है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(5) एफ डी/ग्रुप–4/75–222, दिनांक 27 जनवरी, 1998 में अंकित ऐसी रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व हस्तान्तरण होने पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति भी देय है।

दिनांक 30.4.2000 तक सक्षम स्तर से घोषित रुग्ण इकाईयों को 31.12.2001 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की शर्त थी, परन्तु समय पर अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण यदि वे ऐसा नहीं कर पाई, तो ऐसी इकाइयों को गुण–दोष के आधार पर उनके उत्पादन की सीमा को बढ़ाये जाने का प्रावधान भी किया गया है, जो ऐसी सभी इकाईयों को मिलेंगा जो 30.4.2001 को इस श्रेणी में आ गई।

ऐसी रुग्ण इकाइयां जो पूर्व में स्वीकृत उत्पाद (Product mix) में परिवर्तन कर पुनः संचालन में आ जाती है, अथवा ऐसी इकाइयां, जिनके उत्पादन में परिवर्तन करने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनको पूर्व में बिक्रीकर प्रोत्साहन/मुक्ति/आस्थगन योजना 1987/1989/1998 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन की राशि की सीमा अथवा अवधि की सीमा में से बची हुई राशि तथा बची हुई सीमा अवधि तक बदले हुए उत्पाद के उत्पादन पर भी बिक्रीकर की छूट/आस्थगन का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

रीको एवं वित्त निगम के द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहीत इकाइयों की परिसम्पत्तियों के बेचान से प्राप्त शुद्ध राशि ऋणदात्री संस्थाओं यथा आर.एफ.सी. अथवा रीको एवं दूसरे विद्युत, वाणिज्यिक कर, यातायात, भूमि एवं भवन कर, एक्साइज, जलदाय, उद्योग इत्यादि राज्य सरकार के विभागों के बीच 70 : 30 के अनुपात में वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि राज्य सरकार के उक्त विभागों की कुल बकाया राशि 30% से कम होगी तो अवशेष राशि ऋणदात्री संस्थाओं को उनके बकाया भुगतान के लिए उपलब्ध होगी।

परिशिष्ट–"ब"

रुग्ण चिन्हिकृत इकाइयों को सहायता/सुविधाएं प्रदान कराई गई हैं, जो निम्नप्रकार है

क्र.सं.	इकाई का नाम	पुनर्वास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई गई सहायता सुविधाएं
1	2	3
1.	मै. कालसन इंजी. इण्ड. प्रा. लि. बिन्दायका, जयपुर	इकाई को लार्ड कृष्णा बैंक से 7.00 लाख का टर्म लोन एवं 75 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट पुनर्वास पैकेज पर दी गई।
2.	मै. अशोका फाउण्ड्री एण्ड मेटल वर्क्स, ओ. क्षेत्र झोटवाड़ा, जयपुर।	इकाई को पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एल.बी.एस. कालेज से 30 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट प्रदान की गई।
3.	मै. ब्रादर फर्मा प्रा.लि. वि.के.ओ. क्षेत्र, जयपुर।	इकाई को जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से विद्युत खर्च बिल्स में 47508/– रु. की छूट प्रदान की गई।
4.	मै. एलोरा बियरिंग, एण्ड प्लास्टोटेक प्रा. लि. वि.क.ओ. क्षेत्र जयपुर।	इकाई को जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से विद्युत खर्च बिल में 42066/– रु. की छूट प्रदान की गई।
5.	मै. जानकी फोम इण्डिया प्रा. लि. बिन्दायका, जयपुर।	इकाई को जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. से विद्युत खर्च बिल में 16.67% की रियायत दी गई।
6.	मै. योगेश वुलन्स प्रा. लि. वि.क.ओ. क्षेत्र, जयपुर।	राज. वित्त निगम से पुनर्वास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था। लेकिन इकाई द्वारा आवश्यक शर्तों/पत्रादि की पूर्ति इकाई द्वारा नहीं किये जाने के कारण कोई लाभ नहीं दिया गया है।
7.	मै. मित्ता लोक्स, प्रा. लि. वि. क.ओ. क्षेत्र, जयपुर।	राज. वित्त निगम से पुनर्वास कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था लेकिन इकाई द्वारा आवश्यक शर्तों/पत्रादि की पूर्ति इकाई द्वारा नहीं किये जाने के कारण कोई लाभ नहीं दिया गया।
8.	मै. वतन प्रेस. एम.आई. रोड, जयपुर।	राज. वित्त निगम से पुनर्वास कार्यक्रम अनुसार इकाई को 32 लाख रु. दिनांक 28.2.1994 को स्वीकृत किया गया जिसके विरुद्ध इकाई को निगम द्वारा 31.48 लाख रु. वितरित किये जा चुके हैं।
9.	मै. पंचशील मार्बल्स प्रा. लि. रीको ओ. क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर (ग्रामीण)	इकाई राज. वित्त निगम से वित्त पोषित है। राज. वित्त निगम द्वारा इकाई को पुनर्वास कार्यक्रम अनुमोदित हो चुका है। इकाई ने पत्रांक दिनांक 7.3.2001 द्वारा अवगत कराया है कि

1	2	3
		1. बिक्रीकर प्रो. योजनान्तर्गत रूग्णता लाभ 11 वर्ष हेतु रु. 19.05 लाख रु. की सुविधा प्रदान की गई है। 2. दण्डनीय ब्याज में रा.वि.वि.नि. द्वारा रु. 2, 95,140/- की छूट प्रदान की गई है। 3. ब्याज दर 14.05% पर रा.वि.नि. द्वारा किश्तों का पुनर्निनिर्धारण कराया गया है।
10.	मै. श्री कल्याण सिलीकेट उद्योग, ग्राम रेनवाल माजी, जयपुर (ग्रामीण)	इकाई को बिक्रीकर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा रु. 7.58 लाख का लाभ दिया गया है।
11.	मै. आशुतोष फ्लोर मिल, नवलगढ़, झुंझुनूं	इकाई को अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा फर्म की बिल राशि में 94, 914/- रु. की छूट दी गई है।
12.	मै. एग्रो पोलिमर्स प्रा. लि. मेवाड़, उदयपुर	इकाई को 3.00 लाख रु. डी.जी. सैट हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है।
13.	मै. सिसोदिया मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्रा. लि. चित्तौड़गढ़	इकाई को राज. वित्त निगम से दिनांक 12.10.1998 को 48.50 लाख रु. ऋण स्वीकृत हुए हैं।
14.	मै. संजय स्टोन कटिंग एवं पोलिशिंग इण्ड.जी-1, 428 (1) इण्ड एरिया कोटा	इकाई ने बैंक से पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर लिया है एवं इसका विस्तार कर विभाग से बिक्री कर में छूट का लाभ भी प्राप्त कर लिया है।
15.	मै. प्रशान्त केमिकल्स ओ.क्षेत्र, भिवाड़ी	इकाई को बिक्री कर छूट का लाभ दिया गया है।
16.	मै. मालवीय उद्योग, ओ. क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन	इकाई को बिक्री कर आस्थगन/प्रोत्साहन के अन्तर्गत 1,88,750/- रु. से लाभान्वित किया गया है।
17.	मै. रामदेव ब्रुश इण्ड. ओ. क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन	इकाई को बिक्रीकर आस्थगन/प्रोत्साहन के अन्तर्गत 2,96,717 रु. का लाभ दिया गया है।
18.	मै. किरण सीमेंट इण्ड. गुड़िया प.सं. रामपुर	इकाई को बिक्रीकर/प्रोत्साहन आस्थगन योजना के अन्तर्गत 6, 44, 720/- रु. से लाभान्वित किया गया है।
19.	मै. अजन्ता ओ. क्षेत्र भरतपुर	मै. अजन्ता ओ. क्षेत्र भरतपुर को मै. प्रवीन एंटरप्राइजेज भरतपुर द्वारा बेचान होने पर खरीदा गया है। उस पर स्टाम्प ड्यूटी का लाभ दिया गया है।

खेलों के विकास हेतु व्यय राशि

115. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) एवं श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खेल नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो उक्त की घोषणा कब कर दी जावेगी?

(2) वर्ष 2002–2003 मे खेल विभाग का कितना बजट है एवं कुल बजट में से खेलों के विकास पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खेल नीति शीघ्र ही तैयार कर ली जावेगी।

(2) वर्ष 2002–2003 में खेल विभाग का रुपये 18.00 लाख का बजट आबंटन हुआ है, जिसमें से रुपये 8, 66, 600/– की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अवशेष राशि की स्वीकृतियां प्रक्रिया में हैं, जो शीघ्र जारी कर दी जावेंगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत मिसिंग लिंक सड़कें

116. श्री अमीन खान (शिव): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2003 तक सारे ग्राम 1000 की आबादी वाले पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है? यदि हां, तो राज्य में कितने गांव और कितने पंचायत मुख्यावास जोड़े जायेंगे? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मिसिंग लिंक सड़कें कितनी स्वीकृत की जा रही हैं और कब तक उक्त सड़कों के बनने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1000 व 1000 से अधिक आबादी के सड़कों से नहीं जुड़े सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से वर्ष 2003 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत जोड़े जाने वाले गांव व पंचायत मुख्यालयों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मिसिंग लिंक सड़कें जोड़ने की योजना सम्बन्धी विचार चल रहा है।

परिशिष्ट–अ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

जिलेवार सूची

क्र.सं.	जोन/जिला	योजनान्तर्गत जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या	जोड़े जाने वाले पंचायत मुख्यालय (ये कालम 3 में भी सम्मिलित है)
1	2	3	4
1.	अजमेर	11	2
2.	अलवर	68	7
3.	बांसवाड़ा	46	9
4.	बारां	17	2
5.	बाड़मेर	36	4
6.	भरतपुर	53	14
7.	भीलवाड़ा	38	13
8.	बीकानेर	27	4
9.	बूंदी	18	9
10.	चित्तौड़गढ़	20	3
11.	चूरू	49	8
12.	दौसा	39	5
13.	धौलपुर	39	6
14.	डूंगरपुर	30	5
15.	हनुमानगढ़	18	3
16.	जयपुर	49	4

1	2	3	4
17.	जैसलमेर	14	2
18.	जालौर	41	4
19.	झालावाड़	23	10
20.	झुंझुनूं	29	5
21.	जोधपुर	47	10
22.	करौली	37	13
23.	कोटा	12	1
24.	नागौर	35	2
25.	पाली	14	0
26.	राजसमन्द	16	1
27.	सवाईमाधोपुर	34	0
28.	सीकर	79	20
29.	सिरोही	10	1
30.	गंगानगर	8	6
31.	टोंक	14	4
32.	उदयपुर	58	18
	योग	1029	195

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सुविधाओं पर व्यय

117. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत छह महीनों में राज्य मंत्री मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते, टेलीफोन एवं बिजली पानी का कुल कितना खर्चा हुआ? प्रत्येक मंत्री पर विभिन्न मदों में कितना कितना खर्चा हुआ?

(2) गत वर्ष की तुलना में मंत्रि मण्डल के सदस्यों पर कितना अधिक व्यय हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि मंत्रि मण्डल के कई सदस्य महीने में 15 दिन से भी अधिक समय जयपुर से बाहर रहते हैं?

(4) क्या सरकार ने उक्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चे की कोई अधिकतम सीमा तय कर रखी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जनहित में मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्य माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त कर ही 15 दिन से अधिक समय तक निजी/राजकीय दौरे पर रहे हैं।

(4) जी हां। सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

माह अगस्त-2002 से जनवरी-2003 (छह माह) के दौरान मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों के वेतन भत्ते, टेलीफोन एवं बिजली-पानी पर हुए व्यय का विवरण निम्नप्रकार से है

क्र.सं.	नाम मंत्रिमण्डल	वेतन भत्ते	टेलीफोन	बिजली	पानी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री	150000/-	511736/-	—	—
2.	श्री बनवारीलाल बैरवा, उप मुख्य मंत्री	120000/-	69620/-	38605/-	610/-
3.	डा. कमला, उप मुख्य मंत्री	120000/-	36958/-	17610/-	326/-
4.	श्री बी. डी. कल्ला	120000/-	82518/-	32859/-	4401/-
5.	श्री छोगाराम बाकोलिया	120000/-	59160/-	20758/-	432/-
6.	श्री सी. पी. जोशी	120000/-	34202/-	24301/-	381/-

1	2	3	4	5	6
7.	डा. चन्द्रभान	120000/–	41059/–	29712/–	2839/–
8.	श्री गुलाब सिंह शक्तावत	120000/–	72502/–	32604/–	5768/–
9.	श्री हरेन्द्र मिर्धा	120000/–	75547/–	8250/–	7608/–
10.	श्री खेतसिंह राठौड़	120000/–	24972/–	37402/–	3570/–
11.	श्री प्रद्युम्न सिंह	120000/–	46340/–	32076/–	753/–
12.	श्री रामसिंह विश्नोई	44516/–	4710/–	—	—
13.	श्री रामकिशन वर्मा	120000/–	28422/–	13991/–	300/–
14.	श्री शांति धारीवाल	120000/–	47042/–	24697/–	2631/–
15.	श्री तैय्यब हुसैन	120000/–	84727/–	6543/–	6922/–
16.	श्री रामनारायण चौधरी	132000/–	34092/–	11382/–	1582/–
17.	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर	120000/–	57779/–	17473/–	—
18.	श्री माधव सिंह दीवान	120000/–	57426/–	8805/–	109/–
19.	श्री जनार्दन गहलोत	120000/–	32231/–	2884/–	485/–
20.	श्री हीरालाल इन्दौरा	120000/–	94963/–	25455/–	6432/–
21.	श्री परसादीलाल मीणा	120000/–	29397/–	29220/–	1525/–
22.	श्रीमती बीना काक	114000/–	126083/–	—	2120/–
23.	श्री चन्द्रशेखर	114000/–	48707/–	17064/–	2794/–
24.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	114000/–	42097/–	25392/–	2151/–
25.	डा. जीतेन्द्र सिंह	114000/–	74718/–	29031/–	4018/–
26.	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)	114000/–	61801/–	27483/–	828/–
27.	मास्टर भंवरलाल	114000/–	51037/–	22683/–	4425/–
28.	श्री राजेन्द्र चौधरी	114000/–	44199/–	27765/–	6620/–
29.	श्री दयाराम परमार	114000/–	37868/–	28812/–	3420/–
30.	श्री तकीउद्दीन अहमद	114000/–	29273/–	9734/–	62/–

1	2	3	4	5	6
31.	श्री हबीबुर्रहमान	114000/–	33074/–	839/–	1539/–
32.	श्री हेमाराम चौधरी	114000/–	47769/–	9575/–	358/–
33.	श्री रामस्वरूप मीणा	114000/–	49647/–	18776/–	184/–
34.	श्री रामगोपाल बैरवा	114000/–	25158/–	11398/–	3668/–
35.	श्री के. सी. विश्नोई	114000/–	57769/–	19787/–	513/–
36.	श्री रघुवीर मीणा	114000/–	39388/–	15005/–	662/–
37.	श्री राधेश्याम गंगानगर	114000/–	63056/–	25890/–	1158/–
38.	श्री परसराम मोरदिया	114000/–	53714/–	4770/–	371/–
39.	श्री शैलेन्द्र जोशी	114000/–	42510/–	13514/–	928/–
40.	श्री रतनलाल ताम्बी	114000/–	60568/–	10326/–	586/–
41.	श्रीमती ममता शर्मा	64500/–	26115/–	7023/–	–
42.	श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई	64500/–	17645/–	19155/–	162/–
43.	स्व. श्री भीखाभाई	–	13781/–	24232/–	355/–
44.	श्री अब्दुल अजीज	–	2312/–	2097/–	–
		4741516/–	2568982/–	784973/–	83596/–

प्रश्न के भाग संख्या–2 के क्रम में अगस्त–2001 से जनवरी–2002 तक निम्नप्रकार व्यय किया गया है

3692000/–	3150273/–	644169/–	84534/–

परिशिष्ट "ख"

मंत्रिमण्डल के सदस्यों को देय वेतन भत्ते, टेलीफोन एवं बिजली-पानी के सम्बन्ध में निर्धारित सीमा सम्बन्धी विवरण

	मुख्य मंत्री	मंत्रीगण	राज्य मंत्रीगण
1. वेतन			
(क) वेतन (प्रतिमाह)	15000/-	13000/-	12000/-
2. टेलीफोन			
(क) कार्यालय हेतु	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं
(ख) निवास हेतु	कोई सीमा नहीं	15000 काल्स प्रति दो माह	11250 काल्स प्रति दो माह
3. बिजली (प्रतिवर्ष)	32500 यूनिट	16250 यूनिट	16250 यूनिट
4. पानी (प्रतिवर्ष)	75 लाख लीटर	44 लाख लीटर	44 लाख लीटर

बिक्री कर की वसूली एवं प्राप्ति

118. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत पांच वर्षों में बिक्री कर की कितनी-कितनी राशि की मांग कायम की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी-कितनी वसूली हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में बिक्री कर की मांग व वसूली निम्नप्रकार से की गई :

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सृजित मांग	अपील द्वारा कम की गयी मांग	सम्बंन्धित वर्ष में वसूली/ समायोजित राशि
1997-98	638.65	31.38	161.09
1998-99	853.30	35.52	295.82
1999-2000	632.09	8.08	191.75
2000-2001	1110.08	98.23	421.06
2001-2002	1008.92	54.35	333.06

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

119. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में पेयजल किल्लत के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक/सांसद, जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितने हैण्डपम्प/पेयजल स्कीमों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी प्रस्तावों के अनुरूप अधिकांश हैण्डपम्प/पेयजल स्कीमें आज तक प्रारम्भ नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार इन्हें कब तक स्वीकृत कर चालू कर देगी?

(3) उक्त में से कौन-कौन सी पेयजल स्कीमें/हैण्डपम्प स्वीकृति के बावजूद अब तक चालू होने शेष हैं? अब सरकार कब तक इन्हें चालू कर देगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में पेयजल किल्लत के समाधान हेतु क्षेत्रीय विधायक/ सांसद/जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा वर्ष 1999 से 2002 तक कुल 248 हैण्डपम्प एवं 1 पेयजल योजना के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं। प्राप्त प्रस्तावों में से 205 हैण्डपम्प एवं 1 पेयजल योजना पूर्ण कर चालू की गई है। शेष 43 हैण्डपम्पों के प्रस्ताव विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

इन्दिरा गांधी नहर के अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमितता की जांच

120. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमितता की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध?

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2002-2003 में उक्त परियोजना में कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है और अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जिन अभियन्ताओं के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच करवाई गई है, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जांच में दोषी पाये गये अभियन्ताओं एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 2002-2003 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 130 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है और अब तक (जनवरी, 2003) कुल 86.1 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट "स" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–"अ"

गत तीन वर्षों में अनियमितताओं के विरुद्ध की गई जांच एवं निर्णय/दण्डित की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	विषय	विशेष विवरण
1	2	3	4
वर्ष 2000			
1.	श्री माधो जैन, सहायक अभियन्ता	सरकारी वाहन का दुरुपयोग	आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त कर दिया गया।
2.	श्री कांतिलाल कनिष्ठ अभियन्ता	शिकायत के आधार पर	शिकायत झूठी पाई गई।
3.	श्री रमेशचन्द भार्गव, सहा. अभि.		
4.	श्री अनिल कुमार राजवंशी, सहा. अभि.	बिना कार्य वेतन लेना व अभियंताओं को ब्लैकमेल करने बाबत शिकायत	शिकायत निराधार पाई गई।
वर्ष 2001			
5.	श्री वीरविजय सिंह, सहा. अभि.	अधिनियम धारा 25 (एफ) की कार्यवाही बाबत	जांच प्रतिवेदन का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
6.	श्री वी.के. गुप्ता, सहा. अभि.	स्टाक एण्ड टी. एण्ड पी., लेखों के संधारण करने के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार को हुई हानि की राशि की वसूली की जा चुकी है।
7.	श्री एन. के. भाटिया, सहा. अभि.	गलत प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत	लिखित चेतावनी दी जा चुकी है
8.	श्री दिलीप सिंह, क. अभि.	सेवाभिलेख में कांट–छांट कर अधिक सेवा करने बाबत	आरोप पत्र मुख्य अभियन्ता सिंचाई को भेजा जा चुका है।

1	2	3	4
9.	श्री मदन मोहन सिंह, क. अभि.	स्टाक टी. एण्ड पी. का चार्ज नहीं देने बाबत	सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।
10.	श्री आर.पी. माथुर, सहा. अभि.	भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत	शिकायत निराधार पाई गई कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ।
11.	श्री अमर सिंह बेनीवाल, सहा. अभि.	शिकायत के आधार पर	शिकायत द्वेषपूर्ण भावना से होने के कारण आरोप सारहीन पाये गये।
12.	श्री महावीर प्रसाद नैण, सहा. अभि.	गुमनाम शिकायत प्राप्त होने पर जांच	आरोप निराधार पाये गये।
13. 14.	श्री त्रिलोचन सिंह, सहा. अभि. श्री मघाराम, क. अभि.	साहवा लिफ्ट कि.मी. 20 पर स्थित भट्टे पर अधिक कोयले की खपत ठेकेदार से वसूली में अनियमितता बाबत	श्री त्रिलोचन सिंह श्री मघाराम को निलम्बित किया गया जाचं प्रतिवेदन सतर्कता इकाई के पत्र संख्या 178 दिनांक 31.7.2001के द्वारा मण्डल कार्यालय को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।
15. 16. 17.	श्री जयभगवान गौड़, अधिशासी अभि. श्री भंवर सिंह शेखावत, सहा. अभि. श्री भंवर सिंह शेखावत, कनिष्ठ अभि.	जन लेखा समिति के पैरा संख्या 4.1.7.6 (क) अनुशंसा के अनुसार झुंझुनवाला वितरिका के निर्माण कार्य में अनियमितता बाबत	कार्मिक (क–3) विभाग के ज्ञापन दिनांक 29.1.2000 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये एवं प्रकरण कार्मिक (क–3) विभाग में विचाराधीन है।

1	2	3	4
18.	श्री रतन लाल जाटव कनिष्ठ अभि.		
19.	श्री जयभगवान गौड़, अधिशासी अभि.	आसूतार वितरिका के निर्माण कार्य में चैकिंग नहीं डालने बाबत।	कार्मिक (क–3) विभाग के ज्ञापन दिनांक 29.1.2001 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये एवं प्रकरण कार्मिक (क–3) विभाग में विचाराधीन है।
20.	श्री जसवीर सिंह, क. अभि..	माल की डिलीवरी बिना नाप तोल के प्राप्त करने से हुई आर्थिक हानि।	राज्य सरकार को हुई हानि की वसूली अधिकारी से एक मुश्त कर भविष्य में सावचेत रहने की चेतावनी दी गई।
21.	श्री भैलेराम, क. अभि.	स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत	राज्य सेवा से बरखास्त कर दिया गया।
22.	श्री जे.पी. त्यागी, क. अभि.	टी. एण्ड पी. सामान कम पाए जाने बाबत	प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर पुनरीक्षण किया जा रहा है।
23.	श्री एम. के. गुप्ता, अधिशासी	सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने बाबत	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
24.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा, क. अभि.	ठेकेदारों से मिलीभगत से सीमेन्ट बेचने बाबत	शिकायत आधारहीन होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।
25.	श्री के. एम. दानी, अधीक्षण,अभि.	ठेकेदार से मिलीभगत कर राज्य सरकार को	शिकायत निराधार पाई गई।

1	2	3	4
26.	श्री पी.सी. जैन, अधीक्षण, अभि.	हानि पहुंचाने बाबत।	
27.	श्री भंवरदान, बिट्ठू अधीक्षण, अभि.	अवार्ड जारी करने के विलम्ब बाबत।	जांच प्रतिवेदन मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।
28.	श्री आनन्द सिंह, अधिशासी अभि.		
29.	श्री गुरदीप सिंह, सहा. अभि.	गजनेर लिफ्ट की बुर्जी 19 से 20 के मध्य क्षतिग्रस्त होने बाबत।	आरोपित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्ताव मय जांच प्रतिवेदन मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत कर दिये गयें हैं।
30.	श्री महावीर प्रसाद, नैण, सहा. अभि.		
31.	श्री कासम अली, क. अभि.		
32.	श्री श्रीनिवास रौहिला, अधिशासी अभि.		
33.	श्री श्याम लाल गुप्ता, सहा. अभि.	राशि 34,29,442/- के गबन बाबत।	अधिकारी को निलम्बित कर सीसीए 16 में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।
34.	श्री नरेन्द्र सिंह, सहा. अभि.		
35.	श्री सुनील कुमार भीनवाल, सहा. अभि.	राशि 8.94 लाख का फर्जी भुगतान उठाने बाबत।	अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है।
36.	श्री एस. एस. गढवी, सहा. अभि.		
37.	श्री श्याम लाल गुप्ता, सहा. अभि.		

1	2	3	4
38.	श्री रामचन्द्र चराया, सहा. अभि.		
39.	श्री किरण सिंह, क. अभि.	स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत।	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
40.	श्री लक्ष्मीकान्त सुथार, क.अभि.	रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होने बाबत।	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
41.	श्री गोकुल दास गहलोत, क. अभि.		
42.	श्री मुरारीलाल शर्मा, सहा. अभि.	कार्यप्रभारी कर्मचारियों का वेतन निजी उपभोग में लेने व सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने बाबत।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना अपेक्षित है।
43.	श्री बाबूराम गुप्ता, सहा. अभि.	शिकायत निर्माण कार्यों में गड़बड़ी करने बाबत।	जांच के दौरान शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत नहीं की है, किसी अन्य के द्वारा की गई, के आधार पर पंजीबद्ध कर दिया।
44.	श्री एन. के शर्मा,	घंटीयाली के कि.मी. 1 से 3.0 एवं 3.0 से 4.5 एवं 4.5 से 6.0 के मध्य मिट्टी खुदाई लाइनिंग में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव बनाए जा रहे है।
45.	श्री भगत सिंह		
46.	श्री एन. के खरे		
47.	श्री डी. के श्रीवास्तव, सहा. अभि.	स्टाक एण्ड टी एण्ड पी. का चार्ज दिलवाये बिना	कार्मिक (क–3) विभाग के ज्ञापन दिनांक 23.7.02

1	2	3	4
48.	श्री संतोख सिंह, क. अभि.	क.अ. को स्थानान्तरण पर कार्यभार से मुक्त करने बाबत।	द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये एवं प्रकरण कार्मिक (क–3) विभाग में विचाराधीन है।
49.	श्री डी. के. श्रीवास्तव सहा. अभि.	गडरा रोड उपशाखा की	आरोप पत्र पत्राचार में है।
50.	श्री एन. के. खत्री, सहा. अभि.	बुर्जी 35–60 के तखमीने बनाने में अनियमितता बाबत।	
51.	श्री अमर सिंह, क. अभि.	स्टाक एवं टी. एण्ड पी. का लेखा नहीं देने बाबत।	आरोप पत्र पत्राचार में है।
52. 53.	श्री शम्भूलाल माथुर, सहा. अभि. श्री नरेन्द्र कुमार माथुर,	एस.एस. माइनर के लाइनिंग कार्य में 130 सीमेन्ट बैग में अनियमितता बाबत।	मुख्य अभियंता, सिंचाई जयपुर के पत्रांक 541 दिनांक 9.5.2002 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, क. अ. को एक सामयिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं शम्भूलाल क. अ. को दोषमुक्त किया गया।
54.	श्री रतन चन्द मेहता, अधिशासी अभि.	सा.गो. शाखा की बुर्जी 270–314 के पट्‌डो पर मक बिछाने की निविदाओं को ऊंची दर पर अनुशंसित करने बाबत।	आरोप पत्र पत्राचार में है।

परिशिष्ट "ब"

जांच दौरान पाये गये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही

1. श्री एन. के. भाटिया, सहा. अभि.	:	लिखित चेतावनी दी गई है।
2. श्री जसवीर सिंह, कनिष्ठ अभि.	:	विभाग को हुई आर्थिक हानि की वसूली की जाकर भविष्य में सावचेत रहने की चेतावनी दी गई है।
3. श्री वी. के. गुप्ता, सहा. अभि.	:	विभाग को हुई आर्थिक हानि की वसूली की जाकर भविष्य में सावचेत रहने की चेतावनी दी गई है।
4. श्री भल्लेराम, कनिष्ठ अभि.	:	राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया है।
5. श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, कनिष्ठ अभि.	:	एक सामयिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक ली गई।

परिशिष्ट "स"

संशोधित बजट 2002-03 के प्रावधान			**माह 1/2003 (वर्ष 2002-2003) तक व्यय**
		(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
प्रथम चरण	नियमित स्थापना	'50.92	—
	कार्यप्रभारी स्थापना	—	——
	कार्यों हेतु	133.34	58.69
	योग	**184.26**	**58.69**
द्वितीय चरण	नियमित स्थापना (प्रोरटा सहित)	3302.79	4409.95
	कार्यप्रभारी स्थापना	2150.13	—
	कार्यों हेतु	7362.82	4140.9
	योग	**12815.74**	**8550.91**
	कुल योग	**13000.00**	**8609.60**

सहायक अभियन्ता बहरोड़ व शाहजहांपुर (अलवर) के अधीन लम्बित विशेष श्रेणी विद्युत कनेक्शन

121. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहायक अभियन्ता-बहरोड़ व शाहजहांपुर (अलवर) के अन्तर्गत स्पेशल कैटेगरी के कितने विद्युत कनेक्शन लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्रेणी में तत्काल कनेक्शन जारी किये जाने के नियम के बाद भी इन्हें जारी होने में देरी का क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता बहरोड़ व शाहजहांपुर, अलवर के कार्यालयों में स्पेशल श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों व लम्बित रहे आवेदन पत्रों की उपखण्डवार सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	उपखण्ड कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये कने. की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या
1.	बहरोड़	149	60	89
2.	शाहजहांपुर	308	54	254
	कुल योग	457	114	343

(2) उक्त दोनों कार्यालयों में दिनांक 31 जनवरी, 2003 तक लम्बित 343 आवेदकों को कनेक्शन देने के लिये कार्यवाही की जा रही है। बहरोड़ में 23 व शाहजहांपुर में 29 आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा है उनको दिनांक 31 मार्च, 2003 तक कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी तथा जिन 14 आवेदकों के मांग पत्र जारी हैं अगर वे मांग पत्र की राशि जमा करायेंगे तो उनको दिनांक 31 मई, 2003 तक कनेक्शन देना प्रस्तावित है तथा बाकी रहे आवेदकों में से तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले आवेदकों को मांग पत्र जारी कर मांग पत्र की राशि जमा होने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर दिनांक 30 जून, 2003 तक कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुनाव

122. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनका आडिट गत 5 वर्षों से नहीं हुआ और कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को विभिन्न कारणों से विघटित कर दिया गया है तथा कितने पर प्रशासक नियुक्त हैं? क्या सरकार उक्त समितियों का विधिवत चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

राज्य में ऐसी 476 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनका आडिट गत 5 वर्षों से नहीं हुआ और 59 गृह निर्माण सहकारी समितियों को विभिन्न कारणों से विघटित कर दिया गया है, तथा 73 गृह निर्माण सहकारी समितियों पर प्रशासक नियुक्त हैं। अब राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 33 के प्रावधानुसार सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नये सहकारी कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कराये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र डीग में अकाल राहत कार्य

123. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने जिला भरतपुर को अकाल पीड़ित जिला घोषित किया है? यदि हां, तो इसके तहत कितनी राशि दी गई?

(2) उक्त जिले को अकाल राहत के तहत दी गई राशि में से किस-किस तहसील में कितनी-कितनी राशि वितरित की गई?

(3) विधान सभा क्षेत्र डीग में अकाल राहत के तहत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) अकाल प्रभावित भरतपुर जिले के लिए 92.71 लाख रुपये तथा 9540 मीट्रिक टन गेहूं एस.जी.आर.वाई. (स्पेशल कम्पोनेंट) के अन्तर्गत आबंटित किया गया है। तहसीलवार वितरित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डीग में अकाल राहत के तहत 82,985 मानव दिवस सृजित किये गये हैं तथा 2,06,080/- रुपये की राशि तथा 458.53 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण किया गया है।

परिशिष्ट "1"

तहसीलवार वितरित राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	वितरित राशि (लाखों में)
1.	भरतपुर	5.29
2.	कुम्हेर	8.40
3.	डीग	4.30
4.	नगर	3.97
5.	कामां	4.25
6.	नदबई	4.90
7.	रूपवास	7.73
8.	पहाड़ी	5.00
9.	बयाना	4.33
10.	बैर	7.67
	योग	**55.84**

रीको द्वारा वितरित ऋण की वसूली

124. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में रीको द्वारा कुल कितना ऋण वितरित किया गया और गत वर्ष की तुलना में इसका अनुपात क्या है?

(2) क्या पुराने ऋण की वसूली लक्ष्यानुसार हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) रीको द्वारा वितरित किये गये ऋण एवं पुराने ऋण की वसूली का अनुपात क्या है? रीको क्षेत्र एवं जिलानुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा वर्ष 2002–2003 में जनवरी, 2003 तक कुल 32.84 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है जो वर्ष 2001–2002 की समकक्ष समयावधि जनवरी, 2002 के ऋण वितरण 69.24 करोड़ रुपये का 47.57 प्रतिशत है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 2002–2003 में जनवरी, 2003 तक 32.94 करोड़ रुपये ऋण वितरण किया गया तथा इसी समयावधि में 72.25 करोड़ रुपये वसूली की गई, जिनका अनुपात 46.100 है। वर्ष 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) में सावधि ऋण की वसूली एवं वितरण की रीको क्षेत्र एवं जिलानुसार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "ब"

रीको क्षेत्र एवं जिलानुसार वर्ष 2002–2003 (जनवरी, 2003 तक) में ऋण की वसूली

जिला	रीको औद्योगिक क्षेत्र	वसूली (रु.)
1	2	3
अजमेर	किशनगढ़	5093518
अजमेर	परबतपुरा	3710000
अजमेर	—	4550909
योग (अजमेर)		13354427
अलवर	बहरोड़	4859758
अलवर	मत्स्य	5949739
अलवर	नीमराना	15493670
अलवर	कुशखेड़ा	9952594
अलवर	भिवाड़ी	51999599
योग (अलवर)		**88255360**
बाड़मेर	बालोतरा	170000
योग (बाड़मेर)		**170000**
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	390000
योग (बांसवाड़ा)		**390000**
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	183825197
भीलवाड़ा	मांडल	7308211
भीलवाड़ा	—	138346115
योग (भीलवाड़ा)		**329479523**
बीकानेर	—	3330000
योग (बीकानेर)		**3330000**
चूरू	रतनगढ़	2153542
योग (चूरू)		**2153542**

1	2	3
धौलपुर	धौलपुर	2704610
योग (धौलपुर)		**2704610**
जयपुर	बगरू	925452
जयपुर	बस्सी	2000000
जयपुर	विश्वकर्मा	5088495
जयपुर	सरनाडूंगर	300000
जयपुर	मालवीया	1650689
जयपुर	विन्दायका	1100000
जयपुर	जैतपुरा	4268177
जयपुर	सीतापुरा	27009851
जयपुर	कनकपुरा	141825
जयपुर	–	89845911
योग (जयपुर)		**132330400**
जैसलमेर	जैसलमेर	237000
योग (जैसलमेर)		**237000**
जोधपुर	बासनी	674895
जोधपुर	बोरानाड़ा	2403193
जोधपुर	–	12599399
योग (जोधपुर)		**15677487**
कोटा	इन्द्रप्रस्थ	643719
कोटा	–	54370768
योग (कोटा)		**55014487**

1	2	3
नागौर	—	5460203
योग (नागौर)		**5460203**
राजसमन्द	—	21979718
राजसमन्द	राजनगर	1947066
योग (राजसमन्द)		**23926784**
सीकर	—	684230
सीकर	सीकर	1000000
योग (सीकर)		**1684230**
सिरोही	—	3995000
सिरोही	अम्बाजी आबूरोड	3806981
सिरोही	पिंडवाड़ा	4100000
सिरोही	शिवगंज	659000
योग (सिरोही)		**12560981**
टोंक	जी.सी. निवाई	3414670
योग (टोंक)		**3414670**
उदयपुर	सुखेर	5159141
उदयपुर	फतेहनगर	10460
उदयपुर	मावली	692319
उदयपुर	—	26498079
योग (उदयपुर)		**32359999**
कुल योग		**722503703**

उपरोक्त सूचना आंकड़ों के मिलान एवं अंकेक्षण के अधीन परिवर्तनीय है।

परिशिष्ट "ब"

रीको क्षेत्र एवं जिलानुसार वर्ष 2002-2003 (जनवरी, 2003 तक) में ऋण का वितरण

जिला	रीको औद्योगिक क्षेत्र	वितरण (रु.)
अजमेर	—	4000000
योग (अजमेर)		**4000000**
अलवर	बहरोड़	5355000
अलवर	भिवाड़ी	6500000
योग (अलवर)		**11855000**
बाड़मेर	बालोतरा	4964000
योग (बाड़मेर)		**4964000**
भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	158443000
भीलवाड़ा	—	67487000
योग (भीलवाड़ा)		**225930000**
जयपुर	सीतापुरा	2970000
जयपुर	—	30200000
योग (जयपुर)		**33170000**
जोधपुर	—	1125000
योग (जोधपुर)		**1125000**
नागौर	—	3471100
योग (नागौर)		**3471100**
राजसमन्द	—	5948000
योग (राजसमन्द)		**5948000**
उदयपुर	—	38928000
योग (उदयपुर)		**38928000**
कुल योग		**329391100**

कारगिल शहीद श्री भीखाराम के ग्राम तक सड़क निर्माण

125. श्री अमराराम चौधरी (पचपंदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने कारगिल में शहीद श्री भीखाराम के ग्राम तक डामर सड़क बनाने की घोषणा की थी? क्या उक्त डामर सड़क का निर्माण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रश्न में वर्णित गांव (ढ़ाणी) का अस्तित्व न होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डामर सड़क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन (पाली) में करवाये गये कार्य

126. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2001–2002 व 2002–2003 में ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन (पाली) को कितनी कितनी राशि ग्राम पंचायतों हेतु आबंटित की गई? सूची ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि से कौन–कौन से निर्माण कार्य करवाए जाने का प्रावधान है?

(3) उक्त प्राप्त राशि से कौन–कौन से कार्य कितनी–कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति ने कार्यालय परिसर में भी कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से कार्य कितनी–कितनी राशि के स्वीकृत कर, कितनी कितनी राशि व्यय की गई? उक्त पंचायत समिति कार्यालय परिसर में करवाए गए कार्यों का पूर्व प्रस्तावित तखमीना, वाउचर पत्रावली तथा माप–पुस्तिका में दर्ज कार्यों की माप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2001–2002 में पंचायत समिति को राशि रुपये 92.175 लाख प्राप्त हुए जिसमें से प्रथम व्यय पर रोक हटने पर राशि रुपये 23.045 लाख तथा दूसरी बार रोक हटने पर राशि रुपये 23.045 लाख (कुल 46.09 लाख) ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण आबंटित कर दी गयी। आबंटन की सूची (परिशिष्ट "अ") संलग्न है। वर्ष 2002–2003 में राशि का आबंटन होना अभी शेष है।

(2) उक्त प्राप्त राशि से प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, शौचालय, शवदाय गृह, कब्रिस्तान व जन सुविधाओं का निर्माण एवं अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु व्यय का प्रावधान है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) ग्राम पंचायतवार कार्य स्वीकृति की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(4) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से प्राप्त राशि में से पंचायत समिति कार्यालय परिसर में कोई कार्य नहीं करवाये गये हैं। सम्पूर्ण राशि ग्राम पंचायतों को आबंटित कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला डूंगरपुर में लोक जुम्बिश योजना में स्वीकृत राशि

127. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला डूंगरपुर में चालू वर्ष में लोक जुम्बिश में कितनी राशि आबंटित की गई तथा अब तक उक्त राशि का कहां–कहां उपयोग किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में लोक जुम्बिश में कौन कौन से पद हैं? क्या सभी पद भरे हुए हैं? उक्त की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में चालू वर्ष में लोक जुम्बिश में 476.89 लाख राशि आबंटित की गई है। इसमें से 388.94 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। मदवार व्यय की सूचना परिशिष्ट "ए" संलग्न है।

(2) उक्त जिले में लोक जुम्बिश परियोजना के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पदों का विवरण		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	जिला परियोजना समन्वयक, डूंगरपुर	9	6	3
2.	परियोजना अधिकारी, आसपुर	30	17	13
3.	परियोजना अधिकारी, बिच्छीवाड़ा	35	18	17
4.	परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर	28	22	6
5.	परियोजना अधिकारी, सागवाड़ा	39	26	13
6.	परियोजना अधिकारी, सीमलवाड़ा	39	29	10
	योग	**180**	**118**	**62**

जिला परियोजना समन्वयक, डूंगरपुर एवं परियोजना अधिकारी, आसपुर, बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा के कार्यालय पर संकुल सहित पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है। इन पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी का विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है।

परिशिष्ट "ए"

जिला डूंगरपुर में माह जनवरी, 2002 तक किये गये व्यय की सूचना

क्र.सं.	कार्यक्रम/गतिविधि	व्यय राशि
1.	प्राथमिक शिक्षा	120.45
2.	सहज शिक्षा	78.86
3.	शिक्षा में गुणात्मक सुधार	25.25
4.	परिचालन गतिविधियां	39.25
5.	महिला विकास	36.25
6.	बाल्यावस्था देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा	2.93
7.	भवन विकास	47.70
8.	विकलांग बालकों की एकीकृत शिक्षा	.67
9.	विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम	.04
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	6.83
11.	नवाचार, शोध एवं मूल्यांकन	–
12.	शहरी क्षेत्र में परीक्षणात्मक गतिविधियां एवं बालश्रम निवारण उपाय	1.35
13.	प्रबन्धन	26.57
14.	मुख्य धारा प्रबन्धन व सुदृढ़ीकरण	2.79
	योग	388.94

ह०/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी

(B) संकुल स्तर पर विकास खण्ड, बिछीवाड़ा पर कुल 7 संकुल है जिसमें तीन संकुल एन.जी.ओ. द्वारा संचालित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	संकुल प्रभारी	4	2	2
2.	संकुल सहयोगी	4	4	–
3.	वि.केन्द्र प्रभारी	4	3	1
4.	प्रशिक्षिका	4	4	–
5.	सुमित्र दल सदस्य	2	–	2
6.	प्रवर्तक	8	1	7
	योग	26	13	13

(A) विकास खण्ड, डूंगरपुर

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी. ओ.	1	1	–
2.	सहा. परि. अधि.	3	3	–
3.	स. प. अ. (भवन)	1	1	–
4.	संयुक्ता	1	1	–
5.	लेखाकार	1	1	–
6.	लिपिक	1	1	–
7.	सहा. कर्म.	1	1	–
	योग	9	9	–

B) संकुल स्तर पर विकास खण्ड, डूंगरपुर पर कुल 6 संकुल हैं जिसमें एक संकुल एन.जी.ओ. द्वारा संचालित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	संकुल प्रभारी	4	3	1
2.	संकुल सहयोगी	4	4	–
3.	वि. केन्द्र प्रभारी	4	3	1
4.	प्रशिक्षिका	4	3	1
5.	सुमित्र दल सदस्य	1	–	1
6.	प्रवर्तक	2	–	2
	योग	19	13	6

A) विकास खण्ड, सागवाड़ा

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी.ओ.	1	1	–
2.	सहा.परि. अधि.	3	2	1
3.	स.प.अ. (भवन)	1	1	–
4.	संयुक्ता	1	1	–
5.	लेखाकार	1	–	1
6.	लिपिक	1	1	–
7.	सहा. कर्म.	1	1	–
	योग	9	7	2

B) संकुल स्तर पर विकास खण्ड, सागवाड़ा पर कुल 6 संकुल है सभी बी.एस.जी. द्वारा संचालित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	संकुल प्रभारी	6	4	2
2.	संकुल सहयोगी	6	6	–
3.	वि.केन्द्र प्रभारी	6	6	–
4.	प्रशिक्षिका	6	2	4
5.	सुमित्र दल सदस्य	1	1	–
6.	प्रवर्तक	5	–	11
	योग	30	19	11

A) लोक जुम्बिश परियोजना के डूंगरपुर जिले के विभिन्न विकास खण्ड एवं डी.पी.सी. कार्यालय में निम्न पद होते है :–

जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1	2	3	4	5
1.	डी.सी.पी.	1	–	–
2.	ए.डी.सी.पी. (बी.)	1	1	1
3.	ए.डी.सी.पी.	1	–	–
4.	ए.ए.ओ.	1	1	–
5.	स्टेनो	1	1	1
6.	लिपिक	1	1	–

1	2	3	4	5
7.	ड्राइवर	1	–	–
			(जीप नहीं होने से रिक्त)	
8.	सहायक कर्म.	1	1	–
9.	चौकीदार	1	1	–
	योग	9	6	3

2. विभिन्न विकास खण्ड

A) विकास खण्ड, आसपुर

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी.ओ.	1	1	–
2.	सहा.परि. अधि.	3	2	1
3.	स.प.अ. (भवन)	1	1	–
4.	संयुक्ता	1	1	–
5.	लेखाकार	1	–	1
6.	लिपिक	1	1	–
7.	सहा. कर्म.	1	1	–
	योग	9	7	2

B) संकुल स्तर पर विकास खण्ड, आसपुर पर कुल 5 संकुल है जिसमें एक संकुल एन.जी.ओ. द्वारा संचालित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी.ओ.	4	2	2
2.	सहा. परि. अधि.	4	1	3
3.	स.प.अ. (भवन)	4	3	1
4.	संयुक्ता	4	4	–
5.	लेखाकार	1	–	1
6.	लिपिक	4	–	4
	योग	21	10	11

A) विकास खण्ड, बिछीवाड़ा

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी.ओ.	1	1	–
2.	सहा.परि. अधि.	3	1	2
3.	स.प.अ. (भवन)	1	1	–
4.	संयुक्ता	1	–	1
5.	लेखाकार	1	–	1
6.	लिपिक	1	1	–
7.	सहा. कर्म.	1	1	–
	योग	**9**	**5**	**4**

A) विकास खण्ड, सीमलवाड़ा

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	पी.ओ.	1	1	–
2.	सहा.परि. अधि.	3	3	–
3.	स.प.अ. (भवन)	1	1	–
4.	संयुक्ता	1	–	1
5.	लेखाकार	1	–	1
6.	लिपिक	1	–	1
7.	सहा. कर्म.	1	1	–
	योग	**9**	**6**	**3**

B) संकुल स्तर पर विकास खण्ड, सागवाड़ा पर कुल 6 संकुल है सभी बी.एस.जी. द्वारा संचालित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्तियां
1.	संकुल प्रभारी	6	5	1
2.	सकुल सहयोगी	6	4	2
3.	वि. केन्द्र प्रभारी	6	6	–
4.	प्रशिक्षिका	6	4	2
5.	सुमित्र दल सदस्य	1	–	2
6.	प्रवर्तक	5	4	–
	योग	**30**	**23**	**7**

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना, डूंगरपुर

पद का नाम	आसपुर			बिछीवाड़ा			डूंगरपुर			सागवाड़ा			सीमलवाड़ा			जिपस कार्या.			कुल		
	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
जिला परियोजना समन्वयक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
सहा.जि.परि. सम. (भ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
सहा.जि.परि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
सहायक लेखाधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
लेखाकार	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	1	4
स्टेनो	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
परियोजना अधिकारी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0
सहा.परि. अधि. (भ)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0
सहा.परि. अधि.	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	15	11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
संयुक्ता	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	5	3	2
कनि.लि./वरि.लि.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	6	5	1
सुमित्र दल सदस्य	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	7	1	6
ड्राइवर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
																विभागीय जीप नहीं होने से रिक्त					
चौकीदार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
सहायक कर्मचारी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6	6	0
प्रर्वतक	4	0	4	8	1	7	2	0	2	5	0	5	4	4	0	0	0	0	23	5	18
संकुल प्रभारी	4	2	2	4	1	3	4	3	1	6	4	2	6	5	1	0	0	0	24	15	9
संकुल सहयोगी	4	1	3	4	4	0	4	4	0	6	6	0	6	4	2	0	0	0	24	19	5
वि.के. प्रभारी	4	3	1	4	3	1	4	3	1	6	6	0	6	6	0	0	0	0	24	21	3
प्रशिक्षिका	4	4	0	4	4	0	4	3	1	6	2	4	6	4	2	0	0	0	24	17	7
योग	30	17	13	35	18	17	28	22	6	39	26	13	39	29	10	9	6	3	180	116	62

परिशिष्ट "स"

विभिन्न पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	जिला परियोजना समन्वयक	परियोजना निदेशक
2.	सहायक जिला परियोजना समन्वयक (भवन)	परियोजना निदेशक
3.	सहायक जिला परियोजना समन्वयक	परियोजना निदेशक
4.	सहायक लेखाधिकारी	वित्तीय सलाहकार
5.	लेखाकार	लेखाकार
6.	स्टेना	संयुक्त निदेशक
7.	परियोजना अधिकारी	परियोजना निदेशक
8.	सहायक परियोजना अधिकारी (भवन)	परियोजना निदेशक
9.	सहायक परियोजना अधिकारी	परियोजना निदेशक
10.	संयुक्ता	परियोजना निदेशक
11.	कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक	संयुक्त निदेशक
12.	सुमित्र दल सदस्य	जिला परियोजना समन्वयक
13.	ड्राइवर	संयुक्त निदेशक
14.	चौकीदार	जिला परियोजना समन्वयक
15.	सहायक कर्मचारी	जिला परियोजना समन्वयक
16.	प्रवर्तक	जिला परियोजना समन्वयक
17.	संकुल प्रभारी	जिला परियोजना समन्वयक
18.	संकुल सहयोगी	जिला परियोजना समन्वयक
19.	विस्तार केन्द्र प्रभारी	जिला परियोजना समन्वयक
20.	प्रशिक्षिका	जिला परियोजना समन्वयक

पंचायत समिति तिजारा (अलवर) के स्टोन क्रेशर्स पर बकाया कर राशि

128. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 2-3 वर्ष पूर्व वाणिज्यिक कर, भ्रष्टाचार निरोधक खनिज एवं वन विभाग अलवर के अधिकारियों ने पंचायत समिति तिजारा (अलवर) स्थित स्टोन क्रेशरों पर छापा मार कर कार्यवाही की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छापे की कार्यवाही में कुछ दस्तावेज सेलटैक्स अधिकारियों के हाथ लगे थे? यदि हां, तो किस स्टोन क्रेशर पर? दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति तिजारा के स्टोन क्रेशरों पर कब से कितनी राशि किस-किस पर बाकी है? अब तक उक्त राशि की वसूली के क्या प्रयास हुए हैं? क्या किसी स्टोन क्रेशर मालिक ने राशि के बाबत कोई स्टे लें रखा है? यदि हां, तो किस अदालत से व कब से?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त छापे की कार्यवाही के दौरान वाणिज्यिक कर अधिकारियों को कुछ दस्तावेज मै. राजेश ग्रिड उद्योग, उद्यनवास के व्यवसाय स्थल से हाथ लगे थे। अधिग्रहीत दस्तावेजों की सूची की छाया प्रति संलग्न है।

(3) पंचायत समिति तिजारा के स्टोन क्रेशरों के विरुद्ध बकाया मांग एवं वसूली का विवरण संलग्न सूची में अंकित है तथा किसी भी स्टोन क्रेशर मालिक ने बकाया मांग के विरुद्ध किसी अदालत से स्थगन नहीं ले रखा है।

पंचायत समिति तिजारा के स्टोन क्रेशरों पर बकाया मांग सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	नाम व्यवहारी	कर निर्धारण वर्ष	दिनांक	बकाया मांग (राशि लाख रु. में	बकाया की वसूली के प्रयास
1	2	3	4	5	6
1.	मै. सूर्या ग्रिट उद्योग, उद्यनवास	1998–99 1999–2000 2001–2002	3.3.2001 26.12.2001 15.3.2002	3.47 0.51 0.50	वर्ष 1998–99 का कर निर्धारण एक तरफा पारित हुआ है। जिसके विरुद्ध व्यवसायी द्वारा श्रीमान् उपायुक्त (अपील) के यहां अपील की गई है। वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 से सम्बन्धित समस्त राशि शास्ति व ब्याज की हैं।
2.	मै. राजीव एन्टरप्राइजेज, तिजारा	1999–2000	30.10.2001	0.05	वसूली हेतु नोटिस दिया गया है।
3.	मै. राजेश ग्रिट उद्योग, उद्यनवास	1999–2000	27.6.2002	4.71	पूर्व में किये गये तीन वर्षों के कर निर्धारण श्रीमान् उपायुक्त (अपील्स) जयपुर द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं। जिसके कारण पूर्व में कायम की गई मांग समाप्त हो गई। वर्ष 1999–2000 का पुनः कर निर्धारण कर दिया गया है। जिसकी मांग 10.71 सृजित की गई जिनमें से 6.00 लाख वसूल कर लिये गये है तथा शेष मांग के वसूली बाबत फर्म को नोटिस जारी किया गया है।
4.	मै. मां संतोषी ग्रिट उद्योग, उद्यनवास	1998–99 1999–2000	13.2.2001 24.1.2001	0.01 0.83	यह बकाया राशि वसूल कर ली गई है।

किसी भी स्टोन क्रेशर मालिक ने बकाया मांग के विरुद्ध स्टे नहीं ले रखा है।

ह०/–
अतिरिक्त आयुक्त (कर)
वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान,जयपुर

जिला सवाईमाधोपुर में विधायक/ सांसद कोटे से सम्पादित कार्य

129. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाईमाधोपुर के विभिन्न गांवों व क्षेत्रों में चम्बल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंम्भ कब किया जा रहा है? उक्त में लागत कितनी है तथा वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है?

(2) उक्त क्षेत्र में विधायक/सांसद कोटे से कौन–कौन से पीने के पानी के लिये क्या–क्या कार्य दिये गये तथा उक्त की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) चम्बल नदी को स्रोत लेकर राज्य सरकार द्वारा एक वृहद् योजना स्वीकृत की गई है जिसमें जिला सवाईमाधोपुर के 682 गांव एवं करौली जिले के 385 गांव शामिल है। साथ ही इसमें सवाईमाधोपुर जिले के दो नगरों सवाईमाधोपुर एवं गंगापुर तथा करौली जिले के टोडाभीम को आंशिक रूप से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

इस योजना के प्रथम चरण की स्वीकृति अनुमानित लागत 240.88 करोड़ की जारी की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत मुख्य पाइप लाइन, जल शोधन संयन्त्र, इनटेक वैल, इत्यादि के कार्य के अतिरिक्त 600 गांवों (जिला सवाईमाधोपुर 215, जिला करौली 385) को योजना से जोड़ने का प्रावधान शामिल है।

मुख्य पाइप लाइन का सर्वे कार्य करवाया जा चुका है एवं "एकल बिन्दु उत्तरदायित्व" के आधार पर चम्बल नदी से गंगापुर सिटी इत्यादि के कार्य करवाने के लिये निविदा प्रपत्र तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

निविदाएं आमंत्रित कर उनकी स्वीकृति पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जिला सवाईमाधोपुर में सांसद कोटे से पेयजल हेतु शहरी क्षेत्र में 28 कार्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में 94 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से 10 कार्य शहरी क्षेत्र तथा 27 कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण हो चुके है। सांसद मद से स्वीकृत कार्य एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसी प्रकार विधायक मद में शहरी क्षेत्र में 6 कार्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में 57 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से शहरी क्षेत्र में 5 कार्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में 57 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विधायक मद में स्वीकृत कार्यों एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। विधायक मद में शहर सवाईमाधोपुर में स्वीकृत 3 टंकियां में से 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक टंकी अंसारी मौहल्ला का कार्य जो पहाड़ी पर प्रस्तावित थी का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् वन विभाग की आपत्ति के कारण रोकना पड़ा।

इस हेतु आवश्यक भूमि आबंटन के प्रस्ताव नियमानुसार वन विभाग को भिजवा दिये गये थे। जिसकी स्वीकृति वन विभाग में दिनांक 25.2.2003 को प्राप्त हो गई है तथा कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है। सांसद मद में एक टंकी मीणा कालोनी सवाईमाधोपुर शहर में दिनांक 21.11.2002 को स्वीकृत की गई है जिसके लिए वृत्त कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा निविदा आमंत्रित कर ली गई है जो दिनांक 7.3.2003 को खोली जानी है।

सांसद मद के अन्तर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण **परिशिष्ट "अ"**

शहरी क्षेत्र

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	विशेष विवरण
1998–1999	—	—	
1999–2000	—	—	
2000–2001	—	—	
2001–2002	—	—	
2002–2003	28	10	शेष 18 कार्यों के विरुद्ध एक उच्च जलाशय हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गयी है तथा शेष 17 हैण्ड पम्प बिन्दुओं का कार्य आदेश अतिरिक्त कलक्टर विकास द्वारा जारी किये जाने हैं।
योग	**28**	**10**	

ग्रामीण क्षेत्र

सांसद मद में ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नप्रकार है

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	विशेष विवरण
1998–1999	—	—	
1999–2000	—	—	
2000–2001	6	6	
2001–2002	4	4	
2002–2003	84	17	शेष 67 कार्यों में 2 कार्यों की टी/एस प्राप्त की जा रही है तथा 65 हैण्ड पम्प बिन्दुओं के कार्य आदेश अतिरिक्त कलक्टर विकास द्वारा जारी किया जाना शेष है।
योग	**94**	**27**	

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद के अन्तर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण

शहरी क्षेत्र

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	विशेष विवरण
1998–1999	—	—	
1999–2000	—	—	
2000–2001	1	1	
2001–2002	3	2	
2002–2003	2	2	एक उच्च जलाशय के भूमि वन विभाग द्वारा हाल ही आबंटित की गई है।
योग	6	5	

विधायक मद में स्वीकृत कार्यों का विवरण

ग्रामीण क्षेत्र

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	विशेष विवरण
1998–1999	—	—	
1999–2000	—	—	
2000–2001	9	9	
2001–2002	9	9	
2002–2003	39	39	
योग	57	57	

जिला सिरोही में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

130. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) पांच हजार से कम आबादी वाले गांव में घरेलू कनेक्शन धारक उपभोक्ता को कितने घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है और किस गुणवत्ता की बिजली दी जाती है?

(2) जिला सिरोही में वितरण निगम कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) राज्य में कुल कितने कृषि कनेक्शन धारक उपभोक्ता हैं? उक्त में से कितने उपभोक्ताओं को उपभोग के न्यूनतम शुल्क से राहत प्रदान की गई है? क्या समस्त कृषि कनेक्शन धारकों से वास्तविक उपभोग की राशि वसूल की जा रही है अथवा वास्तविक उपभोग कम होने पर भी न्यूनतम शुल्क वसूला जा रहा है?

(4) जोधपुर निगम के सुमेरपुर–उम्मेदपुर फीडर में शहरी उपभोक्ता कितने हैं?

उत्तर

(1) 5000 से कम आबादी वाले गांवों के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 घंटे ब्लाक में तीन फेजं तथा रात्रि को 6 बजे से 10 बजे तक चार घंटे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है परन्तु कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कैपेसिटर से अनधिकृत प्रयोग से विद्युत भार बढ़ाने के कारण कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ जाता है।

(2) जिला सिरोही में विद्युत वितरण कार्यालयों में 27 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में छह पद माह मार्च, 2002 से रिक्त चल रहे हैं।

(3) राज्य में कुल 657538 कृषि कनेक्शनधारक उपभोक्ता हैं। राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति में किसानों को राहत देने के लिये सामान्य श्रेणी के मीटर प्रणाली के उपभोक्ताओं (टैरिफ कोड 4000) से बिलिंग माह नवम्बर, 2002 तथा नर्सरी व विशेष स्कीम के उपभोक्ताओं से (टैरिफ कोड 4200 व 4400) बिलिंग माह मार्च, 2003 से वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल वसूल किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। वास्तविक उपभोग कम होने पर भी उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क नहीं देना होगा।

(4) जोधपुर, विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत सुमेरपुर–उम्मेदपुर फीडर पर 16144 शहरी उपभोक्ता हैं।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ऋण हेतु लम्बित प्रार्थना पत्र

131. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक जिला जयपुर के सहकारी बैंकों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण के कितने आवेदन प्राप्त

(श्री कन्हैया लाल)

हुए? उक्त प्राप्त आवेदनों में से अब तक कितने आवेदकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है और कितनों को ऋण दिया जाना शेष है?

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, बस्सी एवं चाकसू के कौन कौन से आवेदक को उक्त अवधि में उक्त प्रकार के ऋणों का आज तक स्वीकृत कर भुगतान नहीं किया गया है?

(3) अब इन्हें कब तक ऋण उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक जिला जयपुर के सहकारी भूमि विकास बैंक में दीर्घकालीन ऋण के 5273 ऋण आवेदन पत्र तथा जयपुर केन्द्रीय, सहकारी बैंक में दीर्घकालीन ऋण के 176 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इस प्रकार दीर्घकालीन ऋण के कुल 5449 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। अल्पकालीन ऋण के आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर द्वारा आवेदकों से सीधे प्राप्त नहीं किये जाते हैं अपितु बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों की अधिकतम साख सीमा समितिवार स्वीकृत की जाती है तथा पात्रता धारक सदस्यों द्वारा बैंक द्वारा स्वीकृत साख सीमा के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर फसली ऋण की आवश्यकतानुसार चैक प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त किया जाता है। दीर्घकालीन ऋण के उक्त आवेदनों में से जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 176 तथा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 3896 आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। इस प्रकार कुल 4072 ऋण आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है तथा भूमि विकास बैंक, जयपुर के 516 आवेदक शेष हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में भूमि विकास बैंक, जयपुर के स्वीकृति के पश्चात् ऋण भुगतान हेतु 34 आवेदन पत्र शेष हैं जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण भुगतान से शेष रहे आवेदकों को ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। लेकिन वे ऋण लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। जयपुर, केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा आगामी ऋण सीजन में पात्रता धारक सदस्यों को नियमानुसार अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

परिशिष्ट"1"

जयपुर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर

	क्रमांक	नाम कृषक	उद्देश्य	स्वीकृति दिनांक
		विधान सभा क्षेत्र-बस्सी, पं. सं., बस्सी		
अवधि में उक्त प्रकार के ऋणों का आज तक स्वीकृत कर भुगतान नहीं किया गया है।	1.	रामकिशोर पुत्र पुन्यामाली	होजपाइप	26.11.2001
	2.	भगवान सहाय पुत्र चतुरभुजा	डेयरी	27.11.2001
	3.	छीतर पुत्र चंदा जाट	फव्वारा	27.3.2002
	4.	चंदा पुत्र भूरा शर्मा	फव्वारा	27.3.2002
	5.	सीताराम पुत्र कानामीणा	फव्वारा	27.3.2002
	6.	रामा पत्नी महादेव गूजर	फव्वारा	23.3.2002
	7.	हरिनारायण पुत्र जगनाथ जाट	फव्वारा	23.3.2002
	8.	गणेश पुत्र मदन ब्राह	फव्वारा	27.3.2002
	9.	आशाराम पुत्र जगदेव मीणा	फव्वारा	23.3.2002
	10.	रामजी लाल पुत्र रामधन शर्मा	फव्वारा	26.3.2002
	11.	गोविन्द पुत्र शिवसहाय मीणा	फव्वारा	27.3.2002
	12.	मीठालाल पुत्र जगदीश मीणा	फव्वारा	6.3.2002
	13.	रामसहाय पुत्र भैंरू मीणा	फव्वारा	23.3.2002
	14.	भगवाना पुत्र बिरदा बैरवा	फव्वारा	23.3.2002
	15.	गौरू पुत्र शंकर मीणा	फव्वारा	15.3.2002
	16.	जगदीश पुत्र छोटू मीणा	फव्वारा	15.3.2002
	17.	छाजू पुत्र गोरधन यादव	फव्वारा	27.3.2002
	18.	बद्री पुत्र गोरधन यादव	फव्वारा	27.3.2002
	19.	छीतर पुत्र रूपाजाट	फव्वारा	6.3.2002

नोट : वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में पंचायत समिति, बस्सी की कोई पत्रावली ऋण वितरण हेतु शेष नहीं रही है।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र-बस्सी, पंचायत समिति, चाकसू

परिशिष्ट "ब"

क्रमांक	नाम कृषक	उद्देश्य	स्वीकृति दिनांक
1999–2000			
1.	सीताराम पुत्र नारायण ब्राह, चाहता मार्जिन राशि जमा नहीं	ट्रैक्टर	19.4.1999
2.	सीताराम पुत्र रामनाथ मीणा, चाहता मार्जिन राशि जमा नहीं	ट्रैक्टर	19.4.1999
3.	कैलाशी पत्नी कन्हैया जाट, चाहता मार्जिन राशि जमा नहीं	ट्रैक्टर	9.6.1999
4.	फूल्या पुत्र ग्यारसी मीणा, चाहता मार्जिन राशि जमा नहीं	ट्रैक्टर	29.9.1999
5.	खेवरा पुत्र रामचन्द्र मीणा, चाहता मार्जिन राशि जमा नहीं	जीप	9.12.1999
6.	राजेन्द्र पुत्र हरिचरण नहीं की	डेयरी	10.1.2000
2000–2001			
1.	श्योराम पुत्र नानगा, पत्रावली खारिज	ट्रैक्टर	24.4.20001
2001–2002			
1.	रामनारायण पुत्र रामनाथ मीणा मूल पत्रादि वापस ले लिये	पाइप लाइन	31.8.2001
2.	जगनाथ पुत्र पेमा चमार मूल पत्रादि वापस ले लिये	पाइप लाइन	11.10.2001
3.	बहादुर सिंह पुत्र रणजीत सिंह नहीं लेने के कारण भुगतान नहीं	थ्रेशर	21.12.2001
4.	पांचू पुत्र घासी मीणा	पाइप लाइन	4.1.2002
5.	हनुमान पुत्र कालू यादव नहीं किया	जीप	20.12.2001
6.	ग्यारसा पुत्र बिरदा मीणा नहीं किया	डेयरी	5.1.2002
7.	पूरण पुत्र जगा नहीं किया	डेयरी	25.1.2002
8.	गुल्ला पुत्र श्योनारायण गूर्जर	भेड़पालन	18.3.2002

जिला नागौर में संचालित गौशालाएं

132. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्तमान समय में कितनी गौशालाएं पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकरण कब से है व उनके पास कितना कितना पशुधन किस किस गौशाला में उपलब्ध है और इनका सत्यापन किस अधिकारी ने कब कब किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने पशु शिविर कहां कहां किस एर्जेसी द्वारा संचालित हैं तथा जिला प्रशासन से कितने पशु शिविरों की स्वीकृति जारी हुई है और इन शिविरों का सत्यापन किस किस अधिकारी ने कब कब किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सहायता विभाग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के लिये दिशा निर्देश दिनांक 16.8.2002 को जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिनांक 18.9.2002 का कोई आदेश जारी हुआ है? उक्त आदेश जिला कलक्टर, नागौर को कब प्राप्त हुआ तथा उसकी अनुपालना में तहसीलदारों को कब निर्देश प्राप्त हुये?

(5) उक्त जिले की गौशालाओं तथा पशु शिविरों को अनुदान किस तारीख से देना चालू किया गया तथा अब तक जिले की कितनी कितनी गौशालाओं को व पशु शिविरों का किस किस माह में कितनी कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जिले की उक्त गौशालाओं में तथा पशु शिविरों में कितने पशु मर चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर में वर्तमान में पंजीकृत गौशाला, उनका पंजीकरण एवं गौशाला के पास उपलब्ध पशुधन व इनका सत्यापन किये जाने वाले अधिकारी के प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) जिले में चल रहे पशु शिविर स्थान तथा एर्जेसी व शिविरों का सत्यापन किये जाने वाले अधिकारी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–2)

(3) जी हां।

(4) जी हां। आदेश दिनांक 18.9.2002 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–3) दिनांक 18.9.2002 का आदेश 23.9.2002 को जिला कलक्टर को प्राप्त हुआ तथा 24.9.2002 को सम्बन्धित तहसीलदारों को निर्देशित किया गया।

(5) जिले में गौशालाओं एवं पशु शिविरों को अनुदान जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी करने के दिनांक से स्वीकृत किया गया है। गौशालाओं व पशु शिविरों को माहवार

(सहायता मंत्री)

दी गई अनुदान राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–4)

(6) गौशालाओं/पशु शिविर में मरने वाले पशुओं की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–5)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर की सड़कों की मरम्मत

133. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की सरथूना वाया पीठ सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त सड़क के 13.200 कि.मी. लम्बाई का नवीनीकरण आर.यू.पी. प्रथम के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है और शेष लम्बाई के प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित कराया जाना अपेक्षित है।

कोटपूतली (जयपुर) में केन्द्रीय सहायता से ट्रोमा–वार्ड की स्थापना

134. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बी.डी.एम. अस्पताल कोटपूतली में "केन्द्रीय नीति" के अनुरूप केन्द्रीय सहायता से "ट्रोमा–वार्ड" खोले जाने हेतु सर्वे किया गया था? यदि हां, तो उक्त का क्या परिणाम रहा?

(2) केन्द्रीय सहायता "ट्रोमा–वार्ड" कहां–कहां खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों? सोजत, भीम व कोटपूतली राजकीय अस्पतालों का वार्षिक आउटडोर, इंडोर, एक्सीडेंट मरीजों का संख्या सूची गत तीन वर्षों की सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय नीति के अनुरूप राष्ट्रीय राज मार्गों पर स्थित चिकित्सालयों में दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोटपूतली सहित अन्य अस्पतालों का सर्वे किया गया। सर्वे के पश्चात् प्रथम फेज के अन्तर्गत चार स्थानों यथा शाहपुरा, किशनगढ़, भीम एवं सोजत सिटी का चयन कर भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए। चूंकि कोटपूतली अस्पताल 150 का है व वहां विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः उसे प्राथमिकता नहीं दी गई।

(2) भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अभी तक किसी भी स्थान पर

(चिकित्सा मंत्री)

ट्रोमा केअर सेन्टर स्थापित नहीं किया गया।

राजकीय अस्पताल, सोजत, भीम एवं कोटपूतली का गत तीन वर्षों का आउटडोर, इंडोर एवं एक्सीडेंटल मरीजों की वर्षवार संख्या का विवरण निम्नप्रकार है :

राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी

वर्ष	आउटडोर	इंडोर	एक्सीडेंटल
2000	76494	9416	128
2001	61570	10534	636
2002	60353	11062	688
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम			
2000	18965	2225	1936
2001	23874	2855	2432
2002	29145	3185	2679
राजकीय चिकित्सालय, कोटपूतली			
2000	142579	12996	1097
2001	163124	14716	1163
2002	151256	13331	1214

जिला चूरू के भूमिगत जलाशय

135. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू में कितने भूमिगत जलाशय बने हुये हैं?

(2) उक्त में से अब तक कितने जलाशय पाइप लाइन से नहीं जुड़े हुये हैं?

(3) अब उक्त जलाशयों को कब तक लाइन से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला चूरू में 1410 भूमिगत जलाशय (जी.एल.आर.) बने हुए हैं।

(2) उक्त में से 28 जलाशय पाइप लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं।

(3) उक्त 28 जलाशयों में से 15 जलाशयों को ग्रीष्म 2003 में पाइप लाइन से जोड़ दिया जावेगा। शेष 13 जलाशयों को जिला विकास अभिकरण से वांछित स्वीकृति एवं धन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जोड़ा जावेगा।

जिला अलवर के किसानों को जारी कृषि कनेक्शन

136. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अलवर में किसानों को कृषि कनेक्शन कौन से सन् तक जारी कर दिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विशेष कनेक्शन हेतु कुल कितने लोगों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

(श्री धर्मपाल चौधरी)

किए और उक्त में से कितने लोगों को अब तक कनेक्शन जारी कर दिये और शेष को कब तक कनेक्शन जारी करने का विचार है?

(3) राज्य सरकार ने जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक घरेलू/कृषि व उद्योग के उपयोग में आने वाली बिजली की दरों में कितनी बढ़ोतरी की है? सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जिला अलवर में पंचायत समिति उमरैण में माह मार्च, 1990 तक व बाकी अन्य पंचायत समितियों में माह मार्च, 1989 तक की कट आफ डेट के सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को कनेक्शन देने के आदेश जारी किये गये हैं और उसके अनुसार ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। पंचायत समितिवार कट आफ डेट की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अलवर जिले में विशेष कनेक्शन स्कीम (स्पेशल स्कीम में) माह जनवरी, 2003 तक कुल 3521 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इनमें से माह जनवरी, 2003 तक 1576 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष रहे आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। जिन आवेदकों ने माह जनवरी, 2003 तक मांग पत्र की राशि जमा करा दी है, उनको माह मार्च, 2003 तक कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। जिन आवेदकों को मांग पत्र पहले से जारी किए हुए हैं और वे अब मांग पत्र की राशि जमा करा देते हैं तो उनको माह मई, 2003 तक कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त बाकी समस्त तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को तुरन्त मांग पत्र जारी करने तथा मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को दिनांक 30 जून, 2003 तक कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

(3) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक विभिन्न श्रेणियों में की गई विद्युत दरों में बढ़ोतरी की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची–अ

संशोधित परिशिष्ट 'अ'

पंचायत समितिवार कट आफ डेट जहां तक के आवेदन पत्रों का
साधारण श्रेणी में वर्ष 2002–2003 में डिमांड नोटिस जारी करने हैं

क्र.सं.	जिला/पंचायत समिति	कट आफ डेट वर्ष 2002–2003
जयपुर डिस्काम		
अलवर जिला		
1.	तिजारा	मार्च, 1989
2.	रैनी	मार्च, 1989
3.	थानागाजी	मार्च, 1989
4.	कठूमर	मार्च, 1989
5.	नीमराना	मार्च, 1989
6.	बानसूर	मार्च, 1989
7.	कोटकासिम	मार्च, 1989
8.	रामगढ़	मार्च, 1989
9.	लक्ष्मणगढ़	मार्च, 1989
10.	बहरोड़	मार्च, 1989
11.	मण्डावर	मार्च, 1989
12.	किशनगढ़बास	मार्च, 1989
13.	राजगढ़	मार्च, 1989
14.	उमरैण	मार्च, 1990

STATEMENT INDICATING RATES सूची "अ"

APPLICABLE ON VARIOUS CATEGORIES OF CONSUMERS

Rate in Paise/Unit

S. No.	CATEGORY	Tariff rates as on Jan. 1999	Tariff rates w.e.f. Nov. 1999 (% Increases)	Tariff rates w.e.f. May, 2001 on wards (% Increases)
1	2	3	4	5
1.	**DOMESTIC SERVICE :** (Rural & Urban)			
(i)	First 50 Units/Month	112	155(38.39)	200(29.03)
(ii)	Above 50 Units/Month	133 to 165	220(47.65)	305(38.64)
2.	**NON DOMESTIC SERVICE :**			
(I)	**LT Supply**			
(a)	**SCL upto 5 KW**			
(i)	First 100 Units/Month	301	410 (36.21)	462 (12.68)
(ii)	Above 100 Units/Month	331 to 351	450(31.96)	502(11.56)
(b)	**SCL above 5KW**			
(i)	First 100 Units/Month	356	410(15.17)	462(12.68)
(ii)	Above 100 Units/Month	356	450(26.40)	502(11.56)
(II)	**HT Supply**			
(i)	First 100 Units/Month	376	410(9.04)	462(12.68)
(ii)	Above 100 Units/Month	376	450(19.68)	502(11.56)
3.	**PUBLIC STREET LIGHTING :**			
(i)	In Panchayats/Municipal areas having population below 1-Lakh	216	300(38.89)	364(21.33)
(ii)	In Municipal areas having popula tion 1-Lakh and above	216	330(52.78)	394(19.39)

1	2	3	4	5
4.	**AGRICULTURE :**			
(I)	**Metered Supply**			
(i)	Genral	50	70(40.00)	90(28.57)
(ii)	Agriculture connections in Farm Houses	112 to 165	220 (58.84)	275(25.00)
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above including Nursery (till conversion), Urban area well, 24 hours supply areas and Poultry farms	120	140(16.67)	165(17.86)
(II)	**Flat Rate Supply** (In Rs. Per HP/Month)			
(i)	General and Special General Category	32 to 43	60(60.00)	85(41.67)
(ii)	Special Scheme-Fodder scheme	32 to 43	120(220.00)	145(20.83)
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above, Urban area wells and 24 hours supply areas	32 to 43	120(220.00)	175(45.83)
5.	**SMALL INDUSTRY :**	280 to 290	349(22.46)	371(6.30)
6.	**MEDIUM INDUSTRY :**	320	382 (19.38)	399(4.45)
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD :**	331	382(15.41)	413(8.12)
8.	**LARGE INDUSTRY :**	341	405(18.77)	428(5.68)

जिला पाली में किसानों को चारा खरीदने हेतु ऋण

137. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, पाली की अधीनस्थ शाखाएं रायपुर, जैतारण, सोजत द्वारा राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किसानों को पशुओं बाबत चारा खरीदने के लिए कितना ऋण इस वर्ष में स्वीकृत किया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों ही बैंकों में कितने किसानों ने पशुओं के लिये घास खरीदने के लिए आवेदन किया? सहकारी विभाग द्वारा किसानों को चारा खरीदने के लिए ऋण देने की आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली की अधीनस्थ शाखाएं रायपुर, जैतारण, सोजत द्वारा किसानों को पशुओं हेतु चारा खरीदने के लिए इस अकाल वर्ष में क्रमशः 3.96 लाख, 7.99 लाख एवं 15.84 लाख कुल 27.79 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। संख्या सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) बैंक की उपरोक्त तीनों शाखाओं में सूखा चारा खरीदने हेतु स्वीकृत योजनान्तर्गत 210 किसानों ने आवेदन किया। शीर्ष बैंक द्वारा जारी किसानों को चारा खरीदने के लिए ऋण देने की आदेश की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील राजगढ़ (चूरू) के कुओं का भू-जल स्तर

138. श्री नंदलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) के कुओं का भू-जल स्तर नीचे जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू) के कुओं में भू–जल स्तर में गिरावट पाई गयी है।

जी हां। जल प्रबन्धन क्षेत्र के नीतिगत निर्णयों एवं कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन का गठन किया गया है, इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है तथा सिंचाई विभाग इसका नोडल विभाग है।

सिंचाई विभाग के द्वारा पानी के संग्रहण, भू–जल का पुनर्भरण करने एवं उपलब्ध जल के समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से, जिलेवार व्यापक कार्य योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया गया है। विगत चार वर्षों में पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू) क्षेत्र के अन्तर्गत भू-जल के पुनर्भरण हेतु, सिंचाई विभाग द्वारा 12 वाटर हारवेस्टिंग कार्यों को सम्पादित किया गया है एवं मास्टर प्लान में 42 अन्य जल संग्रहण तथा जल संवर्द्धन कार्य प्रस्तावित हैं।

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–171 की सूची)

जिला नागौर की तहसील लाडनूं के सम्मान पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों की सूची

1. स्व. श्री किशनाराम पुत्र श्री शम्भूराम, लाडनूं।
2. श्री सांवत सिंह पुत्र श्री सगता सिंह, भामास।
3. स्व. श्री रावतराम पुत्र श्री बुधाराम, जिनाना, पो. निम्बीजोधा
4. श्री हरिसिंह पुत्र श्री मेघासिंह, रताऊ
5. श्री हिमताराम पुत्र श्री नारायणराम, कसूम्बी
6. स्व. श्री शिवजी सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह, डेगाना
7. स्व. श्री नानूराम पुत्र श्री सूरजाराम, कसूम्बी
8. स्व. श्री बुधाराम पुत्र श्री हुकमाराम, जसवन्तगढ़
9. स्व. श्री लालसिंह पुत्र श्री मेघसिंह, लाडसर
10. श्री लादूराम पुत्र हेमाराम जाट, ग्राम भिण्डासरी
11. स्व. श्री चुन्नीलाल, पो. नीम्बीजोधा
12. स्व. श्री पेमाराम पुत्र अमराराम, ग्राम हण्डास
13. स्व. श्री पदम सिंह, ग्राम हुदास।

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या–172 की सूचना)

क्र.सं.	निलम्बित राज्य अधिकारी का नाम	पद	निलम्बन की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री बाबूलाल मीणा	आर.ए.एस.	6.10.2001
2.	" पी. के शर्मा	अधिशासी अभियन्ता जन. स्वा. अभि.	13.9.2000
3.	" एस. के. पुरोहित	सहायक अभियन्ता "	13.9.2000
4.	" नरेश गौड़	सहायक अभियन्ता "	" "
5.	" प्रेमसिंह पंवार	कनिष्ठ अभियन्ता "	" "
6.	" मनोज कुमार धवल	" "	" "
7.	" कैलाश पुरोहित	" "	" "
8.	" रामावतार सैनी	सहायक अभियन्ता	14.6.2002
9.	" प्रीतम सिंह	" "	" "
10.	" प्रेमचन्द माथुर	" "	" "
11.	सुश्री सुरभि अवस्थी	महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी	25.8.2001
12.	श्रीमती ममता यादव	" "	21.10.2002
13.	" रमा गौतम	" "	22.11.2002
14.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सहायक आबकारी अधिकारी	13.6.2002
15.	" भूपेन्द्र सिंह	आबकारी निरीक्षक	13.6.2002
16.	" अहमद सुल्तान	" "	" "
17.	" दईदान सिंह प्रहरी	" "	" "
18.	" के.एस. त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता, सिंचाई वि.	19.10.2000
19.	" आर. के. चांदवानी	कनिष्ठ अभियन्ता " "	" "
20.	" महेश जोशी	" "	" "
21.	" बी.एल. कर्दम	सहायक अभियन्ता " "	7.8.2000
22.	" वी.डी. उपाध्याय	कनिष्ठ अभियन्ता " "	" "

1	2	3	4
23.	श्री एस.सी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	7.8.2000
24.	श्री डी.सी. बंसल	सहायक अभियन्ता	5.7.2000
25.	" एस.सी. पाटनी	अधिशासी अभियन्ता	5.3.2001
26.	" डी.एल. पाहवा	" "	" "
27.	" एन. के. सोलंकी	" "	" "
28.	" जगदीश चन्द्र अरोड़ा	सहायक अभियन्ता	5.3.2001
29.	" शिवकरण	" "	" "
30.	" एम.सी. सैनी	" "	" "
31.	" बलवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता	" "
32.	" आर. के. सिंघल	" "	" "
33.	" श्याम लाल गुप्ता	सहायक अभियन्ता	24.1.2002
34.	" चन्द्रप्रकाश सिंघल	कनिष्ठ लेखाकार	" "
35.	" मेघानाथ	" "	" "
36.	" भंवर लाल जल	बीमा लिपिक	" "
37.	" सुशील कुमार अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	25.4.2001
38.	" नाथूलाल झिरोल	कनिष्ठ अभियन्ता	" "
39.	" एम.एल. मालू	" "	" "
40.	डा. नीलम रानी चुघ	डाक्टर	23.3.1999
41.	" सुषमन्ना हर्ष	" "	" "
42.	" प्रताप राय सिरवी	" "	" "
43.	" प्रभूराम	सैक्टर सुपरवाइजर	" "
44.	डा. आर. पी. मोदी	डाक्टर	29.1.2001
45.	श्रीमती सलोचना शर्मा	नर्स	" "
46.	डा. रजनी कान्त चतुर्वेदी	डाक्टर	27.5.2002
47.	" कमला गुरबानी	" "	2.4.1999
48.	" सी. के. खुबलानी	" "	" "

1	2	3	4
49.	श्रीमती रेखा देव	डाक्टर	10.7.1997
50.	डा. ओ.पी. महायच	" "	29.5.2002
51.	" ए. पी. झारेड	" "	" "
52.	" आर.एल. बंसल	" "	" "
53.	श्री धर्मवीर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	" "
54.	" रघुवीर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	" "
55.	डा. देवकरण जाखड़	डाक्टर	8.1.2002
56.	" के. एल. गुप्ता	" "	23.9.2002
57.	" सरोज कुमार मिश्रा	" "	7.9.2002
58.	" के. एल. चंदेलिया	" "	13.3.2000
59.	" एस. के. चुट्टानी	" "	9.8.2001
60.	" जे. एस. मट्ठा	" "	24.8.1999
61.	" जी. एस. आबरा	सहायक कृषि अभियन्ता	23.1.2002
62.	" सी. एस. मेहता	उप निदेशक, कृषि	24.2.1999
63.	" के. सी. सिर्वा	सहायक कृषि अभियन्ता	13.10.1999
64.	" भवानी सिंह बारहठ	" "	20.12.2001
65.	" शेर सिंह गहलोत	कृषि अभियन्ता	23.4.1998
66.	डा. राजा सुरेन्द्र मोहन	आयुर्वेद चिकित्सक	19.10.2002
67.	" अविनाश रणवाह	संयुक्त पंजीयक	27.4.2000
68.	" संतोषी लाल गोयल	सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी	24.1.2002
69.	" भैरू सिंह	आर.पी.एस.	12.9.2001

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	दो वर्ष में बहाल किये गये अधिकारियों के नाम	पद	बहाल करने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री ओ.पी. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	3.4.2001
2.	" एस. बी. अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	" "
3.	" एम.सी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	" "
4.	" दिलमोहन राज माथुर	अधिशासी अभियन्ता	1.8.2001
5.	डा. जे.एस. मेहता	डाक्टर	7.7.2001
6.	" आर. के. जैनव	" "	" "
7.	" आर. सी. सुनार	" "	" "
8.	" गुरूदत्त	" "	" "
9.	श्रीमती सरला कुट्टी	नर्स	" "
10.	डा. सुनीता चौधरी	डाक्टर	27.4.2002
11.	" पूनम चन्द चौधरी	" "	6.8.2001
12.	" टी.पी. यादव	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1.8.2001
13.	" राजबहादुर	आयुर्वेद चिकित्सक	29.3.2001
14.	" दिनेश कुमार शर्मा	" "	" "
15.	" बृहमोहन गुप्ता	" "	" "
16.	" ओम राजपाल सिंह	" "	" "
17.	" प्रकाश चन्द स्वामी	" "	" "
18.	" महावीर प्रसाद शर्मा	" "	" "
19.	" मदन लाल राठी	उप पंजीयक	30.1.2001
20.	" मुरारी लाल गुप्ता	सहायक निदेशक, अभियोजक	6.2.2002

1	2	3	4
21.	श्री रमेश तिवाड़ी	पुलिस निरीक्षक	6.2.2002
22.	" राधेश्याम शर्मा (II)	सहायक आयुक्त, देवस्थान	2.1.2003
23.	" चेतनदेव उपाध्याय	अधीक्षक, कारागार	6.2.2002
24.	श्री मदन लाल शर्मा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	30.3.2002
25.	" मनफूल सिंह	उप शासन सचिव, विधि	1.6.2002
26.	श्रीमती ममता यादव	बाल विकास परियोजना अधिकारी	29.3.2001
27.	" प्रियम्बदा आचार्य	" "	6.8.2001
28.	श्री प्रदीप नागर	आर.ए.एस.	1.8.2001
29.	" पृथ्वी सिंह गूजर	सहायक अभियन्ता	17.9.2001
30.	" जीतसिंह आड़ीवाल	अधीक्षण अभियन्ता	30.11.2002
31.	डा. मधु भट्ट	डाक्टर	27.4.2002
32.	डा. डी.पी. गुप्ता	" "	28.2.2003

परिशिष्ट–5

परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–173 की सूची)

भंग मत्स्य पालक विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के अधिशेष कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतन श्रृंखला	अन्तिम वेतन भुगतान का माह
1.	श्री देवीलाल, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999
2.	श्री छुट्टन लाल मीणा, मत्स्य पालक	2500–3200	फरवरी, 1999
3.	श्री अब्दुल कलाम, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999
4.	श्री लक्ष्मण लाल रैगर, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999
5.	श्री हरिकिशन भील, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999
6.	श्री खेमराज मीणा, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999
7.	श्री किशन लाल नायक, मत्स्य पालक	2550–3200	फरवरी, 1999

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–174 की सूची)

क्रमांक	खण्ड का नाम	उपखण्ड का नाम	उपखण्ड के पास कार्यशील रिंगों की संख्या			
			डी. टी. एच.	रोटेरी	परकसन	काम्बी- नेशन
1	2	3	4	5	6	7
1.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उ.ख., प्रथम जयपुर	2	0	0	0
2.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय जयपुर	0	0	0	1
3.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उ.ख., तृतीय जयपुर	1	0	0	1
4.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उ.ख., चतुर्थ जयपुर	1	0	0	1
5.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उ.ख., पंचम जयपुर	0	1	1	1
6.	ड्रिलिंग खण्ड, जयपुर	ड्रि.उपखण्ड, दौसा	1	0	0	0
7.	ड्रिलिंग खण्ड, अलवर	ड्रि.उ.ख., प्रथम अलवर	2	0	0	0
8.	ड्रिलिंग खण्ड, अलवर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय अलवर	1	0	0	0
9.	ड्रिलिंग खण्ड, अलवर	ड्रि.उ.ख., सवाईमाधोपुर	3	0	0	0
10.	ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	ड्रि.उ.ख., प्रथम अजमेर	3	0	0	0
11.	ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय अजमेर	1	0	0	0
12.	ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	ड्रि.उ.ख., भीलवाड़ा	1	0	0	0
13.	ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	ड्रि.उ.ख., चित्तौड़गढ़	1	0	0	0
14.	ड्रिलिंग खण्ड, अजमेर	ड्रि.उ.ख., प्रतापगढ़	2	0	0	0
15.	ड्रिलिंग खण्ड, कोटा	ड्रि.उ.ख., प्रथम कोटा	4	0	0	0
16.	ड्रिलिंग खण्ड, कोटा	ड्रि.उ.ख., द्वितीय कोटा	1	0	0	0
17.	ड्रिलिंग खण्ड, कोटा	ड्रि.उ.ख., बून्दी	1	0	0	0
18.	ड्रिलिंग खण्ड, कोटा	ड्रि.उ.ख., बारां	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
19.	ड्रिलिंग खण्ड, कोटा	ड्रि.उ.ख., झालावाड़	3	0	0	0
20.	ड्रिलिंग खंण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., प्रथम जोधपुर	0	0	0	1
21.	ड्रिलिंग खण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय जोधपुर	1	1	0	0
22.	ड्रिलिंग खण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., तृतीय जोधपुर	1	0	0	0
23.	ड्रिलिंग खण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., चतुर्थ जोधपुर	0	1	0	0
24.	ड्रिलिंग खण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., प्रथम नागौर	1	0	0	0
25.	ड्रिलिंग खण्ड, जोधपुर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय नागौर	1	2	0	0
26.	ड्रिलिंग खण्ड, पाली	ड्रि.उ.ख., पाली	1	0	0	0
27.	ड्रिलिंग खण्ड, पाली	ड्रि.उ.ख., सिरोही	2	0	0	0
28.	ड्रिलिंग खण्ड, पाली	ड्रि.उ.ख., जालौर	0	1	0	0
29.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., प्रथम उदयपुर	1	0	0	0
30.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., द्वितीय उदयपुर	3	0	0	0
31.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., बांसवाड़ा	2	0	0	0
32.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., राजसमन्द	2	0	0	0
33.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., सलूम्बर	2	0	0	0
34.	ड्रिलिंग खण्ड, उदयपुर	ड्रि.उ.ख., डूंगरपुर	2	0	0	0
	योग		48	6	1	5

उपरोक्त के अतिरिक्त हाइड्रोफ्रेक्चरिंग इकाइयां, डवलपमेंट इकाइयां इत्यादि भी कार्यरत हैं। जिनका कार्यभार अतिरिक्त है।

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–175 की अनुसूची)

भुगतान से शेष कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	कार्यों की संख्या	कारण
1.	कराई	35	कार्यों का मूल्यांकन कर दिया गया है भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2.	भिनाय	07	सरपंचों द्वारा पुनर्मूल्यांकन की मांग के कारण।
3.	जवाजा	73	प्रगतिरत होने के कारण।
4.	केकड़ी	शून्य	शून्य
5.	मसूदा	शून्य	शून्य
6.	पीसांगन	115	केवल सामग्री का भुगतान बकाया है जिसका कारण ग्राम पंचायतों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करना है।
7.	श्रीनगर	शून्य	शून्य
8.	सिलोरा	शून्य	शून्य

सूची संलग्न है।

ह०/-

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्, अजमेर

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–179 की सूची)

सैक्टर रिफार्म योजनान्तर्गत बस्सी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	योजना का प्रकार	सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष	लागत (लाखों में)	योजना की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
	पंचायत समिति–बस्सी				
1.	देवगांव	हैण्ड पंम्प	2002–03	3.15	योजना पूर्ण
2.	कानोता	हैण्ड पम्प	2001–02	0.50	योजना पूर्ण
3.	अखेपुरा	पाइप्ड	2002–03	9.15	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
4.	अणतपुरा	पाइप्ड	2002–03	9.72	योजना पूर्ण अंशदान जमा नहीं
5.	भाजुपूरा	पाइप्ड	2002–03	8.92	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
6.	बिहारीपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
7.	भूडला	पाइप्ड	2002–03	9.99	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
8.	चैनपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	1.35	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
9.	देवगांव	पाइप्ड	2002–03	9.56	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
10.	दणाउ खुर्द	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
11.	जयराम का बारा	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
12.	खतेपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	1.35	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
13.	खिजुरिया तिवाड़ियान	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
14.	खोखाला	पाइप्ड	2002–03	9.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
15.	कुथाड़ा कलां	पाइप्ड	2001–02	4.09	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
16.	लालगढ़	हैण्ड पम्प	2002–03	8.70	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
17.	मदनपुरा दयालपुरा	क्षेत्रीय	2002–03	4.72	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
18.	माध्यवाला	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं

1 2	3	4	5	6
19. मीठावास	क्षेत्रीय	2002–03	8.79	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
20. नारदपुरा	पाइप्ड	2002–03	8.00	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
21. नारदपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	1.35	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
22. पीलिया	हैण्ड पम्प	2002–03	1.35	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
23. फाल्यावास	हैण्ड पम्प	2002–03	0.45	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
24. रामसिंहपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	1.60	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
25. रूपपुरा	पाइप्ड	2002–03	9.34	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
26. रूपपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	0.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
27. सामरिया	पाइप्ड	2002–03	22.65	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
28. सांवलिया	हैण्ड पम्प	2002–03	0.45	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
29. टिड्डीवाला	हैण्ड पम्प	2002–03	0.45	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
30. तूंगी	हैण्ड पम्प	2002–03	0.45	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
31. मानसर खेड़ी	पाइप्ड	2002–03	13.73	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
32. गीला की नांगल	पाइप्ड	2002–03	15.16	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
33. हरध्यानपुरा	पाइप्ड	2002–03	11.83	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
34. हीरावाला	पाइप्ड	2002–03	17.20	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
35. डयोडा चोड	पाइप्ड	2002–03	14.38	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
36. जीतावाला	पाइप्ड	2002–03	12.76	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
37. खतेपुरा	पाइप्ड	2002–03	12.89	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
38. खिजुरिया तिवाड़ियान	पाइप्ड	2002–03	11.04	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
39. सुजानपुरा दूधली	पाइप्ड	2002–03	14.92	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
40. फाल्यावास	पाइप्ड	2002–03	12.58	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
41. दनाऊकलां	पाइप्ड	2002–03	16.94	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
42. सिंदोली	पाइप्ड	2002–03	14.0	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं

1 2	3	4	5	6
43. गुमानपुरा	पी.एण्ड टी.	2002–03	10.95	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
पंचायत समिति–चाकसू				
44. बाढ मुरलीपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	0.40	योजना पूर्ण
45. चिमापुरा रामनगर	हैण्ड पम्प	2001–02	1.87	योजना पूर्ण
46. माधोपुरा	हैण्ड पम्प	2002–03	1.35	योजना पूर्ण
47. अजमेरीपुरा	पाइप्ड	2002–03	8.70	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
48. बावनपुरा	पाइप्ड	2002–03	7.82	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
49. बिशनपुरा	पाइप्ड	2002–03	8.48	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
50. चीमापुरा	पी.एण्ड टी.	2002–03	6.90	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
51. गरूड वासी	पाइप्ड	2001–02	8.69	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
52. इन्द्रपुरी	पाइप्ड	2002–03	8.42	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
53. केशोपुरा	पाइप्ड	2002–03	4.82	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
54. खेडा रानीवास	पाइप्ड	2002–03	9.79	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
55. कोटखावदा	हैण्ड पम्प	2002–03	3.30	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
56. कुशालपुरा	पाइप्ड	2002–03	2.55	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
57. मालपुरिया	पाइप्ड	2002–03	9.18	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
58. नरसिंहपुरा	पाइप्ड	2002–03	8.33	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
59. सडोली	पाइप्ड	2002–03	7.51	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
60. रूपाहेड़ी कलां	पाइप्ड	2002–03	6.93	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
61. रूपनगर	पाइप्ड	2002–03	4.47	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
62. श्री किशनपुरा	पाइप्ड	2002–03	10.00	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
63. ठिकरियान मीणा	पाइप्ड	2002–03	13.07	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नहीं
64. ठिकरियान गुर्जरान	पी. एण्ड टी.	2001–02	4.13	योजना अपूर्ण अंशदान जमा नही
	योग		**456.87**	

परिशिष्ट''अ''

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–180 का विवरण)

जिला पाली में पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिये जा रहे जी.एल.आर. का वर्तमान पेयजल स्थिति का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ग्राम की आबादी 1991	ग्राम की आबादी वर्तमान	जी.एल.आर. रिक्त रहने का कारण	ग्राम की वर्तमान पेयजल स्थिति	कार्यरत हैण्ड पम्प की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धोली घेड़	रायपुर	600	810	बर ग्रामवासियों के विरोध के कारण उपलब्ध स्रोत से नहीं जोड़ने दिया।	हैण्ड पम्प द्वारा व्यवस्था।	6
2.	राजोला कल्ला	सोजत	1339	1808	स्रोत में पानी की कमी के कारण पानी नहीं जा रहा है।	सार्वजनिक टांकों के माध्यम व परिवहन से जल वितरण किया जा रहा है।	—
3.	भाणीया	''	941	1270	—''—	—''—	—
4.	विश्नोई की ढाणी	''	277	374	—''—	—''—	—
5.	सोखों की ढाणी (राजोला कल्ला)	''	235	317	—''—	—''—	—
6.	भाटों की ढाणी लाणेरा	''	325	437	—''—	—''—	—
7.	पोटलीया	''	358	475	—''—	—''—	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	छीतरिया	"	947	1278	—"—	स्थानीय बावड़ी से अन्य जीएलआर के माध्यम से जल वितरण।	—
9.	गिराली	देसूरी	736	957	अकाल के कारण कुआं सूख जाने के कारण	गवाई पिचके से सिंटेक्स टैंक लगाकर जल वितरण।	5
10.	मोरखा	देसूरी	1530	1989	—"—	स्थानीय कुआं से ग्रामवासियों द्वारा लगाये गये सिंटेक्स टैंक के माध्यम से जल वितरण।	3
11.	पनोता	देसूरी	1754	2280	स्रोत में पानी की कमी के कारण	हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल व्यवस्था की जा रही है।	3
12.	बेड़ा	बाली	8074	9689	—"—	खुले कुएं एवं नलकूप से उच्च जलाशय के माध्यम से जल वितरण।	35
13.	कोठार	बाली	1880	2256	—"—	स्थानीय स्रोत व टांके के माध्यम से जल वितरण।	7
14.	लालपुरा	बाली	516	619	—"—	हैण्ड पम्प से जल वितरण	3
15.	विरमपुरा	बाली	1244	1493	—"—	स्थानीय स्रोत व सार्वजनिक जल के माध्यम से।	2
16.	गुडा मेहकरण	मा.ज.	274	340	—"—	हैण्डपम्प के माध्यम से जल वितरण किया जा रहा है।	3

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	ठाकरवास	मा.ज.	1186	1470	—"— पंचायत संधारण के अभाव में	ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्रोत से, सार्वजनिक टांके माध्यम से।	5
18.	धोड़ा	देसूरी	1006	1308	—"—	हैण्ड पम्प द्वारा जल वितरण।	5
19.	हेमलियावास कल्ला	मा.ज.	563	698	—"—	गांव के खुले कुएं से सार्वजनिक टांके के माध्यम से।	2
20.	सिनला	मा.ज.	2026	2512	राइजिंग पाइप लाइन की भूमि पर ग्रामवासियों का कब्जा होने, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त एवं नलकूप में डिस्चार्ज क्षमता में कमी।	ग्राम में स्थित नलकूपों से जल वितरण।	5
21.	भीमालिया	मा.ज.	1963	2434	पानी की कमी के कारण एवं ग्रामवासियों द्वारा गांव में स्थित गवाई पीच के में ही पानी डालने का दबाव के कारण।	ग्राम स्थित नलकूपों से विभागीय 1 जीएलआर व 2 पंचायत द्वारा निर्मित टांकों के माध्यम से।	7
22.	बांता	मा.ज.	3812	4727	पानी की कमी के कारण	ग्राम स्थित नलकूपों से विभागीय 1 जीएलआर व सार्वजनिक टांके के माध्यम से।	7
23.	मायलागुड़ा	मा.ज.	243	301	प्राकृतिक आपदा में पाइप लाइन बहने के कारण।	हैण्ड पम्प द्वारा।	3

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–181 का विवरण)

जिला चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान स्थापित हैण्ड पम्पों का विवरण

जिला चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	तहसील	पंचायत समिति	कुल स्थापित हैण्ड पम्प	चालू हैण्ड पम्प की संख्या	सूखे पाये गये हैण्ड पम्प की संख्या	मरम्मत योग्य हैण्ड पम्प की संख्या	परित्यक्त हैण्ड पम्प की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण क्षेत्र							
1.	राशमी	राशमी	597	421	139	6	31
2.	गंगरार	गंगरार	826	518	275	8	30
3.	बैगूं	बैगूं	1055	568	431	2	54
4.	रावतभाटा	रावतभाटा	648	450	168	4	26
5.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1286	698	525	5	58
6.	कपासन	कपासन	635	427	140	5	63
7.	कपासन	भोपालसागर	702	450	180	3	69
8.	भदेसर	भदेसर	1072	644	395	3	30
9.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1507	1174	310	23	0
10.	अरनोद	अरनोद	810	508	276	26	0
11.	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	895	407	436	17	35
12.	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	743	436	260	24	23
13.	बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी	836	501	294	12	29
14.	डूंगला		816	655	131	10	20
		योग	12428	7857	3960	143	468

1	2	3	4	5	6	7	8
शहरी क्षेत्र							
1.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	347	318	20	3	6
2.	कपासन	कपासन	82	67	6	1	8
3.	बैंगू	बैंगू	86	11	72	0	3
4.	रावतभाटा	रावतभाटा	35	31	2	0	2
5.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	137	99	25	3	10
6.	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	123	47	74	1	1
7.	बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी	53	33	17	1	2
8.	छोटी सादड़ी,	छोटी सादड़ी	59	38	20	1	0
		योग	**922**	**644**	**236**	**10**	**32**

परिशिष्ट–11

परिशिष्ट"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–184 की प्रति)

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक प. 3(29) पी.एच.डी./97 दिनांक 21.8.1997

कार्यालय आदेश

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक नि.स./उ.स.2/पीएचईडी/94 दिनांक 19.11.1994 में अन्तर्निहित प्रावधानों तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (3) वित्त/व्यय–3/93 जयपुर दिनांक 20 सितम्बर, 1993 के बिन्दु सं. 10 (ओवर टाइम) के प्रावधान के अन्तर्गत जलप्रदाय योजनाओं के तकनीकी कर्मचारियों को जो औद्योगिक कामगार की श्रेणी में आते हैं, को नियमानुसार ओवर टाइम भुगतान किये जाने की प्रशासनिक विभाग की सहमति एतद्द्वारा दी जाती है।

भविष्य में ओवर टाइम कार्य लिये जाने तथा उसके भुगतान किये जाने के स्म्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते थे :

(1) मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के परिपत्र जन स्वा./कार्मिक/77/ 50189–390 दिनांक 6.12.1997 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कर्मचारी से साप्ताहिक अवकाश/छुट्टी के दिन काम लिया जाता है तो उस कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश छुट्टी के एवज में 3 दिन पश्चात् रेस्ट दिया जाना अनिवार्य है। यदि 3 दिन पश्चात् भी किसी कारण रेस्ट नहीं दिया जा सके तो 10 दिन की अवधि में अवश्य देना होगा।

(2) ओवर टाइम का भुगतान 3 माह की अवधि में 50 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिये, इसका अधिकारीगण विशेष रूप से ध्यान रखें।

(3) ओवर टाइम उन्हीं श्रमिकों को देय होगा जो कारखाना अधिनियम, 1940 अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

(4) कारखाना अधिनियम, 1940 की धारा 59(1) के अनुसार किसी भी तकनीकी कर्मचारी से एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा व एक सप्ताह में 40 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। इससे अधिक कार्य लिये जाने पर ओवर टाइम का भुगतान सम्बन्धित श्रमिक को करना होगा। यह भुगतान श्रम–नियमों के अन्तर्गत ओवर टाइम भुगतान की जो शर्तें हैं, उनके आधार पर किया जावेगा।

(5) ओवर टाइम कार्य लिए जाने हेतु एवं उसके भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष (सहायक अभियन्ता) उपरोक्त बिन्दु (4) की अनुपालना हेतु प्रति सप्ताह कार्यालय आदेश जारी करेंगे, जिसकी प्रति अपने अधीक्षण अभियन्ता पत्र अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट एवं अवलोकन हेतु तुरन्त प्रेषित करेंगे।

(6) ओवर टाइम में लिये गये कार्य के भुगतान की अन्तिम स्वीकृति सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी की जायेगी तथा ऐसी स्वीकृति के पश्चात् बनाये गये भुगतान बिलों पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर किये जायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

आज्ञा से

ह०/–

उप शासन सचिव (द्वितीय)

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-187 का विवरण)

क्र. सं.	थाना	मु.नं./तारीख/धारा	अपराधियों के नाम	नतीजा पुलिस	जप्त हथियार
1	2	3	4	5	6
1.	आबूपर्वत	22/11.4.2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	1. कैलाश चन्द्र पुत्र पूनम चन्द महेश्वरी 2. श्री गोपाल पुत्र कैलाश चन्द महेश्वरी निवासी देलवाड़ा	चार्ज शीट नं. 16/ 29.4.2002 विचाराधीन न्यायालय।	365 नग तलवारें, गुप्ती, खुखरी, 28.4.2002कटार, छुरियां आदि। अर्बुदा नोवल्टी स्टोर, अचलगढ़ आबू पर्वत से।
2.	आबू पर्वत	23/15.4.2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	1. श्री पांचाराम राणा भील निवासी काछोली हाल अचलगढ़ आबूपर्वत 2. श्रीमती वीणा गुजराल पत्नी मदन मोहन नि. म्यूनिसिपल कालोनी आबू पर्वत न्यायालय से अग्रिम जमान पर।	चार्जशीट नं. 30/ 30.6.2002 पेश अदालत 8.7.2002 विचाराधीन न्यायालय।	1152 नग तलवारें गुप्ती, खुखरी, कटारें, न्यूआर्ट हैण्डीक्राफ्ट राज. एम्पोरियम अचलगढ़ से।
3.	आबू पर्वत	25/21.4.2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	1. श्री प्रेमशंकर पुत्र जमनाप्रसाद नि. माली कालोनी सनसेडरोड आबूपर्वत न्यायालय से अग्रिम जमानत पर।	चार्जशीट नं. 23 31.5.2002 पेश अदालत 8.7.2002 विचाराधीन न्यायालय	682 नग तलवारें, गुप्ती, खुखरी, छुरिंया, क्रोच आदि। ब्यूटीकोर्नर, हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, अचलगढ़ से।

1	2	3	4	5	6
4.	आबू पर्वत	107/11.4.2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	1. अहमद पुत्र जहागीर सैयद मुसलमान नि. पंचायत भवन के पीछे मेहसाणा। 2. सदीक पुत्र रहमदमोसला नि. भावल। 3. उस्मानखां पुत्र मोहम्मद खां नि. मेहसाणा। 4. मुख्तीयारखां पुत्र फजलेखां नि. मावल। 5. फिरोजखां पुत्र नूरमोहम्मद नि. आबू पर्वत। 6. कैलाश पुत्र पूनमचन्द महेश्वरी नि. देलवाड़ा, आबू पर्वत	चार्जशीट नं. 97 10.5.2002 पेश अदालत 15.5.2002 विचाराधीन न्यायालय।	69 तलवारें जीप में भरकर गुजरात ले जा रहे थे।
5.	सांचौर	255/3.9.2001धारा8/15 एनडीपीएस एक्ट	1. श्री रमेश कुमार पुत्र रूपाराम विश्नोई नि. झोटड़ा थाना चितलाना।	चालान 28.11.2001 एनडीपीएस कोर्ट जोधपुर पेश किया गया।	1.920 ग्राम ब्राउन शुगर।

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–188 की प्रति)

जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक दर्ज अपराधों की ज़िलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	हत्या	लूट राहजनी	चोरी	डकैती	नकली नोट	गौ हत्या	अवैध हथियार	अपहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	48	42	737	5	2	2	56	124
2.	भीलवाड़ा	30	48	752	—	4	2	13	196
3.	नागौर	43	26	446	1	—	5	21	61
4.	टोंक	22	12	294	1	1	4	20	90
5.	जयपुर (उत्तर)	13	26	776	—	2	2	198	94
6.	जयपुर (दक्षिण)	28	39	1563	—	14	1	159	92
7.	जयपुर (ग्रामीण)	44	13	661	2	1	1	12	70
8.	झुंझुनूं	44	9	313	5	2	9	23	49
9.	सीकर	41	2	306	2	—	9	11	52
10.	दौसा	21	6	383	—	—	2	15	47
11.	बीकानेर	40	6	367	—	1	—	67	21
12.	चूरू	26	6	233	2	1	11	12	31
13.	गंगानगर	63	9	441	—	—	9	122	60
14.	हनुमानगढ़	65	9	343	1	4	5	114	34
15.	भरतपुर	87	48	709	—	2	11	94	109
16.	अलवर	82	43	964	—	—	9	68	121
17.	सवाईमाधोपुर	27	19	276	2	—	—	34	52
18.	धौलपुर	42	18	190	4	1	—	72	58

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.करौली	19	14	260	1	—	—	36	58
20.जोधपुर (शहर)	16	27	682	—	—	—	56	69
21.जोधपुर (ग्रामीण)	22	16	256	2	3	3	23	35
22.जालौर	19	8	177	—	4	3	10	32
23.जैसलमेर	7	6	157	—	1	6	6	5
24.बाड़मेर	18	12	182	1	—	2	26	25
25.पाली	32	34	332	—	5	4	45	74
26.सिरोही	28	14	147	4	6	—	39	44
27.कोटा (शहर)	28	49	807	1	—	—	422	104
28.कोटा (ग्रामीण)	28	15	251	1	1	8	100	56
29.बूंदी	21	24	389	2	—	—	80	109
30.झालावाड़	44	12	356	2	2	1	241	82
31.बारां	30	13	466	—	1	4	121	89
32.उदयपुर	65	29	509	1	2	3	362	112
33.ब्रांसवाड़ा	40	23	126	2	1	14	1	55
34.चित्तौड़गढ़	46	27	701	3	1	2	77	171
35.डूंगरपुर	24	13	80	—	—	—	10	43
36.राजसमन्द	18	9	148	—	1	2	17	60
37.जीआरपी., अजमेर	2	7	410	5	—	—	34	3
38.जीआरपी., जोधपुर	3	1	123	—	—	—	2	—
योग	1276	734	16313	47	63	132	2819	2587

परिशिष्ट "ब"

1 जनवरी, 2003 से 31 जनवरी, 2003 तक दर्ज अपराधों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	हत्या	लूट राहजनी	चोरी	डकैती	नकली नोट	गौ हत्या	अवैध हथियार	अपहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	2	5	63	—	—	—	7	9
2.	भीलवाड़ा	1	3	77	—	—	—	1	18
3.	नागौर	3	2	26	—	—	—	—	4
4.	टोंक	3	1	30	—	—	—	—	7
5.	जयपुर (उत्तर)	1	2	92	—	—	—	25	4
6.	जयपुर (दक्षिण)	1	2	146	—	3	1	21	7
7.	जयपुर (ग्रामीण)	2	1	62	—	—	1	—	5
8.	झुंझुनूं	6	—	29	—	—	1	—	2
9.	सीकर	2	1	29	—	—	2	2	1
10.	दौसा	1	—	25	—	—	—	—	—
11.	बीकानेर	5	—	32	—	—	—	—	3
12.	चूरू	—	—	28	—	—	—	1	3
13.	गंगानगर	2	1	45	—	—	1	14	1
14.	हनुमानगढ़	3	1	47	—	1	2	9	1
15.	भरतपुर	7	5	90	—	—	—	8	11
16.	अलवर	7	4	112	—	—	1	5	2
17.	सवाईमाधोपुर	—	1	18	—	—	—	2	1
18.	धौलपुर	4	—	11	—	2	—	6	1
19.	करौली	3	2	22	—	—	—	8	8
20.	जोधपुर (शहर)	3	2	78	—	—	—	2	4

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.जोधपुर (ग्रामीण)	—	—	14	—	—	—	1	2
22.जालौर	2	1	17	—	—	1	1	5
23.जैसलमेर	—	—	12	—	—	1	1	—
24.बाड़मेर	—	1	21	—	1	1	2	2
25.पाली	4	5	37	1	—	—	2	8
26.सिरोही	2	1	15	—	—	—	—	1
27.कोटा (शहर)	—	3	89	—	—	—	33	10
28.कोटा (ग्रामीण)	—	—	24	—	—	1	9	2
29.बूंदी	4	—	39	—	—	—	1	4
30.झालावाड़	—	2	34	—	—	—	28	9
31.बारां	2	—	43	—	—	—	12	4
32.उदयपुर	4	—	38	—	—	—	24	9
33.बांसवाड़ा	3	—	10	1	—	1	—	5
34.चित्तौड़गढ़	4	2	55	—	—	—	8	16
35.डूंगरपुर	3	1	7	—	—	—	1	2
36.राजसमन्द	3	—	12	—	—	1	2	5
37.जीआरपी., अजमेर	1	—	30	1	—	—	3	1
38.जीआरपी., जोधपुर	—	—	6	—	—	—	—	—
कुल योग	88	49	1565	3	7	15	239	177

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–193 का विवरण)

राजकीय सेटेलाइट सेठ श्रवण लाल चिकित्सालय, सेठी कालोनी, जयपुर में वर्ष 1995 से 2002 तक प्रसव पूर्व जांच (एंटीनेटल–केयर) हेतु किए गए नामांकन, लेबर पेन से भर्ती केसेज, कराए गए सामान्य–असामान्य प्रसव तथा कहां–कहां रेफर किए गए केसेज का वर्षवार संख्या विवरण निम्नप्रकार से है :

वर्ष	प्रसव पूर्व जांच केसेज के नामांकन	सामान्य प्रसव	असामान्य प्रसव	रेफर किए केसेज की संख्या	कहां–कहां रेफर किए
1995	1275	97	—	06	राजकीय महिला/ जनाना अस्पताल
1996	3480	141	—	04	यथा
1997	1832	143	—	05	यथा
1998	3633	125	—	08	यथा
1999	3011	162	—	08	यथा
2000	2641	126	04	18	यथा
2001	2417	88	02	08	यथा
2002	2219	66	01	13	यथा

परिशिष्ट "ब"

वर्ष	कुल प्रसव	सामान्य प्रसव		असामान्य प्रसव
		चिकित्सालय समय में	चिकित्सालय समय पश्चात्	आपरेशन
2000	130	43	83	04
2001	90	33	55	02
2002	67	28	38	01

परिशिष्ट–15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–196 का विवरण)

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में) 31.7.02 तक	व्यय (लाखों में) 1.8.02 से 31.1.03 तक	कुल (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
आर.यू.पी. पैकेज संख्या आर.जे. 28.04.2001					
1.	फतेहपुर से गारिंडा सड़क	10.00	5.58	2.02	7.60
2.	सम्पर्क सड़क गांगियासर	4.00	2.07	0.40	2.47
3.	फतेहपुर से बैसवा सड़क कि.मी. 0/0 से 1/0	4.00	4.16	0.02	4.14
4.	फतेहपुर से बैसवा सड़क कि.मी. 1/0 से 16/0	35.50	32.86	1.38	34.24
5.	रामगढ़ से ढांढण सड़क कि.मी. 5/0 से 11/0	15.00	9.55	5.50	15.05
6.	रोलसाबसर से ढांढण सड़क कि.मी. 0/0 से 5/0	12.50	6.89	3.20	10.09
7.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ रेल्वे स्टेशन	5.00	2.54	0.96	3.50
8.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ शेखावाटी	4.00	3.23	0.41	3.64
9.	सदीनसर से छिमोली सड़क	27.50	14.27	5.10	19.37
10.	बावड़ीगेट से दो जॉटी बालाजी सड़क	9.00	9.72	0.72	9.00
	योग	126.50	90.87	18.23	109.10
आर.यू.पी. पैकेज संख्या आर.जे. 28.04.2001					
11.	रामगढ़ ढांढण सड़क कि.मी. 11/0 से 15/0	10.00	6.80	0.00	6.80
12.	फतेहपुर से मण्डावा सड़क कि.मी. 7/0 से 10/0	10.50	—	6.02	6.02
13.	नेशनल हाइवे 11 से सीकरिया सर्किल सड़क	3.00	1.52	1.50	3.02
	योग	**23.50**	**8.32**	**7.52**	**15.84**
	कुल योग	**150.00**	**99.19**	**25.75**	**124.94**

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	क्वारी रबिश की स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	क्वारी रबिश का कार्य करवाया गया (कि.मी. में)
1.	फतेहपुर से बैसवा सड़क किमी. 1/0 से 16/0	35.50	14.00	13.800
2.	रामगढ़ से ढांढण सड़क किमी. 5/0 से 11/0	15.00	6.00	1.600
3.	रोलसाबसर से ढांढण सड़क किमी. 0/0 से 5/0	12.50	5.00	2.500
4.	बाबड़ीगेट से दो जॉटी बालाजी सड़क	9.00	0.55	0.300
5.	रामगढ़ ढांढण सड़क किमी. 11/0 से 15/0	10.00	3.00	2.000
6.	फतेहपुर से मण्डावा सड़क किमी. 7/0 से 10/0	10.50	3.00	3.000
7.	फतेहपुर से गारिंडा सड़क	10.00	4.00	शून्य
8.	सम्पर्क सड़क गांगियासर सड़क	4.00	1.00	शून्य
9.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ रेल्वे स्टेशन	5.00	1.50	शून्य
10.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ शेखावाटी	4.00	0.75	शून्य
11.	सदीनसर से ठिमोली सड़क	27.50	10.50	शून्य
12.	नेशनल हाइवे 11 से सीकरिया सर्किल सड़क	3.00	0.40	शून्य
13.	फतेहपुर से बैसवा सड़क किमी. 0/0 से 1/0	4.00	0.00 प्रस्तावित	शून्य
	योग	**150.00**		

परिशिष्ट–16

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–198 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में डामरीकरण कर सुधारी सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़का का नाम	स्वीकृत कि.मी.	स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	खानवा से फतेहपुर सीकरी रोड 0/0 जव 2/200	2.20	4.95	2.20	4.46	कार्य पूर्ण
2.	भरतपुर से धौलपुर रोड कि.मी. 35, 39, 40, 41	4.00	19.50	16.81	4.00	कार्य पूर्ण
3.	खेरिया मोड़ से बंध बारैठा कि.मी. 0/0 से 5/0	5.00	11.25	8.37	4.90	कार्य पूर्ण
4.	भरतपुर सहपउ धौलपुर रोड 1/0 से 13/600	12.60	30.00	27.37	12.00	कार्य पूर्ण
5.	भरतपुर सहपउ धौलपुर रोड कि.मी. 31, 32, 38, 43	4.00	15.00	5.05	1.00	कार्य पूर्ण
6.	नादौती मथुरा (हिण्डौन बयाना रोड यू.पी. बोर्डर तक 16/0 से 18/0, 25/0 से 27/0	6.00	21.00	19.08	6.00	कार्य पूर्ण
7.	उच्चैन रूपवास रोड से खुड़ासा	1.50	3.37	3.26	1.50	कार्य पूर्ण द्वारा कृ.उ.मं.स.
8.	रूपवासपुरा मालोनी रोड	2.00	4.80	4.79	1.95	कार्य पूर्ण द्वारा कृ.उ.मं.स.

1	2	3	4	5	6	7
9.	रूपवास सिरसोंदा रोड	2.00	3.60	2.63	0.90	"
10.	उच्चैन रूपवास रोड	6.00	13.50	12.46	6.00	"
11.	रूदावल बंशीपहाड़पुर रोड	5.00	10.00	10.41	4.00	"
12.	रूपवास जटमारी रोड	4.00	9.00	9.59	4.00	कार्य पूर्ण द्वारा कृ.उ.मं.स.
13.	घाटोली मैरथा रोड	4.00	9.00	8.78	4.00	"
14.	रूपवास जगनेर रोड	4.00	9.00	8.94	4.00	"
15.	सम्पर्क सड़क भैंसा	1.20	2.16	2.21	1.00	"
16.	सम्पर्क सड़क दौरदा	1.00	2.50	1.00	—	कार्य पूर्ण
17.	सम्पर्क सड़क हनुमानजी का मन्दिर	1.00	2.50	—	—	कार्य प्रगति पर
18.	सम्पर्क सड़क मडौली	2.00	5.00	—	—	"
19.	रूदावल बंशीपहाड़पुर रोड 0/0 से 1/0, 3/0 से 6/0	4.00	10.00	—	—	"
20.	घाटोली मैरथा रोड कि.मी. 4/0 से 6/200	2.20	5.50	—	—	"
21.	मैरथा मिलसवा कि.मी. 0/0 से 4/0	4.00	10.00	—	—	"
22.	रूपंवास जगनेर रोड कि.मी. 1,5/0 से 8/500	4.50	11.25	4.00	—	कार्य पूर्ण
23.	उच्चैन से पिंगोरा रेल्वे स्टेशन 0/0 से 4/0	4.00	10.00	4.00	—	"
24.	रूपवास से नया गांव 0/0 से 3/0	3.00	7.50	—	—	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
25.	सम्पर्क सड़क जटमासी 0/0 से 6/0	6.00	15.00	—	—	,,
26.	सम्पर्क सड़क कंजौली 0/0 से 1/500	1.50	3.75	—	—	,,
27.	कांदोली से बिनउआ 0/500 से 2/500	2.00	5.00	—	—	,,
28.	नगला तुला से डुगरिया 0/0 से 3/0	3.00	7.50	—	—	,,
29.	सम्पर्क सड़क मौरोली डांग 0/0 से 1/0	1.00	2.50	—	—	कार्य प्रगति पर
30.	उच्चैन रूपवास सड़क 2/0 से 5/0, 8/0 से 10/0	5.00	12.50	5.00	—	कार्य पूर्ण
31.	रूपवास से चकसामरी 0/0 से 4/0	4.00	10.00	3.75	—	,,
32.	सम्पर्क सड़क आडेल गद्दी 0/0 से 0/600	0.60	1.50	0.60	—	,,
33.	रूपवास जटमासी कि.मी. 1, 2, 5, 6	4.00	10.00	—	—	कार्य प्रगति पर
34.	सम्पर्क सड़क माडापुरा 0/0 से 2/0	2.00	5.00	—	—	,,
35.	बयाना से बारैठा 0/0 से 2/0	2.00	5.00	—	—	,,
36.	सम्पर्क सड़क सहना 0/0 से 1/0	1.00	2.50	1.00	—	कार्य पूर्ण

प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में पैच द्वारा मरम्मत कराई सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	मरम्मत किए गए कुल कि.मी.	विवरण
1.	भरतपुर रूपवास सड़क एस.एच. 23	16	बी./टी पैच
2.	भरतपुर बयाना सड़क एस.एच. 24	8	बी./टी पैच
3.	उच्चैन बारैठा सड़क एम.डी.आर. 55	16	बी./टी पैच
4.	उच्चैन रूपवास ओ.डी.आर. 25	3	बी./टी पैच
5.	रूपवास नया गांव सड़क	5	बी./टी पैच
6.	खेरिया मोड़ रूदावल सड़क एम.डी.आर. 62	5	बी./टी पैच
7.	बारैठा पहाड़पुर सड़क	5	बी./टी पैच
8.	सम्पर्क सड़क पाली डांग	1	बी./टी पैच
9.	सम्पर्क सड़क बाबरी बरौदा	1	बी./टी पैच
	योग	60	

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या–204 की सूची)

वर्ष	क्रमोन्नत विद्यालय		
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक
1998 (दिसम्बर)	शून्य	शून्य	शून्य
1999–2000	1. नून 2. मनोरा (बालिका) 3. वेराविलपुर 4. वेरी रामपुरा	रामपुरा	कैलाशनगर
2000–2001	1. तेलपीखेड़ा 2. मोहब्बत नगर (बालिका) 3. कलदरी 4. गोकुलवाड़ी 5. लखमाना छोटा 6. कैलाश नगर (बालिका)	सिंदरथ	बरलूट
2002–2003	1. नई आबादी, जावाल 2. सवली 3. सेउडा 4. जुबलीगंज 5. बाखेड़ा	1. गोल 2. बागसीन	1. सिरोही (नवीन स्वतंत्र) 2. सराड़ा 3. मोहब्बतनगर